

मारतीय सामन्तवाद



राजचक्रस्तल प्रचक्षण
प्रिया ११०००६ पड़ा ८००००६

भौदतीर्थ द्वारा भूमिक्तव्याद

रामशारण शर्मा

अनुवादक आदित्यनारायण सिंह

मूल्य २५ ००

© डॉ० रामशरण शर्मा

प्रथम संस्करण १९७३

प्रकाशक राजकमल प्रकाशन प्रा० लि०,

८ नेताजी सुमाप मार्ग, दिल्ली ११०००६

मुद्रक प्रभ्य मारती दिल्ली-११००३२

प्रावरण हरिपाल त्यागी

प्रस्तावना

प्रस्तुत पुस्तक १६६४ में प्रोचीबे द्योरतीय इतिहास एव सस्कृति के उच्च अध्ययन केंद्र (सेंटर ऑफ एडवास्ड स्टडी इन एशिएट इडियन हिस्ट्री एड कल्चर) के तत्वावधान मे कलकत्ता विश्वविद्यालय म दिये भेरे छ व्याख्यान की शृखला पर आधारित है। व्याख्यान देने के लिए मुझ केंद्र के निदेशक प्रोफेसर निहारजन रे ने आमत्रित विषया इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। मैं केंद्र के वर्तमान निदेशक प्रोफेसर डी० सी० सरकार वा भी दृष्टग हूँ जिन्हाने इस व्याख्यान माला और उसके बाद होने वाली परिचर्या वा सयोजन विषय। पुस्तक के प्रणयन म मुझे प्रोफेसर ए० एल० वैशम से जो मूल्यवान सहायता मिली है उसके लिए मैं उनका विशेष अहृणी हूँ। उहाने पुस्तक की आण्डुलिपि का अवलोकन करके उसकी भून बताने की दृष्टा की—खासकर भारतीय जहाजरानी के सम्बन्ध म जिमका विवेचन छठे परिच्छेद मे किया गया है। पूरी रचना वा पारायण करके कुछ महस्त्वपूण सादम सुझाने के लिए मैं डॉ० बी० पी० मजूमदार वा भी आभारी हूँ।

पाठक देखेंग कि परिशिष्ट १ म मुख्य पाठ की कुछ बातो की पुनराचति हुई है तथापि यह परिशिष्ट इसलिए शामिल किया गया है कि एक अध जनजातीय शोक वी मूमि-यवस्था की विशेषताओ को उजागर किया जा सके।

भारत के सादम भ साम्राज्याद के अध्ययन की बठिनाइया का मुझे चोप है। लेकिन यह ऐसी चुनौती है जिसे किसी न किसी को स्वीकार करना

ही है और इस दिशा म पहला कदम उठाना ही है। यहा मैंने भारतीय सामाजिक काला तर से किया है, वल्कि या कहिए कि उसकी एक ऐसी मोटी रूप रेखा प्रस्तुत की है जिसके दायरे म यहा उठाई गई समस्याओ का विशद विवेचन काला तर से किया जा सकता है। थेन की दण्ड से मेरा यह अध्ययन मुख्यत उत्तर भारत तक सीमित है और इसमे सामाजिक के राजनीतिक तथा आर्थिक पहलुओ का तो विचार किया गया है, कि तु सामाजिक तथा सास्कृतिक जीवन पर उसके प्रभाव का विश्लेषण नहीं किया गया है। इन मर्यादाओ के रहते हुए भी यदि यह दृष्टि भारतीय इतिहास के सुधी अध्यतात्रा म इस विषय के प्रति रचि उत्पन्न कर पाई तो मैं अपना प्रयास सफल मानूगा।

इतिहास विभाग
पटना विश्वविद्यालय
१५ अगस्त १९६५

रामराम शर्मा

विषय-सूची

उद्भव और प्रथम चरण	१
तीन राज्यों में सामन्ती राज्य-व्यवस्था	५०
तीन राज्यों में सामन्तवादी प्रथा-व्यवस्था	११५
पूर्व मध्यकाल में भूमि विषयक अधिकार	१३६
राजनीतिक सामन्तवाद का उत्कर्ष-नाल	१६१
सामन्तवादी अध्यव्यवस्था का चर्मोत्कर्ष और हास	२१५
निष्कर्ष	२७०
परिशिष्ट १ मध्यकालीन उडीसा में भूमि व्यवस्था	२८२
परिशिष्ट-२ पाल तथा चादेल राज्यों की दुग रक्षित वस्तियाँ	२९६
अनुक्रमणिका	३०३
सन्दर्भ ग्राथ सूची	३२१

परिच्छेद १

उद्भव और प्रथम चरण

(लगभग ३०० ६५० ईस्वी)

सामन्तवाद की ठीक ठीक परिभाषा कर पाना बहुत व्हठिन है। जिस प्रकार जितने समाजवानी है समाजवाद की उतनी ही परिभाषाएँ मिलती हैं, उसी प्रकार सामन्तवाद पर शोध करनेवाले जिनों विद्वान हैं, उतनी ही तरह की इसकी व्याख्याएँ भी गयी हैं। इस प्रकार का प्रमोग ऐतिहासिक विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाओं के सादभ म बिया जाता है और ये अवस्थाएँ दग बाल की हृषि से एक दूसरी से काफी दूर पड़ती हैं। जहा एक और मिश्र क पुरातन राज्य (ओन्ड किंगडम) के बाद वाले राज्यहीन बाल (अव्यात् २४७५ २१६० ई० पू०) को सामन्तवादी कहा जाता है वहा दूसरी ओर चाऊँ बानीन (११२२ २५० ई० पू० के) खीन को भी यह सज्जा दी जाती है। लेकिन, आमतौर पर पाचवीं शताब्दी से लेकर पाँचवीं शताब्दी तक के मूरोपीय ममाज को ही सामन्तवादी कहा जाता है। यहीं भी कभी प्रभु और सामन्त के अनुबद्धात्मक सम्बंध म निहित बानूनी पश्च पर जोर दिया जाता है तो कभी आधिक पश्च, अर्थात् कभी प्रया के प्रचलन पर। मूरोपीय सामन्तवाद के स्वरूप को देखते हुए हम तो यही लगता है कि उसका राजनीतिक और प्रशासनिक टॉका भूमि अनुदाना के आधार पर गठित था और असली आधिक ढाका हृषि दासव (सफडम) प्रया के आधार पर। इस प्रया के अधीन इसान भूमि से बधे होते थे, और भूमि के भातिक थे जमीदार होने थे जो असली काश्तवारा और राजा के दीच की बट्टी बा काम करते थे। किसान जमीन जोनने के बदले सामन्ता को उपज और घन्घेगार के रूप में लगान भदा करते थे। इस प्रणानी का आधार आत्म-

निभर धर्य यवस्था थी जिसमें चीजों का उत्पादन बाजार में व्यवसं के लिए नहीं बल्कि मुख्यतः स्थानीय वित्ताना और उनके मालिकों के उपयोग के लिए होता था। तो इसी अप्रभाव में सामाजिक की कुछ भोटी पोटी विशेषताओं का घटान भी इत्यत्र हम भारत में उमक उच्चभव और विकास पर विचार करेंगे।

कुछ राजनीतिक पक्ष प्रागामनिक प्रवक्तियों के वारण मौर्यों और काल और विद्यायक गुप्त वास्तव में राज्य यवस्था सामाजिक दौराव में अनेक लाभों। इनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रवक्ति व्राह्मणों की थी। अमरावती, महाबाया का उपराजात्मक अपाया और पुराणा में यिह गद्य अमरावती ने इस प्रवक्ति को पुण्य काय क्षण में प्रतिष्ठित कर दिया। महाभारत के अनुगामीन पक्ष में इसकी महिमा का गुण याहु पूरे एक धर्माय (भूषिधान प्राप्ति) में विद्या गया है। प्रायः मौर्य काल के पालि सादित्य में कोमल और मगध के राजाश्वारा द्वारा द्वार्हणा को दान दिय गय गाँवों का उल्लेख मिलता है। लक्ष्मि इन राजाओं ने इन गाँवों के प्रशासन के अधिकार भी अद्वितीय द्वार्हणों को दिय हुए ऐना कार्ड उल्लेख इन ग्रन्थों में नहीं मिलता। भूषिधान का मवसे प्राचीन पुराणव्योपय प्रमाण ईश्वरी पूजा की पहली शताब्दी के एक सातवाहन अभिलेख में मिलता है जिसमें अवधिमेधयन में एक गाँव नाम करने की चर्चा है।^१ किंतु यहाँ सीधे प्राप्त निक अधिकारों की कोई चर्चा नहीं है। मगर विचित्र वात यह है कि अभिलेखों में उस प्रकार का गायद पहता प्रमाण दूसरी शताब्दी में बोड मिथुओं को दान दिये गये गाँवों के सिलसिले में मिलता है। यह दान सात वाहा राजा गोतमीपुत्र शताब्दिने दिया था। उन मिथुओं को दान की गयी भूषि में राज सना का प्रदेश वर्जित था। राज्याधिकारी वहाँ के जीवन कष्ट में कोई विद्धन वापादा नहीं ढान सकते थे और न जिता पुलिम के लाग हो। उस क्षेत्र में कार्ड हस्तानेप कर सकते थे।^२ पाचवा शताब्दी में एस अनुगामी की प्रवक्ति खूब बनी। इनकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएँ थीं—एक तो राजस्व के सम्बन्ध साधना का अद्वितीय नाम हस्तानरण, और दूसरी दान लनेवाल पर आनंदिक सुरक्षा और प्राप्तासनिक दायित्वों का बोझ ढाल देना। दूसरी शताब्दी के अनुगामी में राजस्व के सिफ एक साधन, अपाय नम्बक पर राजा के अधिकार के हस्तानरण का उल्लेख मिलता है। सका मनलब यह हुआ कि राजस्व के कुछ दूसरे साधनों पर राज्य प्रपत्ति अधिकार कायम रहता था। लक्ष्मि दक्षिण

१ सिं २० पट्ट १८८ पक्ति ११।

२ वही पट्ट १८२ १८४ ५।

भारत में ये चौथी शताब्दी के पन्नत्र अनुदाना में यह स्थिति नहीं रह जाती। वाकान्व राजा द्वितीय प्रब्रह्मेन के समय (पौच्छी शताब्दी) से हम देखते हैं कि राजा चरागाह, घम वाप्तागार नमक वी खान और सभी भूगम सपदा तथा विष्टि आदि राजस्व के प्राय समस्त साधना वा परिहार कर देता था।^१ 'रथुवर्ण' के अनुमार पृथ्वी की रक्षा करने के लिए राजा वे वतन का एक साधन खान भी है।^२ चौथी और पाचवा गताब्दियों के बुछ दानपत्रा से जात होता है कि ब्राह्मणा वा दान किये गये गाँवों की भूगम सपदा वे उपभोग का अधिकार भी उँह द दिया जाना था।^३ इसका तात्पर्य यह हुआ कि खाना का राजकीय स्वामित्व भी प्रहीता का द दिया जाता था और यह ध्यान देने की चात है कि खाना वा स्वामित्व राजा की प्रभुसत्ता का एक महत्वपूर्ण प्रतीक था।

यह बात भी उतना ही महत्व रखती है कि दाता राजस्व वे परिहार के साथ-साथ दान किये गये गाँवों के निवासियों पर गासन करने का अधिकार भी प्रहीता को द देना था। गुप्त काल में भूगम भारत के बड़-बड़े सामन्त राजाओं द्वारा ब्राह्मणों को दान स्वरूप बसे वसाय गाँव देने के एस कम में कम आधे दशन उदाहरण तो मिलते ही हैं। इन अनुदानों में सामन्त राजाओं ने सम्बन्धित गाँवों के निवासियों को, जिनमें विसान और कारीगर दोनों शामिल थे, स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे प्रहीताद्वारा का केवल प्रचलित कर ही नहीं दें, बल्कि उनके आदेशों का भी पालन करें। गुप्तात्तर-काल के दो आय भूमि अनुदानों में सवाध्यम के पद पर काम करनेवाले सरकारी अमला तथा वतनभागी नियमित सेनिका और छत्रधरा का इस आराय के राज्यादेश दिये गये हैं कि वे ब्राह्मणों के जीवन क्रम में किसी प्रवार वा हम्नशप न कर।^४ ये तमाम उदाहरण राज्य द्वारा अपने प्रगासनिक अधिकारों के स्थान के स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करते हैं।

पौच्छी गताब्दी के अभिलेखों से जात होता है कि राजा चोरों द्वारा दिङ्डित करने का अपना अधिकार आमतौर पर नहीं छोड़ता था, यह अधिकार राज्य-

^१ सि० इ० पृष्ठ ४२२, पत्ति २६ ६।

^२ स० १७, इत्ताक ६६।

^३ वा इ० इ०, जि० २, न० ४१ पत्ति ८, सि० इ०, पृष्ठ ४२२ पत्ति २६।

^४ रा० १० शमा पालिटिक निगल आस्पक्ट्स ऑफ द सम्प्रिस्टम, ज० वि० रि० सो० २६ ३२५।

गता था तां मुख्य प्राप्ति था । उन्हिं पाने चाहते राजा कवि भारती था । दृष्टिकोण सरा का अधिकार ही नहा, वह एक अधिकार गमनिति और अधिकार के प्रति भारतीप्राप्ति बल्लवाता । वा इष्ट देव वा अधिकार भी बाह्यगता । वा देव सभा, और इस प्रश्नार्थ विदेशीहरण की प्रविष्या भारती भ्राम्यादिष्ट परिवर्तन पर पहुँच गयी । मध्य भारत और पर्याप्ती भारत में कुछ उत्तर गांगा । दान विद गय गांगा में मुद्दामा की गुरुवाई वा अधिकार भी बहीगामा । गोद दिया । तार दानपत्रा में अम्बन्तरमिति^१ दान का प्रयोग किया है । अन्य घनना विद्वानों ने इसके अन्य अन्य प्रयोग समाप्ति^२ की तु धूपरहम इमता प्रयोग गौड़ व आनन्दिक विदां वा विवरारा समाप्ति तो अमदा । इति^३ और दर्शीता । वह अधिकार मित्रा व वार गम्भिरा गौड़ भ्राम्यादित सरया थार्म तिभर राजनीतिक इराई या जाना था । सर्व इस अम्बन्तर मिति का प्रयोग यही उमी प्रयोजन न किया गया^४ किंव अपोजनस उत्तर भारत व दानपत्रा में मर्द्द दानप्राप्ति दान का प्रयोग किया गया है । किन्तु जहाँ अम्बन्तराप्राप्ति बहीता के यापाधिकार फो भारताधिर प्रयोग फोजारी मासना तब ही भीमिति रहता है^५ वही अम्बन्तरमिति दान उम गमी आनन्दिक विदां भवान् दीक्षाती मासना पर भी यापाधिकार प्राप्ति रहता है । सर्व हि इस अधिकार के बह एवं पर बहीता दान में प्राप्ति दान वा भाग्यनी स वित्ती दामन भव यन्त्र न गवता था ।

प्राचीरा साहित्य और पुरातता में राज्य की गविन वे जिन सामाजिक उल्लेख मिलता है उनमें संग्रह महत्वपूर्ण स्थान कर रहा है इसके बारे में भी एक देश के अधिकारी ने दिया है। और यह ठीक भाव है कि यह दाना अधिकारा का स्थान बरत ही स्वभावित राज्य की गविन इस भिन्न हो जाती है। ऐसिन यादगार का शिखे गये दाना तो जो शिखनि उत्तम हुई यह विलयन यही थी। दान धोत्र सामग्री पर सूख छढ़ के अभित्व पर्यन्त वे लिए दिय जाते थे। इसका अर्थ यह था कि राज्य की अपेक्षा हमें कि लिए टूट जाती थी। पुरीहीरों को भूमि जान देने की प्रथा का प्रारम्भ प्राइ मौष्मान और मीष्मान में ही देवा जा सकता है। कौटिल्य बहता है कि नयी वस्तियों में यहाँ देव्य

१ अम्यानमिद्दिरा का० ८० ६०, जि० ८, न० ३१, पक्ष ४१।

੨ ਕਾਂਡਾ ਇੱਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ੧੫੫ ਪਾਸ ਟਿੰਡਾ ੧੧

A.D.

४ बही, जि० ३, १८६६० पा० टि० ४।

भूस्वामिक व अनुमार भूमिदान करना चाहिए और ब्रह्मदेय भू-स्वामित्व की शर्तों म वर और दण्ड से मुक्ति भी शामिल है।^१ लेकिन गुप्त वाल म स्थित बदल जाती है। प्रारम्भिक पालि साहित्य म उल्लिखित ब्रह्मदेय ग्रन्थ की टीका करते हुए पौच्छी शतान्त्री म बुद्धघोष कहते हैं कि ब्रह्मदेय अनुदान में यायिक और प्रगाणिक अधिकार भी शामिल है।^२ समकालीन पुरालखीय प्रमाणों से भी इस बात की पुष्टि हाती है। किन्तु ब्रह्मदेय शब्दी दस शास्त्रों से प्राप्त भीय कालीन स्थिति का बोध नहा होता। इससे दग्धसन टीकाकर क समय की ही स्थिति प्रकट हाती है। इस प्रकार गुप्त-वाल म नूमि नान क व्यापक प्रचलन न एम ब्राह्मण सामना क आविभाव का माग प्रगस्त कर दिया जो राजकीय अधिकारियों की सत्ता से लगभग स्वत न रहकर अनुन्तर क्षत्रा वा प्रगासन चलात थे। प्रारम्भिक अनुदानों में जो बात एक अन्पृष्ठ तथ्य के स्पष्ट मिद्यमान थी, उगमग १००० ईम्बी से वही बात स्पृष्ट स्पष्ट से प्रचलित हो गयी, और तुर्सों वी गासन प्रगाली म ता उस विधिवत स्वीकार दर लिया गया। इन दातायां का मरण चाह जा रहा हा, किंतु एसे अनुदानों का परिणाम यहा हुआ कि दा भ प्रचुर आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति म सम्पाद एवं जवरदस्त मध्यवर्ती बग खड़ा हो गया। जस जस भूमिधर ब्राह्मणों की मरण बड़नी गयी, उनम म कुछ लाग धार धीर पुराहिताइ का काम द्योन्दर अपना ध्यान मुम्पन अपनी भसम्पति की यवस्था पर कद्रित करा लग। एम ब्राह्मणा क लिए सामारिक वाम काज धार्मिक वत्त पा स अधिक महत्वपूर्ण हो गय। लेकिन ब्राह्मणा क भमिदान देन वा सदमे बड़ा मनीजा यह निक्षता कि गासन तान पर स-के-इका वह सशम और व्यापक नियन्त्रण जिसक लिए भीयों का राज्य प्रसिद्ध था भीर्योंतर वाल और गुप्त वाल म लुप्त होन लगा और उसका स्थान सत्ता का विकासीकरण लेन लगा। अब तब गाँति मुम्पस्या कायम रखने और प्रतिरक्षा वा प्रवाध करन क साथ माय कर उगाहने राज्य के तिए बठ देगार की व्यवन्था करन लाना और हृषि का नियमन करन की सारी जिम्म दारी राज्याधिकारियों पर थी किंतु अब इन कर्तव्यों क निवाह का दायित्व धीरे धीर पहन ता पुराहिता क हाथा म और बाद म याद्वा बग क हाथो म लिखित करता गया।

^१ अथगाम्प्र अ० २ नाम १।

^२ पा० ट० मो० पालि दृग्लिङ द्विग्नारी ब्रह्मदेय ग्रन्थ।

ब्रह्मास और गाय भारत के गुण रामीन गार परों में छोड़ा का भूमि के संगान के उभाराग पा व्याधी घपितारा ना जिया गया है लरिन भूमि का स्वामित्व अवया संगान का घपितार दूसरा। का नाम हम्मातारिंग वरन अवया दूसरा को दान-म्बल्ला दन का हरा उर्मिम परा है। यहीना का यह हर दने का गाय गवस प्राचीन ग्रमाण इग गच्छ भारत में मिलता है। वही इश्वीर में ग्राम ३६७ ई० का गार घमिनग ए महाराज श्वामिनाम नामस विनी व्यक्ति न जा गाय गुण गम्मार का गामन या जिनी मीनागर को घपना एक यन दान वरन को घनुमति का है।^१ गामन यर इं श्वामिनाम को घरन घधिकार क्षत्र के भीतर विमा जा व्यक्ति का घामिर घनुमान ने को मजूरी द सकता था इगम भामिर होता है जि गामन की हैमियत से स्वय स्वामिनाम को भी राजकीय घनुमति के विना घामिर घनुमान दन के प्रमाण मिलत है। उन्नाहरण के तिर परिवाजन और उ-एकत्व १ वर्द गोद दान विय प। लक्षिन न तो स्वामिनाम वास उन्नाहरण में और न गच्छ उन्नाहरण में ऐसा पाई उल्लेख है जिसस यह समझा जा गए कि उन सामनों को जमीन राजा की ओर में मिला हुआ थी। इस प्रकार के घनुमान घमा-उपसामातीवरण के उन्नाहरण नहीं है। लक्षिन इ-दौर घनुमान में प्रवीता को यह घधितार जिया गया है कि यह जब तक ब्रह्माद्य घनुमान की दानों का पालन वरता रहता तब तक यह उम भूमि का उपसामातीवरण का गाय गवस प्राचीन पुरा लेखीय प्रमाण है। यद्यपि इस काल में दा के दूसरे हिस्सा में एस उन्नाहरण नहीं मिलत जिन्नु यही उपसामातीवरण की प्रतिया ना मूलपात तो हो ही जाता है। यह प्रतिया मध्य भारत का पर्वतीयों हिस्से में पौचबों गतान्त्री में जारी रही भीर छठी तथा सातवी गतान्त्रीयों में वलभी नरेगा के घनुमान में यह चीज निरपवार रूप से देखने का मिलती है।

^१ ए० ई० जि० १५ न १६ पवित्री १६। यह स्पष्ट नहीं है कि दाता स्वया वह सौदागर या या काई ओर।

^२ उचितया ब्रह्माद्य भुक्ताया भुज्जते दृपन दृष्टापयतश्च। वहीं पवित्री ६७

यह दान ध्यान देने योग्य है कि गुप्त साम्राज्य के केंद्रीय हिस्सा म, अर्थात् आधुनिक बगाल विहार और उत्तर प्रदेश से किसी भी मामान सरदार द्वारा सम्माट की अनुमति के बिना भूमि दान अथवा आम दान करने का कोइ उदा हरण नहीं मिलता। इस प्रकार के जो भी उदाहरण मिलते हैं, सभी इस परिधि के बाहर सुन्दरवर्णी थेओं मे ही मिलते हैं, जहाँ के सरदार नाम मात्र को ही गुप्त सम्भाट के अधीन थे। साम्राज्य के केंद्रीय प्रदेश म यह प्रवत्ति, जब गुप्त सम्भाट का शामन समाजिक पर था, तब से गुप्त हुई। कुमारामात्य महा राज नादन ने छठी गता^१ के मध्य म आधुनिक गदा जिले म एक गाँव दान दिया था^२ यद्यपि पहले ऐसे अनुमान दना गुप्त सम्भाट का विषयाविकार था।

दानपत्रा को दखन से नान हाना है कि भूमि अनुदाना क बदने पुरोहिता का दानाओं या उनक पूजा क आध्यात्मिक कल्याण के लिए पूजा प्रायता करनी पड़ती थी। इनके सासारिक वक्तव्य का निर्देश कराचित ही वही किया गया हो। इसका एकमात्र उदाहरण दाकाटक राजा द्वितीय प्रबरसेन का चम्मक तान्त्र पत्र है। इसम एक महस्त व्रायणी का एक गाँव दान किया गया है और उनके लिए कुछ वक्तव्य भोगिधारित किये गये हैं।^३ उह हिन्दूपत दी गयी है कि व राजा और राज्य क विश्वद्राह नहीं करेग, चोरी और व्यभिचार नहीं करेग, ब्रह्मा चाया नहीं करेग और राजा का अपद्य अर्थात् विष नहीं लेंगे, वमक अतिरिक्त व दूसरे गावा से लगाई भी नहीं करेंग आर न उनका काइ अनिष्ट करेंगे।^४ य सभी दायित्व निषेधात्मक हैं, जिसका मतलब यह हमा कि पुराहिन लोग इस गत पर भूमि का उपभोग करत थे कि वे प्रचलित सामाजिक एव राजनीतिक यवस्था के विश्वद कोटि काम नहीं करेंग। दूसर दानपत्रा म भोजना पुराहिता न इन निषेधों को आया एक सबमाय तथ्य के रूप म या ही स्वीकार कर लिया जिससे इनके उल्लंघन वी जहरत नहीं समझी गयी, तकिन, एसा मानना स्वीभाविक ही होगा कि ब्राह्मणा ने अपने उदार दानाओं से जितना पाया बन्ले भ उ उसम अधिक ही दिया। उहाने अपन अपन अवीनस्थ धना म गाँति मुख्यवस्था वायम रखी, प्रजाकावण धन के निवाह का पवित्र कत्तव्य समझाया तथा उसके मन म राजा के प्रति जो गुल झाल से विभिन्न

^१ ज० ग० सा० व० प० सि० २ (१५०६), १६४ ए० इ०, १०, १२।

^२ का० इ० इ० जि० ३ न० ५५।

^३ वही, पक्षियाँ ३८ ४३।

मारनोप गायत्राद

देयतापा के तुग्गा के विभूषित बाया जाते सगा था कि माय जगाया कि उमरी
मागा का पासा बरना भी तुनीरा काय है। धार्म, दातापा का मगा चाह जा
रहा है ताका मारा गतव होगा कि इन घनुशना के मिल पानिक उद्द्या
की ही लिटि हाँगी थी। यह ठीक है कि तुरोहित साग तानामा तया उमर
पूजना के पारमात्मिक पत्त्याण के लिए पूजा प्रायता बरत पर और इन्हें
पादरिया की तरह उत्तर लिए गया गहरा तुग्गा के मिलन घगर जनना है।
ठीक आचरण बरन पर अप्रतित व्यवस्था को स्वीकार कर बरत के लिए
गमभाया जा सकता था कि इर लिनिक सागा की जस्तत ही क्या था?

गुप्त राज म अधिकारिया को लिनिक और प्रायानिक सागा के लिए
मूलि घनुशन दन का शोई प्रयोग के तुरातगोय प्रमाण नहीं दिलता ददापि है।
सरता है कि एक प्रबलन रहा हो। यमगात्रा को दगन स परीक हांगा कि
दगमिक प्रणाली पर प्राप्तारित राजमिक एवं प्रायानिक एकांगा के प्रधान
अधिकारिया को मूलि घनुशन के रूप म ही बरत लिया जाना था। धारीय सगड़न
को दगमिक प्रणाली को स्पारणा सावत पहल कीटित्ये प्रस्तुत करा। उसन ५००
५०० २०० घोर १० गाँवा के लिए ५ गाँवा के भी एकांगा की व्यवस्था की
है और उनके अधिकारिया के पर नाम बताय है। वे हैं—पक्षामी दायामी
गोर स्थानिक तथा समाहर्ता। समाहर्ता की नकद बेतन दने की व्यवस्था की
गयी है। यद्यपि नवी बतित्या म गोर और स्थानिक को भूमि घनुशन भी लिया
जा सकता है जिस बह न बध सकता है और न धय लिसी प्रदार से लिलन
दूसरे को द राहता है। इस्पट है कि यह मूलि घनुशन लियमिन रूप से मिलन
बाले नकद बतन के ऊपर से दिया जाता था। घन कीटित्ये की प्रणाली म
सामन्तवाद का यह लग्न बहुत लीण लियाई देता है। लक्षित जसांगि मनु
स्मति म दगा जा सकता है इस्त्री सन के प्रारम्भ म यह स एक वाफी गुप्त हो
जाता है। मनु ने दगमिक प्रणाली को कायम रखत हुए १० २० १०० घोर
१००० गाँवा के एकांगा की व्यवस्था की है। राय ही इन एकांगा के ग्रामि

- १ अथगा अ ५० २ लो० १।
- २ वही २ ३५।
- ३ वही ५ ३।
- ४ वही २, १।
- ५ म० स्म० अ० ७ लो० ११५—७।

कारियों को भूमि अनुदाना के रूप में वेतन देने का विधान करवा^१ उसने वेतन विधि में बाफी परिवर्तन किया है। प्राय सभी स्तरों के अधिकारियों को नकद वेतन दन की कौटिल्यवाली व्यवस्था से यह नियम बहुत मिला है। 'मनुस्मृति' में 'राजप्रदेयानि एवं वरन् और शाति-न्मुख्यवस्था वायम रखने के लिए गठित एवं दस बीस, सौ या हजार गाड़ों के एकाशम के प्रधान अधिकारियों को वेतन स्वरूप भूमि अनुदान दन की सिफारिश की गयी है।^२ इस नियम को बहस्पति की स्मृति में भी उठाते किया रखा है^३ जिसे एसा निष्पक्ष निकाला जा सकता है कि यह नियम गुप्त-वाल में भी मार्य था। यद्यपि गुप्त वालीन अभिलेखा में इस प्रथा का बोई उल्लेख नहीं मिलता, बिना पाल अभिलेखा में ग्रामपति और नाशग्रामिक जैसे अधिकारियों की चचा मिलती है। उस दार्शनिक शब्द का यहाँ भी उभी अव में लिया जा सकता है जिस अव में यह 'मनुस्मृति' में मिलता है।^४ इसमें पूर्ववर्तीवाद में भूमि का लगान, तो राजस्व का मुराय साधन था, सीधे राज्य के अमले या ग्रामभोजक अधिकारी गाप लाग चूसूत बरत थे। इस उद्देश्य का ध्यान में रखकर कौटिल्य न यह व्यवस्था की थी कि सभा परिवारा की गणना करके उनके सम्पत्ति के नाम और उनकी सम्पत्ति दर्ज कर भी जाय^५ ताकि सरकार उनका लायन सम्पत्ति का निश्चय कर सके और वह कितना बगार ल सकती है इसका अनुमान लगा सके। ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त वाल से सरकारी वर वसुल बरते का दायित्व कम से कम अशत तो सामना को सौप ही दिया जाता था। इसलिए सरकार के लिए अब परिवारा की गणना करके उनका नेपा जोषा रखना जरूरी नहीं रह गया था। चीनी यात्रियों के विवरणों से एसा निष्पक्ष निकाला जा सकता है। पौच्छी नाता-गी के प्रारम्भ में गुप्त मान्द्राज्य के वाद्रस्य क्षेत्र में यन्म की व्यवस्था के सम्बन्ध में लिखते हुए फाहियान कहता है 'उह अपने घर बार का पजीयन नहीं कराना पड़ता न किसी मजिस्ट्रट के सामने पाप हाना पड़ता है।'

१ मनुस्मृति अ० ७ इला० ११८ ६।

२ बही, ११५ २०।

३ अ० १६ इलो० ४४।

४ हिम्टी ऑफ बगाल, ज० १, इलो० २७७।

५ अथवारप्र, २, ५।

६ समुद्रल बील, टेब्स आफ फार्मान ऐट सु ग युन, परिच्छेद १६, पृष्ठ ३७। चाइनीज लिटरेचर, १६१६, न० ३, १५८ म इसका अनुवाद इस

इसमें इस योग का सर्वत मिलता है कि बर-बद्धप्रयोग और दण्ड प्रणालीने सम्बन्ध में गुण गास्त्राय भी व्यापी गता होनी पड़ता जाता था। मानवी शरणार्थी के पूर्वादि ये प्रणालीनां प्रयोग के सम्बन्ध में दृष्टिकोण से भी हम एसी ही जानकारी मिलता है। दृष्टिकोण के ही अन्याय ये पूर्वादि गत्तार की नीति उत्तार है इसनिल यद्युत कम प्रधिकारिया की जरूरत होनी है। परिवार का प्रभीयत नहीं होता ।^१ इस प्रत्यार आज भीनी याचिया के व्यवस्थागार परिवार का अनीवन नहीं होता था। इसका कारण क्या था ? हम एक मान सहत हैं कि घर राज्य विस्तारा से गोप कर यहून बरतन की रिक नहीं बरता था और यह वाम घर शायद जमान का जाता था तो विमानों और गत्तार के मध्य स्थिर तीव्रते यथा के हाथ में खना गया था। इसे राज्य-व्यवस्था के मामलीकरण का एक और यात्रा भाना जा गया है।

एसा प्रनीत होता है कि गुरुओंने इस में राजधिकारिया को वेतन देने की विधि में वहां मन्त्रवृण परिषदन था। यद्यपि हम मध्यास्त्र के प्रमाण का यात्तर चर्चे तो नहीं बस्तिया (नवाद निवेद) से मध्यधित कुछ प्रधि कारिया को छोड़ कर राज्य के सम्बन्ध प्रधिकारिया का नक्श बनने दिया जाता था। प्रधिकारिया के वेतन शायद प्रतिमास ४८,००० पण था और यूनतम् ६० पण।^२ वही वही ६० पण से कम वेतन वा भी उत्तरत मिलता है। यह सब 'भूत्य मरणीयम्' प्रकरण में मिलता है जिसमें राज्य के छोटे बड़े सभी तरह के प्रधिकारियों के लिए वेतन निषारित दिये गये हैं। यद्युत से प्रधिकारियों के पद नाम भी बताय गये हैं और पर्व मामला में एसा कहा गया है कि एक तरह के प्रधिकारियों को एक ग्राम वेतन देना चाहिए।^३ किन्तु जूतिवेद शावाय तथा पुराहित जस कुछ बड़े बड़े प्रधिकारियों को जिह्वा वेतन-व्यवहर ८८,००० पण दिन की सिफारिश की गयी है नयी बस्तिया में व्याप्तिये भूमि का भी पाप्र माना गया है।^४ किर नयी बस्तिया में हस्ति प्रगिधारा मिष्ठा तथा प्रश्व प्रगिधारा जस मध्यम स्तर के कुछ प्रधिकारियों का, जिह्वा वेतन स्वरूप २००० (पण ?) दिया जाता था भूमि प्रनुभान देने की भी सिफारिश की गयी है।

प्रकार दिया गया है वेष्यविन कर या प्रधिकारियों के प्रतिवापो से मुक्त है।

^१ बाट्स उआन चुआरप ट्रैवन्स इन इनिया, १, १७६।

^२ प्रथमास्त्र, अ० ५ इलो० ३।

^३ वही।

^४ वही।

किंतु उहें इस भूमि को दखने अथवा किसी को दने का अधिकार नहीं था।^१ इस प्रकार हम देखते हैं कि कौटिल्य की कल्पना के राज्य में जिन घोड़े से अधि-कारियों को नियमित नकद वेतन के ऊपर से नयी बन्तियों में भूमि अनुदान देन की व्यवस्था बीं गयी है उनके अतिरिक्त शेष सभी को सिफ नकद वेतन ही दिया जाना है। इस्ती सन की प्रारम्भिक "तार्दियों में यह स्थिति बदल गयी, प्रतीत होती है।^२ मनुस्मृति म, जो शायद दसरी शताब्दी म सबलित की गयी राजस्व अधिकारियों को भूमि-आन के रूप म वेतन देन की व्यवस्था की गयी है^३ और गुप्त-काल क समाजिक इस व्यवस्था को कायम रखत हैं। पांचवीं शताब्दी म वहस्ति 'प्रसाद निखित ग' की परिभाषा करत हुए बतलाता है कि जब राजा किसी की सवा, गौप आदि भ प्रसान होकर उसे अनुदान-स्वरूप कोई जिता या ऐसा ही कोई क्षेत्र प्रदान करता है तो उसे प्रसाद लिखित अनुदान कहते हैं।^४ गुप्त मान्द्राज्य म अधिकारियों को वेतन दन की विधि का हम ठीक ठीक ज्ञान नहीं है, क्योंकि इस विषय म चीनी यात्रियों का प्रमाण बाही स्पष्ट नहीं है। फाहियान के विवरण के एक वाक्य का सेवी द्वारा किये गये अद्वेजी अनुवाद से हम जात हाता है कि राजा के अग्रकक्षा और परिचरा सभी को नियमित वेतन दिया जाता है।"^५ लक्ष्मि बील का अनुवाद इससे मिलता है। उनके प्रमुख अधिकारियों के वेतन के लिए राजम्ब निर्धारित है।^६ और हाल म एक चीनी विद्वान् न इस महत्वपूर्ण अश वा अनुवाद इस प्रकार किया है राजा के परिचरों अग्रकक्षा और अनुचरों सबको परिलक्षित (इमो-युमटस) और पेंगन मिलती है।^७ परन्तु हम इस अन्तिम अनुवाद को मनो मानकर चलें तो देखें कि चूंकि परिलक्षियों दावद का अथ बहुत व्यापक है, इसलिए हो सकता है उसमें भूमि अनुदान भी "मामिल रह हा। ओ भी हो इनना तो स्पष्ट है कि हपवधन के ममय म

१ अथगास्त्र, अ० २ ल० १।

२ मनुस्मृति अ० ७ ल० ११५ २०।

३ बृहदारम्बूप, (अनु० पी० पी० काण और एम० जी० पठवधन) म उद्धत पृष्ठ २५ ३।

४ ए रेक्ट और बुद्धिमिट्र लिंगदाम, पृष्ठ ५।

५ दृक्ष्यन्त और फाहियान पठसारा, पृष्ठ ५५।

६ हो चागचून काहियास पित्तग्रिमज दु बुद्धिस्त कटीज' चाइनीज लिटरेचर १८५६, न० ३, १५५।

राज्य की सेवा के बदल नकद वेतन नहीं दिया जाता था, योकि एक चौथाई राजस्व बड़े बड़े अधिकारियों की वति के लिए सुरक्षित था।^१ एक स्थल पर हृत्साग न स्पष्ट कहा है कि निजी खच चलाने के लिए प्रत्येक गवर्नर, मंत्री, मनिस्ट्रेट और अधिकारी को जमीन मिली हुई थी।^२ हृष कभिलेया के अनुमान इन बड़े अधिकारियों में हम दौसावसाधनिवो, प्रमातारो, राजस्था नीया उपरिका तथा विषयनिया को शामिल कर सकते हैं।^३ इस प्रकार हृष के शासन-वाल में अनुमान वे हृष में राजस्व न बेबल पुरोहितों और पदितों को,^४ अल्प राज्याधिकारियों को भी दिया जाता था।^५ ये प्रथा की पुष्टि इस बात से होती है कि हम उस बाल की मुश्किल बहुत बहुत मिलती हैं।

गुप्त बाल के कुछ अभिलेख से यह जाना है कि धमन्नम में लग पुरोहितों और पदितों के अनुमान व्यरप गोव द्विय जाने थे किंतु ये साग उन गोवों से हानेवाली आय का उपयोग धार्मिक ग्रथाजना के लिए बरत थे।^६ मानवाजना और कुपाणों के अधीन नित्यिया के सघा को धम वायों में लगान के लिए राय की ओर से नक्ष राणियों दी जाता थी, लेकिन गुप्तों के नामन शान मध्या उद्देश्य से अधिकारियों तथा अय नागों का भूमि अनुमान द्विय जान थे। इमरा एवं उत्तरण वर्त प्रारम्भ में ही अर्थात् ४६६-६७ म, मध्य भारत में उच्छ्रवस्प महाराज जयनाथ द्वारा द्विय गये एक ग्राम अनुमान में दग्न को मिलता है।^७ उस गोव के निवासियों को निर्ण द्विय गया है कि वे नियमपूर्वक भाग भाग कर हिरय आदि भावनामा को दें तथा उनके प्राणों का पालन करें। किंतु दाना न चारा का मजा देने का अधिकार अपन ही हाया में रखा है।^८ अब एमा अनुमान नगाना भ्रमणा न हाया कि इन गुहस्य यानियों (दुम्पाज) न इस अनुमान का उपयोग मद्व धार्मिक वायों पर लिया ही नहीं किया हाया। और चूरि व यामा इपो भायाचार और गायण के लिए प्रयोग द्विवर(नाय-य) नाग थे अमनिगामी नक्ष का यो भावहा

^१ वार्षम स० प्र० पु १ १३६।

^२ ममुम्पन वर्त (पनु०) ना पृ १५१ ८८।

^३ ए० २० दि० ८ न० २८ पर्ति ६।

^४ वही दि० १ ८३।

^५ ए० २० २० दि० न० ३।

^६ या परियो ५ १३।

^७ यह परियो ११ १८।

कारण है। इस अनुदान की आय से दिविर को बतन मिलता ही, यह कहना अठिन है। किंतु व्यवहारत तो वह उमसे अपनी जेब मरन से दायर नहीं ही चूका होगा।

उसी क्षेत्र में इस प्रकार वे वद अनुदान जयनाथ के पुत्र गवनाथ ने भी दिये। ५१२ ३ में उमन एवं गाँव चार हिस्सों में दान किया। इनमें से दो हिस्से विष्णुनिः दिन के थे एक व्यापारी शविननाम का और एक एक कुमारनाम तथा स्वादनाम का।^१ यह गाव उदरग तथा उपरिकर के अधिकार के साथ साथ दान किया गया था और इसमें सरकार के अनियमित अथवा नियमित सनिको का प्रवर्ग वर्जित था। इस भृत्यपण प्रशासनिक छत्र का काइ उल्लेख उपर्युक्त अनुदान में नहीं मिलता। स्पष्ट है कि यहां प्रत्यक्ष भोक्ता व गृहस्थ लोग थे, जिनको यह दान किया गया था और उनके बगजा का भी मात्रा के लिए इस दान का उपभोग करने का अधिकार प्राप्त था।^२ किंतु अनुदान की धाराघात के अनुमार इसके भोक्ता दो दबता थे जिनकी पूजा और मर्दिरा की मरम्मत के लिए दाता और ग्रहीना के बीच हुए इकरारनाम के मुताबिक यह दान दिया गया था।^३ जो भी हा, इतना स्पष्ट है कि राजस्व तथा प्रामाणन सम्बन्धी सत्ता का प्रयाग करने का अधिकार उन गृहस्थ भोक्ताओं के ही हाथा में था, और सिफ आय का उपयोग मर्दिरा के लिए निधारित था। इसी राजा ने चोडु-पोमिर नामक व्यक्ति को ऐसी ही गतों पर आधा गाव दान किया। यह व्यक्ति भी गहस्थ ही था, और इसने दाता के साथ अनुरथ किया कि अनुनान का उपयोग विष्टपुरिका दबी की पूजा और उनके मन्त्र के जीर्णोद्धार के लिए किया जायेगा।^४ इन सभी दानपत्रों में यही आमाम मिलता है कि अनुनान प्राप्त करने वाले गृहस्थ लोग दान में दिय गावा के "पवस्यापत्र" वन जाते थे, और उन पर मर्दिरा को चलाने की जिम्मेदारी होती थी।

लेकिन इसी राजा द्वारा ५३३ ३४ में जारी किये गये एक दानपत्र को देखा से इस विषय में कोई "का नहीं रह जाती कि गहस्थ लोगों को घर्मेतर उद्देश्य से भी भूमि अनुदान दिये जाते थे। इस दानपत्र के अनुसार पुलिदभट नामक व्यक्ति वा राजकृष्ण स्वरूप दो गाव सदा दे

^१ का० ड० इ० जि० २ न० २८ पवित्री १ १७।

^२ वही पवित्री ६ १०।

^३ वही पवित्री १२ १३।

^४ वहा, पवित्री १ १६।

^५ वही, न० २६, पवित्री १ १२।

लिए द किय गय और उनके राजम्ब तथा प्राप्तासन सम्बंधी उत्तरुका अधिकार भी उम सीप किय गय।^१ एक समस्ता है कि पुलिंदभट कोइ भादि वासा सरदार था। उसन पिट्टपुरिका देवीकी पूजा और उसक महिलक जाणों द्वार के लिए ये दोनों गाव कुमारस्वामिन का स्थायी भग्नुदान के स्पष्ट भद्र निये।^२ इस प्रकार यह निश्चित है उसस पहले वह जिस दानपत्र के बल पर उनका स्थानी था, वह विगुढ़ स्पष्ट स पर्मेतर दानपत्र था। हो सकता है कि गुप्त राजा म इस प्रकार वे और भी घर्मेतर दानपत्र जारी किय गय हा, कि तु कू कि उनका सम्बंध धार्मिक भग्नुदानी स नहीं था, इसलिए व पत्थर और ताँब जमे टिकाऊ धातुमा पर दज नहो किय गय।

गुप्तोत्तर-वान क अभिलेखा म भग्नुदान पानेवाल घर्मेतर व्यक्तिया का उन्नेष्व मिलता है। पूव दग्धाल स्थित भग्नरफ्पुर नामक स्थान से प्राप्त ताम्र पत्रा म जिन दो भग्नुदानो के विवरण मिलते हैं उनम एस कई नामों का उल्लेख हुआ है। ये दोनों दानपत्र सातवी से लक्कर ग्राउवी सदी तक कभी जारी किय गय थ।^३ उनसे जासित होता है कि बोढ़ मठ क प्रधान क नाम स दाने किये गये जमीन के टकड़ कई लागी म, जो उनका उपमाण वर रहे थे दीन लिय गय। यह वात अभिलेखा म प्रयुक्त 'मोज्यमान'^४ या 'मोज्यमानक'^५ शब्द के प्रयोग स प्रवृट्ट होती है। कुछ भामना म तो एक ही टुकड़ का उपयोग एक वे व्यक्ति एक दो व्यक्तिया ने किया और उसक वाद वह किर बाढ़ जाचाप सप्तमित्र के मठ को लौटा दिया गया।^६ एस सभी लाया क नाम किय गय हैं लक्किन व कोन थ और वया थ, इसका निश्चय बरना कठिन है। कि तु, भूमिदान क वई घर्मेतर उत्तरण भी मिलते हैं। एक ताम्रपत्र क भग्नुसार कुछ जमीन रानी का दी गया— कदाचित उसक निजी खर्चे न लिए। फिर वह जमीन राजा की सवा करने के पुरस्कार स्वरूप किसी स्त्री को दे दा गयी^७ और किर वहा जमीन

१ का० इ० इ० जि० ३ न० ३१ पवित्रा ११०।

२ वहा, पवित्रा १११२।

३ मैर्यमस ओफ द प्रियानिद सानाम्हो ओफ बाल, १ न० ६, पर्द ८५।

४ वहा पृष्ठ ६० फलक ४० पवित्र ४।

५ वहा पवित्रा ५६।

६ वहा फलक ३०, पवित्रा ८६।

७ वही फलक ४०, पवित्र ८।

८ वही पवित्रा ४५।

अपने स्वामी की सेवा करने के बदले किसी सामात को दे दी गयी।^१ स्पष्ट है कि इस सामात का और दूसरा को जमीन व य टुकड़े किसीने किमी प्रकार की सेवा के बदले हा मिले हुए थ, और अधिक समाप्त होने पर या आय कारण से दाता इह फिर लौटा लेत थ। प्रगर य टुकड़े एसी गति पर न मिले हुए होते तो इह इतनी आसानी स लौटाया नहीं जा सकता। जाहिर है कि अपनी जागीरों से बचित किये जानेवाले लोगों का कोई मुमावजा नहीं दिया जाता था। इस सबस प्रकट हाना है कि सातवां या आठवीं नवांदी म पूर्व दगाल मे कठ अधि-सवाधा के लिए लोगों को भूमि अनुदान के रूप म बेतन मिलता था और ऐ मनुदान एक सीमित अधिक व लिए दिये जाते थे।

धार्मिक सेवाधा के लिए भूमि अनुदान दिये जाते हुए और धर्मेतर सेवाज्ञा के लिए नकद बतन, यह बात तत्कालीन अथ-यवस्था को देखन हुए सम्बव नहीं जान पड़ती क्योंकि जैसा हम आगे चलकर देखेंग गुप्तोत्तर काल की अथ-यवस्था की विवापता मुद्रा का अभाव था। जबक कुपाणा और सान बाहना के काल म मुद्रा का काफी चलन था तबतक तो धार्मिक आवश्यकताज्ञा की पूर्ति भी नकद बतन देकर ही करायी जाती थी, और किसी सीमातक गुप्त काल म भी एसा चलता रहा। लेकिन, जब मुद्रा का चलन अपेक्षाकृत कम हो गया तो धार्मिक तथा धर्मेतर दोनों प्रकार की अधि-यवाधा का प्रतिदान भूमि अनुदान के रूप म ही दिया जाता था। धार्मिक सेवाधा के लिए भूमि अनुदान दिने की प्रथा का सकेत तो अभिलेखा म साफ माफ मिलता है। और जब पुरोहिता और मन्त्रा के निवाह के लिए भूमि अनुदान दिये जाते थ तब फिर अधिकारियों के निवाह के लिए किसी दूसरे रूप मे पारिश्रमिक क्षया कर दिया जा सकता था?^२

अधिकारिया का राजम्ब अनुदान के द्वारा बतन देन के प्रति न पर हम गुप्त काल के अधिकारियों के पदनामों और उस समय के प्राप्तासनिक एकाना को सनाध्या के अनुमार भी विचार कर सकते हैं। भौगोलिक और भौगोपतिक, इन दो पर्यामा से भासित होता है कि इन अधिकारियों का य पर्यायत राजस्व का उपभोग करने के लिए ही दिये गये थ और प्रजा पर राज मना का प्रयाग करना तथा उसके कल्याणके निए काय करना इनका गौण दायित्व था। कभी कभी भौगोलिक अमाय भी हुआ करता था।^३ क्या पता कि उस अवस्था म उस

^१ मर्मायस आफ द पश्यान्ति सामाद्दो और दगाल, कनक ए पक्ति ५।

^२ का० १० १० जि० ३, न० २३, पक्तिया १८ २०, न० २६, पक्तिया २२ २३।

भारतीय सामन्तवाद

भोगिक वा पद उत्तरो मरने दूसरे पर से सम्बंधित कार्यों के लिए बैठन देने के बहेश्य से ही न दिया जाता हो। इसके अतिरिक्त भोगिक वा पर सामाजिक तथा वशानुगत हुआ बरता था वयोकि भोगिकों की वस से कम तीव्र पीड़ियों का उत्तेजन तो कई स्थानों पर मिला है।^१ इन तमाम वारा के परिणामस्वरूप भोगिक स्वभावत शब्दिताली सामृत स्वामी हो गया होगा जिस पर केंद्रीय सत्ता का अद्वैत अवेदाहृत बहुत बम रह गया होगा। भोगिक वा उत्तेजन नुक्ति में नियुक्त लगभग दजन भर अधिकारियों के साथ साथ हुआ है। यह बात लगभग ५०० ईस्टी की है जब महाराजधिराज थी गोपचंद का अनुमान लगाया गया है कि यह अधिकारी शायद कोई जागीरदार या।^२ कुछ ऐक सामृत महाराज विजयसेन वहा शासन बरता था।^३ इसके बारे मठी ही भोगपति ग्रामवासियों पर अत्याचार बरते थे। हपचंदि भ ऐसा उल्लंघन है जिसके बारे मठी निकायों की।^४ परंतु अपने सरथक के प्रगासन को दोष रहित चिह्नित करने की कित्र म बाण ने दून शिक्षायना को विश्वसनीय नहीं माना है। हप के काल म दूसरा सामृत अधिकारी महाभोगी था। इसका उत्तेजन उत्तर मारत के समवालान अभिलेखों म नहीं हुआ है। लेकिन उडीसा के बतियय पुरालेखों म हुआ है।^५ कादम्बरी म राजा तारपीड़ के प्रासाद के भ्रातुरु पर का वणन बरत हुए बाण ने लिखा है कि द्वारप्रकोट पर सङ्कड़। महाभोगी उपस्थित थे।^६ अश्रवाल के अनुमार य राज्य के द्वया दादिष्य पर पलनेवाने सोग थे।^७ शायद उनकी तुलना मध्य शासीन वूरोप के यड वड साम ता या राजाघों के ग्रासाना म रहनवाले घरेलू अनुचरा या योदाया स की जा सकती है। राजा की दानापीता ने यवहारत शायद यहा दूर ल लिया कि राज्य की भोर से महाभागिया के उपरोग के लिए ग्रामीण शायद भ कुछ राजस्व निर्धारित बर-

^१ १०० ८० ८० जि ३ न० २६ परिणय २२ २३।

^२ ५० ५० ५० वृष्ट ३६० परिणय ३४।

^३ वरा वृष्ट ३६० पा० ८० ८० ८।

^४ वृष्ट २१२।

^५ विनायक मित्र भविराज द्वारेमीन और आर्द्धा वृष्ट २८५ परिणय
गा० १।

^६ अद्याप शासीन वृष्ट १०३।

^७ ८०।

कर दिये जाते थे और ये महाभोगी अपने भूमिदाता प्रभु के प्रति अपना सम्मान "यज्ञ करने के लिये यदा कदा सामूहिक रूप से राज प्रासाद में उपस्थित होते थे। प्रारम्भिक कलचुरि अमिलेखा म भोगिकपालक^१ नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। वह दायद भागिका के अधीक्षक का काम बरता रहा है।^२ छठी "गताना" के अंतिम चरण के एक अमिलेख म भोगिकपालक महापीलुपति (हस्त सेना के प्रधान) के रूप में भी सामने आता है।^३ उसे यह पद भोगिक पालक के रूप में उसकी सदाप्रो के परिणामस्वरूप निया गया था अथवा भागिकपालक का पद ही महापीलुपति की हैसियत से उसकी अधिसेवाया के कारण दिया गया था यह बात स्पष्ट नहा है। किंतु, जो भी हो भोगिक, भागदनिव और भागिकपालक जैसे शब्दों से सामाजिक सम्बंधों की ग्राफ़ तो आती ही है।

✓यह सामाजिक विचारधारा कि भूमि या भूखण्ड उसके उपभोग के लिए है जो उसका स्वामी अथवा शासक है, हमारे सामन स्पष्ट रूप से गुप्त काल में आनी है।)उत्तर वर्णिक साहित्य में वहा गया है कि वश्य लाग शासकों को मिलान विलान के लिए हैं और वर्णिकात्तर काल में धमसूत्रा में बनाया गया है कि "द्व लाग ऊपर के तीन वर्णों का सेवा बरने के लिए हैं।" यह विचार कि भूमि राजाधिकारिया के उपभाग वे लिए हैं, पहले पहल आगोक के अमिलेखों में मिलता है। आशोक के शासन-काल में जनपद आहारा में विनक्त कर दिया गया प्रतीत हाता है।^४ शाश्वत की दफ्टर से यही माना जायगा कि ये आहार आहाराधिकारिया के आहार रूप, अर्थात् भाजन रूप थे और ये आधुनिक जिला या तहसीलों के बराबर थे। यह प्रशासनिक एकाश सातवाहन युग में कायम रहा और जसा कि गुप्त-काल और गुप्तोत्तर काल के प्रारम्भिक कलचुरि अमिलेखा से पान हाता है गुजरात और महाराष्ट्र में यह उम्मव बाद नी बना रहा।^५ किंतु, तब तक प्रारंगिक विभाजन। के लिए ऐसे और भी बहुत में उपभोग-मूल्य शास्त्र समाज स्पष्ट से प्रयोग में आ गये।

^१ बौ० इ० इ० जि० ४ न० १३ पक्षि८, न० १८, पक्षि६।

^२ वही भूमिका, पष्ठ १४१।

^३ यही न० १३, पक्षि४।

^४ स्वनाम लघु स्तम्भ अमिलेख सारनाय सधेन्द्र स्तम्भ अमिलेख।

^५ बौ० इ० इ० जि० ४ भूमिका, पष्ठ १२४५।

ऐसा भी कहा गया है कि भोगिक गांद शायर नुकिन गाव्य से भी मन्त्रद्वंद्व है,^१ किन्तु वगाल के अभिलेखों में नुकिन के शासक का उपरिक कहा गया है। भुकिन गां^२ के प्रयोग पर कुछ विचार कर लेना आवश्यक है। गुप्ता के अभिलेखों में यह एक प्रादेशिक एकाश के गद में प्रमुकत हुआ है। यह गाव्य सबसे पहले समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रस्तर स्तम्भ अभिलेख में सामन आता है। उसमें कहा गया है कि बुपाण राजाद्वा तथा सिहत (नरा) और ग्राय द्वापा के राजाद्वा को अधीनता स्वीकार करने और विवाह में अपनी घटियों दन की शत पर यह अनुमति दी गयी कि वे अपने अपने विषयों और भवित्या पर अपना अधिकार रखें।^३ इसके बारे के अभिलेखों में एक बड़ा प्रशासनिक एकाश के अध्य में भुकिन शब्द का प्रयाग बार-बार हुआ है। शब्दाथ की दण्डि से नुकिन का मतलब है कोई भोग्य वस्तु क्याकि गायका द्वारा धरती के भोग का विचार इस काल में काफी प्रचलित था।^४ अतएव यह सम्भव है कि प्रशासनिक एकाश के रूप में भवित्य सम्बद्धित गामक के भाग के लिए रही है।

नुकिन गाव्य की तुलना भाग से की जा सकती है। मध्य भारत (के पूर्वी हिस्से) में प्राप्त ४०८८ के एक अभिलेख में प्रयुक्त महाराज शवनाथ भोग^५ गां^६ पर का शब्द स्पष्ट स्पष्ट से महाराज शवनाथ द्वारा भाग्य प्रदान है। इस साम्भ में भाग गाव्य से इस बात का बोध होता है कि गायर गुप्त समाट की नाम सात्र की सनात के अधीन उसना साम न शवनाथ उस शब्द का उपभाग करता था, एवं नुकिन भुकिन गाव्य का मतलब है समाट के प्रादेश नियायम में उस क्षेत्र का उपाय। परन्तु वस्त्रवृत्ति राज के अभिलेखों में भाग गाव्य से नामिक के अधीनस्थ गद गाहुन छोट राजस्व शब्द का बोध होता है।

उत्तर भारत और वगाल में नहिं विषया में विभक्ति था, नविन अग्र द्वामान्द्रदुर ताम्रपत्रा में उल्लिख अनुनाना में प्रयुक्त कनिपय गाव्य परा की हमारी यात्रा स्वीकार्य है। तो मानवा पढ़गा कि विषय भी विषय पतिया के उपभाग के लिए ही था। 'अनुवह्मानके दोटिवदविषय गाव्य पर का मतलब मतत समद्विमान जिना'^७ लगाया गया है। नविन भनुवह्म का वहन

^१ का० इ० इ० निं० २ पट्ठ १०० पा० निं० २।

^२ निं० इ० पट्ठ २५८ विवि० ४।

^३ य भवनामुनिनाथन निं० २० पूर्ण २६४ नाव ।

^४ का० २० इ० निं० २ न० २४ विवि० ४।

^५ धार० जा० वसार ०० ५० ११ २ २ पा० निं० २।

के अथ म लेना समीचीन होगा। मनुस्मृति, अ०३, इलोक ७ की टीका से भी इस अथ की पुष्टि होती है।^१ इसलिए अनुबहमानके विषये' का अथ भार वहन करनेवाला जिला ही समझना ठीक होगा। इस भार के स्वरूप वा आभास हम 'हस्तपश्वजनमोगेन'^२ शब्द पद म मिलता है। इसमें प्रकट होता है कि वह विषय विषयपति के लिए या तो हाथी, अश्वारोही और पदाति सनिक जुटाकर या उस तीना तरह की सेनाएँ रखने के लिए आवश्यक धन दकर उसके उपभोग की सामग्री प्रस्तुत करता था।^३ ऐसा लगता है कि कोटिवप विषय के निवासिया को वहा के शासक की सना वा खच उठाना पड़ता था और इस तरह उसके भोग वा भार वहन करना पड़ता था।^४

मौय साम्राज्य म रजुबो, ग्रार्थत सम्मडला (निविजना) के प्रधान अधिकारिया की नियुक्ति सम्माट करता था, कि-तु गुप्त साम्राज्य म य अधिकारी, जिहु अब कुमारामात्य कहा जाता था, उपरिक्त द्वारा नियुक्त किये जाते थे। कुमार गुप्त वं एक अभिलेख (४४८ ईस्वी) के एक अश के आधार पर ऐसा माना गया है कि वगाल वं एक जिले के प्रधान अधिकारी (कुमारामात्य) और गुप्त सम्माट के थीच सीधा और "यनिगत सम्बन्ध था और यह अनुमान लगाया गया है कि पचनगरी वं कुमारामात्य को जिसके लिए भटटारकपादा नुशात^५ विशेष प्रयुक्त हुआ है स्वयं प्रथम कुमार गुप्त ने नियुक्त किया था।^६ कि-तु नटटारख^७ विश्व पर विचार करन से लगता है कि वह "यक्ति कुमार गुप्त नहीं था क्योंकि वगाल वाले उसके पहले वे तीना अभिलेख म

१ भोनियर विलियम्स, सम्बृद्ध गलिंग टिक्कनर, "वीपक 'अनुबह'"।

२ सि० इ० पृष्ठ ३३८, पवित्र ३।

३ ए० इ० (जि० १५, १४४) मे दिया यह अथ—"पदाति सनिका अश्वारोहियो और गजभनिको के शासन"—शब्दाथ तो नहीं है, कि-तु व्यजनाथ के स्वप म स्वीकार किया जा सकता है।

४ ए० इ०, जि० १५ न० १, फलक स० ८, पवित्र २ ३।

५ सि० इ०, जि० १२० १२८ वा चत्राम ताम्रपत्र अभिलेख, पट्ठ ३८२, पवित्र १।

६ थी० सी० सन पम रिंगरिक्ल आम्डेक्टूम ऑफ इन्डियान्स ऑफ बगाल, पट्ठ २१।

७ सि० इ०, पट्ठ २८० और २८५।

उसे 'परम भट्टारक विश्व' से विभूषित किया गया है।^१ दो आद्य अभिलेखों में भी गुप्त सम्राट् बुद्धगुप्त को यही विषयपूर्ण दिया गया है। इसलिए उस महत्वपूर्ण अभिलेखों से यही भासित होता है कि पचनगरी का कुमारामात्य अपने निकट-तम प्रभु का अनुरक्त था और सम्भवत् पुढ़वधन मूक्ति का प्रधान उसपरा स्वामी था।

मिफ गुप्त साम्राज्य के कान्द्र में या शिवटवर्णी क्षेत्रों में ही विषयपतिया की नियुक्ति ऐस्य सम्राट् करता था। इमका उदाहरण है आत्मेदा, अथात् गण-यमुना के दाप्राव व विषयपति गवनाग की नियुक्ति।^२ लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि विषयपति की नियुक्ति के सदम में अनासन या प्रजावल्याण का कोई चला नहीं है। जो कुछ कहा गया है उससे यही बोध होता है कि विषयपति अपने अधीनस्थ भेत्र का उपभोग करता था।^३ ऐसा प्रतीत होता है कि सम्राट् का साम्राज्य के केंद्रस्थ क्षेत्र के बाहर के विषयपतियों की माधी निष्ठा प्राप्त नहीं थी। य अपन सर्वोच्च प्रभु के बजाय अपन निकटतम् (इमिहिए) प्रभु के ही अनुरक्त थ।

लेकिन इससे एसा निष्पत्य निशान लेना गलत होगा कि उपरिकृ कुमारामात्य और विषयपति स्वतन्त्र साम्राज्य के नाम थ। गावा मिय गय भूमि अनुनान की मूलना अनेक राज्याधिकारियों को भी जाती थी, वर्मी व भी तो इनकी साम्राज्यों ने तब पहुँच जाती थी।^४ लेकिन यह तथ वर पाना कठिन है कि सभी स्थलों पर राज्याधिकारियों के पास के नाम वरीयता के अम म ही दिय गय है अथवा नहीं। गुजरात म शास्त एक अभिलेख (५४१ इस्वी) म भजासाम न महाराज संग्रहसिंह द्वारा मिय गय गड़ भूमि अनुनान दो बणन रिया गया है। उसम दाना न राज्यानीय, उपरिकृ, कुमारामात्य चार, मट आदि अपन अधीनस्थ अधिकारियों को कुछ ग्रान्ति भी मिय है।^५ यह दगान व अभिलेखों का ध्यान म रक्त जाय तो पक्का चनगा कि उपरिकृ का स्थान विषयपति और कुमारामात्य

^१ मि० द०५४८ ३२४, पक्ति १ ए० इ० २० न० ८, पक्ति १० ११। (यह अभिलेख 'आद्य बुद्धगुप्त संस्कृत है) दगिए मि० द० ए० ४०३, पक्ति १।

^२ का० इ० इ० ७० ७० ३ न० १६, पक्ति ३४४।

^३ आत्मेदा म भागामिनद्वय बनमान।' वर्णी पक्ति ४५।

^४ का० इ० इ० ७०, जि० ८ न० ३ पक्तियों २८।

^५ वना न० ११ पक्तिया १०।

से उपर था। स्पष्ट है कि अनुदाना वे सम्बाध म आया न बैवल बड़े अधि
कारिया को बत्ति उनके अधीनस्थ अभिसारिया का भी दिया जाता था। इस
उदाहरण से सबत मिलता है कि साम्राज्य अपनी मत्ता की धारा विषयपतिया
पर भी उमान वीकाशित करता था यद्यपि इनका नियुक्ति उपरिक फरता था।

कालक्रम से 'अमात्य और कुमारामाय' सामंती विश्व बन गय। अमात्यों
के सम्बाध म तो हप का शासन वाल म निदिचित रूप से यही स्थिति थी क्या
कि 'हृष्णचरित म वर्म स वर्म दो स्थल। पर एस अमात्या की चर्चा बो गयी है,
जिन्हें मूर्धाभिप्रियनाशचामात्या राजाने रूप म अभिप्रियत किया गया।'^१
अग्रवाल साहब के अनुमार यहा अमात्य शाद का अथ सदा ही मानना चाहिए,^२
मात्री नहीं। लेकिन ऐसी बहुत बड़े सम्मान वा दोतक मानना ज्यादा
ठाक होगा। अग्रवाल साहब आगे यह भी बहुत है कि कुमार से सम्बद्ध अधि
कारी कुमारामात्य बहनान थे।^३ ही सबता है इस पद का आरम्भ इसी तरह
हुए हो लेकिन आग चलवार यह अपन आप म एक अलग पद हो गया और
कुमार से इसका बोइ सम्बाध नहो रह गया। एसा प्रनीत होता है कि कुमारा
माय का दजा अमात्य से नीच था। गुप्त काल म मात्री मनापति महादण्ड
नायक, विषयपति और धाय बड़ने प्राप्तासनाधिकारी भी कुमारामात्य
विश्व धारण करते थे। विद्वाना के विचार म इसमे प्रकृत होता है कि 'अथशास्त्र'
के अमात्या की तरह कुमारामात्य नामक अधिकारिया के एक विशिष्ट सबग की
क्यवस्था की गयी, और सभी बड़े बड़े अधिकारी इसी सबग म से चुन जाने लग।
किन्तु वास्तव म कुमारामाय एक सम्मान मूर्ख सामन्तवादी उपाधि थी
जो बड़े बड़े अधिकारिया का—यहा तक कि महाराज को भी दी जाती थी।^४
इस विश्व को धारण करन वाले को राजस्व आदि का सम्बाध म कुछ विशेष
धिकार भी मिल हुए थे या नहीं, यह कहना बठिन है। लेकिन गुप्त सम्राटों
के शासन काल के अंतिम दिनों म हम कुमारामात्य महाराज नादन को अपने
प्रमुख से अनुमति लिए विना एक भूमि अनुदान दत दखत है। इससे प्रकट होता

१ 'श्रुताभिजनगिलशालिना मूर्धाभिप्रियताशचामायाराजान', हृष्णचरित आफ-
बालुमण्ड (निष्यसागर सस्करण) पाठ १७३। अग्रवाल के अनुसार युव
राज कुमारामा थे कहे जाते थे, हृष्णचरित एव सामृद्धिन अध्ययन, पाठ ११२।

२ हृष्णचरित एक सामृद्धिन अध्ययन, पाठ ११२।

३ वही।

४ ज० ए० सा० व० यू.सिरीज ५ (१०६६), १६४।

हि एडी द्वारी के मध्य शब्द कुमाराचार्य नाम के सामिन शास्त्र यत्पंच प, और वे बिंगी के घुमाई निवेदिता त/ शत्रुघ्न शब्दों में।

दुन शास्त्र के ग्रन्थालय के द्वारा अपेक्षित वाक्य होते यत्पंच प। यसका एक भार वा १२ शब्दों की जट शास्त्रीयों की गयी और दूसरी भार प्रशासन का शब्द और भी शास्त्राचारी हो जा सका गया। यद्यपि वोटिंग के द्वारा ये घटित वाक्यालय के द्वारा घणिता (घणालय) और ग्रन्थिता के द्वारा याकृता शब्दों से अलग होता है। युन शास्त्र के घणितालय में प्रवक्तव्य है कि दुन शास्त्र के मर्गदर्शक और गणिता के पार याकृता पर 'यशोविदिति मध्य भारत' तथा 'सार्वताधीनी' में घणालय के पार की थी। यसका भारत में एक शी विभाग के नाम 'महाराष्ट्राविद्यालय' तक विभिन्न पर्याप्त शब्द वाक्यों तथा गणितीयी शब्दों के द्वारा इसी में घणालय और भागिक शब्द गणित के भावना द्वारा द्वारा गणिता के द्वारा गणितिविदिता^१ उन्हीं का मर्गदर्शकालय^२ और द्वारा अन्य द्वारा^३ विद्यालय के भी उल्लेख मिलते हैं। इन एम्माता^४ वि ए द्वारा^५ शिक्षा दर्शका वरन वा एक वाक्य एक ग्रन्थी उत्तरिता का दर्शकालय^६ या 'यशोविदिति' का य शब्द गणित का वाक्य पर। ग्रन्थालय गणित घणितालयों का पार चुन वरन गणित ये द्विनु घणितालय में घणितालय गणितालय का वाक्य वाक्य अवश्य अद्यता था। म इत्याल्लितालयी घणिति व घणै घणालय^७ एक शब्द द्वारा रहा था। इगर घणितरित एवं ही घणित का कदम^८ मीठ 'न के आरण द्वारी गति और घणालय म और भी बृद्धि^९।

गानवा गतालय में घणितालयों का यही वही शास्त्र ज्ञानी उपाधियों दी जाने लगा। मास्करवन के वायाव्यग (भारतगणाधिकृत) विवाहरथ्रम को महासाम त का उपाधि मिला हई थी।^{१०} इनी प्रवार इष्टवप्ता के रामघणितालयी

१ सिंह० इ० पृष्ठ ४८२ ३, घणितालयी ६३ व००० इ० इ० जिं० ३ न०६ पतियाँ ३ ४।

२ वा० इ० इ० जिं० ३ न०२२ पतियाँ २८ ३०।

३ दीक्षितालय दि युन पौलिटा पृष्ठ १८० ५०।

४ वा० इ० इ०, जिं० ३ न०२२ पतियाँ २८ ३०, न०२३ पतियाँ १८ २०।

५ वही न०२७, पतियाँ २१ २२।

६ वही, न०२६ पतियाँ २२ २३।

७ सिंह० इ० पृष्ठ २८४, पतियाँ ३ पृष्ठ ३२४, पतियाँ २ पृष्ठ ३२८ पतियाँ ३

८ भार० बी० पाडे, हिंसारिम्ल ऐड लिटरेरी एंसेक्युलेस न० ५६ पतियाँ ५०।

भी इस उपाधि में विभूषित है। महत्व का विषय यह है कि इस बाल में अधिकारिया और प्रधीनस्थ साम्राज्य सरदारों को 'प्राप्त पचमहाशाद' की आडम्ब युक्त उपाधि भी दी जान लगी। पूर्वी भारत में यह उपाधि बुद्ध वडे वडे राज्याधिकारियों को प्राप्त थी। भास्त्रवर्मन के एक अनुशासनपत्र का मुख्य लेखक प्राप्त-पचमहाशाद^१ के रूप में विदित था। परिचमी भारत में गुजरात राजा द्वितीय डडह ने यह उपाधि घारण कर रखी थी^२ और सातवीं सर्वी वे तत्त्वीय चरण में उसने यह गोरख संद्रक्षा का प्राप्त किया था।^३

राष्ट्रकूट सरदार नानराज, जो दीतदूष के पूवजा में था अपने ६३१-३२ के एक दानपत्र में दावा करता है कि उमे पचमहाशाद की गरिमा प्राप्त थी, जिसे उसने व्यक्तिगत पुर्णपाव से अर्जित किया था और जो उसके पूवजा का नहीं उपलब्ध थी।^४ इसमें एसा "वनिन हाता है कि कोइ भी व्यक्ति अपने प्रभु की किमी महत्वपूर्ण भवा क द्वारा ही इस गोरख का पात्र बन सकता था। वारहवी सदी की एक रचना मानसाल्लास के अनुसार इस गद्द से पाव वाद्यता के प्रयोग का बोध हाता है।^५ दनवी चधा जन नेष्टन रवकार्याचाय ने भी की है और निगायन सम्प्रदाय के एक लेखक ने इनके नाम इस प्रकार गिनाये हैं थग, तम्मर गख, भेरा और जयपट।^६ यह उपाधि पहले 'गायद मर्वोच्च मत्ताधारी ही धारण कर मरने थे कि तु बा' म साम्राज्य का भी यह उपाधि दी जान लाया।

गुन जात म राजा द्वारा नियुक्त किय गय गावा के प्रधान लाग अधमामन अधिकारी बनत जा रहे थे जिहें मुन्यत अपने लाभ की ही चित्ता बनी रहनी थी। मौय काल म जो वायदृपि प्रधीश्वर (सौनायथ) लाग राज्य क हिन क लिए पररहथ वरीकाम गुप्त कान म गावके प्रधान (प्रामाहिरत्यायुक्त) अनना घर भग्ने के लिए करन लगे।^७ मध्य भारत म प्राप्त पाचवीं सर्वी के प्रारम्भ के कुछ प्रभिलक्षण में आयुक्तवा का उल्लेख हुआ है और ऐमा जान पड़ता

१ भार० बी० पाडे फ्रैंसिल ऐ८ निटरी द मिराज-म, पत्तिया ८७८।

२ बा० द० इ० शि० ८ न० १६ पक्ति ३१।

३ ए० इ० २८ न० २४, फन८ ए० पक्तियाँ १११३, फन८ बी०, पक्ति १६।

४ अनन्दकर फि राष्ट्रकूराज ए८ देवर टाइम्स, पृष्ठ ७।

५ ३ लाल १३३६।

६ इ० ए०, १२, पृष्ठ ६६।

७ कामसूत्र, अ० ५ ५५।

हि यह दाम अधिकारी के पर था ।^१ दामदानि भी इस गांव वाली में
देश की देश भारतीय था तो उनका यह उमड़ा बिल जाता था^२ और
इस तरह यह जो कुछ प्रमूल वरता था उमड़ा एवं ददा किया जाता^३ गांव
को भज दगा था । इसाँ ॥ की बात यह हि यह बदल दिया थे घटना
आवश्यक निया थगार भास वरता था^४ जबकि उन्हें देवत राजा के लिए
ही इस प्रकार थगार लिया जा गया था ।

मुमुक्षुल म एवं नद दग के नीरा वा उमड़ हुए तरी राज्यगांव गांव
सामाजिक व्याख्य वराग बनता है । हि न नीरा म
अधिकारी दुर्घट और लक्षणामी गाँव राज्य एवं इसके पाम दानी जाता
और गर्वी यारी रहा हानी थो और यह दूसरों की जमान और गर्वी-वारी यह
जात थ ।^५ राजप्रमाण प्राप्ति नीरा वा पर गुरु जो एवं प्राचार के सम्बन्धीय
वर्ण वा वाम वरता था राजनायित जीवा म गाम-वारी धर्मि के प्रदान
वारण वर्ण हुए ।

प्राचार नवारी सम्बन्धीय विश्वास म एवं विजय की उम प्रतिया
म भी यभी सहायता मिसा जिसम परानी राजा और उन्हें राज्यराजा का
जीत कर उ ह इस घात पर पुन व । तीन वर दना था हि य दग वर दन राज्य
और उसके प्रति यारी यद्या मरित प्रग्नित बरत रहा । यह विजया समुद्र
गुप्त व समय भ प्राप्ती वरावाणी पर पदुव गयी । उमा बदहर के यग म भारत
के विश्वास भु भाग वो जीत लिया और अधिकार विजित राजापा और राज्यराजा
से उपयुक्त रीति से घटीनामा स्वीकार परवा कर उ ह भ्रमन भ्रमन पर्णा पर
छोड दिया । परिणामस्वरूप घब सामनवादी सम्बन्ध यज्ञ वह प्रामान पर
स्थापित हो य और पिर समुद्र गुप्त व उत्तराधिकारिया न भी देश विजय के
सम्बन्ध म उसी के उत्तराहरण वा भनुवरण किया । यद्यपि समुद्र गुप्त वो
इताहावान प्रास्ति म गामत गांव की चर्चा नहा है तथापि उग्री शतार्थी
म उत्तर भारत के भभिनेका म विजित राज्यराजा मे लिए साम त शाद का प्रश्नोग

^१ बौ० इ० इ० गि० ४ न० ६ पत्ति २ (एक नूसि भनुदान मे सादेम म
आयुत्तक्त्व का ही उल्लेख हुए है) न० ७ पत्तिया २४ ।

^२ वामपूरुष भ० ५ ८५ ।

^३ वही ।

^४ मासपट्टम पुराण ४६ ४६ । इस धर्म का एम० एन० दस द्वारा किया गया
अग्रजी भनुवाद पार्जीटर के भनुवाद से ज्यादा सही जान पत्ता है ।

किया जाता था। 'प्रथमास्थि', तथा भगोक्त के अभिलेख में इस '॥' का जिस हप म प्रयोग हुआ है^१ उससे स्पष्ट है कि मीय वाल में इसका मतभेद था स्वतंत्र अपडोसी। मीर्योत्तर वाल की स्मृतिया में इसका प्रयोग पडोसी भूस्वामिया के अथ म हुआ है^२ यह मत कि इन स्मृतियों में सामर्त का प्रयोग सरदार के अप म हुआ है^३ टीक नहीं जान पड़ता। इसी प्रवार यह भी सौचता निराधार है कि मनु न (अ० ७ १३६ और ६) उपज, बर, जुर्माना आदि राजा या देश के आसर द्वारा नहीं, बल्कि सामर्ता द्वारा बमून करने का विधान किया है।^४

एसा जान पड़ता है कि दक्षिण भारत में पांचवीं शताब्दी के तीव्र चरण में सामर्त गाँड़ का प्रयोग अधीनस्थ सरदार के अथ म किया गया है व्याविद्यानिवेदन के काल (लगभग ४५५-५०) के एक एन्लेख अभिलेख में 'सामर्त चृडामण्य गाँड़ पद आया है।^५ इसी सदी के ग्रन्तिम चरण में दक्षिणी धार पदिच्छी भारत के क्षतिपय दानपत्रों में भी यह 'गाँड़ अधीनस्थ सरदार' के ही अथ म प्रयुक्ता हुआ है।^६ एसा प्रतीत होता है कि उन्नर भारत में यह गाँड़ का प्रयोग इस अथ म भवस पहल बगान के एक अभिलेख में भी भूत्रिम भारतीय सरदार 'अवृत्तिवेदन' के बारावार पहाड़ी के गुहा अभिलेख में हुआ है। अवृत्तिवेदन के अभिलेख में उसके पिता को 'सामर्त चनामणि' कहा गया है।^७ पुरातिपि शास्त्र की विष्टि से यह अभिलेख ४५५ ईस्ती प्रयात हुड़हा अभिलेख के काल से पहले का माना गया है।^८ यतएव अवृत्तिवेदन के पिता का काल ५०० ईस्वी के आसपास माना जा सकता है। उन दिनों भूत्रिम गुप्त भग्नाट के सामर्त थे। इसके बाद सामर्त शब्द का महत्वानुरूप उन्नरव द्वारा यशोधरमन (लगभग ५२५-३५ ईस्वी) के मंसोर प्रस्तरस्तम्भ में मिलता है। इसमें उसने सारे

^१ अथशास्थि, १, ६, स० स० २, पक्ति ५।

^२ मनु भूत्रि (म० बु० ई०), अ० ८, २८६ ६ यात्कन्य भूत्रि, २ १५२ ३।

^३ वी० एन० दत्त हिन्दू लॉ ऑफ इंट्रिटेस, पठ्ठ २७।

^४ प्राणनाथ दर्शनामित्र कृष्णशुस 'न ए शिष्येण इत्यिया, पठ्ठ १६०।

^५ भार० वी० पाढ़े, हिन्दू इंस्कल पे ई लिएरी इम्प्रिस्यन्स, न० २६ पक्ति ३१।

^६ इन उत्तरणों का सकलन एल० गोपाल न जर्नल ऑफ रोयल ए नियाटिक सामद्दा (भाग १ और २, अप्र० १६६०) में जिवे 'सामर्त—इट्स वरीयिंग सिनिफिकेंस इन ए शिएट इ डिया' शीषक निबन्ध में किया है।

^७ वी० ई० ई०, जिं० २, न० ८६ पक्ति ४।

^८ भार० वी० बसाव, दि हिन्दू ऑफ नाथ मट इत्यिया, पठ्ठ १०५।

उत्तर भारत के सामंतों को पराजित करने का दावा किया है।^१ छठी शतांची में वलभी गासक सामंत महाराज और महासामंत की उपाधि धारण किया करते थे। धीरे धीरे सामंत शा॒ का प्रयोग पराजित सरदारा के अतिरिक्त राज्याधिकारियों के लिए भी होने लगा। इम प्रकार कन्चुर चंद्र युग के अभिनेत्रों में ५६७ ईस्टी से उपरिका और कुमारामात्या का स्थान राजाओं और सामंतों ने ले लिया।^२ बाद न हृष्णवधन के भूमि अवृत्तानपञ्चा में सामंत महाराज और महासामंत गादा का प्रयोग बड़े बड़े राज्याधिकारियों की उपाधिया के रूप में किया गया है।^३

ममुद्र गुप्त के अधीनस्य सरदारा के लिए सामंत शा॒ का प्रयोग नहीं हुआ है किंतु पयाम अभिलेख में उनके दायित्वा का स्पष्ट निर्णय किया गया है। अपने अपने सिहासना पर पुनः प्रतिष्ठित कर नियंत्रण के दख्ले विजित और अधीनस्य राजाओं से अपदा की जाती थी जिनके सभी कर प्रदान कर राज्यादाना वा पालन करें विवाह में अपनी बेटियों द और विजेता के प्रति श्रद्धा मिल प्रदानित कर।^४ वाणपहना लब्ध करने के बिना सामंता के दत्तों का सरन किया है। उसने हृष्णवरित में समुद्र गुप्त के अभिलेख से प्राप्त इम महत्त्वपूर्ण सामग्री पर एक प्रकार का माप्य सा प्रमुन नहीं किया है। उसमें हम देखते हैं कि पुराभूति ने अपने मनसामंतों को अपना करद (नहीं देने वाला) बना लिया था।^५ सम्राट् मामंता द्वारा प्रशासित प्रदेशों की प्रजा भी कर न लेकर उन सामंतों से ही लता था।^६ सम्राट् के इन सामंतों को अपनी इच्छानुसार करा में बढ़ि बनने मयवा नये कर लगाने की छँग थी या नहीं यह स्पष्ट नहीं है किंतु अपने अपने अधीनस्य क्षेत्रों में राज कर के लिए उत्तराधीयों के ही लाभ थे।

कादम्बरी में पराजित राजाओं द्वारा जो निश्चय ही सामंत बना लिये गये थे राजा को प्रणाम करने के पांच तरीकों का उल्लेख हुआ है। इनमें से एक है सिर भुजाना दूसरा सिर भक्ता कर सम्राट् के चरणों का स्पर्श करना तीसरा है सिर भुकाकर सम्राट् के तलबों का स्पर्श करना (जिसे हृष्णवरि

^१ सिंह० द० पृष्ठ ३६४ इलोक० ५।

^२ का० द० द० जि० ४ भूमिरा पृष्ठ १४१।

^३ ए० द० जि० १ ६७ और धार्मि जि० ४ पृष्ठ २०८।

^४ पक्ति २२ २५।

^५ वरदीहृत महासामंत हृष्णवरि ५८ सामृद्धिक अध्ययन पृष्ठ १००।

^६ मग्रवाल हृष्णवरि एवं सामृद्धिक अध्ययन, पृष्ठ २१६।

में पराजित सामन्त द्वारा सम्माट की चरण धूमि लेना कहा गया है) और एक आय तरीका है सम्माट के चरण के निकट मस्तक से भरती वा स्पश करना।^१

सामन्ती का यह धायित्व तो विलकुल स्पष्ट है कि व सम्माट को धायिक कर दिया वरें। उनके दूसरे धायित्व का, धयात व्यवितरण से उपस्थित होनेर सम्माट के प्रति अपनी भवित प्रकट करने के बत्ताय वा बहुत ही सजोब बणन ब्राण ने किया है। उसम हम देखते हैं कि पराजित महासामन्त किस प्रकार अपन-अपने शेखर और मौलि उतार कर सम्माट का अभिवादन परत थ। हृप के राजदरवार म तरह-तरह से उका मान मदन किया जाता था। कुछ लोग विजनधारी का काम करते थे कुछ अपनी अपना मदनो म तसवार बाँध कर प्राण की भीख मारने थे, और ममम्त थीसपना से बचित कुछ दूसरे सामन्तगण बड़ी आनुरता से सम्माट का करबढ़ नमस्कार करते थे और विजेता द्वारा अपने भाग्य वा निषय होने तक दाढ़ी नहीं बनाते थ।^२

पराजित राजाप्रा स, जो स्पष्ट सामन्त बना लिए गय थे राज दरवार म तीन तरह की सेवाएँ ली जाती थी। व चैवरधारी का काम करते थ जसा कि हृप वा राज दरवार म पराजित गनु महासामन्त किया करते थे।^३ व अपने हाय म बैत लकर दरवार म द्वार पाल वा काम किया करते थे।^४ और कुछ सामन्त राजा की गुम्बामना करते हुए उसका जयकार किया करते थे।^५ पराजित राजाना द्वारा सेवा के दून तीन तरीका (परिचारिकीकरण) का बान बाण ने 'कादम्बरी' म किया है। जो चैज स्पष्टत अपमान जसी लगती है उमी को व अपना सौभाग्य और मौरव समझते थ। व द्वारपाल स वार वार पूछत थे कि सम्माट के दशन क्व होगे।^६

^१ अप्रवान नाम्पुरी पठ १२८। अग्रवाल क अनुसार प्रणाम के ने की चौथी और पाचवी विधिया शेखरीभव-तुपादरनासि शार्न पर के ग तगत आ जाती हैं।

^२ हृष्वरित एक सामूहिक अध्ययन, पठ ६०।

^३ वही।

^४ वही, पठ १६४।

^५ अग्रवाल कादम्बरी पठ १२७ ८।

^६ वही।

^७ हृष्वरित एक सामूहिक अध्ययन, पठ ६०।

को दान में देना है,^१ और यह काय एक ताम्रगनपत्र के जरिय सम्पादित कर दिया गया।^२ यह प्रया पूर्वी भारत तक ही सामित नहीं थी। इस्त्री सन की सातवीं शताब्दी के पूर्वांध में मध्य प्रदेश में सामात इद्राज ने एक द्वाहण को—एक गाँव दान में दिया^३ और स्पष्ट है कि उसने इसके लिए अपने प्रभु की अनुमति नहीं ली क्याकि इसमें उमड़ा कार्द उल्लेख नहीं किया गया है।

एसा जान पढ़ता है कि राजदरबार में रहनेवाले सामाता को 'क्तिपय'^४ सामाजिक दायित्वा का भी निवाह करना पड़ता था। वे अनेक भनोरजना में भाग लेते थे—जैसे दूत थीडा, पौसा भेलना, बौसुरी बजाना राजा का चिन्ह बनाना, पहलिया सुनकाना आदि।^५ इसी प्रकार समारोहों के अवसरा पर उनकी पलिया का भी राजदरबार में उपस्थित होना पड़ता था।^६ इस प्रकार सामत-सनिक और प्रशासनिक दृष्टिया से ही नहीं बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी अपने प्रभु से सम्बद्ध रहते थे।

बाण न सामात महासाम त, प्राप्तसामन प्रधानसामन्त, शनुमहासामात और प्रतिसामन्त—इन्हें तरह के सामात का उल्लेख किया है। इनमें से महा सामात स्पष्टत सामात से एक थेणी ऊपर था और शनुसामात पराजित शनु मरदार था। आप्तसामात^७ 'गायद' के लोग थे जिहान स्वेच्छा से अपने प्रभु की अदीनन्दा स्वीकार कर ली थी। प्रधानसामात सम्राट के सप्तस विश्वस्त व्यक्ति थे, और वह उनकी सलाह की उपाया कभी नहीं करता था। तकिन प्रतिसामात 'गायद' का थव बताना कठिन है।^८ 'गायद' वह राजा से विरोध भाव रखनेवाला सामात था या हा सकता है वह माथ एक अविनयी सामन रहा हा। जो भी हा इतना स्पष्ट है कि इम बात में सामात शनु का चलन अच्छी तरह हो गया था, और सामना के कम से कम छ प्रकार होते थे।

^१ वही, न० ७, पक्तिया १ ३।

^२ वही, पक्तिया ७ १४।

^३ ए० इ० ३३ २०६।

^४ वही, न० ८१ पक्तिया ७ १५।

^५ अश्वदर नाम्पत्री पाठ १००।

^६ "पचित एव सामूर्धिक आदयन, पाठ १४३।

^७ वही पाठ ११५।

^८ "अतिसाम त चतुर्पामिव ननागनिद्रा कुमुरनानाम" हृष्चिति पञ्च सामूर्धिक अध्ययन, पाठ २१६।

राजाओं का स्थिति भी सामंता से बेहतर नहीं थी। राजा तीन तरह के होते थे। एक सो ये शत्रु महासामर्त्य। ये सम्राट् की तरह तरह की सेवाएँ करते थे और इनके साथ सम्मानजनक यवहार किया जाता था। दूसरे थे महीणाल जिह लाचार होकर सम्राट् के प्रताप के सामने भुक्तना पड़ता था। तीसरे वे राजा थे जो सम्राट् के प्रति अनुराग से प्रेरित होकर उसके पास आये।^१ बाण ने एक स्थन पर अनुरक्त महासामना का उल्लेख किया है। इससे शायद यह निष्ठ्य निकाला जा सकता है कि वे अपने प्रभु से विनेप रूप से सम्बद्ध थे।

सामान्यतया राजाओं और सामंतों का मुख्य कर्त्तव्य अपने प्रभु के लिए सेना जुटाना था। हृषि कूच वे विवरण से ज्ञात होता है कि उम्मी सेना में राजाओं द्वारा दिये गये सनिक और घोड़े शामिल थे और उनकी सख्ती इतनी बड़ी थी कि अपने सामने एकत्र उम्मी विशाल संघ समूह वो देखकर हृषि चक्षित रह गया।^२ हृष्माण ने हृषि की सेना का जो विवरण दिया है उस अगर हम अतिरजित मानें तो भी वह सेना वास्तव में मौखिकानी से बड़ी रही हांगी। अब ध्यान देने की बात यह है कि एक तो हृषि का राज्य मौर्यों के राज्य में बहुत छोटा था और उस पर भी उम्मी विशाल वसा प्रभावकारा नियंत्रण नहीं था जसा कि भौम राजाओं वा अपने राज्य पर था। पिर यह इतनी बड़ी सेना वहां से रख पाता होगा और अपने नाकृत छोटे राज्य की रक्षा के लिए इस रखने की आवश्यकता भी क्यों थी? इसलिए एक ही बात सम्मत लगती है कि यह एक सामंती मेना थी, जो युद्ध काल में ही खड़ी बड़ी जाती था। एहोल अभिलेख से भी इस अनुमान की पुष्टि हाती है। इसमें हृषि के प्रबल शत्रु पुलवशिन की प्रगति करत हुए यह भी बताया गया है कि हृषि अपने सामना द्वारा जुटायी गयी सेना से सजिनत था।^३ स्पष्ट ही सामंता द्वारा अपने प्रभु के लिए सेना जुटाने का चलन का परिणाम स्वरूप प्रभु का सामंतों वा मुख्यारेखी बन जाना पड़ा हांगा।

यह स्पष्ट नहीं है कि इन सामनों का हृषि की ओर से अनुदान स्वरूप गाँवों के राज्य भी मिल हा व अद्वा नहा। कि तु समार और अग्रहारिका के सम्बन्ध

^१ वही पष्ठ ६० मिनाइर अग्रवाल कृत हथहचनिन एव साईन्सिन ऋष्यन पष्ठ ४३ म।

^२ वही पष्ठ २०६ १०।

^३ सामंतमनामुकुटमणिमयूरवाक्रातपादारविदु इलोक २३।

का आधार ही यही था कि उह मन्त्राट् न अनुदान में गावा की आमदनी दरखी थी। मगर ऐसा लगता है कि अप्रहारिका का अपने दाता और सरकार के प्रति कोई वक्तव्य नहीं था। हृष्णचरित म उल्लेख है कि कुछ अप्रहारिक हृष्ण का स्वागत करने के लिए दही, गुड़ और शबर लकर स्वेच्छा से अपने अपने गावा से बाहर आकर खड़े हो गये, और दण्डधारिया न उहैं ढरा घमकाकर दूर कर दिया।^१ लेकिन सामाजिकतया ये सांग इससे अधिक कुछ करते भी नहाये। सब, जब हृष्ण मैनिक अभियान पर निकलता तब ये उमर्क निए गुमकापना करते थे जिसकी विधि यह थी कि गावा के बड़-नुजुग (महत्तर) अपने अपने हाथा में कला उठाकर खड़े रहते थे।^२

किन्तु सामाजिक अधीनस्थ राजाओं आदि के वक्तव्या के इस विवरण से हमें ऐसा न मान सका चाहौए कि गुप्त-काल अथवा गुप्तोत्तर-नाल की किसी स्मति या गाम्बर म इन क्षत्यों का स्पष्ट निर्देश किया गया है। हा क्तिपय समकालीन साहित्यिक वृत्तियां से इनका स्पष्ट संबंध अवश्य मिलता है।

घोडा आर हाथिया—विशेषकर हाथिया—पर राजकीय एवं अधिकार समाप्त हानि स कट्टीय सत्ता की जड़ें और भी कमज़ोर पड़ गयी। ऐसा लगता है कि प्राहृष्ट-मौय काल म हाथी सिफ राजा ही रख सकता था। एक जातक कथा म उल्लेख है कि एक राजा ने तीस परिवारों के एक याव को पुरम्बार स्वस्प एक हाथी दिया।^३ जहा गक्किं और मत्ता एक बे बजाय अनेक व्यक्तियों के हाथा में होनी थी वहा गामक वग के प्रत्यक्ष सम्म्य का राय वा एक हाथी दना पढ़ता था जिसका उन्नाहरण विवास वे तट पर बमे ५००० कुलीनों का राय है।^४ मगाम्यनीज के विवरण म जात हाता है कि विनी भी गर सरकारी व्यक्ति को घाटा या हाथी रखने की अनुमति नहा थी बपाकि य जानवर राजा की विग्रह सम्पत्ति मान जात थे।^५ मेमास्थनीज का उद्द न करते हुए स्ट्रैको कहता

१ ह० च० पृष्ठ २१२।

२ वही।

३ जानक, च० १, पृ० २००।

४ स्ट्रैको, पृ० १५, ३७ मकाकिल, पिपिरट डिया एज टिम्ब्राइंड इन द्वामिल निटरेचर, पृष्ठ ४५।

५ स्ट्रैको, पृ० १५, ६१ ४३, मकाकिल, पिपिरट डिया एज टिम्ब्राइंड बाइ मगाम्यनीज, ऐण्ड एस्थिन पृष्ठ ६०।

खराब नहीं हुई। फिर भी तीसरी शताब्दी के ग्रास पास निखो विष्णु स्मृति में कहा गया है कि सम्पत्ति और सुरक्षा प्राप्त करने के लिए गहस्थ का इसी श्रीमात से निवेदन करना चाहिए।^१ किंतु, अनुगतता, अपात् बलवाना की गरण लेने के वास्तविक उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। विहार के हजारीबाग जिले में प्राप्त द्वीप शताब्दी के ग्रासपास के एक अभिलेख के अनुसार तीन गाँवों के निवासियों ने अपने आपको एक यापारी के हाथा में सौप दिया जिसने उनके राजा द्वारा उनसे मामा गया अवलगन खुकाया और उसे हुसरभा प्रश्नन की।^२ राजा की अनुमति लेकर उन्होंने उस यापारी से अपना राजा बनने का निवेदन किया और उसने तुरत उस स्वीकार कर लिया।^३ ऐसा माना जाता है कि 'अवलगन या आलग शाद मूलत व क नड़ भाया वा शाद है और इसका मतलब हाता है अपने प्रभु की मनिक या दूसरी सदा बरना।^४ यहाँ हम अपनी यार न इतना और वह सकते हैं कि चूकि द्वीप सभी से बणाटा के पाला की मेना में बाम करने का उल्लेख मिलता है इसलिए हो सकता है यह गद्द उही लागा के साथ उत्तर भारत म आया हो। कि तु यह निरिचत नहीं है कि इस अभिलेख में प्रयुक्त अवलगन गद्द का अथ यही है। इस अभिलेख के अनुमार मगध का राजा आमिसिह तीन गाँवों से अवलगन मांगता है।^५ स्पष्ट ही इसका मतलब यह है कि वह नकद और दिस्मा में बकाया बरमाग रहा है। यहा अवलगन का अथ निसी प्रकार वा सामाजी सेवा लगाना ठीक नहीं जान पड़ता। हा जब व्यापारी उदयभान तीनों गाँवों की ओर से अवलगन ने को तयार हो जाता है और राजा उस तीनों गाँवों का राजा बना दता है^६ तो इसे हम प्रभ और सामने के बीच हुए यूरोप के ढण के सामाजी अनुवाध का एक उदाहरण अवधि मान सकते हैं। फिर जब उदयभान इनमें से एक गाँव अपने छोट भाईका ददता है जो एक प्रधार से उपराजा बना दिया जाता है^७ तब हम धर्मेतर उपसामाजीकरण का

^१ अथ यागमेमाथमीश्वरमधिष्ठित ।

^२ ए० इ० २ न० २७ पत्तियाँ ६७ ।

^३ वही पत्तियाँ ११० ।

^४ समरीज आक पेपस इन्द्रियन हिस्ट्री कार्येस का रजत जयाती अधिवर्गन (पूना १६६३) पृष्ठ १५ ।

^५ ए० इ० २ २७ पत्ति ७ ।

^६ वही पत्तियाँ ७८ ।

^७ वही पत्तियाँ ६११ ।

स्पष्ट उदाहरण देखने को मिलता है। पूर्व मध्यवालीन साहित्य में 'धर्मलग्न' शब्द का प्रयोग द्वीपी शताब्दी की सिफ दा कृतिया में हुआ है और किर बाद में १२वीं, १४वीं और १६वीं शताब्दिया के साहित्य में हुआ है।^१ इसलिए इसका ठीक ठीक अथ समझ पाना और भी कठिन है। बिन्तु इसका अथ चाह जा हो, उक्त अभिलेख अनुगतता और उपसामतीकरण, इन दो सामन्तवादी प्रवत्तियों की आर हप्ट सबेत बरता है और इनके परिणामस्वरूप केंद्रीय सत्ता निस्स है और भी क्षीण हो गई होगी।

केंद्रीय सत्ता के उत्तरोत्तर क्षमजोर होने और स्थानीय सरदारा-श्रीमन्ता की शक्ति बढ़ने का सबेत नारद के एक विधान से भी मिलता है। उसके अनुसार जो लोग राजा का विरोध करते हैं या कर की अनायासी में वाधा ढालते हैं, उनसे निवटन के लिए ऐसे ही दूसरे लागा को प्रेरित करना चाहिए।^२ यद्यपि 'दूर ढालो और राज करो' की नीति बहुत पुरानी है किर भी अराजक तत्त्वों को एक-दूसरे के खिलाफ भिड़ा देन के सुभाव से यही प्रकट होता है कि राज्य के प्रत्यक्ष निय त्रण म काम करन वाले अधिकारिया म क्षिप्रतय शक्तिवाली व्यक्तियों स निवटने की क्षमता नहीं थी, और सम्मानना यही दिखाई देती है कि इन शक्तिवाली व्यक्तियों की स्थिति मामती समाज के मध्यवर्ती वर्ग की जसी ही रही होगी।

जिन आधिक प्रवत्तियों के बारण सामतवाद के उदय में सहायता मिली, उनका सही गही निरूपण कर सकना जरा कठिन है। इस सम्बाध म पहले तो इस बात पर विचार करना है कि द्वाहृणा और महिरा को अनुदान म दी गई जमीनें आवाद थीं या परनी और ये प्रहीता अथवा दूसरे भूस्वामी स्वय ही भूमि के जोतदार थे या इनकी जमीन अस्थायी रूप स काम पर रखे गए किसान लाग जाते थे। दक्षिण भारत के पश्चिमी हिस्से म प्राप्त १३० इस्की के एक सातवाहन अभिलेख म राजकीय जमीन का एक टुकड़ा बौद्ध भिशुओं को दान किया गया है और कहा गया है कि जहाँ जमीन जोती नहीं जाती है वहा गाव

^१ डियन हिस्ट्री कारेस के पूरा अधिवेशन (१६६३) के समक्ष प्रस्तुत इस विषय पर लिखा दारपय शर्मा का शोध निवाघ, जिसका प्रकाशन अब तक नहीं हो पाया है।

भारतीय साम्राज्य

नहीं बसता है।^१ इससे साफ जाहिर होता है कि कम से कम दूसरी शताब्दी में जो गीव दान किये जाते थे उनमें जोत की जमीन रहती ही थी। आधे प्रदेश के हृष्णगुट्ट शत्रु में प्राप्त लीसरी शताब्दी के दूसरे चरण के अभिलेख में इत्याकु राजा को सबडा हला से जातने लायक जमीन दान बरने वाला कहा गया है।^२ गासका द्वारा भूमि वी माप के लिए हल के प्रयोग से साफ जाहिर होता है कि आधे के लाग लीसरी शताब्दी के पहले से ही हल से जमीन लोनते थे। दक्षिण भारत के पश्चिमी हिस्से में ईस्वी पूर्व की पहली शता नी में ब्राह्मणाद का यन भाव से दान दिय गय गीव^३ के से थे यह तो हम नहीं जानते कि तु यह स्पष्ट है कि दूसरी भौत लीसरी शताब्दी में दान किय गय ऐस गाया में सती-

उत्तर तथा पूर्वी वर्गाल के गुप्त कालीन भूमि अनुदाना में खिल और अप्रहत गणना का प्रयोग हुआ है जिससे पहले अनुमान लगाया गया है कि ब्राह्मणों को ऊपर और परती जमीन दी जाती थी। लेकिन यह निष्ठ्वप उसी जगह लागू नहीं होता। ४४८ ईस्वी के ब्राह्मण ताम्रपट अभिलेख में प्रयुक्त खिल क्षत्र शा०^४ का अध्य परती और ऊपर जमीन नहीं लगाया जा सकता। प्रथमत गुप्त कालीन कृति नारद स्मृति में खिल शा०^५ की परिभाषा बरत हुए बनाया गया है कि इसका मतलब ऐसी जमीन है जिसे तीन साल से जाता नहीं गया हो।^६ दूसरे उपर्युक्त अनुदान में खिल क्षत्र के साथ साथ मदिरा में सदा करावाले दुष्ट लोगों के लिए थोड़ी सी वास भूमि भी दी गयी है। जिसस प्रकट होता है कि वह भूमि खिलकुल ऊपर और परती नहीं थी। इसी प्रकार ४४८ ईस्वी के दामोदरपुर ताम्रपट अभिलेख में प्रप्रहत भौत खिल शद्दनों^७ का प्रयाग रुद्र घर्यों में ही हुया जान पड़ता है क्योंकि यहाँ जमीन की इतनी कमी थी कि वाच कुल्यवाप

१ त चतेत् (न) वपते स च गमा न वमनि , सि० ५ पृष्ठ ११४ पत्तियः
३४।

२ वही पृष्ठ १६ २० पत्तियः ४५ पृष्ठ २२२ पत्ति ४ पृष्ठ २२७ पत्ति
१ पृष्ठ २२६ पत्तियः ३४ पृष्ठ २३० पत्ति ६।

३ वही पृष्ठ १८७ पत्तियः १० ११।

४ वही पृष्ठ ३८३ पत्तियः ६ ०।

५ नारद स्मृति ११ ०६

६ मि० २० पृष्ठ ३४३ पत्ति ६ भौत पा० टि० ६।

७ वही पृष्ठ ३८८ पत्तियः ६ ३।

जमीन तीन जगहा में सरीदनी पड़ी।^१ इसके अतिरिक्त यहाँ भी अप्रहृत और सिल भूमि के साथ साथ बास्तु अर्यान् वास भूमि दो गयी थी,^२ जिससे मह मानना कठिन हो जाता है कि वह जनीन उमर और परती थी। और फिर यह यात भी है कि इस भूमि के साथ सबत्र अप्रहृत विषयण का ही प्रयाग नहीं किया गया है एक स्वत्र पर इस पाँच कुल्यवाप जमीन का खिल बहा गया है।^३ नामोदरपुरवा एक दूमरा भूमि अनुदान, जो पाँचवीं गतांदी के अतिम चरण का है बतलाता है कि एक व्यापारी ने कोकामुखम्बामि नामक देवता का दान बर्खन के लिए जो चार कुल्यवाप जमीन सरीदी और इवेतवराहम्बामि के लिए जो सात कुल्यवाप जमीन सरीदी वह निश्चित रूप से आवाद जमीन थी।^४

आधुनिक मर्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में गुर्जों के परिवाजक सामाजिक राय म मदिरा और दाह्यणा को दिय गय भूमि अनुदान दो वाता में बगाल के अनुदानों से भिन्न थे। बगाल के अनुदान म ग्रहता को सिफ जमीन के टुकड़ ही दिय गय थे, और दाता लाग सामाय व्यक्ति थे, जिहाने जमीने सरान्कर दान की थी। वित्तु मध्य भारत के अनुदान सामाज राजाश्रा न दिय थे, और ग्रहीताद्या को पूरे इन पूरे गाँव प्राप्त नुए थे। बगाल के अनुदान सर कागी अधिकारिया की अनुमति से दिय गय थे, और उनम ग्रहीताद्या का सिफ करा स मुकिन नी गयी थी। वित्तु, मध्य भारत के अनुदान म ग्रहीताद्या दो प्राप्त सनिक वाधना से भी मुक्त कर दिया गया था। फिर भी, बगाल के अनुदान की तरह मर्य भारत के अनुदानों में भी परती जमीन के बोधक गाँव का प्रयाग रुद्र अय म ही किया गया है। मध्य भारत म भूमिच्छिद्रायाय के अनुसार कई अनुदान दिय गय, जिससे देवन म लगता है कि इन दाना का उद्देश्य परती जमीन को आवाद कराना था। फिर भी इनम एसी कोई दूसरी बात नहीं मिलती जिसस प्रकट हाना हो कि दान म दिय गय गाँव परती और बिना आवादी के थे। अविसार अनुदाना म भूमिच्छिद्रायाय 'ग' का प्रयोग मात्र एक बानूनी मायता का निवाह करने के लिए ही किया गया है। पिप्पुरिका दबी की पूजा और एक मदिर के जीर्णोदार के लिए ब्राह्मणा को दिय गय दागाँव स्पष्टत आवाद थे यद्यपि इनका दान भूमिच्छिद्रायाय के अनुसार हुआ

१ सि० इ० पृष्ठ ३३८।

२ वही, पवित्री १५ १८।

३ वही, पवित्री १७ १८।

४ वही, पृष्ठ २३८ पवित्री ५ ७।

था।^१ इन गावों में ब्राह्मण तथा दूसरे लोग रहते थे जिन्हें अनुदान सूचना^२ दी गयी थी। एक बात और है। ये गाव पुतिदमट नामक एक व्यक्ति को (जो स्पष्टतया ब्राह्मण था) पहले ही दान में प्राप्त हुए थे और किर उसने इह कुमारस्वामि नामक पुरोहित को दे दिया^३ जिसने लिए उसने महाराज शबनाथ से अनुमति ली। यह उपसामानीकरण की प्रतिया वा व्यातक है।

इसी प्रकार गुजरात और महाराष्ट्र में प्राप्त कलचुरि चादि युग के अभिलाखों में जो पाचवीं से लेकर सातवीं शताब्दी तक के हैं, भूमिच्छिद्र वा अनुदान का प्रयोग स्पष्टत ऐसे गावों की जमीन के टुकड़ों के अनुदानों का सदभ में किया गया है जो आवान थे और जिनमें से तीन बारी की जाती थी।^४ कुल नीं अनुदानों में से देवल तीन ऐसे हैं जिनमें जमीन के टुकड़े दान में दिय गये हैं तेय छ ये गाव ही दान किये गये हैं। यह ध्यान देने योग्य बात है कि इन अभिलाखों में जो सबसे पुराना (पाचवीं शताब्दी की प्रारम्भिक दानादिया वा) है उसमें एक गाँव के अनुदान के विषय में महाराज सुवधु वा आदेश उस गाव के नियासियों को सूचित किया जाता है^५ यद्यपि यह गाव भूमिच्छिद्रायाम के अनुसार ही दान किया गया है। यदि पांचवीं शताब्दी के प्रारम्भ में भी इस याप के अनुसार बसे बसाय गाव दान किये जाते थे तो पूरी सम्मानना है कि छठी तथा सातवीं शताब्दिया के अनुदानों में भूमिच्छिद्रायाम वा उल्लिख एवं शोपचारिकता साख रहा हा। गुजरात के एरे भूमिच्छिद्रायाम अनुदान (६४२ ई०) में कुछ जमीन एवं 'सारीबरम' (खेत पर बने घर) के साथ साथ दान की गई जान पड़ती है।^६ इस प्रकट होता है कि इस जमीन पर खतों होनी थी। एक दूसरे मामले में तो दान की गई भूमि के आवाद हान वा प्रमाण बहुत ही स्पष्ट है क्योंकि यहाँ दापों का रूप तड़ाग आरि सिचाई के साथना का साथ साथ तिल मिल दान की गई है।^७

^१ न०० ६० ई० ३, न०३१ पक्षिन्याँ ७ ११ और १३।

^२ वही पक्षिन ७।

^३ वही पक्षिन्याँ १० १२।

^४ वा० ई० ६० ८ न० ७ पक्षिन ६ न० ११ पक्षि १० न० १४, पक्षि २० न० १५ पक्षि २१ न० १६ पक्षि ३४ न० १७ पक्षित ४ न० १६, पक्षिन १५ न० २०, पक्षित १३, न० २१ पक्षिन २६ ७

^५ यामप्रतिवासिन वा० ई० ६० ८, न० ७ पक्षिन्याँ ८ ४।

^६ वही न० २० पक्षिन्याँ १२ १३ और पृष्ठ ८० की वा० ८० १०।

^७ वही, न० ३१ पक्षिन २८।

इस प्रकार के लगभग तमाम अनुदानों में प्रायः एक ही तरह की शब्दावली का प्रयोग किया गया है। वह यह है कि अमुक गाँव प्रथम भूमिदण्ड उद्धरण और उपरिकर, अर्थात् सभी तरह के करा और महमूला के साथ साथ दान किया जाता है, दाता उस क्षेत्र से काई भेट नजराना नहीं लेगा, वहाँ उसका कोई विशेषाधिकार नहीं रहेगा, और उसमें चाट भट आदि प्रवण नहीं कर सकते। इम गाँवनी के प्रयाग से भी प्रकट होता है कि ये क्षेत्र आवाद ये। कई अनुदानों में ग्रहीताप्राप्ता एसे लागा से जुमनि बमूल करने का भी अधिकार किया गया है, जो दम अपराधों के तिग तोपी सिद्ध हो चुके हैं। जिन करा और महमूला से ग्रहीताप्राप्तों को छूट दी गई है, वे यीरान गावा पर नहीं लगाय जा सकते ये। इस सभी ये अवनिरप्रयाय शब्द भी, जो भूमिचिह्नदाय का पर्याय है, बानूनी रुठि के निवाह के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। उन्हरण के निग महाराष्ट्र में ५३२ इ० में एक गाँव अवनिरप्रयाय के अनुसार दान किया गया पर तु वह गाँव भेट नजराना और बठ बगार देने द्वारे पर गय मरकारी अधिकारियों का खिलान विनान के लिए शुक्र देने तथा समस्त करा के दामिंगा में मुख्त घाविन किया गया है और साथ ही श्रीता की स्थानीय भगवा के घमन निवटार का भी अधिकार प्रदान किया गया है।^१ इससे उस गाँव के आवाद होने की पूरी सम्भावना प्रकट होती है।

इसलिए पांचवीं शताब्दी में लकर सातवीं शताब्दी तक के भूमि अनुदानों में प्रयुक्त खिल अप्रह्ल भूमिचिह्न और अवनिरप्रय आनि गाँव का प्रय लगाने में वृत्त सावधानी वरतनी चाहिए। जिस प्रकार अभिलया में प्रयुक्त आडम्बरयुक्त उपाधियाँ राजाप्राप्त की उपलब्धि प्रया और प्रताप की शान्ति नहीं हैं उसी प्रकार जिन गाँवों का प्रयाग दान शामाजा में किया गया है के उनके सही रूप की प्रकट नहीं करते। अक्सर ये शब्द प्रयाय को प्रकट करने के बजाय नियम निवाह के लिए ही प्रयाग किय गये हैं।

ग्रामान का आदेण ग्रहीता द्वाह्यणा को सूचित करने के साथ साथ उस गाँव के निवासियों का भी सूचित किया गया है।^२ इससे प्रकट होता है कि अनुदान देने से पूर्व भी लाग बहा रहते थे। अविश्वाश भूमि अनुदानों में विशेषकर कलचुरि चंदि युग की पहली चार सदियों के अनुदानों में ग्रहीता द्वाह्यण के

^१ कौ० इ० इ०, १२०, पवित्रा १८ २०।

^२ कौ० इ० इ० ३ ३१, पवित्र ७।

मूल नियामस्थाना की चर्चा नहीं है यद्यपि उनका गात्र प्रायः मारद्वाज बनाया गया है। लेकिन जहाँ तक ही उनका नियाम स्थान का उच्चनगर हुआ है यहाँ वह आने की गई भूमि राजदूर नहीं प्रतीत होता। इस प्रतार हमारे सामने ऐसे कई उच्च हरण आते हैं जिनमें प्रायः जमाना आ यी गई है और इनकी मुन्त्रना मध्य पुणीन् यूरोप यी साम्राज्याशी प्रवासी गोपनीया से यी जा सकती है। प्रायः नगर इनका है कि गुप्तवालीन और गुप्तोत्तर वालीन भारत में प्रतीनालोग मुन्त्रन् पुरोग्नि वर्णन के अन्तर्गत अन्तर्गत सह्या दाम थे।

एसा अनुमान है कि वासान में भूमि प्रायः जमान की प्रया के परिणामस्वरूप अधिक जमीन जाने में आई और अधिक गौव वर्ण ।^१ पोमस्ती ने भारत के द्वाय प्रद्वाना के मध्य थे में भी इस प्रनमान को लागू करने हुए इस पर विवाय जार दिया है।^२ गुप्त वाल और गुप्तोत्तर वाल में उत्तर भारत के कुछ इसावा और पूर्वी वर्णान में एसी वात हुई होगी लेकिन मध्य प्रद्वेश, गुजरात और महाराष्ट्र में सामान्य वसाई गौव और प्रायः जमीन ही दान की जाता थी। वीरान इनावा में गौव वसाने अथवा वजर जमीन का प्रायः कराने के उद्देश्य से द्वाहाणा का भूमि अनुशान दान का प्रबन्धना प्रायः प्रायः मौद्रिक काल में प्रारम्भ हुआ जब यह कठा मार्ग और कोमन में राजसीप भूमि के कुछ हिस्से द्वाहाणा को दिय जाते थे।^३ यह प्रया मौद्रिक काल में प्रबलित रही। ऐसा वाल में कर और दण्ड के अधिकारा से मुक्त बूढ़े वर्ष क्षतिग्रस्त द्वाहाणा के लिए अलग रख दिय जाते थे।^४ इसका उद्देश्य अधिक भूमि को जोत में लाना था, वयाकि अथशास्त्र की यह यत्वस्था नई वस्तियाँ वसाने की याजना 'जनपद' निवास का एक अग्र है।^५ यह प्रत्रिया आगे भी जारी रही।

गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल में नय कठा में वस्तियाँ वसाने में भूमि अनुशानों का बहुत बड़ा योग रहा। अभिलेखों से इस प्रत्रिया पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। ऐसा अनुमत दिया गया कि वीरान भूमि को जब तक जाते के लायक नहीं वह या जाना तक तक वह मालिक के किसी काम नहीं आ सकती और

^१ पी० सी० अन्वर्ती हिम्मटी और वर्णाल १ ६४८ ६।

^२ ऐसा द्वाटकशन दु द स्टटी और द्विष्टयन हिम्मटी दृष्ट २६१ ६।

^३ दीप निवाय १ ८७, १११ ११४ १२७ १ १ और २२४।

^४ अथगाम्य, १२ १।

^५ वही।

इसलिए ऐसी भूमि को जोत म लान के लिए पुजारियों और मन्दिरों को भूमि अनुदान दिय गये। बगाल म समाचारदेव का एक अभिलेख जो छन गतांदी के उत्तराढ़ म उत्कीण हुआ था इसका प्रमाण है।^१ इसके अनुसार जब एक आहूष न एक जिले के महत्तरा से कुछ जमीन मार्ही, तो उहाँसे इस कारण उस जमीन दने का निषय किया कि वह जमीन ब्याइन्वड़ा और जगली जानवरा स भरो पही थी और इसलिए उहाँने सोचा कि अगर इसे अनुदानभागी आवाद करेगा तो उससे राजा का धम और भय, दाना ही दक्षिणा से लाभ हो सकता है।^२ दूसरे दानपत्र में ऐसा कुछ स्पष्ट रूप से तो नहीं कहा गया है लेकिन शहीताम्बो को बजर भूमि देन के परिणामों की वल्पना सहज ही की जा सकती है।

नोकनाथ ने टिप्पडा ताम्र शासन स पता चलता है कि उमन पूर्वी बगाल के बन प्रदेश का कृषि के याग्य बनाने वी नोति श्रपनाई। उसने एक सी से अधिक ब्राह्मणों को बन प्रदेश म जमीं और उह उसम अलग अलग और संयुक्त हिस्से दिये।^३ इस अनुदान म सिफ सुवारिण जिल की सीमाएं ही यताइ गई हैं निसम वह बन प्रदेश स्थित था।^४ किन्तु नान की गई भूमि की सीमाएं नियारित नहीं रखी गई हैं। स्पष्ट ही उपका वारण पह था कि पह क्षेत्र आवाद नहीं था। जिम बन प्रदेश म दान की गई भूमि स्थित थी उसका बणन इस प्रकार किया गया है। जिसम प्राहृतिक अप्राहृतिक का कोई भेद नहीं है जहा भाज्या और बेला का जाल मा बिछा हुआ है जहा हिरण भस, मालू वाघ, सौंप आदि अपनी इच्छानुमार घरनू जोक्त के समस्त आन दा का उपभोग करत हैं।^५ स्पष्ट है कि नाह्यण समाज को वहा महासामाज प्रदायशमन

१ ए० इ० १८, ७६।

२ वही न० ११, पक्षियाँ ११४। इस अभिलेख म जिस गाँड को एन० के० भट्टगालि ने सावना पढ़ा है उस अगर मुधार वर 'सवटा पढ़ा जा सके तो उसका मतलब होगा—वथा स भरी भूमि, और सादभ का देखन हुए यही ठीक भी लगता है।

३ ए० इ०, १५ न० १६ पक्षियाँ ३० ५०।

४ वही, ४।

५ वहा, प० ३१० १२।

द्वारा निमित् भवित्व में प्रनिहित भगवान् अनन्त नारायण की गुजा के लिए साया गया।^१ यह प्रदोषामन कोइ उच्चवर्गीय ब्राह्मण सामन था, परंतु तेजा प्रतीत होता है कि उसी कीकाणिता ग पह मनुष्यादिया गया था। उद्दित, इस कथ म शाहाणा का भागमन का पहच्चन एवं बात म निश्चित है कि उहाने इस बन प्रदान को नियास प्रोर गृहि व याप्य यत्याय। पर्व चमी भारत के कुछ हिस्सों म भी ऐसी ही प्रतिया दी जा गती है। पितृपरान् व केरातान् ताम्रपटा ग जा मध्य छटी नाना औ व वार इगी समय तयार इद गप एवं गोप म ६८ शाहाणा का निष्प गप हिमा का हयाता मित्रा है।^२ स्वभावत इस वर्ती शाहाणा का तामूहिक हप म बगत का गुरुपामिता। एस प्रतगां पी मन्या कुछ उपाता नहीं है लविन इन नाना प्रतगां ए मा तीर पर पह सबत मित्रा है कि परती उमर प्रोर जगती इतारा का मर्म एवं प्रोर शाहाणा को दान दवर आवात बराया जाना था।

आवाद इतारा म जट्टी शाहाणा का अपहारा क स्व भव त स गोद नाम दिय जान व रोती का तरीका जगनी हनारा म प्रतिलिपि नती न तरीके से निर्वचय ही बहुत विरसित था। उस आवाद इतारा म भी ननी न तरीके मवद एवं समान नहो रहे हाँग लविन शमका वनिया औ नान नाम भवको रहा होगा। श्रीराष्ट्र जापद का बणत वरत हप बाण भव की जोताइ, ललिहाना म कुशिम पहाड़ा की तरह लिवन धार्य के ढरा प्रोर घटि^३ द्वारा भूमि की सिचाई का उद्देश करता है। मुख्य उपज मूर और गेहूँ बनाद गई है।^४ स्पष्ट है। अप्रहारा के स्वामिया को दृष्टि के एसे तरीका वी जानकारी थी, प्रोर उनकी प्रवत्ति पूजा पाठ प्रोर अध्ययन प्रध्यायन तम ही सामित नहीं थी। हप के अभियान क दोरान उहाने दही गुड और पटिकामा म ब व वाक्कर लकर उसका इवानन किया।^५ मे सब चीजें विध्य क्षम व जगली गावा मे पता नहीं का जा सकती थी वयोंकि वहा लोग सनी क बहुत ही अपरिस्त और

१ ए० इ०, १५ पवित्र्याँ १६ ३२।

२ वा० इ० इ० ८, न० ३६।

३ पृष्ठ ६४। वही यह चाहमान अभिलेख म उलिलित अरहटट ही तो नहीं है?

४ वही।

५ पृष्ठ २१२।

प्रारम्भिक तरीको से काम लेत थे ।

हृष्णरित वे अनुसार बानी मिट्टी बाले इलाको के लोग हन और बल का उपयोग नहीं जानते थे ।^१ विमान लोग अपने अपने परिवारों की आजीविका की व्यवस्था करने के लिए फांडा पर पूरा और आजमाते थे और छोटे छोटे खेत तथार कर लेते थे ।^२ कृषि याप्य खेत छोटे छोटे और कम ही थे ।^३ लोग किसी प्रकार की खाद वा उपयोग नहीं करते थे । शायद वे खेती की आधुनिक 'भूम प्रणाली से काम लेत थे । ऐसी खेती आदिवासी लाग करते हैं । वे जगला को जना देते हैं और इस तरह उस साफ किय गय क्षेत्र मे वया शुरू हान पर दोज डाल देते हैं । जलाय हुए पड़ पौधा वा धार एक प्रकार की खाद का बाम करता है । परमल बाट कर वे फिर दूसरे स्थान वो आर चल दत थे और वहा किर उमी रीति से खेती करते थे । हो सकता है, हृष्णरित म जो वि ध्य भेत्र म जगल बाटो का उत्तेज हुआ है, उसका सम्बंध खेती के इसी तरीके से हो । टिपडा वे बन प्रदेश म भी, निसके एक हिस्त म सौ स अधिक बाह्यण जाकर बस गये शायद खेती का यही तरीका प्रचलित था । किंतु इन नद बांगादा न अवश्य ही पुराने लोगों की कृषि प्रणाली के स्थान पर नहीं पढ़ति चराई होगी । हृष क समय म भूमि अनुदाना से विध्य क्षेत्र म खेती क नये और भच्छे तरीक दासिल करन म कोई सहायता मिली या नहीं, मह थात ता सप्ट नहीं है । ऐसिन अगर बन प्रदेश क धारिक प्रतिष्ठानों का सच चलान के लिए कुछ अप्रहार दान किय जान थ तो उनस उन प्रदेश म खेतों के बहुत तरीक दासिल करने म सहायता मिली हा, ऐसा सम्भव है ।

भूमि अनुदाना के पुरालेखीय विवरण से यद्यपि भाषणामो दो दो गई राजस्व और प्रांगन सम्बंधी रियायता की हम पर्याप्त जानकारी मिल जाती है, किंतु दान किय गय क्षत्रों की ठीक ठीक सीमा और एवं आदि की जानकारी वे लिए ज्ञन पर पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता । हा जिस काल पर विचार कर रहे हैं, उस काल म यूरोप के सम्बंध मे भी ऐसे आँड़ा का अभाव हा है, और तत्कालीन भारत क विषय म तो स्थिति और भी असनोय-जनक है । प्रकृति के प्रकोपा और मनुष्य की कारणजारिया से उत्तर भारत म-

^१ वही, पठ २२७ ।

^२ वही ।

^३ वही ।

ये पुरालेख बहुत ज़ोने तरुण छवत हो गय हांग। यदि हम इस तथ्य का ध्यान रखें तो मानता होगा कि आज हमें जो पुरालेखीय विवरण उपलब्ध हैं वे मूल पुरालेखों के अंश मात्र हैं। किर भी सातवीं शताब्दी के पूर्वाद् मध्यस्थिक अनुग्रह प्राप्त करनेवाले व्यक्तियों एवं सत्याप्त्रों के अधीनस्थ क्षेत्रों का एक भौतिक और सामाजिक आदाजा हम लगा सकते हैं। उत्तराहरण के लिए नालंग विहार २०० गाँवों के राजस्व का उपमोर्त्त करता था, और "गाय" वलभी गिरावचे-द्रव को भी इतने ही गाव मिले हुए हैं। हृषि के जो ताम्रपट अभिलेख उपलब्ध हैं उनमें वेवल दो गावों के दान किये जाने का दृवाला मिलता है लेकिन इसी बाल के वलभी के नालंग अभिलेखों में कम से कम १० गाँव दान दिये जाने का उल्लेख मिलता है, और लोकनाथ के निपाड़ा अभिलेख में १०० द्वादशांग के जीवन निवाहि के लायक जगली इलाका दान किये जाने का प्रमाण मिलता है। याण भी इस विषय पर कुछ प्रश्न डालता है। हृष्टचरित सनात डाला है कि हृषि ने एक सनिक अभियान पर विकलन से पहले मध्यदेश में १००० हना के साथ १०० गाँव द्वादशांग का गति किया^१ १००० हन—ग्राह्यता १००० हना से जोती जा सकत लायक—ग्राह्यता लगभग १०००० रुक्त जमीन दान की गई। द्वादश्वरी भ नारापी^२ के प्रासाद में सहस्रा गामनों के महसिल नपार करन में रत लिपिका का उल्लंघन है। अगर हम "गामनों का अध्ययन" दान पर लगाएं तो इसका अध्ययन यही होगा कि द्वादशांगों को बहुत गार भवि अनुग्रह दिये जाते थे। इसके अतिरिक्त हृष्टचरित में अमरी और नवली दानों तरह के आप्रहारिका का उल्लेख मिलता^३ यद्यपि इन आप्रहारिका के अधीनस्थ गाँवों की सहित नहीं बताई गई है। अगर हम यह मान भी लें कि बाण ने अपने सरक्षक वा अतिरजित बणन किया है और तारापीड़ के प्रासाद का विषय बहुत बड़ा चरा कर प्रस्तुत किया है तो भी उसकी गृहिणी से सातवीं संती के पूर्वाद् की वस्तु लियति का माटा आदाजा तो मिलता नहीं है। कुल मिलाकर यही सत्यता है कि हृषि के समय तक द्वादशांग के हृषि में बाही जमीन आ गई थी।

१ हृष्टचरित एवं मान्महिनी अध्ययन पृष्ठ २०।

२ दृष्टिरूप नपक आनिन्द्यमानासासनमहृष्यम् अप्यवान नारापी पृष्ठ ८६ या० टि० १ म उड़त।

३ नारापीनिगनराप्रहारिकनासम् वही पृष्ठ २१२।

के लिए विहार और घर बनवात थे तथा उन्हें सेत और बगोचे के साथ ही जोताई बोवाई के लिए छृपक मजदूर और मदेगी भी देते थे।^१ इस चीज़ी यात्री के अनुमार ला०^२ पर गुडे स्वामित्वाविकार पत्र एक के बाद दूसरे राजा क हाथा से गुजरत हुए वध बने हुए थे। लक्ष्मिनरमण शक्ति के दाप के कारण पट्टी वह "गाय" गत्तन बात लिय गया थय।^३ किं अब तक तो कोई भी सौहपट प्राप्त नहीं हुआ है। स्पष्ट ही पाठ्यान का मनस्य ताप्रपट स था।

भूमिधर मन्दिरों और विहारों के उच्च और विकास में एक बात बहुत सहायता सिद्ध हुई। वही धार्मिक तथा गायणिक प्रथोजना के लिए राजाज्ञा द्वारा प्रयत्नारा का दान दिया जाना। उग्री गतान्धी के एक परवर्णी गुप्त राजा दामाचर गुल का एक सो भग्नार स्थापित करने का थ्रेप नियम जाता है।^४ "महा मानव पह हुआ कि धार्मिक तथा गायणिक बांड बनाने के लिए धार्मणा का १०० गोव दान दिय गय। एम अनुशार गुप्त राजाटा न भी निय हाँ गयामि व्य गुप्तक २२ कर्तविहार गिलाभिनया। जिह साप माफ पता नहा जा सकना और भिन्नी स्तम्भ अभिनया के व्य म इमवे कुछ उत्ताहरण मिलते हैं।^५ मातवा आरवा गतान्धीया म भी धार्मणा के मन म गुप्त बानान अग्रहार अनशना की स्मृति बनी है खा और उन्हान ममुख्यपत का नाम जाइकर व्य म व्यम दा जानी अनशन व्य तानार वर मिय ख।^६ वाणमन्त्र न भी मातवा गतान्धी के पूर्वांश म हृषकरित म एम नरनी धार्मारिक। बाट-उग दिया है जिनका विधिव अनुशाना पर कोई वध अधिकार नहीं था।^७ हृष्टमाण बहना है कि नाम ना विहार का गत उम्हो दान दिय गय मग्नभग सो गीता क राज्यव म चलता था। और एम प्रतीत हाता है कि इतिहास के गमय तक अनुशन व्य दैवा की मस्या मग्नभग १० ता पूर्व गर्भ खा।^८ भूमि अनु दान का द्रष्टा के परिणामस्वरूप य मन्त्र और विहार अनशनका छुरा और

^१ गतान्धीय विश्वेष्य १८५५ न० ३ १५२।

^२ वा० २० २०, ३ न० ४२ विति १०।

उही न० ३ गतान्धी १३० न० १३ विति १८।

४ उही, न० ६० न० ८० २१ न० ८।

५ दृष्ट २१२।

६ एम० दैव रसाय दैव रोद दृष्ट २१३।

७ दैव राहुम (दैव) - दैव अर्थ दृष्टार्थीत दृष्ट ६४।

जानतारी न । है, जेंटिल झार की तीना अगिंगा क महिंगा क मम्बाध म बोई गरा ना है । इन्हुंने वहाँनि की स्मृति म शां म्यामी ग०३ के स्थान पर म्यामी ग०५ का प्रयोग नमा है । साथ ही उसम यह बात भी म्पट्ट कर दी गई है कि स्म्यामी राजा और जमोत के अमली जोनश्वारक बीच की अणा म आया था ।^१ इस अणी ग०५ म्यामी इन्हाँ को ग०३ पर भूमि देने थे और इयि बी उपेशा बरने पर इपर लाग जुमान के मार्गी हान थ ।^२ इस प्रवार ये इपकृष्णि आस नहीं, बल्कि अस्यायी परेशारहा थ ।

गती बारी का काम क मगठन की इन विषयताओं की पुष्टि पुराततीय प्रमाणा से भी होती है । महाराष्ट्र और गुजरात के चौदों से लड़र छठों गतानी तक के भूमि अनुशासा से साक जाहिर हाना है कि ग्रहीना को भूमि के भोग का पूरा अधिकार दिया जाता था वह अगती इच्छा और सुविधानुमार उसम स्वयं भी खना कर सकता था और इसी अप से भी करवा सकता था ।^३ खुँ खती करनेवाले ब्राह्मणा का अनुपात जानने के लिए हमारे पास काई साधन नहीं हैं यद्यपि सम्भव है कि ऐसे ब्राह्मणों की सम्बा घृणी खासी रही हा क्यानि उस काल की स्मृतिया म एमी "यवस्या है कि" अगर वे चाहे तो खेती भारी कर सकत है ।^४ नविन ज०१ पूरा का पूरा गाँव कुछ थोड़ से ब्राह्मणों को दे दिया जाता था वहाँ स्पष्ट है कि सारी जमीन पर खुँ ही खेती नहीं कर सकत थे । इसका परिणाम यह हुआ कि ब्राह्मणों के बहुन से गाँवों या अग्रहारों का स्वरूप अब साम तवादी हो गया ।

यह साचना ठीक नहीं है कि दान विय गय गाँवों का किसानों का अपने प्रभुमा से बसा ही सम्बाध था जसा कि इग्लॅड क कम्मी गाँवों के किसानों का अपने प्रभुमा से था लेकिन कुछ बातों में किसान पूरी तरह से सम्बद्धित गाँवों के भोक्तामा के आधीन थे । बहुत से स्थानों पर ग्रहीता लोग अपनी अपनी जमीन में दूसरा से खती करवाने के अधिकार के बल पर पुराने किसानों

^१ १६५६८ ।

^२ यानवल्क्य २ १५३ = यद्यपि १६१६ ५३५५ ।

^३ गुजर कपत प्रदिनात कपयन । का० ३०३० ८ न० २ पक्ति ६ न०

११ पक्ति १३, मिलाइए न० २१ पक्ति ३२ से सि० ३० पृष्ठ ४०५

पक्तिया ६७ पा० ३० २ ३ सहित ।

^४ मुउ स्मृति १०८१८२ यानवल्क्य ३ ५ नारद १ ४६६० ।

को हटा कर नये विसाना का काम पर लगा सकते थे, इस प्रकार वे अपनी इच्छानुसार पटटदारा वा हटा सकते थे।^१ - ^२

मध्य भारत के गुप्त शालीन अनुशाना स प्रकट होता है कि विसाना का राजा का बगार करना पड़ता था।^३ बाकाटक शासकों वे अनुशाना और गुप्त राजामा व सामना द्वारा मात्र भारत म दिये गये कुछ अर्थ अनुशाना से नात होता है कि धार्मिक ग्रहीतामा का दान किये गये गौवा म राजा का वाधित अम सम वा अधिकार नहीं था।^४ महाराष्ट्र म प्राप्त पौचबी गताव्दी के एक तात्रयन्त्र म सभी तरह के दिव्य और विष्ट स मुक्त एक अग्रहार के अनुशान का उल्लेख है।^५ ऐसे ही अनुशान परिचमी भारत म भी दिये गये थे। इनम से सबसे पहले के अनुशान म सएऽहै ४५७ इम्बी वा अनुशान।^६ इसका मनलङ शायद यह है कि मासना लालाराम वोकाई भी वर देन और उमड़े लिए विष्ट की व्यवस्था करने के दायित्व से मुक्त थे जब ति म्बट है व अपन अधीनस्य गावा स वर भी स सकत थ और बगार भी। मात्र भारत और पश्चिमी भारत के वित्तपर अनुशान म स वर्धन द्योता के निवासिया का ग्रहीतामा की आना का पालन करन का आर्थिक दिया गया है त्रिमूर्ति मनलङ यह लगाया गया है कि ग्रहीता वाधित अम ने सक्ते थे।^७ सवित जनसाधारण से जो चीजें लेन वा चलन परम्परा स नज़्र चला था रहाया, उनकी भी माँग व वर सकते थे या नहीं यह स्पष्ट नहीं है। जो भी हो इसम सभैह नहीं कि गुप्त वान म मध्य भारत और पश्चिमी भारतमें शासक लोग अपन शासितो स बगार लिया करते थे।

गुप्त शालीन अनुशाना से जिस वान का सिफ धाराम मिनता है वही वान छठी शनार्ही के अन्तिम चरण मे बलभी नरेणों के अनुशान म विनडुल म्बट स्वप्न से कही गई है। प्रथम परमेन वे (लगभग ५३५ इम्बी के) एऽ-

^१ क०० ६० ६०, ४ भूमिका का पृष्ठ १८।

^२ इन अनुशाना वा वणन मनो की इति इत्नानिर लाल और नार्दन इ दिया इन गुप्त पितियर, पृष्ठ १५२ ३ म दिया गया है। द्वितीय प्रवरसन वे अनुशान मे अविष्ट शार्त का प्रयाग हुमा है।

^३ वही।

^४ एम० जी० दीधित द्वारा सार्विन सेसेष्ट इस्किंग स कोम मराराट्ट पृ० ८।

^५ क०० ४० ८०, ५, न० ८ पक्षित ६।

^६ मनो वी म० प्र० पृ० १५७ ५३।

अनुदान म धार्मिक ग्रहीता को आवश्यकतानुसार वगार लन वा अधिकार दिया गया है।^१ प्रथम गिलादित्य ने भी अपन ६०५ ईस्वी के शानपत्र में और फिर ६१० ११ ईस्वी के दानपत्र में ग्रहीतामा वो ठीक ऐसी ही रियायत नी है। सातवी राजा नी के उत्तराढ़ रा वलमी इन्द्राजाना में विनियुक्त गुजरात के संदर्भ सरदार मृत्युशक्ति के समान छोटे छाट सरदारा द्वारा दिये गए शान्ताजाना में भी उस पारिन्दादिक गाँव का प्रयोग बार बार हुआ है। इसमें प्रस्तु हाता है कि ग्रहीता वा वेगार ला वा अधिकार था। वातामी के चान्द्रया के भूमि शानपत्रों में भी हम यह गाँव दर्शन का मिलता है। स्पष्ट है कि नर ग्रीनामा वो देगार लेने का अधिकार प्राप्त था तब अपनी वगार लन की आवश्यकता वा निषय तो व इच्छानुसार जब चाहते तभी वर लेते थे।

वगार गिलिया ग भी तिया नाता था। पूर्वर्ती स्मृतिया म एमा विधान न दि गिल्पी योग राजा वा वर दन के वर्णन मनीने भए एवं दिन उपरा वाम वरद। वर वा वर्णन इम तरह काम वर इन वगार नहीं माना जा सकता लेकिन कौटिल्य के श्रनुगार वमकरा तथा वगार वरन वाने मातूरा म वाइ य तर नन्या था और यह मम्भर है कि वमकरा म गिल्पी लाग भी शामिल रहे हाँ। ५६२ ईस्वी म पर्व चमा भारत म वणिका व एक समूह (वणिग्राम) को दिये गये एक अनुदान से प्रकट हाता है कि गिलिया को केवल राजा वा ही नहीं विविजिन वणिका वा राज्य की ओर से छूट की मनन दी जाती थी उन वणिका का भी वगार करना पड़ता था। इम प्रकार वरिका का काम करने वाले वणिक तुशरा कांठगिलिया नाइया कुम्हारा गादि से वेगार लिया वरते थे।^२ स्पष्ट ही जहाँ तक राजा वा सम्बाद था तामर और नील तयार वरन वान धर्मिक वगार से

१ ए० द० ११ द०।

२ इ० ए० ६ पृष्ठ १२ पक्षित ६। प्रयुक्त गाँव दर है 'सोत्पद्मानविटि जिमदा श्रनुधार्मीराग' न इस प्रकार किया है उसस उत्पन्न हाने वाल वादिन थम वा लाभ उठाने के अधिकार के साथ साथ।

३ ए० द० ११ न० १७ पक्षित २६।

४ वही २९ ल० १८ पक्षित २५।

५ का० द० ८० ४ न० २१ पक्षित २७ इ० ए० ६, १२।

६ ए० ८० २० न० ३० पक्षित २८ का श्रनुवाद करते हुए (उन्न ओफ इनोनिस रेड सागल निस्ट्री ओफ द ओपिएशन लायच्न २, २८, ८)

मुक्त थे,^१ क्याकि उनके रोजगार पर महसूल लगा हुआ था।^२ किर, मिदितया और ग्वाला स, जो स्पष्टत बणिकों का काम करते थे, राजा नी बेगार के लिए नहीं बहा जा सकता था।^३ स्पष्ट है कि बणिग्राम का दी गई इन रियायतों का उद्देश्य शिल्पिया और साधारण अमिका की सेवाओं को बणिकों के लिए सुरक्षित रखना था। यह मध्य काल की उस अध-व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता थी जो स्थानीय उत्पादन और स्थानीय उपभोग पर आधारित थी।

मुप्त काल म बगार का स्वरूप कुल मिलाएर बहुत बदल गया। मौय काल म बगार दास और बमकर बिया बनते थे, और अमिक बग म इनके अलावा थे लोग शामिल थे जो भण्टार गहा म सफा^४, नाप तौल, चौकीनारी और पिसाई की दस रेख का कामविया करते थे।^५ अमिका की भरती विप्टिवाधक बरता था, और इह मजदूरी दी जाती थी।^६ यह सही ह कि राज्य की माय का सावन विप्टि भी वी लविन इस विषय मे निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता कि गाँवा म रहनेवाल स्वतंत्र विसाना से भी बेगार लिया जाना था या नहीं। कि तु दूमरी शनाई म पश्चिमी भारत के राजा नुदामन की समस्त प्रजा बगार करने के लिए वाध्य थी। चौथी से सातवा शनाई के तीव्र इस प्रथा म और भी जबरदस्त परिवर्तन हुए। बाबाटका राष्ट्रगूटा और चानुमया वे अभिलेखों से प्रबट हाता है कि यह प्रथा माय भारत के पश्चिमी क्षेत्र, महा राष्ट्र और बनाटक के कुछ हिस्सा मे फ़ल गई। मध्य भारत म इसका बड़ा व्यापक प्रचार हुआ और इसके निए सवविप्टि शाद प्रचलित हो गया।^७ पश्चिमी भारत के चौथी और पाचवी शताब्दी या के विषय कलचुरि चदि

कोसम्बी कहते हैं कि इन शिल्पियों को करों के बदले मे बेगार करना पड़ता था, तेकिन यह स्थापना तभी स्वीकार की जा सकती है जब हम वरिका को राज्याधिकारी मान लें, कि तु उहे राज्याधिकारी मानना गलत हागा।

१ ए० इ० ३०, न० ३०, पक्ति ८।

२ ज० इ० स०० हि० मा०, २, २८७।

३ ए० इ० ३०, न० ३०, पक्ति ८।

४ अथग्राम्य, २, १५।

५ वही ५ ३।

६ ए० इ०, २८, न० १० पक्ति २३। द्वितीय प्रवरसेन के अनुदाना म इसका प्रयोग बार बार हुआ है।

युगीन अनुदानों में सर्वान्विति^१ लड़ का प्रयोग हुआ है जिससे मनन था ही—
 सभी तरह के युग और बगार। इस जहाँ पहन बगार उन वास्तविकार
 के बल राजा था ही या वहाँ भव धार्मिक धरातापा और उनके बगार
 को भी यह प्रधिकार प्राप्त ही गया। इसी इम बात में मैं देखता हूँ कि जो
 गीव उह दान में दिया जाता था, उन गीवों का राजा के निकाल बगार नहीं
 बरना पड़ता था। साथ ही माय यद और प्रधिकार का आवाहन जिसे
 जाने लगा। कौटिल्य ने बगार के रूप में दिया जानवान तरह तरह के बामों
 का हवासरा दिया है जस कि लोकना, लोपना, दिमाद के बाम की दर एवं
 बरना आदि। लक्षित उसने पर्याप्त भना बाटी पा विशुद्ध रूप में गनी बाटी से
 सम्बद्धित विभी बाम का उन्नयन नहीं दिया है। हृषि के निए बगार का स्पष्ट
 सबूत वात्स्यायन के बामसूत्र में मिलता है। उसके अनुसार ऐसे थेय का प्रयोग
 राजा के निए नहीं बल्कि आम प्रधान के लिए दिया जाता था। बामसूत्र के
 सम्बद्धित भ्राता से जान पड़ता है कि गुप्त बात और गुप्तातर बात में ब्राम
 प्रधान थपनी सुख सुविधा के लिए ही बगार दिया जाता था। इसके अनुसार
 बिना काँड़ पारिथमिक दिय हृषि द्विया से तरह-तरह के बाम लिये जाते थे
 —जैसे उह गीव के प्रधान के धार्यागार में अन्न रखना पड़ता था उसके पर में
 सामान लाना और जहरत पड़न पर बहाँ से ल जाना पड़ता था, उसके पर की
 सफाई और सजावट बरनी पड़ती थी उसके लिए मेना में बाम बरना पड़ता और
 छई ऊन पट्टुए या मन में उसके पापड के लिए तूत बातना पड़ता था।^२
 वात्स्यायन की कृति में जो भौगोलिक विज्ञ दिया गया है^३ और जिन पदावारा
 का उल्लेख हुआ है उनका सम्बद्ध मध्य और पश्चिमी भारत से जान पड़ता है।
 इसलिए ऐसा मानना अनुचित नहीं होगा कि ये बाधित शारीरिक भवाएँ याम
 प्रधान ही दिया करते थे, जो उन क्षेत्रों के गीवों में साम्य-सत्ता के प्रतिनिधि
 रूप थे।^४ इस प्रकार शमिकों को जो बाम करने पड़ते थे उनमें अब ब्राम प्रधान

१ इ० इ० २८ न० १० पर्वि २३।

२ ५ ५५।

३ एच० सी० चक्कलाचार के अनुसार वात्स्यायन द्वितीय पश्चिमी भारत का
 रहनेवाला था।

४ विष्णुयण द्वारा एक विण्याम को ५६२ ई० में दिये गये प्रधिकारपत्र
 (एशियाक्या इडिया ३० न० ३० १) में कहा गया है कि वर्षा कहु
 के आरम्भ में बीज खरोदने के लिए भपने इलाके से बाजारों में भागि-

के सेता में थम करना भी शामिल हो गया था। हमारे विचार से यह एक महत्व-पूर्ण सामाजिक प्रथा के संतरण का द्यातर है। स्वाभाविक है कि ग्रहीतामा को थम संवा के अधिकार के साथ दान किया गावा भ इसका बहुत "पापक" प्रवार हुआ होगा। वे इस प्रथा का अधिक से अधिक उपयोग करते होंगे—विषयक रूप से जमीन को आवार करने के लिए। चारण, हम देख चुके हैं कि उह दान में मिली जमीन पर खुद जैती करने या दूसरा से बरखान का अधिकार प्राप्त था। लेकिन किसानों की स्थिति तो इससे शायद बिगड़ी ही होगी।

एक और तो ग्रहीतामा और क्षेत्रस्वामियों के अधीनस्थ किसानों की स्थिति दासवत हो गई और दूसरी ओर तरह-नरह के नये-नये कर लगा दिये जाने के कारण स्वतंत्र किसानों की स्थिति भी बाकी बिगड़ गई। उन पर लगाये गये इन करों की तुलना यूरोप के मामातवादी महमूलों से की जा सकती है। ऐसा प्रतीत होता है जब राजकीय सेना और अधिकारी किसी गाव में पहाड़ डालत थे या वहाँ से गुजरते थे तब वे अपने खच के लिए उस गाव से जबर दस्ती पसा या रसद बगरह वसूल किया करते थे।^१ इस महमूल की तुलना हम यौनित्य के अध्यास्त्र के सनामवत से बर सकते हैं।^२ इसके अनिरिक्त एक के बाद एक गाव का उनके परिवहन के लिए पगुआ की भी "यवस्था" करनी पड़ती थी।^३ उह और पर निकल राजमाविकारियों की फूल और दूध भी भेट बरना पड़ता था।^४ य वाधित गुलक सता और राय का ज़रूरतें पूरी करने के लिए वसूल किय जाते थे। इस प्रकार इन गुलक से जा-कुछ प्राप्त होता था वह राज्य को प भ नहीं भेजा जाता था बल्कि वही का वही राजकीय सता और अधिकारियों के काम आ जाता था। यह प्रथा एक और मध्यवर्ती बग खड़ा बरने में सहायता हुई और इस तरह इसका स्वतंत्र किसानों की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

हुए किसानों को स्वामी लोग अपने यहा राक न रख। इससे यह घटनि निकलती है कि स्वामी लोग किसानों को अपने यहा बगार बरने के लिए चाहे जहाँ वही और जब कभी रोक रखते थे। वे इनसे शायद अपने खेना म बाम बरखाते थे।

^१ "ममटच्छाय प्रावेष्य" का० इ० इ० ३, पठ ६८ पा० टि० २।

^२ अर्थशास्त्र, २ १५।

^३ अपारम्पर गावलिवद्, ए० इ० २७, न० १६ पवित २६।

^४ वही।

उपर जिन राजकीय सतिका और अधिकारियों का उल्लेख हुआ है, वे किसी एक स्थान पर जमकर नहीं रहते थे और उनके पांच वरानुगत नहीं हुए थे। इसलिए इन राजकीय प्रतिनिधियों के प्रायः अधिकार शब्द में हो बगार और बाधित गुल्मी। का बोझ लागा कि तिन उतना भारी नहीं होता होगा कि तुम पहीता लाग इस बोझ को भसह बना सकते थे बयानि उहाँ तो बराबर उसी गाँव में रहना था और उसके गांधन से पुनर् दर पुनर् अधिक से अधिक लाभ उठाना था। शम के रूप में वी जान बाली यह सबा हम यूरोप की उस सामन्तवानी प्रथा की थी। दिनांक है जिसके अनुसार रेयत का दो तरट के दायित्व निभाने पड़ते थे एक तो कर दना और दूसरे, जिस नमीन पर उसके प्रभु का भती हाती थी उस जमीन पर काम करना।^१ गुण-कास और गुणानर कान में अनुरूप गाँवों के किसानों के श्रद्धीतामा के प्रति ये दोहरे दायित्व सिफ मध्य भारत और पश्चिमी भारत में निभाने पाए थे और यहीं यह प्रथा यूरोप से किसी भी बात में भिन्न नहीं थी।

प्रह्लादामा को याय और प्रगासन सम्बाधी जो अधिकार प्राप्त थे उनके द्वारा व अधीनस्थ गाँओं के निवासियों पर अपना आधिक आधिपत्य प्राप्तानी में बढ़ा सकते थे। इस प्रकार कुछ गतों में इन पहीतामा की तुलना यूरोप के सामन्तवानी जापीराजा में को जा सकती है। तकिन तूमरी बाता में त्विति भिन्न थी। जिन लोगों से बेगार नियम जाना था उहाँ पहीतामा व देता में शायद उनका काम नहीं करना पड़ता था जिनका कि मध्यकालीन यूरोप की जागीरा में किसानों को करना पड़ता था।^२ सके अतिरिक्त पहीतामा के अधीन इनका भी अपेक्षाकृत बहुत छोटा होता था क्योंकि प्रारम्भ में बाल्मीण को दानम्बरप कहा बार म एक से अधिक ग्राम देने वे उत्ताहरण शायद ही कही मिलते हैं।^३ फलत उनके लेनों में काम करने का मौका कम आता था और उसकी सम्भावना बहुत सीमित थी।

किसानों की विष्टि शिगड़ते का मुख्य कारण यह था कि जब और्द्द इनका एक नाकता के आप से दूसरे भोक्ता के हाथ में जाता था तो माथ ही उस इनामे के किसानों पर भी उस नये भोक्ता का आधिपत्य हो जाता था।

^१ मात्र ब्लाव, प्रवृद्धेल सामाजी, पृष्ठ १७३।

^२ किनु ५३३ ४८० व एक अनुदान में एक राजपुस्तकेर नाना ने मन्दिर के लिए एक माथ दो गाँव दान किये (का० ३० ८० ~ न० ३८० पक्षि ७)।

थीरे पीरे यह बुधा प्रपा दिग्नान। पर भी स थु हो गई। कनार्क म जमान के नव रामी पी दिसाता कर लो। न्ये जाते के अमान मिल है। योगातुर जित म प्राप्त यामी के एक पूरबीं शान्ति रामा के उठा शामी के घनु दापन में योग निवान भूमि जान की गई है और उग जपान की गारी वरद, चापीसा, आरक और निवेदा भी यहाता करे।^१ दिया गया है।^२ इस ही यही निवान गाँव का मनस्त्र बुनीर है जिसम दिग्नान सोग रहा था। गवाम जिसे म प्राप्त हसी दातारी करना गग घनुत्तात्रन ग इस जान की मुख्य हानी है।^३ इसम वहा गया है जि यार बुनीर का गाम गाय ए हम जमीन (घु निवानसहित) भरहार करने म नारायण दरता का गाँव के निवान कर दी गई और यह कर मुक्त मी कर दी गई।^४ इति ना घनुत्तात्रन म निवान या निवान गाँव का प्रयोग मात्र गह या गह-स्थान करने म ही नहीं हुआ है। दरमसन इसका प्रयोग ऐस आवास के रूप म दिया गया है जहाँ दिसान साग रहत हा। और हम धाज भी यामील ग ग्रा म गाम सागा का यानी म इसका प्रयोग इसी अप म होत दसत है। भूमि क गाय दिग्नान की हमनारित कर दिये जान की प्रथा दक्षिण भारत स शुङ्ख होतर शायद दक्ष्य भारत मध्यीकर गई। पीचवी गवा जी के एक वाराटन घनुत्तात्रन म चार कपड़ा निवान का दान कर दिय जान का उल्लंघन है।^५ इसम यही अथ निवान है जि यार परा मे रहनेवान दिग्नान ग्रहीता को सौंप दिय गये।

अनुदत गाँव क सभी दिसान यहीना को सौंप दन का प्रवा उड़ीसा और मध्य भारत क आस पास के क्षेत्रों म ग्राम्य हो गई थी। यारातुर जिन क

^१ ए० इ०, २८, ५६।

^२ वही न० १०।

^३ वही २० ६२ ३।

^४ वही न० १० पनिर्या १० १७। यही हल गाँव उत्तरी जमीन का सक्त देता है जितनी एक जोड़ा बल रखनेवाला एक दिसान जोत सकता है। एस दक्षिण से एक हल जमीन १० १२ एकड़ होयी। यह बान ६ हल जमीन के साथ चार परा के हस्तातरण से भी लगत लगती है। क्योंकि चार दिसान परिवार ६० ७० एकड़ जमीन की देसमाल मजे म बर सकते हैं।

^५ वा० वी० मीराशि, वाराटन राजवश रा ईनिहास तथा अभिलेच न० ८, पनिर्या १४ १६।

एक अभिलेख से जिसका काल छठी उन्नार्द्ध का है यह यहाँ पर प्रकाश पड़ता है।^१ उसमें ब्राह्मणों को इन्हें वर्तने का निर्देशिका को, जो वहाँ की जमीन जोतत हैं और इन्हें इन्हें वर्तने का निर्देशिका कुछ दिया गया है यह सलाह दी गई है कि इन्हें वर्तने के लिए यहाँ पर्याप्त यही हृष्टा कि विसानों को ग्रहीता वे नाम इन्हें दें ताकि उनकी सलाह दी गई है, यद्यपि यह बात मन्त्र से उत्तराने के लिए गीत वही के निवासियों के साथ साथ हस्तान्तरित किया जाए। यह भगवन के पूर्वी हिस्से के अनुदानपत्रों में दान किये जाने का विषय इन्हें ग्रहीताओं को कर देने, उनके आदर्श का वर्णन है इनका वर्णन का कहा गया है।^२ भोक्ताजा को यिथे गये गुरुजनों द्वारा उनकी शिक्षा का अधिकारी को देखते हुए 'मुख से, यह दृश्य द्वारा दृश्य द्वारा दृश्य माना है लेकिन इस पूरे निर्देश का मतलब यह है कि उन द्विगुणों में पूर्ववत बने रहने का वहा गया। विनु, देश-सम्बन्ध, उत्तर काशार नहीं होती थी और इसलिए उन धोत्रों में गीर्वांशु, गुरुमित्र यादों प्राप्त करते रहने के लिए कुछ गविन शयाग भी उपलब्ध हैं।

मत्रका और गुजरात के चालुक्यों के यह ग्रन्थ इसी से कि जमीन के साथ विसान भी हस्तान्तरित किये जायें। इनका इन्हें पहला उदाहरण हम छठी गतानी के अन्तर्गत है। यद्यपि इनका द्वितीय धरणेन कि इसी काल के एक अनुशासन के द्वितीय व्रतमाला के पार्श्व में ऐसे भूमिखण्डों के दान किये जाने का बाब्त है, ताकि वर्षा विभायों की जात में थे, इन पाच लोगों में से एक को मनुष्य और दूसरा का कुरुमित्र वहा गया।

१ ए० इ०, २८ १२।

२ ए० इ० २८, न० २, पवित्री ६३ मन वृत्ति (८४) धूयवर्मी ता रम्भ सुनिव तविश्वस्त वस्तव्य (८)। इ० न० १० गरवार (वही ५) के अनुसार इसमें हृषकों से उनके नाम का विल की गई जमीन में लेती करने और हर प्रवार के दुष्यवहार की शायगा से मुक्त होकर रहने की कहा गया है। लेकिन यह ग्रथ समीक्षान प्रीत नहीं होता।

३ का० इ० इ० ३ न० ४० पवित्री ११३, न० ४१, पवित्री १३ १५।

है।^१ एसा प्रतीत होता है कि उक्त भूमि खण्डा के स्वामिया ने भूमि खण्डा की अन्त्सा बदली के साथ साथ उनम सेती करनव लो वी भी जदना पदती कर ली अथवा उनके नामा वा उल्लेतव रने की कोई प्रवरत हा नही थी। किर, बलभी राज ततीय धरसेन के ६२३ ४ ई० के एक दानपत्र म विभिन क्षेत्रफलों के चार आवाट भूमि खण्ड दान किय गये है। य भूमि खण्ड चार अलग अलग विसाना की जात म थे और इन विसाना या कुट्टमिया के नाम भी दिये गये है। य भूमि खण्ड भली भाति सीमावित थे और दूसरे विसाना द्वारा जोत नाने बाल खता के दीच म पडत ५^२ दान को गई भूमि स सम्बद्ध विसान भी ग्रहीना को सींप दिय जात थे यह बात गुजरात क एक प्रारम्भिक गुजर राजा ततीय जयभट (७०६ ई०) क नवसारि अभितेर पनो से भी सिद्ध होनी है। उसने एक आद्याण को घर तथा चल और अधल सम्पत्ति (गहस्यावर चलव) के साथ साथ ६४ निवन्त भूमि दान दा।^३ उपर्युक्त तीना उदाटरणो म गाव नही सिफ-खत थी दान किये गये। जिस अनुदान म हम ग्रामवासिया वे हस्ता तरण वा सबस पहला स्पष्ट उदाहरण मिलता है वह है महाराज समुन्सेन नामक एक मामाता राजा वा अनुदान जिसे मानवी गता ३ का माना जा सकता है।^४ इस अनुदानपत्र क अनुसार बागरा क्षेत्र म एक भोवना को निवासिया के साथ साय (मप्रनिवासिजनसमत) एक गाँव दान किया गया है।^५ इस प्रकार बागरा और गुजरात व तुछ हिस्सो मे छठी और सातवी गतार्थी म कृपि नास्तव थी प्रथा चल चुकी थी।

एसा प्रतीत होता है कि जमीन के साथ साय दमिया की तरह क्षयका के दृष्टि नरित कर निय जाने म प्रमग मुख्य स्तर से उन भूमि खण्डो के सम्बद्ध म आन थ जो सगठित गाँवो के हिम्म नही य और एग विसाना की जात म थ जो गाँवा म न रहकर उटा भूमि खण्डा पर छिरफुन बते घरा म रहत थ। इसम हाता यह था कि विसान जो भी जमीन जानता था सब उसके घर के

^१ का० ६० ई० न० ३८ पक्षिनयी २१ ८।

^२ यही।

^३ वा० ८ न० २१ पक्षिनयी १५ २८।

^४ यही २८७।

^५ वा० न० ८० पक्षि १०।

इद-गिर ही हुमा बरती थी। जब यह जमीन दान की जाती थी तो इस पर काम करनेवाले विसाना का उसम वायम रखा जाता था, भाष्या ग्रहीता वो बड़ी कठिनाई होती। इनम से कुछ विसान तो "गाय" हलमाह होते थे जो दाना के सामने लाभ के लिए जमीन जोतत थे। इसलिए ऐसा माना जा सकता है कि हृषिकास दो तरह व हात हांग—एक तो व जो हलमाही की तरह काम बरते थे और दूसरे व जो गावा म रहनेवाले रैयन काशनवार थे। य रयत काशन बार अपन स्वामी का लगान व तोर पर उपज का एक हिस्सा लिया बरते थे और नानपथ म निघारित उनकी आय सेवाएं भी विया बरते थे। मारत के साइम म भूमि से वधे हलमाही का पूर अर्थों म हृषिकास मानना चाहिए और गावा के माय विनेप एव स हम्ता-तरित बाशनवारों वो अप हृषिकास माना जा सकता है। बाशनवारों का ग्रहीतामा के निजी सेवा पर काम नहीं बरता पड़ता था, मद्यपि उम समय की कठिन आविह परिस्थितियों म व जीवन निर्वाह का साधन ढूँढ़ने के लिए गौव छोड़कर और कही जा भी नहीं सकता था।

पुरानेखीय प्रमाणा स प्रकट हाना है कि हृषिकासत्व की प्रया पहों तो उपात्तक्षेत्रा म प्रारम्भ हुई और बाद म धीरे धीरे दण के केंद्रस्थ हिस्से और उत्तर मारत मे भी फैल गई। इसका गूप्यपात पवतीय या पिटडे इलाको म हुमा, जहाँ स्थारीय आधिक जीवन के चलाने के लिए पर्याप्त विसान नहीं थे, विन्तु इसस ग्रहीतामा को विसाना पर जा। विस्तत अधिकार प्राप्त हो जाते थे उनके बारण यह प्रया विकसित थोवा म भी फल गई। इसकी गुरुमात बगायदारा स हुई और बाद म सभी विसान इसकी लपट म आ गये। आरम्भ म यह प्रया भूमि वर्णन के दान पर लागू हुई और फिर धीरे धीरे गोवो क अनुशाना पर भी लागू हो गई। आठवा गतानी के मध्य तक इस प्रया का काफी धाम चलन हो गया। एक जीनी यात्री क ७३२ म लिखे विवरण ने निम्नलिखित ग्रन इस बान की साक्षी भरत हैं।

पचमारत म यह नियम है कि राजा रानी और नरेणों से लेफ्ट सरदार और उनकी पत्नियों तक सभी अपनी अपनी क्षमता और सामन्य के अनुसार अलग अलग विहार बनवाते हैं। हरएक अपना अलग मौदर बनवाना है कि तु मिलजूलवार कोई नहीं बनवाना। उनका कहना है कि जब हरव्यवित

१ जान युन हुया, 'हयो चाडज रेकड प्रॉन काश्मीर काइमोर रिसच आइ-
एनुप्रल न०३ (१६६२), पृष्ठ १६-२०।

म धार्मिक प्रवर्तियों होती हैं तो फिर मिलजुलबर इसके लिए प्रयत्न करने की वया आवश्यकता है।

जब कभी कोई विहार बनाया जाता है, गाँव और उसके निवासी तत्काल घम घम और युद्ध की सेवा करने के लिए समर्पित कर दिया जाने हैं। ऐसा नहीं हाता कि मिफ़ विहार बनवा दिया जाये और कोई गाँव और उसके निवासी उसे दान मन दिये जायें। बाहरी दण इसे एक आग मानबर इसका अनुकरण करते हैं। राजा राज महियों और अपने रानियों के निजी स्वामित्व में भलग भलग गाँव और आमदासी लोग होते हैं। नरेगा और मरदारों के निजी स्वामित्व में भी गाँव और आमदासी होते हैं। इसलिए ये दान स्वतंत्र रूप से दिया जाते हैं और इनके लिए राजा की अनुमति नहीं सो जाती। महिला निर्माण के सम्बन्ध में भी यही विधि थी। जब कभी महिला बनवाने की आवश्यकता होती है वे बनवा सत हैं और इसके लिए राजा की अनुमति नहीं लत। राजा इसमें कोई बाधा शालन का गाहग नहीं करता। उम मय रखता है कि एमा बरके वह पाप का भागी न बन जाय।

जहाँतर राजपूर्णेतर मृद सागों का सम्बन्ध है यद्यपि उन्हें निजी स्वामित्व में कोई गाँव नहीं हाता फिर भी वे महिला बनवाए और लूट हा उसका गत घलान की भरमक बांगा करते हैं। जब भी उनके कोई वर्षी वर्षु उपन ए होती है वे उम घम गप और भगवान युद्ध का मध्यित कर देते हैं और वहि पवित्रत महिलों भी मनुष्य का बचा नहीं जा सकता। इसलिए यही विधि भी गुमाम नहीं है। इसका और आवश्यकता हान पर एवं और उसके निवासी शान दिया जा सकत है।

“म दिवरण म दरर हाता है कि राजाया रानियों नरों और मर्दारों द्वारा दर्शनों और विचारों का आवाहन महिला गाँव शान शान की प्रथा उनकी है। द्रव्यमित की विचारों के दर्शन की विचार बनवाने का। एग आवाहन का द्रव्यमित का बाहर दरर का। कि राजाओं और रानियों का माप माप नरों और मर्दारों का द्रव्यमित का दरर और द्रव्यमिती माल द्रव्यमाप दरर का। कि “वे देखे एवं एवं विचारों बाहर एवं बहाए। नरों और उन्हें एवं मर्दारों का दरर दिव्यहृति विचार दरर एवं आप्तु शान आवाहन दरर का। वर्तिन शान है।” एवं दरर की दुरी एवं एवं दिव्य वाहे शा दरर बहाए दरर और उम पर दरर दरर दरर एवं दरर दरर एवं दरर है। एवं है कि एग वर्तीन दरर

रहनवाल लापा के लिए जबतक वे दाता के अधीन रहें तबतक उसकी सेवा करना और जब प्रोता को हस्तानरित कर दिय जायें तो उसकी सेवा करना अनिवार्य था ।

यह चीज़ी विवरण दास प्रया के वित्त और वृपिदास प्रया के उद्भव के बीच महत्वपूर्ण बड़ी का काम करता है । बोढ़ विहारा को दिये ग्रनुशना की चचा करते हुए इसमें वहा गया है कि पचमारत म मनुष्य का बचा नहीं जाता और यहाँ नाम स्थिरां नहीं हैं । यह वर्धन हम भेगास्यनीज की इस उकिन का स्मरण दिलाता है कि भारत म काई भी दाम नहीं है कि तु प्रकारार से इससे यह अब भी निकलता है कि सानवी सदी म कुछ दास पुरुष थे । लेकिन आम तौर पर दाम नहीं हुमा करते थे और इसमें कोई बठिनाई भी नहीं होनी थी क्योंकि 'इच्छा और आद्वयकता होने पर गाव और उमरे निवासी दान दिय जा सकत थे । चूंकि गाव के साथ साथ वहा के निवासी भी खेनी-बाड़ी का काम करने के लिए विहारा को सौंप दिय जाते थे, इसलिए ग्रहीतामा को श्रमिका की कोई कमी नहीं होनी थी ।

एस सबत मिलते हैं कि गुप्त राज में उत्तरादन-आय म लगाय जानेवाले दासों की सह्या कर होनी गई और गूढ़ लोग दासों की तरह काम करने के बचत से उत्तरोत्तर द्वुरक्षारा पाते गय । दासों को मुक्त करने से सम्बंधित कौटिल्य के नियम आम तौर पर उन दासों पर लागू होते हैं जो आय माता या पिता से उत्पन्न हैं या स्वयं ही आय हैं ।^१ लेकिन यानवल्क्य न तो एक ऋतिनारी सिद्धान्त का ही सूत्रपात बर दिया । उसकी व्यवस्था है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा विशद दास नहीं बनाया जा सकता ।^२ वाद के एक भाष्य के अनुसार इसका मतलब यह है कि अगरी इच्छा के विशद दास्य बत्ति में लगाया गया गूढ़ क्षत्रिय अवदा वश्य राजा द्वारा मुक्त कर दिया जायेगा ।^३ इस प्रकार यानव-आय न मनु के इस आद्या को कि गूढ़ा को उनकी इच्छा के विशद दास बनाया जा सकता है, बिनकुल उलट दिया है ।^४ किर नारद और वहम्पति न उन अवम लोगों की बत्ति की तीव्र भत्सना को है जा स्वतंत्र-

^१ अथगाम्य द३ १३ ।

^२ २ १८२ ।

^३ कोलद्वारा निर्माणियत एमन २, २३ ।

^४ कि-तु नारद, इलोक ७२२ में मनु की 'यवस्था का दुहराना है ॥

होतर भी प्राता प्राता वयो है । इसक प्रतिक्षिप्त हम भारत के इतिहास में
भारत का पहली बार दाम मुद्रा ५ विधि विभाजन के दिन भारत में नियारित
बनते देते हैं । पाँचवां सदी ३ एवं चौथी वर्ष वर्ष १०० वर्ष भारत का वर्ता
पड़ा गया है । "मग वर्ष" हालांकि ये दाम वर्ष १०० वर्ष वर्ष १०० वर्ष भारत
कीता था । इस तमाम भारत का वर्ष वर्ष १०० वर्ष वर्ष १०० वर्ष भारत
एवं २० विधि वर्ष वर्ष १०० वर्ष मास्यवृत्त भारत वर्ष १०० वर्ष १०० ।
यह या विभाजन के दूसरे वर्ष १०० वर्ष विभाजन के दूसरे वर्ष १०० वर्ष वर्ष १०० ।
यही गृह । उत्तराधिकार के दूसरी विधि में भगवान् ५ विभाजन का
कोई उत्तराधिकार नहीं है । इसी दूसरे वर्ष १०० की विभाजन का आयोग हम है ।
इसमें यह विभाजन का वर्ष १०० वर्ष १०० वर्ष १०० विभाजन की विभाजन का वर्ष १००
वर्ष १०० वर्ष १०० विभाजन का वर्ष १०० विभाजन की विभाजन का वर्ष १०० ।
जाटी "कांचा" में विभाजन का वर्ष १०० विभाजन की विभाजन का वर्ष १०० ।
स्वीकृत हो गया तो उत्तराधिकार का वर्ष १०० विभाजन की विभाजन का वर्ष १०० ।
जागा विभाजन हो गया तो उत्तराधिकार का वर्ष १०० विभाजन की विभाजन का वर्ष १०० ।
उपजाऊ था भीर भारत में वर्ष १०० वर्ष १०० वर्ष १०० वर्ष १०० विभाजन का वर्ष १०० ।
जाति ५वा वर्ष १०० के एवं पुराणे में विभाजन की विभाजन का वर्ष १०० ।
अनुसार वर्ष १०० में वर्ष १०० वर्ष १०० वर्ष १०० विभाजन का वर्ष १०० ।
वही थी । भीर यह जमीन दाम वर्ष १०० वर्ष १०० विभाजन का वर्ष १०० थी विभाजन
वही थी ।

१ नामद सूति ५३७ यू. मूर्खी सूति १५२० मिलाइए वर्ष १०० वर्ष १००
वर्ष १०० २ १५२ ।

२ ५४२ ४३ । मिलाइए वर्ष १०० के दाम मुक्ति सम्बंधी नियम (साक्ष ७५)
से । लेकिन नामद-सूति में यह भी वहा गया है कि कुछ विवाह वर्गों के
दासों को उनके स्वामियों की इच्छा के बिना मुक्त नहीं किया जा सकता ।
(इत्तोक २६)

३ काटथा, इत्तोक ३५० ।

४ १३, ३८ ।

५ २६ १० २८ ४३, ५३ भीर ६४ ।

६ ए० ६०, २० न० ५, पवित्र्या ५ ११ ।

विस्तृण की प्रक्रिया म सौर भी तेजी आई ।

सामाय सोगी द्वारा दान देन पर कुछ प्रतिवाद भी थे । बगाल क अभिलेखा से प्रकट होता है कि राजा के स्थानीय प्रतिनिधिया और जिला परिषद की सहमति के बिना दान देने के उद्देश्य से जमीन नहीं खरीदी जा सकती थी । भारत के अभिलेखा से भी मालूम होता है कि राज्य की सहमति के बिना सामाय जन भूमिदान नहीं कर सकते थे । किन्तु दानों ही स्थाना पर सहमति देने स आम तौर पर इनकार नहीं किया जाता था, और परिणामत न केवल राजा और उसके सामाय जन भी गाव और भूमिक्षण दान किया करते थे ।

इस काल म हम न कहीं पांच पाँच सौ करीम खेतफल के खेतों की चक्का मुनते हैं और न मीय बाल के जसे राजनीय दृष्टि खेतों की । पुरानेखा म वहीं एक कुल्यवाप खेतफल के खेत का उत्तरव्य मिलता है ताकहीं चार ढाई या छेड़ द्रोणवाप क्षत्रफल के खेतों का ।^१ इन सबमें किसी बड़े दृष्टि खेत का मकेत नहीं मिलता । पार्जीटर क अनुमार कुल्यवाप एकड़ से कुछ बड़ा होता था ।^२ लेकिन अगर विचाराधीन काल का कुल्यवाप असम के बहार जिल में प्रचलित कुल्यवाप के ही वरापर था^३ तो उस कुल्यवाप में नरह एकड़ भूमि आनी हायी । चूंकि एक कुल्य आठ द्रोण के वरावर है इसलिए इसमें अनुमार एक द्राणवाप दो एकड़ से भी कम हा होगा । इसी काल में मुग्रात स्थित बलभी व मरव राजाओं द्वारा ये गय भूमि अनुदानों पर विचार करने से जात होता है कि जमीन के ये टुकड़े औमनन दो तोन एकड़ से बड़े नहीं होते थे ।^४ यना के दाट हो जाने से गम्भवत उन पर काम बरन के लिए बहुत सारे दास और अमिक रखना आधिक दप्ति म लाभकरनहीं रह गया । निदान इन खेतों पर काम बरन के लिए जहा दो दा, चार चार त्रोग रख लिय गय हागे वहा दूसरा का अपना भाग्य कहीं और आजमाने के लिए छुट्टी द दी गई होगी ।

^१ ए० इ० २० न० ५, पक्ति ५ ११ ।

^२ इ० ए०, ३६, २१५ १६ ।

^३ हिस्ट्री ऑफ बगाल १ ६५२ । एस० के० मतों का विचार है कि एक कुल्यवाप में १४४ एकड़ से लेकर १७६ एकड़ तक जमीन होनी थी । ज० इ० स० हि० घो०, १, ६८ १०७ ।

^४ के० जे० बीरजी, एगिएट हिस्ट्री ऑफ सौराष्ट्र, पृष्ठ २४६ ४७, २६७ ।

यह परम्परागत विचार कि वश्य लोग कृपक हैं मोर्योंतर-काल और गुप्त-काल के साहित्य में भी बार बार देखने को मिलता है।^१ 'ग्रमरकोश' में कपको के पर्यायिकाची शब्द वश्य वग म रखे गये हैं।^२ लेकिन गूद लोग भी बड़ी सरथा म कृपक बनन जा रहे थे। कई स्मृतियाँ से ज्ञात होता है कि अधिवटाय पर लेती करन के लिए शाद्रा का जमीन दी जाती थी।^३ इससे निष्क्रिय यही निकलता है कि गूद वटायदारों का पट्ट पर जमान दन वा प्रचलन बढ़ता जा रहा था। २५०-२५० इम्बी के आस पास के एक पल्लव भूमिन्दान-पत्र से ज्ञात होता है कि जब एक भूमि घण्ड आद्याणा को नान कर दिया गया तब भी चार आधिक (वटायनार) पहले की ही तरह उस पर बने रहे।^४ सम्बद्ध है ये लोग गूद रह हो।

साक्षी देने के लिए अनुपयुक्त व्यक्तियों की सूची म नारद ने कीनाथ (किसान) को भी शामिल किया है।^५ सातवीं शताब्दी वा एक भाष्यकार कीनानां नाद का अर्थ गूद बताता है।^६ इससे प्रकट होता है कि किसानों को गूद माना जाता था। बहस्पति ने खतों की सीमा से सम्बद्ध वत झगड़ों में अगुआ की तरह वाम करनेवाले गूद्रा को बहुत कठोर शारीरिक दण्ड देने का विवान किया है।^७ इससे भी यह निष्क्रिय निकलता है कि शूद्रों के पास खेत थे। और फिर अत मे ह्लसाग ने भी गूद्रा का कृपक कहा है।^८ इस बान का पुष्टिदसवीं शताब्दी से पूर्व सकलित नरसिंह पुराण से भी होती है।^९ इस प्रकार गूद्रों के बाश्तकारी वा धाधा अपनाने की महत्वपूर्ण प्रवत्ति गुप्त काल में ग्राम्य हुई और सातवीं शताब्दी के मध्य तक पूरी तरह सम्पन्न हो गई।

१ नाति पव ६० २४ २६ ६२२।

२ २६ ६।

३ मनु समिति ४ २५३ विष्णु पुराण ५७ १६ यानवल्क्य, १ १६६।

४ ए० इ० १ न० १ पकिति ३६।

५ ११८।

६ हिं १० इ० १० पी० २ २५६।

७ नागद सूत्रिनि (११८) पर असहाय का भाष्य।

८ १६६।

९ वाटस, अर्णव युश्मान च्छाम द्रेवेन्स इन इनिया १ १६८।

१० ५८ १० १५।

यह मत कि शृंगार-वग म अधिकाशत 'गूढ़ लोग ही थे,'^१ गुप्त वाल और मुस्तोत्तर वाल पर अधिक घटता है और उससे पहले के वाल पर वर्म। इस तरह शूद्रा का दास। और नमिका की स्थिति से निकल कर क्षपका की स्थिति म आना सामृतवाद के उदय की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कारक तत्व माना जाना चाहिए।

जान पड़ता है 'गूढ़ काश्तकारा' का बूमि-दान दिया जाना अन्डा नहीं लगता था। यहा जिल म प्राप्त भव्य छठी गता-गी के एक दानपत्र म वहा गया है कि इस शूद्रा से बचाना चाहिए। उसमें प्रयुक्त 'गूढ़करेदरशुण' नाम से ऐसा ही प्रबट होता है।^२ यहा रुढ़ि के अनुसार दाता अपन वशजों तथा अय लागा को भी यह निर्देश तो देता है कि व ग्रहीता द्वारा दान मे ग्राप्त सम्पत्ति के उपभोग म कोइ वाधा नहीं पहुचायें साय ही वह उसे 'गूदों म भा बधान की आवश्यकता बताता है। यहाँ दान म दो गई सम्पत्ति को ऊपर के वग का और से तो खतरा बताया ही गया है, निचल वग की ओर से भी उसे खतरा बनाया गया है। किंतु बाद के किसी भी दानपत्र भ उक्त शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। इससे लगता है कि किसानों के बीच यामिक दानों के आध्यात्मिक महत्व का धीरे धीर प्रचार किया गया जिसम ऐस दानों के प्रति उनका विरोध बहुत कुछ वर्म हो गया।

✓^३माय-बालीन यूरोप म सामृतवाद स्वतंत्र आत्म निभर आर्थिक इकाइया के उदय के बारण पनपा। भूमि अनुदाना और कुछ अय कारणों से भारत म भी ऐसी इकाइया का उदय हुआ। ग्रहीतामा को तरह-तरह के आर्थिक अधिकार होते थे जिनके परिणामस्वरूप दान किये गय थे त्रा और केंद्रीय सत्ता के बीच के तमाम आर्थिक व्यवहार खण्डन हो गय। अपनी अय-व्यवस्था का कायम रखन और विकसित करने के लिए वे केंद्रीय सरकार के अपनों की अपना स्थानीय बारीगरा और वाश्तकारा पर अधिक निभर रहते थे।

१ कै० हिं० इ० १ २६८।

२ ज० ए० सौ० ब०, पू० मि० ५(१६०६) १६४। महाराज नांदन क अमोना-ताम्रशासन (ए० इ०, १०, न० १०) का सम्पादन करत हुए टी० ब्लॉव ने कहा है कि इस शार्च समुच्चय का 'शूद्र वेनोत्कीणम्' परना चाहिए। लविन ऐसा मानन का कोई बारण नहीं दिखायी दता। स्पष्ट ही उसे 'गूढ़करेदरशुण' ही पड़ा जा सकता है, यद्यपि यह आगुढ़ समृद्ध है।

प्रहीता सोग तमाम न्यानीय वर्तों के हृदार पे, प्रीर इन चरा मे प्राप्त राणि
वा मुछ था वे अवश्य ही न्यानीय कायों मे सकते होंगे। किंतु वा, व जा
रेन जोतन ये उनसे गीत कर रखने का मुश्य उँ ए यही था कि गीत की
आत्मनिभर अध्यवस्था अधुणा रहे। दीज विहार मे इम उर्दैय के अध्यान
मे रख कर एक प्रीर भी सावधानी बरती जाती थी। समुद्र गुल के नाम मे
जानी तोर दर जारी निय गद दो हातपाल म, तिन गातयों का आठारा मा
का माना जा गवता है अपहारित मे वहा गया है कि वह विनी दूसरा गीत म
ऐसे विसाना प्रीर कम्परा के दान मे मिस गीत म नहीं थान दे जा उग गीर
मे पर आर्द्ध दे रहे हा।^१ अपहार म प्राप्त गीत राजकीय करो प्रीर गुला म
मुक्त हृषा बरते ये इतनिए आग पास के गीत। म रहनेवाल सोग अवभावत
अपने गीत छोड कर एग गीत म जा यसोंके लिए वह उमुक रहते प। सकिन
आगर उहें इस तरह अपन पुरान गीर छोड कर जार निय जाता तो राज्य
राजस्व स तो बचित रह ही जाता, गाप ही जिन गीतों क। छोड कर ये अपहारा
म बगत उन गीतों की अध्यवस्था भी पस्त अपन हो जाती। अनाय गीतों
की आत्मनिभर अध्यवस्था वो कायम रखने मे इम प्रकार का प्रतिष्ठाप
सहायक सिद्ध होना था।

प्रीर जो गीत दान नहीं बिय गदे ये और इसलिए ऐसे किसी प्रहीता के
अधीन नहीं, बल्कि आम प्रधान के अधीन ये उनसी हिति भी इससे मुछ
मिन नहीं थी। इम देव घुबे हैं कि यात्स्यायन पे क्षमसूत्र के अनुसार श्रम
प्रधान हृषक लियो क। बेवक अपने यता मे काम बरने के लिए ही नहीं बल्कि
सूत बातने के लिए भी याध्य कर सकता था जिसस उसे प्रवनी जहरत के
बपड बाहर स न खरीने पड़े।^२ इस प्रकार जो चीजें तथार की जानी थीं
उनमे स मुछ देखी भी जाती थी, किन्तु उनकी विश्रो भी सम्बिप्त गीत के
निकालिया की मोटी मोटी जहरत पूरी करने के लिए ही होती था।^३ मोय
बाल म जहाँ व्यापार और उद्योग का नियमन राज्य बरता था अब उनकी
अवस्था के द्वीय नियन्त्रण से मुक्त स्थानीय आदिव इकाइयों के प्रधान बरने
लगे थे।

^१ का० इ० इ०, ^२ न ६० परिचय १० १३।

^२ ५५२।

^३ वही।

ऐसी आत्म निभर आधिक इशाइयाँ बनती जा रही थीं, इसका एक प्रमाण यह है कि गुप्त काल से आम चलन की मुद्राएँ बहुत कम सूखा में मिलती हैं। आम चलन की मुद्राओं की कमी से पता चलता है कि आन्तरिक ध्यापार पट रहा था और स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्थानीय तौर पर सामान तयार करने की आवश्यकता बढ़ रही थी।^१ इससे पहली भी मालूम पटता है कि वेद्र की सत्ता कमजोर होती जा रही थी और वह धीरे धीरे अपने कमचारियों को नकद वेतन न देकर जिसके स्थान में वेतन देने अथवा राजस्व का कुछ हिस्सा उनको सौंप दन का तरीका अपना रहा था। मारतीय-बिट्राई शासक, और विशेषकर कुपाण राजाओं ने तांवे के सिक्के प्रचुर मात्रा में जारी किये। पजाव में स्पष्टत इन सिक्कों का आम चलन या आदि यदा कदा तो य बहुत पूर्व में, बिहार के बबसर मव डिवीजन तक में मिलते हैं। किन्तु कुमार गुप्त के अलावा आज गुप्त सभ्राटा ने तांव के बहुत कम सिक्के जारी किये। इस प्रकार फाहियान वा यह कथन सत्य ही जान पड़ता है कि कौडियाँ विनिमय के आम सापन थीं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भी कि तांव कीमती धातुओं की अपेक्षा अधिक क्षरणशील होता है, गुप्त काल में तांवे के सिक्कों का अपकाहृत अभाव होने से प्रवट होता है कि इस काल में मुद्रा पर आधारित धर्य-यवस्या की घड़े उछड़ती जा रही थीं।

ईसी सन की प्रथम दो ग्राहनियों में राजा महाराजा और सामाय जन भी मिलते हैं, ग्राहण आदि को नकद दान दिया करते थे, किन्तु गुप्तोत्तर काल में वे भग्न भूमि अनुदान वा सहारा लेने लगे थे। इससे भी इस बात का सबैत मिलता है कि इस काल में मुद्राओं के चलन में उत्तरोत्तर अधिकाधिक कमी आती जा रही थी। पूर्ववर्ती काल में सातवाहन राजाओं ने भूमि अनुदान बहुत कम दिया और कुपाण राजाओं ने तो ऐसा कोई अनुदान दिया ही नहीं। कुपाण और सातवाहनों के राज्य में भी शिल्पियों और वणिकों के मध्ये का पार्मिक कार्यों में लगाने के लिए नकद अनुदान दिये जाते थे। फिर, हृषीकेश काल का तो ऐसा कोई भी सिक्का नहीं मिलता जिसके विषय में निश्चयपूर्वक

^१ ऐसा जान पड़ता है कि मध्य काल के प्रारम्भ में जो देश के बाहर उपनिवेश वसाने और विदेशी पापार के चपक्रम हुए व तटवर्ती क्षेत्रों के साहसी लोगों तक ही सीमित थे और उनसे आन्तरिक अथ-यवस्या में कोई विदेश प्रतर नहीं पड़ा।

बहा जा सके कि यह ग्रन्थ राजवा ने जारी किया था। इस कान म भारत यत्नमी के मन्त्रक राजवा का हा कुछ सिवरा जारी बरन का अध्ययन किया गया है। लेकिन, ठीक से देखा परेंगा जाए तो उ ह भी यत्नमा मुश्त मानना धार्य कठिन ही होगा, क्याकि वे वास्तव म गुप्त-चाल का हैं और गुप्ता की मुद्राओं से बहुत मिलती नुस्खी हैं।^१ बार रम्पटिया म मुश्त के घना का उत्तरण मिलता है, भूमि चानपत्रा म भी हिरण्य के रूप म कर सकान और यसूल बरन की चर्चा है और कुछ प्रभिलेपा म भी निमाण अध्ययन और कुछ खोजा की शीर्षकों सिवरा म बताई गई हैं, जिन्हें वास्तव म ऐसे सिवरा व्युत्त वर्म मिल हैं जिन्हें इस बाल का माना जा सकता है। दरमसल ६०० ईस्वी म सन्दर ६०० ईस्वी तक के काल म मुद्रा के भारत बहुत-से विद्वानों का ध्यान गया है।^२ साहित्यिक सूत्रा म सिवरा के जो उल्लेख हुए हैं^३ उह प्रधिका महत्व नहीं किया जा सकता क्याकि इनम से प्रधिकारा कृतियाँ दमवी दाता की क्याद की हैं। इसलिए यह स्पष्ट है कि हृष्वधन व समय से सिवरा का चलार आम तौर पर बहुत वर्म हो गया। इससे यही निष्पत्ति निर्मलता है कि व्यापार म बहुत कमी आ गयी और शहरी जीवन समाप्त होन लगा। ईरान म भी कुछ ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हा गई थी और इस बात म भारत और ईरान म बहुत कुछ साम्य देखा जा सकता है।

गुप्त काल की आर्थिक स्थिति पर हाल ही म प्रवासित एक वृति म दियाया गया है कि रोम साम्राज्य के पतन और बैंजन्तिया साम्राज्य के साथ फारसी साम्राज्य की प्रतिद्वंद्विता के कारण भारत का अतर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत बहुत हो गया और अब उसकी वह स्थिति नहीं रह गई जो पहली गतांशी म थी, जब लीनी ने क्षोभ के साथ कहा था कि भारतीय सामान के पीछे रोम का पसा बहु बार विदेशी म जाता है।^४ इस व्यापार की दो सबसे महत्वपूर्ण सामग्री म से

१ डा० पी० एल० गुप्त ने अपना विचार बताते हुए मुझे ऐसा ही सूचित किया है।

२ सी० जे० आउन द बवाह-सर्कार इंडिया पृष्ठ ५०, मिलाइए पृष्ठ ५५ से।

३ एल० गोपाल न ज० यु० सो० इ०, २५, भाग १ म लिखे भपने एक नर म महत्वपूर्ण साहित्यिक सूत्रों का उल्लेख किया है।

४ एस० के० मती, द इरनोनिस लाल० और नैदून इंडिया नं गुप्त एरियड, पृष्ठ १२६।

एक थी फारसी सौभाग्य के जरिय भारत से बाहर भेजा जाने वाला रेगमी कपड़ा और दूसरी थी मसाला।^१ यजर्तिया साम्राज्य में रेगमी कपड़े के व्यापार का स्थान इतना महत्वपूर्ण था कि सारे देश में उसकी कामता का नियमन करने के लिए जस्टीनियन (५२७-६५) ने एसा कानून बना दिया था कि एक पौँड रेगमी कपड़े की कीमत साने के आठ सिक्का से ज्यादा नहीं ली जाय, और जो बोई इस नियम का उल्लंघन करेगा उसकी सारी सम्पत्ति जन्म कर ली जायगी।^२ फारसी व्यापारी उसके साम्राज्य में रेगमी वस्त्रों का मनमानी कीमत पर बेचते थे, जिससे दश वा बहुत सारा धन वह कर फारसिया के हाथों में चला जाता था। इस रोकने के लिए उसने यूथोपियावालों के सामने यह प्रस्ताव रखा कि वे भारत से रेगमी वस्त्र खरीद कर रोमवालों के बीच बचें, यद्यपि इससे उह भी काफी लाम होगा और रोमवाले भी अपना पसा एक शत्रु दश के लोगों के हाथों में दन स बच जायेंग।^३ लेकिन यूथोपियावालों द्वारा भारत से रेगमी वस्त्र खरीद पाना असम्भव जान पड़ा यद्यपि फारसवाल पूर्व के बहराहा पर, जहा भारतीय जहाज पहले पहल आकर रखते थे सारा माल खरीद लेते थे और दश तरह उन वस्तुओं की मात्रा की पूर्ति पर पूरी तरह एकाविकार स्थापित कर लेते थे।^४ इससे स्पष्ट है कि पहली शताब्दी में भारत जिस तरह मसाला से विद्यु द्रव्य अजित विया करता था उसी तरह छठा शताब्दी में पूर्वाध में वह रेशमी वस्त्रों से विद्यु धन प्राप्त करता था। प्रथम शताब्दी में रोम साम्राज्य से जो साना विदेशी को जाता था, उसे तो कानून बनाकर रोक दिया गया, किंतु यजर्तिया शासन वाल में कूटनीति का सहारा लेने पर भी सोने वाले इस वहाव को रोका नहीं जा सका। इसका समाधान ४५१ ईस्वी में मिल पाया जब रेगम पदा करनेवाले बीड़े धन माम से छिप तौर पर चीन से वजनिया साम्राज्य भलाय गये।^५ वहाके लोगों के बीच रेशम वाली बीड़ा को पालने की कला फलने में शायद पचास वर्ष और लग होगे, और छठी शताब्दी के आठ तक उहाने पूर्व से रेशमी वस्त्र प्राप्त करने की समस्या

१ एस० के० मती द इरनॉनिस लाइफ ऑफ नॉर्डर्न इडिया इन मुस्त पीलिंग, पृष्ठ १३६ व।

२ वही पृष्ठ १३७।

३ रिचर्ड पकहस्ट, इट्राक्ट्यून टु इर्नॉनिस टिस्ट्री ऑफ इडिया, पृष्ठ ४६।

४ वही, पृष्ठ ४६-४७।

५ वही पृष्ठ ४७।

पूरी तरह हल कर ली होगी। इससे भारत के विदेशी यापार को, और विशेष पर उत्तर भारत के विदेशी यापार को बहुत धक्का लगा क्योंकि उत्तर भारत में तो विदेशी व्यापार रेशमा वस्त्रा तक ही सीमित था। एक तो गुप्त काल तक पश्चिमोत्तर भारत का विदेशी यापार या ही बहुत कम हा गया था। उम्म पर जब बजतिया साम्राज्य न इसके रेशमी वस्त्रा का आयात बढ़ कर दिया तब इसकी स्थिति और भी खराब हो गई। जब तक कोई और चीज रेशमी वस्त्रा का स्थान नहीं लेती तब तक विदेशी यापार को पुन विप्रियित करने का कोई उपाय नहीं था, और उम्म मन्दी अनिवाय थी।

इस्लाम के झण्डे के नीचे अरबों के प्रसार के कारण भी भारत के विदेशी व्यापार म कमी आई होगी। पश्चिमी एशिया मिस्र और पूर्वी यूरोप के राज्यों म अरबों के विजय अभियानों के कारण बहुत उथल पुथल मचा हुई थी। पश्चिम के देशों के साथ भारत के यापार पर इस स्थिति का प्रतिक्रिया प्रभाव पड़ना अनिवाय था। जसा कि जागे चल कर दखन जब अरब लोग इन देशों म और सिंध म शासकों के रूप म जम गय तब जाकर अर्थात् हिजरी सन की तीसरी गतांशी से विदेशी यापार में फिर तेजी आने लगी। लेकिन इस बीच इसरे हास को रोकन वाली काई चीज नहीं थी। इस प्रकार इस बात के स्पष्ट सबूत मिलते हैं कि गुप्त काल की समाप्ति के समय से और विशेष कर सातवीं गतांशी के पूर्वावधि स पश्चिमोत्तर भारत का विदेशी यापार होसामुख हो चला था।

गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद की सदी में चीन के साथ भारत का व्यापार वर्षा पर उससे बजतिया साम्राज्य के साथ यापार बढ़ हुआ जाने के कारण हानिवाली क्षति कहीं तक पूरी हापाई यह कहना बठिन है। नीची या दमवीं गतांशी के एक चीनी विवरण से जात होता है कि सातवा गतांशी में चीन में भारतीय व्यापारी और भारत में चीनी व्यापारी मोजूद थे।^१ लेकिन इन दोनों देशों का पारस्परिक व्यापार विलासिता की वस्तुओं तक ही सीमित जान पड़ता है और प्रान्तरिक लन-ट्रेन में चीनी विवरण में जो बौद्धिया के चलते

^१ एन० सी० सन-हृत प्लाट्टम और इटिया पण्ड काश्मार न द हाइनेमिन्ह दिट्रीन और द तां पीरियट, जो विवर भारती विश्वविद्यालय गतिनिष्ठेतन की ओर स प्रकाशित होने वाला है।

वा उ-नव मिलता है, उससे विदशी व्यापार को निक्षय हो कोई उनेजन नहीं मिला होगा।

आर्तिक वाणिज्य-व्यापार के नाम पर जो कुछ शेष रह गया था, वह भी सामनवादी ढाँचे में ढल गया। निष्पिया और विषिका वे सधों के काय वलापा के सम्बन्ध में स्मृतिया में विस्तारपूर्वक जो नियम निर्धारित किय गय हैं, उनसे यह बन स्पष्ट हो जाती है। राजा से न केवल इन सधों के नियमों के पालन की, बन्हि दूसरा से उनका पालन करवाने की भी अपभ्या की गई है। यह बनलाता है कि कांद्रीय मत्ता कमज़ार हो रही थी। बहस्पति का तो बहना है कि सधों के प्रधान दूसरे लोगों के साथ सम्बन्ध यात्रम जो भी कारबाई वरे उसका अनुमोदन करना राजा का कर्ताय है।^१

वास्तव म स्थिति क्या थी इसका अनुमान पश्चिमी भारत के तटवर्ती क्षेत्रों के राजाओं द्वारा व्यापारियों के सधों को दी गई सनदा से लगाया जा सकता है। ये सनद छठी शताब्दी के अंतिम वर्षों और आठवीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों के बीच जारी की गई थी। इनमें से पहली सनद का अनुवाद पहले तो निराच द्वारा सरकार न किया^२ और वार्ष म अपनी टिप्पणियों के साथ साध दामादार को प्रस्तुती न।^३ इस सनद से मालम होता है कि ये व्यापारी किस प्रकार दो वस्तुओं का व्यापार करते थे। इनमें मध्य शब्द नील अदरब, तल अपडे, लरनी लोह और चमड़े आदि के सामान के व्यापार का उल्लेख है।^४ इसमें राज्य मूरेया और नाप-नील का नियमन तो करना है^५ किंतु उम्बा नियन्त्रण उतना बड़ा नहीं है जितने कड़े नियन्त्रण का विधान कीटिल्य ने किया है। बुल मिलाकर व्यापारियों के निकाय को काफी स्वतंत्रता दी गई है। उन्हें कई तरह के गुन्का से भाफी दी गई है और वे अपने श्रमिकों, चरवाहों आदि^६ साथ इच्छापूर्सार व्यवहार करने को स्वतंत्र हैं।^७ उन्हें लोहारा, चुनकरा, नाइया, कुम्हारा तथा अन्य निष्पिया से बगार लेने का भी अधिकार

^१ बृहस्पति-मृति १७ १८।

^२ ए० इ० ३०, १६३ ८१।

^३ ज० इ० स०० हि० आ० २ २८१ ६३।

^४ वही, २८५।

^५ ए०, इ०, ३०, न० ३०, पति १०।

^६ वही पक्ति ८।

दिया गया है। विंतु व्यापारियों वे अलग प्रत्यग गधा के लिए एक दूसरे के साथ स्पर्धा करने की गजाइश नहीं छोड़ी गई है, क्योंकि वे एक ही बाजार में व्यापार नहीं कर सकते।^१ भव्यता कुछ निल्पी व्यापारियों से यह गमना जहर रखी गई है कि वे प्रपत्ते सामान साधारण प्राहृता के हाथा जिस मूल्य पर बेचते हैं, उससे आधे मूल्य पर राज्य को दें^२ तथा कुछ दूसरे लोगों ने उसके बदले अपना अम देने को कहा गया है। इसके प्रतिक्रिया से यह गमना कई उरह के सीमाकर चुंगी और विश्वनार दना आवश्यक है विंतु उसके भी उरह भी यह सुविधा दी गई है कि उनके खेत में राज्याधिकारीगण प्रवर्ण नहीं कर सकते और उनके खेत के लिए उरह कोई शुल्क और खुराक नहीं दिनी पड़ेगी।^३ पुरु हीन व्यापारी की सम्पत्ति अपने हाथ में लेने का अधिकार भी राज्य छोड़ देता है जब कि व्यापत्ति समति भी उस यह प्रधिकार दिया गया है और शाकु तत्त्वम् में इसके प्रयोग का भी प्रमाण मिलता है। विण्डपाम को दी गई ये सुविधाएं कुछ उसी प्रकार की हैं जिस प्रकार की सुविधाएं ईस्वी सन की प्रारम्भिक मदिया से ही महादरों और बाहुणों को दी जा रही थीं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि टट्वर्ती खेतों में स्वतंत्र आधिक इकाईयाँ उभर रही थीं। सातवीं शताब्दी में ऐसी कोई सनद नहीं मिलती कि विंतु कोकण क्षेत्र के चानुक्य नपति हारा आठवीं शताब्दी के प्रारम्भ में जारी की गई दा सनदा से स्पष्ट हो जाता है कि व्यापारियों की व्येणिया का महत्व बढ़ गया था। उरहें गमन वारोबार की व्यवस्था आप ही करने की पूरी छूट थी। एक सनद में एक महादर की आठ गाँव और बहुत सा धन दिया गया। इनकी व्यवस्था का अधिकार स्थानीय व्यापारियों के पांच पांच या दस दस के समूहों को प्रदान किया गया, तथा इन व्यापारियों को वायिक धार्मिक शोभायात्राओं का प्रबंध करने

१ ए० इ० ३० न० ३० पक्ति २८।
२ कामसबी न सर्वधेनिनाऽच्चवापणर् त देय (ए० इ० ३०, न० ३०, पक्ति ६) का प्रथ यह लगाया है कि सभी व्येणियों को एक ही उरह का व्यापारिक शुल्क नहीं देना है (ज० इ० सो०हि० ग्रा० २ २५६) लेकिन इससे आग के अपने अर्पण स०३ व्येणियि खोवा (^१) दानम् न दात व्येण को देखते हुए ऐसा प्रथ करना ठीक नहीं लगता।

३ ए० इ० ३० न० ३० पक्ति २८।
४ वही पक्ति ६६।

का निर्देश दिया गया और उहें चुंगी तथा राज्याधिकारियों के लिए रसद जुटाने के दायित्व से मुक्त कर दिया गया।^१ दूसरे मामले में एक उजड़ा शहर बसा कर पढोस के तीन गाँवों के साथ दो व्यापारियों को दे दिया गया, और उहें एक प्रकार की म्युनिसिपल सनद प्रदान की गई। इन व्यापारियों को मोगशक्ति के राज्य में सदा के लिए सभी प्रकार की चुंगियों से छठ दे दी गई और यदि वे दुनिया से पुत्र हीन ही चल बसते तो भी राजा को उनकी सम्पत्ति स्वायत्त बरने का अधिकार नहीं था और न राज्याधिकारी लोग उनके घरों में प्रवेश करके उनसे अपने लिए खच लुटाकर ही मांग सकते थे।^२ इतना ज़रूर है कि व्यापिचार करने अथवा किसी को खोट पहुंचाने के अपराध में व्यापारिया पर जुर्माना किया जा सकता था कि तु ऐसे मामला के निण्य का अधिकार भी शहर के आठ या सोलह थेठ जनों के हाथों में ही था।^३

इन सनदों के सम्बन्ध में तोन बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली बात तो यह है कि ये अनुदान शिल्पियों को नहीं, बल्कि व्यापारियों को दिय गय और दान में दी गई सम्पत्ति अथवा शहर की व्यवस्था का अधिकार उहीं में से कुछ व्यापारियों का दे रखा गया। ऐसे व्यवस्थापकों की साथा वहस्तनि की स्मृति भी विहित सद्या से मिलती जुलती है। वहस्तनि के अनुसार दो, तीन या पांच व्यक्तियों को श्रेणि का परामर्शदाता नियुक्त बरना चाहिए।^४ दूसरी बात यह है कि इन सनदों ने व्यापारियों के सिर गाँवों के प्रबाध का बोझ ढाल दिया। इन व्यापारियों को सनद से प्राप्त गाँवों में सभी वहीं रियायतें और मुविधाएँ प्राप्त थीं जिनका उपभोग। पुरोहित और गायद सामन्त सरदार भी उन गाँवों में बरते थे जो उहें अनुदान में मिले हुए थे। परंतु चूंकि वे गाँवों के प्रबाध में व्यस्त थे, इसलिए वे अपना पूरा ध्यान अपने व्यापार की ओर नहीं दे पाते थे। इन सनदों से प्रकट होता है कि ये व्यापारी भी सामन्त वादी सीच में ढल रहे थे क्योंकि इन सनदों के बारण एक प्रकार से भी भूमिघर मध्यवर्ती लोग बनते जा रहे थे। तीसरी बात यह थी कि प्रत्यक्ष श्रेणि की गतिविधियाँ उसके अपने कानून तक ही सीमित रहती थीं, जिससे एक

^१ का० इ० ८० ८ न ३१, पत्रिया० २५ ४६, ५६ ६२।

^२ वही, ३२, पत्रिया० २७ ३८।

^३ वही।

^४ १७ १०।

थ्रेणि के लिए दूसरे से होड़ करने की गुजाइश नहीं रह गई थी। यह मध्य काल की गतिहीन प्रथाव्यवस्था की तास बिरोपना थी।

कुछ कुछ इसी प्रकार की एक चीजी सनद मसूर के घारवार जिते भूमियों है। यह लगभग ७२५ म जारी की गई थी। दाता है बादामी वा बालुक्य युवराज विक्रमादित्य और यहीता पोर्टिगिरि के प्रथात बतमान लम्भेश्वर शहर के, महाजन (प्रमुख ब्राह्मण नामारिक?)। इसमें राजकमचारियों और उस शहर के निवासियों के पारस्परिक दायित्वा का निर्देश किया गया है।^१ राजघोपणामा का पातन से कहा गया है कि वे राजकीय दाना की रक्षा करें राजघोपणामा का पातन ब्राह्मण, लाली घरा की देख भाल करें, (सम्पत्ति क) उपभोग म जिसी प्रकार वा विद्युत नहीं पड़ने दें आदि।^२ दूसरी आर नार वे हर परिवार को जिते के द्वासकाको कर देने की हिदायत दी गई है।^३ ऐसा जान पड़ता है कि (महाबनो की) थ्रेणि से मात्र इस दायित्व के निवाह की अपेक्षा रखते हुए उसे यह प्रथा बार दें दिया गया है कि वह गट्टस्था की आर्थिक हिति के अनुसार उन पर बर लगा सकती है चोरी छोट मोट दुरुचारा और दसा अपराधा के लिए लोगों पर जुर्माना कर सकती है।^४ शहर म कई और भी थ्रेणियों की सम्पत्ति को सम्पन्नी सम्पन्नी है सियत के मुताविक ठठेरा की थ्रेणिया है क्योंकि हर परिवार गया है। यह सनद थ्रेणियों की बढ़ती हुई शक्ति और आत्मनिभरता का स्पष्ट सबैन देती है। उह शहर के लोगों से केवल धार्मिक बर ही नहीं धर्मेतर कर वसूल करने का भी अधिकार दिया गया है।

युपत-जाल म ऐसा एक भी उदाहरण नहीं मिलता जब चुंगी और महसूल से होनेवाली आय मदिरों को अनुदान में दे दी गई हो। राजा और सरदार लोग धार्मिक प्रयोजनों के लिए कुछ नकद देशर स नोप कर लेते थे।^५ ऐसा लगता है कि एक प्रमाण पर यह राजा पांच व्यक्तियों की एक समिति को सौप दी गई।^६ इससे प्रबंध होता है इस सम्बन्ध म बुपाण कालीन

१ प० ६०, १८ न० १४।

२ वही, १८६।

३ वही १८०।

४ वही।

५ का० ६० ६० ३ न० ५७८।

६ वही न० ५ मिलाइए ज० ६० स० हि० भ०० २ २८३ से।

रीति प्रबंध भी जारी थी। उन दिनों मध्य भारत और दक्षिण भारत के पश्चिमी हिस्से में बहुत सी श्रेणिया धार्मिक प्रयोजनों से दी गई राणियों के थातीदारा का काम करती थी और उन राणियों पर व्याज भी दिया करती थी।

पश्चिमी भारत में गुप्त काल से पूर्व गिलिपियों की सम्मानित थी, मार एमा नहीं है कि गुप्त काल में या उसके बाद वे विलकुल समाप्त हो गए। इन्हें उस क्षेत्र में उह कभी भी काई सनद नहीं दी गई और जितनी भी सनद दी गई, सब व्यापारियों की श्रेणियों का ही दी गई। ऐसी सनद सबसे पहले गुप्त काल के अन्तिम दिनों में जारी की गई। इस सनद से प्रकट होता है कि जिस प्रकार पुराहिना और मंदिरों को वृषभों पर सत्ता दे दी जाती थी, उभी प्रकार व्यापारियों को भी गिलिपियों पर सत्ता चलाने का अधिकार दे दिया जाता था। मंदिरों और पुराहिनों का दिय गय दानपत्रों का मतलब होता था ग्रामीण क्षेत्र में राजकीय सत्ता का त्याग और व्यापारियों को दी गयी सनदों का मतलब होता था शहरी इलाके में उसका त्याग। पहले मामले में ग्रहीताओं की जमीनों का पूरा बरन के लिए नान की गई भूमि के साथ किसान लोग भी उह सौप दिय जाते थे और दूसरे मामले में व्यापारी ग्रहीताओं की आवश्यकताओं का ध्यान में रखत हुए उह धर्मिक और गिलिपियों पर पूरा अधिकार दे दिया जाता था। पहले मामले में जहाँ पुराहिनों को ग्रामीण आबादी पर कर लगान का अधिकार होता था वह दूसरे मामले में कालनाम से महाजनों को भी गहरी लोगों पर कर लगाने का अधिकार दिया जाने लगा। जो भी हो पश्चिमी भारत और कर्नाटक के राजाओं द्वारा जारी की गई सनदों की तुलना मध्ययुगीन यूरोप में ऐसे ही सघों का दी गई सामातवादी सनदों से जा सकती है। और इन सनदों तथा धर्मशास्त्रों में विहिन नियमों से इस बात का सम्बन्ध मिलता है कि व्यापारियों की श्रेणिया राजकीय नियावरण से अधिकाधिक स्वतंत्र होती जा रही थीं और उत्तरोत्तर आत्मनिभर भी बनती जा रही थीं।

मौर्योत्तर काल और गुप्त काल में नियम अपने सिव्वों जारी किया करते थे। यह बात भी स्वतंत्र और आत्मनिभर अधिक इकाइयों के उत्पन्न का प्रमाण प्रस्तुत करती है। इससे दाक का जनीतिक दफ्तर से छोटे छोटे टुकड़ा में बैठ जाने की प्रवत्ति वो और उत्तरजन मिला क्योंकि सिव्वों जारी करना प्रभुमत्ताधारी का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण काम था। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि नालादा के गाँवों ने अपनी मुहरें जारी की थीं और गुप्त-काल में भी

ए परोपकारो जाति का कर्ता न हो ।^१ यहके इन दाता का एकें अमाना है ति य गोपन न सबसे राजप्रीति विरुद्ध होता है, यहि ए प्राप्तिर्विरुद्ध निभर इकाइया के स्वरूप यह है : एक जाति जाति के एक सम्मुखीय सार एकी मुद्रा की तो परमाणु जा गया है । यह इनके पीछे घोर मुद्रे के लिए लिखा ही जाती बरता है जिन्हें उत्तराधिकार का एक भौतिक वास्तविक सम्मेलन है ।

गृह्ण कास म लिखाई का वाप भारतीय इकाइया के इन दाता या । वीटिल्य के परमाणु म विरुद्ध द्रव्यार को लिखा है कि इकाइया द्वारा राज्य को इष्य जात्यापि शुक्ल लिखाईया लिखे गए हैं । यह द्रव्य इन्हाँ हैं कि लिखाई की व्यवस्था मुख्यतः राज्यकरण या । इकाइयोंके विरुद्ध म भा जाए हुआ है कि राज्य लिखाई लिखी जा रखा जाए या । यह राज्य एकाइया (लगभग १५० ईश्वी) जाता जाए है कि उनके प्राप्त वरका^२ द्वारा लिखा कर लगाये और उम्मी बगार इष्य दिया गोपाल्यु के अधिक यु । तो गोपर का जीर्णोद्धार करवाया । यह यहाँ म यह लिखाई की सर्वाधिक प्रभावी एक लिखाई की थी । लेकिन दूसरी गोपका प्रारम्भिक वर्णन न ही जाए । यहाँ लिखाई म सिचाई के सबसे म प्राप्ती घार रोपन करता हुए कर दिया या । हावन आइसोस्टिम (लगभग १०० १७६८ ईश्वी) इहता है कि भारत म यही घोर दोगी निश्चया से पानी लाने के लिए लोग शुक्ल वृद्धि गतान बनाया रहा है ।^३ प्राप्त घनकर वह स्पति की स्मृति म बहाए गया है कि लिखाई के द्वारा दो राज धरियाँ का करनी चाहिए । सामग्री के भ्रमाय म हम इस प्रतियोगी का निहारा तो वही जामानत लेकिन जब एक बार यह प्रवति प्रारम्भ हो गई तो निश्चय या कि इससे कट्टीय सत्ता की जड़ें अमज़ार होगी और स्वतंत्र याधिकर इकाइया के उत्तर म सहायता मिलेगी ।

। ऊपर के विश्लेषण के आधार पर हम युछ माट निष्क्रिय निकाल सकते हैं । भारत म राजनीतिक सत्ता के विकेंद्रोक्तरण का वारण वह नहीं था जो युरोप

१ मंजुमदार और अलतेकर द वाराटक गुप्त एज पट्ठ २६० ।

२ ओरेण्डियो ३५ ४३४, भक्तिर्विल एगिस्ट ए विष्णु पेज रिस्ट्राइन्ड इन क्लामिस्टल लिन्वरेचर पट्ठ १७५ ।

३ वीरमित्रोदय (पट्ठ ४२६ मे) मित्र मित्र इसे 'कुस्त्यायन निरोध' पढ़ते हैं, किंतु नहस्पति स्मृति (१७ ११ १२) म यह 'कुम्यानाम् निरोध' है ।

मेरा था । यहाँ यह परिवर्तन मनिक सवा प्रदान करनेवाला वो दी गई जागीरा का परिणाम नहीं था । यहाँ तो विकान्द्रीकरण की प्रवत्ति का सबसे बड़ा चारण द्वाहृणा और मर्दारा का भूमि घनुदान देना था । यह तो स्पष्ट ही है कि यूरोप की नरह यहा सामाजीकरण में विदेशी आक्रमणों का कोई विशेष हाथ नहीं था ।

द्वाहृणा का दान किये गये अप्रहार यूरोपीय जागीरा से कुछ बुच मिलते जुलने के क्याकि कही कही ग्रहीताशा का अपनी रथन से हर तरह का बगार उने का अधिकार दिया गया था । बेगारी प्रथा की व्याप्ति बहुत अधिक जान पड़ती है और ऐसा लगता है कि ग्राम प्रवान जा किसान स्त्रियों से अपन स्त्री और पुरा भ जबरन काम लेता था, यूरोपीय ढग का जागीरदार बनता जा रहा था । लेकिन, जहा यूराप में कुल मिलाकर किसानों का अपना बहुत सारा समय और क्षमित अपने प्रभु के खेना भ काम करने में लगानी पड़ती थी, वहा भारत के किसान अपना मधिकारा समय अपन ही सेतो पर काम करने में लगात थे और उनकी उपज का एक बहुत बड़ा हिस्सा ग्रहीताओं और दूसरे मध्यवर्ती लोगों के हाथों में चला जाता था । लेकिन, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता कि आधार पर कहा जा सके कि अधिकाश किसानों का सावका ऐसा मध्यवर्ती लोगों से पड़ता था । इसके विपरीत, स्वतंत्र किसानों की सत्या बहुत अधिक जान पड़ती है । किर, उपसाम नीकरण का सिलसिला भारत में उतना अधिक नहीं था जितना यूराप में था । इसलिए भूमि के असली जातदारों का केंद्रीय सरकार से बुच अप्रत्यक्ष सम्बन्ध बना हुआ था ।

✓ वानानुगत प्रशासकों के लिए पुरालेखा भ जिन शास्त्रों का प्रयोग हुआ है उहौं ठीक-ठीक समझ पाना बहुत बठिन है । किर भारत नस विशाल देश में, इस सद्भ में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग शास्त्रों का प्रयोग हुआ है । इसलिए भासाम तो सगठन की विभिन्न श्रेणियों के बारे में ठीक ठीक कुछ नहीं बहा जा सकता और न यही बताया जा सकता है कि साम त, उपरिक, भागिन प्रतीहार दण्डनायक आदि व एक दूसरे से क्या सम्बन्ध थे । लेकिन इनका तो अर्थात् है कि गुण काल के अंतिम दिनों भ, अर्थात् ५०० ईस्वी के भास पास तक वानानुगत मध्यवर्ती लोग अच्छी बासी सत्या में तयार हो गये थे और उन्हें चारण बहुत से स्वतंत्र किसानों की स्थिति अध-दासा के समान हा गई थी । लक्षित पहाँ वा साम ती ढीचा इग्लैड जितना जटिल नहीं था और न इसम उतनी श्रेणियों ही थी, जितनी हम इग्लैड के साम ती ढीच

म होता है। यद्यपि उनीं सातों के परीक्षण में भी युग्मीक गांधीजी की व्यवस्था के दृष्टि में उनका अधिकारी और कर्तव्य वा हम कार्ड टीक दीक जान रहा है। जो युग्मीक व्यवस्था का जो गठन है वह इसी एवं उसे बनाने अनुमति देता है।

मात्र युग्मीक व्यवस्था में राज्य की गति वर्तन के तुरंतार रूप से गांधी को भवि भी जानी चाही तो गति लाना चाहा है इस भारत में इसका बहुत सीधा था। युग्मीक व्यवस्था की गांधीजी व्यवस्था के लिए इस दृष्टि द्वारा अधिकारी को वाराणसी गंगाजी जाने साधा अपार् गांधीजी को इस जीवों दो जानी चाही थी। इन राज्य में यादव यह गांधीजी द्वारा पढ़ाइता जा रहा था कि शशीक व्यवस्था व्यापीक गांधीजी और अधिकारियों के उपभोग के नियम हैं तकिन आरम्भ में वे का विषय-तत्त्व नहीं जाना प्रवर्त्य था कि कैसे इन्हें भारत में इस प्रवति पर अद्युत रह गए। वाहिनी के विवरण में वह यह एक बात वह मनसव यह समाज जाना है इस राजा के अनुबरा और अन्यराजा को भूमि अनुदान मिल है एवं विन्दु यह मुख्य वारी विवाचान्तर है और वास्तविकता वैया है इस ठीक ठीक याता गर्वन की विधि में भी नहीं है। सक्रिय फिर हृदयांग जो भारत विवरण में याता चलतर कुछ ऐसी ही बात लिखी है उसकी सचाइ में सार्वत्र नहीं लिया जा सकता। हृदयांग के अनुमार कुल राजस्व का एक छोटाई भाग तो सीधे राज्य के पास चला जाना या लेनिन तीन छोटाई हिस्सों में से एक एक हिस्सा ब्रह्मा पुराहिता विद्वाना और राज्याधिकारियों के लिए गुरुगत राज सिया जाना चाही इससे यह निष्पत्ति निवाला जा सकता है इस सम्मूल राज्य की शासन-व्यवस्था चलाने वाले तमाम अधिकारियों के उपभोग के नियमित राजस्व का व्यवल एक छोटाई हिस्सा या। यह स्थिति मध्य युगीन यूरोप की स्थिति से बिल्कुल भिन्न है। वही तो किसी भी रामन की प्राप्तानिक देव रेण म जितना धोत्र होता था, उसका पूरा राजस्व उसी को प्राप्त रहता था। नात सिप इतनी रहती थी कि वह प्रपने अधीनस्थ लोकों से प्राप्त वर में से अपने प्रभु को नियमित रूप से कुछ नजर भेजता रहता।

सभप्र म हम वह सकत हैं कि सामाजिकाद की कुछ मोटी मोटी विशेषताएं गुप्त वाल और विशेषतर गुप्तात्मक वाल से दिखाई देने लगी थी। वे विशेषताएं इस प्रकार थी—परती और आबाद दानों तरह नीं जमीनें अनुदान म दता, अनुदान म दी गई भूमि के साथ साथ विसाना वा हस्तातरण वगारी प्रथा

का प्रसार, किसाना, शिल्पिया और व्यापारियों के अपनी इच्छानुसार जहाँ चाह वहाँ जाकर बसन पर रोक लगाना, मुद्रा का अभाव, व्यापार का ह्रास, राजस्व-व्यवस्था तथा दण्ड प्रशासन का धार्मिक अनुदान भोगियों के हाथा सौंप दिया जाना, अधिकारियों को वेतन स्वरूप अलग अलग क्षेत्रों का राजस्व सौंप देने की प्रवत्ति वा प्रारम्भ, और सामृती दायित्वों वा विकास। परवर्ती काल में ये प्रवृत्तियाँ कहा तक कायम रही और इनम कहातक परिवर्तन आये, इसका विचार हम अगले अध्याय में करेंगे।

परिच्छेद २

तीन राज्यों में सामन्ती राज्य-व्यवस्था

(लगभग ७५० १००० ई०)

गुप्त राजाओं और हप के समय में भूमि अनुदान के ग्रहीताओं को प्रशासनिक और राजस्व विधिक अधिकार देने की तो प्रतिया गुप्त हुई, वह बाद के राजाओं के समय में भी चलती रही। गुप्त राजाओं ने खुद बहुत कम अनुदान दिये पर मात्र भारत के उनके सामान्ता या अधीनस्थ सरकारों ने बहुत से गाव दान किय। लेकिन, पाल नासन काल में साधारणतया राजा स्वयं ही अनुदान दिया करता था। इसका सबसे पहला उदाहरण घमपाल है। उसने उत्तर बगाल में अपने सामन्त नारायणवमन द्वारा गुमस्थली में सत्यापित नन नारायण मंदिर को चार गाव दिये।^१ इस अनुदान के असली नोटों के लाट ब्राह्मण, पुरोहित और मंदिर के अध्यक्ष सबक थे जिनका उल्लेख अनुदानभोगियों के रूप में किया गया है।^२ तलपाटा (खाई खड़ा म पड़ने वाली जमीन) और हट्टि काड़ा (पेठा) के साथ साथ य गाँव सदा के लिए दान वर दिय गय, ग्रहीताओं का यह अधिकार दिया गया कि वे गाँव के निवासियों को दग्धपराप के लिए दण्ड दें और इन गाँवों का राजाओं और राजकुम्हारियों के हस्तांतर से मुक्त वर दिया गया।^३ घमपाल ने 'गायद नाल ना कथ्र म बोद्धा' के प्रगुणों का एक गाँव प्रदान किया। उस गाँव में कोई राज्याधिकारी प्रवेश नहीं कर सकता था और ग्रहीता का चारा को सजा देन का भी अधिकार दिया गया।

^१ ए० ई०, ४ न० ३८ पक्षिय० ३० ८२।

^२ वही, पक्षिय० ५० १।

^३ वही पक्षिय० ५२ ३।

चोरा को सजा दो का भी अधिकार निया गया है जब कि मध्य भारत में गुप्त राजीन मूर्मि दानपत्रों में यह अधिकार दाना सामर्थ्यन् घपने हाथा मही रख लता था। इसके अनावा ग्रहीताखोरों को दसा अपराध के लिए भी दण्ड दने का अधिकार निया गया है। यदस प्रपराध इसप्रकार बताये गये हैं जो वस्तु ऐसी नहीं होती है उम जगरक्षती प्राप्ति करना विधि विरुद्ध हत्या करना दूसरा की पत्निया का साथ व्यभिचार करना जिसी में दुष्करण करना अमाय का आचरण करना जिसी भी प्रकार की मिथ्या नि का करना अगगत बान करना दूसरा की सम्पत्ति पर ग्राही गड़ाना गलत खोजा में दारे में सोचना और जो सत्य नहीं है उम पर दुराप्रत्यूतक भार्द रहना।^१ इस गूचों में परिवार, सम्पत्ति या ध्यान के सम्बन्ध में रिया आनवाले प्राय सभी अपराध आ जाते हैं। हो सकता है भ्रतिम चार अपराधों की भार कोइ ध्यान न दी दिन इसमें से देह नहीं कि एवं गौव के भान्नर ग्राही जी जानकारी में दूसरे अपराध किये जाते हों तो उनके लिए अपराधी को अवाद्य हो जाए निया जाता होगा। दग्धपराधदण्ड का मतलब यह क्षणामा जाना है जिसका अपराधों के लिए जुमनि बसूल किये जाते थे^२ जिनके यहाँ दण्ड जाए को जुमनि के अथ में न लेकर सजा के अद्य में ही लेना चाहिए। इसतिहासी मानना ठीक होगा कि भावतामा को इन अपराधों के लिए दोषी लोगों को दण्ड दने का अधिकार प्राप्त था और दण्ड जुमनि और शारीरिक कष्ट में से कुछ भी हो सकता था। इस प्रकार ग्रहीतामा को दण्डविधान और पाय वे प्राप्तासन का अधिकार दने का चलन दबी सदी के मध्य में शुरू होकर पाल साम्राज्य को एक सामान्य विशेषता बन गया। अब मन्त्री और ब्राह्मणों तथा पुजारियों आदि धर्म वाय से सम्बद्ध लोगों के हाथा में राजस्व और प्राप्तासन सम्बद्धी ऐसे अधिकार आ गये जिनका उपभोग उहोने बिहार और बगाल में इससे पूर्व कभी नहीं दिया था।

इस काल में प्रतीहार राजाओं ने उत्तरी भारत में ब्राह्मणों को बहुत से गौव दिये जिससे उनकी शक्ति बढ़ी। ८३६ में प्रथम मोजदेव ने कायदु-ज भुक्ति के कालजर मण्डल में एक पुराना अग्रहार फिर से दान किया। मूलत यह अनुदान एक साम्राज्य राजा ने द्वितीय नागभट की अनुश्रुति से दिया था, जिनके रामभद्र के राज्य काल में स्थानीय अधिकारी की अक्षमता के कारण वह

^१ का० इ० इ०, ३ १८६, पा० टि० ४।

^२ वही १८६।

अग्रहार समाप्त हो गया था। इसलिए भोज ने पुरान ब्राह्मण परिवार को वह गाव पुन प्रदान किया उस पर केवल इनना प्रतिबंध लगाया कि जान्कुछ पहल ही दबताओं और ब्राह्मण का दान दिया जा चुका है उसका उपभोग वह नहा कर सकता है।^१ भोजदेव ने ही गुजरातरामूर्मि म इनी प्रकार एक और पुराने अग्रहार के अनुशान को किर से चाल किया। यद् अनुदान उमके प्रपितामह के समय म निष्प्रभाव हो गया था, किंतु भोज ने ग्रहीता क पीव को उसे पुन दान किया।^२ इन दोनों उदाहरणों से प्रबट होता है कि एक बार जब अनुशान दे दिय जात थे तो उन पर सिद्धान्तन और व्यवहारत ग्रहीताओं का वासनुगन अधिकार वायम हा जाता था और मूलत दान देनवाले राजा के उत्तराधिकारिया के लिए उन अनुशान का बनाय रखना आवश्यक होता था— तब भी जब दि एम अनुदान सामन्त राजाओं द्वारा दिय जात थे। भोज क पुत्र और उत्तराधिकारी महाद्रपाल न छपरा जिन म जो उन दिन श्रावस्नी भूक्ति म पढ़ता था, एक ब्राह्मण का पूरी आय के साथ एक गाव दान किया।^३ ८३१ म भृतीपाल न भी बनारम म एक गाव एक ब्राह्मण को इहा शर्तों क माय दान किया।^४ द्वितीय भृतीपाल न खानियर म एक मंदिर का एक गाव लानग इही गतों पर दान किया अतः वर क्वल इनना था कि यह गोचर भूमि क साय-साथ दान किया गया।^५

प्रतीहार राजाओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से दान दिय गये गावों क संग्रह म कृषि और प्रगाढ़न सम्बंधी उन विभिन्न अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन नहीं मिलता जा पात अनुशान पत्रों म ग्रहीताओं को हस्तांतरित कर दिय गय तै। प्रतीहार अनुशानपत्रों म क्वल सम्बंधित गावों से हानवाली आय ही ग्रहीताओं का सीधी गई है और पाला क अनुशान पत्रों की तरह इनम भी प्रामाण्यसिया को यहीताओं की आना मानने और उहें सभी कर व गुल्क देन का आदेश दिया गया है। प्रतीहार राजाओं न उपर्युक्त अनुशान धार्मिक कारणों से दिय,

१ क०० इ० इ० १८, न० २ पक्षितयौ १-१६।

२ वही, ५ न० २८ पक्षितयौ ५-६।

३ इ० ए०, १५, पृष्ठ ११२ १३, पक्षितयौ १ १०।

४ वही पृष्ठ १३८ पक्षितयौ ६ १७।

५ ए० इ० १०, १४ न० १३ पक्षितयौ ६ १३।

किन्तु उनका मगा चाहे जो रहा हो इसमें कोई सत्तेह नहीं कि उनके परिणाम-स्वरूप राजा और काश्तकारा के बीच एक भूमिधर वग का उदय हुआ।

ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतीहारों के साम्राज्य के राज्या में यह प्रक्रिया और भी प्रबल रूप में विद्यमान थी। काठियावाड़ के चालुक्य साम्राज्य प्रथम अवनिवेशन के बाटे बलवधन न ८६३ में तरणादित्यभैरव के मंदिर को एक गाँव दान किया। उसने मोक्षता को दसा अपराधा के सित दोषी लोगों को दण्ड देने लोगों से कर लेने वशा से होनेवाली आय का उपभोग करने तथा कुछ आय अधिकार भी तास्पट नहीं हैं प्रदान करते हुए सरकारी अधिकारियों और प्रतिनिवियों को निर्देश दिया है कि । उसमें प्रबला न छर ।^१ उसी वशा के एक दूसरे चालुक्य साम्राज्य अवनिवेशन न राज्याधिकारी विद्वक की अनुमति से उसी द्वितीय का नाम उही गतों पर एक आय गाँव दान किया।^२ ८१४ में पूर्वी काठियावाड़ के एक चाप साम्राज्य घरणीवराह ने एक शिक्षक का जिन गतों पर उक्त चालुक्य साम्राज्य ने ग्राम अनुदान दिया था उही गतों पर पुरस्कार स्वरूप एक गाँव दान किया।^३ ८५६ में एक चाहमान साम्राज्य के अनुरोध पर उज्ज्वन के शासक माधव ने सूख मंदिर को एक गाँव दिया।^४ इस अनुदान का गते उपयुक्त अनुदाना की गतों से कुछ भिन्न थी क्योंकि इसमें ग्रहीता का अनुदत्त क्षमा की लकड़ी और जलागया से हानवाली आय के उपभोग तथा स्कार्धक मागण्डक आदि नय कर बसूल करने के अधिकार प्रदान किय गय है,^५ वहसे य कर किस प्रकार के थे यह बात स्पष्ट नहीं है। और भात म हम ८५६ ईस्वी म भलवर म प्रतीहारा वे एक गुजर साम्राज्य द्वारा दिय गय अनुदान का उन्नेश कर सकत हैं। उसने एक मठ के गुरु और एक वाट एक जो लोग उमक गिर्व होते उनके नाम एक गाँव दान किया।^६ उपयुक्त उदाहरण से प्रबल होता है कि धार्मिक अनुदान देने वाले प्रया प्रतीहार राजामा द्वारा प्रत्यक्ष रूप से आसित क्षत्रा म उनकी मजूत नहीं थी जितनी उनके अधीनस्थ साम्राज्य

^१ ए० द० ६ न० १ ए पत्तियाँ १२०।

^२ वही थी पत्तियाँ २५८।

इ० ए० १२ १८५ नट २ पत्तियाँ १२४।

^३ ए० द० १८ न० १ पत्तियाँ १८२१।

^४ वा पत्तियाँ ८५।

^५ वा न० ८६ पत्तियाँ ११।

राजाओं के इलाकों में थी। ग्रहीताओं को नकेल गाँवों में बानून और व्यवस्था बनाये रखने का दायि वर्सों पांच जाता था। बल्कि विभिन्न वर्ष बमूल करने का अधिकार भी दिया जाता था। इस सबके लिए ग्रहीताओं को अपने अधीन कुछ वर्मचारी भी रखने ही पड़ते होंगे। इस प्रकार गुजरात और राजस्थान के कुछ हिस्सों में भूमिधर धार्मिक अनुशासनभीं गिया का एवं ऐसा मध्यस्थ बग खड़ा हो गया जिस आंतरिक गान्ति मुख्यवस्था बनाये रखने और राजस्व बसूल करने का व्यापक अधिकार प्राप्त था।

ऐसा लगता है कि पालो और प्रतीहारा की तुलना में राष्ट्रकूट राजाओं ने ब्राह्मणों और मर्हिरा को अधिक गाँव दान किया। इसके प्रमाण हम उनके गासन वाले के अरम्भ से ही मिलते हैं। ७५३-४ में दत्तिदुग्ध ने कालहापुर के इलाके में एक ब्राह्मण को एक बसा बसाया गाँव दान किया। उसने उसे भूमि-कर अधिकारियों को यदा-न्याय दिया जानवाले गुरुक आदि तमाम प्रचलित कर बमूल करने और दावापराधदण्ड के अधिकार प्रदान किया थे।^१ ८०६-७ में ततीय गोविंद ने नासिक के इलाके में एक ब्राह्मण को उपर्युक्त अधिकारों के साथ एक गाँव दान में देते हुए उनके चाटा और मटो का प्रवण भी वर्जित कर दिया।^२ ७६४ के पठन प्लेटो में भी इन सभी अधिकारों का उल्लेख है^३ और नासिक जिले में ताम्रपट पर जो अनुशासन दिया गया है उसमें भी इह हुक्म दुकराया गया है।^४ ८३१ में अमोघवप्त ने कुछ ब्राह्मणों को एक गाँव इही अधिकारों के साथ दान किया।^५ इस प्रकार ततीय गोविंद के समय से धार्मिक ग्रहीताओं का पहल से भी अधिक अधिकारों के साथ अनुशासन देने का जा सिलसिला गुरुहुआ वह लगभग एक शती तक चलता रहा। किन्तु पचम गोविंद के ८३३-४ के एक अनुशासन पत्र में ग्रहीता का वेगार वा अधिकार नहीं दिया गया है और न दान किये गये गाँवों में सरकारी अमलों का प्रवेश ही वर्जित किया गया है।^६ ८७२ के ततीय अमोघवप्त ने इही शती पर खानदेश के इलाके में एक गाँव

^१ ई० ८०, ११, ११२ ३ पत्तियाँ २६-४४।

^२ वही, १५६ ६ पत्तिया ५४ ५०।

^३ ई० ८० ३ न० १७, पत्तियाँ ५७ ८८।

^४ ई० ८० ६, ६७ ६८, प्लेट २ 'बी', पत्तियाँ १२ १३।

^५ ई० ८० १८ न० २६ पत्तियाँ ६६ ७।

^६ ई० ८० १२, २५१, पत्तिया ५० ५३।

दान किया,^१ विनु उस गांव में नियमित एवं प्रस्थायी सनिवा का प्रबन्ध नियिद्ध नहीं किया गया। यद्यपि अनुग्रान पत्र की गतों में मन्त्र होने रह विनु राष्ट्रकूट राज्य में आहुणा और पुरोहितों का अनुग्रान में गांव दन की प्रथा दो सदियों से अधिक वाल तक चलती रही। राष्ट्रकूटों के सभी ताम्रपत्र नहीं मिल हैं लेकिन जितने मिल हैं वे वर्म नहीं हैं। तीव्र इन्द्र न अपने राज्यारोहण के अवमर पर ४०० गांव जिन्हें उसके पूर्ववर्ती शासकों न ग्रही ताम्रा से वापस ले लिया था फिर से दान किया।^२ चतुर्थ गांवित्र के कई प्लेटों से जात होता है कि अपने सिहासनराहण के समय उसने ६०० गांव आहुणों को धार्मिक एवं शाश्वत प्रयाजना से दान किया और ८०० गांव महिदरा को दान किया।^३ इम प्रशार सिफ इहाँ दो राजामान कुल १८०० गांव धार्मिक ग्रहीताथा को दिये। इन भ्राता की प्रामाणिकता में गांव ह करने का काई कारण नहीं है क्योंकि भूमि अनुग्रान दन का चलन बहुत जोरा पर था। आश्चर्य नहीं कि अनुग्रान में किये गए की सहित जितनी हम मार्गम है उससे बहुत ज्यादा ही रही हो।

राष्ट्रकूट राजामान के मण्डलेश्वरों और साम्राज्यों ने भी धार्मिक अनुग्रान दिये। ८२१ में राष्ट्रकूटों की ही गुजरात गार्हा के कवकराज मुख्यवप्य ने धार्मिक शिक्षकों का एक धेत्र सदा के लिए दान कर दिया। उसमें नियमित और अनियमित सिपाहिया तथा राज व्यवाचारियों का प्रबन्ध वर्जित था।^४ ज९३ में उमी घराने के तत्तीय ध्रुव ने एक आहुण का एसी ही गतों के साथ एक गांव दान किया। भोजना को न्सा अनग्रामा के लिए दोषी लोगों को दण्डन करने स्थावरगार नैन का भी अधिकार दिया गया था।^५ इन साम्राज्यों ने अपने प्रभु की अनुमति के बिना ही अनुग्रान दिये लेकिन अमोघवप्य के शासन काल में बनवासी के शासक वक्य ने अपने प्रभु अमोघवप्य को इस बात के लिए राजी किया कि वह एक जन महिदर को एक गांव और काई धेत्र दान में दे।^६ कुल मिला कर राष्ट्रकूटों और उनके साम्राज्यों ने विद्वान आहुणों को

१ इ० ए २६६ पक्षितया ४३ ५७।

२ अ० स अलतवर द राष्ट्रकूटान पठ दथर टाइम्स पठ १००।

३ ए० इ० ३ न० ६ पक्षितया ४६ ६।

४ वटी २१ न० ३२ पक्षितया ४८ ५१।

५ इ० ए० १२ १८४ ५ प्लेट २ वी, पक्षितया १६६।

६ ए० इ० ६ न० ४ पक्षितया ३५ ४६।

कराफो गौव देकर^१ ग्रामीण क्षेत्रों म उनकी मत्ता को मजबूत किया ।

गौव सदा क लिए दान विय जात थ और उन अनुदानों को कायम रखना दानाप्रा के उत्तराधिकारियों का बहुध्य होता था । कुछ अनुदान तो दाना-परिवारों के पतन के बाद भी कायम रहे । उन्हरें द्विनीय इन्द्र न गुजरात घनन के प्रथम और द्विनीय ग्रुब के द्वारा दान विय गया थेणा नामक गाव ग्रहीताप्रा के उत्तराधिकारियों दो पुन दान विय । ग्रहीताप्रा के उत्तराधिकारियों का यह गौव फिर स प्राप्त करने की चिन्ता इसलिए थी कि अब दधिण गुजरात भ दाना के परिवार भी मत्ता समाप्त हो गई थी ।^२ किर, जमा कि हन पहले दब चुके हैं ततीय इन्द्र न पहले के राजाप्रा द्वारा जान दिये गय ४०० गौव सम्बंधित ग्रहीताप्रा को पुन वापस कर दिये ।

प्रतीटोरा ने तो नहीं लेकिन पाला और राष्ट्रकूटा न ग्रहीताप्रा का प्रगासनिक अधिकार भी बढ़ते स्पष्ट गाँव म प्राप्त किये और विशेषवर राष्ट्रकूटा न उहैं दण्ड और प्रशासन के अधिक अधिकार किय । कुछ पाल अनुदानों म दान किये गावा म राज्याधिकारियों का प्रबन्ध बर्जित कर दिया गया है, कुछ म स्थायी और स्थायी मनिका का प्रबन्ध दिया है और कुछ म तो राज अधिकारियों और सनिका दानों के प्रबन्ध की मनाही कर दी गई है । उनम ग्रहीताप्रा को दसों अपराधों के निए दापी लापा का दण्ड देने का अधिकार भी दिया गया है । लेकिन राष्ट्रकूटा के बहुत म अनुदानों म ये सभी अधिकार और सत्ता एवं ही साथ द नी गई है यद्यपि उनम चारा को दण्डित करने का अधिकार साफ-साफ नहीं किया गया है । मगर जाहिर है कि दमा अपराधों के लिए दण्ड दन के अधिकार म यह अधिकार भी आ आता है । कुल मिला कर एसा प्रतात हाता है कि पाल और प्रतीटोरा राज्यों की तुलना म राष्ट्रकूटा के राज्य म धार्मिक अनुदान मार्गियों की संख्या ज्यादा थी और उह अधिक प्रगासनिक अधिकार प्राप्त थे ।

पुरोहितों का दान देने के इस प्रचलन की तुलना मध्ययुगीन यूरोप म ईमाई मण्डनों को दान देने की प्रथा स वी जा सकती है । अन्तर सिफ इतना ही था कि गिरजाघरों की तरह भारत में ब्राह्मण और मदिर स्थापा के रूप म समर्पित नहीं थे । जितु शूव मध्यवाल म भारत म घरेंतर अनुदान उतने

^१ भलतवर स० प्र० पृ० १८६ ।

^२ वही पृ० ६८ ।

अधिक नहीं दिये गये जितने कि गूरोप म दिय गय । भूमि अनुदानों के रूप म वेतन पानेवाले राज्याधिकारिया और साम्राज्य के उत्तराहरण बहुत बड़ा मिनाह है । प्रथम पाल अनुदान (८०२) से जात होता है कि उत्तर बगाल मदाप्रामिक नाम से अभिहित कोई राज्याधिकारी होता था ।^१ मनु के अनुसार 'प्राप्रामिक' को एक बुल भूमि दी जाती थी ।^२ किंतु परवर्ती पाल अभिलेखा में यह अपने का कोई उत्तर नहीं मिलता । ६६३ में महीपाल ने एमा भूमि जो किसी समय बचतों वा उनकी वित्तिय सेवाओं के एकज भूमि उनके निवाह के लिए भी गई थी वापस ले ली ।^३ यह धर्मेतर अनुदान जात पश्चात है । पाला के नभि अनुदान पत्रों में उत्तिनियत राजपुत्र राणक राजराजनक महाराजा मन महामामनाविषयी पति शायद एमे गाम तथे जितम से गविराम का सम्बद्ध भूमि मही था । इनमें से कुछ को पराजित वर के अपने प्रपत्त थेत्रा मध्य पुन विनिष्ठित कर दिया गया था और तुछ को 'गायद सनिङ' नेवा के बदा नभि अनुदान दिय गय थ । वसे, गपत प्रभु की सनिक सेवा दोना तरह के सामना वो करती पश्ची थी ।

प्रतीहारा के अभिलेखों में धर्मेतर अनुदान के कारण अधिक उत्तराहरण नहीं मिलत । ८६० में प्रथम भोज ने गोरखपुर में गुणाम्भोधि या प्रथम गुणसागर नामक बस्तिरि सरदार को अनुदान स्वरूप भूमि नीं वयाकि उसने गोड़ बीं थी वा अपहरण करके अपने प्रभ की वट्टमूल्य सेवा की था ।^४ द्वितीय महेन्द्र पाल विनायक के नासन काल में एक उच्च राज्याधिकारी ने दो भूमि अनुदान पत्रों पर हस्ताक्षर किय है ।^५ ऐसा लगता है कि उस अनुदान स्वरूप एक गोव मिला हुआ था । और नाता गायद प्रतीहार राजा था । प्रतीहारों के एक गुजर साम्राज्य द्वारा दिये गये अनुदान से पता चलता है कि उस धर्मेतर अनुदान मिला हुआ था, क्याकि उसने अपने अधीनस्थ थेत्र का अवधारणावाप्त वरापानक-

^१ ए० इ० ८ न० ३८ पक्षित ४७ ।

^२ ७ ११८ ६ ।

^३ ए० इ० २६ न० १ वी २८ है ।

^४ माजदवाप्तभूमि श्रीगुणाम्भाधिदब येन आहृता गोडलम्भी वा० इ० इ० ८ न० ७४, इलाम ।

^५ ए० इ० १८ न० १३ पक्षित १४ २७ ।

^६ श्रीविश्वधरभागवाये धारापद्मग्रामे । वही पक्षित २१ ।

भोग कहा है।^१ इससे प्रमाण होता है कि गासव-बुद्धम्ब का सदस्य होने के नाते^२ उसके प्रतीकार प्रभु ने उसे व्यक्तिगत उपभोग के लिए वर्गपातक क्षेत्र दे रखा था। उसके अनुनान-पश्च यह स्पष्ट है कि यहीता वा गुजरातरामूर्मि में पन्नवाल उस दोष के प्रणालीन वा भी आयित्वे^३ दिया गया था।^४

राष्ट्रकूट के अनुग्रह पत्रों में राज्याधिकारियों और सामन्तों का गाँव दत्त का स्पष्ट प्रधान वही नहा मिलता। लक्षित उनकी राज्य-व्यवस्था का विवर अध्ययन करने के पास अलतेकर ऐसा मानत है कि बहुत-से राज्याधिकारियों को वनन के स्पष्ट में 'लगान मुक्त मूर्मि' मिली हुई थी।^५ यहां हम उगान मुक्त के बजाय 'राजस्व मुक्त' कहें तो अच्छा रहगा क्योंकि उगान तो रेयत द्वारा अपने भूम्बामिया को दिया जाता है। अनन्तर यह भी बनान है कि कमी-कमी राज्याधिकारियों का नहीं और जिस दोनों स्पष्ट में वनन दिया जाता था।^६ जो भी हो जहा तक राजस्व व्यवस्था का सम्बंध है राष्ट्रकूट साम्राज्य मुक्तित दस दस अयवा दम के बहुगुण-स्वयंक गावा में जम बीम बीस तीस साम या चालीस चालीस गावों के मध्य में विभक्त था।^७ धमगाम्बक अनुसार ऐसा एकाग्रा के प्रधान अधिकारियों का भूमि अनुग्रहों के स्पष्ट में वनन दिया जाता चाहिए।^८ ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्रकूट राजा इस प्रणाली का अनु सरण विशेषतया जिना और गावा के प्रधानों को वनन देने में बहुत थ। इस प्रतार एवं चाली गम अभिनेत्र भ दर्श ग्रामकूट क्षेत्र अयवा जिना प्रधान के राजस्व मुक्त में वार दो बार आया है।^९ स्पष्ट है कि ग्राम प्रधान को भी निस राष्ट्रकूट साम्राज्य में ग्रामकूट कहा जाता था, इसी स्पष्ट में वनन दिया

१ ए० इ० ३ न० ३६ पक्षि ८।

२ वही।

३ वही, पृष्ठ २६६ ६७।

४ वही, पृष्ठ ४४५।

५ वही पृष्ठ १८६।

६ ड० ए० १९ १९२ ३, पक्षि ३२ में राष्ट्रकूट के साम्राज्य में ५०० गाँवों की एक भूक्ति का उल्लेख है। १२०००, ५००, ३०० और ७० गाँवों के एकाग्रा का भी उल्लेख है (अलतेकर, स० प्र०, षु०, पष्ठ ७७)।

७ मन् ७ १६।

८ अलतेकर स० प्र० षु० पष्ठ १७६।

जाता था। यह बात निरिति ने भि दर्शिये महाराष्ट्र म ग्राम प्रधान को राजम्ब सुनक भूमि मिलनी थी। मौर्खति के रट्टा के पास अमिलग म भात होता है विक वट्टाल के गवुण (ग्राम प्रधान) न उम इसाक के प्रधाना के राजम्ब सुनक थेन्हा के बीच स्थित घपनी २०० मत्तर राजस्व मुक्त कृषि भूमि (दिग्गीपा) दी।^१ पर यदि राजम्ब प्रधिकारी अपन अधिकार गेन्ह म मित नूमि के उस हिस्म वा छाड़कर जा उम बनन म मिला हा अबया जिसरा राजस्व उम बननस्वरूप सौंप दिया गया हो नेप वाइ भी हिस्मा बिमी का दना चाहता तो उस अपने स्वामी स पूछना पड़ता था।

गुजरात के राष्ट्रकूटा के राज्य म राजस्व एकांग दग्गिर और दाइगमिर दाखा प्रणालिया के अनुमार सगठित थ। राजपूत इनावा म १२ गाँवा के अनुदान की चका है^२ और ८८ गाँव के एकांग का भी अस्तित्व मिलता है। यह एकांग ७५० गाँवा के एक समूह वा जिस्मा था और विचित्र वार यह है कि य गाँव दस दम गाँवा के एकांगा म विभक्त थ।^३ गुजरात के राष्ट्रकूटो के साम्राज्य म गुजरात स बाहर भी १२ या १२ के बहुगुण सम्यक गाँवा के एकांग थ। प्रथम अमोघवरप के सजान अभिरात पटा म २६ गाँव के समूह का उल्लेख है^४ और तीय गाँवि द के शासन काल म प्रतिष्ठान भुवित म बारह बारह गाँवा के कर्त्ता समूह थ।^५ तीय अमोघवरप के शासन काल म भी १२ गाँवा के एक एकांग का उल्लेख मिलता है।^६ स्पष्ट ही य सरक्षेनीय -काइयाँ राजम्ब बमूल करने के लिए सगठित भी गई थी। चाहमाना की शासन -प्रवस्था स हम अनुमान लगा सकत है कि राष्ट्रकूटा के अधीन य एकांग साम्राज्य या राज्याधिकारिया वो जागीर क तौर पर दिय जात थे और वे इन एकांशो का प्रशासन चलात थे।

१ अलतकर स० प्र० पु० पृष्ठ १८२।

२ ए०इ० ३ न० ८ पवित्रा १५ १६।

३ वही २ न० ८ पवित्रा ३५ ३६।

४ इ० ए० १२ १६० पवित्रा ४५ ६।

५ ए० इ० १८ २५५ ७।

६ अलतकर, स० प्र० पु० पृष्ठ १३७।

७ इ० ए०, १२ २६६।

राष्ट्रकूटा के साम्राज्य म सनिक सवा के एवज म भूमि अनुदान दने के भी कुछ प्रमाण मिलते हैं। कभी-कभी पल्लव राजा अपने सनानायर का विजय-अभियाना की स्मृति को स्थायी बनान के लिए गौवा के नाम उसके नाम पर रख दन थे और उह अनुदान मे आहाणो का दत थ ।^१ लेकिन राष्ट्रकूट सेना पतिया की बीरता का नायर उपभागाथ गौव देकर पुरस्तृत विया जाता था ।^२ गिलाहारा की सवा करनेवाल ग्रामभोजन गौवा का उपभोग करनवाले एस हा सनिक अधिकारी जान पड़त हैं। असतवर व अनुसार राष्ट्रकूट अभिलेख म उल्लिखित ग्रामपति पुरस्तार म ग्राप्त गौवा के स्वामी थ ।^३ खूबि महाराष्ट्र म ग्राम प्रधान का ग्रामकूट वहा जाता था और वह ग्रामपति से भिन व्यक्ति था । इसलिए सम्मव रे कि ग्रामपति सनिक अधिकारी ही रहा हो। अगर हम सोशागर मुलमान के विवरण पर भरोसा करें तो मानना होगा कि उस समय क राजा अपन सनिका का नियमित वतन नहीं दते थे। मुलमान वहता है कि 'भारत क राजाओं के गनिका की सह्या घट्ट बड़ी होती है लेकिन वे उह देन नहीं देत । राजा धप-न्युद की स्थिति उत्तम हान पर ही उह एवत्र करता है। राजा के आह्वान पर वे अपने अपने स्थाना स आकर एव जगह एकत्र हात ह और राजा स कुछ भी प्राप्त किये यिना अपना निर्वाह वरत है ।^४ मुलमान का यह कथन सामना द्वारा राजा क लिए जूटाई गई सेना पर ही लागू हाता है। उसन यह भी लिखा है कि अरवा की तरह (लेकिन अधिकारा भारतीय राजाओं से भिन) राष्ट्रकूट राजा अपने सनिका को नियमित वतन दना था ।^५ लेकिन, यह वात स्पष्ट नहीं है कि इन सनिका को वतन नक्द दिया जाना था अथवा भूमि अनुदान क रूप म। अनन्दवर का वहना है कि सनिका के परिवारा के निवाह क लिए उ जानने वाने के लिए जमीन दी जाती

१ इ० ए० प २७६-८० ।

२ ए० इ० ३, न० ३७ पक्ति ४७ ।

३ अनन्दवर स० प्र० पु० पृष्ठ १८६ ।

४ वही ।

५ ए० एम० इलियट व डामन (स०), निसी ऑफ इन्डिया पेन ट्रेनट चार श्टस हिस्टोरियम १ ७ ।

६ वही ३ ।

थी।^१ जो भी हो सुलेमान के उक्त कथन का सम्बंध गायद राष्ट्रकूट राजाओं की नियमित सेना से ही है। लेकिन सामान्ता द्वारा जुनाये गये सनिका की सरया राजा के नियमित सनिका से क्वाचित् अधिक थी।

वितिपथ अधिकारिया का वेतन के बाले कुछ खास बर भी सौप दिय जाते थे। राष्ट्रकूट काल में खाद्य पदार्थों माग-संजिया आदि पर जिस के रूप में लगाये बर स्थानीय अधिकारिया के प्रतन में गायिल होते थे।^२ अलतकर का विचार है कि भोग कर से, जो उपरिकर के छग का ही था ऐसे सामाय या अतिरिक्त करा का बोध होता था जो मुक्तिसिल क्षेत्रों के राज कमचारिया के उपभोग के लिए।^३ भोग कर हमें ऐसी ही एक आय कर प्रणाली का स्मरण लिलाता है जो आग चल कर च देला और गाहूङ्घाता के शासन कान म प्रब लित हुई। यह राजनीतिक यवस्या के आशिक साम तीरण का भा आभास देता है क्याकि यूरोप की साम ती प्रणाली के अधीन प्राप्तासन चलानेवाले सामान्तका (उरना) को राज्य प्रयत्न से नवन या जिस म वतन न दक्षर उह कुछ राजस्व ही साप द्या करता था।

साम ना को अपने राष्ट्रकूर प्रभम्पा मे बाँ बड इलावे मिनत थे। सनिक मवा के लिए लोगा को पुरस्कृत बरन के निय नई नई जागीरें बढ़ाई जाना थी। गायद प्रथम अमोधवप ने बक्क की निष्ठापूर्ण सवाद्या के पुरस्कारस्वरूप उस नमदा और ताप्ती के द्वीच का क्षेत्र दे दिया^४ जो लगभग ८६२ दस्ती तक गुजरात के राष्ट्रकूटा के नाथा म रहा,^५ और गुजर प्रतीतारा के खिसाफ मुररा दुग का वाम बरता रहा।^६ उधर इन सरदारों न भी अपन सामाना को जागीरें दी। अभिलेखा से जात होता है कि द्वितीय कवक के अविकार म ७५० गांवों का एक क्षेत्र था,^७ जिसम चान्दगुप्त नामक यक्ति महासामन प्रचण्ड के दण्डनायक के रूप म वाम करता था।^८ सम्भवत यह ग्राम समूह प्रचण्ड को

^१ अलतकर स० प्र० पु० पृष्ठ २१।

^२ वही पृष्ठ १८।

^३ वनी पृष्ठ २१६ मिलादा पृष्ठ १६४५ स।

^४ वही पृष्ठ ८६३।

^५ वही पृष्ठ ८६७।

^६ इ० ए० १० १५८ कवक के प्रभु के तिए स्वामी "—" का प्रयाग हूमा है।

^७ अलतकर स० प्र० पु० पृष्ठ ८६८।

^८ ए० इ० १ न० ८ नाम २०।

^९ वही पतियाँ ३४५।

द्वितीय कवक म जागीर के लग म मिला था, और इसे शायद प्रचण्ड के पिता घबलप्प ने अपनी बहादुरी और निष्ठा के पुरस्कार के स्वरूप म प्राप्त किया था।^१ प्रकारातर स यह भी प्रकट हाता है कि जागीर प्राप्त हो जाने पर सामन अपनी अपनी जागीर का प्राप्तमन स्वयं किया बरते थे। राष्ट्रकूटा की मुजरात गाला द्वारा जागीर दन का एक और उन्नाहरण तत्तीय गोवि द के गासन काल म (८१३ म) मिलता है। महामाम त बुद्धवप वा जा शायद परखर्ती चारुप घरान स सम्बद्ध था १२ गोवा के एक समूह पर सामन्ती अधिकार प्राप्त किया गया।^२ इसी प्रकार शायद दक्षिण महाराष्ट्र म सीदत्ति के रट्टा न भी, जो पहले राष्ट्रकूटा के माम त थे और बाद म परखर्ती चालुक्या के मामत हो गय, अपन उपसाम त बनाय थे क्याकि उह दसवारा का प्रभु^३ वहां गया है। अत अनक गविताली सामत अपन प्रभु के हस्तक्षेप म सबथा मृत्तन रह कर अपन उपसामत बनाया बरत थे। लेखिन खेंगीय शासक या छोट छाट सामत या तो राजास अनुरोध ग्राग्रह करके अनुमान म गाव दिलात थ या उसम अनुमति लेकर स्वयं ग्राम अनुमान देत थ। बनवासी के गासक बनय क निवदन पर प्रथम अमोघवप न एक जन भादिर को एक गाव दान किया।^४ इसी प्रकार तत्तीय गोवि^५ की अनुमति लेकर एक चालुक्य सामत ने एक जन मूनी बो गांव दिया।^६ इसी तरह, ध्रुव के सामत शब्दरगण न एक गाँव दान करने के लिए उसकी अनुमति ला।^७ किन्तु बडे और छाटे सामतो म भातर चाह जो रहा हो, राष्ट्रकूटा के साम्राज्य म उपसामत बनाने की प्रवत्ति बहुत व्यापक थी।

प्रनीहार शामन प्रणाली एक बात म पाला की गासन प्रणाली से भिन्न थी। वह यह कि प्रनीहारा की प्रणाली उपसामतीकरण की सुविधा प्रदान करती थी। विचाराधीन काल म हम पाला के राज्य म उपसामतीकरण का बोई स्पष्ट उन्नाहरण नही मिलता। घमपाल के महासामनाधिपति नारायण

^१ हुला वही पृष्ठ ५३।

^२ तद्दत्सीहर्वक्षीद्वादण्डे प्रभुज्यमान। ए० इ०, ३, न० ६ पक्षियाँ १५-१६।

^३ इ० ए १८ २५, मिलाइए अलतेकर स० प्र० पु० पृष्ठ २६३।

^४ ए० इ० ४, न० ४, पक्षि ३४।

^५ इ० ए० १२ १८।

^६ ए० इ० ८ न० २६ पक्षियो २७ ८।

वर्मन ने अपने प्रभु से एक मन्त्र को अनुदान में चार गाव दिया,^१ परंतु वह स्वयं एमा अनुदान नहीं दे सकता था। यह सम्भव है कि पाल राजामास से जिन ब्राह्मणों द्वारा विहारा और मंदिरों को अनुदान में गौव मिले उन्हें इस प्रकार की सम्पत्ति वी यवस्था के लिए अपने राजम्भ या भूमि के कुछ आपने उपसामाजिकों को प्रदान कर दिया है। किंतु इस अनुमान का सिद्ध वरन के लिए हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। परंतु प्रतीहारा के माझाज्य में उपसामाजीकरण के कई उदाहरण मिलते हैं। वस्त्राराज वे शासन-काल में एक दाता ने गुजरातराभमि में अनुदान में प्राप्त अपनी भूमि का छठा हिस्सा एक अनुग्रानपत्र के द्वारा भट्ट विष्णु को दान कर दिया।^२ इससे प्रकट होता है कि धार्मिक अनुदान पानवाल लोग या सम्याए अपने अधीन स्थित गाव घम राय के लिए वरीक दोफ़ दान कर सकती थी। जहां तक सामाजिक राजाओं का सम्बन्ध है कि कुछ राजा की अनुमति से अनुदान दत था और कुछ स्वतंत्र स्वयं से। चालुक्य मामत राजावनवर्माने काठियावाड मतस्थानिय के मन्त्र को बिना अपने प्रभ के पूर्वे एक गाव दान किया किंतु उसी घराने के द्वितीय अवतार वर्मन (८५८) ने उसी मन्त्र का एक गाव शन करने के लिए प्रतीहार राजा के अमल में अनुमति ली। दाना ने ग्रहीता का अनुदान गावों का उपभोग स्वयं वरने अथवा दूसरे में कराने और उसकी भमि का स्वयं जोतन बोने या दूसरों से जुतवाने वुचान के अधिकार प्रदान किय थे।^३ इसमें उपसामाजीकरण की गुजाइश और भी बहु गद। परिणामत अब उम सामाजी भूखण्ड में चार प्रकार के श्रणीवद्ध सामत बन गये थे। उपसामाजीकरण का दूसरा उदाहरण १५६ म अलवर क्षेत्र म एक गुजर सामत राजा के अधीन मिलता है। शासक वश के एक निवट दायाद सामत मथनदेव ने किसी की अनुमति लिये बिना अपनी जागीर से एक गाव मठ के मुरु और उसके गिर्घों का दिया।^४ इस अनुदान में प्रहीता का कुछत वारयतोवा।^५

१ ए० इ० ४, न० ३४ पत्तिया ३० ५२।

२ वही ५ न० २४ पत्तिया ६६।

३ वही, ८ न० १ प्लट ए और बी।

४ वही प्लट ए' पवित १६।

५ वही न० ३६ पत्तिया ३ ६ १० १५ और २१ ३।

६ ए० इ० ३ न० १ १६ पवित १७ मिलाइए पाठ २६८, पा० ८० ६ से।

का अधिकार दिया गया था। इसका मन्त्रिलय हुप्रा कि गाव पर उसका निवाध अधिकार हो गया और वह राजस्व वसूल बरने अथवा खेती बरात की जिम्मे वारी किसी को भी द सकता था। इसी बोटि म पूर्वी काठियावाड़ के एक चाप साम्राज्य द्वारा ६१४ म दिया गया अनुदान आता है। उसने अपने प्रभु से अनुमति लिय बिना एक शिक्षक का एवं गाव अनुदान म दिया और साय ही ग्रहीता क। यह अधिकार भी दिया कि यदि वह चाहे तो सम्पत्ति का फिर से किसी को दान कर सकता है।^१ इस साम्राज्य का यह क्षेत्र प्रतीहार राज वे चरणों की बो से प्राप्त हुई थी।^२ अब इससे भिन्न प्रकार के अनुदान का उदाहरण सामन आता है। प्रतीहार साम्राज्य के एड़ उच्चाधिकारी माधव न जो उज्जैन वा नामव था चाहमान साम्राज्य द्वारा वे कहने पर द्वारा द्वारा निमित एक मन्त्रिका अनुदान दिया।^३ भूमि अनुदान पत्र पर माधव न दिव्य नामक एक अथ राज्याधिकारी क साय हस्ताक्षर किया।^४ जिससे प्रकट होता है कि प्रतीहार साम्राज्य म प्रातान गासक भी राजकीय अनुमति के बिना अनुदान नहीं द सकत थे। इसकी तुलना हम उत्तर बगाल म महासाम्राज्याधिपति नारायण वंश के अनुरोध पर धमपाल द्वारा दिय गय अनुदान से कर सकत ह। क्षेत्र के उदाहरण स स्पष्ट है कि उपसामन्तीकरण की प्रवत्ति बेवल साम्राज्य राजाओं के अधीनस्थ क्षेत्रों म ही नहा बल्कि जो क्षेत्र प्रतीहारों के प्रत्यन नामन भे उनमें भी मौजूद थी। ही यह अवश्य है कि नामन भना में यह प्रवत्ति ज्यादा जोर पर थी।

राज्यकूट नामन प्रणाली म घासिक अनुदान प्राप्त बरनबाल ग्रहीता उपसामन्त वना सकत थे और अनुदत्त मम्पति फिर से दूसरा का दे सकते थे। ग्रहीताओं को गौव इस अधिकार क साय दिये जाते थे कि वे चाहे तो उनका उपमोग स्वय करें अथवा तन्य किसी को द दे और भूमि की जूताई बुवाई लुट करें अथवा तन्य दूसरा को द दे।^५ प्रतीहारों वे बहुत योदे स अनुदानपत्रा में यह महत्वपूर्ण रियात दी गई है

^१ इ० ए० १२, पृष्ठ १६५, प्लेट २ पक्षियाँ १-२४।

^२ वही।

^३ ए० इ० १४ न० १३, पक्षियाँ २० २६।

^४ वही, पक्षित २७।

^५ इ० ए० ११, १५६, पक्षियाँ ४६ ५०, १२, १८४ ५, प्लेट २ पक्षित १६ प्लेट १, पक्षित १, ए० इ० २२ न० १२ पक्षियाँ ५४ ५५ ग्राम।

को हम पाल मनुदानपत्रा पर लागू करें तब तो यही निष्क्रिय निकालना पड़ेगा कि दो दर्जन अधिकारी भूमि मनुदाना से सम्बद्ध थे किंतु यह बात बुद्धिसंगत नहीं प्रतीत होती। वारतव में राष्ट्रकूट नासन प्रणाली म भी बहुत अधिक अधिकारिया की यवस्था नहीं थी याहाँ प्रतीहारों की तरह राष्ट्रकूट राजा भी अपने अधीनस्थ सामंत राजाओं और सामंतों के द्वारा ही प्राप्त चलाते थे। राष्ट्रकूट अभिलेखों में पुलिस अधिकारियों व पदनामों के उल्लेख के अभाव से भी यही निष्क्रिय निकलता है। वेवल गुजरात के कवकराज के अन्तों चरोली ताम्रपट म चोरोधरणिकों का उल्लेख हुआ है।^१ यहाँ भी इस दलील म काई बल नहीं दिखायी देता कि भूमि मनुदाना में उनके उल्लेख की आवश्यकता नहीं थी।^२ नायद महाराष्ट्र और गुजरात में शान्ति सुव्यवस्था की जिम्मेवारी स्थानीय सामंतों पर थी, जिससे राज कमचारी रखने की जहरत नहीं रह जाती थी।

पाल और प्रतीहार राजाओं के विरुद्धा से सामंतवादी सम्बंधों का आभास मिलता है। परवर्ती गुप्त राजाओं और पाल तथा प्रतीहार राजाओं न परम भट्टारक परमेश्वर और महाराजाधिराज आदि विरुद्ध धारण किये किंतु ये उनको सत्ता में किसी प्रकार वीक्षणिक विद्धि के द्योतक नहीं हैं। इससे यदि कुछ प्रकट हाता है तो यही कि वे उन उपाधियों के द्वारा अपने बोसर्वोच्च प्रभु जतलाना चाहते थे और भट्टारक 'ईश्वर तथा राजा' के रूप में छोट छोटे नरेण और सामंत उनकी अधीनता स्वीकार करते थे। महादीस्साधसा धनिक महाकाताङ्कित महासाधिविग्रहिक^३ आदि पाल राज्याधिकारियों के पदनामों से पूछ महा शाद जूँहे होने से प्रकट होता है कि वे भी धीर धीरे महासामंत और महाराज जैसे सामंतों की श्रेणी में आ रहे थे।

प्रतीहारों के साम्राज्य में राज्याधिकारियों के सामंतीकरण वी प्रबल प्रवर्ति पाई जाती है। द्वितीय महाद्रष्टवाल का बलाधिकृत कोकर्ट परमेश्वर पात्रोप जीवी बहलाता था।^४ इससे दो समकालीन तत्त्रपाल तथा महादण्डनायक माधव

^१ वही।

^२ वही।

^३ ए० इ० १७ न० १७ पत्तियाँ २६ ३३, २६ न० १ वी पत्तियाँ ३१ ३४।

^४ ए० इ० १४ न० १३ पत्तिया १६ २०।

महासामंत' कहलात थे। फिर एक नगर वा 'शासक' उण्डभट महाप्रतीहार वे पद पर था, विन्तु वह महासामंताधिपति की उपाधि से विभूषित था।^१ अप्ट ही इन उपाधियों के साथ कुछ अधिकार और कर्तव्य जुड़े रहते हुए, विन्तु हम उनकी कोई जानकारी नहीं है। फिर भी, इतना स्पष्ट है वि महासामंत का स्थान वास्त्री ऊंचा था और उसकी प्रजा जब धार्मिक प्रयोजनों के लिए स्तम्भ खड़े करती थी तो उसके और उसके प्रभु के शासन का उल्लंघन करती थी।^२

राष्ट्रकूटा के साम्राज्य म राज्याधिकारियों को सामन्तवार्ता नाम और रुतवा देने की प्रथा जोर से चल पड़ी थी। ध्रुव का महासामंतिविप्रहिक और मादल्स पचवाद्या के प्रयोग के अधिकार से सम्पन्न सामन्त था।^३ प्रान्तीय शासकों को महासामंत या महामण्डलाश्वर का दजा निया जाता था।^४ और वे अक्सर राजा या रासा (कन्ड) विस्त धारण विया वरते थे।^५ कुछ विषय पति भी सामंत राजाओं वाली स्थिति का उपभोग करते थे।^६ भुवितया या तालुकों के प्रधान अधिकारी भौमिक या मालापति भी वर्मा-दभी सामंत राजाओं वाली उपाधियाँ धारण करते थे।^७ और यही बात वहे बड़े नगरों के शासकों के साथ भी थी। कर्नाटक स्थित सारतुर वा शासक कुत्प्रथम अमाधवप का महासामंत था।^८ प्रतीहारों के साम्राज्य म सीयडाणि नगर का शासक भी सामंत था। इसी तरह सनिक अधिकारियों को भी बड़ी चमक दमकवाली पोगावें दी जाती थी और उह कुछ ऐसी सुविधाएँ और अधिकार भी मिले हुए थे जिनका उपभोग सामंत सरदार करते थे। चतुर्थ गाविंद के अधीन विसोत्तर नामव्रत्राह्यण उण्डनायक को १३० म राजसी वस्त्र और छत्र दिय गय और हायिया

१ ए० इ० पक्ति २०

२ वही १ पट १७३, पक्ति ५।

३ वही, ४ न० ४४, पक्तियाँ १ १०।

४ ए० इ० १०, न० १६, पक्तिया ६५ ६६।

५ वही १६ न० ४ ए पक्ति ४।

६ अलतेकर, स० प्र० प०, पट १७३।

७ वही ८० १७७।

८ वही ८० १७८।

९ वही पट १८२।

तथा रथा का उपयोग करने की अनुमति दी गई।^३ इसे हम सामाज्य वस्तु-स्थिति वा एक उदाहरण मान सकते हैं। युवराज को भा साम ती विहृ दिय जान थे।^४

उच्च राज कमचारिया के नाम के साथ साम ती उपाधिया क्या मिलती है? या तो सामन्ता अधिका महासामन्ता का विभिन्न राजपत्रों पर नियुक्त किया जाता था या राज्याधिकारिया को ही स्वीकृत साम ती ओहूँ दिय जान थे। पहली सम्भावना कह कारण स ठीक नहीं प्रतीत हाती। पद पुरान थ, जब वि सामन्ती उपाधियाँ नहीं थीं। दूसरे, प्रतीहरा के सामाज्य म कुछ ऐसे राज-कमचारी थे जिन्हें आरम्भ म साम ती उपाधियाँ प्राप्त नहीं थीं। तीसरे यदि हम प्रयत्न मन्म्भावना का स्वीकार कर सकते हैं तो उसका मतलब यह होगा कि युवराज को भी पहले महासामन्त बनाया जाता था और तब उसे युवराज पद पर अभियक्षित किया जाता था। यह शसगत निष्पत्ति होगा क्याहि प्राय ज्यादा पुन ही जमत युवराज माना जाता था। इसलिए दूसरी सम्भावना ज्यादा ठीक जान पड़ती है। साम तीकरण की इस प्रक्रिया ने पूरे समाज का प्रभावित किया और राष्ट्रकूरा के राज्य म साम ती राजाधानी के अनिवार्य गरसनिक और सनिक दाना खण्डों के राज्याधिकारिया को बाईं न-बोई साम ती दर्जा प्रदान किया गया। एसा लगता है वि जब तब विसी पद को सामन्ती रतवा नहीं किया जाता था तब तब उसका अधिक महत्व नहीं होता था।

राज्याधिकारी उत्तरोत्तर साम ती ढाई म ढल रहे इसका सबैत इम बात स मिलता है वि राजा और सामन्ता तथा राजा और राज्याधिकारिया के मम्बाधा का बगत करने के लिए एक ही तरह की 'गृहादभी खल पड़ी। यद्यपि कोटि ये प्रयगासन म एक स्थन पर राजोदजावी 'गृह' का प्रयोग हुआ है^५ लिनु इस बात के अभिनया म राज्याधिकारिया और सामन्ता के निंग एम 'गृह' का प्रयोग बहुत अधिक होन साम। गृह-कान के परिक्रान्त अभिनया म 'पारिश्वादजोवी' 'गृह' का प्रयोग हुआ है लिना अब साम अभिनया तथा अव अभिनया म भी हम इन तरह के बहुत राजा का प्रयोग

^३ ए० २० ११ ३ (नाम १०)।

सप्तश्वर ए० २० ८० ८० ८० १५२।

अस्त्र ए० ३।

^४ ए० २० ८० १ विवरण १० ११।

हने देत है। उदाहरण के लिए 'पादप्रभोपजीवी'^१ 'राजपादोपजीवी'^२ 'पादप्रसादोपजीवी'^३ 'परमद्वरपादोपजीवी'^४ आदि।

कभी कभी सामना के सिए 'भाष्य' और 'सम्बधी' ^५ का भी प्रयोग होता था, जसा कि हम हरिभद्र मूरि (३०० ३३०) की प्राहृत पुस्तक 'समरचनहा'^६ में देखते हैं। इस शृंति से चात होता है कि पराजित सरदार विजेता प्रभु और उसके साम्राज्य के 'कुटुम्बी' बन जाते थे।^७ इस प्रकार एक ही राजा से सम्बद्ध दो साम्राज्य जिनमें से एक गवर था और दूसरा वश्य, एक-दूसरे के साथ 'सम्बधिन' मान जाते थे। इस गाँव को डॉ० दारारथ 'मामा कुटुम्बी' के अध्य में लेते हैं।^८ लेकिन न तो वे एक ही परिवार के थे और न उनके परिवारों में कोई बैवाहिक सम्बन्ध ही था। फिर भी 'सम्बधिन' गाँव का प्रयोग इसलिए बरना पड़ता था कि प्रभु और उसके साम्राज्य के सम्बन्धों का वर्णन और किसी गाँव से ठीक-ठीक नहीं होता था। एक ही प्रभु के दो सामना को परम्पर सम्बन्धी ही बनलाया जाता था। उक्त शृंति से ही हम यह भी चात होता है कि जब सीमा त क्षेत्र के एक सरदार ने अपने प्रभु के विरुद्ध विद्रोह किया तो उम प्रभु के पुत्र न अपने लोगों का उसके विरुद्ध बहुत सारन बारवाई न करन वी सलाह देने हुए वहाँ यह गिरह तो बढ़न मामूली सरनार है। लेकिन वह हमार पिना को कर दिया वारता था। इसलिए वह हमारा सम्बन्धा है और हम उसके पिलाफ कोई मान सनिक बारवाई नहीं करती चाहिए।^९ राजकुमार अपने पिता के नत्य गिरह को अपना बड़ा भाई मानता था।^{१०} मनसव यह हुआ कि राजकुमार और वह सामन दाना जा ग्रान उम एक ही प्रभु के आधित थे। गासवंवग का एक राजकुमार (क्षत्रिय) अपने का गवर सरदार का छाटा भाई मानता है इससे प्रकट होता है कि सामाजिक

^१ ए० इ० ^{२२} न० ४७, पवित्रा १५।

^२ 'भागलपुर घट धार्क नारायणपाल इ० ए० ८७ ३०८ ५० ३७।

^३ का० द० द० ३ न० ४६ पवित्रा ११।

^४ ए० इ० १८ न० १३ पवित्रा १६ ८०।

^५ प्रभित्य अ०५ ८ टवटास्य सेशन अ०५ ८ डियन हिम्ट्रो वाग्रेस (दिल्ली, १८६१) पृष्ठ ८० १।

^६ वही।

^७ वही पृष्ठ ८।

^८ वही।

सम्बद्ध वरावर वश-प्रस्परा से ही, जिस पर वण घम आश्रित था, निपारित नहीं होता था कभी कभी इन सम्बद्धा के मीड़े राजनीतिक तथा सनिक वारणी भी रहा करता था। घमशास्त्रा के अनुसार राजा का आश्रित इस आदिवासी सरदार को अनाय कहना चाहिए लेकिन उसे राजा का पुत्र माना गया है।^१ किंतु पुरानेहों में सम्बद्धी भी और भाष्य शब्द का प्रयोग सामनी सम्बद्धा के मादम में नहीं हुआ है। सामने सरदार और राजविवारिया का वणन साधारणतया राजा के 'पादपदमोपजीवी' के हृष में ही किया गया है। सामनों का मुख्य कर्ता य अपने प्रभु के प्रति निष्ठा रखना और उसकी म प्रभु के नाम का उल्लेख करते थे जसा कि प्रतीहारों व सामने अनुदानपत्रा थे। चाहमान^२ चालुवय^३ गुहिलोत^४ और कलचुरि मामत प्रपने प्रतीहार प्रभुओं को सनिक सहायता देते थे। देवपाल के समय से पाल राजाओं द्वारा जारी किये गये सभी अनुदानपत्रों में ऐसा वणन मिलता है कि उनके जय-स्वर्गवारा में उत्तरी भारत के बहुत से अधीनस्थ अपनी अपनी सेनाओं के साथ उनकी सेवा के लिए उपस्थित थे।^५ इसमें अतिरजना हो सकती है कि उनका इसमें सहेज नहीं कि पाल प्रभुओं के जय स्वर्गवारा में स्थानीय सरनारों का सेना के साथ हाजिर होना पड़ता था। यह तथ्य तो निर्विवाद है कि १०७० ईस्वी के आसपास क्वतों का विद्रोह दवाने के लिए पाल राजा ने अपने सामनों से बहुत बड़े प्रमाणे पर सनिक सहायता प्राप्त की थी।

१ अभिलेखा में सम्बद्धी शा^१ से सबसे ज्यादा मिलता जुलता अथ दनवाने शा द समुच्चय के हृष में हम यासम्ब घमानकाम को ले सकत है। राष्ट्र-कूटी के अनुदानपत्रा म इस शा द समुच्चय वा प्रयोग राष्ट्रपति विद्यपति प्रामकूट पुकनक नियुक्तवाधिवारिक महत्तर आदि के विद्यपण के हृष में हुआ है। स्पष्ट है कि यही इस शा द समुच्चय से किसी प्रकार के सामनी सम्बद्ध का दोष नहीं होता। यह तो उन आदिवारिया के लिए प्रयुक्त एक विनोदण माय है जो भूमि अनुदान से सम्बद्ध थ।

२ हि० २० इ० पी०, ४, पृष्ठ २२ २३ २७।

३ वही पृष्ठ २५।

४ वही।

५ छद्मीचीनानेक नरपति प्रमति परमश्वरसवासमायातानेपजम्बूद्धीप मूपात ।' ए० इ०, १७, न० १७, पक्षितर्या २२ २३।

राष्ट्रकूट अभिलेखा से हमें सामन्तों के अधिकारों और सुविधाओं का व्यवस्था के बारे में कुछ जानकारी मिलती है। सामन्ताद्वारा 'पचमहाराव्द' प्राप्त करना बहुत बड़ा सम्मान का विषय माना जाता था। प्रनीहार^१ और राष्ट्रकूट^२ राजाओं ने अपने कुछ सामन्तों को यह प्रतिष्ठा पद प्रदान किया था। निस्तादेह, किसी भी सामन्त के लिए यह सभ्ये बड़ा सम्मान था, क्योंकि युवराज को भी इसमें बड़ा कोई सामन्ती सम्मान प्राप्त नहीं था। कुछ सामन्त राजाओं ने तो परमभट्टारक महाराज परमेश्वर जमा गरिमापूण विश्व धारण करने के बाद भी इस उपाधि को नहीं छोड़ा। वहस, यह उपाधि असम और उडीसा में तो प्रचलित थी, किन्तु पाल साम्राज्य में नहीं। राष्ट्रकूट के अधीन सामन्तों की सामन्ती सिहामन, चौंवर पालकी और हाथी का उपयोग करने की भी अनुमति दी जाती थी।^३ लेकिन, पालों और प्रनीहारों के राज्यों में हम इस प्रथा की काइ जानकारी नहीं मिलती। जमा कि हम ऊपर देख चुके हैं, सामन्तों का एक महत्वपूर्ण अधिकार यह था कि वे अपने उपसामने बना सकें। इन उपसामन्तों में से भी कुछ को 'पचमहारा'^४ का प्रयोग करने का अधिकार दिया जाता था। यहाँ हम कामण के गिलाहारा के सामन्त मट्टासामन तिष्वदेवरस^५ और गुजरात वा राष्ट्रकूट के सामन्त सामन उद्घवरस^६ के उनाहरण से सकते हैं। बड़े बड़े सामनों को, सिवाय इसके कि उट्ट अपने अपने प्रभुओं की अधीनता की स्वीकृति-स्वरूप कर देन पड़ता था, अपने प्रसन्न क्षेत्रों के राजमूल पर तिवार अभिनार प्राप्त था। वे चाहे जिसे वर मम्बधी अधिकार द सकते थे^७ अनुशान में गर्व भी दे सकते थे। इसके निए उन्होंने अपने प्रभु की अनुमति लेनी पड़ती थी और कभी नहीं भी लेनी पड़ती थी। पश्चिमी

^१ ए० द, ४, न० ४८ पक्तियाँ १००, ८० १, पक्ति ३।

^२ वही, २२ न० १२, पक्ति ३६ इ० १०, १२, १८४, ऐट २ 'वी, पक्ति १, इन अनुशानपत्रों में 'समाधिगता शेषमहाशान', शान् समुच्चय का प्रयोग हुआ है लमिन दबिए असतकर स० प्र० पु० के पृष्ठ ४२ में उड़त द्वितीय वक्त वा अजोली उरोली अभिलेख।

^३ अलतेकर, स० प्र० पु०, पृष्ठ २६३।

^४ ए० इ०, १६, न० ८ 'ए, पक्तियाँ ४५।

^५ वही, ३, न० ६, पक्तियाँ १० १६।

^६ इ० ए०, १३ १३० १, पक्तिया ४५ ५८, १२, १३६।

चानुक्या वे राज्य में साम्राज्य अनुमति दे दिना गाड़ बेच भी सकते थे।^१

अरने प्रभु दे प्रति साम्राज्य के असनिश्च और सनिश्च दोनों तरह के कताय होने थे। उनका सबसे बड़ा अमनिक कल्याण प्रभु को नियमित रूप से कर देना था, जिस प्रभु कभी रुमी व्यक्तिश जाकर बसूल करता था। राष्ट्रकूट राजा नतीय गणित^२ न अपने साम्राज्य के बर बमूल करने के लिए अपने साम्राज्य के दधिणी हिस्से का दीरा दिया था।^३ याद बी एक बुनि ‘नीतिवाक्यामत से नान होता है कि प्रभु के पर पुनर जन्म या विवाहात्मक क अवसर पर साम्राज्य के दरबार में विशेष उपहार भट्ट करते थे।^४ असनिक रूप के अन्य कल्याण में राजकीय आदान का पारन तथा उत्सवा के अवसर पर और समय यमय पर राजदरबार में सामना भी उपस्थिति गामिल थी।^५ राजदरबार में उपस्थित होकर व अपनी राजमवित का यशिक्य देते थे। स्पष्ट ही प्रभु का सलाह मणिरा देना या केंद्र में उसकी ओह प्रगामिक सहायता करना साम्राज्य के अन्यायों का अग नहीं था।

साम्राज्य का मनिक कल्याण के अधिक महत्वपूर्ण था और उनकी यह जिम्मेवारी थी कि युद्ध के अवसर पर प्रभु की सनिक सहायता करें। राष्ट्रकूटों के साम्राज्यों को एक धास मध्या में सनिक दून पड़ने वे और अपने प्रभु की लगाव्या में उसक कधे से उन्होंने मिला और लड़ना पड़ता था। यहाँ के विश्वद्वारा राष्ट्रकृष्ण की लगाइ में यहाँ के चानुक्या ने जो उनका साम्राज्य थे उन्हें सनिक सहायता दी। साम्राज्य राजनार्थमिह चानुक्य जातीय इन्द्र का साम्राज्य था युजर प्रतीहार राजा महीयान के विश्वद्वारा इन्द्र के युद्ध में उसक साथ होकर बटों बटादुरी से लड़ा था।^६ राष्ट्रकूटों ने युजरात में अपना एक उपराज्य स्थापित किया था जो एवहारन बड़त थठी जानीर ही था। इसकी स्थापना का उद्देश्य युजर प्रतीहारा से मालवा की रम्भा करना था।^७ यानि मैं एक बी सदी में इस प्रदेश का आधिक्य प्राप्त करने के लिए मालवा और राजकूल भी एक दूसरे से लाहा लत रहा।

^१ इ० इ० ८०७।

^२ इ० इ० ११ १२३।

^३ इ० ३२ अनन्दर, म० प्र० पु० ३०० के पृष्ठ २६५ में उढ़त।

^४ वही पृष्ठ २६८।

^५ वही पृष्ठ ६१ ६५।

^६ नाम वमा युन बनार्स नापाभूषण म० एम० रादम भूमिका पृष्ठ १४।

^७ इ० इ० १० १५८।

जिस प्रकार राष्ट्रकूट राजा अपने सामतो से सेनिर सेवा की अपना रखने थे, उसी प्रकार उनके सामतो भी अपन उपसामता से सनिक सेवा की अपना रखते थे। उनका प्रमाण हम शिलाहार महामण्डलेश्वर गण्डरादियदेव कोत्तापुर अमिलाय म मिनाना है। यद्यपि अभिनव ११३५ ईस्वा का है लेकिन इस उस समय की वस्तु स्थिति का चातक भाना जा सकता है, जब गिलाहार राष्ट्रकूटा का सामता था। इसम विभिन्न सामतों के साथ महासामन्त निष्वदेवेस के मध्यमा का बणन हुआ है। इन सामतों म संकुच शत्रु भाव और कुछ मिश्र भाव रखनेवाले थे। यद्यपि मिश्र भाव और गत्रु भाव से तात्पर्य, गायद निष्वदेवरम के प्रभु गण्डरादित्य के प्रति मिश्र भाव और गत्रु भाव रखने वाले सामता से है। महासामत के पराम्रम का बणन करते हुए उम 'विजय-लक्ष्मी वा स्वामी गत्रु सामतों की पत्तियों के भाल की शोभा वा मञ्जर, वीरा की पर्णनया का श्रिय, वीरी माम न स्पी मध्या का विघटन करने वाला समीर नागनदी के द्विग मदमत्त हाथी विद्वेषी सामता के लिए प्रलय वाल, याम्य सामता के निए गापाल, तारासुर क विरोधी सामता के लिए वीरकुमार, टोण्ड सामन्त स्पी कमला दो कुचलनवाला प्रचण्ड हाथी सामत शिरोमणि गण्डरा नित्यदेव की दश दक्षिण नुजा म दण्ड हृषि^१ कहा गया है। महासामत के पराम्रम की यह प्रगत्ति गादा साची न हो तो भी इसस इनना ता प्रस्त होता ही है कि शत्रु सामतो का दमन करना और मिश्र सामतों की रक्षा करना महासामत का कर्त यथा।

प्रभु अपने सामत राजाओं पर तरह-तरह से नियन्त्रण रखता था। राष्ट्रकूट माझाय म सामत राजाओं को अपने यहा प्रभु का एक दून रखना पड़ता था। वह माट तौरपर राज काज के निशरामी करता था और उस पर नियन्त्रण रखता था। उसकी तुलना हम विटिन गासन वाल मे भारत के दूरी राज्यों म निषुभ रजीडाटा से कर सकते हैं। सुलेमान कहता है कि सर्वोच्च सत्ताधारी के प्रतिनिधि का जमा स्वामत से बार हाना चाहिए वसा ही उसका स्वामत

१ विजयलक्ष्मीका तम रिपुसामतमीमत्तिनीसीम तभगम् वीरवाराण्या-
श्रिय भुजगम वीरीसामत मेषविघटनममारणम नागलद्वीय गाधवारणम
विद्विष्टमामत विलयकालम, सामतगण्डगापालम, दायादसामततारासुर
वीरकुमारम सामतवेदारम, टाण्डसामतपुण्डीरिक्षपद्ग्रचण्डभद्रेदण्डम
गण्डरादियदेवदशिणभुजान्धम सामतगिरामणि । ४० ३०, १६
न० ६ ए पत्तियां ५८।

किया गया। सम्राट् मारी वस्तु हिति से अद्वगत रहने के लिए बहुत-से गुप्तचर रखता था। कहते हैं, प्रथम श्रमाधिक विरोधी राजाओं के दरवारों में वारा गणा रखता था, जो गायद सम्राट् के प्रतिनिधियों के आपील काम करती थी।^१ प्रभु अपने सामना के राज्यों से जब-तब तुड़ गाय अपने क्रियजनों का दक्षर उठाएँ अपनी सत्ता का बोध करता रहता था। उदाहरण के लिए, द्वितीय बृह्ण ने महासाम्राज्य प्रबण्ड के राज्य में पड़नेवाला एक गाव किसी को दिया।^२ गर वासादार साम्राज्य राजाओं को अपमान और प्रतिगाय का भय नियाकर नियन्त्रण में रखा जाता था। विद्रोह विफल होने पर तरह-तरह में उनका अपमान किया जाता था। वेगी के गासर का विचरण द्वितीय गोवि द के अस्तवना को सफाई का काम करने पर मजबूर किया गया था।^३ विद्रोह के दशष्ट स्वरूप साम्राज्य राजा कीमती हीरे जवाहरात बोया नत्यायनाओं पाठों और हाविया संवित वरदिय जाते थे।^४ यहाँ तक कि उनकी पत्नियों को भी कारागार में छान दिया जाता था।^५ कभा-कभी पराजित सामन्य राजाओं की सारा सम्पत्ति और राज्य की लिय जात थी और उह राजा अपने आश्रितों के निर्दार के लिए उनकी बीच बाढ़ दिना था। तीनीय बृह्ण ने दक्षिण आकट जिन में जाना का राज्य जातने का बार ऐसा ही किया था।^६

सामना का साथ "प्रहार करने के लिए राज्य न करा थावस्था कर रखी थी, इसकी हम कोइ स्पष्ट जानकारी नहीं है। राष्ट्रबूद्धि के राज्य में तो गायद महायात्रियिति के उद्दारात में जी और गानिकाल में भी सामना के प्रति राज्यवीय नीति का सचालन करता था। असतरर के विचार से यह अधिकारी सभी भूमि घनुगानपत्रा के मसपिद तथार करता था वयाकि पर राज्य विभाग के पास दाता के परामर्शों द्वारा वया उक्त के बार में प्रसंग महा और ताजी जान कारा रहनी था जिसे घनुगानपत्र में समिलित किया जाता था।^७ लक्ष्मि, घनुगानपत्र में उनका ही महत्वपूर्ण स्थान दाता और प्रदाता तथा प्रत्यक्ष गौव

^१ असतरर स० प्र० पु० पृ० २६८।

^२ प० इ० १ न० ८, विविधों ३३८।

वहा १८ न० १६ "वारा ६, ८।

^४ असतरर स० प्र० पु०, तुड़ २६८।

^५ वयो।

^६ ८० इ० ८ न० ८० उनाक ३४५।

^७ असतरर ग०प्र० पु० पृ० १६६।

के नाम-पते ठोर ठिकान को दिया जाता था, और इन सबका तो ज्यादा सही-सही राजस्व अधिकारी ही दज कर सकता था। 'विष्णुघर्मोत्तर पुराण' में बताया गया है कि साँघविप्रहिंक को आय-व्यय का नाम होना चाहिए, और अलग अलग इलाकों के लोगों की जानकारी और विभिन्न दात्रा की जाया का नाम होना चाहिए।^१ स्पष्ट है कि भूमि अनुदान साँघविप्रहिंक को असतिए बरना पड़ता था कि तरहनरह के साम्राज्य व साध सम्बद्ध बनाय रखने में इस नीति का प्रभुल म्यान था। ६३३ द्रवी म राष्ट्रकूटों का प्रभुत्व समाप्त करनेवाल वत्याणी के चालुवय वर्ष के राजा तीर्थ सोमेश्वर की वाति 'मानसोल्लास (रचना-काल १३१) में वहां गया है कि साँघविप्रहिंक वा साम्राज्य, मण्ड लेशा और विशेषर मायका को अपने सामने उपस्थित हृत को मजबूर करने और उह पदच्युत तथा नय लोगों को इन म्याना पर प्रतिष्ठित करने में कुशल होना चाहिए।^२ चूंकि गाति काल में साम्राज्यों के सम्बद्ध में राज्य का मुम्य काय अनुदान में नी गई भूमि पर नयाया कर वसूल करना या जामीरा पर साम्राज्य के धेनाधिकार का निधारण और नियमन करना होता था इमलिए साँघविप्रहिंक घर्मेतर अनुदानपत्र ही नहीं बल्कि मर्दिरा और ग्राहण। से सम्बद्ध अनुदानपत्र भी तयार किया करना था।^३

सम्राट् व नियन्त्रण के बावजूद सामन लोग कभी-कभी केंद्रीय राजनीति में हस्तक्षेप किया करते थे। द्वितीय गाविंद के सामना न उसके दिलाफ विद्रोह करके राजमुकुट उसके चाचा तीर्थ अमोघवय का प्रदान किया और राष्ट्रकूट साम्राज्य के गौरव की रक्षा करने के लिए उम राजमुकुट स्वीकार करना पड़ा। अलतेकर व विचार से उपयुक्त अथ देनेवाल इस शान्त समुच्चय 'साम्राज्यरक्षणरायमहि मालम्बाधमम्यथित'^४—का प्रयोग यहा लाभणिक ढग से किया गया है।^५ लेकिन हम मालूम हैं कि बगात म पाल वर्णीय राजा और उडीसा म सामवर्णीय राजा कभी कभी चुनाव द्वारा नियुक्त किये जाते

^१ २ २४ १६ १७।

^२ २ इलोक १२८।

^३ यान० मितान्त्ररा, १ ३१६ २०।

^४ ए०इ०, ४ न० ४० इलाक २१, ५, न० २०, इलोक १६।

^५ अलतेकर स० प्र० पु०, पृष्ठ १५१।

१। इस सत्य को देखते हुए तत्त्वीय अप्रोपश्य का शुल्काय नी था। घग्गरा नहीं प्रतीत होती। इसमें प्राट होता है कि गाम उ साग राजामारा का पर्यानुत और नये राजामारा को लिहाजनाएँ भी कर गाता था। ही यह गरी है कि ऐसे प्रथम बहुत कम भात थे और गामता में इस काय का गवानिह मायना प्राप्त नहीं थी।

स्थानीय गामन ये, जो धीरे धीरे गाड़ुचिया पाठियारिया परिधिया में सिमरना चक्का जा रहा था, गाम तो और अभिजात तत्त्वा का इषाइ कारो महत्वपूर्ण था। १० या १२ गीवा के एकांगा की दृष्टि रण भगवन्मारु अधिकारिया की नियमित जिसा अधिकारी अपन संग सम्बद्धियों में दर्शता था। प्रथम अप्रोपश्य के समय में धारवार जिसे एक अधिकारी ने जो २०० गीवा के एक भूमि का गामक था, १२ गीवा के एक इषाइ एकांगा की व्यवस्था घरने एवं लुटावी की गीत रखी थी,^१ उनकामी के गामक दर्शन के अपन दुश्म पुरानट वो निष्ठयु ग द्वादश (शरह गीवा व समूह) का ग्रामन वभाजन के नियम नियुक्त किया।^२ अनन्देवर के अनुवार रघिर राष्ट्रीय राष्ट्रपति और राष्ट्रपति ये। वा अपोग स्थानीय सराया जिसा अधिकारिया और वर्ष वर्ष मिमिनिया के तिथि किया जाता था।^३ कुछ अभिजाता में विषयमहागामा और गाड़ुचागामाका का भी उ नव मिलता है।^४ ये भी स्थानीय गामन व्यव दा स ही सम्पूर्ण जान पढ़त हैं किन्तु ये गाय चूने वहां जाते थे। ये पर्यानुभिजात लोगों की याए परम्परा से प्राप्त होते थे।

अनुदानपत्रा में वयल गीवा के महत्वता के उल्लंघन स प्रकट होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में एक प्रशारवा गामाजक वर्गीकरण था। वयाज और विहार के पाल अनुदानपत्रों में व्याह्या से लेपर चाषाल तक सभी यों के लोगों को सम्बद्धित अनुदाना की मूल्यना दी गई है। कि तु महाराष्ट्र और गुजरात के राष्ट्रकूर अनुदानपत्रा में उनका स्थान महत्वता या मठलराधिकारिया ने ने रखा है।^५ इनमें स कुछ का इनका और भी बहु गया और ये राष्ट्रकूर बन गय। महत्वतर गांगुराणक जिसा प्रथम अप्रोपश्य के एक अनुदानपत्र का

^१ इ० इ० ६, १०७।

^२ वही ७ २१४।

^३ अनन्देवर म० प्र० पु०, पृष्ठ २६।

^४ वही पृष्ठ ११८।

^५ इ० ग०, ११ २५१ प० ४१, २६३ पात्तर्यां ४५ ४६।

प्रवना किया,^१ इसमा एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण द्वितीय वर्ष के समय में राणक पर्व का उपभोग वरनवाला एक महत्तरमर्वाधिकारी है।^२ स्पष्ट है कि महनरा वा भन्धा वडन से ग्रामीण आदानी के दूसरे घरों के महत्व में कमी प्राप्त होती है। महत्तरा वा रुन में समाज में एक ऐसा वर्ग लड़ा हो गया था जिससे राष्ट्रकूट राजा अपने उच्चाधिकारी चुना करते थे और इस वर्ग से राष्ट्रकूट वा राज्य में सामंतवाले विकास को भी उत्तेजित किया।

राष्ट्रकूट नासन प्रणाली की एक विशेषता थी राज्य और गिर्वाल एवं व्यापार थेणिया के बीच सामंती सम्बंधों का विकास। चालुक्य राजा जगदेश्वर मन्त्र न दम्भल वा व्यापारियों की एक श्रणि को छप, चंबर और राजकीय सनद प्रदान की।^३ राष्ट्रकूटा के प्रधीन मीठे थेणियों की स्थिति ऐसी ही जान पड़ती है, जिनकी राष्ट्रकूटा वे सामंत गिलाहारा के कोल्हापुर^४ और मिराज^५ में प्राप्त अभिलेखों में एक उल्लेख है कि बीच बलजा (बहादुर व्यापारियों के समूह) के घर पर पहाड़ी वा निशान अक्षित था। छप, चंबर और घर राजाओं द्वारा थेणियों का दिये गये अधिकारों का प्रतीक थे और यह हम मध्य वालीन यूरोप में गिल्ना को दी जानेवाली सामन्ती सनदों का स्मरण कराता है। जिस प्रकार सामंतों का अपने प्रभु को सनिक दर्शन कराते थे उसी प्रकार इन थेणियों के लिए भी अपने प्रभु को सनिक दर्शन करावश्यक था। कोल्हापुर अमिलेख में व्यापारियों की थेणि का वर्णन 'ऐसे साहसी शूर-बीरों के रूप में विद्या गया है जो परम याम्बों थे, जिनके हृदय में अपने बाहु-बल से विजयथी के वरण के लिए उमर थी, जिनका पराक्रम विश्व विश्वुत था।'^६ चालुक्यों के राज्य की एक ऐसी ही थेणि कावणन करते हुए कहा गया है कि इसके साम्यों के हृदय में प्रचण्डता और शूरता की दबी वास करती है।^७ इस सबसे प्रकट होता है कि थेणियों के पास अपने सनिक होते थे और वे शायद अपने

^१ ए० इ० १८, २५७।

^२ अलतवार, स० प्र० पु०, पृष्ठ १६०।

^३ इ० ए०, १०, १८।

^४ ए० इ०, १८, न० ४ पक्ति १२।

^५ वही वी पक्तिया २३। चालुक्य अमिलेख (इ० ए०, ५, ३४४) में भी थेणि के घर वा उल्लेख है।

^६ ए० इ० १८, ३४।

^७ इ० ए० १० १८ १८६।

११०

अपने प्रभुओं की साम्राज्यिक सहायता भी करती थी।^१

पाला की कोई स्थायी राजधानी नहीं थी। पाटलिपुर,^२ मृदूगणिरि^३ रामावती^४ (मातदा जिले में आधुनिक गोड के पास), विलामपुर या हरथाम^५ साहसगण्ड,^६ काचनपुर^७ और बपिलवासर^८ का उल्लेख उनके जय जानकारी अभी नहीं मिल पाइ है। इनमें से अतिम चार की ठीक स्थिति की थे और यह नदी पाल साम्राज्य का एकता के सूत्र में बाधने का बहुत बड़ा साधन थी। लक्ष्मि राजधानी के बराबर बदलते रहन से निश्चय ही विघटन की प्रवति को बढ़ावा मिला। राजधानी परिवर्तन से प्रशासन के विकेंद्री दृष्टि से प्रतीहारों के राज्य में अधिक स्थायित्व या क्याकि उनकी राजधानी के रूप में बदल दा नगरो—उज्जयिनी और महोत्त्व अर्थात् बन्नोज का ही उल्लेख मिलता है।^९ उह सामन्त सरदारों पर अपनी सत्ता का रोब जमान के लिए अपनी राजधानी बदलन की जहरत की महसूस नहीं हुई।

पाला के विपरीत राष्ट्रकूटा की एक स्थायी राजधानी थी, जिसका नाम

१ ऐ० इ० ८ न० ३६।

२ ग्रा० बशम का बहना है कि चुल्वश व अनुमार मणिग्राम लक्षा के राजाया को विराय क सन्निव दिया करता था।

३ भागलपुर लेट आफ नारायण पाल इ० ऐ० ६७ पृष्ठ ३०४, पत्तियाँ २७ ८।

४ द मनहालि बाहर लेट एस्टटरा ' ज० ९० स० ० व० ६२ माग १, पृष्ठ ६६, पत्ति ३०।

५ इ० ६० १६ १६६६८ २१ ६७ १०१ ऐ० इ० न० २३ पत्ति २८ मिलाइए वही २६ ४ पा० हि० ३।

६ ऐ० इ० २६ न० १ वी पत्ति २६।

७ वही न० ७ पत्ति २४।

८ वही २३ न० ४७ पत्ति २।

९ प्रतीहारों की एक प्रारम्भिक राजधानी भैरता में भी थी। यह स्थान महोर में ६० मील उत्तर पश्चिम में पड़ता था। भाजे राजधानी गढ़ वा जो भय है उस भय में उसका प्रयाग मध्य बाल में दक्षिण भारत में है (द अर्लीटिस्ट्री और द टेक्न १६ म० ज० याजदानी, पृष्ठ ५१)।

मायबेट या मालखेड था। उनके बई सनिक तथा साधारण शिविरों का उल्लेख हुआ है,^१ जहाँ से उहाने भूमि अनुदान की सनद जारी थी। अल-मसूदी के विवरण से जात होता है कि राष्ट्रकूटा की राजधानी साधारणतया पवत प्रदेशों में रहती थी बिना अलतेकर इस बात को नहीं मानत।^२ किर भी मसूदी के क्षयत से यह निष्पक्ष निवाला जा सकता है कि विद्रोही सामृता को अद्वान के लिए वे अपने सनिक शिविर बदलते रहते थे और इसके लिए एसे पहाड़ी स्थान चुनते थे जो सुरक्षा की दृष्टि से अच्छे होते थे।

राजपूतों ने ऐसा शासनतात्र चलाया जिससे पुरान और वैसे वसाये गाँवों पर बड़े-बड़े परिवारों का आधिपत्य स्थापित हुआ। वह तो कुछ राजपूत देश के पुरान क्षत्रियों के बगज थे और कुछ आदिवासी फुसा स निकल वे पर कुछ राजपूत बाहर से भी अवश्य आये। गुजर लोग हूणा के पीछे पीछे मध्य एणिया से आये। ख्याल है कि मध्य एणिया की वुसुन जाति वे लोग ही भारत आकर अत म गुजर कहलाने लो : चौथी सरी म वुसुन लोग गुमुर कहलाने लग और इसीसे गुजर दृश्य बना जिमका सस्कत रूप गुजर हो गया^३। इस स्थापना म हम अपनी ओर से इनना जोड सकते हैं कि गुमुर लाग भारत म बहुत पहल आ गये थे। शास्त्रोत्तावाद म प्राप्त तीमरी गतादी के एक अभिलेम मे मक के पुन और गगूर कुल के एक सदस्य 'गफर' का उल्लेख देखा है।^४ 'मक' और 'गफर' दोनों विदेशी नाम हैं दूसी प्रकार गगर' भी। इस गगूर गादवा शारियन 'गुशर' और कुचो सम्बत 'गोगुर' का पर्याय माना गया है और इसका अथ उच्च कुसोत्पन्न या गोगुर अभिनात कुल म उत्पन्न व्यक्ति लगाया गया है।^५ इससे यह निष्पक्ष निवालता है कि गोगुर या गुनर लाग भारत म विजेता के रूप म आय और स्वभावत उनकी सभ्या बहुत बहुत बहुत थी। वाहर स आकर गुबर परिवार न आवाद गावा पर अपना प्रभुत्व कायम कर लिया। युद्ध म प्राप्त जमीन-जायदाद को आपम म बाट लेने की गणजातीय प्रथा के अनुमार विजेता सरदारा ने गावा को आपस म बाट लिया। उनम स कुछ का य गाव द८८४ के एकाशी म प्राप्त है। राष्ट्रकूटा के अधीन हमें गुजरात म १२

^१ वहो ११ १५६, पवित्र ३७ ए० इ० न० १३, पवित्र ३२।

^२ अन्तकर, स० प्र० पू० प० प० २४६।

^३ पी० सी० बापची, द डिमा एण्ड सेन्ट्रल एणिया, प० १३८ ६।

^४ ए० इ० २०, ६१।

^५ वही।

११२

मोर ८४ गीवा के लाला गिमा है और इसका वारन शायः योगी या ति
यही गुजरा की बहिरायी था।^१ गुजर प्रीहारा त गामागय में हमारे गामा
ऐसा एकां सबग पट्ट प्रीहारा त गामागय में हमारे गामा
लग म भाता है।^२ इन्हुंनी चाहमारा, परमारा और पांगुला एवं गामा।^३ अधिक
द्वारा गिर एकांग व वर्द्ध उत्तर गिमा^४।^५ गर्वा वारन गामा पद है
विषयी गमनी गणजातियों गुजर प्राचीरुंग गामद था। वारना का गिम
भनुश्रुति म इन तीन जातियों का घासुंगाह एवं गामद था। वारना का गिम
बतलाया गया है उससे भी यही निवाय निरन्तर है।

बया मध्य एकांग व दूष्यनी गणजातीय गमठा म गोंगा को इसी गाम
प्रवार की इकाई म थाई सत की प्रथा थी ? प्रत्युष प्रगत म इस गवान की
छानबीन वरना उपयोगी रणा। जब पूर्विया न दूसरों द्वारा चानी १० पूर्व म
ताहिया (तुमारिस्तन) का जीता उहान गार थव को घपन गरन्दांगे वे
बीच बाँट दिया।^६ उक्तिन् पूर्व मध्य गाल म मध्य एकांगर्द गणजातीया व
महत तुमारिस्तन म गिमता है। यही के तुर्ही शागर ने धीनिया की गहाय
जा मध्य एकांग म रहनी थी और जितना निहांग पाटवी शागरी स प्राचीन
म भाता है आतरिक गमठन भी पुछ इसी दग था या। प्रारम्भ म इस
जाति म नौ गण गामिन थे।^७ लेकिन जस य सोग मध्य पराजित जोगा
का ग्राममात वरत गय वसेवरा इनवे गणा का मस्या बड़ी गयी और ११वीं

१ पदिच्छीतर और मध्य एकांग के स्थाना व नामा से गुजरा के ग्रामेण्ठि
विस्तार की रूप रेखा पर बुछ प्रकाश पड़ सकता है, और मसलमाना तथा
अपेक्षा के समय के ग्राम इकांगों पर विचार करने से उनका मत स्वरूप
इसी हृद तक सामने आ सकता है।

२ ए० इ० न० ६ १ ए० पवित १०।

३ रा० थ० नमा लड ग्राट स ढु वस्त्स एड ग्राविनियत्स इन नोदन
इडिया ज० इ० स० ओ० ६ ८८ १० ६१ ६४।

४ वी० स० वाग्वी, स प्र० पु० का पठ २१।

५ वही पठ २२ २३।

६ स० इ० बासवय द ग्रनवाट्स पठ २१०।

शताब्दी तक तो २२ हो गयी।^१ वारण में चलकर इनकी संख्या २८ हो गयी क्योंकि सलजुक राजा की किनिक जाति को अमोगज जानि की चौबीस कुल-गांवाशा में से एक बनाया गया है।^२ प्रत्यक्ष राष्ट्र द्वारा अपने अपने गोनों^३ की संख्या में बढ़ि बरतन की इम मध्य एशियाई प्रथा को मध्य काल में गांवद भारत न भी अपना लिया। वारण परम्परा के अनुभाव राजपूत जानि में छह से छह दो वर्षों के अनुभाव हैं कि प्रारम्भ में इनकी संख्या बारह या चौबीस रही हो। ऐसा जान पड़ता है कि जब कभी नये प्रवेश जीन जाते थे विनेन जनि की प्रत्यक्ष शासन का कम से कम एक गाँव दिया जाता था जिसके परिणामस्वरूप बारह या चौबीस गाँव के एकांशों का उदय हुआ। किंतु बाद में यह एकांश स्तर हो गय और क्वोने के प्रवान या गांव सरकार के वशघर दो दी जाने वाली जापीर भ सम्मिलित गाँव की संख्या नियमत बारह या चौबीस अथवा छह से छह दो जादि होने लगी।

दशमिक और द्वादशमिक प्रणाली के बीच व्या आतर था ? पाला के राज्य में राजस्व एक बरन के लिए ग्रामपतिया और दायामिका के अधान नमन एक एक और दस दम गाँव के एकांश हुआ करते थे।^४ यह पद्धति मनु के समय से हा चली आ रही थी और इसकी चचा कह परदर्ती ग्राम या म भी हुई है। विष्णुधर्मोत्तर पुराण म ऐसे ग्रामिकारिया को ग्रामेण अथवा ग्रामस्थापिति, दशशामाविष्य अथवा दशपाल, शनशामाविष्य अथवा नवेन और विष्वदशपर बहा गया ह।^५ ऐसा प्रतीत होता है कि दशमिक प्रणाली में राजा द्वारा नियुक्त अधिकारी अपने अधीनस्थ क्षेत्र का प्रशासन सीधे केंद्र के नियंत्रण में करता था। पाला के अधीन राज कमचारिया की बहुलता का वारण शायद यही था यद्यपि राष्ट्रकूटा के राज्य में भी सामन राजाया और उनके मन्त्रियों के अधान बनिष्य दशमिक एकांश थे। इससे बात यह है कि दशमिक प्रणाली के द्वादश अधिकारिया का वेतन के स्तर में जमान दी जाती थी जो उनके अधीनस्थ गांवों का एक बहुत हा छाटा हिस्सा हुआ करती था। इसके

^१ वही पठ २१० ११।

^२ वही पठ २६८ पा० ८० टि० ४६।

^३ गाँव का प्रयोग यही बड़े परिवार के अध्य में हुआ है।

^४ ए० इ० । न० ३८, पक्षि ८३। दायामी का उल्लेख मन्त्रप्रथम कीटिल्य के अध्याम्ब्र में मिलता है।

^५ २६१ १६।

विपरीत, परवर्ती चाहमान अभिलेख से पता चलता है कि द्वादशमिक प्रणाली के अंतर्गत गोवा वा गासन सामाजिक नियमि त राजकमचारिया के हाथा में नहीं बल्कि सामन्तों के हाथा में हुआ करता था, जो माधारणत शासक वसा के हुए बरते थे। किर, ऐसा जान पड़ता है कि दशमिक प्रणाली का प्रचलन उत्तर पूर्वी भारत में या और आठवीं शताब्दी में यह दक्षिण भूमि प्रचलित हो गयी, यदोकि दृष्टा बाहर से आप नष्ट लोग कोई बहुत बड़ी सारांश में प्रवेश नहीं कर पाये। इसके विपरीत, द्वादशमिक प्रणाली राजस्थान के कुछ निम्नांक गुजरात में प्रचलित थी और बाद में उत्तर प्रदेश में भी दूसरा प्रचलन हुआ।^१ बाला नर से इन राजपूत याम इवाच्या के नामक अपने गापको इनका भीतर मानन लग और इन थोड़ा को स्वभोग भूमि कहने लगे।

भूमिपर महिरो और विहारी पुरोहितों और द्वादशी की सम्मान में बढ़ि, सामन्तों और राजकमचारियों को वेनन के रूप में भूमि अनुदान दिया जाना, राजाओं और राजकमचारियों की उपाधियों का सामनीकरण, राजप्रानियों का बहस्ता परिवर्तन, पुराने गोवा वा राजपूत परिवारों के दीक्षा विभाजन—इन तमाम बातों वा हम उत्तर भारत की मध्य-कालीन राज्य-व्यवस्था के मामन्ती तत्त्व भान सकते हैं। किन्तु कुल मिलाकर ये विशेषताएँ पाल राज्य व्यवस्था की अवधा प्रतीक्षा राज्य व्यवस्था में अधिक स्पष्ट और व्यापक रूप में विद्यमान थीं। काइ मामला में राष्ट्रकूट राज्य व्यवस्था अधिक सामन्तवादी थी। राष्ट्रकूट माध्यम से राजस्व तथा प्रशासन सम्बंधी अधिकार वा उपभोग करने वाले धार्मिक भोक्ताओं की सम्मान काफी थी, मामन्ता द्वारा उपसामाजिक बनाने की प्रथा अधिक फली हुई थी सामन्ता के क्षत्रज्ञ और अधिकार काफी हुदहतक मुनिशिवत थे और ये कभी भी राजा तक को अपनस्थ कर सकते थे और व्यापार तथा गिरियों को भी मामन्त माना जाता था। राजकमचारियों की सह्या कम था और उनका स्वरूप सामन्ती होता जा रहा था। स्थानीय गासन मुस्यन सामन्ती ढण के कमचारियों, सामन्तों और उनके परिवारों के हाथों में था, और ये नोग शायद गौवों के महत्तरा के साथ विसी न हिमी प्रकार वा सम्बंध बनाये रखते थे। किन्तु, राष्ट्रकूटा की राजप्रानी स्थायी थी और उनके सामाजिक में बारह गोवा की राजपूती इकाइया के बजाय सामन्तों पर दशमिक प्रणाली चलनी थी।

^१ एच॰ सी॰ रायबोरी, द अलीं हिम्टी ऑफ द हेक्स, भाग १, स० जी॰ प्राजनी पृष्ठ ५१।

परिच्छेद ३

तीन राज्यों में सामन्तवादी अर्थव्यवस्था

(लाभग ७५० १००० इस्को)

गुप्त-काल और गुप्तोत्तर-काल में राजा और जमीन के असली जोतदारों के बीच अनुदानभागी निवास वग वा उदय हुआ विसानों तथा शिल्पियों के अपने प्रपने पुराने क्षेत्रों से हटन पर प्रतिवध लगे और यापार का अपवाह हुआ। आगे चल कर पाला ग्रीष्मारो और राष्ट्रकूटा के राज्यों में सामन्तवादी अर्थव्यवस्था की यह तीनों विशेषताएँ और भी प्रबल हो उठी। पालों ने धार्मिक प्रयोजन से खूब भूमि अनुदान दिय। इन ग्रन्तियों के भोक्ता वैष्णव^१ और गव^२ मन्त्रिये। विन्तु इस दण्डि से सबसे महत्वपूर्ण स्थान बोद्ध विहार का था।^३ सातवी शताब्दी के उत्तराध मन्त्रालय में नालादा विहार के अधीन २०० गाँव थे।^४ नौवी सदों में देवपाल से उसे पांच और गाँव मिले।^५ इसी प्रकार उहात पुरी, विक्रमशिला और जगदल विहारों के अधीन सकड़ों गाँव थे।^६ ऐसा कहा गया है कि बगाल में स्त्री के साथक बहुत कम जमीन ऐसे अनुदानों में दी गयी थी और उनका सामान्य कृपक समुदाय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा,^७ परन्तु

१ ए० इ०, ४, न० ३४, पक्षियाँ ३० ५२।

२ ए० इ०, ४७, पृष्ठ ३०४ से आगे, पक्षियाँ ३६ ४६।

३ ए० इ०, २३ न ८७, पक्षियाँ १७ २४।

४ तवकुमु(प्रनु०) एवेकटशोप द्विद्विष्ट गिलीजन(इत्सग का विवरण) पृ० ६५।

५ ए० इ० १७ न० १७, पक्षियाँ ३३ ४०।

६ यही।

७ पी० सी० अश्वर्ता, हिस्ट्री आफ बगाल, १ (स० आर० सी० मजुमार), पृष्ठ ६४७।

यह सोचना ठीक नहीं है। हप वे समय में शक्षणिक तथा धार्मिक प्रयोजनों के लिए राजस्व का चौधार्य हिस्सा अनुदान में दिया जाता था और यह प्रथा शायद बाद में भी चलती रही। जो भी हो पाला के जो अनुशानपत्र उपसंघ हैं उनसे भी प्रकट होता है कि बहुत सारे गाँव पुरोहिता मंदिरों और भठा के अधीन थे। उपसंघ अनुदानपत्र के आधार पर तो यह नहीं कहा जा सकता कि प्रतीहारा के राज्य में भी बड़ी बड़ी धार्मिक और शक्षणिक संस्थाओं के हाथों में बहुत ज्यादा गाँव थे, लेकिन इतना निश्चित है कि उनके राज्य में भी बहुत से गाँव अग्रहार बनाय गये।^३ इसने अतिरिक्त, खास खास पुरोहितों और मंदिरों को भी प्रतीहार राजाओं और साम्राज्यों से बाफी गाँव अनुदान मिले।

इन गाँवों और प्रतीहारों के राज्यों को मिला कर मंदिरों और ब्राह्मणों के अधीन जितने गाँव ये अद्वितीय राष्ट्रकूटों के राज्य में व उनसे अधिक गाँवों के मोक्षता थे। छिटपुट तोर पर दान किया गया गाँवों के अतिरिक्त इस वर्ग के एक गाँवक ने ४०० गाँव पुन दान किया^४ और दूसरे राजा ने १४०० गाँव जिनम से ६०० अग्रहार और ८०० गाँव थे दबुकुला वो किया।^५ इस प्रकार संस्थाओं ने प्रमुख भूमध्य वर्ग का इप धारण किया। गाँवों और प्रतीहारों वे राज्य में यह बात उतनी धृष्टिव देखने को नहीं मिलती।

गाँवों^६ प्रतीहारा^७ और राष्ट्रकूटों के राज्यों में बहुत से धर्मेतर अनुदान मानी भी थे। बहुतेर अधीनस्थ सरदारों तथा राजकम्चारियों को राज्य की सेवा करने के लिए गाँव देकर पुरस्कृत किया गया था। अभिनेता से ता लगता है कि उनकी संस्था उतनी नहीं थी जितनी कि धार्मिक अनुदानमोगियों की थी लेकिन जब धार्मिक संस्थाओं को चलाने और पुरस्कृत करने

१ ए० इ०, १६ न० २ पक्षियों ११६, न० २४ पक्षियों ६६।
२ एम० प्रवत्तर द राष्ट्रकूटान एंड द्यर टार्म्स पृष्ठ १००।

३ ए० इ० ७ १० ६ पक्षियों ४६-६८।

४ धारा० एम० गमा लड्गारम टु वसल्स एंड धार्मिक इन नाइन

इन्हों ज० द० सा० हि० आ० ६ ७१ ७२।
५ बा० ८० इ० ६ न० ७८ इलोव ए० द०, १६, न० १३, पक्षियों २१८।
वही ३ न० २६ पक्षियों ।

वे लिए जमीन और गाँव दिये जाते थे तब ऐसा स्थिति मे, जब मुद्रा का वप्प चलन था, राजकीय सेवामा के लिए और पर्याय दिया जा सकता था ? शायद इन घमेंतर भूमि अनुदाना को सम्या भी धार्मिक भूमि अनुदाना के ही बराबर थी, या इदाचित उभस भी अधिक लेकिन धार्मिक अनुदानों के समान ऐसे अनुदान अनात बान के लिए नहीं किये जाते थे, इसलिए वे या तो तालपत्र धर्यवा वप्पे पर लिख जाते थे, और परिणामत नष्ट हो गये। घमेंतर अनुदान भोगी धार्मिक अनुदान भोगिया स शायद कुछ भिन्न थे। उत्तर भारत म धार्मिक अनुदानभोगिया को बर नहीं देना पड़ता था, लेकिन घमेंतर भारता नजराने के तोर पर शायद कुछ देते थे। धार्मिक भोक्तामा को अनुदृत क्षेत्रा म सदा के लिए बन रहने का अधिकार था लेकिन सम्भवत घमेंतर भोक्ता अनुदृत सम्पत्ति के अधिकारी तभी तक रह पाते थे जब तक कि व राजा के अति अपन दायित्वा का पिराहि बरत थे। दोनों तरह के अनुदान भोगिया मे चाह जो अतर रहा हो इनना तो असदिग्ध है कि राजा और भूमि के असली जोतनारा के बीच इन लागा ने मायवर्ती बग बना रखा था। य लाग एक प्रकार ने गाँवा के असली स्वामी और भोक्ता बन गये और इस प्रकार भूमिधर सरदारा का एक बग बढ़ा हो गया। इस बग की श्री समद्दि वा क्षेत्र यह सिद्धात था कि भूमि राजा की है किंतु पिछम्बना यह रही कि ज्या ज्या इस बग का समद्दि बढ़ती गयी भूमि पर राजा की मत्ता क्य होती गयी।

अनुदानपत्रा की नर्तों का नाम उठा कर अनुदानभोगी निकी जोत म नयी जमीन ला सकता था अयवा अपनी जोत म पहले से ही मोजूद जमीन की सीमाएँ बना सकता था। अनुदान म दिय गाँवा वी सीमाएँ अवसर नदी बतायी जाती थी इसस प्रहीना प्राप्त गाँव की चौहरी बड़े मजे मे बढ़ा सकता था। किंतु राष्ट्रकूट अनुदानपत्रा म एत गाँवा की सीमाएँ मामायतमा निर्धारित कर दी जाती थी,^१ जिसस अनुदानभोगी अपना कृषि क्षेत्र नहीं बढ़ा सकत थ। कतिपय पाल अनुदाना पर भी वही बात लागू हाना है। उत्तर बगाल म घमपाल ने जो चार गाँव दिय उनकी सीमाएँ निर्दित थी। पर जिन अनुदानपत्रा म सीमाएँ

^१ उडोसा और दक्षिण भारत म कुछ धार्मिक अनुदानभागों भी बर देते थे और ऐसे अनुदानों को बर दासन कहा जाता था।

^२ ए० इ० २३ न० १२, पवित्र्या ४२ ४५, न० १३, पवित्र्या ५६ ५८, इ० ए० ६, ६८, ए० इ० १८, न० २६, न० पवित्र्या ६४ ५।

स्वप्न मरा की जाती था । उत्तर गायत्रीगायत्री ग्रन्थों से बहुत कहा था । अधिकारी पाप और द्वितीय घट्टागायत्री के लिए भी गीतांत्रिकालिका महा की गयी है । वराण्सी शहर नियमों के अनुसार शहर में भाव भर्तुर्मुखी और शारण्याद (शामायादुर्मुखीघट्टागायत्री) दोनों तरफ है । इन दोनों ग्रन्थों में गीतांत्रिकालिका का विवरण दोनों वित्तों जोड़ के अवार बहुत गहरा था ।

घट्टागायत्री का दृष्टि अधिकारी का विवरण दोनों के उत्तराधिकारी हीन व्यक्ति की गायत्री का विवरण । दोनों ग्रन्थों के दृष्टि हिंगा में यह प्रथा व्रतमित्र थी । अन्यथा इनके गीतांत्रिकालिका महादो द्वारा गयत्री द्वारा जारी रिद एवं घट्टागायत्री घट्टागायत्री का यह अधिकारी नियम गया था कि यह द्वितीय व्यक्ति की गुणता ॥ १६६ ॥ यह द्वितीय व्यक्ति की गुणता (घट्टागायत्री)^१ अन्यथा उग्री गायत्री का उत्तराधिकारी द्वारा वासा छोई गुण उत्तराधिकारी का है (गायिकाया)^२ तो घट्टागायत्री के उग्र गायत्री की स्वायत्त वर तरहा है । ग्रन्थ है कि रात्रि का ताप्त्यागिता गायत्री का यात्रा हाया में से सब का जो अधिकारी पाप है घट्टागायत्री का गोदा नियम जाता था सर्विन इस अधिकारी के व्रतमाले के व्रतमाले की गायत्री है ।

इस वाले में द्वाषीष गमुण्डाया के भूमि गम्भापी घट्टागायत्री का भी दृष्टि होने लगा और वरिणीमत अधिकारी जपीता पर अक्षिता शार्मित इस्यारिता होता गया । गुप्त वाले में घासिष घट्टागायत्री दोनों उत्तरों से अपीत गरीबे के लिए स्थानीय गमुण्डाय की गहराति प्राप्त वरता और रात्रिगायितारिया के पृष्ठ वर देना जरूरी था । सर्विन वाले रात्रा इस सामुद्री विद्वां अधिकारी का सम्मान नाम भावन का ही वरतथ । यद्यपि य अपीतमय गरणारा और अधिकारिया के साप साप ग्राहणां से लवर चालाता तक तमाम दामयागिया से अपने घट्टागायत्री पर सहमति देने (मनमस्तु) का घट्टरोप वरतथ सहित लिखा गया था कि सहमति तो मिलेगी ही । इस घोषजातिका से निर्वाह में लिए द्वाषीष का यहां बड़ी वीमत चुकानी पड़ती थी । गुप्त वाले में सिफ वालारक घट्टागायत्री में ही रात्रे घमडे

^१ ए० इ०, ३ न० ३६, पवित्र १२ । यही ताप्त्य शायद एस मामलो से है जिनमें मृत व्यक्तियों के पुत्र नहीं होते थे और न वे अपनी पुत्रियों के पुत्रों को ही गोद से सहते थे ।

^२ वही इस वाले का अप्य इस्पष्ट जान नहीं पड़ता ।

और चारागाह के उपभोग के अधिकार अनुदानभोगियों को दिये जाते थे और यह प्रकारात्तर स ही किया जाता था, क्याकि प्रदत्त गौवा का खनिज चमड़े और चारागाह के राजस्व स मुक्त कर दिया जाता था।^१ लक्ष्मि अथ य साधन अनुदानभोगियों का स्पष्ट शब्दाभ्यास में हस्तान्तरित किये जाने लगे। यह चलन मात्र भारत तक ही सीमित नहीं था बल्कि पूर्वी भारत उत्तरपूर्व राजस्थान, गुजरात और दायद महाराष्ट्र में भी फैल चुका था। पाला^२ और प्रतीहारी^३ के राज्यों में चारागाह फैल दिनबाल वश, कूप और ताल, माड़ा भुरमुर जगल, परती जमीन, खाई खड़, यदा कदा वान म हृद जाने वाली जमीन आदि सब के अधिकार अनुदानभोगियों को दिये जाते थे। गुजरात अनुदानपत्रों में गाव के ग्रामदण्डों के इन तमाम साधनों के स्पष्ट उल्लेख का मतलब है कि ये समस्त साधन अनुदानभोगियों के लाभ के लिए थे।

किंतु राष्ट्रकूटों के राज्य में वर्तमनीयों (सदक्षमालाकुलम)^४ के अनिरिक्त गाव की आय का और कोई साधन अनुदानभोगियों को स्पष्ट नहीं दिया गया और वक्ष्यकियों के हस्ता तरण का उल्लेख भी बाद के अनुदानपत्रों में ही मिलता है। पाला और प्रतीहारी की तरह राष्ट्रकूट दाना प्रदत्त गावों के निवासियों की सहमति नहीं खोजती थी और न उहाँहें अनुदानभोगियों को सभी कर देने तथा उनकी सभी आनांदों का पालन करने का आदेश देते थे। मतलब यह कि राष्ट्रकूट राजा सम्बिवन गावों के निवासियों को अनुदान की श्रीपचारिक सूचना भी नहीं देते थे। इससे प्रकट होता है कि वे ग्रामवासियों के अधिकारों की कोई परवाह नहीं करते थे। प्रतीहार अनुदानपत्रों के स्वरूप से चाहे जो अथ घटनित होता हो इसमें कोई सदेह नहीं कि पान और प्रतीहार दाता भूमि विषयक अधिकार अनुदानभोगियों को देते थे।

अनुदानभोगियों के हाथ इन अधिकारी के आने का ग्रामवासियों पर क्या प्रभाव पड़ता था? राजा का भूमि विषयक अधिकार हस्तान्तरित करने की सत्ता थी, लक्ष्मि अनुदानपत्रों से इस बात का कोई सकेत नहीं मिलता कि वह

^१ कौ० इ० इ०, ३, न ५६, पक्षिया २८ २६ आदि।

^२ ए० इ०, २६, न १ 'बी, पक्षिया ४१ ४२।

^३ वही, ३ न ३६ पक्षिया १० ११, इ० ए०, १८, पृष्ठ ३४, पक्षिया ५ ६।

^४ ए० इ०, ७, न ६ पक्षि ५३।

वास्तव में इवय उन अधिकार्य का उपभोग करता था। दूसरी पार दुल जान में भूमि के सामुदायिक स्थानिय के जो भिन्न विषय हैं उनका एक ही सम्बन्ध है कि वह अधिकारी का वारादिर गाम वामदालियाँ हैं। ऐसी विनाश था। वे पारामाद, दूपनाम जगल आर्मि का उपभोग करता था और उस सदक निए उट राजा का बाईं पर रही दना पढ़ता था। इसी तरह वे जम न को भी आवाद कर सकते थे। बिनु एवं बार जब ये भूमि विवर अधिकार अनुदानसाधिया को तोड़ दिये जाने पर तब वामदालियाँ वहाँ इन अधिकारी का बदा साम उठाते थे उपभोग के लिए अनुदानभोगिया को कुछ न कुछ दना ही पड़ता था। अनुदान भागी गोद की गम्भीरा पर विले इन अधिकारों का बदा साम उठाते थे और इससे विनाश का बोझ इस प्रकार बढ़ जाता था। इसी वायन भूमि वर सम्बन्धित उन कलिक्षण पुरान रीति रिवाजा के आधार पर को जो सहता है जो १६वीं सदी में प्रचलित था। इवय के कुछ हिस्सा ये जहो बारी कीमती लकड़ी हुमा बरती थी राजा तोमा आहुरी सागा र सकड़ी कार्य पर 'कुस्ताडी-जर' बमूल लिया बरता था।^१ इसी दायरे में भूम्यामी न व्यवन संगान वसून करते थे बल्कि गर आवाद जमीन की उपज जग—कर गरदज पत आर्मि—और मष्टलीगाहा ग भो साम उठाते थे।^२ १६वीं सदी के इन रिवाजा से यह निष्कर्ष निराला जा सकता है कि विघाराधीन काल में भी अनुदाननोगी सोग जगल चाराणाह, मष्टलीगाह पत आदि पर महगून संगान होग। इससे मा महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुदानभोगी परकी जमीन वा अपनी निजा जावाद बना सकते थे और यामीन साग अपने बदत हए परि बारो के भरण पोषण के लिए चाह पर भी अपनी जोत नहीं बदा सकते थे। इस प्रकार एवं और तो भूमि का व्यवितरण स्थानिक्ष्व में रखने का अधिकार वा विकास हो रहा था, शोर दूसरी और भूमि विवर सामुदायिक अधिकारों का लोप होता जा रहा था।

एक और तो राजा सामुदायिक अधिकार अनुदानसाधिया को द्वारा भूमि के व्यक्तिगत स्वामित्व का बनावा दे रहा था और दूसरी पार याकदा स्थानीय समुदाय भी अपने संयुक्त स्वामित्व का अधिकार मार्दिया का सोप दता था। उदाहरण के लिए, भवालियर के लोगों ने जमीन के कई दुकड़े स्थानीय

^१ बड़न पावेल, लड़ मिट्टम ओफ जिटिश इ डिया।

^२ वहाँ, २, १०५।

मदिरों को दान किये।^१ इन अनुदानपत्रों से यह बात अच्छी तरह स्पष्ट हो जाती है कि मामुआयिक सम्पत्ति किस प्रकार सामाजी सम्पत्ति बनायी जा रही थी। जब ये सामुआयिक धोत्र दान किये जाते थे तो साथ ही इह जातने वाले विसान भी प्रहीनामा का सौर दिय जाते थे।^२ नवदुर्गा और विष्णु के मदिरों को जिहे सनापति ग्रल्ल ने बनवाया था नगर से अनुदानस्वरूप वई खेत मिले^३ और स्पष्ट ही ये अनुदान नगर ने उसी सनापति के दबाव के कारण दिये थे। पिर हम देखते हैं कि पूरे सीयडोणि नगर ने थो नारायण-भट्टनारख मदिर को, जिस नगर के दधिणी हिस्से में एक ध्यापारी ने बनवाया था, २०० हस्त चौडा और २५५ हस्त लम्बा एक छोटा सा खेत दान में दिया।^४ यह अनुदान किसी भी दबाव के कारण नहीं दिया गया था लेकिन दोना ही मामलों में मामुआयिक भूमपत्ति परित्यगत भूमपत्ति बन गयी। निस्सदेह इस सम्पत्ति की व्यवस्था तो सामाजी दण से हाने वाली थी वयोऽनि देवी देवता और उनके पुजारी खुन तो जमीन जीतने वाले थे नहीं, वे तो इसे दूसरा से ही जुतवाते।

प्रमीहारा के राज्य की तरह राट्कूटों के राज्य में भी स्थानीय समुदाय अपनी जमीन मदिरों को दान में दिया बरता था और इस तरह जमीन निजी सम्पत्ति बन जानी थी। प्रथम अमाधवप वर्ष शासन काल में ८६५ भूमपत्ति धारवार जिला स्थित एलपुण्ड के चालीम महाजनों ने एक पण्डित का ८५ मत्तर भूमि दान की।^५ सौनदत्ति में प्राप्त एक अभिलेख में एक जन मन्त्रिको ५० हृपका की सहमति से दिय गय अनुशान का उल्लेख मिलता है।^६ ८५१ ५२ में चतुर्थ कृष्णवंश समय में धारवार जिले में शायद उन ५० महाजनों की सहमति से जिनका उल्लब्ध अनुशन के सरथका के रूप में हुआ है, १२ मत्तर जमीन भठ और शभणिर् प्रयोजन के लिए दान की गयी।^७ इससे प्रमुख

१ ए० इ० १ न० २०, दूसरा अभिलेख पवित्रा २६।

२ वही पवित्र ८।

३ वही पवित्र ३ और ६।

४ वही ९ न २१, पवित्राय १४।

५ ए० इ०, ३ न २८ 'हो पवित्रा ७ १६।

६ ज० ब० वा० रा० ए० सो०, १०, २०८, अलतेकर की स० प्र० ५० व पृष्ठ ३७२ पर उढ़त।

७ इ० ए०, १२, पृष्ठ २५८ पवित्राय १० १५।

हाता है कि कनटिक में स्थानीय समुदायों के गम्भीर माय लोग जो महाजन वहनात ये अपनी सामूहिक भूमि के कुछ हिस्से धार्मिक और पर्यावरणीय गक्षणिक प्रयाजनाएँ लिए भी दान बरतते थे। सक्रिय अनुनत्त धर्मों के व्यवस्थापन स्वभाव ऐसी भूमि पर अपना विकिरण स्वतंत्र स्थापित करने की चेष्टा बरतते थे।

यूरोप की साम्राज्यवादी अवधि परम्परा की मुख्य विशेषता कवियों द्वासत्त्व (सफड़म) की प्रथा थी। इस प्रथा के अन्तर्गत किसान भूमि से वधे रहते थे किंतु वे उमर मालिक नहीं होते थे। पाला प्रतीहारों और राजदूतों के राज्य में ऐसी प्रथा थी कि पर्यावरण कारणों से अनुनत्त गांवों के किसानों की दाना कीमिया जमीं होती जा रही थी। उपसामी कीकरण की प्रवृत्ति के कारण किसानों द्वारा दाना बिगड़ती थी। उत्तर प्रिहार के एक पाल अनुशासनपत्र से जात होता है कि एक राज्याधिकारी ने अपने प्रभुततीय विप्रहपाल (१०२५-३०) की अनुमति नकर अपनी जमीन का एक हिस्सा अनुशासन में दिया।^१ गहर्य अनुशासन भावना हाने के कारण आय वह अधिकारी राजा की अनुमति के दिन अनुशासन नहीं दे सकता था। जो भी हो धार्मिक भावना अपनी जमीन प्राप्त नहीं जाती थी। नाल आ जस बड़ बड़ दिनारों के प्रबल अपनी जमीन में दूसरा से गनी बरखान गे और सगान उनके गुमान बगूत किया बरतते थे।

प्रतीहारों के राज्य में प्रहाना अपने उपसामल बना सकते थे,^२ और अपनी अपनी नमिय के जोनारारा का दर्शन बर मानते थे। प्रतीहार साम्राज्य में—विशेषकर राजस्थान मालवा तथा गुजरात में—प्रहीना के अनुनत्त धोन भव्य रथों के दूसरा से बारान उम धोन का उपमोग भव्य बरन भयवा हिमा और का उपमाण के लिए ददने का अधिकार प्राप्त था।^३ इसमें पूर्व बनमा के सबह राजामां के अनुशासन में यहाँ पायी जाती है।^४ राजदूतों के राज्य में इन अधिकारों के माय अनुशासन दने का चलत गूब था। ताकथ दर के राजस्थान गुजरात और महाराष्ट्र में राजा और धार्मिक अनुशासनमार्गी जातारों का जमीन गे दर्शन बर सकते थे। अननकर का बहना है कि

^१ इ० ए० २६ न० २ परिवर्ती ८६५१।

^२ यही ५ न० २४ परिवर्ती ६६ ६ न० १ पर ए और दो थे।

ए० इ० १ न० १ पर ए परिवर्ती १६ विंट वा परिवर्ती ६३, प्रिमाइद ३ पर २६४, पा० ४० ६।

^४ यो० इ० १०, ६ न० ८ परिवर्ती ६ न० ११ परिवर्ती १३।

वेदवक्ती के अधिकार का वही उल्लेख नहीं हुआ है।^१ किंतु अनुशासा की शर्तों से लगता है कि अनुदत्त क्षेत्र य अस्थापा जोतदार हुआ करने थे और वे तभी तब जातदार रह सकते थे जब तक ग्रहीता चाहते।^२ इच्छा हाँ पर वे उह अपनी जमीन में निकान बर उसम दूसरों से यनी बरवा सकते थे। जो गाव राजा के प्राप्तक नियंत्रण में थे उनम वह भी वेदवक्ती के अधिकार का उपयोग कर सकता था, किंतु अनुदन भूमि से अधिक निवट सम्बंध होने के कारण ग्रहीता इस अधिकार का उपयोग ज्यादा कारगर ढंग से कर सकता था। इस निए प्रतीहारा और राष्ट्रकूरा के राज्यों में किसानों के जीवन के अधिकार सुरक्षित नहीं होते थे। इस प्रकार भूमि का स्वामित्व अवसर जीतनार के हाथ में नहीं हुआ करता था। यदि याम न्यूति पूर्व मध्यकालीन भारत की भूमि-व्यवस्था के सम्बंध में सही जानकारी दती हो तो माना जाएगा कि कभी वही तो राजा और असली वासिनकारों के बीच भूमिपत्रियों की चार चार थेणियाँ हुआ करती थीं।^३

ग्रासक कबील के भा सभी सन्त्यजमीनों के स्थायी और पूर्ण रखामी सही हाँ थे। गुजर सराजारा और किसानों के बीच भी धीरे अंतर पढ़ा हो गया और कालातर में गुजर कपक सामंती ढाँचे के अग बन गय। उहे भी के सारे कर देने को बाध्य किया गया जो सामाजिक स्थानाय किसानों का देने पड़ते थे। १६० में गुजर प्रतीहार कुल के एक सामंत राजा^४ ने अपने बगपोनक भोग (निजी उपयोग की भूमि) में से एक गाव दान किया जिसमें बहुत सारे गुजर कपक रहते थे।^५ यह अनुदान एक गुरु और उसके असागत गिर्या को मिला। प्रतीना को विभिन्न उचित अनुचित गुरुओं के अतिरिक्त भाग (उपज का एक ग्रन), खल मिथा (खलिहान कर) प्रस्त्रक (अधिकारियों के निभिन कर) एवं घक, माग्मणक और नास्तिमर्ती और अपुरिकाधन तथा नीथि विधान जस छ और कर खसूल करने का अधिकार दिया गया था।

१ अलतकर स० प्र० पु० पृष्ठ २३६ ७।

२ मिलाइए मिराशी का० ८० ८०, ४ ११।

३ क्षत्रगहित्वा य क्षिति न च कारयत, स्व मिने, च पद्मदाप्यराने दण्डम च तत्समम। वृद्धहारमयूव प७५ ८६ पर उछत।

४ श्रीगुजरतवाहिन समस्त क्षेत्र समतश्व। वही, पवित्र १२।] यह स्पष्ट नहीं है कि सभी द्वारिद गुजर थे या नहीं।

५ वही, पवित्र ११ १२।

भारतीय सामन्तवाद

स्पष्ट है कि इन गुजर विसानों से पहल भी उनका समग्रोत्री प्रभु य कर वसूल करता था, और बाद में य सारे कर प्रहीता (गुह) को मिलने लग। इस अनुचान से प्रबंध होता है कि इस सामने को अपने समग्रोत्री व-वृष्णा के गायण में कोइ हिचक नहीं थी और भूमि से बधे इन विसानों को वह इच्छानुसार भूमि के साथ जिस किसी का सौप सकता था। किर हम देखते हैं कि विसानों पर उचित अनुचित सभी तरह कर प्रहीता लगा सकता था जिससे उनकी दशा कपि दामा की उसी हो जाती थी। इस प्रकार एक भार गुजर प्रतीहारों और विजित जातियों के बीच सामने की सम्बंध तथा दूसरी भार स्वयं विजाता द्वारा के भीतर भी सामन्तवाद सम्बंध कायम हुए चयोकि काला तर स विजेता लोग अपने समग्रोत्री भाइ व दा को जीत में प्राप्त धन सम्पत्ति के हँडार मानने के बजाय एस कपिदास समझने लग जिनका क्षत्य अपने गोश्रीय अगुष्ठा और सनिर नेतामा के लाभ के लिए घून पसीना बढ़ना था।

इस बात के और भा सबैत मिलत है कि राजस्थान में भूमि जातन वाल लागों की भूमि के हस्ता तरण में कोई आवाज नहीं था और जब भूमि का हस्ता तरण किया जाता था तब विसान लोग अपना इच्छा से उसे छोड़ नहीं सकत थे। एक और तो अनुचान नोगिया को अपनी इच्छानुसार विसानों को बदखल कर देने का अधिकार दिया जाता था और दूसरी ओर किसानों पर यह बधन लगा रहता था कि भूमि का हस्ता तरण होन पर भी वह उस भूमि का अपनी मर्जी से नहीं छोड़ सकत। जहां तक किसानों का सम्बंध है ये दोनों पवस्थाएं परम्परा असमग्रत जान पड़ती है। किंतु "क्षम संह" नहीं कि इनसे अनुचान पान वालों को स्वायथ सिद्धि हाती थी व अपना मर्जी के मुताबिक विसानों को रख या हना सकत थे। भूतपूर्व भरततुर राज्य प्रतीहार साम्राज्य का हिस्सा था—प्रथम भोज के समय में तो निश्चय ही। इस राज्य में प्राप्त कामन गितामिलियम जालगमग ६०५ ६ का है भाठ अनुचानों का वर्णन है जिनमें से सभा ७५६ ७ से लक्ष्य ६०५ ६ के बीच स्थानीय दरवाजा गिव के नाम दिय गया।^१ एठ भालतर में बहा गया है कि उदभट नामक एक उचित न अपने अधीनस्थ गांव में तीन हला से जाती जान लायक जमीन विम पहन सहन्त जज्ज और कुछ धन वाहण जातत थ और बाद में एडवाक नामक हलिक जातता

या दान वर दी ।^१ इसमें प्रबल होता है कि कभी कभी उच्चतम दण के लोगों वा भी साम्राज्य कर्पकों की तरह काम करना पड़ता था; इससे भी महत्वपूर्ण बात मह है कि जो सामन्त वर्वल एवं गाँव का स्वामा था, वह भी अपने प्रभु से अनुमति लिय दिना अपनी जमीन दूसरों को दे सकता था और जमीन के साथ माय जीने वाले हृलिकों का भी हस्ता नरित वर सकता था। इससे सिद्ध होता है कि प्रताहारा के अधीन राजम्यात मृपि दासत्व की प्रवा थी। और चूंकि साधारण सामन्त भी खनी बरने वाला क माय अपनी जमीन हम्मत-तरित वर सकत थे इसलिए इस यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह प्रथा बापी व्यापक रही हाँगी।

मृपि दासों की स्थिति मृपैद्वा दन बाली दूमरी बात थी—बगार की प्रथा का विस्तार। पान अनुदानपत्रों में विष्टि गाँद का प्रयोग नहीं हुआ है। विन्तु पाना के राज्यों में विस्तार सबपीड़ा के मार्गी थे^२ और ब्राह्मणों में दिरा तथा विटारा का दान किय गाँदों में राजा सबपीड़ा का अपना यह अधिकार छोड़ दिया बरना था।^३ ग्रहीना लोग ग्रामीणों को सबपीड़ा का शिवार बनाते थे या नहीं, यह बात स्पष्ट नहीं है।

मगर इसमें बाई मैह नहीं कि पूर्वी काठियावाड़ में प्रतीहारा के साम्राज्यों से बगार लेन का अधिकार प्राप्त था। वहीं यह प्रथा विष्टि नाम से जाना जाती थी और अनुदान के माय माय ग्रहीता का विष्टि का अधिकार भी सौप दिया जाता था।^४ यह प्रथा बलभी के भजनों के राज्य में भी फैल गयी, और बाद में प्रतीहारा और राष्ट्रकूटों दानों के राज्यों में जारी रही। 'सानपद्मान विष्टि' (ग्रथान विष्टि से उपादित वस्तुओं) का प्रयोग सबप्रथम भजनों के अनुदान पत्र में हुआ है और इस गाँद समुद्देश्य को राष्ट्रकूटा ने ज्योत्तर का अपना निया।^५ सच तो यह है कि बगार की प्रथा जितने व्यापक रूप में प्रतीहारा और राष्ट्रकूटा के ग्रासन-काल में गुजरात और महाराष्ट्र में प्रचलित थी, उन्ने व्यापक रूप में और किसी भी काल में कभी भी नहीं

^१ एडवाक्सपुरा यत्र चाहृत्येव हृलिक । ए०८० न० ८५ पक्षिया १६
२०।

^२ ए० इ०, २८ न० श्री पक्षित ४२।

^३ वही, २७ न०१७ पक्षित ३५।

^४ इ० ए० १२ पक्षित १९९, पक्षित ११, पक्षिया १२४।

^५ ए० इ० १८, न० २६ पक्षिया ६६६३ २२ न० १३ पक्षित ५६।

रही। विषिव बाट यह है कि यह प्रथा उग्ही गई म प्रथमित भी नहीं
पहींगमा को अनुग्रह मूलि घटानी इच्छाकुगार राय गी भरते सा दृग्या गे
भरवाने तथा उग्हा उग्हा उग्होग शब्द बरोपा या घोरो को तुम्हें^१ देते का अधिकार
प्रथा विषा जाता था। बगार की गुजाइग गहीं आरो है जरो सोग रम होते
हैं। अदानि घो घारां धारा म जार ब्रह्मार्दी की गम्भारना आरो ३७॥।
इस प्रथा के प्रथमा का कारण घारो रहा है "गम्भ मार्दी रही" कि यह
बहुत "योग्य" है म विद्यमान थी। शाद^२ यह रात्रिका एवं अधिकार
सापन थी, और शौकिल्य के अपगारा म प्रदुर्भा विषि लार्द^३ का भद्रामी
द्वारा की गयी व्याख्या ग प्रकृत हाग है^४ कि इस प्रथा के द्वारा रात्रा कि
अग्नि बनवाने के लिए मब्दूर जगाया था। यह रात्रि रही है कि अन्तरा
पानवाने साथ गूरा गोम गाम्भारा की नरह चिमाना ग जडग्न घरानी लिंगी जात
की जमीन म साम बरवात थ प्रथा रथम एवं बायो क लिए ही उन्न थम
का उपभोग बरत थ त्रिहू गायत्रिक बायो की थना म रगा जा गहरा है।
अताह अनुशान भर्ति पृष्ठ गीया म बगार की प्रथा का बाम बर रही थी
ठीक ठीक नहीं बताया जा सकता है। अतना गाम है कि रात्रुकूटा के अपील
अनुशान पानवासा को पामीणा से बगार सोने का गुनिनिधि अधिकार कि या
जाता था और पासा के अधीन जब कोई गीव दात विषा जाता था तब रात्र्य
उस गीव म अपना सवपीढ़ा का अधिकार ओड देता था। सर्विन रात्र्य द्वारा
छोडे गये इस अधिकार का उपभोग पहीता बर सहता था प्रथा नहा यह
स्पष्ट नहीं है।

ऐसा काई अभिलेख सो हम उपसम्प नहीं है किसका भाषारपरहमनिष्य
बर सके कि पासा और प्रतीहारा के अधीन दिसाना के तिर पर यहन वास
प्रत्यक्ष मार म कोई बढ़ि हुई या नहीं सकिन गाहावासा के अधीन उन पर
सगाये जाने वाल वरा की जो सम्भी गूची मिलती है उससे वहीं के दिसाना के
बार म ऐसा आमास अवश्य मिलता है। पास अनुशानपत्रो म कुछ याडें-से
करो का ही स्पष्ट उल्लेख हुआ है और शब्द बर उनम प्रयुत आरि शार के
अन्तर्गत आ जाते हैं^५ इस प्रकार इन अनुशानपत्रो म पहीतामो जैसे लिए याम
वासियो पर नये-नये कर सगाने की धूरी गुजाइग रह जानी है। उनम याम
वासिया को बार-बार यह निर्देश दिया गया है कि वे अनुदानभोगिया को सभी

^१ ज० बि० झ० र०० स०० १२ भाग १ १६८।

^२ ए० इ०, २६ न० ७, पक्षित ४२।

कर (समस्तप्रथाय) दें लेकिन इन वर्तों के स्पष्ट उल्लेख के ग्रभाव म ग्रहीता बखूबी नय-नये कर लगा सकते थे। यही बात प्रतीहार अनुदानपत्रा पर भी लागू होती है क्योंकि उनम राजस्व के सभी साधन (सवाग्रायसमेत) हस्तान्तरित तो कर दिय गय हैं, किन्तु उनहे नाम नहीं बताय गये हैं। प्रतीहार साम्राज्य के कुछ हिस्सा म (राजस्थान म) ग्रामवासिया से ग्रहीतामा का उचित अनुचित निश्चित अनिश्चित सभी कर दने को कहा गया है।^१ ऐसे अधिकारों से युक्त होने के कारण ग्रहीता ग्राम वासिया से प्रचलित करा के अलावा नये कर भी बसूल कर सकते थे।

पाल और प्रतीहार अनुदानपत्रा के विपरीत राष्ट्रकूट अनुदानपत्रा में राजस्व के साधना का हस्तान्तरण स्पष्ट नहीं म किया ग है और फलत उनम ग्रहीतामो के लिए प्रचलित करा म बढ़ि बरने या नय कर बसूल बरने का भी गुजाइश नहा रखी गयो है। नकिन करा के इम स्पष्ट निर्देश से ग्रामवासियों को जो लाभ हो सकता था उसे उन पर लगाये जाने वाले सात-आठ तरह के कर नगण्य बना दत थे। ये कर थे—उदरण, उपरिकर, भूतवात प्रत्याप, धाय हिरण्य दण्डदशापराध, और उत्पद्यमान विष्ट तो थी ही। इन शब्दों के ठीक ठीक अथ चाहे जो रहे हों, इतना निश्चित है कि प्रत्यक शासन से एक कर का बोध होता है और बुल मिलाकर ये इस बात का सबैत दते हैं कि राष्ट्रकूटों के अधीन किसानों के सिर का बाल बहुत बढ़ गया था। गावा के अनुदान म दे दिय जाने के बाद भी किसानों को, ग्रहीतामा को ये सभी कर देने पड़त थे, यद्यपि राष्ट्रकूटों के अधीन ग्रहीतामा को उतनी छूट नहीं थी जिनती कि पाला और प्रतीहारा के राज्यों मे थी।

अनुदानभोगिया के हाथों म जाने से किसानों के भूमि विपक्ष सामूहिक अधिकार तो छिन ही गय, साथ ही उह उपसामन्तीकरण और दरपट्टे के बलन का शिकार बनना पड़ा। इसके अलावा ग्रहीतामा के बेदखली के अधिकार के कारण किसानों का काशकारी का हक बमजोर पढ़ गया, उनसे बगार लिया जाने लगा, उन पुर अतिरिक्त बर लगाये जाने लगे और उह जबरन भूमि से बाष्प दिया गया। इस बात के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं कि कुछ क्षेत्रों मे ग्रहीतामों को किसानों को बदखल बरने का भी अधिकार दिया गया, और मर्जों के मुतादिक उहें अपनी जमीन से बांध रखने का भी हक दिया गया। यद्यपि ये दोनों अधिकार परस्पर असंगत दीखते हैं, किन्तु स्पष्ट है कि इनसे ग्रहीतामा का

हित साधन होता था क्योंकि अब व अपनी इच्छा सिसाना का अपनी जमीन में रख या वहाँ से निकाल सकत थे। इस सब व परिणामस्वरूप यूरोपीय कृषि दासों को तरह यहाँ वे विसान भी आधिक दिल्ली में बिन्दुल पराधीन हो गय।

अनुदानपत्रों में एसा काद उपाय नहीं बतनाया गया है जिसके साथ विसान ग्रहीतामा के लिलाक अपनी ग्राम्यायर्थों दूर करवा सकत। पाला और प्रतीहारा के प्राय सभी अनुदानपत्रों में ग्रामवासियों का यह आगे खिंचा गया है कि वे ग्रहीतामा के प्रति अपने वक्तव्यों का पालन करें तथा उन्हें सभी कर दें और उनकी आनन्द पर चत। उनमें राजा व वाजा और प्राय गविनगाली तथा प्रभावाली राजपुरुषों को भी न्यौ प्रश्नोप का भय खिंचा कर—अनुदानपत्रों को तमाम गवाँ का पालन करने की सलाह दी गया है। और इस सलाह को वास्तव में माना भी जाना था क्योंकि हम देखते हैं कि भोज ने दो ग्रग्रहार गाँव जो उसके पूर्वजों के समय में ग्रहीतामा के हाया से निकल गये थे उन्हीं ग्रहीतामों को फिर से दान किय। कि तु, अब अधीनस्वरूप ग्रामवासियों के प्रति ग्रहीतामा के वक्तव्य का हम कहीं काई सक्त नहीं मिलता। यदि व नये वर्ष लगान या प्रचलित वरा में बढ़ि वरने का निषय वर लत तो वसार विसान राहत के लिए जात किसके पास? इसलिए ग्रहीता द्वारा एसा कोई वदम उठाने पर स्वभावत विसान असहाय हो जात होग और उनके वर्धन और भी कम जात होग।

धमाय धमवा धमेंतर प्रयोजना से अनुदान में ऐए गए गाँवों के अनिश्चित देय गाँवों में करा का निर्धारण और यमूली राज्याधिकारी करत थे। हम इस सम्बन्ध में तो कोई जानकारी नहीं है कि ये राज्याधिकारी अपने “यक्तिगत साने घर्चें के लिए विसानों से कोई शुल्क लते थे या नहीं किन्तु पाला के अधीन राज परिवार के खच के लिए ग्रामवासियों से कुछ “गुरुव” अवश्य वसूल किए जाने थे। साय ही नियमित और अनियमित सनिरात तथा पुनिसवालों द्वा वेननस्वरूप जो कुछ मिलता था। उसके अलावा व ग्रामवासियों से अपने लिए खाना-नवर्चा वसूल खिंचा वरत थ। यदि एसा नहीं था तो किर अनुदान में ऐए गाँवों में सरकारी अमला का प्रवेश वर्जित करने का काई मानी नहीं था। वगान विहार और बुद्धलखण्ड में तो गुप्तकाल में ही गाववाला को चाटा और भगवा के रहने और खाने पीने की व्यवस्था करनी पड़ती थी और जिस काल की श्यक्ति का निष्पण हम वर रह हैं उस काल में चम्बा भी ग्रामीण लोगों का यह भार बहन बरना पड़ता था। गुप्त वाल से पहन इस प्रथा का सूती रवहर बद्या या इनकी जानकारी हम नहीं है किन्तु चम्बा प्रभिलेल (६७५) में प्रकट होता-

है कि देश के दूसरे ठिस्मो में भी जो गविं गजा के प्रत्यक्ष नियन्त्रण मध्ये उह इन सरकारी अमलों के भोजन आवास परिवहन आदि पर काफी खच करना पड़ता था। चम्बा अभिलख से जात होता है कि चाट और भटकिसाना के घरों में प्रवास करके उह अपनी कच्ची और पक्की फसल, इल और नमक तथा गाय के दूध का एक हिस्सा देने का मजबूर बर सकते थे वे अपने उपयोग के लिए उनकी कुर्सिया, बैचें या खाटें उठा ले जा सकते थे, और उनकी लकड़ी इधन, घास भूसा आदि हथिया सकते थे।^१ अत्यन्त वे ऐसा व्यवहार नहीं करते हाँगे, ऐसा मानने का बाईं कारण दिखायी नहीं देता।

पाला और प्रतीहारा के राज्यों की अव्यवस्था में उद्योग यापार का भी सामातीकरण देखने को मिलता है। घमपाल के अधीन चार गावों से समुक्त हट्टिकाएँ एक अक्षित को अनुदान म दे दी गयीं।^२ जाहिर है कि इस ग्रहीता ने व्यापारियों का उतनी स्वतंत्रता नहीं दी हाँगी जितनी कि उह राज्य ने दे रखी हाँगी। सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण ३८ अश्व विक्रेताओं का है। वे अपने घोड़े आदि बचते के लिए देश के विभिन्न भागों से चलकर पेहोंगा में एकत्र हुए थे और वहाँ उहोंने छ मदिरा को प्रत्येक घोड़े खच्चर आदि की बिक्री पर दो द्रम्म देने का बादा किया था।^३ यह स्पष्ट नहीं है कि मदिरा को दिए जाने वाले गुल्क के अतिरिक्त ये राजा को भी कोई आगम शुल्क देते थे या नहीं। गायद राजकीय न्वाव से भजबूर होकर लोग आगम शुल्क वसूल करने का अधिकार मदिरा और देवताओं को हस्तान्तरित कर देते थे। फिर सीधडोणि के गामक उदमट ने वस्तुआरा पर लगाय गए आगम शुल्क का एक निश्चित हिस्मा विष्णु के मदिर का सोप दिया।^४ इसी प्रकार वही के विष्णु मदिर को कुछ यापारियों ने बम नक्म १६ दुकानों से होने वाली सारी ग्राय हस्तातरित बर दी।^५ राजस्थान में लच्छुकेश्वर मदिर को दिय गए एक भूमि अनुदान भ हट्टिका भ विक्रय वे लिए प्रति बारे आ पर तीन विशेषक आगम शुल्क और हर दुकान से दो विशेषक मासिक गुल्क भी दामिल था।^६ राष्ट्रकूटों के साम्राज्य

१ भार० स० रि०, १६०२०३, पछ २५२३, पक्कियाँ २१-२४।

२ ए० इ०, ४, न०३४ पक्कियाँ ५२ ५३।

३ वही, २, न० २, पक्कियाँ १ १७।

४ वही, न० २१, पक्कियाँ ४ ७।

५ वही पक्कियाँ १३ ३४।

६ वही, ३, न० ३६ पक्कियाँ २२ २३।

हित साधन होता था वयाकि अब व अपनी इच्छा से किसानों को अपनी जमीन में रख या वहा से निकाल सकते थे। इस सब व परिणामस्वरूप यूरोपीय कृषि दासों की तरह यहा के किसान भी आर्थिक दण्डि में विलुप्त पराधीन हो गए।

अनुदानपत्रों में एसा कोई उपाय नहीं बताया गया है जिसके सहारे किसान ग्रहीताधीयों के खिलाफ अपनी विकायन दूर करवा सकते। पाला और प्रतीहारा वे प्राय सभी अनुदानपत्रों में ग्रामवासियों का यह घटेगा किया गया है कि वे ग्रहीताधीयों के प्रति अपने कत ता का पालन करें तथा उन्हें सभी कर द और उनकी आना पर चल। उनमें राजा के बजाय और अर्थ गवितगाली तथा प्रभावात्मकी राजपुरुषों को भी दबी प्रकाप का भय किया कर—अनुदानपत्रों की तमाम गतों का पालन करने की सलाह दी गयी है। और इस सनाह को वास्तव में माना भी जाना या वयाकि हम देखते हैं कि भोज ने जो अप्रहार गाव जो उमक पूवजा के समय में ग्रहीताधीयों के हाथा से निकल गया थे उन्हीं ग्रहीताधीयों को किर से दान किया। किन्तु, यद्युपर्याप्त ग्रहीताधीयों के प्रति ग्रहीताधीयों के बच्चाय का हम कही कोई सबत नहीं मिलता। यदि व नये वर लगाने या प्रचलित करों में बद्धि करने का नियम बन सत ता बचारे किसान राहत के लिए जात किसके पास? इसलिए ग्रहीताधीयों द्वारा एसा कोई वदम उठान पर स्वभावत किसान असहाय हो जात हाँग और उनके बाधन और भी कस जात हाँग।

यर्माय भर्यदा धर्मेतर प्रयोजनों से अनुदान में किए गए गावों के अतिरिक्त नेप गाँवों में करों का निष्पारिण और वसूली राज्याधिकारी बरतते थे। हम इस सम्बन्ध में तो कोई जानकारी नहीं है कि वे राज्याधिकारी प्रपने एवं किंतु पालों के अधीन राज परिवार के खच के लिए ग्रामवासियों से कुछ गुलक अवश्य वसूल दिए जाने थे। साथ ही नियमित भीर अनियमित सनिका तथा मुलिसवाना दा दननव्यस्तप जो कुछ मिलता था उसके अनावा व यामवासियों से अपने लिए खानाजर्चों वसूल दिए बरतते थे। यदि एसा नहीं था तो किर अनुदान में किए गाँवों में ऐसे मरकारी अमलों का प्रदेश बजित करने का कोई मानी नहीं था। यमान बिहार और बुन्देलखण्ड में तो गुजरात मही गाववालों को चाटा और भगा व रहने और खानेपीन की एवं स्थानीय पड़क्षीया और निस काल की विधि का निरूपण हम कर रहे हैं उस काल में चम्बा में भी ग्रामीण लागा का यह भार बहन बरना पड़ता था। गुप्त वाल से पहले इस प्रथा का सही स्वरूप बदाया इनकी जानकारी हम नहीं है किन्तु चम्बा अभियंत्र (१३७) से प्रवाट हाता

है कि दण के दूसरे हिस्से में भी जो गाव गजा के प्रत्यक्ष निपत्रण मथे उहै इन सरकारी अमलों के भोजन यावास परिवहन आदि पर काफी सच करना पड़ता था। चम्बा अमिलख स ज्ञात होता है कि चाट और घट किसानों के घरों में प्रदेश करने उहै अपनी कच्ची और पक्की फसल, ईख और नमक तथा गाय के दूध का एक हिस्सा दने का मजबूर कर सकते थे वे अपने उपयोग के लिए उनको कुर्सियाँ, बैंचें या खाटें उठा ले जा सकते थे और उनकी लबड़ी, इधन, यास भूसा आदि हथिया सकते थे।^१ अयत्र व एसा व्यवहार नहीं करते हाँगे, एसा मानने का कोई कारण दिखायी नहीं देता।

पाला और प्रतीहारा के राज्यों की अध्यव्यवस्था में उद्योग-व्यापार का भी सामान्यकारण देखने को मिलता है। घमपाल के अधीन चार गावों से समुद्रते हटिकाएँ एक व्यक्ति को अनुदान में दे दी गयी।^२ जाहिर है कि इस ग्रहीता ने व्यापारिया का उतनी स्वतंत्रता नहीं दी हाँगी जितनी कि उहै राज्य न दे रखी हाँगी। सप्तस महत्त्वपूर्ण चदाहरण^३ अश्व विक्रेताओं का है। वे अपने धोड़े आदि बचने के लिए दैन वे विभिन्न भागों से चलकर पेहोचा भै एक छुए थे और वहा उहाने छ मंदिरों को प्रत्येक धोड़े सच्चर आदि की विक्री पर दो द्रम्प दो का बादा किया था।^४ यह स्पष्ट नहीं है कि मंदिरों को दिए जाने वाले गुरु के अतिरिक्त ये राजा को भी कोइ आगम शुल्क देते थे या नहीं। शायद राजकीय दबाव से भजबूर होकर लोग आगम शुल्क बसूल करने का अधिकार मंदिरों और देवताओं की हस्तान्तरित कर देते थे। फिर सीयडोणि के नामक उदमठ ने वस्तुआ पर लगाय गए आगम शुल्क का एक निश्चित हिस्मा विळु के मंदिर को सौप दिया।^५ इसी प्रकार, वही के विळु मंदिर को कुछ व्यापारिया ने कम स-कम १६ दुकानों से होने वाला सारी आय हस्तान्तरित बर दी।^६ राजस्थान में लच्छुंदेश्वर मंदिर को दिये गए एक भूमि अनुदान में हटिका भै विक्रय के लिए प्रति बारे अन पर तीन विशेषक आगम शुल्क और हर दुकान से दो विशेषक मासिक शुल्क भी शामिल था।^७ राष्ट्रकूटों के साम्राज्य

^१ भार० स० ४०, १६०२ ०३, पठ २५२-३, पक्तियाँ २१ २४।

^२ ए० इ० ४, न०३४, पक्तियाँ ५२ ५३।

^३ वही १ न० २० पक्तियाँ १ १७।

^४ वही न० २१, पक्तियाँ ४ ७।

^५ वही, पक्तियाँ १३ ३४।

^६ वही ३ न० ३६, पक्तियाँ २२ २३।

में शिल्पिया से होने वाली राजकीय आय के अनुदान में दे दिए जान वा उत्तरण कही नहीं मिलता, लेकिन स्थानीय शिणियाँ धार्मिक प्रयागना के लिए अपनी आय अनुदान में प्रवेश दती थीं। उग्हरण के लिए ७६३ में लामश्वर के बुनवारा की शणि के प्रधान न एक धमदाय के लिए बुनवर द्वारा तयार किया माल वा एक निश्चित अनुपात देना स्वीकार किया।^१ ८८० में ३६० नगरा की एक शणि के चार प्रधानों ने एक ऐसा ही अनुदान किया।^२ सम्भव है, ऐसे अनुदान राजा भी देते हों—पाल और प्रतीहार राजा तो देते ही थे। हमें यह जानकारी नहीं है कि राजा चुगी और आगम गुल्ब से होने वाली आय अपनी सबा करने वाले साम ता और राज्याधिकारियों को भी यन्म-मन्म हस्तान्तरित कर देता था या नहीं। लेकिन पारलौकिक लाम के लिए मन्दिरों को तो आय के साधन अवश्य ही अनुदान में दिय जाते थे।

उद्योग और व्यापार से होने वाली आय को धार्मिक अनुदान में स्पष्ट महस्तान्तरित करने का चलन इसी काल में आरम्भ हुआ। भौयोत्तर बाल और गुप्तों के समय में शणिया के पास नकद राशियाँ जमा कर दी जाती थीं और धार्मिक आवश्यकताओं की पूति उनसे प्राप्त व्याज से होती थीं। इस प्रकार अनुदान में दी गयी राणिया पर धार्मिक संस्थाओं का कोई नियन्त्रण नहीं होता था। प्रतीहारा के अधीन पुराना रिवाज चलता रहा। हाँ यह जहर था कि ये राशिया शणियों के पास नहीं बल्कि शणिया के प्रधानों के पास जमा होती थीं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वस्तुओं की विश्री या दुकानों पर लगाये जाने वाले महसूलों को भी अब मन्दिरों को हस्तान्तरित करने का चलन गुरु हो गया। इस प्रकार शिल्पिया और व्यापारियों की धार्मिक प्रवत्तियों पर एक हृद तब मन्दिरों का नियन्त्रण हो गया जिससे वे अपने निजी स्वायत्ता संकेत थे।

स्थानीय आवश्यकताओं की पूति स्थानीय तौर पर तयार और पदा की गयी चीजों से होती रहे, मही सामान्यवादी व्यवस्था का आधार था। इसमें बाजार के लिए बड़ी मात्रा में किसी खास वस्तु के उत्पादन की गुजाइश नहीं रह जाती थी। पालों और प्रतीहारा के राज्यों में गावों की विलकुल यही स्थिति थी। जातकों में शिल्पिया के गौवा का उल्लेख मिलता है लेकिन पाला के अधीन गौवा की आवादी के स्वरूप की जो थोड़ी-बहुत जानकारी हमें उपलब्ध

^१ ए० इ० ६ न० १६ पवित्रया १ १२।

^२ ज० व० व० रा० ए० स००, १०, १६२, वही उच्छ त।

है उसमें सगता है कि इन गौवा में सिफ़ विसान ही नहीं, बल्कि व्राह्मण। ने सेवर भट्टों, धार्म प्रोर चाष्टाला तथा, सभी पांच वें लोग रहते थे ।^१ एक प्रतीहार अनुरागपत्र में प्रवर्ठ हाँगा है कि धर्मवर के पास वें गौवा में गिन्धी, व्यापारी प्रोर शृण्डा सभी रहते थे ।^२ पांचा प्रोर प्रतीहारों के राज्या में करा वीं जो सूचियाँ मिलती हैं उनमें प्रवर्ठ होता है कि ये सभी पर विसाना त ही नहा लिय जाने होंगा। 'कर' हिरण्य आदि तो वृत्त गौव के गिन्धी प्रोर व्यापारी ही देते होंगे। इस प्रवर्त गौव के भारत निभर आदित जीवा को कायम रखा वें लिए यह याव यव था कि बुनियादी जन्मता वीं तमाम घीजा को पदा प्रोर तैयार करा याने लाग गौव में रहें। पिछडे और जगतातीय नाग भी गौव के सिए उपयागों आधिक प्रवत्तिया में सग रहते थे। पांस साम्राज्य के गौवा में चाष्टाल साग 'गाय' चमटा यमान प्रोर गौव वाला वें लिए जूत आदि बनाने वा बाम करते होंगे प्रोर में रथा धार्म उत्तिद्र मजदूरों वा याम करते होंगे।

विहारों प्रोर महारा से मम्बद्ध प्रार्थित प्रचल कुछ बड़े होते थे। देवपाल वें नालां अनुरागपत्र वें अनुमार पांच गौव मिथुणा की पूजन सामग्री, पहनने प्रोर विछाने वा बपडे भोजन तथा धोयधियों जुटाने प्रोर विहार की मरम्मत के लिए दान लिय गय ।^३ यह मानना ठीक नहीं हाँगा कि इन तमाम घीजा पा प्रबद्ध गौव वाला सानवद वगूल वीं गयी रकम स ही हाँगा था। मम्बद्धन कुछ गौव धान देते थे और कुछ बपडा प्रोर कुछ अर्थ गौव मवाना वीं मरम्मत के लिए मजदूर देते थे, या फिर प्रत्यक्ष गौव इन सभी घीजा के एक एक हिस्से का इन्तजाम करता हाँगा। तप्तमीलवार व्यवस्था चाहे जसी रही हो, इतना तो निश्चित है कि गौव विहारा का तरह-तरह वीं संवाएँ प्रान वरक उनकी भारत निभर अथ-व्यवस्था को कायम रखने में सहायक होने थे ।

प्रतीहारा के अधीन राजस्वान में कुछ मन्त्रिरा ने आधिक भारत निभरता प्राप्त करने वें निमित्त अपनी जमीन के विसरे हुक्को वीं चक्रवादी वीं और ऐसी व्यवस्था वीं जिससे दस्तवारा स आवश्यक सामान नियमित रूप से मिलत

^१ जातरों में उल्लिखित गित्तिया वें गौव और अर्थशास्त्र में उल्लिखित सनिका के गौव ।

^२ ए० इ० ३, न० ३६, पवित्र्याँ ५ ६, २२ २३ ।

^३ वही, २३, न० ६७ पवित्र्याँ ३६ ४० ।

^४ वही १४ पठ १७७ ।

रहें। उदाहरण के लिए हम जानते हैं कि तसी लोग एक मन्दिर को स्वेच्छा से प्रति बालू एवं निरचित मात्रा में तेत दिया बरते थे।^१ जो गिन्धी स्वेच्छा से ऐसा नहीं बरते थे उह साक्षात् वरा बरापा पड़ता था, वयाकि उहें मन्दिर की मिफ़ि इयत म पढ़ने वाले थेके को छाड़ बर बही और बसने की छूट नहीं थी। प्रतीहार शासक मध्यनैव न लच्छुदेश्वर मन्दिर के लिए प्रति घडा थी और तल पर भी यजिवामा का गुलक लगाया, और प्रत्यक्ष चोलिक (तमोती?) को उसने पचास पत्ते देने को कहा।^२ स्पष्ट है कि इस सब पर राज बरन के लिए न तो दाता के पास और न मन्दिर के पास काफी नकद था और इसलिए शिल्पियों और कारीगरों को अपनी बनायी चीजों का एक हिस्मा देना पड़ता था।

बुद्ध नगर भी आदिक हृष्टि से आत्म निभर थे वयाकि उनके पास सेती वी जमीन थी जिससे उहें भानादि मिल जान थे। ऐसे आगरा में रहने वाले गिरियों का अपना अपना धाचा अपनी मर्जी के मुताबिक करने की पूरी छूट नहीं होती थी। प्रतीहार के राज्य य तत्त्विया तमालियों बल्लपाला (धाराब बनाने वाल) और मालिका वं प्रधान अनुग्रान देते थे और कभी कभी अपनी अपनी धणिया की ओर दी हुई धाती भी रखते थे।^३ पहले वे अभिलेख बतलाने हैं कि इस प्रकार की धाती पूरी शिल्पी धणि के पास रही जाती थी, लेकिन प्रतीहार अभिलेख से ज्ञात होता है कि य धातिया धणि प्रधान की सौंप दी जाती थी। राजकीय धणिकारियों की सत्राह से श्रेणि प्रधान अपनी धेणि के सदस्या पर बर लगा सकता था और उसकी भार से सौदा और लेन देन कर सकता था। अभिलेख यह है कि नगरी में शिल्पी लोग अपनी इच्छानुसार अपना ध धा नहीं बला सकते थे बल्कि जिस प्रकार किसान अपने अपने प्रभुओं की इच्छा पर चलते थे उसी प्रकार दस्तकारा को भी अपने अपने प्रधानों वी मर्जी के मुताबिक चरना पड़ता था। शिल्पी अपने मन से कहीं आज्ञा या वस नहीं सकत और अपने मन स अपने ध धे में काई परिवर्तन नहीं बर सकते थे। यह चीज थोकबद्ध नगरीय अथव्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता थी।

देना भी और विशेषकर प्रतीहार साम्राज्य में छोटी छोटी आदिक इकाइया के अस्तित्व का एवं याज्य प्रमाण भी है। तात्पर्य अतग्र अस्तग्र ह्यग्रन्त म अलग-

१ ए० ६०, १ न० २१ पक्षियाँ २७ ए, ३० ३१।

२ वही ३ न० ३६ पक्षियाँ २७ २३।

३ ए० ६० न० २०, दूसरा अभिलेख पक्षिया ११ २०।

अलग छग के माप-तौल के बनन से है। इनमें से कुछ वा उल्लेख सीधडोणि अभिलेख में हुआ है। ऐसा जान पड़ता है कि मणि तालि और तुला के स्थानीय मानक थे।^१ ग्वालियर क्षेत्र में जमीन नापने के लिए उसका अपना मानक प्रचलित था^२ और इन स्थानीय मानकों का निर्धारण सम्राट के हाथ (परमेश्वरीय)^३ की लम्बाई के आधार पर होता था। गुप्तों और सेनों के अधीन हम पूर्वी भारत के भूमि माप के स्थानीय मानकों की कुछ जानकारी है। ऐसे मानक पालों के अधीन भी प्रचलित थे। देश के छोटी छोटी राज्यों नीतियाँ इकाइया भि विभक्त हो जाने से माप तौल के समान मानकों का विकास नहीं हो पाया, और फलत यहाँ का उद्योग-व्यापार राष्ट्र-व्यापी ह्यन ही नहीं ले सका।

इस काल में उद्योग व्यापार की स्थिति अच्छी नहीं थी, इसका सबूत सिक्का की वसी से मिलता है। जिस एक मात्र पाल अनुदानपत्र में द्रम्मा का उल्लेख मिलता है, वह घमपाल वा अभिलेख है। इस अभिलेख के अनुसार ८०१ में ३००० द्रम्म खच करके गया था एक तालाब खुदवाया गया, लेकिन हम किसी भी मुद्रा के बारे में निश्चयपूर्वक नहीं कह सकते कि यह अमुक पाल राजा की मुद्रा है। अभी हाल में भागलपुर जिलातमत कहलगाव नामक स्थान के पास पालरा के गांव ठिकाने की खुदाई हुई है। उसमें भी कुछ बौद्धिया तो मिली है लेकिन मुद्रा कोइ नहीं। पालों वा "ासन लगातार लगभग चार सौ वर्षों तक चलना रहा फिर भी उनके साम्राज्य क्षेत्र में अब तक कोई मुद्रा नहीं मिली है इसकी कोइ ठीक सफाई ने सकना विद्वाना को बहुत मुश्किल लगता है।^४ लेकिन यदि हम पूर्व मध्यवालीन भारत में प्रचलित अध्ययनस्था को ध्यान में रख कर साच तो इसका वारण समझाना बठिन नहीं है।

प्रतीहार अभिलेख में द्रम्म, पाद, विशेषक, ह्यपक पण काकीणी, व्यपदक आदि कई तरह की मुद्राओं का उल्लेख हुआ है।^५ इनमें से अतिम का

^१ वी० एन० पुरी हिन्दूओं द मुर्हर प्रतीहारान, पट्ठ १३६७।

^२ ए० इ० १ न० २०, पक्तिया ८६।

^३ वही पक्ति ४।

^४ निम्नी श्रोत बगाल, १, पट्ठ ६६८। ऐसा समझा जाना है कि इस काल में असम में स्वयं मुद्राओं का प्रचलन काफी था लेकिन वेवल पुरालेखीय प्रमाणों के आधार पर ज्याना कुछ वह मकना बठिन है।

^५ पुरी, स० प्र० ग्र०, पृष्ठ १३४६।

मतस्त्र कोड़ी है जिसका उपयाग बड़ बड़ मौन। और लेन देन म अधिक नहीं हो सकता था। गुलेमान ने अनुसार रहमी दण म विनिमय का साधन कोड़ी थी, और यापार म इसी का उपयोग होता था।^१ द्रष्टव्य के चलन से वाणिज्य अपार का प्रथम मिल सकता था। द्रष्टव्य का रावण पहस्ता उल्लेख हम भारतवाड म प्राप्त ६०८ के एवं अभिलेख म मिलता है,^२ किंतु प्रतीहारों ने अधीन हम इबी शताब्दी से पहले द्रष्टव्य के बारे म काइ जानकारी प्राप्त नहीं है। चाहीं व द्रष्टव्य जिन पर आदिवराह का चित्र उत्कीर्ण है मिठूरभोज (६३६ द८५) के बताय जाता है और जो घटिया धातुमा बै हैं वे उसके दो उत्तराधिकारियों महेद्रष्टव्य (द८५ ६१०) और द्वितीय भोज (६१० १४) के मान जाते हैं किंतु यह एवं अनुमान ही है। नके ग्रलावा हान म मिहिरभोज के पीत्र विनायक पाल (६१४ ४३) वे भी कुछ द्रष्टव्य मिल हैं।^३ बाद म ठक्कुर के दृष्ट द्रष्टव्यपरीक्षा म प्रथम भाज की बराहमुना के मुकाबले दनका उल्लेख विनायकमुद्रा क रूप म हुआ है। जिससे प्रवट होता है कि य दो तरह के सिक्के काफी प्रचलित थे। किंतु गव तक प्राप्त द्रष्टव्य मुद्राओं की सत्या बहुत कम है। इस प्रकार साहित्यिक और पुरालेखीय सूची से पता चलता है कि इबी शता भी से पूर्व द्रष्टव्य का बहुत ज्यादा प्रचलन नहीं था। इसका चलन १०वीं शता भी से ही था, और वह भी सीधडोण जसे कतिपय नगरा तक ही सीमित रहा। इसी शताब्दी के बाद के भी जो द्रष्टव्य प्राप्त हुए हैं, उनकी सत्या अधिक नहीं है। २०० आदिवराह और विद्रहपाल मुद्राएं लखनऊ म्यूजियम म सुरक्षित हैं चाढ़ी और ताव की लगभग २० आदि वराह मुद्राएं इन्डियन म्यूजियम म हैं, और कुछ बड़ोदा म्यूजियम म भी।^४ मीरोंतर काल और गुलत काल की मुद्रायां की भारी संख्या की तुलना म य थोड़ी सी मुद्राएँ कुछ नहीं हैं। जो भी हो उनकी सत्या इतनी

^१ पुरी स० प्र० ग्र०, पठ १३६।

^२ भसहाय न जिसका नारद स्मृति का माध्य द्वीं सदी का माना जा सकता है एवं साथ द्रष्टव्य का उल्लेख किया है (ज० यु० स० द०, १७, ६६)। वर्षाली पाण्डुलिपि म द्रष्टव्य का जो उल्लेख आया है वह गायद इससे पहले ना है।

^३ ज० यु० स० द०, १०, २८ ३०।

^४ वही २६।

^५ वही पठ १५।

नहीं थी कि वे उस समय की क्षेत्रबद्ध अथव्यवस्था के प्राचीर भौमेद सकती।^१

यह बतलाया जा चुका है कि किसी भी सिक्के को निश्चित रूप से पाल सिक्का नहीं कहा जा सकता है और जिहे प्रतीहारा का माना जा सकता है, ऐसे सिक्के भी बहुत बहुत हैं। अतएव इस काल के जो सिक्के मिले हैं वे और जिनका उल्लेख समवालीन अभिलेख में हुआ है, वे सब शायद अधिकतर उन स्थानीय भूमियों या वर्णिक समूहों द्वारा जारी किये गये थे जिहे अपने घपने शामका ने यह अधिकार दिया था। गढ़या पैस पर यह अनुभान लागू हो सकता है। ये राजस्थान में पहले पहल शायद दसवीं शताब्दी में ढाले गये, और उन पर लिखे हुए अक्षरों को देखकर तो यही लगता है कि ११वीं शताब्दी के पहले इनका चलन नहीं के चराकर था। दसवीं सदी के सीमडोणि अभिलेख में जिस पचीयक द्रम्म का उल्लेख हुआ है उसे मण्डारकर स्थानीय पचायत द्वारा ढाला गया सिक्का भानते हैं।^२ उस काल में द्रम्मा के स्थानीय नाम हुआ करते थे जो बात परवर्ती काल में भिल्लमाल या श्रीमालिय द्रम्मा के उपयोग से भी सावित हानी है।^३ इसमें से यह नहीं कि स्थानीय सभ्यता, नगरा या व्यापारिया द्वारा जारी किये गए सिक्के के द्वीय सत्ता के निष्प्रभाव होने और क्षेत्रीय आर्यिक एकाशों के अस्तित्व की साक्षी भरते हैं।

राजस्थान में ८६८ में १०४ तक के आठ अभिलेखों में मंदिरों के प्रबन्धकों द्वारा नक्कद मूल्य देकर दुकानें खरीदन का उल्लेख है,^४ पर यह किस प्रकार वी मुद्रा भी कहना बठिन है। उस काल की किसी भी श्रेणी की मुद्राओं के बारे में हम निश्चयपूर्वक यह नहीं कह सकते कि ये पाल, प्रतीहार अथवा राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा जारी किये गए थे। इस काल में उडीसा में वह राज वशा न शासन किया, पर ११वीं सदी के पहले वहाँ भी सिक्का का अभाव जासा है। दक्षिण भारत में भी यही अवस्था पाई जाती है। पिर भी, जो सिक्के मिले हैं और जिनका उल्लेख प्रतीहार अभिलेखा में हुआ है उनसे एसा प्रतीत होता है कि प्रतीहार साम्राज्य की आर्यिक अवस्था उतनी धोत्रबद्ध नहीं थी

१ तकिन इस विवेचन में काइमोर भी शामिल नहीं है। ऐसा जान पड़ता है कि वहाँ मुद्रा वा प्रबलन काफी था।

२ ज० यु० सो० इ०, १७, ७० ७१। अब इनका मतलब नूं द्रम्म लगाया जाता है।

३ ज० यु० सो० इ०, १७ ७४ ७५।

४ ए० इ० १६, न० ७ पृष्ठ ५२ ५८।

सीयडोण अभिलेख से यह धारणा बनती है कि प्रतीहार साम्राज्य के व्यापारियों म नमक के व्यापारियों का महत्व सबसे अधिक था। इसमें सात नमिक वर्णिका का उल्लेख है, जिनमें से कुछ वो मंदिरों की स्थापना वा और कुछ वा उह अनुदान देने का धेय दिया गया है। यदि तत्वालीन अथव्यवस्था क्षेत्रवद्वन्न होती तो अन और वपटे के व्यापारियों का महत्व सबसे ज्यादा होता। यहाँ तक कि नगरों म रहने वालों के पास भी पास पदोंस म जमीन हुआ करती थी, और ये लोग शायद उसी जमीन की उपज पर निभर थे। सीयडोण^१ और ग्वालियर^२ के व्यापारियों के बारे में तो यही स्थिति जान पड़ती है। आत्मनिभर ग्रामीण अथव्यवस्था वा यह सबसे सबल प्रमाण है कि प्रतीहार साम्राज्य में नमक के व्यापारियों का महत्व सभी व्यापारियों से अधिक था। प्रतीहार अभिलेखों में जिस दूसरे महत्वपूर्ण व्यापारी वग वा उल्लेख हुआ है, वह है तलवा (तलिको) वा वग। किंतु इनका महत्व भी ग्राम निभर अथव्यवस्था वा ही सूचक है। शायद सभी गाव खाना बनान और रोगनी के लिए जहरी पूरा तेल अपने यहाँ तैयार नहीं कर पाते थे, और उनकी जस्तरत सलवा पूरा करते थे।

सक्षेप में पूर्व मध्यकालीन अथव्यवस्था की ओर प्रमुख विशेषताएँ दिखाई पड़ती हैं। एक तो यह कि भूमि पर राजकीय और सामुदायिक स्वामित्व का हास हा रहा था और व्यक्तिगत स्वामित्व का विकास हो रहा था। दूसरे, उपसामन्तीकरण, बैद्यतिकी, नये नये करा के आरोपण तथा बगार के कारण किमानों की दशा दासवत होती जा रही थी। तीसरे, व्यापार और गिरप कारीगरी आदि से होने वाली राजकीय आय भी कुछ लोगों की जागीर बनती जा रही थी। और चौथी बात थी आत्म निभर आदिक जीवन, जिसका अस्तित्व मुद्रा के अपेक्षाकृत कम उपयोग और व्यापार की कमी से सिद्ध होता है। इन सबको पाल, राष्ट्रकूट और प्रतीहार साम्राज्य में प्रचलित अथव्यवस्था की विशेषताएँ माना जा सकता है। इसमें से भूमिधर मध्यवर्ती लोगों के अस्तित्व को तो पहले से ही चली आ रही थात माना जा सकता है। हा यह अवश्य हुआ कि इस काल में उनकी सत्या में गूढ़ बृद्धि हुई। इसी तरह विसान लोग भी इन साम्राज्यों की स्थापना में पहले से ही सरह-तरह के प्रतिवधा और बाका के कारण हीनावस्था में पहुँचने जा रहे थे। अब अतर लिफ दतना

१ ऐ० इ० १ न० २१ पवित्री ३४।

२ वही न० २०, दूसरा अभिलेख, पवित्री ३।

पड़ा कि राजस्थान गुजरात और महाराष्ट्र में दरपट्टे, वेदखली तथा बंगार का सिलसिला और भी जोरो से चल पड़ा। इन्होंने आमीण लोगों के भूमि विपक्ष तथा सामुदायिक अधिकारों का हास और उसके परिणामस्वरूप भूमि पर निजी व्यक्तिगति का विकास, शिल्प उद्योग तथा व्यापार का सामर्त्यकरण, और मुद्रा का अभाव य सब इस काल की अर्थात् वस्था की नयी विशेषताएँ जान पड़ते हैं। इनमें से कुछ को—विशेषज्ञ भूमि पर व्यवितरण स्वामित्व के विकास को—अच्छी तरह समझने के लिए पूढ़ मध्यकाल में दिये गये अनुदानों के कानूनी आधार का अध्ययन करना आवश्यक है।

परिच्छेद ४

पूर्व मध्यकाल मे भूमि विषयक अधिकार

(लगभग ५०० से १२०० ईस्वी तक)

प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत मे भूमि सम्बंधी अधिकारों के स्वाल पर श्रेष्ठजो हृदयमत के समय म साम्राज्यवादी और राष्ट्रवादी इतिहासकारों के बीच बड़ा तीव्र विवाद चलता रहा जिसके कारण इस विषय का सही सही निरूपण कर सकना बहुत हो गया है। श्रेष्ठजो के बनाय भूमि सम्बंधी कानूनों का श्रीचिंगठन व लिए कुछ प्रशासक इतिहासवेत्ताओं ने यह सिद्ध करने की कोशिश की कि प्राचीन भारत म सारी भूमि राजा की सम्पत्ति होती थी।^१ इस सिद्धांत का समर्थन मेन ने तो किया ही साथ ही बुहलर^२ हापकिस, मबडॉनल, कीथ तथा विसेंट स्मिथ —जसे प्राच्य विद्या विगारदा ने भी किया। १६०४ म विसेंट स्मिथ ने अपनी प्रसिद्ध पाठ्य-सुस्तर मे लिखा कि ‘भारत के देशी कानून म खेती की जमीन वो सदा से राजा की सम्पत्ति माना जाना रहा है।’^३ इस निता त एकाग्री दण्डिकोण की प्रतिशिया पी० एन०

१ काने के शास्त्रो मे, भूमि पर राज्य के स्वामित्व का सिद्धांत श्रेष्ठजो सरकार के लिए अधिक सुविधाजनक और लाभदायक था। अत अपनी भूमि-विषयक नीति और कानूनों के सम्बंध म उसने इसी सिद्धांत का अपनाया। हिं ८० गा०, २ ८६६।

२ स० बु० ई० २५ २५६ ६०, मनु-मूलि पर लिखी टिप्पणी ८, ३६।

३ अली हिस्ट्री ऑफ इंडिया (आक्सफोड, १६०४), पृष्ठ १२३, ‘प्रॉक्सफोड हिस्ट्री ऑफ इंडिया पृष्ठ ६०।

४ अली हिस्ट्री ऑफ इंडिया (आक्सफोड १६०४) पृष्ठ १२३।

बननी तथा 'पासोप्रसाद' जायसवाल^१-जैसे राष्ट्रवादी इतिहासकारा के विचारा म हुईं। इहाने ताम्रामवादी भ्रमणारणा का उण्डन बिया पौर भूमि पर वयविनव स्वामित्व सिद्ध करने का प्रयाग किया।^२ उनीसवी सनी म तथा बीसवी सनी के प्रारम्भ में घेंगजा ने जो बड़े बड़े जमीदारा के अधिकारा पर प्रहार किया उसका प्रतिरोध ऐसे दियारा स ही ही सत्ता था। घोपान न जायसवाल के राष्ट्रवादी सिद्धात पर आपत्ति थी, लेकिन वे जायसवाल द्वारा अपनी मायता का सिद्ध करने के लिए दिये गए अतिपय उद्दरणा की व्याख्या करके ही रह गये।^३ हाल म युछ और विद्वाना ने भी इस विषय पर लिखा है।^४ विंतु मुख्यत तिद्वात के घरातल पर ही। यद्यपि इन अनुग्रीकनों के परिणाम स्वरूप भूस्वामित्व स सम्बन्धित अधिकार कानूनी मूल और सार्वित्य प्रकार म आ गये हैं विन्तु जिस बात की वे उपज हैं उस बात की राजनीतिक एव आधिकार प्रवृत्तिया के परिप्रैक्य में रम्भर उनका विश्लेषण नहीं किया गया है और न तिथि तम से ही इन साइया की व्याख्या की गई है। यह भी नहीं सोचा गया कि भूमि विषयक अधिकारों से सम्बन्धित मायताओं म समय समय पर क्षेत्रों परिवर्तन होते रहे हैं। इसके मम्बाध म प्राचीनकाल और मध्य काल (जिसका प्रारम्भ हम गुप्त काल की समाप्ति से मानते हैं) के बीच काई सीमा-रेखा भी नहा खीची गयी है। आधुनिक विद्वान इस विषय पर विचार करत हुए कभी भी अपने समय की भूमि-यवस्था के प्रभाव स मुक्त नहीं हो पाये हैं और इसलिए उनका प्रयास बराबर भूमि पर एव या दूसरे पक्ष के अन्तर्गत अधिकार को ही सिद्ध करने का रहा। उहोने हम मम्भावना की और कभी ध्यान ही नहीं दिया कि एक भी भूमि के टक्कड़े पर विभिन्न पक्षों के अलग अलग अधिकार भी हो सकते हैं और इन अधिकारों का आधार सुप्रति ठिक कानून नहीं बल्कि रीति परम्पराएँ भी हो सकती हैं।

अभी तक इस विषय के विवरण म पूर्व मध्यकालीन प्रमाणा और साक्षा पर अलग से विचार नहीं किया है, इसलिए हम अपने अध्ययन को मुख्यत

१ पलिंड्रैटमिनिस्ट्रेशन इन परिणाम इ डिया पष्ठ १७६।

२ हि दू पॉलिटो द्वितीय सत्करण पष्ठ ३४३ ५१।

३ द चिमिनिंग ऑफ इडियन हिटियोआफी ५३ अदर प्लेन निवाध ६, पृष्ठ १५८ ६६।

४ एस० के० मती इन्हेमिक लाइफ ऑफ नॉर्डैं इटिया इन गुस्त पीरियड पृष्ठ ११ २३ एस० गोपाल ज० इ० सो० हिं० ओ०, ४ २४६ ६३।

इसी काल तक सीमित रखेंगे। यदि हम सामुदायिक, राजकीय तथा व्यक्तिगत, सभी प्रकार के भूमि विषयक अधिकारों पर एवं एवं करवे विचार करें तो इससे हमें वस्तु स्थिति का सही बोध हो सकता है।

वेदिक काल से लेकर गुप्त-काल तक के भारतीय साहित्य से भूमि पर सामूहिक अधिकार होने का आमास मिन्ता है। उत्तर वेदिक-कालीन ग्राम ऐतरेय ग्राहण में लिखा है कि जब विश्वकर्मन्-भौवन ने पुरोहितों को यनाथ भूमि दान की तो पथी ने इसका विरोध किया।^१ ऐसा लगता है कि उस काल में गोत्र की सहमति के बिना भूमि दान नहीं की जा सकती थी।^२ और विश्व-कर्मन्-भौवन के उदाहरण को छोड़कर वेदिक काल में गोत्र की सहमति से भी भूमि दान करने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। वेदोत्तर काल के घमगास्त्रवार गौतम ने यह विधान किया है कि योग क्षेत्र अर्थात् जीविका के साधन हृषि सम्पत्ति का विभाजन नहीं हो सकता।^३ स्पष्ट ही इस सम्पत्ति में भूमि शामिल है और इस नियम के अनुसार परिवार के सदस्यों के बीच यह विभाजित नहीं की जा सकती। गौतम घमसूत्र के उसी अनुच्छेद में योग क्षेत्र शाद का अर्थ धर्माय और यनाथ सम्पत्ति लगाया गया है, किंतु ऐसा जान पड़ता है कि यह उस गाद की बाद में की गयी व्याख्या है।^४

वेदोत्तर काल में भूमि पर गोत्रीय अधिकार के साथ साथ गोत्र से बाहर के लोगों के अधिकारों का भी विकास हुआ। जब विभिन्न गोत्रों और घाधों के सामाजिक मिलकर गाँव बसाय तब भूमि पर ग्रामीण समुदाय को कुछ अधिकार प्राप्त हुए। भूमि पर व्यक्ति का स्वामित्व किसी न किसी प्रकार के सामूहिक नियन्त्रण के अधीन था। यह पुरातत भावना कि भूमि समूद्रण समुदाय की सम्पत्ति है और उसे हस्तातरित नहीं किया जा सकता शायद प्राइ-मोर्य-काल में भी मोजूद थी।^५

जमिनी के सीमांसा सूत्र से भूमि पर सामुदायिक अधिकार के सिद्धांत की पुष्टि होती है। इस ग्राम को हम चौथी में तीसरी सदी ई० प० के बीच की कृति मान सकते हैं। इसमें कहा गया है कि विश्वजित यज्ञ में, जिसमें यजमान को

^१ क० २१।

^२ क० हि० इ० १, ११८।

^३ २८ ४६।

^४ स० चु० ई० २, सूत्र २८ पर पा० टि० ४६, ४६।

^५ क० हि० इ० १, १७८।

प्राणी गारी गमति दात कर दनी पहुँचा है, और गधार भी प्राण गमताव
की गारी भूमि दात दात कर गराह बाटि परती गव की है^१ भरी गव
की है इगरा घण्य कुछ दिनों से यह साक्षा है^२ भूमि पर ग्राहक अद्वितीय
पर गमत गमत भवित्वार है^३ मरिया यही भूमि पर दिली दात का है^४ भवि
पार होने के बावजूद गारात्रिय भवित्वार है^५ ग भवित्वार है। दात स्वामी न
है^६ गत की घोषी दातार है^७ ग ग्राहक ग्राहक है^८ एवं ग्राहक है^९
परतो पर दूसरा का भी उत्तम है भवित्वार है जिनका वि गमता का है^{१०}
गमत नूमि पर गदुरा भवित्वार के विद्वात् का ग्राहकान्व होता है^{११}

ग्राहक गमता के कुछ गमताव भवित्वार की घटा घट्य गमतीन द या म
पायी जाती है^{१२} वा गम्य ग्राहक इतिया म बार शर यादि दिया गया है^{१३}
वि घ य वस्तुपा के साथ गम्य भूमि तथा जल गमतिया की गमति है और
उत्तरा दिनांक हुआर दीड़िया तर रें हो गदाता^{१४} शास्त्र हा यह दिनांक
गुरुवा स प० त की घस्तु दिपति वा दातक^{१५} वशारि गुरुवान्नाम व पहुँच दिनों
मी घमगारक के दाय (उत्तराधिकार) भाग ग्राहक म भू-गमतावा के दिना
जन की घ्यरम्या ननी की गयी है^{१६} पर गुल कानी और गुप्तोत्तर शान के
घमगास्त्री म भू गमति के विभाजन का घट्य घ्यवस्था है^{१७} ग्राहक घम्य
बानीन समितिया म भूमि की घविमाउना का पुराण विभान घमगत मानम
पहता है^{१८} मिताक्षराएँ और मदतवारिज्ञात^{१९} म यह तर दिया गया वि बाह्यण
गाप के दना के भविमाय होने का नियम बाह्यण स उत्तरान धरिय तथा घम्य
पुओ पर ही लागू होता है^{२०} इसका मतलब यह है कि दिली भी बाह्यण के
बाह्यण पुओ घापम म भू सम्पत्ति का विभाजा कर सकत थे^{२१} इसम स्पष्ट हा
जाता है कि विस प्रकार भूमि पर गोशीय भवित्वार-सम्य धी घ्यवस्था वा एमा
अव लगाया गया जिसस भूमि पर घ्यवित्वत भवित्वार को बत मिला^{२२} ही,
वण के आधार पर बाह्यण मे धरिय तथा घम पुओ की घ्यवित्व भवित्वारा

१ इ ७३ घ० को०, १ ७६३ म उद्धृत ।

२ बाणीप्रसाद जायसवाल हि दू पौलिटी दितीय घ० पृष्ठ ३४५ ।

३ जमिनी, ६, ७३ का टीका, घ० को०, १ ७६३ म उद्धृत ।

४ घ० को० १, १२३१ ।

५ घमशानसा घेव्यविभाज्य-वमत्यमिति भविमाज्यमिति । तद बाह्यणत्पन
धरियादि पुओविष्यम् । घमेष्य १ १२३२ ।

६ वही, १२३१ ।

से वचित रखा गया। धर्मास्त्रवाच देवण्णभट्ट जिसका समय १^१वीं सती के आसपास माना जा सकता है मिताक्षरा की व्याख्या से सहमत जान पड़ता है। इस महत्वपूर्ण अनुच्छेद की व्याख्या करत हुए वह स्पष्ट शब्दों में बहता है कि भूमि का विभाजन हो सकता है, किन्तु साथ ही उसने नात जन्म लगा दी कि विभाजन समस्त कुटुम्बिया की अनुमति सही हो सकता है (अखिल दायादानुमत्ये)।^२ इम प्रकार जो यात मिताक्षरा में प्रकारात्मतर से कही गयी है वह देवण्णभट्ट की स्मतिचट्ठिया में विलकुल स्पष्ट शब्दों में कह दी गयी है। तापय यह कि ११वीं से लेकर १३वीं नाताद्वी तक के धर्मास्त्रों में ब्राह्मण परिवारों की भू सम्पत्ति के विभाजन की स्पष्ट व्यवस्था की गयी है और जो नियम ब्राह्मण परिवारों के लिए बना था सम्भवत वही भाय जातियों के परिवारों पर भी लागू रहा हो।

सीमा विवाद के नियम और भूमि वंश्य विनय में ग्रामीण समुदाय का कुछ अधिकार दिये गये हैं। धर्मास्त्रों में व्यवस्था है कि सीमा विवाद में कुटुम्ब (जाति) तथा पडासी (सामन्त) मध्यस्थता करें किंतु साथ ही किसानों शित्पियों और यहाँ तक कि आसेटका के साथियों को भी मालका दी गयी है। उनके अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने गाँव जाति और दायादा की सहमति सही अपनी जमीन वेच सकता है।^३ जमीन वेचने में कुछ खास तरह के खरीदारों को प्राथमिकता दी पड़ती थी। पहले निकट सम्बंधिया से पूछा जाता था किर पढोसिया से और तब धनिका^४ और इनके बाद अपने सामाजिकुम्भिया (सकुल्यों) से। जब इनमें से कोई खरीदने को तयार न हो तभी उसे दूसरी जातियों के लोगों के हाथ वेचने की इजाजत दी गयी है।^५

बहुस्पति स्मृति का विधान है कि जब राजा भूमि दान कर (धर्माय अयवा धर्मेतर प्रयोजना से यह स्पष्ट नहीं है) तब उसे चारों बदा के नामांग्रे, व्यापारियों, महत्तरों, तमाम ग्रामवासियों, उस भूमि के स्वामियों तथा राजाधिकारियों को सूचित कर दना चाहिए।^६ इस निर्देश का पालन साधारणतया

^१ धर्मशास्त्र, १, १२३२।

^२ धर्मसोऽग्नि, १, ६०१ (स्वशामनातिसामन्तदायादानुमतेन च)।

^३ धर्मसोऽग्नि १, ६०० में उद्घात भारद्वाज स्मृति।

^४ वही।

^५ राजा क्षेत्र अव्याख्या चातुर्वेद्यवणिज्यभारिक सवप्रामीणतामहत्तरस्वामीपुस्ति-

सभी अनुदान पत्रा में किया गया है और इससे यह सबैत मिलता है कि भूमि पर ग्रामवासियों का भी कुछ हक होता था। गुप्त वाल में एवं ऐसा उदाहरण मिलता है कि धार्मिक प्रयोजन से भूमि के हस्ता तरण में ग्राम सभा की सहमति लगी पड़ी थी। इसी प्रकार हवी शताब्दी में ग्वालियर के निकट एक नगर ने एक मार्ग बो दान में कुछ ऐसी भूमि दी जिस पर सभी नगरवासियों का समुक्त अधिकार था। सामुदायिक अधिकारों के प्रयोग के ऐसे उदाहरण बहुत ही मिलते हैं। किंतु, इसमें सदेह नहीं कि शौपचारिक रूप में इसका निर्वाह गतिशाली राजाओं ने भी किया। अनुदान की सूचना वे देवता अपने राज्याधिकारियों और साम्राज्यों को ही नहीं बल्कि सामाजिक जना को भी देते हैं जिनमें चाण्डाल मेद और आघ्र तक गामिल हैं। बगाल और उडीसा के कुछ अनुदानपत्रों में भूमिकान के तिए सभी की सहमति मौगी गयी है और कुछ भाष्य अनुदानपत्रों में सभी वर्गों के ग्रामवासियों का दान की सूचना भर दे दी गयी है। इस प्रथा में उस समय के सामुदायिक अधिकारों का अवशेष मिलता है जब भूमि गोत्र की समुक्त सम्पत्ति होती थी लेकिन जब गोत्रों ने बिल्लर कर जातियों का रूप ले लिया और एक साथ विभिन्न गोत्रों के लोगों से आवाद गाव बस गये तब भी इस पुरानी रीति का निर्वाह होता रहा।

पुरोहित और मन्दिर भूमि का उपभोग समुदाय के नाम पर करते थे। धार्मिक प्रयोजनों से जमीन बेचने की छूट इसलिए भी दी गयी थी कि मन्दिर समुदाय के कल्याण के लिए ही काम करते हैं। मन्दिरों को भूमि बलि और सत्र के लिए दान की जाती थी और वलि तथा सत्र के रूप में देवताओं को जो कुछ भेंट किया जाता था उसके सामीदार देवता पुरोहित ही नहीं, बल्कि जिनका पेणा पुरोहिताई नहीं थी, ऐसे भक्तजन भी होते थे। आज भी देवताओं का चतापा गया पान प्रसाद दिनिक पूजा प्रचना तथा समय समय पर आयोजित विशेष पूजा प्रचनामा के अवसरा पर मन्दिरों में एवं ग्रामवासियों में बाट दिया जाता है। सम्भव है कि प्राचीनवाल में घडावे का एक बड़ा हिस्सा भक्तजनों के बीच बौट दिया जाता हो। कालातर से पुरोहित लोग उसका अधिकार अपने उपयोग के लिए रखने लगे, तथा सामाजिक जन, जिनके नाम पर भूमि अनुदान दिया जाता था, अनुदत्त भूमि की उपज के एक बहुत ही छोटे हिस्से न सामीदार रह गये।

जहाँ तक गोचर भूमि का सम्बन्ध है, प्राट गुप्त-काल के दो स्मृतिकार, मनु तथा विष्णु, स्पष्ट गादा में पहते हैं कि गोचर भूमि का विभाजन नहीं हो

सकता। जलाशयों आदि पर सामुदायिक अधिकारों का सबेत इस व्यवस्था से मिलना है कि उद्दक का विभाजन नहीं हो सकता।^१ अग्रिमेखा से भी प्रकारात्मर से यह प्रवट होता है कि जनता को कुछ ऐसे सामूहिक अधिकार प्राप्त थे, कि तु बाद में जसे विधान बने और जिन शर्तों पर अनुदान दिये गये उनके कारण उन अधिकारों का क्षय होता चला गया।

भूमि सम्बंधी सामुदायिक अधिकारों पर पहले पहले राजामा ने अनुशा लगाया। उपर हम विश्वकर्मनभोवन से सम्बंधित जिस अनुच्छेद का हवाला दे चुके हैं, वह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि इस प्रक्रिया का प्रारम्भ वैदिक युग की समाप्ति से पूर्व ही हो गया था। यद्यपि इस अनुच्छेद से पता चलता है कि राजा द्वारा अधिकाधिक भूमि विपयक अधिकारों का स्वायत्त करते जाना समान वो सहृ नहीं था, किन्तु धीरे धीरे राजा को समाज के प्रतितिथि कीहैसियत से व मामाजिक अधिकार प्राप्त हो गये। लेकिन तब भी उसे जमीन पर अखण्ड और तिरकुश अधिकार प्राप्त नहीं हो सका। जो भी हा, पूर्व मध्य-काल तक भूमि पर जितना कुछ गोत्रीय या सामुदायिक अधिकार शेष रह गया, उसकी जड़ें राजकीय तथा व्यक्तिगत अधिकारों के विकास ने कारण खोखली पड़ गयी।

राजकीय तथा व्यक्तिगत अधिकारों के विकास की साक्षी इस काल ने धर्मशास्त्र और भूमि अनुदान पत्र दोनों भरते हैं। जो लोग प्राचीन मारत में भूमि पर राजकीय स्वामित्व का भ्रस्तित्व सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, वे अपनी स्थापना के पक्ष में दिये गये प्रमाण को प्राचीन वाल और मध्य काल नोनो पर लागू कर देते हैं। इस बात की ओर उनका ध्यान ही नहीं जाता कि जिन ग्रन्थों में भूमि के सम्बंध में राजकीय अधिकार पर बल दिया गया है, उनमें से अधिकारा पूर्व-मध्य-काल की कृतियाँ हैं। कीटित्य कृपि पर राजकीय नियमण को अपेक्षित मानता है,^२ कि तु वह कहीं भी भूमि पर राजा के स्वामित्व के सिद्धात का प्रतिपादन नहीं करता। ऐसा लगता है कि सबसे पहले मनु ने पृथ्वी पर राजा के सर्वोच्च अधिकार की बात भीटे तोर पर कही, लेकिन इस सर्वोच्च अधिकार का मतलब ज़रूरी तोर पर भू स्वामित्व ही रहा हो एसा मानने का काई कारण नहीं दिखायी देता। उसके अनुसार, खाना से निकाली बच्चों आत्माम के आपे हिस्ते पर राजा का अधिकार था, वयोकि वह

^१ धर्मसंश्लेषण, १२०४, १२०६, १२०८।

^२ अथर्वास्त्र, २ ३४।

पृथ्वी का अधिगति था और उसको रखा करता था।^१ पूर्ववर्ती नास्त्रकार के अनुसार राजा वा वर लगाने का अधिकार वेवल इस कारण था कि वह लागा की रक्षा करता था। राजकीय स्वामित्व का सिद्धात स्पष्ट शब्द म सबसे पहले उन्नर गुप्त काल के समिकार कात्यायान ने प्रतिपादित किया। उसके अनुसार राजा भू स्वामी है और उसलिए उपज की एवं चौथाई का अधिकारी है।^२ किर भी वह स्वीकार करता है कि चूंकि मनुष्य भूमि पर रहत हैं इस लिए उह (सामाय भाषा म) उसका स्वामी वहा जाता है।^३ इस प्रकार उसने भूमि के राजकीय स्वामित्व के अपने सिद्धात म सामान्य जना के स्वामित्व के लिए भी गुजारांश छोड़ दी है। पुछ ऐसी ही बात नारद भी कहता है। वह राजा का किसानों को जमीन और मकान से बचित करने का अधिकार तो देता है किंतु साथ ही राजा को ऐसी सम्भ कारबाई करने से मना करता है क्योंकि जमीन और मकान गृहस्थों के जोवन यापन के साधन हैं।^४ नारद के इम दूसरे विदेश की याह्या करते हुए असहाय कहता है कि किसानों को बीज आदि देकर राजा को अपना स्वत्व प्राप्त करना चाहिए।^५ इसका मतलब यह है कि यदि राजा किसानों को राहत और सहायता दे तो उपज का अपना हिस्सा वह आसानी से प्राप्त कर सकता है। किसानों के पक्ष से किये गये यदावे और सिंह पुराण के भाष्य म विस्तृत नहीं मिलते। उसका कहना है कि भूमि किसानों की नहीं राजा की है।^६ १२वीं शताब्दी के एक भाष्यकार भट्टस्वामी ने बौद्धित्व के अध्यनास्त्र पर लिखे अपने भाष्य म एक बहुत ही महत्वपूर्ण

१ द ३६।

२ कात्यायन स्मृति श्लोक १६।

३ "लाक १७।

४ ११ २७ ४२।

५ नारद स्मृति १४ ४२ की टाका घमशंग १ ६४६ म उद्धत।

६ एम० ए० वक्त हृत इसानोमिस लाइन इन एग्रिहृष्ट इनिया २ पृष्ठ २४ म उद्धत (लाइन लैंड चेह लबर ऑफ इनिया पृष्ठ १११ ४८ उद्धत)। सन हृत इन्हूंनुम्हुडेस पृष्ठ ५२ भी। यानवल्क्य स्मृति १ ३१८, नितान्धरा की टीका स भी यह निष्पत्ति निकाना जा सहता है। इसके अनुसार भूमि दान करने या निवास का अधिकार किसी राजा के अधीनस्थ प्रान्तीय शासक या जिताधीश को नहीं था, यह विशेषाधिकार तिक राजा को भी था।

अनुच्छेद उठ त किया है। इसके अनुसार, शास्त्रविद् लोग यह स्वीकार करते हैं कि राजा भूमि और जल दोनों का स्वामी है और सामान्य जन इन दो के अतिरिक्त किसी भी वस्तु के स्वामी हो सकते हैं।^३ यह अनुच्छेद नरसिंह पुराण में भाष्यकार के विचारा से बहुत मिलता जुलता है और इसमें राजा और प्रजा के अधिकार का अत्यंत स्पष्ट शब्दा में बताया गया है।^४ इसमें यह नहीं बता जाया गया है कि प्रजा के भूमि विषयक अधिकार राजा के अधीन हैं बल्कि यह कहा गया है कि प्रजा को भूमि विषयक अधिकार बिलकुल नहीं हैं। यह अनुच्छेद मिचाई करा के मादभ में उठ त किया गया है जिससे स्पष्ट है कि भट्टस्वामी न इसका प्रयोग भू स्वामित्व के आधार पर कर लगाना का अधिकार सिद्ध करने के लिए किया है।

यद्यपि पादवी गनावी से सामान्य जन अपनी जमीन बास्तकारों को पढ़े पर दे सकते थे, फिर भी राजा भूमि पर अपने सर्वोच्च अधिकार का प्रयोग कर सकता था। याज्ञवल्य (२, १५८)^५ न विधान किया है कि यदि काश्तकार वोई जमीन दृष्टि के लिए लेकर उस पर दृष्टि नहीं करता तो जमीन वा मार्गिक उमे अपना टिस्सा देने को मजबूर कर सकता है। इसमें राज्य के हिस्से के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। कि त वहस्पति^६ और "यास"^७ के अनुसार एसी स्थिति में काश्तकार को न केवल भू स्वामी को उसका हिस्सा देना पड़ेगा बल्कि उसे उतना ही उण्ड राजा को भी दना पड़ेगा। दृष्टि की उपकार से गजस्व की हानि अवश्य होती हानी; लेकिन इसके लिए राजा भू स्वामी के बजाय बास्तकारों को उत्तरदायी मानना है और इस प्रकार उनके साथ सीधा सम्बन्ध स्थापित करता है। इससे प्रबट होता है कि राजा को उनकी जमीन पर सामान्य सत्ता प्राप्त थी। जिस भूमि का उपभोग वोई परिवार लगातार तीन पीठिया तक कर चुका हो, उस भूमि पर नारद सामान्य पतया उस परिवार

१ अथगास्त्र (चतुर्थ संस्करण) अनु० पृष्ठ १४४।

२ घोपाल कृत ट्रिनिपाप्राप्ती ऐट अद्दर पमज पृष्ठ १६०। मानसोल्हास, १ (गा० आ० सि० २८) परिच्छेद ३, इताव ३६१ से भूमि के रानकीय स्वामित्व के सिद्धात की पुष्टि होती है। इसमें राजा का समस्त सम्पत्ति का, और विशेषकर भूगम सम्पदा का स्वामी (ईश्वर) कहा गया है।

३ धर्मरोध, १, ६४३।

४ घटी, १ ६२८।

५ व्रही, ६६९।

वे बानूदी अधिकार को स्थीरार परता है। भविता यहाँ भी राजकीय अधिकार व्यवित्रित अधिकारी का अतिवर्धन परता है इसादि राजदूता ग (राजद्रव्यमाला) ऐसी जमीन विमी दूसरे का दी जा सकती है। इस प्रकार एक ओर तो राजा को किसी भी व्यक्ति को अपनी भूमि तथा गत्तान से विचलने का अधिकार दिया गया है (यहाँ ही वह भूमि ओर गत्ता उसे वरद म गाढ़ बतो ग ही क्या न रहा है), और दूसरी ओर उसे वह भूमि किसी ओर को भी प्राप्त करने की गत्ता दी गयी है। ऐसी व्यवस्था का मन्त्रगत राजा एक भोगा ग जमीन संकर दूसरे को द सकता था।

गुप्त-काल ओर गुप्तोत्तर-काल म चीजी याकी पाहियान ओर हृष्टमाण १ अपन अपन विवरण म लिखा है कि भूमि राजा की थी। सम्भव है कि विभिन्न राजाज्ञा के अधीन वास्तविक स्थिति म अतार पड़ता रहा है, किंतु इसम कोई संदेह नहीं कि पूर्व मध्यकाल म भूमि पर राजकीय स्वामित्व का सद्वितीय पा प्रवल था। याकी प्रमाण जायसदाल प्राप्ती भारत म भूमि पर राजकीय स्वामित्व के सिद्धान्त को सामन्तवादी विधान का धर मानत है^१ कि तु गुप्त-कालीन तथा गुप्तोत्तर काल की स्मृतिया ओर जाय्या म भूमि के राजकीय स्वामित्व के पा म जो प्रमाण मिलते हैं, उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। वेदस जमिनी विचारणारा मे समयक दबर मे, जिसका समय तीसरी सु छोयी गतावदी के बीच पड़ता है इस पर आपत्ति की है।

यह वहा जा सकता है कि राजा को भूमि का अवत भोगाधिकार प्राप्त था जो अनुदानभोगिया को हस्तातरित कर दिया जाता था ओर प्रारम्भिक अनुदानो म राजस्व के कुछ साधन ग्रहीतापा को हस्तातरित भी किय गये। किंतु गुप्तोत्तर काल के अनुदान-पत्रा म जल वीविया उपजाऊ उमर ओर खाई खड़ा याकी जमीन वश गोचर प्रादि सब कुछ के भाव साथ गाँव दान दिये जाते थे। भराठ अनुदान पथा के सम्बन्ध म आधुनिक भारतीय अदातता ने इसका महत्व ग्रहीता के नाम भूमि के सम्पूर्ण स्वामित्व का हस्तातरण रागाया है।^२ दूसरी ओर, जहाँ अनुदान पत्रा म इन तमाम चीजों का स्पष्ट उल्लेख

१ हिंदू पालिटी (द्वितीय सस्करण), ३४६। उ होने विल्स (हिंदू और मैसूर १८६६) को उढ़त करते हुए कहा है कि विल्स के अनुसार भूमि पर राजा के स्वामित्व के सामन्तवादी सिद्धान्त को हिंदू कानून का अप्राप्त नहीं देता।

२ हिंदू घ० शा०, २, ८६५ ६।

महों किया गया है, वहाँ इसका मतलब यह लगाया जाता है कि राजा ने सिफराजस्व के साथना का हस्तान्तरण किया ।^१ यही व्यारप्या पूर्व मध्यकालीन अनुदान पर भी लागू होती चाहिए । यदि राजा को भूमि का स्वामित्व प्राप्त नहा था तो फिर वह दूसरा को उसका स्वामित्व कैसे प्रदान कर सकता था ?

हो सकता है कि समाज के प्रतिनिधि के नाते राजा को भूमि सम्बंधी अधिकार प्राप्त रहे हो किंतु पूर्व मध्यकाल में उसे इन अधिकारों का कोई स्पष्ट भान नहीं था । इस मामले में राजा का स्वामित्व और राज्य का स्वामित्व दाना को एक ही वस्तु नहीं माना जा सकता है । राजा जब भूमि अनुदान देने थे तब वे अपने लिए और अपने माता पिताओं के लिए घम अर्जित करने के लिए दत थे । अनुदान का समय उह समाज और राज्य के आध्यात्मिक चल्पाण की चिता नहीं रहती थी । तात्पर्य यह कि वे सामाज्य भूमि समियों के हृषि मध्यकालीन से भूमि अनुदान देते थे ।

विद्या तथा वेत्तोत्तर मौय तथा मौयोत्तर काला के साहित्य में सामाज्य-जना द्वारा कृषि योग्य भूमि के स्थायत्त करने का सकेत मिलता है । इसे हम भूमि पर यक्षिगत अधिकार का प्रमाण मान सकते हैं । लेकिन प्रारम्भिक एतिहासिक सामग्री में धार्मिक प्रयोगना के अतिरिक्त प्राप्त किसी उद्देश्य से व्यक्ति को अपनी जमीन दूसरा को दने का अधिकार नहीं दिया गया है । खेती की जमीन का बचने रहन रखने विभाजित करने आदि के अधिकार वाश्तकार को प्राप्त नहीं थे । स्वामित्व की इन विशेषताओं का उल्लेख गौतम^२ तथा भनु^३ आदि प्राड गुप्त राजीन धर्मशास्त्रकारों ने किया है लेकिन न तो इहाने और न आपस्तम्भ, बौद्धायन वसिष्ठ तथा विष्णु आदि धर्मशास्त्रकारों ने ही व्यक्ति को दान विकी रेहन तथा विभाजन आदि के द्वारा अपनी भूमि किसी को दने या दूसरे की भूमि लने की अनुमति दी है । हाँ, गुप्त-काल और गुप्तोत्तर काल के धर्मशास्त्रों में भूमि का विभाजन करा, उसे बचने और रेहन रखने, उसके अवधि के जे और उसे पट्टे पर देने के बारे में विधान किये गए हैं ।

यद्यपि प्राड गुप्त कालीन समतिया में विभाजन सम्बंधी नियमांकी व्यवस्था विस्तार से भी गयी है, किंतु विभाज्य वस्तुओं में भूमि का उल्लेख नहीं हुआ

^१ मामलों के सदम के लिए देखिए वही, ३ पा० टि० २०३१ ।

^२ १० ३६१ ।

^३ १० ११५ ।

है। पहले पहर उत्तर गुण गाली अग्निकार वर्णनी^१ के बारे में इस है कि विजाति म दृच्यनर जानिया न गुरु तुमारा भूमि गरी ना मरा। इसी व्यवस्था को ददस^२ न मानी गई। जो एकी गभी सौर धरा रही की बीच तिसी समय लिमी गर्न राया है। स्मारिकार वायादा^३ जा वर्णनी का नगरग समकालीन पा बहना है कि यह ना बगाचा, मरां धाँ का वट्यारा हो तो ज्येष्ठ गुरु का दाली या पर्व चमी दिमा ना चाहिए। शम्बलियित जिसकी स्मृति वा गरमार १०० स तकर २०० ईमी प्रीप लिमी समय लिया गया, बहरा है कि पर्व बाई धरा ० ग क बत पर गार्ड हुई जमीन फिर प्राप्त वर लता है तो उस एक चोथाई घधिर मिरां चालिंग पौर नेप का सभी हिस्मेदारा भ वरावर वरावर चाट दना चालिंग।^४ इति नियमा की दबन दूंग यह साफ है कि गुण-नाल से पारिवारिक भूमि दा विजाति तुम हो गया था।

यही तक कि गोचर भूमि को भी जिस मनु^५ तथा विल्लु^६ न शविभाज्य बना दिया था वहस्पति^७ विभाज्य घोषित करता है। गोचर भूमि का विभाजन हो यह यहे महत्व की बात है। अब उन विस्तृत भूसंज्ञा को जिन पर नई-कई परिवारा वा सम्मिलित कर्जा रहना पा व्यविनगत सम्पत्ति बनाया जा सकता था। इस प्रकार गुप्त वाल म यक्षित भूमि को प्राप्ति म यीट सकते थ और अपने हिस्से वी भूमि को निजी सम्पत्ति बना सकते थ।

विकी सम्बद्धी बानून से भी भूमि पर व्यक्ति के घधिरारो क विकास का पता चलता है। कौटिल्य न वास भूमि और आवास के विश्व (वास्तु विश्व) के सम्बंध मे नियम बनाये हैं^८ किंतु उसने जमीन की विकी का कोई उल्लंघन

१ धर्मकोश, १ १२५१।

२ वही, १२५२।

३ वही, १२०१।

४ वही १२०७ समनि चद्रिका के नाथ के साथ।

५ ६, २१६। मेधातियि के भनुसार गोचर भूमि के लिए प्रयुक्त शब्द ‘प्रचार’ है।

६ १८ ४४।

७ धर्मकोश १ २ १२२३। अपराक प्रचार शब्द की व्याख्या प्रवेश निगमभू^९ करता है (वही)।

८ ३ ६।

नहा किया है। सम्भवत मीय बाल म जमीन बचने का चलन नहीं था। इसी प्रकार प्राइंट गुप्त शासीन म्मतिया म नय विनय के सम्बंध म जो विस्तृत नियम बनाये गये हैं उनमें वरीन विश्री की वस्तु के रूप म भूमि का नाम कही नहीं लिया गया है। यहीं तक कि यानवल्प्य तथा नारद जैसे गुप्त कालीन स्मतिसारा ने भी जमीन की विश्री कोई चचा नहीं की है। इन शोना ने खरीदी हुई वस्तुओं की जाच के लिए अलग अलग अवधिया निर्धारित की हैं। एसी बन्दुआ म इहोने लोहा, वस्त्र दुधार पशुआ, मारवाही पशुआ, जवाहरात, सभी तरह के आना, दास तथा दासिया आदि का उल्लेख किया है, किंतु भूमि के बारे म कुछ नहीं कहा है।^१ भूमि के विश्री सम्बंधी नियमों की रचना करने वाला प्रथम व्यवित वहस्पति ही जान पड़ता है।^२ उसके बाद कात्यायन तथा दूसरे लागा ने इस विषय म नियम बनाये। कात्यायन यह विधान करता है कि यदि कोई किसी को जमीन देता है, या उसके हाथ देचता अथवा गिरवी रखता है और वह जमीन बाद में बकार हो जाती है, तो उसे उस व्यवित को फिर उतनी ही जमीन उनी चाहिए।^३ यदि वह ऐसा नहीं कर सकता तो उसे उस व्यवित को आय प्रकार से सतुष्ट करना चाहिए।^४ वह शारे कहता है कि जिस जमीन को खरीदना हो, उसकी ठीक से जाच कर लेनी चाहिए।^५ यह नियम बाद की स्मतिया में भी मिलता है।^६ कात्यायन यह व्यवस्था करता है कि जिम भूमि पर कर लगत हो उसे कर चुकाने के लिए देचना चाहिए।^७ इसका मतलब यह हुआ कि किसान को कर की बकाया रकम चुकाने के लिए अपनी जमीन का एक हिस्सा बचने को बाध्य किया जा सकता था।

वहस्पति^८ भरद्वाज^९ तथा अपराह्ण^{१०} के कुछ आय विधाएँ भी इस बात की

^१ यानवल्प्य समूहि, २, १७७, नारद समूहि, १२५६।

^२ धर्मराशि, १, ८६६।

^३ वही, ७६७।

^४ वही।

^५ वही, ८६६।

^६ वही, ८६६।

^७ वही १, ८६८।

^८ वही, ८६५।

^९ ७२७। भरद्वाज की इन व्यवस्थाओं का सम्बंध भूमि के अनधिकृत विश्री से है।

^{१०} वही, ७६७।

साक्षी भरते हैं कि प्रूव मध्य काल में जमीन बेची जा सकती थी। वहस्तति के अनुसार जमीन बेचते समय उसमें मौजूद क्षमो, पेड़ों जल स्रोतों खता पक्की फसला खाने के फलों तालाबों तु गी परा आदि का उल्लंख कर देना चाहिए।^१ इसमें जिन चीजों के नाम गिनाये गये हैं उनसे मन में सहज ही यह सचाल उठता है कि यहाँ वहस्तति वही पूरे गाँव के विक्रय की बात तो नहीं कह रहा है।

बारहवीं शताब्दी में लक्ष्मीघर की दृति में ग्राम विक्रय का स्पष्ट विधान मिलता है। उसने गाँव बेत आदि स्थावर सम्पत्ति की विक्री का बणन किया है।^२ इसी सदी के पण्डित देवण्णमट्ट ने इस आशय का इसों उड़त किया है कि जब सीमा जल और वीथियों के साथ साथ कोई गाँव बेचा जाये तो वहाँ वे पुरोहित वग और ग्राम देवता को नष्ट नहीं करना चाहिए।^३

तेरहवीं शताब्दी तक जब बरदाराज के पवहार निषय का सकलन हुआ, इस कृति में जमीन मकान आदि को पृथ्य वस्तु (विक्री की वस्तु) बहा गया है।^४ ध्यान देने की बात है कि इससे पहले भूमि के लिए इस विपण का प्रयाग शायद ही कही बिया गया हो। भूमि विक्रय सम्बद्धी विधान में घमेंतर प्रयोजना के लिए भी भूमि बेचने का कोई निषेध नहीं बिया गया है। गुप्तोत्तर काल में ही धार्मिक प्रयोजनों के लिए भी जमीन बेचने के उदाहरण नहीं मिलते जिसका कारण शायद मुद्रा का श्वाव रहा हो। किंतु १२वीं शताब्दी शताब्दी में हम जमीन की विक्री के सम्बद्ध में धर्मिकाधिक नियमों वीर रचना होते देखत हैं जिसका सम्बद्ध इस काल में मुद्रा और गापार की पुनर प्रतिष्ठा से जोड़ना भ्रातृत न होगा। पूरे गाँव के विक्रय सम्बद्धी विधान बतलाते हैं कि पूरोप के बड़े बड़े भूमिघर लाडों की तरह यहाँ भी लाग पूरे गोतम मनु याज्ञवल्क्य और नारद ने कही भी खता के वाक का उल्लंख नहीं बिया है।^५ इसका उल्लंख सबसे पहल वहस्तति ने निया है। ये यक रसे

१ धर्मकोश द६६।

२ गवदारकल्पना धर्मकोश द६६ म उड़त।

३ स्मृति चन्द्रिका २३ धर्मकोश, ६७७ म उड़त।

४ हिं० ध० शा०, ३ ४६५ ध० टि० ८७८।

५ १२५।

मकान के उपयोग या बाधक रेते खेत की उपज को वह भोग लाभ की सत्ता देता है।^१ बहस्पति और भात्यायन की शृंतिया मे खेता के उपभोग से कई नियमा वा सम्बाध है। कात्यायन वहता है कि जिस मकान या जमीन को बाधक रखता हो उसकी सीमाओं का और इस प्रदेश या गाँव म वह मकान या जमीन हो उस प्रदेश प्रथवा गाँव की सीमाओं वा वर्णन साफ साफ कर देना चाहिए।^२ धार्मिक अनुदाना और आयद घर्मेतर अनुदाना म भी दिये गये गाँवों के सम्बाध मे इस निर्णय वा पालन विया जाता था। बृहस्पति वहता है कि जब ऋणदाता बाधक मे प्राप्त किमी खेत अथवा अम्ब अचल सम्पत्ति वा पपाप्त उपभोग कर लेता है और उससे वास्तव मे अपना पूरा मूल धन और व्याज वमूल कर लेता है तब वह खेत या आय अचल सम्पत्ति अहंकी को वापस मिरा जाती है।^३ इससे प्रकट होता है कि बजदार मूल धन और व्याज दोना की प्रदायनी के लिए ऋणदाता के पास अपनी जमीन बाधक रखता था। भात्यायन वा आदेश है कि यदि किमी व्यक्ति ने अपना खेत आदि भावाजन को व्याज के बदल द रखा हो तो क्ज की रकम छुका कर वह अपनी जमीन वापस ले सकता है।^४

गुप्तोत्तर काल की कई शृंतियों म व्याज के बन्ले भूमि बाधक रखने की व्यवस्था है। नारद द्वारा उल्लिखित (१, १२५) दो प्रकार की प्रतिभूतिया की टीका बरते हुए असहाय (७०० ७५०) ने खेत और मकान को ऐसे बाधकों की कोटि म रखा है जिनका उपभोग महाजन कर सकता है।^५ इसी प्रकार भगुस्मिति (८ १४३) की टीका बरते हुए मेधातिथि वहता है कि महाजन को आधि के हप म गाय दूध का उपभोग करन के लिए तथा खेत या वामीचा उसकी उपज वा उपभोग करन के लिए दिया जाता है। अतएव महाजन किसी प्रकार की वद्धि या कुसीद का हनदार नहीं है।^६ मेधातिथि वे समकालीन व्यास ने भी आधि की व्याख्या इसी तरह की है।^७ जब कोई व्यक्ति किसी से

१ ११, ७८।

२ इलोक ५२२।

३ ११ २३।

४ इलोक ५१६।

५ स० च० ६० ई०, ३३, ७३१।

६ धर्मशास्त्र, १, ६५८।

७ वही, ७३१।

निः चन याज पर द्वय लेता है अणदाता को याज के बदने अपनी जमीन दता है और उस जमीन से यज के अनिवार्य जो ताम हो उसे मूल धन भगवन् द्वारा कर्ते जाने या निवेदन करता है तब इसे 'माधि' या सप्रत्यायभोग्याधि कहत है और इस कर्त्तव्य जब मूल धन की दुगुनी राणि धदा हो जाती है तो कजदार को आधि वापस मिल जाती है ।^१ यदि जमीन बाधक न रखी गयी हो तो भी कज धदा करने के लिए उस बचा जा सकता है । मरदाज के मनुसार यदि कजदार कज लुकाने मध्यसमय है तो उसकी सम्पत्ति कज के भुगतान के लिए बच नी जाय और इस सम्पत्ति मध्य भूमि, नेत, वागीचा और घर सभी मिलती है ।^२

यह बात नी कज चुकाने के लिए जमीन बाधक रखने के चलन का आभास देती है । इस चलन से स्वयंवरत कणदाताया की भूसम्पत्ति मवढ़ हूइ होगी । कहा तो यही तक यथा है कि य धक जमीन का उपभोग सी साल तक दिया जा सकता है । विनु जमीन के बाधक के नियम के कारण होने के लिए मिवरे के चलन का बदना प्रावधार्य था । यह स्थिति ११ १२वीं सदी में पैदा हुई, और मध्य भारत म २३वीं सदी में भारतम में इस प्रावधार्य का एक भवित्वल मिलता है ।

किसी सम्पत्ति के बाध स्वामी के बदजे मन रहने से उस पर से उसके स्वाधिक की समाजिक सम्बंध मध्यमास्त्रा मध्यनक्षत्र नियम है, जिनम भूमि पर व्यक्तिगत धरिकारा या सहृदय मिलता है । गोतम^३ और मनु^४ का विधान है कि यह कोई सम्पत्ति १० वर्षों तक किसी धनजान व्यक्ति के बदज में रही हो तो उसका स्वामी उस पर भपने बाध धरिकार से बचित हो जाता है । यावद्यवय ने इस धरिकि को बड़ा कर २० वर्ष कर दिया है^५ लेकिन इसम म कोई भी समिक्षार इस सादम मध्य भूमि का उन्नत्या नहीं करता ।

१ धर्मदेव १, १५८ ।

२ यहो, ७३१ ।

३ हि० य० ना० ३, ३२० या० हि० ४५६ ।

४ ८ १४३-८ नारदस्मृति ४ ७६८० म भी दस सास के नियम का उन्नत्या है और इसी द्रष्टार संग हि० य० ना०, ३ ३२० म भी ।

५ २ २८ ।

विणु' नारदै बहस्पति^३ तथा कात्यायनी^४ की स्मृतिया में हम इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखते हैं। इहाने इस अधिकार को बना कर तीन पीठियाँ या लगभग साठ सात वर दिया है और इस नियम का जमीन पर स्पष्ट रूप से लागू कर दिया है। आगे चन कर ११वीं सदी में 'मिताक्षण' ये यह अधिकार की साल हो गयी है^५ और १३वीं शताब्दी की एक कृति 'स्मतिचट्रिसा' में इसे बड़ा कर १०५^६ वर पर दिया गया है। स्पष्ट है कि इन नियमों का पारण गुप्त-वाल संभवामियों की सुरक्षा बदली गयी और पूर्व मध्य वाल का अत हान हान भूमि पर 'यक्ति' के स्वामित्व के सिद्धांत की जड़ पूरी तरह जम गयी। इन नियमों से तो सगता है कि भले ही किसी व्यक्ति की या राजा की जमान विमी कानूनकार या गविताकाली पढ़ोम की जोत में सौ साल तक रही हो, कि तु उसके मूल स्वामी को अपने अधिकारों से बचित नहीं किया जा सकता था।

अस्थायी कानूनकारा पर इस तरह के नियमों का बहुत प्रनिकल प्रभाव पड़ा हांगा। दीप्तर अधिकार सम्भवत इस उद्देश्य से निर्धारित की गयी थी कि राजनीतिक आयवस्था के समय में कानूनकार भूमि का स्वामित्व न प्राप्त कर पायें। इस नियम के बल पर धर्मेतर और धार्मिक अनुदान मालों दोनों ही कानूनकारी या दखल में थोड़ा सा भानुराल पढ़ते ही पुराने कानूनकारों को भी देखल कर राकते थे। याददाश्त के आधार पर थोड़ा समय का दखल तो साबित किया जा सकता है, लेकिन कोई भी स्मृति के आधार पर यह साबित नहीं कर सकता कि अमुक थेन्ड्र ५० या ६० साल से अमुक व्यक्ति के दखल में रहा है। जहाँ सौ साल की बात हो वहाँ तो यह साबित करना असम्भव हो जाना है। इस दण्डि से इन नियमों से भौजूदा भूस्थामियों को जाभ था, कि तु कानूनकारा के स्वत्व के विकास में इन से बाधा पहुंची।

किसानों के पटटे पर जमीन देने के जो नियम बने थे उनमें भी भूमि पर

१ ५ १८७।

२ १ ६१।

३ ६, ७७ ३०। यहाँ बहस्पति ने खास तौर से भूमि का नहीं बन्कि स्थावर सम्पत्ति का उल्लेख किया है।

४ इलोक ३२७।

५ यानवल्क्य २ २७ की टीका।

६ हिं ८० शा० ३, ३२१, पा० टि० ४५६।

व्यक्ति के अधिकार नियंत्रण होते हैं। भूत्वामिया का सम्बन्ध गतिहर मन्त्रियों में और वग्यारा के साथ खेला हो इसका विषयमा पारम्परा के विषयमा भूत्वामी साथ बिया गया है। गतिहर मन्त्रियों को चीटा जा सकता था, और भूत्वामी साथ दारों को बराबर बहुत उत्तम था। प्रारम्भ में भूत्वामी तथा वर्गेश्वरा के सम्बन्ध का विषयमन बरा यासा कार्ड विषया था। प्रारम्भ में भूत्वामी तथा उत्तम पर इस तरह का उत्तम विषया है, पर वह भी इसके प्रमाणमें एवं इस पर इस तरह का उत्तम विषया है, पर वह भी इसके प्रमाणमें नहीं है और उत्तम द्वारा घायल भी ना रखता है। इन्हुंने गुप्त-वानीने और परवर्ती स्मतिया में स्वामी का धनराय क्षमता एवं घायल का सम्बन्ध है। इसका सम्बन्ध ये में विषय व्याप्ति है। विषयमें और दृश्योत्तर-वानी के विषयमें रमातरारों ने जार दिया है तिव्यारा को पट पर मी हुई जमीन मठीरा का गती बरनी चाहिए और उद्देश्य विषयामा दिया है विषयमें जमीन की उत्तमा परं तो भी उहें स्वामी को उत्तम नियमन देना चाहिए।^१ एवं स्मतिया में यह भी घायल दिया गया है तिव्यारा की उपा। उरने कामे कानूनार राजा को जुर्माना है।^२ मिता तरा मध्यवस्था है तिव्यारा की उपेक्षा करने वाल का तरार से जमीन छीन पर दूसरे को दी जाय।^३ इस प्रारम्भ भूत्वामी को पटटदार बहुतन का अधिकार था। भूत्वामी का हिस्सा जिसे कुछपन या सद वहा जाना या वित्ता हो यह बात जमीन की उस पर वह उपज के दसवें हिस्से का हक्कार या विषय पर रोती होनी रही हो, उसकी उपज का घाठवी हिस्सा उसका या और जिस पर बहुत मच्छी तरह खेती होती रही हो उसकी उपज का छठा हिस्सा उसका होगा।^४ स्पष्टत इस नियम का सम्बन्ध ऐसे कानूनारों से था जो रोता में अपनी पूजी अपने उपकरण बीज थम मान्ति लगाता था। बटायनारा के साथ इसका कोई सम्बन्ध नहीं था। उह तो सती के सच का एक हिस्सा भूत्वामी रो ही मितना था और इसके बदले भूत्वामी उपज का अधिकार घायल स्वयं से सता था। तिव्यु परती जमीन को पहल-पहल मावाद करने में भूत्वामी को सारा खच

^१ घमकोण, १, ८४२।

^२ वही ६४३ ६५४ ६६१।

^३ वही ६५४ ६६१।

^४ वही ६४३।

उठान को कहा गया है। यदि वह वैसा नहीं बरता तो काश्तकार से आठ साल तक उस उपज पा वेवल आठवीं हिस्सा मिलेगा, और इस अवधि के बाद वह जमीन भूस्वामी के पास लौट बर चली आयेगी।

ये तमाम नियम भूमि पर बढ़ते हुए व्यक्तिक अधिकारों का पर्याप्त संकेत देते हैं। किन्तु बाधक, वेदाधारी तथा विश्री सम्बाधी नियम साधारण भारतकार-भूस्वामियों के बजाय वडे वडे भूमिधरों के हक में जान पढ़ते हैं। जो भी हो, सामातवादी राज्यव्यवस्था तथा अस्त्र भूमि के असमान विभाजन पर आधारित या, और पूर्व मध्यकाल में व्यक्तिगत भूस्वामित्व के सिद्धात के विरास से इसको अधिक बल मिला।

इस्वी सन की प्रारम्भिक सदिया से लेकर बारहवीं शताब्दी तक भूमि-स्वत्व पर प्रकाश ढालनेवाले धर्मशास्त्रों में जो सामग्री मिलती है उसमें सामुदायिक अधिकार या हल्का सा आभास मात्र है। किन्तु राजकीय और वैष्णविक अधिकारों को उगम उत्तरोत्तर अधिकारिक समयन दिया गया है यद्यपि ये दोनों प्रकार के अधिकार परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं। मध्यवालीन-भाष्यकार और आधुनिक इतिहासकार अभी तक इन दो तरह के विरोधी स्वत्वाभ सम्मत नहीं बठा सके हैं, लेकिन पूर्वमध्यकाल में भूमि वितरण की प्रथा पर विचार करने से इम भारतविरोध की व्याख्या हो सकती है। व्यक्तिक भूस्वामित्व के सिद्धात के कारण अनुदानभोगी किसानों के हाथ पट्टे पर अपनी जमीन लगा सके, और राजकीय भू स्वामित्व के सिद्धात के कारण राजा लाग पुराहिता और मंदिरों सामाजिक और राज्याधिकारियों को सेवा के बदले अनुदान में भूमि दे सके। अब यदा, हम एक ही ऐत पर तरह-तरह के लोगों के अधिकार का बारण क्या बतला सकते हैं? अभिलेखा से प्रकट होता है कि भूमि वेवल धार्मिक अनुदानों के उद्देश्य से ही बेची जा सकती थी, और मध्यकाल में मुद्रा के अभाव के बारण कम से कम १००० इस्वी तक वडे पमाने पर जमीन की खरीद विश्री नहीं हो सकती थी। फिर, भूमि पर राजकीय स्वामित्व के सिद्धात के कारण मध्य-कालीन नरेशों को किसानों पर तरह-तरह के कर लगाने का व्याधानिक आधार मिल गया। दोनों सिद्धान्तों ने सामुदायिक भू स्वत्वा को पगु बना दिया और ऐसी स्थिति पदा कर दी जिसमें अनुदानभोगी तथा वडे-वडे भूमिपति विस्तृत गोचर भूमि तथा उसी प्रकार की भाष्य सामुदायिक भूमि को आसानी से अपनी निजी सम्पत्ति बना सकते थे। फलत साधारण किसान या तो कृषिदासों की घवस्था में पहुँच गये या नये भूमिपतियों के असहाय निश्चाय आवृत्ति बनकर रह गये। इस प्रकार ये दोनों

भारतीय ग्रन्थसंक्षेप

सिद्धांशु मध्यस्थान की राम-नी शरीरों के लिए विद्या का ग्रन्थ अनुग्रह ५।
 राम के भूतात्मि वा विद्या वा गाया व व्याप्ति व भूतात्मि वा
 सिद्धांशु ते बोद्ध विद्या नहीं है। रामा व रामाद्वय व व्यवहार नहीं या
 जो राम के व्यवहार वा होता है। मध्यस्थाना भारतीय रामा गमान व ५।
 म गमन भूतात्मि वा उपगम वर्ण व वर्ण वर्णना या। वर्णगत रामा गमन
 वहा भूतात्मि या घोर वासी तांग उपगम व्यवहार वर्ण भूतात्मि ५। इस
 व्यवस्था म एवं प्रशार क व्यवहार भूतात्मि विद्या व विग्रह रामा वासी
 घोर वर्ण व व्यवहार व्यवहार है। भूतात्मि व गमान म इन ग्रन्थ क विविध
 विसी न रिती है तक विविधरित है। इसका यह विविध च० द्व० एम० इट०
 विविध ते ग्रन्थ गाता है। इट० क ग्रन्थगार "भारतीय पमगामनार यह
 गानवर गन वि स्वाक्षिय की गमन गमन व्यवस्था ॥ गाती है लेखन
 रामा वा स्वत्व भूतात्मी वा स्वत्व वृद्धारा वा स्वत्व घोर वर्ण
 गाग जाकर सोचे तो दग्धस्थार व व्यवस्थारी का भी स्वत्व गद्धप्रसार व स्वत्व
 को प्रयट वर्णन क लिए सम्पत्ति इट० ही का व्योग होता था। १५ हाँ य
 के ताङ्गपट ग्रन्थान से जात होता है जो उच्ची उच्ची दाता है। उच्ची वर्णाल
 म दिय गय इन ग्रन्थाना से जात होता है जो उच्ची उच्ची दाता है। बोद्ध
 करता था घोर जिसम निश्चर तथा गम्य सोग गनी वरते थे रामा दाता
 सप्तमित नामक एवं बोद्ध गायु को दान कर दिया गया।^१ स्पष्ट है कि बोद्ध
 साधु को दान वरने के पहल तक रामा व्यवहार तथा निश्चर घोर गम्य
 विसानी को—गम्यता व गम इन तीन पदों को—उस रोत पर गमन
 गमन व्यवहार ग्राह्य है।

भारतीय भूतात्मि वी व्यवस्था मध्यस्थानीय घोरों म प्रचलित उत्त
 कानून वा स्मरण वित्ताती है जिसमे भूति पर गमन म एवं दूसरे स मिन
 घोर एवं के बाद एवं क्षयर साते गय व ईतरह के वास्तविक व्यवहारा भी
 गुजारा ही।^२ वास्तवार जो (गम तोर पर पुरुषन्दर पुरुत) जमीन जातता
 और फल इटाठा करता है उसका प्रत्यक्ष स्वामी जिस वह कर देता है घोर

^१ बुलिन आँफ द स्कूल आँफ ओपिटल ऐड अनिलन म्हाडीज १८, ४८६।

^२ भूमोहस आँफ द एरियाटिन सोसाइटी आँफ बगाल, ३, न० ६ इप्प ६०,

प्लेट 'ए, पक्तियाँ ८-६।

याक, ब्लॉक, मूर्क, तिस्रोम्बातुने इप्प, १९६।

जो कि ही परिस्थितिया म उससे जमीन वापस भी से सकता है, फिर स्वामी का स्वामी, आदि, और भ्राता म वरिष्ठतम् सामन्त—कितने सारे लोग हैं जो जमीन वे एक ही टुकड़े के बारे में यह सकते हैं और सभी समान अधिकार के साथ कह सकते हैं कि 'यह जमीन मेरी है ।' १ पूर्व मध्य कालीन भारत में जमीन पर अधिकार रखनेवाले पक्ष भल ही उतन प्रधिश्च न रहे हा जितने कि यूरोप में थे, लेकिन इसम सत्रेह नहीं कि भूमि में निहित उनके स्वायतों को कानूनी भाव्यता प्राप्त थी और इस दृष्टि से यहां भी स्थिति वसी ही थी जैसी कि सामाजिक यूरोप में थी ।

लेकिन, मुसलमान काल के भारत म भूमि विषयक अधिकार निश्चय ही विचाराधीन काल व भूमि विषयक अधिकारों से भिन थे । प्रथम तो भूमि के व्यक्तिगत स्वामित्व से भिन्न, ताज की जमीन (गालिश) का मिदात मुसलमानों से पहने के काल म यहा प्रचलित नहीं था । यह सच है कि परमार और चाहमान नरेशों द्वारा अपने प्रपत्ते स्वमाणों में से दान की गयी भूमि को किसी हृद तब ताज की जमीन माना जा सकता है और इसे उस भूमि से भिन्न कोटि म रखा जा सकता है जो राज्य के सामाजिक नियन्त्रण में या स्वतन्त्र कालिकारों की जोत म थी । किंतु उनके समवालीन नरेशों तथा पाल, प्रतीहार एवं राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा दिये गये अनुदानों म इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि राजा के पास कोई राज भूमि भी थी । इसके विपरीत उनसे यही प्रकट होता है कि राजा अपने राज्य के किसी भी हिस्से म अनुदान दे सकता था ।

दूसरे मुगल बारशाहों द्वारा दी गयी जागीरा या मदद ए मध्याश के माथ वैसे पुष्ट और विस्तृत अधिकार नहीं जुड़े रहते थे जैस कि हिंदू राजाओं द्वारा दिये गये धार्मिक और कभी-कभी धर्मेतर अनुदानों के साथ भी जुड़े रहते थे । मुगल जागीराएँ को हिंदू शासन काल के अनुदानभागियों की तरह भूमि का स्वामित्व नहीं प्रदान किया जाता था उह केवल उसके उपयोग उपभोग का ही अधिकार मिलता था । कारण यह था कि मुगल काल म केंद्रीय सत्ता मुसलमानों से पहने के काल की अपशा बहुत सबल और प्रभावकारी थी ।

और भ्राता म मुद्रा पर आधारित आधिक जीवन तथा ग्रामीण धोन्ना में व्यापार के विकास के कारण मुसलमान शासन-काल म भूमि पर किसानों या व्यक्तियों के अधिकार अधिक सबल हो गये । यद्यपि गुप्त-काल के तथा बाद के

विधि ग्रंथा में जमीन की दरीदरी तथा उसे वाधक रखने की अनुमति दी गयी है किंतु इस सबका सिलसिला ११वीं १२वीं शताब्दिया में मुद्रा की पुनर्प्रतिष्ठा के साथ ही गुरु हो सका। वाद की पाँच सदिया में व्यक्तिगत अधिकारा के प्रयोग के लिए परिस्थितियाँ अधिक अनुकूल हो गयी, क्योंकि अब विसान लगान या राजस्व जिसी में घदा नहीं बरते थे, बल्कि मुहृष्ट नकद छुकाते थे।

बुल मिलाकर पूर्व मध्य काल की भूस्वामित्व प्रणाली की विशेषताएँ सबल और विकेंद्रीकृत सामन्तवादी व्यवस्था का आभास देती हैं। मुद्रा पर आधारित अन्य व्यवस्था की पुनर्प्रतिष्ठा और केंद्रीय नियन्त्रण के विकास के परिणामस्वरूप मुगल काल में यह व्यवस्था कमज़ोर पड़ गयी।

परिच्छेद-५

राजनीतिक सामन्तवाद का उत्कर्ष-काल

(लगभग १०००—१२०० ईस्य)

दमदी भवा-ओं न उत्तराय में गुरा प्रतीकार साम्राज्य के पतन के बारे उत्तरी भारत की राजनीतिक एकता दिखाने में हो गयी। मौय साम्राज्य के टूटने के बाद और फिर गुप्त मायार्य के अपसान के बाद सी यह क्षेत्र अनेक छोटे राज्यों में वट गया था लेकिन तब स्थिति उत्तरी बुरा नहा हुई थी जितनी अब हो चली थी। तुर्कों के आक्रमण से पूर्ण राजनीतिक सत्ता का विभाजन असती चरम सीमा पर पहुच चुका था। १०७५ के आमपास यद्य क्षति विद्रोह हुआ उस समय पूरा बगान और विश्वार बाद दस छोटे राज्यों में बँटा हुआ था। ये राज्य अपने पाल प्रभु की धर्मीनता नाम मात्र का हो भीकार करते थे। पाला का स्थान सना न लिया, किन्तु उनका सत्ता का मिथिला के बणाटा और गायद दक्षिण पूर्व बगाल में ईश्वरघोप के बजाए न चुनीती न। इसके अतिरिक्त वही और सामन्त राजवास भी सना को परेगान करते रहे। विश्वार में दो नये राजवास का उदय हुआ—एठी के सन और जयनगर (दफिय मुगेर) के गुण। इनों द्विना जपता में व्यवरवाला वा राजवास नामन करता था जो याटडवाला वा सामन्त थे।

गाहटवाला वा राज्य आधुनिक उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े हिस्से पर था जिसे तुर्क गारखपुर के कलचुरि उनके प्रबल प्रतिष्ठानी थे। मध्य भारत का पूर्वी राज्यों के प्रमुख राजवासों के अनेक थे। इनमें एक था डाहल वा कलचुरि राजवास जिसकी राजधानी विपुरी में थी और दूसरा था उजाम्बुद्धि वा चूर्न राज्य। यांगे उत्तर करकलचुरिसाग भी तीन गायामा में विभक्त हो गय। दक्षिणी गाया वा राजधानी विपुरी थी, एवं वी रत्नपुर, धार उनरी की गोरखपुर।

राजस्थान गुजरात और मालवा की जबस्था तो और भी बुरी थी। चाहमान पाच शासांकों में वैटे हए थे और भरत्त जावालिपुर (१२वीं शताब्दी के मध्य में स्थापित) शासनभरि नड़दुल और रणथम्भोर में अलग अलग राज्य बरते थे। भरत्त तथा रणथम्भोर के चाहमान १२वीं सदी के पारम्पर में प्रसिद्ध हुए तिन्‌तु इनका गतित्व पर्यन्त म ही था। १२ वीं शताब्दी के उत्तराधि में गुहिना ने जावालिपुर के चाहमानों को अपने यहाँ से दखाड़ परा और वे लगभग बहुत बड़े गए। फिर १२०७ से लक्ष्मी १२२७ के बीच तिनों समय उत्तराने अपने बो पूर्ण रूप से स्वतंत्र पायित कर दिया और पर्फि णामन मवाड़ और आधाट कुछ समय के लिए चाहुंचा के प्रभुत्व में चला गया।^१ मवाड़ के आसपास का क्लावार उनके अधीन था तेजिन् १३वीं शताब्दी के पश्च दशवर्ष में यह क्षेत्र भी स्वतंत्र हो गया। इसी प्रकार तिनी और अजमेर लालगा के अधीन था और राजस्थान के कुछ हिस्सों पर वृच्छुद्धार राजवंश का भी प्रभुत्व था।

मालवा और उसके आसपास के द्वाका पर गासन बरने वाले परमार चार गायांगा में विभक्त हो गए। एक वा के द्वाका मालवा वा दूसरे वा शाव तीसरे का भिन्नमल और चौथे का दिराउ। ये सभी शासाएं वारहवी शता दी में गासन बरती थीं। आवृ भास चौतुर्थ के समय में स्वतंत्र न हो गया। तिन्‌तु उसन् १०६२ वा आवृ के परमारों वो पराजित करके उन पर फिर अपना प्रभुत्व कायम बर दिया। उसके बाद से १३वीं शता दी तक आवृ चौतुर्थ राज्य वा हिस्सा वा रटा यद्यपि परमार साम्राज्य के रूप में तब भी वर्ती गासन बरत रहे।^२ तिन्‌तु भिन्नमल भीम वा समय में स्वतंत्र हो गया।^३ दिराउ का प्रसिद्ध प्रविष्टा दिवाने का अम परमार राज सामश्वर वो था। उसन् कुमार पाण की दृष्टि से अपने राज्य को सभी तरह संग्रहकत और गुरुत्वित उना दिया। १११६ वा आसपास उसन् जजक नामक एक सरनार का हुरा कर उसके १७०० घोर द्वीन तिन् तिन् और ये तरन् अपने प्रभु कुमारपाल की सहायता की।^४ चौतुर्थ गासन के बारण गुजरात जा आगा तक उत्तर और नक्षिण ना भागा में विभक्त था अब एक ही गया। तिन्‌तु वारहवी शताब्दी के प्रतिम चरण

^१ १० वा १० मजमार चौतुर्थान प्रांक गुरान, पृष्ठ १५६।

^२ वहा पृष्ठ ८६५०।

^३ वहा।

^४ वहा १११।

में उनके सामने बघला न गुजरात में अपना स्वतंत्र रासन स्थापित कर लिया।

पजाव और हिमाचलीय राज्यों के विषय में हम पराप्त जानकारी प्राप्त नहीं है। पजाव और ओहिं^{२७} पर रासन करने वाले शाही राजवश को १०२१ में महमूद गजनवी न समाप्त कर दिया। हिमाचलीय राज्य क्षम्बा वही के एक स्वतंत्र राजवश के अधीन न।

इम प्रकार करोलिंग साम्राज्य के पतन के बाद जो स्थिति पश्चिमी यूरोप की हो गयी थी, गुजर ग्रीहार साम्राज्य के पतन के बाद पश्चिमी और उत्तरी भारत की राजनीतिक स्थिति भी कुछ वसी ही हो गयी। अतर सिफ इतना था कि भारत में स्वतंत्र रासन क्षेत्रों की सह्या अधिक थी। इसका पता इससे चलता है कि व अपनी मर्जी से सिवक जारी करने व और भूमि अनुदान करते थे।

ये तमाम छोटे छोटे राज्य बाहर आपस में जूझते रहे और १००० से १३०० तक प्रभुसत्ता के लिए घार सधप चलता रहा। पाला न बेवल क्षेत्रों से ही लड़ाइ नहीं की बल्कि बिहार के पश्चिमी हिस्से पर अपना आविष्ट्य जमाने के लिए कलचुरिया और गाहड़वाला से भी लोहा लिया। उधर कलचुरि उडीसा के राजाओं च दना और गाहड़वाला से जूझते रहे। गाहड़वाल लोग चांदला और चाहमानों के साथ जोरआजमाई करते रहे और चाहमान राजा पर्यवीराज न च दला व एक प्रमुख के द्वारा परमाणुन का गहरी निकस्त दी। बास्तव म बारहवीं शताब्दी में उत्तरी भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए चंदेलों गाहड़वाला और चाहमाना वा तितरका सधप खूब जम कर चला। उधर मालवा गुजरात और राजस्थान में परमार चौलुक्य और चाहमान भी आपस में बराबर लड़ते ही रहे। परमारों ने यदा-न्यदा दूणा से भी लाहा लिया जिनके अधीन मालवा और राजस्थान के कुछ क्षेत्र थे। मानो इतना काफी नहा था मा दमिण से चाल और विनेपकर चालुक्य लोग भी कभी कभी उनके भारत पर चढ़ आते थे। उधर बगल के सेन और तिरहुत के कण्ठि जिहाने चालुक्या के साथ आकर उत्तर बिहार में अपना आधिष्ट्य स्थापित कर लिया था आपम म जूझते रहे। पश्चिम म पजाव के ब्राह्मण शाही वग और गुजरात के चौलुक्या ने महमूद गजनवी से डट कर लाहा लिया और चौलुक्या चाहमाना तथा गाहड़वाला ने मुहम्मद गोरी का मुकाबला किया।

इन छोटे छोटे राज्यों के बीच बराबर जो छीना भज्या और लड़ाद्या

चलती रहनी था उनके प्रशागनिक एवं मायिक परिणामो का प्रतुमान गहर ही लगाया जा सकता है। पुलिस यायपानिया और राजसव विभाग के बिना काई राज्य नहीं चल सकता था और किरप्रयार राज्य के प्रपन घलग मामन, पुरोहित तथा मन्दिर भी होते हांग। स्पष्ट है कि इसाना पर इस सबसे बहुत अधिक दबाव पड़ा हांग और आसी व्यवस्था को कायम रखने में उन्हीं कोई सचिव नहीं रही होगी।

इन छोर छाटे राज्यों का उत्थ पर हुआ? स्पष्ट ही उनमें से कुछ तो राजकुमारों के बीच पतव सम्भवि व बेटने का पारण पदा हुए सकिन देंग राज्य सामंता और राज्याधिकारियों को अनुग्रान-वस्त्रा छोर वडाव दन के बारण कायम हुए। अनुग्रान शास्त्रों के स्वामी भी ऐसे धरना दवाया बना लेते थे और आन म स्वतंत्र राजा बन बठते थे। गुरु वाल और गुरुतोत्र-मान के अभिलेखों में इस प्रकार का कोई विवाह प्रमाण नहीं मिलता है। पर तु ७५० स १००० के बीच ऐसे कुछ उदाहरण घबडप मिलते हैं और १०० से लक्ष्य १२०० के बीच तो वाकी मिलते हैं। एस अनुग्रानों के पुरालेखीय प्रमाण नवी शता भी से मिलने गुरु हो जाते हैं। और ११वीं संवी के प्रारम्भ में तो इनकी सामाजिक प्रचली खासी हो जाती है। सामंता और राज्याधिकारियों का दिव गए अनुग्रानों के दस्तावेज आरम्भ में माजपद या कपड़ पर तयार किया जाता थे जो सम्भवत नहीं हो गय। १२वीं और १३वीं सदियों में गुजरात में सामंता को विभिन्न प्रकार के अनुदान दन के लिए मोजपद का प्रयोग किया जाता था। और सम्भवत पहल भी व्यवस्था उपयोग किया जाता हो। गुरु वाल के अनुग्रानों के दस्तावेज ताम्रपत्रा अथवा कपड़ पर तयार बरन की प्रक्रिया ३।^१ और सम्भवत पहल भी व्यवस्था उपयोग किया जाता हो। अनुग्रान वृषस्था ३।^२ चूंकि राज्याधिकारियों और सामंतों के लिए नहीं दिव जाता थे इसलिए उनके दस्तावेज कपड़ पर तयार रिय जाता थे कि तु १०वीं सदा के समाप्त होते होते राज्या विजारिया और सामंतों की गविन अत्तीव गयी और सुरक्षा का इतना प्रभार हो गया कि अब वे अनुग्रान लियवाना अधिक पस द करने चाहे। गांर की व्यवा के लिये गये अधिकार अनुग्रान उन्हींसे में मिलते हैं। ये उनमें उन याथे दबने सामंतों का या में भी मिलते हैं जिनका उदय गुजर

^१ ल० ५० पृष्ठ ७।

^२ उत्तराम ८० पृष्ठ २५७ में उद्दते थे ० १, ३१८ २० ग्राम देस्पति।

प्रतीक्षार सामाजिक न घटाव एवं पर हुआ। याद ने भी यात्र है कि दिल्ली
और दिल्ली में पाल गांधी का अनुमति दिया गया है इस एवं अनुदान खुलते कर्म
मिलते हैं। तीव्र विश्वरात्र का आगत कानून (१०००) में एक उत्तराधिकारी
को भूमि अनुदान देने का कारण एवं प्रमाण मिलता है। पश्चूना नामक एक ग्राम्य
राज्याधिकारी ने जिन राजा का सदा (विधय) रहा गया है विश्वरात्र की
अनुमति में अपनी निजी भूमि भूमिका में भी यह भूमिका भी रहा
सम्भव है कि यह भूमिका भी रहा यानि राजा तक गया का अनुदान दिया गया।
पालों के राज्य में एवं और अग्रिम वा भा एवं अप्प राजाया जा सकता है।
यह है कि मराठा का विश्वरात्र द्वारा राज्यपत्र पर दिया गया अनुदान। विश्वरात्र के
परिवार यात्रा के विश्वरात्र रामपाल और कुमारपाल एवं वा एवं एक न
तीन यानि राजाया या राजा महिला का स्वरूप १००५ ग्रंडे वर ११२० तक
की थी। विश्वरात्र जा कुमारपाल का मत्रा या पाल माझाज्य के अन्तिम दिनों
में जगभग स्वयं भर गया और उसने प्रायानिपन्नमिति में अपने प्रभु की
ओपचारिक वीकृति के दिनों भी गवी अनुदान मिला।^१ पहले इन दिनों
गवीवा का भोजना गगाधर भर्तु था^२ जिसने स्पष्टत इह या तो पाल
राजा या उसके कामकाज नियामी में या से प्राप्त दिया हांगा। जाहिर है कि
पाल राजाया एवं वा एवं एक अनुदान मिलने के सम्बन्ध में इस मत्रि
परिवार ने अपनी भूमिका भूमि बता सी या और यह न में यह पालों के
निवास वा निवास गया था। पर साधारणतया क्षमतों को दिया गए कुछ नमिं
अनुदानों वा दाढ़ वर पालों के अधान राज्याधिकारिया और सामाजिक की दिये
भूमिकाना वा काई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलता। सम्भवत पालों के सामाजिक
भूमिकाना वी अधिक श्रेणिया नहीं थी और क द्वीय सत्ता काफी सुन्दर और
मुख्यत थी वयाकि एवं वा राजवग लगातार चार सौ वर्षों तक राज्य करता
रहा। इसके अलावा ये ल सामाजिक वी राज्याधिकारिया की सत्त्या किसी भी
मध्यवासीन राज्य के अधिकारियों में अधिक थी। परिणामत कुछ थाह में
अधिकारी इन गाँवों नहीं हो पाये जिन वी अनुदानों वा ताम्रपत्रों पर
लिपिबद्ध वा ग्राप्त हो रहे थे।

दिल्ली पूर्व दिल्ली में जहां पालों के सामाजिक वर्मन जोग राज वर्मन थे,

^१ ए० ई०, २८ न८ पक्षिया ४६ ५१।

^२ ए० ई०, न० २८ पक्ष २ वी पक्षि १५।

३ यही।

स्थिनि इससे भिन्न जात पड़ती है। अपने एक अभिलेख में गवदेव शिशका पितामह वग के दिसी राजा का मंत्री था^१ और उसे स्वयं दृश्यमन देव का मंत्री था^२ (लगभग १२०० ईस्वी म), यह दावा करता है कि उसने सनिक पराक्रम से अपनी भूमि और बौद्धिक परामर्श से अपनी विद्या की बढ़ि ही^३ एमर प्रतीत होता है कि उसने स्वामी ने सनिक सफलतामाप्ति के लिए उसे अनुशासन स्वरूप भूमि दी थी। उसके पूर्वज को भी गोड के राजा ने पुरस्कारस्वरूप जमीन दी थी।^४ सत् राजवग के दिसी राजा द्वारा दिसी वो राज्य की सेवा करने के एवज म दिये गये अनुशासन का याइ प्रमाण हम उपराख नहो है। इम निश्चयपूर्वक यह भी नहीं कह सकत कि सन् राजाद्वे के कार्ड प्रत्यक्ष सामर्त भी थे। किंतु विषयस्थल सन् के एक अनुशासनपत्र से जो शायद तेरहवीं सदी के प्रारम्भ का है ऐसा निष्ठप निकाला जा सकता है। इससे जात होता है कि पुष्ट्यवधनभूति म हत्यायुध नामक एक व्याधण ने कि ही दो व्यक्तिया से कुछ जमीन लखी थी।^५ तब कुमार गूप्यसन न अपने जाम निवास पर उस तह जमीन दान म द दी।^६ यह घर्मतर प्रयोजनों म जमीन की गरीब विद्या का उच्छ्वास है। सम्भवत यह जमीन कुमार गूप्यसन की जागीर म द दी थी और यिन्हा उसकी भर्ती के न मह गरीबी जा सकता था और उसनुआ म दा जा सकता थी। एक दूसरी धारा के द्वारा कुमार पुरायात्मसन ने दो ग्राम भूमि भूमि जिसे हनुषन गरीब था और यिन्होंना भोक्ता स्त्रिय कुमार था, आग चढ़ कर दिव्यस्थल के नामन वाले के इत्य वय म फिर उसी द्वाद्वारा हनुष का कि^७ स्पष्ट है कि इस एक सन् कुमार का राजा न तिनों गामीर के हृषि म कुछ नूमि द रखी थी और उस जमार पर उनके अधिराज न। तराम समर्पिति थ। पहला मयार द थी कि उनके रथा उनकी अनुमति के यिन जमीन की राजा विना न। कर सकत थ और दूसरी यह कि रथा द्वारा निय गय यामिर अनुशासन सभी वय ह एव जर राजा, जा राज परिवार का ग्राहन था,

१ द०३ न०८ राज ८।

२ वर्णी न०८ राज १६।

३ वर्णी न०१० राज १।

४ वर्णी न०१० राज १२।

५ द०३ वर्णी न०१० राज १५ ८।

६ वर्णी।

७ वर्णी वर्णिय १६८।

एक आम सनद में उनकी घोषणा करता था। महासार्विग्रहिक नाणार्मिह भी गायद जागीर के न्यू मित्र अपने क्षत्र में ऐसे ही अधिकारों का उपभोग करता था। क्योंकि हम देखते हैं कि उसने भी उसी हलायुध को जमीन के दो टुकड़े जिनमें से एक जैना के लिए और दूसरा आवास के लिए था और जिहें हलायुध ने जो व्यक्तिया ये खरीदा था, दात वर्त निय।^१ इस प्रकार इस अनुदान-पत्र में प्रबट होता है कि सन जाना परिवार के सदस्यों और राज्याधिकारियों का भूमि अनुदान निया वरते थे। अनम वर्त में कालीन अनुदान-पत्रों में विभिन्न प्रकार के सामना वा उन्नत्य हुआ है परं राज्याधिकारियों का सच्चा नगण्य प्रनाल होता है और इनमें से किसी को भूमि अनुदान नहीं पुरा रातीय प्रमाण नहीं मिलता है।

मप १८ में उन्होंना अपनी मीणार्विर स्थिति के कारण अनर छाटे छोटे राज्यों पर विभक्त था तो अनुदान प्रथा वारण और भी कमज़ार बन गये। अर्ना राज्यों में रायफा सवा के एवज में जितने भूमि अनुदान दिये गये उनमें गिराव वर्त और असम तीनों का मिला र नी नी दिय गये। यहाँ मर्मित। ज्ञातिपिया राणक (रुद्धवत्तर थणा व सामात) और मामनो (मनिर रुद्ध वर्तेनाम भास्त) सभी को युक्त अवसरा पर भीम अनुदान निय वर्त थ—परं उनभी सवार्गा के एवज में सामवनी राजा नीतीय महाभागुल (१०० १५) न शावस्ती मण्डल से आकर अपाँ राज्य व वसने वाल मढ़ द्वारा यात्रा के नीत्र राणक र दो का एक गीव अनुदान में निय।^२ इस राजा वारण तीनों के बाच राणकों वा स्वतन्त्र ऊनों था ज्ञाति अनुदान-पत्र में उनका नाम रानी के बारे रखा गया है (‘‘अनीराणर राज्यपत्रम् निः’’)^३ अनुदान पत्र में ग्रन्तीता का व मार अधिकार निय गया है जो मध्य व अनुदानों में ग्रामतीर पर व्याप्ति का नाम पर दिया गया था विन्नु ग्रन्तीता के गम व साय राणक उपाधि जुर्मी होने वाले व सेवत मिलता है कि यह पुरस्कार उग्र प्रामाणिक एव भनित सेवाया के बदल निया गया था। इस अनुदान पत्र से पह भी पता चलता है कि राणक की उपाधि जहाँ प्रारम्भ में बदल राज्यपरिवार के सदस्यों का मिलती थी वही अब व्याप्ति नाम वा को भी मिलन लगी।

^१ इ० व ३ न० १९ पक्तियाँ ५४ ५६।

^२ ए० इ० २, न० ४३ प्लेट एफ, पक्तियाँ २८ ४२।

^३ व० पक्तियाँ ३३ ८।

मिजिनि (मूलपूर्व गोड राज्य मेरियत) के भजन राजा यशस्विनिव के एक लाक्षण्यमें एसा उल्लेख है कि उसने जगधर नामक एक ज्यातिपी का उन समस्त अधिकारों के साथ एक गाव दान मेरिया^१ जो अनुदान मे सामाज्य तथा निये जाते थे और उसका छोटे भाई पाभज ने भी उस एक गाव मेरिया^२ थे दोनों अनुदान वागहों प्रतानी मेरिय गय। गाहड़वाली और सना क अनुनानपत्रा मे सामनों और राजायिचारिया की पक्षिय मे ज्यातिपिया का स्थान बहुत ऊँचा जान पड़ता है। मिजिनि के भजन के राज्य मे नी नायद उनका महत्वपूर्ण स्थान था और उनका गोपनियक अनुदान मेरिय जात वे वास्तव मे जनी बनाए और उनका महत्वपूर्ण सरकारी नाय प्रारम्भ करने के लिए गुप्त मुरुत बनाने के बदले दिया गया था। मिजिनि के भजन के राज्य मे एक दो भजन राजाया न महासामन्त वह गामक एक सनिर सामने को अनुदान मेरिय दिय। इनमे से पहले राजा रणभट्ट ने उसे चारों सीमाओं मेरित (विवेशी दृष्ट्या) उनका आचरण के पुराम्बास्त्रवस्त्र उसे चारों सीमाओं मेरिय दिय। इनमे पायी जानेवाली समस्त लनिज सम्पत्ति वह को सौंप दी गयी। इस अनुदानपत्र मे उस महासामने तु मुदिमुन कहा गया है जिसस पता चलता है कि उसका पिता भी महासामने था। हमरे अनुदानपत्र मे उस स्टेट के ने मे सामने मुडि का पुत्र महासामन्त वह कहा गया है। इहाँ भा राज्य की राजनायपत्र सबा करने के बाने ही उसे गाँधीर दी गयी जा मुरुत ग्राहणा स पावाद (ब्राह्मणवसति) थी।^३ मुरुत गाँव से राजा बाह कर नहीं न सरकार पा और न उस पर कोई प्रशासनिक प्रविधि लगा सकता था।^४ सामने थे और महासामना को मिय गए अनुदानों के कोई और अग्रिमलम्बीय प्रमाण हम उपलब्ध नहीं हैं जितु इस प्रथा के बारण उठीसा मे भूमिधर वग के रूप मे सामने का उत्तर अवश्य है।

बहनर यगा के राज्य मे जिसम उडिया मादा और तलुगु भाषी दाना

१ ग० ८० १५ न० २६ पक्षिया १६ २६।

२ वही १६, ४३ और पा० ८० ८० १।

३ ज० ८० सो० य० १० न० ३ शुष्टि १६।

४ वही शुष्टि १६।

५ वही।

६ दरम्बन व सव्यवापा विवेचन। वहा पृष्ठ १६।

देव नामिन थे, अधिकारियों को दिये गए अनुदान के कई पुरानेश्वीय उदाहरण हैं। गग राज वज्रहस्त (१०३८-७०) एवं अद्योत शारपराज नामक एक पथ विरपाविद् (पौर त्रिवा क नामक) ने अपनी पुत्री के विवाह के पश्चात पर वर या जा राजन्त्र या पौत्र पर कुतन गौव अनुदान में दिया।^१ मम्बवत दारपराज नामक गमदनु में एक यथा नवण्ड मिता था। राज परिणार से दारपराज का एक रम्भ मम्बवत नहीं था क्योंकि वह चाल-वामादिराज का पुत्र था^२ पर तभ मो उपन दिया किमी स पूर्ख अनुदान दिया। प्रत्येक अनुदान का प्रमाण हम अन तपमन त्रोऽगग क नासन काल (१०३१-११३८) में मितता है। उपन अपनी और अपने माता पिता के धर्म और खोलिती की अभियदि के दिया अपन विवहा अभिवता (आव्विक्रियाय) त्रोऽगग को वर्णित में एक पुरवे के साथ साथ एक गाँव अनुदान में दिया।^३ वैसे तो इस अनुदानपत्र में भी उसी के शब्दों का प्रयोग हुआ है जो मामायत घामिक अनुदानपत्र में प्रयुक्त होनी थी कि तु इसका मन्त्रव यह नहीं लगाना चाहिए कि चार्गग को दिया गया अनुदान घामिक अनुदान था। यह उस राजा की सवालों के चर्चा मिला था।

गग राजाया ने विशेष कर नायक कह जानवाल मनिक अधिकारियों को राजसवा के धर्म अनुदान दिया। ततोय वज्रहरन के शासन काल में गणपति नायक नामक एक व्यक्ति को आ ध प्रदेश में एक गाँव अनुदान में दिया गया।^४ ग्रहीता के गोत्र और प्रवर का उल्लेख नहीं है और ग्राम हम जिस अनुदान की घर्चा करने जा रहे हैं उसम और इस अनुदान में जो सार्व य है इससे प्रतीत होता है कि गणपति नायक कोई गण्य माय व य था। दूसरा अनुदान पथ अन तपमन के पुत्र मधुकामाण्य के अवार्ग सवत के ५२५०० लप में जारी किया गया था।^५ दूसरा अनुमार तीन गांवों का एक वह अग्रहार यतावर वश्य जातीय मनिक नायक के पुत्र एवं नायक का अनुदानस्वरूप दिया गया।^६

१ ए० इ० २६, न० २ पतिया २६ ३३।

२ वही ए न० ३१ पतिया ८ १५।

३ वही।

४ वही पृष्ठ १७४ पतिया ३० ३४।

५ मद्रास रिपोर्ट ऑन एक्सामीन, १८७८-७९ परिणिष्ट 'ए, न० ३।

६ वही, न० १।

७ वही।

मद्रास एपिशोफिल रिपोर्ट म अनुशासनपत्र का ना मिला उत्तर हुआ है, उसमे इनके बारे म इससे "यादा वा" जातारी गई मिलती, उसन स्पष्ट है कि यहीं ग्रन्थहार " " का प्रयोग किमी पत्तनर " " के समावेश के बारे मांव के लिए किया गया है। इसमे पत्तन के अनुशासनपत्र म "म " का प्रयोग साधारणतया कोई शर्करा सरया चाहा के तिन लिये गये अनुशासन के लिए किया जाता था किंतु इसी नायर का (मनिक उत्ता का) "म" प्रयोगन से अनुशासन क्या दिया जाता ? सम्भावना यही है कि नायर का यह अनुशासन राष्ट्र के सेवाय एक विद्वन सरया " " से अनुशासन के तिन लिया गया। अनुशासन खोडगण के एक अभियान म भी एक नायर को अनुशासन " " का युछ प्रमाण मिलता है। उसन अपने पार्श्वजीवी मायर का एक उर्मुख गौर सर्ग के लिए अनुशासन में दे लिये ।^१ वेतन पार्श्वजीवी विप्रपा से ग्रहाता के गरमारा श्रोहने का कोई सबेत नहीं मिलता। निन उत्तर वितामह पासुन्दर का नायर की उपाधि^२ दी गयी है जिससे प्रतीत होता है कि उसका परिवार गगा की किसी प्रकार की सनिन सबा वरता था। अन गाधन या ता गगा का सामात था या कोई राष्ट्राधिकारी क्षात्रिय पाता भवि अनुशासनपत्र म इस " " का प्रयोग दोनों के लिए हुआ है।

इसी सदी तक गग प्रणासन पूर्णी तरह से सामान्यवादी दाचे म ढन गया क्योंकि १२६५ म कोणार्क मन्दिर निर्माण द्वितीय नरसिंह^३ न अपने मात्री कुमार महापात्र भीमनेत्र गर्मा को सूख बहल के असर पर दो गौव अनुशासन म दिये ।^४ इसी अनुशासन के अद व स्वय म गर्भीता का अनुश अनुश गावा से एक थ्रेप्ठि एवं ताम्बूली (तमोली)। एक ताम्बूलार जीर एक काम्यकार भी किया गया ।^५ इन लागो के दो से अनुश्त अनुश म गिल्ली और कारोगर की सेत्राए सुलभ हो गयी। सम्भव है कि उसने इन लोगो के भरण-पोपण के लिए भी थोड़ी थोड़ी जमीन दे दी ही क्याकि उसी अनुशासनपत्र म द्वितीय नरसिंहने ने नाडि नामक एक ताम्बूलार को आधी वाटिका जमीन दी है। ऊर जो उत्ताहरण लिय गए है उनकी सहया युछ ज्यादा तो नहीं है कि तु जब तक कोई प्रतिकूल

^१ इ० ए० १८, १७१७२ पवित्रा १०६ १३ ।

^२ वही पवित्र १०६ ।

^३ ज० ए० सा० व० ६२ भाग १ पृष्ठ २५४ ६ पवित्र १२१ ।

^४ वही पवित्रा १६ २१ ।

^५ वही पवित्रा १८ १६ ।

निष्पत्र देनेवाला प्रमाण सामने नहीं आता तब एसा मानना सवथा उचित होगा कि उडीसा के य मध्य बालीन राजवग—भज, शोभवनी और बहुतर गग—अपन सामाजिकारिया का वेतन और पुरस्कार के रूप म भूमि अनुदान ही दिया वारत थे।

बुद्धास्थण के चादल राज्य म अधिकारिया को दिय नहीं अनुदानो के अधिक उदाहरण मिलत हैं। भग्से पहने चादल अनुदान हम धग के गासन काल (१०२ १००२) मे मिलता है। इसके अनुमार राजा न ब्राह्मण भड़ यगोधर को उन सार अधिकारों के साथ एक गाँव दान म दिया जो अनुदानो म सामाजिक दिय जाते थे।^१ एक दूसरे अभिलेख स नात होता है कि यहीता महापुरोहित और यायाधीग के पद पर श्रासान वा निससे अनुदान लगाया जा सकता है कि दान का सम्बद्ध यगोधर की राज सेवा स था। च दला के प्राप्तासन म कायस्य नामक अधिकारिया वा अनक अनुदान मिलता। बीतिवर्मन (१०७३ ६०) के एक अभिलेख मे वास्तव कायस्य राज्याधिकारी जाजूक को दरण्डन नामक एक समद्ध गाँव राजकीय अनुदान के रूप म देन का उल्लेख है^२ और भोजवर्मन के अजगगड गिनामिलेख स नात होता है कि गग के उत्तरा धिकारी ने जाजूक को सरकार क सभी विभागों की दपभान के लिए ठक्कुर के पर पर नियुक्त किया।^३ जाजूक के उत्तराधिकारी महेश्वर ने पीतांद्रि म (स्पष्टन किसी युद्ध म) राजा बीतिवर्मन के सकट म पड जाने पर उसकी जो बहुमूल्य सेवा की थी उसके महत्व को स्वीकारते हुए राजा न पुरस्कार-स्वर्म्म उसे एक गाँव अनुदान म दिया और साथ ही बालनर वे नौवारिक के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया।^४ उपर भोजवर्मन वे जिस अभिलेख का हवाला दिया गया है उसम इन दोनो अनुदानो का उल्लेख है। उसम बलोचय-वर्मन के गासन काल म दिय एक तीसर अनुदान वा भी उल्लेख है।^५ उसने इसी कायस्य परिवार के एक सदस्य वामेक वा जयपुर (वर्तमान अजगगड)

^१ ६० ए० १८ २०४ पवित्रा ६ ११।

^२ वही ३० न० १७ इताव ६।

^३ ठक्कुर घर्मायुक्त सावाधिकरणपु सत्ता नियुक्त। वही १ न० ३८ २, इलाक ६।

^४ ४० इ० ३० न० १७ इलोक ८।

^५ इस अनुदान से गम्भीरता कोई भी ताग्रपट भव तक प्रवाग म नहीं आया है।

भारतीय साम्राज्यवाद

दुग्ध के विग्रह पर पर नियुक्त किया और साथ ही अनुदानस्वरूप एक गोवि भी दिया।^१ स्पष्ट ही यह गोवि उसकी सनिक सरायों के प्रतिशत स्वरूप दिया गया था बयानि उसने भोजक नामक एक विद्रोही को पराजित करके उसके राज्य के कुछ डिस्ट्रिक्टों को जीता था चैल राज्य में शास्ति स्थापित की थी और उस विरुद्ध ग्रन्थाना से नकर माजवान के शासन छाल तरं शायति २८० वर्षों तक बनाया था उपभोग करते रहे।^२ लेकिन व यथा नाम विमि न मह ब्रूण गरमारी पर्याकारी का उपभोग करते रहे इस परिवार का प्रधान मन्त्री शशिराम की द्वारा दराध बयानि इस परिवार का दिय गा गोन अनुशासना ग ग दो सालिक सरायों के लिए दिये गए।

चौथा दारा ब्राह्मण। तथा अथ लागो वा फिये गए कतिपय अनुदाना म गर्मि वा ग्रन्थ विधान के। १९८३ म परमिन्त न सनापति बल्हण के पुत्र ब्राह्मण नाम पति द्वारा दिया गया एक वद भूमि महाराज और पर्याकार उसके ग्राउन एवं पाय पाय जैर का और एक वद भूमि महाराज और वस्त्राज नामक उमर का ग्राउन जो ग्राउन नहीं बन पाय थे अनुशासन म दी। गनापति और उमर के ग्राउन पुरुष का दी गयी जमीन उनके भरण पोषण के लिए पय खन दी। नरिन नाम अथ य अनुशासन स खात होता है कि ११७१ म उमन गनापति मन्मणाल गर्मि का एक पूरा गोवि अनुशासन म दे दिया।^३ मन्मन पात्र गर्मि के दिना गिताम तथा वरितामह ठासुर की उपाधि स विभूषित थ और य घट्टणीय कि यह उगारि मध्य काल म उत्तर भारत के ब्राह्मण एवं ब्रिय और कायद्य सभा राज्यानि राजियों के लिए प्रशुश्त होती थी। इस राजानि को दर्श गोवि—जसा कि हम सामायत सभी चैल अनुशासनाना म दिया है—मध्यन विगत वरमान और गोवि करा स मुख्त करके दिया गया था। लेकिन ब्राह्मण मन्त्री घण्टिकारिया का दिय उपयुक्त गोन अनुशासन

^१ २०८० ० न० १३ नाम ११२०।

^२ वा नाम ६२०।
यहाँ।

^३ यह नाम १६२०।

^४ २०८० ८ न० २० दिन ११।

^५ वरो दिनिया ११२०।

^६ २०८० १ २०१ घोर उद्दा गाय विद्युत ११ ११।

सनिक सेवाओं के लिए नहा, बल्कि पुण्य अर्जित करने के उद्देश्य से दिय गया थे। किंतु अलोक्यवमन द्वारा १२०४ म दिय गए अनुदान म नियति इपस विस्तृत भिन्न है। उसने सामाज नामक राउत के उत्तराधिकारियों को मत्युवचती (धर्मात् मत व्यक्ति के परिवार के भरण पोषण के साधन) के रूप म एक गोद दिया क्योंकि यह राउत जिसके पिता और पितामह भी राउत थे तुरख्का के विषद् लड़त हुए खेत रहा था।^१ इसी राजा ने इस राउत परिवार का किर १२०५ मे भी एक अनुदान दिया।^२ यहीता के गोत्र का उल्लेख तो है, किंतु जाति का नहीं। शायद वह धनिय था। एक महत्वपूर्ण सनिक अधिकारी था नायक कुलशमा जिसका पिता नायक पितामह राउत और पर पितामह राणक था। १२०८ म अलोक्यवमन न तरस उन समस्त अधिकारा और उन्हीं शर्तों पर एक गोद अनुदान मे दिया जिनका उल्लेख हम चदेल अनुदान पत्रों म प्राय देखत है।^३ यद्यपि यहीता ब्राह्मण था फिर भी ऐसा कोइ उल्लेख नहीं है कि यह अनुदान किसी धार्मिक उद्देश्य से अद्यवा किसी धार्मिक प्रभग पर दिया गया हो। इसलिए हम यहाँ मानना होगा कि यह एक बाध्यनुगत ब्राह्मण सनिक अधिकारी को धर्मेतर प्रयोजन से ताम्रपट पर अवित करके दी गयी जमीन की सनद थी। अलोक्यवमन के पुत्र और उत्तराधिकारी बीरबमन् ने एक राउत को जिसके पिता पितामह और परपितामह सभी राउत थे युद्ध भूमि म पराक्रम दिखाने के लिए १२१४ म एक गाव दिया।^४ यद्यपि इस अनुदान का उद्देश्य दाता के माना पिता के पुण्य म अभिवद्धि बताया गया है^५ कि तु यहीता के गोत्र के उल्लेख से^६ एक नहीं जान पड़ना कि वह निश्चित रूप से ब्राह्मण ही था। अत म हम इसी बीरबमन द्वारा दिय एक दूसरे अनुगत का उल्लेख कर सकते हैं। उसने १२८८ म बलमद्र मल्लय नामक एक परम पराक्रमी सनिक अधिकारी को जिसने छ राजाया, तुँहों और वास्मीर का शही

^१ ए० इ०, १६, न० २० १ परिचयों ७ ११।

^२ वहा २, परिचया ७ १०।

^३ वहा १ परिचय १०।

^४ वहा १ न० ११ परिचया १२ १८।

^५ वही २ न० १४ सा परिचया ८।

^६ वही।

^७ वही।

भारतीय साम तवाद

राजाप्रा का पराजिन दिया था एक गांव अनुग्रामस्वरूप दिया ।^१ अनुदान का चहरे तो राजा और माता पिता के पुण्य में अभिवद्धि ही बताया गया है^२ जेकिन इसमें नहीं कि गटीता या ब्राह्मण था और उस यह गांव उसकी महान मनिक उपलब्धियों के पुरस्कारस्वरूप दिया गया था ।

ये ना दाग राज्य की संवा के एवज में दिये गए अनुग्रामों की संख्या काफी ३ और उनमें यह स्पष्ट हो जाता है कि महापुरोहिता यापाधीशा दुर्ग-स्वामिया मनापतिया नायका और राजता को उनकी सेवाप्रा के पासार पर चारेव राजा भूमि अनुग्राम दिया बरता था । प्राप्त प्रमाणों के पासार पर निरचयपूर्वक यह नहीं क्या तो सवना कि राजता ये ऐसी कोई भए गए की जांची थी कि राजा की संवा के निलापन निवृत्ति संख्या में घोड़ अधिक संतान रहा । उन्हिन धर्मिणां अनुग्राम मनिक मद्या के प्रमाणों का मूल्यक ४ और इसका पुल्चर ५ प्राप्त स्वामियां के उत्तर से होती है ।

उन्होंने यथार्थता के नामान्वाद में यह १०१२ म हिं व पर व स्वप्न म गांव देने का ना प्रमाण मिलता है । राजपूर के पुत्र ६ व नि ७ के "गाँगिय न एक राज्य का" आदर्श के बहुत बड़ी गाँग (जिसका उन्नाम है ८) के बहुत विवाद पर ९ एक मात्र कार दिया ।^९ यह यह गणक यापार १० करता रहा है—प्रोट्र उमर राजार करने का मम्मानों ११ की है—तो उमर का पाता पाप एक एकमात्र साधन गाँग ए १२ गाँगों द्वारा अनुग्रह भवि का गतिव्य ही हा गरजता था । यह गाँग का १३ गाँगा अनुग्राम गरजार या क्याकि उमरकी गवा मात्र टोक्कर ना या जिस उमर मानी थी उनकी उम दिया उपरूप गोत्र १४ दागत राजन का बाप गोत्र १५ च १६ राज्य की ज्ञ व पक भवि की तुलना १६२३ म लीलापुर म उराइ दिया हुआ है १७ ताकिन ये को जो गहनी है । १८८८ म राजन का यथ राजाका १९ २० ग्राम के अन व बहुत एक बाप दिया है २१ एक म दिय २२ इन राजाका २३ न मनिक गाँग

१ १० वनियम गोत्र गोत्र ११ १२,

२ बगा,

३ १०१२ ११ १२ १३ विषय १०१२,

४ १०१२ ११ १२ १३ १४,

५ १०१२ ११ १२ १३ १४,

६ १०१२ ११ १२ १३ (१०१०) १४४६ अनुग्राम के निल

परिवर्तन एक राजने राजा है ।

जोनपुर के ताकालीन शासक गाहड़वाल राजा से मिसी थी। ध्यान देन की वात है कि उपर्युक्त दोनों उदाहरणों में हम राणका को लगानी करके अपनी भू सम्पत्ति में बढ़ि बरत देखते हैं। ऐसे वित्त-व ध में रहने रखी जमीन पर रहनार के अधिकार सीमित ही होते थे। जब तक बज अदा न हो जाय तभी सब यह उस जमीन का बर उगाह सकता था^१ या उसकी उपज का उपभोग कर सकता था। तबिन अगर बजदार बज नहीं चुका पाय तब तो वह जमीन निश्चय ही रहनार की ही हो जायेगी।

वित्त व ध के इन दो उदाहरणों से, और विशेषकर चादेला के राज्यवाले उदाहरण से, यह स्पष्ट हो जाता है कि स्थानीय शासक अपनी जमीन जो गायद उहें अपने प्रभुआ से मिलती थी अनुदानस्वरूप पुन दूसरा को दिया बरत थ। उत्तर मध्य कालीन (अथात् १२वीं सदी स) फास और जमीनी में ऐसे व धर का जागीर कहा जाता था और बजदार प्रभु होता था तथा बज दन बाला सामात।^२ किंतु, मध्य कालीन भारत में ऋणी और ऋणाता का सम्बंध एम नहीं हात थे।

उत्तर प्रदेश में राज्याधिकारी की भूमि अनुदान दने का सबसे पहला अभिलक्षीय प्रमाण १०वीं शताब्दी के प्रारम्भ में गोरखपुर जिले में मिलता है। सामात और मध्यी वृत्तसीति के पश्च सचिव मदोलि द्वारा दिये एक धार्मिक अनुदान में बताया गया है कि उसमें जो गाव दुगा दबी को अनुदान में दिया वह उस राजा जयानित्य (गायद गुजर प्रतीहारा के विसी सामात) की वृपा से प्राप्त होगा था।^३ किंतु हमें राज्य की सब के एवज में प्रतीहारा द्वारा दिये गए अनुदान का कोइ प्रमाण या पाता के समय से पूछ नहीं मिलता। या पाल गायद गुजर प्रतीहार राजवंश का अंतिम राजा था। १०३६ ईस्वी में जब वह इलाहाबाद के निकट बरा के स्वाधावार में या उमन कौसाम्बी मण्डल में पमोस निवासी मायुर विकट यो अनुदानस्वरूप एक गवि किया।^४ निश्चय ही यह एक गर ग्राहण व्यक्ति को दिया गया थमेंतर अनुदान था। ग्रहीता गायद कायस्थ था जिसके पूर्वज मधुरावासी थे। ऐसा प्रतीत होता है कि मायुर कायस्थ कई राजवंश की सब किया बरत थ। चाहमान राजा हमीर का

^१ ए० इ० २२ न० १, प० १६।

^२ गोप पश्चालिम पृष्ठ ११०।

^३ ग्रामोराजप्रसादमप्राप्त। ए० इ० २१, १७० ७१, पञ्चितर्या ७ १३।

^४ ज० रा० ए० सा० व० १६२७, पृष्ठ ६६४।

मन्त्री मधुरा के छटरिया कायस्थ परिवार का था। इस परिवार का वगवान् १२८८ वे एक भ्रमिलख भि निया गया है^१ यहूड़वारा द्वारा जो प्रतीहारा व उनके बाते उत्तर प्रदेश के प्रधिकार भाग के स्वामी बन बढ़ थे कायस्थ प्रधिकारियों को अनुदान नेत का बाइ उदाहरण असी तक नहीं मिला है लेकिन अपने शाय साम तो श्रीराघवना का वंकाकी बड़े पैमाने पर अनुशासनिया वरते थे।

चैत्रा के विपरीत याहूड़वारा राजा शाम तोर पर गर सनिं अधिका रिया और शाम अनुशासन निया करते थे। ये ग्रहीता भ्रायन ब्राह्मण हुआ करते थे और श्रावणा म भी सरम अधिक अनुशासन महापुरोहित जागुक या जागु शामा तथा उसके पुत्र प्रह्लाद शर्मा को प्राप्त हुए। जागु शर्मा मन्त्रवाल और उनका पितारी गविन्चन्द्र के नासन कात म भी महापुरोहित के पद पर बना रहा। राज्य म इसका नासा इनका था, क्योंकि अनुशासनपत्रा म जिन राज्याधिकारियों का उल्लंघन होता है उनमें महापुरोहित का स्थान सबसे ऊपर है। इगका निय दस अनुशासन बनलाते हैं जिस दस गाव गाहूड़वारा राज्य के लगभग दम जलग अन्य पतला (राजस्व विषयक एकाग्रा) मे प्राप्त हुए^२ १११४ स तकर ११२३ तक तो इस प्राप्त हर माल एवं गाँव मिलता रहा। इसके बाद काई दस वर्ष तक इस काँदे गाँव नहीं मिला। विनु किर ११३८ स अर्थ एक गाँव प्राप्त होता।^३ इन अनुशासनों का उद्देश्य पुर्णाजन बनाया गया है।^४ लेकिन जान पठना^५ ये बात का उल्लंघन हर गुरानी राजि के नियमन के तिल निया जागा था। गमा नहीं है जि बान्त्र मय अनुशासन महापुरोहित ने गाहूड़वारा राज्य का जागवा की उम्म व्रतिकालमन्त्रवद्य वार्षिक वति के स्थान उम्म प्राप्ति गथ। उम्मा दिय गए गाँव दम जलग जलग पाता म रियर गूँथ अम्भ ये ग्रनो गति और माता पायानी स मुर्मा न,। अर सरता था लेकिन अम्भ राम नाम्भ न। जि गाहूड़व न राज्य य हड़ गूँथ इव विश्व एव उम्मा प्राप्ति ॥ राम नामा व गुर दण्ड ॥ या प्रत्यग्न गम व मध्य म इग परिवार

^१ १००० ८ न० परिवार ।

रम नि ११ ८ न० ११ नाम्भ ११०५५५ ग ८ न० १०

^२ ११२३ ८२ ३ २६ घोट १३ ।

१००० ८० ८ ११ परिव ११०० ० ।

^३ ८३ ८० १३ ८ वरिवदी ००३ ग ४ तद १८ ० ग०० परिव १८ घासि ।

की शक्ति प्रतिष्ठा म और भी बढ़ि हुई। उसे आठ गाव भनुदान म दिये गए, और साथ ही राजत का महत्वपूर्ण साम ती अथवा सनिक दजा प्रदान करके वह अपने पिता के स्थान पर महापुरोहित के पद पर प्रतिष्ठित किया गया।^१ इस प्रकार इस ब्राह्मण परिवार को राज्य के कुल साठ पत्तला मे संभवरूप पत्तला म भू सम्पत्ति प्राप्त थी।^२ इन अनुदानों म ग्रहीता वो वही अधिकार और सुविधाएँ प्रदान की गयी थी जो सामाजिक ब्राह्मणों को नियंत्रण अनुदानों में दी जाती थी, और जागु शर्मा तथा उसके पुत्र प्रह्लाद शर्मा का अनुदत्त क्षेत्रों में व सार नियंत्रण और अनियंत्रण कर और शुल्क वसूल करने के हक्क दे दिये गए थे जो अनुदान देने से पूर्व गाहड़वाल राजा को हासिल थे।^३

गाहड़वालों ने कुछ अपने ब्राह्मण राज्याधिकारियों को भी ग्राम अनुदान दिये। ये अधिकारी वशानुगत राजत ने ब्राह्मण राजत जटेश शर्मा को, जिसका पिता राजत और पितामह ठक्कुर था, एक गाव दिया।^४ फिर, ११६८ मे युवराज जयचंद्र न दो बगानुगत ब्राह्मण राजत को, जिसका पिता राजत और पितामह ठक्कुर था, एक गाव दिया। यह गाँव पुष्पाचन के उद्देश्य म समस्त अधिकारों के साथ सदा के लिए दान किया गया था।^५ ११६८ म जयचंद्र न इसी उद्देश्य से राजत अनग को जिसके पिता और पितामह दोनों राजत थे एक गाव दिया। यद्यपि अनग के गाव और प्रवरा वा उल्लय हुआ है फिर भी हम निश्चयपूर्वक नहा कह सकत कि वह ब्राह्मण था या नहीं।^६ क्षत्रिय राजत को भूमि भनुदान दिये जाने का हमें केवल एक ही स्पष्ट उत्तरण मिलता है। राजा बन चुके के बाद ११७३ म जयचंद्र न क्षत्रिय राजत राज्यधरवमन को, जो महामहत्तक ठक्कुर थी विद्याधर का पुत्र और महामहत्तक ठक्कुर थी जगद्वर वा पौत्र थे, एक गाव अनुदान म दिया।^७ विचित्र बात यह है कि इस ग्रहीता के गोप घोर

१ निवागा म० प्र० पु० परिशिष्ट थी, न० ५०, ५२-५६ ५८।

२ वही १३८।

३ समस्तनियतानियतादायन।'—१० इ० ४, न० २, घो० ११।

४ वही जे २ १६ २१।

५ इ० ए०, ११, ७८, पतियाँ १६ २२। उसके पितामह का भाई भी राजत था। ऐसा जान पड़ता है कि राजत या दजा ठक्कुर से ऊपर था।

६ ए० ए० ११, ११ १२ पतियाँ २० २६।

७ इ० ए०, १८ पष्ठ १३४ और भागे पतियाँ २० २४ २७ ३५।

प्रवर दोना का उत्तेव हुमा है^१ प्रीर यदि अनुशानपत्र में स्पष्ट न बताया गया होता तो यह धारिय था^२ तो सहज ही उसका ग्राहण होने का भ्रम उत्पन्न होता बोलिं इस अनुशान में तमाम पामिक और चारिकारी वाला निर्वाह किय गया है प्रीर यह दिया भी गया है सूच चार के अस्तित्व पर्यात के लिए^३ स्पष्ट है कि राष्ट्रपथरवमन एवं गवितगाली राज्याधिकारी वा बोलिं उस अनिरिक्त पर्व प्रीर अनुशान भी किय गए हैं^४ इम अधिकारी को किय इन छह अनुशानों (१९७३-८०) में एक ही गवावनी का प्रयोग हुमा है, जो अन्तर है वह भिक गोबा प्रीर राजा द्वारा किय पाठ्य। वे नाम या ही। अनुशानपत्र में वर्णी भी ग्रहीता में दाता न कोई संवा करन की मीण नहीं की है इनमा उह ये आता तथा उसरा माना पिता वा पुष्पाजन बतलाया गया है। पर यह द्वोर दरमाथ वी भावना में प्ररित होकर अनुशान किय गय है। एसा अनुभव नहीं जान पाता बयादि ग्रहीता दर्शन या। उसरा राजा का अनुशान दर व लिए वाल्य किया है, इसका भी कुछ स्पष्ट संबंध नहीं मिलता। तस्मिन् घृति उम तीन अनुशान १९७३ में प्रीर किर अप्य तीन १९८० में किय गय एमरिंग राम जान पड़ता है कि वीष व इसका वर्णन में वह यहून अधिक दर्शनासाही गया था। पर इस आप दर्जन अनुशानों का भावना हान एवं उनका ग्राहणपथरवमने उनका ग्राहणपाली नहीं^५ या जिसना जानु नार्मा प्रीर उसका पूर्व था। पिता पुत्र दाना का

उल्लेख तो करता ही है साथ ही अपने प्रत्यक्ष प्रभु राणा वे राज्य का भी उल्लेख करता है।^१ ११३४ में सिगर वस्तराज नामक एक गाहड़वाल सामन्त को भी रापड़ि विषय में उही शतों पर एक अनुदान देते देखते हैं जिन शतों पर उनका गाहड़वाल प्रभु दरा था,^२ यद्यपि सम्भावना ऐसी है कि उसे अपने प्रभु से भूमि अनुदान प्राप्त न हुआ हो बल्कि प्रभु न उसके छीने हुए प्रेश उसे किर बापस कर दिया हा।

च देलो के विपरीत गाहड़वाल ताम्रपटा म वही भी राज्यों को ग्राम अनुदान देन का कारण उनकी सनिक सेवा और शौयपूण वाय नहीं बताया गया है। इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अनुदान सामाय रूप से नभी तरह की सेवाओं के लिए दिय जाते थे। लेकिन गाहड़वाल अनुदानपत्रों म राज्याधिकारियों की सूची मे राज्यों और राणकों का उल्लेख नहीं हुआ है। इससे प्रकट होता है कि ये सीधे राज्य के नियन्त्रण मे काम करने वाले सरकारी अमले न हो कर गाहड़वालों के राज्य में राज्यों की सत्त्वा बहुत अधिक थी।

इस बात के कुछ प्रमाण मिलत हैं कि पुरोहितों के अतिरिक्त आय नियमित राज्याधिकारियों को भी ग्राम अनुदान दिये जाते थे। १०६२ ६३ के गाहड़वाल ताम्रपटों मे विकरग्रामा (करमुक्त गाँव) शब्द के उल्लेख से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है। इन अनुदानपत्रों के अनुसार चान्द्रदेव ने ५०० ब्राह्मणों को एक पूरा पत्तल दाने कर दिया।^३ अनुदत्त क्षेत्र म इस पत्तल के ब गाँव शामिल नहीं थे जो ब्राह्मणों और मन्दिरों के अधीन, २ को ब्राह्मणों के अधीन और ६ को करमुक्त बताया गया है।^४ दयाराम साहनी ने इन गाँवों को कर हीन^५ (जिनके हाथ न हा, एसे) लोगों के अधीन माना है, किन्तु एसा मानने का कोई श्रौतिक्य नहीं दिखाई देता। यि कर का अय तो करमुक्त

^१ ज० ए० सा० व०, य० सि०, ७, ७६^२, पवित्र्या० १ ६।

^२ ए० इ०, ४, न० १२।

^३ ए० इ०, १४ न० १५, पवित्र्या० २३ ३०।

^४ वही।

^५ वही, पवित्र्या० २७ ३०।

^६ वही १६६।

ही हो सकता है । और एगा जाए पहला है जिसे गोर राज्याधिकारियों का अनुशासन में विन दृष्टि था । एगा वरमुदा यीव राज्य के प्रधान लोगों में से थे होते तो वोई घारपत्य नहीं भेजिया उठाता उत्तराश वर्णविष चमत्कारी दृष्टि है जिसे पूरा पत्तस दाता दिया जाता वा वोई घारपत्य उत्तराश गामों नहीं आता ।

एवं गाहूवास अभिलग्न में ८४ गीवों की राज्याधिकारी का उत्तराश है, जिसने घाहमारा और परमारा के राज्यों में ऐसी वर्त्ता द्वारा दृष्टि की थी । यारपत्य एसी इकाई द्वारा द्वारा या के गाहूवा के बीच में पूर्व राज्य वर्तन का बनी थी । यद्यपि गाहूवास अभिलेना में कुटुम्बिषा और गरिवना की अनुशासनिय जाने का वोई प्रमाण नहीं दिया गया, तथारि भूमि प्रनुशासन में जिस राज्य पुरुषों और राज्याधिकारियों को अनुशासन की गृष्णा दी गयी है, उनमें राजामा राजिया तथा युवराजों के इयान सबसे महत्वपूर्ण है । उसने घाहमारा के वर्त्ता अभिलग्न । यह यहाँ होता है जिस द्वारा सरनारा के परिवर्तनों के बीच भूमि बीट दी जाती थी । इसका यथात पहला प्रमाण भूतपूर्व जयपुर राज्य में प्राप्त ६७३ का एक शिसाभिलेन है । यह अभिलग्न घाहमारा की नामस्मरी द्वारा वा है ।^१ इसके अनुसार राजा सिहुराज उसके दो भाई यत्तराज और विश्वहराज वा पुत्र गण्डराज और गोविदराज तथा दूर के एक रिनोराज जयनराज में से प्रत्येक न एक शिव महार को घपन घपन इष्टभोग में गीव और पुरवे अनुशासन स्वरूप दिये ।^२ स्पष्ट है जिस द्वारा प्रत्येक को घरा राजा और राजसवा के अनुसार घपन घपने नियाहि के लिए जागीर दिखी हुई थी । इस अभिलग्न से प्रवाट होता है जिस राजा ही नहीं यद्यपि द्वारायन के घारपत्य भी घपनी निजी जमीन में राजा जाह जिसको जितना भी दे सकत थे ।

ऐसे अनुदान से तनिव भिन उत्तराश हूम वारहवी गता ही में फिलत है । ११४३ के एक अभिलग्न से जात होता है जिसे धीतिहृषक नाम की एवं

^१ ए० इ०, १४, १६६ पा० टि० १। विकर पा उत्तराशक प्रार वा युद्ध के रूप में भी हृषा है । यदि हम इस घप को इवीकार वरक चलें तो मानना होगा कि ये गीव राजा को जो सनिव देते थे उसके पुरस्तारस्वरूप वर से मुक्त कर दिये गए होगे । गोपद्वंद्वि में विकरपत्य द्वारा प्रयोग पूटकर खचों के ग्रथ में हूमर है । (रथ ६६, १०१) ।

^२ ए० इ० ४ न० ११ ए पवित्रया १५ १६ ।

^३ ए० इ० २ न० ८ ।

^४ वही श्लोक ४८ ६ ।

चाहमान रानी को गिरास (मोजन और वस्त्र प्राप्त करने के साधन) के रूप में एक गाँव मिला था।^१ इस रानी का जाम उस परिवार के गोत्र में नहीं झड़ा था जिस परिवार में उसका विवाह हुआ था, वल्ति उसे उसके दर्जे के मुता विक एक निजी जागीर दी गयी थी। राजकुल के सदस्य द्वारा अनुदान दिये जाने का एक स्पष्ट उदाहरण ११६१ के नडोल ताप्रशामन में मिलता है। इसके अनुमार राजकुल अल्हणदेव और कुमार केल्हण देव ने सयुक्त रूप में राजपुत कीतिपाल को वारह गाँव समस्त अधिकारों के माथ दे दिये।^२ कीतिपाल का यह जागीर सदा के लिए दे दी गयी थी क्योंकि हम देखते हैं कि जब वह एक जन मन्दिर का इन वारहा गाँव में से प्रत्यक्ष से होनेवाला आमदनी में स दो दो सौ द्रम्मा का वार्षिक अनुदान देता है तब अपने उत्तरा धिकारिया से कहता है कि वे सब भी उसके इस अनुदान की गती का पालन करें।^३ दसवीं सदी के एक चाहमान अभिलेख में वारह गाँव की एक इकाई का उल्लेख मिलता है।^४ लेकिन यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि यह इकाई ध्यक्तिगत जागीर के रूप में किसी को दी गयी थी या नहीं। गामक गोत्र के सदस्यों की भूमि अनुदान दन का प्रचलन कीतिपाल के उत्तराधिकारियों के समय में भी जारी रहा। ११७६ के एक अनुदानपत्र में अनुमार उसके दो पुत्र राजपुत लखणपाल और राजपुत अमयपाल सिनाणव गाँव के भोक्ता थे।^५ एक और गाँव पर भी जिसका उपभोग ये रानी के साथ करते थे, इन दोनों भाइयों का अधिकार था वयोंकि इन तीनों ने उस गाँव के भरपट (यात्र कूप) से लाग उठाने वालों से प्राप्त अपने हिस्से वा जो सयुक्त रूप से दान कर दिया।^६ यह बात महाराजाधिराज केल्हण के शासन काल की है।^७ स्पष्ट है कि राजपुत कीतिपाल के पिता अल्हण वाँ बाद यह केल्हण ही चाहमान मिहा सन पर बढ़ा था।

रानिया भौंर राजपुत्रों को निश्चय ही धम के नाम पर अनुदान नहीं दिये

१ ए० इ०, ११, न० ४, ५ पक्कि २।

२ वही, ६ न० ६, वी पक्किया १७ २६।

३ वही, पक्किया १७ ३०।

४ वही २, न० ८ इतोक ४६।

५ वही ११, न० ४ १५ पक्किया १-५।

६ वही।

७ वही।

गए ये पर सभी घटुआ का गम्भीर राज गवा ग भी नहीं था । हो गवा है कि रानी प्राणाता म भाग गई नहीं हो । इसे यहि कोई रानी जिसी गवा के घटयस्त हुने पर उमरी गरीबी का विषय ये राज राज गवा हा तो बात और है । मगर राज्युन । वे बारे म लेगा तदा वरा तो गवा । ग्रन्थमें राज्युन का गवा पाणातन को जिगान जिसी प्रकार का गुण घटुआ दिया जाता था । और गम्भय यही है कि इसे घटुआ गवा गवन्त हा । जिस जाता था जिससे राज्य की पुष्ट राज्यवस्तु का गवा गवन्त ही जाता थी । उपर्युक्त वे तित महाराज वीरियान ने पुनर महाराजा गवरणि का शासन काम में उसका मामा राज्युन जीजल राज्यचिन्तक का नाम बरता था ।^१ जोड़ना गे सम्बन्धित एक हाल की पुस्तक म जिगाया गया है कि शासन का काम जोड़न परिवार चलाता था ।^२ इतना तो जिसे है कि मामाना ग जो मुख्य राजा व सम्बन्धी पुनर्म्बी हुमा बरा थे राजा की महायशा बरा की धरा ग थी जानी थी और बख्ल म राजा उह जागीरे दिया बरता था । यह महायशा जिस प्रकार की हुमा बरती था यह कह साता गुरि रिस है । परवर्ती पास म तो मह चलन था कि शासन-वया के लाया को उनका गरदार जागीरे दना था और बख्ल म उनक लिए यह साजिसी होता था कि पठन्नास म ये अपने सरदार की सहायता बरें और जब कोई जागीरदार मर तो उनका उत्तरा धिकारी उस जागीर का पधिकार प्राप्त करने से पूर्व उसे कुछ नजराना द ।^३ ये दो वक्तव्य निभाने के अलावा वे अपनी अपनी जागीरा म छोट छोट राजामा की तरह लगभग अक्षुण्ण ध्रुविकार का उपभोग करते थे ।^४ सम्भव है कि पूर्ववर्ती चाहमाना के अधीन इसी स मिलती जुलती स्थिति रही हा । तकिन इस अनुमान की पुष्टि करने के लिए हमारे पास काइ ठोस प्रमाण नहीं है ।

पर तु यह साचना गलत होगा कि चाहमाना वे अपीन पूरा राज वाज शासन परिवार के ही हाथा म था । एसा मानने का पवाप्त बारण उपलब्ध है कि राज्य म कुछ ऐसे पदाधिकारी भी थे जिनका राज परिवार से कोई

^१ ए० इ० ११ न० ४ १८ पठ ५३ ।

^२ कलहृण के राजत्व वाल म राज्य के सीमांत क्षेत्रों का शासन बख्ल पुनर्म्बी और सम्बन्धी चलाते थे । दगरथ शर्मा वृत्त अली छोहन डाइनेम्टीड्र पृ० २०२ ।

^३ वेढेन पविल वृत्त द इंडियन विरेज काम्युनिटी पृ० १६६ २०२ ।

^४ वही ।

सम्बन्ध नहीं था। वहूत पहल ही ६७३ म महाराजाधिराज सिहराज के दुस्साध्य धधुकान अपने स्वामी भी अनुमति से खट्टकूप विषय स्थित अपना एक गोव अनुदान स्वरूप शिव मंदिर को दिया था।^१ धधुक इस मंदिर को अनुदान देनवाल उन सात दाताओं में एक था, जिनम एक तो सभ्य राजा था और नेप पाच राजन्यरिवार के सदस्य। यही कारण है कि इन छहों दाताओं को अनुदान दिन के लिए विसी की अनुमति नहा लेनी पड़ी।^२ स्पष्ट है कि इस पुलिम अधिकारी को और भी गोव मिल हुए थे। लेकिन इन पर उसे सीमित अधिकार ही प्राप्त थे वयोंकि हम देखते हैं कि वह दाना की अनुमति लिय विना धार्मिक अनुदान भी नहीं द सकता था। मारवाड़ म प्राप्त १११० के एक अभिनख से जात होता है कि अश्वराज के शासन राज में अश्वशानार्थों के मूल्य अधिकारी उप्पलराव न अरघट कर के रूप म प्राप्त हानवाला अपने हिस्स का जो एक मंदिर को अनुदान म दिया।^३ जाहिर है कि ये गाव, जिनम प्राप्त हानेवारे कर कर कुछ हिस्सा यह अधिकारी अपनी दच्छानुसार विसी को दान दे सकता था, उसे राजा ने सम्पूर्ण अधिकारों के साथ दिये थे। ऐसा जान पड़ता है कि चाहमान शासन के अंतिम दिन म मत्रिया को बही-बड़ी जागीरें दी जाती थीं। ततीय पठ्ठीराज के प्रमुख परमदाना का मध्यसद्वर की उपाधि प्राप्त थी, जिसस प्रबट हाता है कि या तो उसके वतन के रूप म या उसकी प्रतिष्ठा को ध्यान म रख कर उसे एक सम्पूर्ण मध्यस दे दिया गया था।^४ इन तीन उत्तरणों से स्पष्ट हो जाता है कि जो अधिकारी राजकुल म सम्बद्ध नहीं थे, उन्हें भी भूमि अनुदान दिय जाते हैं।

परमार अभिलेख म शासक तुल के सदस्यों का भूमि अनुदान दिय जाने का उल्लंघन शायद ही कही मिलता हो। एकमात्र परमार अभिलेख का ऐसा अथ लगाया जा सकता है वह भोज के समय (१०११) का एक भूमि-अनुदानपत्र है।^५ इसम वत्सराज को, जो सम्मवत किसी राज परिवार मे उत्पान हुआ था, भोक्तारमहाराजपुत्र कहा गया है जो स्पष्टत भोक्तारमहाराज-

^१ ए० ड० २, न० ८ इलाव ८६।

^२ वही।

^३ ए० ड०, ११ न० ८ ३, पक्षिया १३।

^४ दगरथ गर्मी स० प्र० पु० पृ० १६८। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि नायक वह कुछ क्षेत्रों का वशानुग्रह गासक था (वही पा० टि० ३५)।

^५ ए० ड० २३, न० ३८।

पुर का घटाउ चा है ।^१ तो यह वहाँ है जिसे “मोहनामध्ये याम भी तह
कालीर भी मिली है थी” जो तब से तत्काल यह वह तुम भीदा का दिनी
सामाजि थी ।^२ लक्ष्मि यामादा अभिरामा की याम वरामध्ये अभिरामा म
गीर्यों की इताहारा का उत्तेज गया था ।^३ वह जै-जै याम वरामध्ये इताहारा
शीर्वोराती इताहारा ।^४ और यहें परी “वार्षि भ दृ तृ इ नामिण ए ।”^५
यह इताहारों गोप्य गोप्य अपवा गोप्य के वर्तुलामध्ये शीर्वोरी थी ।^६
अनुमान है कि यह इताहारों यामार याम व अग्नि अस्त्र गवाहार व अग्नि
स्वात् राज्य से यमार यों और यह पद्मि विक्रित्र द्वा एक यामार गविवार
के तदन्तों द्वारा यामार म योग स्वर व अस्त्र का परिचाम थी ।^७ ११वीं शती
ने उत्तराप व गाम पद्मामध्ये अभिराम म दृ वामार दृष्टि के द्वारा ।^८ यह
अनुमान की बुद्धि युक्ति हाती है । याम गवाहार रात्र्युताम म गोप्यामी गोप्या
की जो इताहार्दि देवन के मिलकी है उसमे प्रश्न हाता है कि यह यामार-गविवार
के किसी साम्य की जागीर थी । विक्रित्र यह अहना मुक्तिम है कि प्रामाण्य की
दफ्टि से यारे प्राणी को यामक वा के गाम्या से धीन योग ऐन की पद्मि
गवाहार राज्य से अधिकारा लिये यह प्रचलित थी अपवा नहीं । न यहा मिल
विद्या या सदता है कि रात्रावा के सोगा का जागीरे दी जानी थी यह प्रामाण्यनिर
इताहायी हुथा करती थी भगवा जागीर पानवाना भी एमो तित्रो गम्पति

१ वही १६३ ।

२ वही न० ३८ पवित्रयी ५ ६ ।

३ वही १६ न० ३६ दान ए, पवित्रयी ८ १४ ।

४ दो० सौ० गागुली दिल्ली और दि परमार दहरेमटी पठ २३६ व ।
गवाहार भोज के १०१६ के एक दावपत्र म “भूमिगृहपदिवसद्विरचारावत
नाम की धोत्रीय इताहार्दि का उल्लंघन है । यह ५२ गोको की इताहार का संकेत
देना है किन्तु यह न १२ और न १६ न ही विभाष है । ए० इ० ३३,
न० ४२ पवित्रयी ५ ६ ।

५ बेदेन-पवित्र, लैल्ड मिस्ट्रस और इटिया । पठ, २२१, इटियन मिलक
कम्पुनिटी, १६६ २०२, यू० एन० घोष दि हिन्दू रेव्यू मिस्ट्रम,
पठ २३९, पा० टिं २, ६५६ ।

६ ए० इ०, १६, न० १०, पवित्रयी ८ १७; यार० दो० घनजी ने ‘मायवपट्ट’
शाम का भ्रष्ट करमुक्त नगाया है ।—वही, पठ ६४ ।

जो उह वहतर थेब्रा के प्रशासन की देख रेख करने के एवज म वेतन के रूप म भिलती थी। गायद दूसरा अनुमान अधिक ठीक है। परमार राजा द्वितीय सीयक के ६४६ के एक अनुदानपत्र म उसकी निजी सम्पत्ति के रूप म एक दूसरे विषय वा उल्लेख हुआ है, जिसम से उमन एक गाव अनुदान म दिया।^१ इससे यह निष्पत्र निभाना जा सकता है कि युवराज के रूप म उस कुछ निजी जागीर प्राप्त हुई थी, यद्यपि अब राजा की हैसियत स वह अपनी निजी जागीर वाद म भी और राज्य की जमीन म से भी अनुदान द सकता था। जो भी हो, उपलब्ध अग्रिमिलखा से यह स्पष्ट नहीं होता कि चाहमाना के समान परमार राजवंश के सदस्य जागीर लेकर प्रशासन चलात थे।

हम परमार राज्याधिकारिया के लगभग आधे दजन ल्जॉंकी जानकारी है लेकिन उनम से बहुत थोड़े स अधिकारिया का भूमि अनुदान देने की चर्चा है। इनम से एक तो या महासाधनिक श्री महाइक, जिसका वाम गायद अपराधिया को दण्डित करता और अपराधा की राक्षयाम करना था। निश्चय ही इस एक गाव अनुदान म मिला हुआ था, जो ६८० म उसकी पत्नी की प्रायना पर धार क बाक्षतिराज ने उज्जन म भट्टश्वरी देवी को पुन दान कर दिया।^२ भ्यारहवी सदी मे एसा काई अनुदान देने का उदाहरण नहीं मिलता। १११० क एक अनुदान पत्र स जिसके अनुसार मण्डलेश्वर राजदेव ने दा और उसकी पत्नी न एक भूमि अनुदान दिया^३ प्रकर होता है कि जिस गाव म से उहोंन मे क्षत्र दान किय उसका भोक्ता वह मण्डलेश्वर ही था,^४ और हो सकता है कि पत्नी का भी निवाह के लिए कुछ जमीन दी गई हो। इस अनुदानपत्र से स्पष्ट है कि मण्डलेश्वर को यह गाव परमार राजा ने दिया था, क्योंकि हम देखत हैं कि मण्डलेश्वर और उसकी पत्नी द्वारा दिये अनुदानो की मूल्यना सम्बिधत अधिकारियों, बाह्यणो और पट्टविलो को राजा ही देता है।^५ स्पष्ट है कि ग्रहीता मण्डलेश्वर

१ 'स्वभूज्यमानमोहूद्वासकविषयसम्बद्धकुम्भारोटकथाम', ए० इ० १६, न० ३८ दान ए पवित्र्या ८ १४।

२ इ० ए०, १४, १६०, पवित्र्या ६ १४।

३ ए० इ० २० न० ११। यहीं मैं इस दानपत्र के आर० ही० बनजॉं द्वारा लगाये गए अथ के यजाय ए० प० ० चक्रवर्ती द्वारा लगाये गये अथ मानकर चला है।

४ वही, पवित्र्या ५ ६।

५ वही पवित्र्या ४ ७।

परन्तु पुराने दाता की घुमति के बिना प्राप्त जागीर का काँदि हिस्सा गांधीजी
प्रभुजीन के लिए मोरि था। नवीन "माता" या। प्राप्त चक्रवर्त १२५० *१
के एक तात्पर दाता था। वह द्वितीय जपवर्मा उपरा प्रोहार ("प्रलयान")
गमन्त्र में कीन आदाणा की एक गौवं प्रभुजीन में लिया। नवीन प्रभुजीन की
घुमति वास्तव में उमी ने लिया। "मग प्रसर हाता है वह घुमति वास्तव में लिया
द्वितीय जागीर में पड़ता था। यह घुमति वास्तव में लिया। नवीन घुमति वास्तव में लिया
नहा द मरता था वराहि राजा ने इस पर परन्तु घुमति की घुमति के बिना
गामन के लिए जारी लिया।^२ यह "मग गौवं का श्वामी स्वयं राजा हाता
तो घुमति वास्तव में लिया। घुमति भी स्वयं उमी के सम्बन्ध में लिया होता। इस
प्रबाल शृण्ट है वह प्रवीहार को सवा उत्ति के लिए भूमि घुमति लिया जात
थ। शाय" परमार के राज्य में स्वयं गउड्यापिहारिया का भी भूमि घुमति
दिये जाते थे विनु घमी तक "मग सम्बन्ध ये थं और घुमति राजा मिन है।

परमार अभिलेख में बनियप्रभीनन्द सरदार और गामन का भी
उल्लेख हूँगा है। इनमें सुनुष प्राप्त है वह एक धन लिया गए थे।
इसका एक महत्वपूर्ण उल्लेख सामन (तात्पर्यमत्त्वान) "राजिय है। यह
सामत वन्नीज के श्वेषमें व परिवार का था और इस भाज या उमर विना
सि धुराज ने सम्पादक प्रभु को सनिव सहायता दी थी।^३ इस राजहाउस के
बदले वह अपने प्रभु को सनिव सहायता दी थी।^४ हासका है वह भूमि
अभिलेखा में इस तरह का कोई जिक नहीं है। मनिव सवा के बदले "पूरादिय
तथा उसका पुत्र और उनराधिकारी योरोज दोना शायद अपने मण्डल की
सारी जमीन के सम्पूर्ण स्वामित्व का उपभोग करते थे वयाकि हम देखने हैं
कि भोज के शासनकाल में सन १०४७ में योरोज ने अपने प्रभु की घुमति
लिय विना एक शब्द देखता गण्डेश्वर को एक पूरा गौवं और एक शायद गौवं में

१ ए० इ० ६ न० १३ 'वी पवित्री २३ २७।

२ वही पवित्री २८ ३६।

३ वही पवित्री ३७ ४३।

४ ए० इ० १६ न० ३६ दान ए', पवित्री ११ १२।

५ वही।

सी एकड़ भूमि अनुदान म नी ।^१ १०६१ और ११०० के बीच^२ नामिय म यांगोवमन नामक एक सामाजिक था जिसे भोज से आधा सल्लुक नगर प्राप्त हुआ था^३ और जो अपने इसी प्रभु की वृपा से प्राप्त १,५०० गाँवों का भी भोत्ता था ।^४ निश्चय ही यांगोवमन वा इतना बड़ा अनुदान अपने प्रभु की बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा करने के बद्दले मिला होगा । शायद उसने किसी ऐसे क्षेत्र को जीनन में परमार राज की महायता की थी जो भालवा का हिस्सा नहीं था ।^५ वह सम्पूर्ण ग्रोद्धार्दि विषय का मण्डनश्वर था शायद इसलिए भोज न उसकी प्रशासनिक सेवाओं के लिए उम उक्त १५०० गाँव दिये थे । यांगोवमन के अधीन उपसामाजीकरण की प्रतिक्रिया में तजी आयी । उसके विषय में गग परिवार का ग्र [म्म] राणक नामक एक सामाजिक जिमन एक जन भवित्व का अलग-अलग रखबो के चार क्षेत्र अनुदान में दिया ।^६ इनमें से एक टुकड़ा तो उसे कवक्षपराज नामक एक कुमार भ और दूसरा वतिपय नगरवासियों में प्राप्त हुआ था । कवक्षपराज को परमार राजकुमार समझा जा सकता है कि तु यह स्पष्ट नहीं है कि इस मामात को अपने प्रत्यक्ष स्वामी यशावमन् से कोई भूमि अनुदान प्राप्त हुआ था अबवा नहीं ।

गुजरात के चौलुवया के राज्य म त्रिलोचनपाल के १०५१ के एक अनुदान-पत्र म नो नो सी और वयालीस वयालीस गाँवों के एकांगों का उल्लेख मिलता है ।^७ यह उदाहरण भी हमें विजेना परिवार के सदस्यों द्वारा पतक ममत्ति

१ प्रोमिटिंग्स ऑफ (लटर ऑफ टिथा) आरिंटल कार्प्रेस १, ३२४ ६ ।

२ वही ।

३ श्रीभोजदेव प्रसादावाप्त नगर स[लुकाढ़] ।” वही, न० १०, पक्षित ७ ।

४ ‘सद्दिसहस्रामाताम भोवतारा । —वही पक्षित ८ । ढो० सी० गागुली का विचार है कि सल्लुक एक मण्डल था (हिस्टी आफ दि परमार डाइनेस्टी, पठ २३६ पा० टि० १) । लेकिन ए० इ० १६, १० पक्षितयों ७ ८ को देखने म यह निष्पत्ति ठीक नहीं जान पड़ता ।

५ सन ११६७ म गुहिल सरदार पद्मसिंह द्वारा भी सैनिक सेवा के बदले भूमिदान देने का उल्लेख मिलता है । ए० इ० २० न० ३७ इलोक ३६ ८ ।

६ ए० ड० १४ न० १० पक्षितयों ८ ३१ ।

७ इ० ए०, १२, १६६, इलोक ३२ ।

आपस में बौद्ध लगा थी प्रथा वा स्मरण वरान्ता है। नविंग लगता है इन चाहमानों और परमारों की ही तरह ओनुग्रह के घटीं भी 'गाम्य-परिवार' और उसके कुटुम्बियों के व्यक्तिगत निर्वाहि के निकाल कुछ कुछ थेव्र घटना कर रख जाते थे। इस प्रवार १०६१^१ एवं अनुग्रहानन्द ने भान होना है इन प्रथम वर्ष आनन्दपुर का भोवता था और भानन्दपुर के साथ ही १२६ गीवा का एक एकांग भी मधुवत था।^२ इस प्रवार यही हम ८२ के बृन्दावनमध्ये गीवा के एकांग का परिवर्य मिलता है। इस पर ए तेजा माना जा सकता है कि निमी समय शायद यह एकांग भी 'गाम्य-परिवार' के निमी सम्बन्ध के व्यवहार के रूप में दिया गया होगा।

एक वान में 'चौतुर्थ राजवा' भाय गम्भानी राजवा में मिलता है। चौतुर्थ राजाया ने अपने सामने और उच्च वशाधिवारिया का अनुग्रहानन्दव्यवस्थ बहुत बड़ बड़ कथ्र प्रश्नन् रखि और धीरे धीरे इन पशाधिवारियों का मिथनि भी सामनों की तरह ही हा गयी। इस नि रथ वा एक आधार तो १-वी १३वी सदियों के चौतुर्थ ताष्ठार^३ है और दूसरा ऐ सेखवद्वति नामक एक सदलन। लेखवद्वति का सदलन १५वी शताब्दी में हुआ था और यह पुस्तक राजकीय दस्तावेजों के नमून प्रमुख बरती है। जिन प्राचीनतम दस्तावेजों में महामात्या और राणकों द्वारा अनुग्रह देने का उत्तरव मिलता है उनका वास सेखवद्वति में ८४१ ईस्वी (वि० स० ८०२) बनाया गया है। इन दस्तावेजों के अनुग्रह महामात्या और राणकों ने अपने अपने सामनों को बड़ी-बड़ी जापीरें दी और बदने में उन सम्मताने अपने अपने प्रभुओं को एक निश्चिन भव्या में धोड़े देने और अपनी अपनी जापीरा में 'गाति मुख्यवस्था' काम्यम रखने वा दायित्व अपने सिर लिया।^४ सेखवद्वति में यथा बहुत से अनुग्रहानन्दका का काल भी ७८५ ईस्वी ही बनाया गया है।^५ इस पर से तो यही निष्कर्ष निकलत है कि ८वी सदी में गुजरात में सामन्दार^६ की यह प्रवति खूब

^१ ए० इ० १ न० ३६ पवित्री ४। चौलुक्य अनुदानपत्रों में स्वभुज्यमान 'गृह' का प्रयोग चार बार हुआ है। इसका मनलब ऐसा क्षेत्र लगाया जा सकता है जो राजा की निजी सम्पत्ति था। मूलराज के ६६५ के एक अभिलेख में भी इस 'गृह' का प्रयोग हुआ है (ए० इ०, १० न० १७ पवित्र ३)।

^२ पृष्ठ ७।

^३ वही पृष्ठ २, ८, १० १५।

दिक्षिण हो चुकी थी। विं तु इस निराप की पुष्टि किसी ग्रथ प्रमाण से नहीं हो सकती है। दूसरी ओर, ऐसा मानने का आधार मीजूद है कि जिस शासन-पत्र को सेखपढ़ति म ७४५ ईस्वी का बताया गया है वह वास्तव म उससे ५०० वर्ष बाद की गली म लिखा गया है। सा इम तरह कि इस शासनपत्र में एक राजा के लिए गजनिकाधिराज (महमूद गजनवी) विजेता^१ विशेषण का प्रयोग हुआ है और इस विशेषण का प्रयोग १००६^२ और १२२३^३ के अभिलेखों में भी हुआ है। फिर भी सेखपढ़ति म सकलित् सबसे पुराने दस्तावेज का काल १२वीं शताब्दी का उत्तराध माना जा सकता है क्योंकि इस दस्तावेज म दा ऐसे शब्द समुच्चयों का प्रयोग हुआ है जो इम काल के चौलुक्य अभिलेखों म विशेष रूप से पाये जाते हैं। इतम से एक तो है 'तनियुक्तमहामात्य श्रीकरणदिसमस्तमुद्रायापारान परिपथयति सति' और दूसरा है नियुक्त दण्डनायक^४। इसलिए इस सकलन म जिन अनेक दस्तावेजों का वि० स० १२८८ (१२३१ ईस्वी) बताया गया, व इससे बहुत बाद के नहीं हो सकते। इनमें से एक दस्तावेज स महासाम त लवणप्रसाद के जीवन और कार्यों पर काफी प्रकाश पड़ता है। सामान्य म रूप म इसका उन्नेख सबसे पहले अजयपाल के ११७३ के एक अभिलेख म मिलता है। उसे भल्लस्वामी महाद्वादशकमण्डल-स्थित उदयपुर का दण्डनायक नियुक्त किया गया, और वहाँ उसने ६४ गावों के एक पर्यक एकाश म शिव को एक गांथ दान किया।^५ लवणप्रसाद के अधिकार म चाहे जितना भी क्षेत्र रहा हो इतना तो स्पष्ट ही है कि वह राजा की अनुमति लिये बिना अपने भेत्र म भूमि अनुदान दे सकता था। इससे प्रकट होता है कि उसकी हैसियत सामान्य राजा के समान थी, और राजा के प्रति

१ ए० इ०, पृष्ठ २।

२ इ० ए० ६, १६८ पत्तियाँ ११। यह विशेषण द्वितीय मूलराज के लिए प्रयुक्त हुआ है, जिसका राजत्व काल ११३५-६ है।

३ वही, पृष्ठ १६७ पत्तियाँ १८ १५।

४ इ० ए०, १८, ३८८, पत्तियाँ ५ ६। अभिनेत के ग्रामभ के कुछ ग्राम मिट गय हैं।

५ वही, ३४७, पत्ति ६।

६ इ० ए० १८, ३८३ पत्तियाँ ११। इस अभिलेख म प्रयुक्त 'लूण-पसाक' एवं सहृदय लवणप्रसाद का ही जा लखपढ़ति के पौत्रों पट्ट पर धारा है प्राह्ण रूप है।

परने दायित्वों का निवाह करते हुए वह परने राज्य में थाह जा कर सज्जा पह। लेखपद्धति म सबलित १२३१ के एक अन्यायों का आवृत्ति है कि भीम वे "गामन वाल में वह महामण्डलाधिरति राज्य" था और उन परने प्रभु म जागोर (प्रसादपत्तना) के हृषि में राट्रापार का पथक मित्रा दुष्पा था।^१ निम्न ऐह, इस जागार के मित्र जाने से उनकी गति और प्रसाद में गूढ़ बढ़ि हुई थी विजयी जहाँ ११७३ के उपर्युक्त अभिलेख के अनुसार वह मन्त्रपाल द्वारा विष्वकाश मात्र तथा दण्डनायक (तिनियुक्त अन्यायों) या^२ यहाँ भव उसने लेखपालार में तु^३ अपना दण्डनायक नियुक्त किया (तिनियक्त अन्यायों थी माधव)।^४ अजयवाल के "गामन वाल" म ११७१ म हम एक प्रथम शब्दिनानो सामन का भी उल्लेख मिलता है। यह था चाहमान मन्त्रपाल उद्वर व जन्मसेव जा राजा की वधा से नमदा-नट के प्रभु के "गामन" का उद्भोग कर रख था (अबपपालदवनप्रसादीश्वर्त्ये)।^५ इसने अपने मण्डन में अपने प्रभु की अनुमति नियंत्रिता एक गीव दान किया।^६ अगर प्रबल होना है कि वज्रलक्ष्मि को अपने उपसामान बनाने का अधिकार प्राप्त था। यह स्पष्ट नहीं है कि उसने जिस पथक में ही अनुदान दिया वह उसे मन्त्रपाल ने किसी पतला (लेखपद्धति के अनुसार पतला शब्द का अर्थ है वह अनुदानपत्र जिसमें राजा कतिपय निष्ठारित सेवाया के बदले किसी को कीर्त्तिमान देता है) के हृषि म दिया था अथवा नहा। गुजरात म पतला का सबसे पुराना अभिलेखीय उदाहरण १२०६ म महामात्य प्रतीहार सोमराजदेव के नाम "गारी" किया गया वह अनुदानपत्र है। जिसके अनुसार उसे नीमदेव ने गायद समस्त सौराष्ट्र मण्डल जागोर के अधीन में प्राप्त हुआ।^७ बहुत प्राचे चलवर १२६० में एक पतला का उल्लेख मिलता

१ प्रभो प्रसादामहामण्डलाधिष्ठिराणवधीलादध्यवप्रसादने प्रसादपत्तनायाम भु उद्यमानवट्टाधारपथक तिनियुक्ताण्डनायक श्रीमाधवप्रभुनिष्ठचुल प्रतिष्ठती ताम्रशामनम लिखते थे। नै० प०, पृष्ठ ५।

२ इ० ए० १८ ३४७, पत्तियाँ १ ११।

३ लेखपद्धति, पृष्ठ ५।

४ इ० ए० १८, ८४ ८५ पत्तियाँ ७ ८।

५ वही पत्तियाँ ६ २१।

६ प्रस्त्रप्रभा प्रसादावालपतलयामु उपमानयोसीराष्ट्रमण्डल—।' इ० ए०, १८, ११३ पत्तियाँ १८ २३। लेखपद्धति के दीवान पृष्ठ पर १२३७ के एक ताम्रशामन के नमूने म ठीक ही ही गद्दों का प्रयोग हुआ है।

है। इस प्रमला में किसी महामण्डनेश्वर राणक को जागोर के रूप में शाय-एक पथक दिया गया।^१

ऊपर न्युं गए उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है कि उत्तरी भारत विषय कर उत्तर प्रदेश मध्य भारत राजस्थान और गुजरात के प्राय सभी राजवशो के शासक अपने प्रपने सामना और राज्याधिकारियों की सवामी के बदल उह अनुदानस्वरूप गाँव दिया करते थे। बहुत से अनुदान पत्थरा या ताम्रपटा पर अक्षित करवाय गए थे जिससे भूमि अनुदान देने के बढ़ते हुए चलन का मकेत मिलता है और साथ ही राज्य के धर्मतर अधिकारियों का बढ़ता हुआ महत्व दिखनाई पड़ता है, अब ये लोग शायद राजा से स्थायी स्वामित्वपत्र प्राप्त करने का आग्रह करते थे।

११वीं और १२वीं सदियों में राज्याधिकारियों को वेतन देन का एक खास तरीका यह था कि नियमित वरों का कुछ अदा अववा कोई विशिष्ट कर उनके लिए अलग कर दिया जाता था। बघलखण्ड के बलचुरिया के अधीन छाट छाटे घमला को—जस पटटकिलों (कर वसूल करने के लिए जिम्मदार ग्राम प्रधाना) और दुष्टसाध्यों (अपराधियों वा पकड़ने और दण्डित करने वाले पुलिस अधिकारियों) को—वेतन देने के लिए यही व्यवस्था थी। जयसिंह (११६३ दद) द्वारा एक ब्राह्मण को दिये गए अनुदान से ऐसा निष्पक्ष निकासा जा सकता है, क्याकि उसे जिन विभिन्न अधिकारों के साथ एक गाव दान किया गया उनमें पटटकिला और दुष्टसाध्या के लिए निर्धारित आदाय (कर) वसूल करने का अधिकार भी शामिल था।^२ पटटकिल अपने राजकीय कर वसूल करने के अलावा अपने वतन के लिए निश्चित कर वसूल करते थे। इस स्थिति में कमज़ोर ग्रासका के अधीन वे गाँव की जमीन पर किसी हद तक अपना नियन्त्रण रखते होते तो इसमें माश्चय नहीं। किन्तु दुष्टसाध्यों के सम्बन्ध में ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्याकि उनका सरोकार तो वेवेत उतन ही कर से रहता था जिनका उनके वेतन के लिए निर्धारित था। इन दो प्रकार के अधिकारियों के अतिरिक्त विशेषिमो, व्ययिको और भूधपुर्हपारिका को भी करा वे हप म ही वेतन दिया जाता था।^३ वे इन तीनों प्रकार के अधिकारियों के बताये जाया था यह हम नात नहीं है। गाँव की जमीन स

^१ ए० इ०, १८ २१० पक्तियाँ द १०।

^२ क०० इ० इ०, ४, न० ६३, पक्तियाँ १६ २५, परिशिष्ट द।

^३ वही।

इन अधिकारियों के चाहे जो सम्बन्ध रह है। इनमें कोई गा ह नहीं विवरण वेतन के दृष्टि में उनके लिए पुछ वर अवगत कर दिया जाता था। और ऐसा भी नहीं है कि वेतन देने की पहली पद्धति वेवल वनवृत्तिया वही राज्य में प्रचलित रही है। वेवला व अपीन एटे छोड़ गमता और गाहृवासा वे अपीन तो वहे बड़े अधिकारियों के भी निर्वाह के लिए पुछ विनिष्ठ पर अवगत कर दिया जाते थे।

वेवला के राज्य में सरकारी गमता को गौवा में पुछ अधिकार दिया जाते थे। पहले वेतन चारहवी सभी के उत्तराय में परमदिन न गमय से पुछ हैमा। उसके ११७२ और ११७८ के घनुमानपत्रों में सामना राज्याधिकारियों वेवल अधिकारियों भट्टो भादि को घनुदान में दिया गौवा में दम्तूर भत्ते के राज्याधिकारियों का त्याग वरने का निर्देश दिया गया है।^१ १२०८ में वेवलायवमन ने एक वेवलानुग्रह आद्याण राज्यत को एक घनुदान दिया जिसमें सामना और यह स्पष्ट नहीं है कि राजकीय अधिकारियों को ये दस्तूर भत्ते देने का अधिकार (नवद अथवा भूमि अनुदानों के दृष्टि में मिलने वाल) नियमित वेतन के साथ-साथ प्राप्त या या उनके वेतन के साधन वेवल यही थे। विन्तु इसके परिणाम स्वरूप एक ऐसे बीच के बग का उदय होना अनिवाय या जिसके कानूनकारों की जमीन में कुछ निहित स्वाय कायम हो जाते थे। हम पहली जात नहीं हैं कि जिन अधिकारियों से ये हक्क छिन जाते थे उनकी धतिष्ठूति राज्य प्रदार से की जाती थी या नहीं। पर भी राजा द्वारा बीच बीच में य अधिकार वापस ने लेने से जमीन पर इन सरकारी गमता का आधिकार वसजोर होता होगा। इसके अतिरिक्त कानूनकारों की उपज में बहुत से और लोगों का हक्क हिस्सा होता या जिससे सरकारी गमता का अवैता प्रबाद नहीं जम सकता था। गाहृवासा के राज्य में अधिकारीगण राजस्व के बहुत निश्चित साधनों का उपजाग बरता था। उसका हिस्सा "गाय" प्रति घर एक प्रस्तुत होता था।

^१ राजराजपुराविकाचाटार्नि स्व स्वमामाय परिहतउगम।—१० इ १८ न० २, पक्षितया २८ २६ वही २० न० १४ लट बी पक्षितया

२१ २३।

^२ का० इ० इ० ३१ न० ११ पक्षित १७।

इस हिस्मे के निए कही अपराटप्रस्थ^१ और कहीं अपटान्ताय^२ शब्द का प्रयोग हुआ है। इसी तरह प्रतीहार भी ग्रामवासियों की उपजे के इतने ही हिस्म का अधिकारी था।^३ इसके अलावा विगतिथूप्रस्थ^४ नाम के भी एक कर का उन्नतव मिलता है। अपराटलप्रस्थ और प्रतीहारप्रस्थ से इस गाँव का जो सम्बन्ध है उसस प्रकट होता है कि यह भी किसी अधिकारी को दिय जानेवाले अनाज के तोल का नाम था। मगर गाहटवाल राज्याधिकारियों की जो छोटी सी मूँची उपनाथ है उसमे तो विगतिथूजस किसी अधिकारी को ढूढ़ पाना मुश्किल ही है। मदनपाल व एक नाम्रपत्र मे ८४ गावा के एक एकांग का उन्नतव हुआ है^५ और चौकि २८ चौरासी का तीमरा हिस्मा है इसलिए यह अधिकारी सम्बन्ध २८ गावा के एकांग का राजस्व अधिकारी था। मगर निश्चयूवर्त कुछ नहीं कहा जा सकता। इस अधिकारी का दर्जा और काम चाह जा रहा हो, यह स्पष्ट नहीं है कि प्रस्थ प्राप्त वरनवाल उक्त तीनों अधिकारियों के बेनन का जरिया क्वल यह प्रस्थ ही था या उह कुछ और भी मिलता था। यहाँ भी न्यूनि वही है जो चदेना के राज्य म थी। चौकि एक ही किमान को कदं अधिकारियों का अपनी उपज म से कुछ कुछ हिस्म देन पड़त थ इसलिए काइ भी उमड़ी जमीन पर अपना हक्क नहा जवा सकता था। इसके अतिरिक्त अधिकारियों को वति व ल्ला म अनाज का हिस्सा देने का काई व्यापक चलत भी नहीं था क्याकि उपर जिन तीन गाँवों की चर्चा हुई है उनका उत्तरेष्व क्वल महाराजपुत्र गोविंदच द्वे ताम्रपत्रों म ही हुआ है।^६ अपराटलप्रस्थ, प्रतीहारप्रस्थ और विगतिथूप्रस्थ इन तीनों गाँवों का प्रयोग ११०४ के बमादी ताम्रपत्र म हुआ है।^७ अकला अक्षपटलप्रस्थ ११०६ के कए

१ इ० ए०, १६ १०३ पक्षि १२।

२ इ० ए० १८, १७ पक्षि २१।

३ इ० ए० १४ १०३, पक्षि १२ ए० २ न० २६।

४ इ० ए० १८ १०३ पक्षि १२ विलाइए ए० इ०, २ न० २६ पक्षि ८० १५, १६ म।

५ उनल और पू० पौ० दिस्तीर्णल मालानी १६, ६६ और उत्तरवर्ती पृष्ठ पक्षितर्या १० ११। नियोगी न इसका मुशार बर पना है म० प्र० पू० परिगण्ड 'की न० ८ पृष्ठ २८७।

६ नियोगी, स० प्र० पू० पृष्ठ १६७।

७ इ० ए० १४ १०३ पक्षि १२।

ताम्रपटम् मैं भारा है और फिर ११०३ का ताम्रपट में विनिष्ठारय एवं प्रयोग हुआ है^१ जो शायद विगतिपृष्ठप्रम्य का ही दूसरा स्तर है। एगा जान पड़ना है कि १२वा ग्रन्थी के पर्व उम वर्षों में ग्रामनाया राजपत्रिका^२ इन प्रबल हो गये थे जिनके द्वारा यह अनुर भारा का ग्रामनाया ग्रामपत्रिका के रूप में बताते थे।

चाहमानों के घरों से यह ग्राम बहुत गोमित्र ही थी। उसका वनाधिकों के लिए, जो एक ग्राम के सनिक अधिकारी थे उनका पर एक वित्तीय पर लगाया। ११६ के एक ताम्रपट में चौन्दपुर राजा पुमाराम के ग्रामतंत्रम् ने एक ग्राम वा वलाधिकाराव्य एवं मन्त्रिर पा भाटुडा मन्त्रिया^३ और दूसरे का दूसरे को^४ इस एक को तु गो पर ग्रामवा मण्डिरिता य हानवारा राजीय ग्राम वा एक हिस्सा माना गया है यथारिव वलाधिकाराव्य मन्त्रिया एवं प्रधिकारी पा।^५ जितु इन दानों उत्तरणा य यह ग्राम ग्रामवासिया पर नी साधा गया है इसलिए ऐसा जान पड़ता है कि यह विमानों में ही लिया जानेवाला एक के रथा और यह ग्रामपटनप्रस्त्र और प्रतीहारप्रस्त्र की ओर दूर ही था। सनिक अधिकारिया में सनापति के जाद वलाधिक वा ही दर्जा आया है कि तु हम कोई ऐसा प्रमाण उपलब्ध नहीं है जिससे यह तप वर सर्वे कि दसों वेतन का एकमात्र साधन वलाधिकाराव्य ही था अथवा यह उसके वेतन का एक अप्रमाण था।

विनिन राज्याधिकारिया के निमित्त प्रजा से ग्रामपट वर लेने के चलते वा प्राप्तम् और विशास हमारे विषय में अध्ययन में वासी महारव रखता है। इस वाज की गुरुत्वात् ईस्वी राज की प्रारम्भिक सत्त्विया में हूँ, जब कि ग्रामीय क्षत्रा में अपराधी की रोक याम के लिए समय समय पर जानेवाले चाटा और मटा (पुनिस अधिकारिया और सनिक) के रहने पाने की व्यवस्था ग्रामवासिया को बरती पड़ती थी। व्सी चीज ने कालम्रम से पटटक्किला दृष्ट माध्या अपटला प्रतीहारा वलाधिका तथा अर्य राजपुरदा के निमित्त विशेष हृष में वसूल किय जानेवाले गुलका का रूप ले लिया। बाकाटवा, पञ्चलवा

^१ वही १८ १८ ह पवित्र्या २० द।

^२ ए० इ० २ न० २६ १, पवित्र्या १५ १६।

अला चाहमान “हैनैस्टीन पृष्ठ १६७ लृप्त २, पवित्र्या ६ ११।

^३ वही पवित्र्या १३ १४।

^४ वही पृष्ठ २६७, पा० टिं० ८५।

और कदम्बों के अनुदानपत्रों में जात होता है कि दोरों पर जानेवाले अधिकारियों के खाने रहने की व्यवस्था करने के लिए ग्रामवासियों को साधन जुटाना पड़ता था ।^१ इस उद्देश्य से उन पर वसति दण्ड नामक एक छोटा सा वर भी लगाया जाता था, जो शायद जिसमें में वसूल किया जाता था ।^२ छठी शनांनी में मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में राज्याधिकारियों के भोजन की व्यवस्था करने के लिए ग्रामवासियों को जेमक कर भर नामक एक वर भी देना पड़ता था ।^३ लक्ष्मि प्रारम्भिक अनुदानपत्रों में राजपुरुषों के वेतन भत्ते के रूप में विसी नियमित शुल्क का उल्लेख नहीं हुआ है । जिस एकमात्र कर को इस कोटि में रखा जा सकता है वह है मध्य भारत में प्राप्त कतिपय शुल्कों के खर्च के निया जानेवाला शुल्क ।^४ परवर्ती काल में पाला के अधीन राजपरिवार के खर्चों के लिए राजाभाष्य राजनुलीय राजकुलाभाष्य या राजनुल-आनेय नाम का कर वसूल किया जाता था । दसवीं सदी के बाद से ऐसे वर आम तौर पर नहीं ही देखने को मिलते क्योंकि अब तो राजपरिवार के कुमारों, रानियों आदि को अपने अपने निर्वाह के लिए जागीरें दी जाने लगी थीं । विन्तु शायद सभी राजपुरुष इस पद्धति के अत्तगत नहीं आते थे और उनमें से कुछ के निर्वाह के लिए कुछ विशेष कर अलग कर दिये जाते थे । इस प्रकार हम ऐसते हैं कि जो चीज़ छोटे छोटे सरकारी अमलों को यदा करा दिये जानेवाले अशदान और राजपरिवार को शायद नियमित रूप से दिये जानेवाले कर के रूप में आरम्भ हुई उसी ने अब कलचुरिया चौदेलो, गाहन्दाला तथा चाहमाना के अधीन कतिपय अधिकारियों के निर्वाह के लिए निर्धारित नियमित शुल्कों का रूप ले लिया था । महाराष्ट्र के शिलाहारा के राज्य में भी वेतन देने की इस प्रथा का चलन था । वहां नाणावुड नामक एक वशानुगत पद के अधिकारियों को वतन स्वर्ण के रूप में नहीं दिया जाता था बल्कि उनके काय-काल तक के लिए उनके नियमित कुछ कर अलग कर दिय जाते थे ।^५ तात्पर्य

१ कौ० इ० इ० ४ १५६ पा० टि० २ ।

२ वही ।

३ वही न० १२०, पक्षिनश्च १८ २० ।

४ कौ० इ० इ० ३ न० २६ पक्षिनश्च ११ १२ न० २९, पक्षित १३, न० २८ पक्षित २० ।

५ ए० इ० २७ १७६ और पा० टि० १ ।

१४६
यह ये प्रगिकारियों को पारियमित भेजे ने लिए राजस्व की गुण सरका
शतग पर दन की प्रया इसी बास की एक विनिष्ट तो थी ।
पद्मि सामना और राजप्रियारियों दाना तो उत्तीर्णापा का तुरबार
भूमि भनुदाना के रूप में दिया जाता था । इनु दाना भगुल भार दरवाय
थे । पुरोहित उत्तीर्णियों मार्यप्रियरियों गतिर प्रवाहर महागायिन
महामात्य प्रादि गरमनिक तथा मनिक प्रगिकारियों का प्राप्ता उत्तीर्ण
निर्यातिरिक वत्तव्या के निर्वाचन का घरे ग वरद दिव जात थे और इन रसायन
का सम्बन्ध उन अधिकारियों के ग्रामने प्रपने परा ग हुआ गया था । बाहमान
और परमार राजवाना व राजस्वों को प्राप्तान के लिए जो दो न गोप जाते थे
उन दोंमें उह कापवालिका तथा यायगतिशास्त्र के अधिकारियों के निर्वाचन
के साथ साथ रानिक वत्तव्य भी पूरे बढ़े पड़ते थे और इन गवाप्रा के बच्चों
उह जागीरे दो जानी थी जिनम स प्रयोग म वर्द वह इन गवाप्रा के बच्चों
घटते थे जिनका राजा से बोई रखन सम्बन्ध नही होता था । यस तो अभिलेखा
में सामना की ग्रामिक श्रेणियों का उल्लेख हुआ है—जस राजा, राजराजनव
राणक राजपुत्र ठकुर सामन भावता भोगिक भोगिजन, भोगपतिक बहद्रभागिक
ग्रामिक लेकिन उपलभ अभिलेखों में देवत पौच ही बोटि के सामन तो को भूमि
भनुदान देने का जिक हुआ है । ये हैं—सामन भोगिक भोगिजन, भोगपतिक बहद्रभागिक
और माण्डलिक । यह बहना मुश्किल है कि इनमें से प्रत्येक बोटि के सामन
को प्रशासनाथ कितना बड़ा थोक दिया जाता था । शुरुनेतिसार म, जिसमें
११वी १-वी सदियों के अभिलेखों म प्रयुक्त वर्तिपय १०० का उल्लेख हुआ
है सामन भी परिमापा वरते हुए ऐसा बताया गया है कि वह १०० गोबो का
गासक होता है और इस पूरे खेत से प्रति वय १३००,००० क्य राजस्व
प्राप्त होता है । उसी सूत्र से यह भी नात होता है कि माणुलिक वी वापिक
प्राप्त ३००,००० से लेकर १००००००० क्य तक होती थी । इन बातों
के बावजूद वा उल्लेख राधाकृष्ण चौभरी न ज० इ० हि० (२७)

प्राप्त होता है। उसी सूत्र से महा नाम का आय वे ००,००० से लेकर १० ०० ००० क्य तक होता है।
 १ इनमें से कुछ वा उल्लेख राधाकृष्ण बोगरी न ज० इ० हि० (३७
 ३५६) में सिये एवं निवध मन्त्रिया है।

१ इनमें से कुछ वालहनेख राधाकृष्णन (३८६) में लिखे एक निवारण में किया है।

२ अनु० वी० ब० सरवार १३६५३ व०१२। हाल में एल गोपाल ने निखाया है कि इसका सकलत १६४० सदी के पूर्वाधार में किया गया (बी० ३। भाग ३ १६६२)।

अनु० बी० ब० स०
निखाया है कि इसका सकलन १६वा सदा
एस० ओ० ए० एस० २८ मार्च १६६२।
वही ३६६७४।

से सामंता का मुन्ननात्पक्ष दोनों का थुठ अदाजा तो गिल सकता है, किंतु इह अशरण स्वीकार नहीं किया जा सकता। इन सामंता को चाहि जिसने घने क्षेत्र किया जाने हो थुठ राणक और मण्डलश्वर को जो क्षेत्र सौरे जाते हैं उनके बीच प्राप्त पूर्ण स्वामी हुम्मा करते थे क्याकि हम उन्हें हैं कि ये अपने अपने प्रभुमां की अनुमति वाले विना ही धार्मिक अनुशासन किया करते थे। उनके विपरीत राज्याधिकारिया को—यहाँ तक कि प्राचीय सामंता को भी—एसे अनुशासन देने के सिए अपने प्रभु की अनुमति लेनी पड़ती थी। इसके अलावा बहुत ऐसा सामंता वा राजा में आम तौर पर ऐसा काई सम्बंध नहीं होता था और सभी सामंता वा राजा से ऐसा सम्बंध रहता हो, सो भी नहीं है। पाला ने कहने को भवि अनुशासन किया यद्यपि उनमें पाला का कोई रक्त सम्बंध नहीं था। इसी प्रकार एसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है जिससे उडीसा में सामंता वा और गुजरात में राणक वा राजा में इस सरहद का कोई सम्बंध सिद्ध हो सके। देश के अन्य हिस्सों में भूमि अनुदान पानेवाले अधिकारी सरकारी यमने ऐसे दो नामांकन के सम्बन्धीय नहीं थे। राजस्थान और गुजरात में गजपूत शासन यद्यस्था वा यह एक याम खूबी थी। अभिनवों से प्रकट होता है कि भारत में भूमि अनुदान प्रारम्भ में पुरोक्ति को किया जाता था और आगे चलने के द्वारा द्वारा याम याम तथा राजवंश में रक्त सम्बंध न रखनेवाले शक्तियां राज्याधिकारिया और सामंता आदि गहम्य भोजाओं को अनुदान किये जाने लगे। तात्पर्य यह कि अनुशासन रक्त सम्बंध के बारण ही नहीं किये जाते थे। उनका मुख्य कारण यही होता था कि दाना का ग्रहीता की सवामी की आवश्यकता रहती थी।

इस भाल में उत्तरी भारत में सामंत और प्रभु का सम्बंध अज्ञत बसा ही था जिसका कि उनका सम्बंध फास तथा जपनी में था। इन दोनों देशों में सामंत का मुख्य नायिक प्रभुने प्रभु की मनिक सवा करना था।^१ इसी प्रकार भारत के साहित्यिक तथा पुरालेखीय माध्यों में यह बात निविवाद स्पष्ट से मिद्द हो जानी है कि यहाँ के सामंतों का भी सबसे महत्त्वपूर्ण वक्तव्य प्रभुने प्रभु की मैनिक सहायता करना थी था। घनपात्र कृत तिलकमजरी में अनेक ऐसे

^१ इस्लाम में उह राज वाज में प्रभुने प्रभु का परामर्श भी देना पड़ता और साथ ही याय प्रशासन में भी हाथ बटाना पड़ता। भारत में सामंतों को कोई ऐसा वक्तव्य नहीं निमाना पड़ता था।

मननतत्त्वों को एको मान्यता में लाइ गए हैं तो राजा वि राजता का मतिह सदा एकमें ही भूमि घनुमत दिया जाता था। गाहृवान तूरनि जयस्वाइ के स्थीर धरिय राजन गाहृवान वा लाल भाजा सेवा के पुरुषार स्वरूप ही उभयभूमि घासा दिय गय थे। ऐसा ब्राह्मण है वि राजन एवं सामना य त्रिवरा मुख्य वक्षय राज वा भाजिह गेश वरना था, और त्रीत्यद्वितीये प्रनुगार राजवृषा वा ऐसी गयय महत्वपूर्ण आदित्य यही था। मैनिर गामना वा एक एक ही वग पूर्वी गया के धर्मी नी था। ये नायक वह जाता थे और इसम बुध धर्म साम भी शामिल थे। यह राजामा ने इहें अनन्त भूमि घनुमत दिय। गुरुत्वोतिगार में नायक को दत गायों के प्राप्तारामप नियुक्त धर्मिकारी बनाया गया है जिसु अभिसार से ठीक-ठीक पता चही चला वि उनक अपील इतना बड़ा थोक होता था। एक और नी महत्वपूर्ण बात पह है वि बुध परिवार तो एक वे यार एक तीकनी वीक्षिया ना नायक और विश्वासर राजन के नें वा उत्तरोग बरत थे। परिगामियस्त्र धीरे धीरे एक यगानुगत मैनिर वग गाया हा गया त्रिगती जोविदा वा गामन उम्हे सर्वों का दी गई गयीरे थो।^१ य त्रिगेषना जो पूरबतीं काल म दपत को नही विक्षनी यूगेय म यगानुगत सनिक परिवारा वा स्मरण बराती है।

अभिसारा या ददाने वा प्राटहारा वि इस बात में सामना सोग गजनीति और प्रगामा मे महत्वपूर्ण भूमिका निमाता थ। एनिय उत्तराधिकार सम्बंधी विद्यादा म उत्तरा दृस्तेव विष्णविष्व गिर्द होता था। इससे पहल वा बाल म हम गामल वा मामना तो चात है ही। लाल चन्द्रर उत्तराधिकार का निषय सामन राम ही बरत चात पहत है। यही हम प्रमम म गालमनम्म उद्दीपा म गोमवारी गामना और रामस्यान म धाह्रमाना के दद्वान्त ले सकते हैं। जब द्वितीय पूर्वीगाज बुद्धिलोन ही चल वगा तो उम्हे भविया न, जो साम ना स भिन नही य, गुजरात से सामन्यर वा ला वर भजमेर के सिंहासन पर प्रतिष्ठित बर दिया। उसकी मृशु के बार विद्या रानी कपूरदेवी को उहोने उसक अमरस्व पुन तत्तीय पर्वीराम की सरभिना वा पद प्रतिष्ठित किया।^२ इसी प्रवार कम्पीर म राजा वा चुनाव बरन क लिए तथिया और

१ उल्ल श्रीर आध दिग्भौमिल सोग इरी (३८, ३० ३६) म निये कपूरदल कम्पाजिगन आँक दि यामी इन ग्रलों मन्त्रिएप्रल इडिया 'रीपद' नियाध में ढाँचीमती वे० वे० गोपाल न दस प्रश्न पर विस्तार स विचार किया है।

२ दारण गर्मा स० प्र० पृ० १६६।

एकाग्रा वे साथ यन्त्र कदा साम ता को भी आमी यत किया जाता था ।^१

१२वी और १३वी शताब्दी में कुछ क्षेत्र में राजा की भूमि अनुदान देने की सत्ता उत्तरी अक्षण तहीं रह गई थी जिन्हीं कि पूर्ववर्ती बाल में थी । चौलुच्य राज्य में महामात्य का बड़ा दबाव था । वह एक प्रभाव का सामर्त्य मात्री ही था । चौलुच्य राजाओं को अनुदानपत्र जारी करने के लिए इन महामात्यों की सहमति प्राप्त करनी पड़ती थी । यह प्रथा हम पूर्ववर्ती बाल में कहा नहीं देखने की मिलती । इस प्रथा के बारण राजकीय दातामा के हाथ बढ़ गये हैं, ऐसा तो नहीं करा जा सकता कि तु उह भूमि अनुदान के सम्बन्ध में महामात्यों से पूरा परामर्श तो करना ही पड़ता था ।

पूर्ववर्ती अनुदानपत्रों में गिरफ्तारियों का उल्लेख मिलता है जो इन अनुदानों का दस्तावेज तयार करवा कर इह कायदा दिया थे । उनमें साधिक विग्रहिक तथा नूतक विशेष रूप से उल्लेखनाय हैं । ये अधिकारी अनुदानपत्रों का अनुमोदन नहीं करते थे । तेकिन हम जिस बाल पर विचार कर रहे हैं उस बाल के—विशेष रूप से १२वी तथा १३वी शताब्दी के—कुछ अनुदानपत्रों में उनकी सहमति वा भी उल्लेख है । परमार राज द्वितीय जयवर्मन के एक अनुदानपत्र में (१२६० ६१ म) उस राजा द्वारा कुछ व्याहारण को नियंत्रण के अनुदानपत्र का साधिविग्रहिक पण्डित मालाधर ने अनुमोदन दिया है ।^२ भूमि अनुदानों के मामलों में साम ता और राज्याधिकारियों के बाले हुए महत्व वा आभास वित्तिपर्याय सन अनुदानपत्रों से भी मिलता है । पूर्ववर्ती सेन अनुदान पत्रों में बदल दो अनुदानों की पुष्टि किये जाने के दब्टा त मिलत है । इनमें से एक की पुष्टि स्वयं राजा न की और दूसरी की साधिविग्रहिक न । लक्षित सम्पत्ति सेन वे राजवंश काल के २५वें और २७वें वर्षों के अनुदानपत्रों से उच्चाधिकारियों के बढ़ते हुए प्रभुत्व का संकेत मिलता है । इन अधिकारियों में मध्यिकाश साम ती देग के और अनुदानों को स्थायित्व प्राप्त करने के लिए इनकी सहमति और अनुमोदन आवश्यक समझा जाता था । एक अनुदानपत्र भी तो पाच राज्यों के अनुमोदन का उल्लंघन है जिनमें से एक शायद स्वयं राजा था ।^३

^१ राजवरस्ती, ५ २५० ।

^२ ए० इ०, ६ ११६ ।

^३ ज० रा० ए० सा० वि० भूखला द द ३४ ३५ । अनुमोदन करनवाले ५ राजपुत्र हैं । (१) श्री नि (२) महासम नि (३) श्रीमदराज नि (४) श्री मार्गार नि और (५) श्री मन साहममाल नि ।

यद्यपि राजनीति और प्रगासन मे सामृता का बड़ा प्रभाव था, किन्तु वे दमी भी डग्लड के सामृता की तरह अपना काई समठन या समिति नहीं बना पाये। अभिनेता और साहित्यिक कृतियों मे सामृत गांड वा यहुधा प्रयोग हुआ है। पर इमे विसी मणिन मस्ता का मान नहीं होता है। 'गायद इमश्शा प्रयोग विविचक वे ममान होता था।' सामृता का कानूनित वाई उत्तरवार होता होगा जिसका प्रभुत्व उन सब वा प्रभु था। लेकिन इमे हम विभिन्न विषयों पर विचार करनेवाला एमी कोई ममा नहीं मान सकते जिसक माध्यम से सामृत नाम अपना अपना विचार पर करते हो या अपनी अपनी खात बहते हो। अधिक स अधिक इम मुम्लिम शासन काल के दरवारों की कोटि म ही रखा जा सकता है। यह मध्यकालीन डग्लड की उस सामृती संस्था के समान रही था जो पालियामेंट की जनसी समिति हुई। सम्भव है सामृतगण अपने क्षेत्रों म याय प्रगासन गायत्र-ज्यवस्था और विधि निर्माण का काय अताग अलग बरते रह हो तेकिन उन्होंने एक संस्था के रूप म सयुक्त रूप से एषा नभी नहीं किया। फिर भी सामृता का एक वागानुगत सामाजिक वग के रूप म स्वीकार कर लिया गया था। वस्का प्रमाण हमे वाक्पतिराज सूरि के लिए प्रमुखत सामृत ज म विधायण के रूप म मिलता है। एसा कहा जाता है कि यद्यपि वह ज म भ सामृत था ति तु उसन प्रमुख विषया म सप्तसे ऊँचा स्थान प्राप्त कर लिया था।^१

उस बात म राज्याधिकारिया के सामृती साच म टलत जाने की सामाजिक व्रतति अपनी पराकार्षा पर पहुँच गइ। अधिकारियों वो वेतनम्बद्धप भूमि-अनुदान तो दिय जात ही थे, साथ ही उह वनी वटी उपाधियाँ भी दी जाती थी। इन उपाधिया का उनक वार्यों से कोई सम्बन्ध नहीं होता था। य मात्र उनक न्यौं का बाय करानवाली होती थी। यह प्रवत्ति हम सबस अधिक बगाल श्रीर विहार म देखते हैं। उत्तराहरण के लिए पाला वा एक साधारण सा सामृत महामाण्डिति इवरधोप अपने एक अनुदानपत्र म चार दजन से अधिक अधिकारिया को सम्बोधित करता है और इन अधिकारिया म से १३ के

^१ उद्यमुद्दितथा पृष्ठ २७।

^२ सामृत ज्ञापि विवरणाम महत्तमो वाक्पतिराजसूरि। वही, पृष्ठ १५४।

पदनामों के साथ महा उपसर्ग जुड़ा हुआ है।^१ इसी प्रकार दर्शिणी मूगर मा एक ग्राम महामाण्डलिक सम्प्रामगुप्त घपते भ्रनुदान वी सूचना बत्त स राज्याधिकारिया और राजपुरुषों का दता है और इनमें १८ के पन्नामा के साथ महा उपसर्ग सम्बन्ध है।^२

पाना के तथा बगात और विहार के ग्राम राजवगा के अनुदानपत्रों का दधन में ज्ञात होता है कि महा उपसर्ग से युक्त पदनामों वाले राज्याधिकारियों की सरया उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही थी। प्रारम्भ मध्यपाल और दपवाल के अधीन ऐसे चार पाँच अधिकारियों का उल्लेख हुआ है। इसमें आगे चल कर नारायणपाल बल्लानसेन और नदरायणगत के अधीन तीव्रा उत्तर दृश्य हुआ है, फिर ईश्वरधाय के अधीन संत्रह का और अत म सम्प्रामगुप्त के बाल म, जब राज्याधिकारियों का साम्राज्यकरण चरमसीमा पर पहुँच चुका था ऐसे अट्ठारह अधिकारियों का नाम आये हैं। यहाँ यह ध्यान देने याच्य बात है कि जिस प्रभु को शक्ति जितना रम थी उसके राज्य म महा उपसर्गधारी राजपुरुषों की सरया उत्तरी ही अधिक थी और इसी प्रकार जस जस समय बीतता गया वहसे वहाँ ऐसे अधिकारियों की सूची बढ़ती रही।

विचित्र बात यह कि भारत के दूसरे हिस्सों के साम्राज्य में बड़ी-बड़ी उपाधियों के प्रति एसा मार्ग देखने को नहीं मिलता। इसका एकमात्र अपवाहन सचिव राज्य है जहाँ चौदह ऐसे अधिकारियों का उल्लेख हुआ है जिनके पद नामों के साथ महा उपसर्ग जुड़ा हुआ है।^३ लेकिन राणक और ठक्कुर यदा साम तीव्र उपाधियों उत्तर भारत में खूब प्रचलित हुई और विभिन्न जातियों तथा अणियों के अधिकारियों के लिए इनका अधारु ध प्रयाग दिया गया है। इसके सत्रस अच्छे उदाहरण कायम्य त्रिपुरा है, जिहय उपाधियों उनके दत्तव्यों को ध्यान में रख कर नहीं बल्कि साम तीव्र और सामाजिक दद को दृष्टि में रख कर दी गई थी। एसा लगता है कि अधिकारियों की उनके

^१ म अधिकारी थ महाराजाधिविद्यहिक महाप्रतीहार महाकरणाध्यक्ष महापादमूलिक महाभोगपति महात्माधिकृत महायूहपति महाराजाधिकृत महाकायद्य, महाबलकाण्ठिक महाबलाधिकर्णिक महासाम्राज्यकर्त्तुक।^२ वी ३ १५६७ पतियाँ १० २१।

^३ ज० वि० मा० रि० मा० ५ ५६३४ पवित्र्या ६ ८।

मा० इ० १०, ४, न० ४८ पवित्र्या ३२—३५। इस सूची में महाराजी और महाराजपुत्र भी शामिल हैं।

अपने ग्रन्थों में राजनीतिक दर्जे और महत्व के अनुसार विभिन्न सामूहिक श्रेणियाँ प्रदान की जाती थीं।

भूमि अनुदान पढ़ल पहल पुरोहिता और महिला को दिया गया और मध्य-काल के आरम्भ में अधिकार अनुदान इहीं का मिलता रहे। इसलिए स्वभावत राज्याधिकारिया और सामूहिक दर्जे का दिया गया अधिकार अनुदानों में भी धार्मिक विधि विधानों का निर्धारित किया गया है—यहाँ तक कि ‘पापा’ एवं इनका को भी दाहराया गया है। सनिक व ग्रसनिक पदों पर प्रतिष्ठित द्वाहृणा को अनुदान दिन में तो धार्मिक अनुदानों के मसौदे का उपयोग मजे में किया जा सकता था वरांकि अपनी वशानुगत धार्मिक स्थिति के बारण व अपनी निजी हैमियत से भी दाने पाने के हकदार थे। लेकिन अद्वाहण सामूहिक और अधिकारियों का दिया गया अनुदानों में प्रचलित मसौदे का उपयोग इसलिए किया जाता था क्योंकि दूसरे ढंग का मसौदा अभी तक नहीं बन पाया था। धीरे-धीरे घमेंतर अनुदानों के लिए भी एक मसौदा चल पड़ा जिस पर संघार्मिक प्रभाव घटता गया। उदाहरण के लिए उडीमा में एक बायम्ब मधी को ग्यारहवीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में आस पास दिया एवं अनुदान में इसकी चर्चा नहीं है कि अनुदान वीं अवधि सूख चान्द्र के अस्तित्व पर न हो,^१ हानाकि अनुदान से दाता वो होते वाले पुण्य लाभ का उल्लेख है। इदेल राजाओं द्वारा राउता को दिया गया अनुदानों में भी हम ऐसा ही देखते हैं।^२ एक वारानुगत द्वाहण राउत को दिया गया अनुदान में तो स्थायी स्वामित्व प्रदान करनेव ली धारा भी छोड़ दी गई है।^३ कि तु १११५ के एक गिलाहार अनुदानपत्र में यह धारा बरकरार रखी गई है। इसमें गण्डराटिय न अपने सामना नोलम्ब वा दा गाव इस गत के साथ अनुदान में दिया कि वह और उसके बाज दूध चान्द्र के अस्तित्व पर्यात उनका उपभोग करें।^४ अलगता इस अनुदान के फल-स्वरूप हानशाले किसी पुण्य लाभ का उल्लेख नहीं किया गया है। इस संबंध बाबनूद वास्तविकता यही है कि अभिलाला में एसा काइ अनुदानपत्र देखते को नहीं मिलता जो पूर्ण रूप से घमेंतर वाशबली में तैयार किया गया हा। विशुद्ध

^१ ए० इ०, २६ न० २६।

^२ वही १६, न० २०, २० न० १ सी।

^३ ए० इ० ३१, न० ११। यह एक वारानुगत सनिक परिवार या, जो चार पीढ़ियों तक इस दर्जे का उपभोग करता रहा।

^४ ए० इ०, २६, न० ३२ परिवर्त्ती ३८ ६१।

धर्मेतर गान्धावली म तथार किय गय अनुदानपत्रा की समिक्षा चर्चा गुप्त वालीन स्मृतियों म मिलती है। आग चलार लेखपद्धति म एस अनुदानपत्रा के विषय म विस्तार से लिखा गया है। इस पुस्तक म राजाश्रा महामात्या और राणकों द्वारा जारी किय जाने वाले अनुदानपत्रा के नमूना म धार्मिक अनुदानपत्रावाली श नावली का स्थान नहीं किया गया है। इस अनुदानपत्रा (पत्तलाश्रा) की कोई पुरालखीय प्रतिलिपि अब तक नहीं मिली है यद्यपि यह निश्चित है कि चौलुक्य शासकों ने ऐस अनुदान दिय। पत्तला 'ग' की व्युत्पत्ति प्रनात है। कि तु यदि इसे हि री ग - पत्तल (गुजराती पातल) का प्रारम्भिक रूप माना जा सके तो इसका मतलब हाँगा भोजन अथवा भरण पोषण का साधन। १३वीं शताब्दी के चैन अनुदानपत्रा म प्रमाणेन प्रत्यक्ष श 'ग' का प्रयोग हुआ है।^१ इन श 'ग' का अर्थ हुआ राजा की छुड़ा में प्रयोग किया हुआ। पश्चिमी मारत म १२वीं और १३वीं शताब्दीयों म जारी किय गये अनुदानपत्रा म प्रभुप्रसादावाप्त —प्रथान प्रभु की छुपा स प्राप्त—ग - सम्बन्ध का प्रयोग हुआ है।^२ मिश्रो तथा पुरोहिता का दिय गय अनुदानपत्रा म एमी श शताब्दी का प्रयोग साधारणत नहीं हुआ है और इससे यह सकेत मिलता है कि बाननी दण्डि से लेखे तो ग्रहीता को अनुदान उसकी सेवाश्रा या यात्यता के बारण नहीं बनिं उसके प्रभु की छुपा से ही मिलता था। विचित्र वात यह है कि किसी भी धर्मेतर अनुदानपत्र म ग्रहीता के नायित्वा का वर्णन नहीं किया गया है। इनका वर्णन वर्ष लेखपद्धति म ही हुआ है। इसलिए पूरे देश के लिए कोई एक वधानिक प्रतिमान नहीं था जिससे कि दोनों पश्च कोई विवाद उठने या किसी एक के द्वारा दोनों के बीच हुए वरार के तोड़ जाने पर उसका सटारा लते।

नीति उपरेण से सम्बन्धित कुतिया म आम तौर पर न साम ता के शायित्व निधारित किय गये हैं और न उनके प्रभुश्रा के। वास्तविकता यह है कि उन शिनाराजनीतिक अनमवा को सिद्धा तबद किया ही नहीं गया। जिस एकमात्र सटातिक कृति म साम ता के बन या का निवारण किया गया प्रनीत हाता है वह है अग्नि पुराण। यह गायद १०वीं ११वीं शताब्दी की रचना है।^३ सम इस सम्बन्ध म जा कुछ कहा गया है उसका आधार मुख्यत वाम दक नीतिसार है जो गायद आठवीं सती म लिखी गई थी। इस कृति म साम ता को परामर्श

^१ ए० द० १६ न० २० पवित्र ११ २० न० १८ सी पवित्र १४।

^२ वहा १८ न० १० पवित्र १७। इसका एक दूसरा रूप प्रमाणीकृत ' इ० ए० १८ ८४८५ पवित्र ८ म मिलता है।

किया गया है कि व जन मावना का शान्त रथे युद्ध मध्यपत्र प्रभुआ की सहायता करें, उनके मित्रों तथा सहायकों का प्रभु की सहायता के लिए प्रेरित करें और गरु मित्र मेंद करें। आग चल कर उहें जनत्राण का सुरक्षादुग्ध बनने का कहा गया है।^१ दूसरी ओर राजा का अपन मामना से सावधान रहने का पराम । दिया गया है। गामते पिंडाह का बाहरी गतरा बनाया गया है और राजकुमारों मित्रों तथा अप्य उच्चाधिकारियों के विद्राह का आनंदिक खतरा।^२ उम्लिए अग्नि पुराण म राजा का गर्वफादार मामना का कुचल देने की सलाह दी गई है।^३ किंतु इस काल की किसी अप नीति उपदेश-सम्बंधी हृति म राजा तथा सामना के पारस्परिक दायित्व गायद ही निर्धारित किये गय है।

सेषपद्धति ऐसी एकमात्र वधानिक हृति^४ जिसम अनुग्रानभोगिया के दायित्व बताये गय हैं। इम पुस्तक म १२वी १३वी सदिया म गुजरात की स्थिति की भाकी मिलती है पर हो सकता है कि राजस्थान और पर्याम के इलाकों म एसी ही अवस्था हो। इस पुस्तक म मानपत्र पर लिखे तीन प्रकार के अनुग्रान पत्रा का द्वाला दिया गया है। एक तो है राजभुजपत्तला जिसके द्वारा राजा किसी राणक को मदिरा तथा ग्राहणा को दान किय गय क्षेत्रा को छोड़ कर प्रारका पूरा देना ग्रनुदान म दे सकता था।^५ यहाँ जिस देना शब्द का प्रयाग हुआ है उसस चौरुपया के अधीन गायद मण्डन का बोध होता था। दूसरा है महामात्य पत्तला, जो महामात्य द्वारा राणक के नाम जारी किया जाना था। राणक उस पत्तला को स्वीकार करते हुए वफादारी और ईमानदारी के साथ दाता को सभी कर देने का वचन दता था।^६ तीसरा है राणक पत्तला जिसम हमेएसी तकमीलें मिलती हैं जो उपयुक्त दोनों पत्तलाओं म नहीं मिलती। यहाँ राजपुत्र जागीर के लिए राणक से निवन्नन करता है और जब उसे एक गाव दिया जाता है तब उसस न क्वचल अनुन्त क्षेत्र म गाँत-गुप्यवस्था बनाये रखने और पुरानों तथा न्यायसम्मत प्रथा के अनुसार राजस्व बसूल करने का वचन लिया जाता है बन्कि उस पर यह दायित्व भी डाला जाता है कि वह

^१ अनु० एम० एन० दत्त, २, ८६२।

^२ २२६ ११।

^३ २२७ ५३।

^४ लक्ष्मदीन, पृष्ठ ७।

^५ वटी।

राणक की सेवा के लिए उसकी राजधानी म १०० पदाति तथा २० अश्वाराही लाये।^१ साथ ही उस पर यह प्रतिवाय लगाया जाता है कि वह मदिरा और बाहुणा को अनुशान म परती जमीन नहीं दे।^२ अयान वह गाव म अनुदान स्वस्य वेवल आवार्य जमीन ही प्रदान कर सकता था। इस प्रकार यह धारा भूमिक्तिः याय के अनुभार प्रचलित पुरानी प्रथा का उलट देनी है। भूमि क्तिद्रायाय के अनुभार प्रारम्भ म पुरोहिता तथा मदिरा को वेवल परती जमीन ही अनुदान म दी जाती थी ताकि व उसे जोन म लायें यद्यपि पौचबीं सदी से इस ग्रन्थ ना प्रयोग नास्वस्य आवाद जमीन देनेवाले अनुशानपत्रों म भी होता रहा।^३ उपर्युक्त धारा से प्रवट भोता है कि परती जमीन को आवार्य कराने म भूमि अनुदानों का जा महत्व था वह १२वीं शताब्दी में अत तक गजरात मे समाप्त हो चुका था।

अभिलेखा से किसी भी अनुवाद के मम्बिधत पक्षा के दायित्वा की भी ठीक जानकारी प्राप्त कर सकना बहुत कठिन है इन्हीं लेखपद्धति म दिये गये मसौदा मे एक दायित्व बिन्दु़ल स्पष्ट बताये गय हैं। प्रथम पक्षता म तो ऐसा नहीं बत या गया है कि किन दूसरा और गिवेपक्त तीसरा पतला इस बात की मान्यी भरना है कि गुजरात मे साम्राज्यादी राजपद्धति यद्य विकसित हो चुकी थी। एन मसौदों से स्पष्ट हो जाना है कि राजा या उम्या महामात्य, जिन दोनों वा उन्नेव १२वीं और १३वीं शताब्दियों म साम तो को दिये गये चौकुक्य अनुशाना म बरावर साध माय हुआ है राणकों जागीरें लिया करते थे और ये राणक अनुन्त थोत्रा म से अपनी इच्छानुसार राजपुत्रों को जागीरें लिया करते थे। यह उपसाम्राज्यवरण का स्पष्ट उत्तरण है।

और जमा कि ग्राम पट्टके (गाँवा से राजस्य गवाह करने के अनुवाधो) के मसौदों से नात होता है राजपुत्र सोग भी अपने गाँव उन यापारिया नथा उनके एक मित्रा को परन्ते पर दिया करते थे जो उनसे तदथ निवदन करते थे।^४ यद्य त्रितावेज म एक पचकुस को जिसका मुखिया काई व्यापारी या

^१ 'यामस्य अस्य यापम भोगवता (भु जना) पदातिजन १०० पाटक २० एन घोटक मानुष राजधा याम श्रीधर्माक्षम भवाकार्या। वर्ती।

^२ नवनरभमि गातन कस्यपि दवम्य विग्रस्य वा न शताय । त० प०, पृष्ठ ३।

^३ त० प० पृष्ठ ३६ ३८।

^४ त० प० पृष्ठ ८८।

महत्तर (लखपाल) है इस गत पर राजस्व एकत्र करने का अधिकार दिया गया है कि वह ३००० द्रम्म मुख्य राजस्व के लूप म २१६ द्रम्म पचकुल के पुरस्तारस्वरूप और चालीस द्रम्म फुर्कर खच के तोर पर अना करे।^१ मुख्य राजस्व की अदायगी तीन विह्ना में बरनी है।^२ इसके अतिरिक्त उम व्यापारी और उसके इच्छ मिश्रा की जिम्मेवारी है कि यदि लगान म खोई वद्धि की जाये तो वे उसे भी चुकायें और साथ ही किसी "पक्षिन" को सम्मानित करने से लिए राज वरिवार या सरदार के परिवार म विसी कृमार का जाम होने पर और ऐस ही अथ य मवसरो पर गाँव पर लगाये जानेवाल वर्णों की अनायगी करें, और याने पर होने वाले खच का भी बोझ उठायें।^३ गाँव म राजस्व एकत्र करनेवाले इन नागा को गाव से ही कर गुजरनेवाली सड़कों की लेव माल का भार भी सौंपा गया है। इस अनुबंध के सम्बन्ध में एक अन्य राजपुत्र की गारटी भी भी आवश्यकता बताई गई है। वह इस बात की जिम्मेदारी अपने सिर लता है कि उक्त व्यापारी और उसका इष्ट मिश्र सारी राशि विविवत अना करेंगे। जिस दस्तावेज में ये तमाम विवरण दिये गय हैं उसका काल ७४५ इस्ती बताया गया है, नेकिन निम्सांदह इससे १२वी १३वी सदिया की राजस्व व्यवस्था पर ही प्रकाश पड़ता है। ग्राम पटटक की प्रथा से प्रकट होता है कि बहुत से राजपुत्रों के हाथों में कई गाव थे, और इन सभी गाँवों से व स्वयं राजस्व एकत्र नहीं कर सकत थे। इसनिए नवाद राणी मेराजस्व का अनुमान लगा कर वे लगान एकत्र करने का बाम व्यापारियों को सौंप देते थे। गुजरात म व्यापारियों का कारोबार बहुत घट्टा चलता था। अत उनके लिए यह दायित्व स्वीकार करना आसान था। वे लगान दकर जमीन की जोत का हक प्राप्त करनेवाले विमान नहीं बल्कि ऐसे एजेंट थे जो अपने प्रभु के साथ हुए इकरार नामे की शर्तों से बधे हुए थे। गाँव का ग्रामली मालिक राजपुत्र था, जो न बेवत भूमि प्रतुदान दे सकता था बल्कि करा म वद्धि भी कर सकता था और अपनी जमीन लगान बमूल करने के लिए चाहे जिसे दे सकता था।

ग्रामपटटक की प्रवधि स्पष्टत एक साल होती थी लक्षिन राजामा

^१ ल० प० पृष्ठ ६।

^२ वही।

^३ चरणकमलमागणमागलीयवचतुरक्षपतितम् दशाचारेन दात यम। ल० प०, पृष्ठ ६।

^४ ल० प०, पृष्ठ ६।

महामात्या और राणका द्वारा जारी किये गये अनुदानपत्रों में समय सीमा का कोई संकेत नहीं दिया गया है। आयद य अनुशान प्रहीता का जीवन भर के लिए अध्यवा जबतक उसका घबहार ठीक रह तबतक के लिए दिय जाता थे, और दो फरीका में से किसी भी एक की मत्यु होने पर उहाँ नया कराना पड़ता था। यह स्पष्ट नहीं है कि राणका और उसके राजपुत्र साम्राज्य के बीच काइ दिवार होने पर राजा बीच बचाव करता था या नहीं। ये अनुवाध भोजपत्र पर तैयार किय जाते थे। इसलिए इनमें से एक भी उपलब्ध नहीं है लेकिन इनकी प्रामाणिकता में सादह करने का काइ वारण दिलाई नहीं देता।

ऐसा प्रतीत होता है कि प्रभु और साम्राज्य के सम्बन्ध मुख्यतः समाज में प्रचलित रीति रिवाजों पर ही आधारित थे और १३वीं सदी के पहले का उनका लिखित स्पष्ट अभी तक नहीं मिला है। पूरबती काल में जब राज्य बड़े हुमा करते थे तब लिखित कानून न हाने का लाभ उठा कर प्रभु अपने सामन्त पर परम्परागत क्षत्या के अतावा और भी क्षत्य थोप सकता था लेकिन अभी हम जिस काल पर चिचार कर रहे हैं उस काल में प्रभु के बजाय सामन्त द्वारा इस स्थिति का लाभ उठाने की अधिक मम्भावना थी। तुर्कों के आक्रमण से पूर्व उत्तर भारत जिस प्रवार अनेक छाटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया था उस स्थिति में साम्राज्य के लिए अपने प्रभु पर हावी हाना भासात था।

सामन्ता और बड़े बड़े राज्याधिकारियों की भूमि अनुदानों के रूप में वेतन देने की बात १२वीं शताब्दी में सिद्धांतत भी भली भाँति स्वीकार कर ली गई। पूरबती साहिंय में धार्मिक उद्देश्यों से ग्राम अनुदान देने की महिमा तो विस्तार से बताई गई है लिन्तु धर्मोत्तर प्रयोजनों से बड़े प्रमाणे पर भूमि अनुशान देने की सिफारिश नहीं की गई है। मगर १२वीं सदी में रचित मानसांतास में अनुशान देने का विधान बहुत स्पष्ट रूपों में दिया गया है। इसमें राजा को सताह दी गई है कि वह अपने प्रमुख साम्राज्यों (साम्राज्य भान्यका) और विभिन्न स्तरों के भूमियों (यथा मात्रा अमात्य सचिव आदि) को तरह-तरह के भूमि पुरस्कार दें, जिनमें भूमि अनुदान भी गामिन है।^१ प्राग वहा गया है कि मत्या बाध्वों तथा राजा को सनिक सहायता एवं परामर्श देनेवाल भूमि लागा दो जो उस घबहार देना चाहिए।^२ कुल मिलाकर १६ प्रवार के उपहार का उत्तम है। इनमें गोवा गट्टा और खनिज क्षेत्रों के साथ-

^१ नं १००६।

^२ वर्षी १००३।

साथ छत्र चैंबर ग्राहिं सम्मान मूल्यका उपहार तथा वाहन तो गामिल है ही, इनके प्रतिरिक्षण कुमारी क्याएं और वाराण्णाएँ भी भेट बरन को कहा गया है।^१ इसमें जिन भूमि अनुदान का उल्लेख हुआ है वह इस प्रकार है—देश्यम्, अर्थात् राष्ट्रा (सर्वडिवीजनी) का दान, जिन पर राजा शायद् कर नहीं लेता था, करजम्, जो देश्यम् से मिलते जुलते ढग का अनुशान था, किंतु जिसके लिए ग्रहीता को कर दना पड़ना था,^२ और तीसरा है ग्रामजम्, अर्थात् करयुक्त अथवा कर मुक्त ग्राम अनुदान।^३

मालवा और गुजरात भे तो भूमि अनुदान लगभग सबत्र दिया जाता था। इसका प्रमाण हम मेष्टु ग श्रेत्र प्रवचन्चिन्तामणि म मिलता है जिसमें लेखक ने परमार भाज और चौतुक्य भीम के विषय में लिखा है। मेष्टु ग कहता है कि दशाधीश अनुदान म गाव दता है ग्रामाधीग क्षेत्र और क्षेत्राधीग साम से नया हर सुखी-सम्पन्न व्यक्ति अपनी सम्पत्ति दान करता है।^४ इससे यह घटनि निष्कलती है कि १३०४ तक जब कि मेष्टु ग न अपनी यह रचना पूरी की गावा पर व्यक्तिया के स्वामित्व का सिद्धान्त मली माति प्रतिष्ठित हो चुका था। उसने जिन ग्रामाधीगों का उल्लेख किया है, उनमें शायद् जन और आद्याण मन्दिरों तथा पण्डित पुरोहितों की सह्या काफी रही हाथी, लेकिन देव ग्रामाधीग शायद् ऐसे सामने या राज्याधिकारी रहे हाँ जिह परमार और चौतुक्य राजाओं ने ग्राम नान लिया थे। अक्सर ऐसा भी होता होगा कि पट्टविल^५ लोग जिह राजा राजस्व वसूल करने के लिए पट अथवा सनद प्रदान किया करता था कालातर में ग्रामाधीग बन जात हाथ और देवीय कोप को वसूल किये गये राजस्व का छाटा हिस्सा दत हाथ।

या तो पूर्ववर्ती साहिय म भी सामृत और उसके पर्यायवाची शादा का उल्लेख वारन्दार हुआ है लेकिन उसमें राजनीतिक सामृतवाद के लिए कोई सद्वार्तिक आधार नहीं प्रस्तुत किया गया है। इससे प्रकट होता है कि ११वीं सदी

^१ २ १०१० ११

^२ वही १०१०

^३ वही १०१६

^४ 'दशाधीगों ग्राममेव ददाति, ग्रामाधीग क्षेत्रमेव ददाति, क्षेत्राधीश गिम्मका सम्प्रदत्त, सप्रस्तुष्ट सम्पद स्वा ददाति। प्रवचन्चिन्तामणि, पृष्ठ ५७।

^५ ए० इ० ६, न० १३, पक्षि १८, इ० १० ६, ४८।

स पुर राजनीति राजायामा की जड़ गोदा के भाव मात्रा म अद्य इन्हीं
पही जग याई थी। अमृतिया के भावा ए भी यह सही वर्णन ह दर्शि
भाष्यकारा की मत्तवासा वर्तिवाचा तीर्थी इति विवाहाता य ए ग्रन्थ
दामा का प्रयोग पढ़ायी क वल्लभाता घरे म ही इति दामा है। इति बाद
यह है कि राजनीति राजायामा का गदानिति ग्रन्थात् वल्लभ वाम्पुष्टो नैर्माता
कमा विषयक शाहिद्य म यि ता है। ग्रन्थमें अमृतिया का एक अद्युत विवर है
मानसार म मित्रा है जो इन्हीं गोदी की रही है। यह इति ए र वद्याद
म ऊर ग ता ए गर राजाया की नी अवियो वा उ नग इति दामा है। गवण
जार है चन्द्रकी और उगर या गवण गन्धार भद्रा अधिकार म ए या
नरेन्द्र पालिगव पर्वतपर अद्युता वल्लभात् द्रव्यार और अल्पात्। आइ
है।^१ इन राजाया ए महाता क अद्युतार यह भी इति विवा दामा है कि
य रिति याड रिति रतिह इति गविराते और रिति राजियो रग
मनत है। इन राजाया बेजा म गवण नीव आवश्यका यम्भदा ते २०० पाठ,
५०० हाथी ५०,००० रतिह ५०० भ्री सेविराते और एक राती रन गर गा
है।^२ जग जर राजा की धेणी ढंगी होनी जाती है यग वग द्वा गर्याया ग
भा बद्धि हाती जाता है और सभायद भवदर्की ए गवण अधिक इन्हीं घोट,
सनिन, सविकाए और राजियो रतने वा अधिकार इति गवा है।^३ मानसार
म विभिन्न अणियो व राजाया के योग्य नी प्रवार क राजमुद्रा और गोक्कार
क राजमिहासना या भी वणन विया गया है।^४ हमार सिए गवण महत्वपूर्ण
बात यह है कि इसम राजा की रिति वे अनुगार उसके राजमृत की पटवा
बढ़ती दर का भी वणन विया गया है। अन्दरकी उपज का बेश्व दमदाँ हिस्सा
लता है जबकि महाराज छठा हिस्सा नरेन्द्र पोखर्यो हिस्सा पालिगव खोदा
हिस्सा और पन्टपर केवल एक तिहाई ही लता है।^५ मण्डलया पटटमाज,
प्रहारक लथा अस्त्रप्राही इन चार अणियो व राजाया वा राजस्वा वा दरे गहा
बताइ गई हैं किन्तु सादम का देवते हुए एसा माना जा गवता है कि य उपज
का अर्थात् या उससे भी अधिक लेते हाये। इस वर्णनकरण का महत्व बया है ?

^१ पी० वै० माचाय, मानसार सिरीन, ६, १२५।

^२ वही।

^३ वही।

^४ वही, १२६। इनका वणन ४५वें और ४६वें अस्त्रप्राही म इति गवा है।

^५ वही।

इस विधान के पीछे यह मायता बाम बरती दिखाई देती है कि निचली थेणी के राजा पर यह जिम्मेवारी थी कि वह ऊपर की थेणी के राजा को करदे। राजा की थेणी जिन्हीं अवर हो वह प्रजा ग उतना ही अधिक राजमूल वसूल करे इस विधान का तो कारण यही प्रतीत होता है कि अवर थेणी के राजा को अपने से ऊपर की थेणीवाले राजा थो सामानी कर देता पत्ता था। यदि वह प्रजा से अविक कर नहीं वसूल करता तो उसका राजराज नहीं चल सकता था।

१२वीं सदी में^१ भरट मुवनदेव न भी अपनी कृति अपराजितपृच्छा म महत्वशम से नी प्रशार के गासको का वर्णन किया है। वे इस प्रशार हैं मही पति राजा नराधिप महामण्डेश्वर माण्डलिक महासामात, सामात, लगु सामान और चतुरशिक।^२ इनम से प्रत्यक के पास किनारा थेन हो, यह भी बनाया गया है। वही महीपति को समूण घरिनो का स्वामी बनाया गया है वहा चतुरणिका को १,००० गाँवों का स्वामी बहा गया है।^३ निम्नतम थेणी के गासको के पास किनारा बड़ा थेन हो यह तो कही नहीं बनाया गया है कि तु सप्तत २० से लेकर १०० गाँवों तक के स्वामी इसी थेणी म आते थे।^४ बास्तु-कना सम्बद्धी इन दो कृतियों म शासको का जा यर्गीकरण किया गया है यवहार म उसका पालन भी किया जाता रहा हो ऐसा प्रतीत नहीं हाना किर भी यह थेणी विधास माय राज के सामान्यवादी राजनीतिक टाव को देखते हुए सबका उपयुक्त जान पड़ता है क्योंकि उस राजनीतिक यवहार के अत्यंत हमें इस बात के बहुत से उदाहरण मिलते हैं कि शासको की अनेक थणिया होती थी, और इनम से निम्नतर थेणी का शायक अपन से ऊपर ही थेणी के शासक के अवीन हुआ करता था तथा वह उसे कर देता था और उसका आवश्यक सेवा-सहायता किया बरता था और यही सिलसिला नीचे से ऊपरतक थेणी ने भेणी चला जाना था।

अपराजितपृच्छा म सामानी दरवार के गठन का भी वर्णन किया गया है। इसके अनुमार सम्माट (जिसका विम्ब महाराजाधिराज परमेश्वर बताया गया है) के अखार म ४ मण्डलेश, १२ माण्डलिक १६ महासामात, ३२ सामात १६०

^१ स० १०० १०० मन्दिर, गा० ५०० सि०, न० ११५, प्रारम्भिक पृष्ठ ११।

^२ न१ २१०।

^३ वही।

^४ न१ १११२।

लयुसाय न और ८०० चतुरिंश होन चाहिए।^१ चतुरशिक से नीचे के समस्त राजपूतों का राजपूत बहा गया है।^२ इसमें कुछ एक राजपूतों की माय के बारे में भी वर्णाया गया है। इसमें अनुसार लयुसामान वीं माय ५०००, सामान की १०००० और मट्टासामान की माय २०००० हानी चाहिए। इस मायना वीं पुष्टि वास्तु वला-मम्ब वा १४वीं पताड़ी को एक कृति राजवल्लभमण्डन से भी हानी है।^३ अपराजितपृच्छा में इन सरदारों द्वारा प्रजा से वसूल विष जानवान राजसन दीर्घ के विषय में कुछ नहीं कहा गया है लेकिन इसमें राजनीतिक तथा आधिक सत्ता की दृष्टि से एक ऐपोवड़ संघाज का चित्र धरश्य दर्शन को मिलता है।

प्रारम्भिक धरणास्त्रा और तसम्मानी माय कृतिया में बदल वर्णों के भाषार पर राजनीतिक सत्ता माय घर सम्पत्ति आदि में विभिन्नता की बताना की गई है जिन्हा यास्तु-वला पर गिरो पुस्तरा में स्थिति बदल जाती है। इनमें इनी वा धान वास्तुनुगत वर्ण के भाषार पर खोड़ मुदिपा नहीं दी जा सकती है। इनके विपरीत वर्ण पर धारारित दर्जे का सामना था। विन्यास पर भाषागत दर्जे वाले माय सामजिक वर्णों का प्रयत्न दिया गया है। यह धात सम्पत्ति और वराहमिहिर हृत वसनतसहिता में यास्तु-वला पर निर्ग कुछ एवं घन-एवा में नहिं हानी है। यगहमिहिर न विभिन्न श्रेणियों के यास्तरा के उपर्युक्त आमता का वर्णन दिया है और साथ नीचा राजा वर्णों के उपर्युक्त निशामन्द्यारा का भी। सम्बन्ध के अन्वयार मझार वा निशामन्द्यान भारहृ मदिना का हाता लाँ-वा, याध्या (दिवानि) वा नौ मदिना का सामाय राजा (ना) का धात मदिना वा वाय तथा यामाय गवान्नायर (याध्यगवा) का धार मदिना का और एवं वा निशामन्द्यान एवं सातान मदिना का तथा एवं वा द्रमुर याँ-वा वाँ-वा मदिना वा हाते धाहिर।^४ सम्पत्ति की गह धावना में इनी धनियों के राजाध्या तथा गज तो के उपर्युक्त आवग्या एवं एवं वल्लमदिना का जरागा धनिय भरन्ना वा किया गया है। इन्हुंने अपरा विजयपृष्ठा में निशामन्द्याना का धारार इहार निधारित वरन में वर्णों का

व्याल नहीं किया गया है। उसमें इसका निधारण वेवल सामनी तत्त्वों के पारस्परिक दर्जों के आधार पर ही किया गया है। इसमें तो श्रेणियों के सरलारा में से प्रत्यक्ष के आवाम का आवार निर्भरित किया गया है। इन सरलारा में महामण्डलेश्वर माण्डलिक महासामन्त और लघुसामन्त व अनिरिक्त बुद्ध और भी शामिल हैं, जिनका दर्जा उच्च मरणारा से नीचे है।^१ किन्तु सिह्दार बनवाने की अनुमति वेवल चत्रवर्ती महामण्डलेश्वर महासामन्त और सामना वा ही दी गई है।^२ मानसार वे अनुसार सबस नीचे की ओं श्रेणियों के शासक, अथात प्रहारक तथा अस्त्रग्राही चारा वर्णों के लोग हो सकते हैं और इनके अधिकार तथा सुविधाएँ इस बात पर निभर करती हैं कि विभ प्रहारक अथवा अस्त्रग्राही का दजा क्या है। इस प्रकार यह उत्तिया समाज म महत्व और स्थान का निधारण वेवल वर्णों के आधार पर ही नहीं करती, बल्कि उभरनी हुई साम तबानी सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवस्था वे लिए, जिसकी उपभा करना अब असम्भव हो गया था एव नय। आधार प्रस्तुत करती हैं।

इस अध्याय के अंत में हम निष्पक्ष स्वरूप वह मनत है कि इस बाल में उत्तर भारत में अनेक छाट छोटे राज्य थे, जो या तो भूमि अनुदान की व्यापक प्रथा अथवा गासक परिवार के सदस्याद्वारा अपना पतन राज्य आपम में बाट लेने के चलने के परिणाम थे। वेशक पुराहितों तथा मन्दिरों को अनुदान दिये जाने के जिन्हें प्रत्यक्ष प्रभाण मिलते हैं उत्तरे सनिक तथा प्रशासनिक सेवाओं वे पुरस्कार स्वरूप दिये जाने के नहीं मिलते। मनतो यह है कि जिन प्रमाणों के आधार पर हमने यह निष्पक्ष निशाला है कि राज्याधिकारियों तथा सामाजिक वा अनुदान दिये गए उनमें भी ज्यादा सरपा इन राजपुरुषों द्वारा दिये गये धार्मिक अनुदानों की ही है। भारत म हम राज्य और धार्मिक मुखियों के बीच वस विसी झगड़े का सदृश नहीं मिलता जमा कि यूरोप में पोप तथा राज्य के बीच चलता था। जहाँ हवी गतादी के मध्य में करोलिंग राजवंश ने घर की सम्पत्ति छोड़कर अपने गहर्थ सामाजिक को दे दी^३ वहाँ भारत के राजवंशों का स्वरूप और आचा चाहे जो रहा हो, वे धार्मिक अनुदान देने में एव दूसरे के साथ स्पर्धा सी बरते जान पड़ते हैं। सरकारी अमला का बोलबाला वर्म होना गया और धार्मिक तथा गहर्थ सामन्ता का बोलबाला

^१ ८१२ १२।

^२ ८१२ १२ २४।

^३ गणगाक फ्यूट्लिंग, पृष्ठ ३५ ३६।

भारतीय सामन्तवाद

बनता गया वल्कि बास्तविकता यह है कि मूर्मि अनुग्रान मिलने के बारण ऐसे सरकारी अमल भी सामंती दर्जा हा प्राप्त करते जा रहे थे। हा पूर्वी भारत में स्थिति गुजरात तथा राजस्थान से भिन न थी। इन दो प्रदेशों में प्रभु और सामंत के सम्बन्ध व अनुप थो पर आवाहित होते थे। पाला और सेना के राज्यों में राज्यनाम पर दिय गय घर्मेंतर अनुग्रानों का अपेक्षाकृत अमाव थे। एसे प्रबंध होता है कि इन राज्यों में सामान् राज्याधिकारिया तथा सामंतों को कभी भी इतना शक्तिशाली नहीं होने दिया गया कि वे अपने अपने अनुदानों के लिए स्थायी आधार का आग्रह कर सक। चौलुम्या परमारा चार मानों गाहड़वाला चारदलों तथा उडीसा के राजवाला के राज्यों में स्थिति इससे मिन थी।

इस काल की एक विशेषता यह भी है कि वधुलयण्ड उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान में अधिकारियों के लिए राजस्व के कुछ हिस्ते अलग कर दिय जाते थे। मुस्लिम गासन काल में भी यह प्रधा जारी रही क्याकि हम देखते हैं कि गोरगाह न कुछ कर अपने कर उगाहनेवाले अधिकारिया वो वेतन देन के लिए सुरक्षित कर दिये थे। और जातिवारी बात यह है कि इस समय तक सामंती प्रधा इतनी सुप्रतिष्ठित हो गई कि अब इस सम्बूद्धता में भी स्थान दिया जाने लगा यद्यपि इन या यों की प्रवत्ति परम्परा पोषण की थी और य घमशालुना में बताई गई चार बलों में विभक्त सामाजिक यवस्था से मल न रखनेवाली विसी चीज को सहज ही स्वाक्षर करने के लिए तयार नहीं था। मानसोत्तास, लेपपद्धति तथा बला एवं स्वापत्र से सम्बन्धित कई दृतिया में सामंती श्रेणी वि यास वा वह चिन्ह प्रस्तुत दिया गया है जो हम पूर्ववर्ती दृतिया में कही नहीं मिनता। यह बल की कुछ पुस्तकों में घर्मेंतर प्रयोगना से अनुदान देन की साफ साफ सिफारिश की गई है और कठ म ग्रहीतामा के दायित्व स्पष्ट गांव म बनाय गय है। इन तमाम बातों न टिल्ली के मुलतानों द्वारा जागीर की प्रधा प्रारम्भ करने के लिए उपयुक्त बातावरण तयार कर दिया था।

परिच्छेद-६

सामन्तवादी अर्थव्यवस्था का चर्मोत्कर्ष और हास

(लगभग १०००—१२०० ई०)

तुक्कों की भारत विजय स पहल वी दा सदिया के जो भूमि अनुदानपत्र हमें उपलब्ध हैं उनके आधार पर इस काल में उत्तरी भारत में पुरोहिता मन्त्रिरा साम ना तथा राज्याधिकारिया का दिये गये ग्राम अनुदान का देनेगत विवरण विस्तार से निया जा सकता है। किन्तु यहा सक्षेप में यह दिव्यतान की चेष्टा की गई है कि असम में गुजरान और हिमालय से विद्युत पवत्तयेणी तक ग्राम-अनुदान देने की प्रथा व्यापक बन गई थी।

एसा प्रतीत हाता है कि असम में आर्थिक हृषि से स्वतंत्र और आत्मनिभर ऐसा गाव नहीं था जो किमाना एवं शिलिप्या के घल पर चलता है। इस प्रदेश में आद्याणा को अनुदान-स्वरूप मुश्यत ऐसे बड़े बड़े जगली एवं पहाड़ी क्षेत्र दिये जाते तथा जिनके बीच से नदियाँ बहा करती थीं और इसलिए आर्थिक दृष्टि से एक दूसरे से स्वतंत्र और आत्मनिभर गावा का कायम हाना असम्भव था। उदाहरण के लिए बलबम्म के ताम्रपत्र (६७५) में ४००० मापक धार्य पदा करने वोय धर्य दान किया गया है^१ और रत्नपाल (१०१० ५०) के ताम्रपत्र में २,००० भाषपक धार्य उत्पान करने लायक भूमि दान वी गई है।^२ इसी प्रकार इद्रपाल के गोहाटी ताम्रपत्र में धार्मिक अनुदान के रूप में ४००० मापक धार्य पैना करने सायक जमीन नी गई है।^३ इन तीनों उदाहरणों से भली भाति स्पष्ट हो जाता है कि बड़े-बड़े उपजाक भू क्षेत्र अब भी धार्मिक उद्देश्यों से दान किये

१ ज० ए० सौ० व० ६८, भाग १, २६१२।

२ वही, ६७, भाग १, १२०।

३ वही, ६८, भाग १, १३० १, परित्यां ६ ६।

जाते थे।

अब हम वगाल की ओर आयें, जहाँ पाला और सना कर दासत था। इस प्रदण म बहन्दडे भू धोपा की बजाय गौव ही प्रनुगा म रिये जाते थे। निचारा-धीन काल मे पाला नासको य स तीर्तीय विप्रवगाल न घाउनिक मदुसा दिन मे किसी स्थान पर आधा गौव एवं शाहाण का दान म दिया।^१ इस प्रकार मदनपाल (११४०-५५) न उत्तर वगाल म चम्पाहिटि के विसी शाहाण का एक गौव दिया।^२ पाला क अधोनश्य छोटे छोटे राजाओं न भी इस तरह क अनुदान दिये। इश्वरथोप ने जो शायर तीर्तीय विप्रवगाल का सामन्त था उसी वगाल म चादवार के विसी शाहाण का एक गौव दिया।^३ एक शायर पाला साम्राज्य भोजवंश ने पूर्वी वगाल म ११वी नदी क धान म अपवा २२वा सनी क प्रारम्भ म किसी समय मध्यदण के एक पुराहित का एक भू धान प्रनुग्नन स्वरूप दिया।^४

चारा न भी, जो वदाचित पूर्वी वगाल म पाला के गामत थ, कई प्रनुग्नन दिय। थीचाड़ ने एक अनुदानपत्र म धार्मिक प्रयोजनों से कई भू धान दान दिय। य सब पुण्ड्रवदनभूषित के पाल गौवा म विवर हुए थ।^५ थीचाड़ इस भूषित म एक ही स्थान पर कोई वदा क्षेत्र नायर इसलिए दान नहा कर पाया कि वहाँ गृह शारा मे ही जमीन की बहुत कमी हा चला थी। उसक पौत्र ताडहचाड़ ने ११ पाठ्व और कई द्रोण भूमि क साथ नी गौव मी लाल्हगापव देवता को अनुदान म दिय, और फिर तरहथा "ताड़ी" म वीरधरदेव ने इस देवता का शायद सिलहृष्ट जिले म, कि ही दो स्पाना म १७ पाठ्व भूमि दी।^६ वगाल मे ऐन शासक भी धार्मिक प्रयोजनों से ग्रामदान करते रहे। अतर वेवन इनना था कि कभी-कभी नक्द अवयवा जिसा के रूप म गौव की वादिक उपज का भी उन्नल्लख कर दिया जाता था। एक अनुदानपत्र म लक्ष्मणसत्र ने उत्तर वगाल म एक गौव दान दिया और साथ ही चार गौवा म जमीन के बुछ

१ ए० इ० २६ न० ७ पक्षियाँ २४ ४२।

२ ज० १० स० ० व०, ६६ भाग १,६६ स भागे पक्षियाँ २७ ४६।

३ इ० व०, ३, न० १६ पक्षियाँ २१-२६।

४ वही पृष्ठ २३ २४, पक्षियाँ २४ ५१।

५ वही पृष्ठ १६५ ६।

६ वीरधरदेव का मनामती ताम्रपत्र। यह पहले ढा० १० एवं ० दानी के पास था, किंतु अब पारिस्तान के पुरानन्व सर्वेशण विभाग के कब्जे म है।

टुकड़ मी।^१ विश्वरूपसेन के "गासन बाल में ६ गाँवा म विख्यारे ११ भूखण्ड, जिनके कुल क्षत्रफल का योग ३३६^२ च मान या और जिनसे सालाना ५०० पुराण की आमदनी होती थी, आह्याणा का दान दिय गये।^३ ११वी और १२वी सदिया के भूमि अनुदान को दखने से एमा लगता है कि बगाल मे भूमि अनुदान मुम्ह्यत उसी क्षेत्र तक सीमित था जिसे आज पूर्वी बगाल कहा जाता है। मगर वहाँ शायद जमीन की कमी के कारण बड़े पैमाने पर अनुदान दना मुश्किल था।

बिहार म पुरोहित और मंदिरा का पहने की ही तरह गूब ग्राम अनुदान मिलत रहे यद्यपि अभी तक मिथिला के कणाटा का कोई ताङ्गपत्र प्राप्त नहीं हो पाया है। पिर मी सग्रामगुप्त नामक शासक ने १२वी अथवा १३वी शताब्दी म दीण मुगर म एक गाँव अनुदान म दिया। १३वी सदी के प्रारम्भ म जपसा वे खयरवाल गासक ने पलामू म कुछ गाव दार दिय और साथ ही ब्राह्मणों को यह चेतावनी भी दी कि काइ भी ब्राह्मण जाभी अनुदान पत्रों के बल पर किसी गाँव का उपभोग न करे।^४ कुछ समय तक बिहार का पश्चिमी क्षेत्र खयरवाला वे प्रभु गाहडवाला के हाथों मे भी रहा था और तभी एक गाहडवाल गासक ने १९३६ म भनर म एक ब्राह्मण का दान म एक गाँव दिया था।^५

गाहडवालों ने अपन प्रभुत्व के केंद्र उत्तर प्रदेश म सबसे अधिक अनुदान दिय। जैसा कि हम पहल देख चुके हैं एक ही ब्राह्मण परिवार को राज्य के कुल साठ पत्तलाओं मे स अटठारह पत्तलाओं मे मुम्ह्यत सासारिक सेवाओं के पुरस्कार स्वरूप अटठारह गाव अनुदान मे दिये गये।^६ उसी प्रकार एक क्षत्रिय राजत को छ जागीरे दी गयी और एक अय राजन को तीन गाव।^७

^१ ए० इ० २६, न० १, पृष्ठ ५७६।

^२ इ० व० ३, न० १५, पवित्र्यां ४२ ६८।

^३ हाल म इम तरह वा एक जाली अनुदानपत्र प्राप्त हुआ है, जो थो एस० बी० साहिनी, आई० सी० एस०, के पास सुरक्षित है।

^४ ज० वि० श्र० रि० सा० २ ४४३ ८४, पवित्र्यां ८ १६।

^५ काल निधारण रमा निधारो-कृत हिस्ट्र, ऑफ द चन्दल डानेन्सी, परिगण्ठ 'बी' न० १० १३ १५ १६ २१ २३, २६, ३७ ५०, ५२ ८६, ८८ क आधार पर किया गया है।

^६ उपर्युक्त पुस्तक पृष्ठ १७३ ४।

धर्मेतर अनुशासा के अनिरिक्त गाहृवाल राजामा ने बहुत से धार्मिक अनुशासन भी किये। इस तरह के मध्यम धर्मिक अनुशासन चाहौड़े ने किये। १०६३ में तो उसने ५०० व्याघ्रणा वा एक पूरी पत्तना दे डाली।^१ पत्तना का धोष पितना बड़ा था, इसका तो हम कोई दीर्घ भावाजा नहीं है, सिंह नाम आयद वर्म से कम १०० गोव तो हात ही था। ११०० म इसी ५०० व्याघ्रणा को उसने ३२ और गोव किये। जब उग्रन् १०६३ म पूरी पत्तला प्रशासन थी थी उस समय दो गोव अपने पास ही रख लिये थे। अब जो ३२ गोव दान किये गए उनमें दो तो यही गोव व प्रौढ़ गोप ३० एक आय पत्तला म पठत थे। पूरी पत्तला दान करने का उद्देश्य बगा हो सकता था यह दनना की अवस्थिति से कुछ पता चलना है। यह बठहली पत्तला बनारस में निवट पहरी थी और इसके कोन और गोमती भागीरथी तथा बरणा य तान नदियों पहना थी।^२ वास्तव म यह धोष गाहृवाला की सत्ता व दो प्रमुख बेन्द्रों म से एक था, दूसरा बेन्द्र कनोज था। इसलिए उसी मानना संभोजीन नहीं जान पड़ता कि यह धोष ५०० व्याघ्रणा को इसलिए दान किया गया कि व उहाँ वस और उमे आवाज करें, वयोऽसि आवाद तो वह पहन स ही रहा होय। यह अनुशासन आयद पुरोहिता को सन्तुष्ट करने की नीति का परिणाम था वयाकि गाहृवालों के अपीन उनर प्रेषा की समाज-व्यवस्था म पुरोहिता का स्थान बगा मृत्युपूर्ण था। जो भी हा डतना तो स्पष्ट है कि ५०० व्याघ्रणा का १३० गोव दान म किये गये। आय भी पुरोहिता और व्याघ्रणा का प्राप्त समूह तत बरना जारी रहा। गोव दच्छ न कुछ ग्रहातामा को इ गोव दिये^३ और जयच्छ द ने भी।^४ इसके अनिरिक्त गाहृवाल परिवार के राज बुमारा अवज्ञा राजिया ने भी राजा की अनुमति से दो या तीन गोव दान किय।^५ उपलाघ अमाणा से प्रवर्ट होता है कि गाहृवाल राजामा ने सामाजिक प्रयाजना की ग्रामीण धार्मिक प्रयाजना से बहुत अधिक गोव दान किय। विन्तु हमार अध्ययन की दृष्टि से ज्यान महवन्मूण तथ्य यह है कि यद्यपि गाहृवाला के राज्य म पूरा धार्मिक उत्तर प्रदेश भी शामिल नहा था और दृष्टि में

^१ ए० इ० १८, न० १२।

^२ रभा नियोगी, स० प्र० पु०, पृ० १०७।

^३ ए० इ०, ११ न० ३ पक्ति १२।

^४ ए० ए० १८, पृ० १३१ पक्ति २०।

^५ पी० नियोगी दि इन्होंमिस द्वितीय ऑफ नॉर्डर्न इंडिया पृ० ५१२।

उसकी सीमा गायद यमुना में आग भी नहीं पहुँचती थी, किर भी उस राज्य का एक पूरी पश्चाला, जिसमें वर्ष-से वर्ष १०० ग्राव रह हगि, तथा ११० अन्य गाव^१ गहस्य एवं धार्मिक ग्रहीतामा के हाथा में थे। ये अनुदानभागी के द्वीप सत्ता को विसी प्रकार का वर नहीं देते थे और प्रजा तथा राजा के बीच महत्वपूर्ण वग वा काम करते थे।

अब हम गाहडवाना के पड़ोसी राजवा चाइना को लें। चाइना का राज्य यमुना से दक्षिण बुद्धलखण्ड में था। यहाँ भी स्थिति गाहडवालों के राज्य से बहुत भिन्न नहीं थी। बुद्धलखण्ड में अधिकार अनुदाना में एक गाँव ही दान किया गया, और चाइन राजाओं ने गहस्य तथा धार्मिक ग्रहीतामा को अनग ग्रलग बुल मिलाकर १५ गाव दिये।^२ बबल इही अनुदानों के आधार पर विचार दरने से प्रतीत होगा कि मुम्यत सैनिक सवामी के पुरस्कार-स्वरूप अनुदान पानेवाले ग्रहीता भी उतन ही महत्वपूर्ण थे जितन कि धार्मिक ग्रहीता। लेकिन ऐसा निष्पत्त तभी निकाला जा सकता है जब परमदिन के एक अभिलेख को छोड़ दिया जाय। उमके ११६७ के समरा ताम्रपत्रा में ३०६ ब्राह्मणा को चार विषया में विवरे कई गाव दान किये गये हैं।^३ इन ताम्रपत्रों में केवल ११ स्थानों के ही नाम दिये गये हैं इसलिए ऐसा लगता स्वाभाविक ही है कि बबल इतन ही गाव दान किये गये। लेकिन अगर हम इन नामों पर ध्यान से विचार करें तो देखेंग कि इनमें से कुछ से ग्राम समूहों का बोध होता है। इस प्रकार पीलिगिनी पचेल इटाव पचेल और इसरहार पचेल तीन अलग ग्रलग गाँव नहीं, बर्कि पाच पाँच गाँवों के तीन समूह हैं। इसी तरह खटोड़-द्वार्गक और टाण्टद्वार्गक से बारह गारह गावों के दो समूहों का बोध होता है और हागाट्यादाक एक नहीं बल्कि अन्ठारह गावों का सूचक है। दोप पाच नामों से एक गाँव का बोध होता है। इस प्रकार परमन्त्रिन के दस अभिलेख में ६२ गाव दान किये गये। यह देखत हुए कि ग्रहीतामा की महस्या ३०६ थी अनुदान गाँवों की यह सम्या अधिक नहीं मानी जानी चाहिए। लेकिन इस अनुदान में

^१ रमा नियागी की स० प्र० पु० के परिशिष्ट 'बी' के वग ए, खण्ड २ में दिये गये भूमिदानपत्रा के आधार पर अनुमानित।

^२ एस० के० मित्र हृत दि अला स्नास श्रौष सुन्दरौ, परिशिष्ट १ के आवार पर अनुमानित। लेकिन इनमें से १५वाँ गाव श्रलाक्ष्यवमन के टिहरी फूलवा के आधार पर जोड़ा गया है।

^३ ए० इ ४, न० २०।

मरुपुर पहर पोरा। योइ तथा पहर गे मंडुरा ४ का जबीा शामिल नहीं हो गयो है। इसके बाहरमें एक गल्लरा का तुर्फ़ भी है जिसके लिए इसका क्षमिता का विवाह आवश्यक नहीं है। यह गल्लरा पुरातात्त्व तथा धार्य साको का जबीा का प्रोट भी बद्रा गे २३८ तक के अवलम्बित है। इसके अध्ययन की दृष्टि से जो तथा प्रधिक प्रदृश्यकृग ? वह यह है कि इसमें तथा धार्य अभिनवता या भाव मरुपुरात्त्व का उपरांग है। ऐसे अप्रहार शामिल तथा धार्यानिक प्रधानात्त्व गे मरुपुरा में एक गोड़ भी जरूर से उगटावर प्राप्तिकृत सोने धार्य धार्या में जारी बगत था। यह इस एक गोड़ का विवाह न बरेते तथा भी यह एक द्वारा आज इस एक गोड़ की गरदा मह भग ८० तक पूर्ण जाता है। मुख्यमान वा कृतिव्याप्त भूमि के १२८८ (८००० बगमास) का ध्यान में रखा। इस पर्वत का ठोका गम्भीर है।

गुजरात के खोलुआया ने भी यहूतना प्राप्तुरान १८। पुरातात्त्व तथा बन और हिंदू महारों शामिल प्रधानात्त्व का ताम्राचा द्वारा जो यहूतना दिय गय उनमें से अधिकांग में एक गोड़ वा हा दाढ़ शामिल है यद्यपि कुल मिलावर एक गोड़ की सरणा दक्षता भर गे बग नहीं है।^१ सरिन प्रथ अचितामणि में जो एक अध इतिहासिक शाहिन्धर शृणि है यहाया गया है कि वालावदन में सिद्धराज न प्राप्तिकृत था। खोलुआया न यहूतना महार बनवाय जिनमें से अनेक का लक्षण के लिए प्राप्त मरुपुरान दिय गय हाँ। कुमार पाल न १४४० जन महार बनवाय—“गाय” प्रत्यक्ष गोड़ में एक एक।^२ हमें यह जानकारी तो नहीं है कि इन महारों के निर्वाह के लिए स्थित गोड़ किये गए लेकिन मुसलमान इतिहासावार न सोमनाथ महादेव का अधीनस्थ गोड़ की जो सरूपा बताई है उसे देखरर प्राप्तवय होता है। यहाया गया है कि १०,००० एस गोड़ जिनमें भली भाँति खती बाढ़ी होती थी, इस महादेव के प्रत्यक्ष नियन्त्रण में थे।^३ यह सरूपा भले ही अतिरजित हा लक्षित इस वर्षन की सचाई में से देह बरने का कारण नहीं दियाई देता कि ‘हिंदुस्तान के विभिन्न

^१ इ० ए०, ६ पृष्ठ १६१ १६३, १६६, १८, पृष्ठ १०८, ११ पृष्ठ २३७ शामिल।

^२ ए० व० मजुमदार चौलुक्याल भौंग गुजरात, पृष्ठ ३१८ ६। सिद्धराज ने सिंहपुर अप्रहार में अनेक गोड़ दान किये। वही, पृष्ठ २११।

^३ इनियट व दावसन ४ १८।

राजाओं ने इस कुल मिलाकर दो हजार गाव दान किये। जो भी हा इनना तो निश्चिन ही है कि अब किसी भी धार्मिक सत्याक अधीन इन अधिकारों नहीं थे। यहाँ तक कि नालदा के पास भी बेवल २०० गाव ही थे।

ऐसा लगता है कि चौतुर्भुप्रयोग ने त्रिस उदारता से धार्मिक प्रहीताभ्रा का ग्राम अनुनान किया, उसी उदारता से सामना और राज्याधिकारियों को भी दिये। शायद १२६ गावों की एक इवाई राज परिवार के सदस्य के रूप में राजा के उपभोगाथ भी दिया गया था।^३ सामना तथा राज्याधिकारियों को जापीश के रूप में बने-बढ़े क्षेत्र दिये गये। १२०६ में तो एक उच्च अधिकारी थे, जिस भीमदेव ने जागीर के रूप में शायद मारा सोराप्त मण्डल दिया था एक मध्यूषण पत्तला दान किये जाने का भी उल्लेख मिलता है।^४ प्रवृथ चित्तामणि में जात होता है कि कुमारपाल न अलिङ नामक एक कुम्भशार को चिनकूट नाम की पटिका अनुनार में दे दी, जिसमें ७०० गाव गामिल थे।^५ सम्भव है कि यह सत्या अतिरजित हो। इसी प्रकार रासमाला में वर्णित यह अनुश्रुति भी अतिरजित हो सकती है कि मूलराज न बहुत सारे श्रीर्णीच्छ द्वाहृणा को गुजरात बुलाकर उह अनुक गाव दान में दिये। अभी तक इसकी पुष्टि किसी अभिनेत्र से नहीं हो सकी है।^६ लेकिन यह अनुश्रुति कि मूलराज न द्वाहृणा को सिहपुर का मुदार और समद्ध नगर दान में दिया और साथ ही सिदपुर और सिहार के निकट बहुत-से द्वाहृणा का अनेक छोट छाट गाव भी किये।^७ गवया अविद्वनीय नभी मानो जा सकती। द्वाहृण लोग मुख्यत बनोज और उज्ज्वन से गुजरात में बुलाय गये थे और गुजरात आकर वे मठा वे सम्यापक या प्रधान बन गये।^८ गुजरात में द्वाहृण की श्रेष्ठा मंदिरा को अधिक गोव किय गय और वहाँ द्वाहृण इन मंदिरों के पुरोहित अथवा यासी

^१ ए० इ०, २ न० ३६, पक्षितया ३ ५। यहाँ प्रयुक्त स्वभुज्यमान 'आद' का अथ प्रत्यय स्व से राजा द्वारा भुक्त क्षेत्र हो सकता है।

^२ इ० ए० १८ ११३ पक्षितया १६ २३।

^३ भरतु गावाय दृत प्रद वचनामर्ण स० जिन विजय मुनि, पृष्ठ ८०।

^४ एव० दी० संक्षिप्ता 'प्रार्थियोलोंग' ऑफ गुजरात पृष्ठ २०८।

^५ फाल्म, रासमाला पृष्ठ ६४ ८ लद्भी गवर व्यास दृत चौलुक्य कुमारपाल (हिंगे वृत्ति), पृष्ठ १७७ पर उद्धत।

^६ संक्षिप्ता, म० प्र० पु० पृष्ठ २०६।

बन गय।^१ भूमि अनुदाना के ये सारे पुरालखीय तथा साहित्यिक प्रमाण इस बात की साक्षी भरत हैं कि गुजरात के चौनुक्या व अग्नि धार्मिक और विशेष वर गहस्य यहीनाया के हाथा में बहुत बड़ा क्षेत्र था।

इस काल में वधुलवण्ड में अनुदत्त क्षेत्र का भी एक भोग अनुदाना हम ले सकते हैं। यह थोर १०वी से १३वीं सभी तर बलचुरि राजवंश की विभिन्न "गादाप्रा" के शासन में था। यहाँ गाव मुरवत ग्राहणा को ही दान किय गय तिनके महियोग और गमवन से कलचुरि गामवंश पिउडे इनका पर अपना नियन्त्रण रख सकत था। अधिकांश अनुदाना में एक एक गाव ही दान किया गया।^२ उत्तरारहण के लिए कण (१०४१ ओ) ने वशाली के एक ग्रहीता को एक गाव दान किया।^३ लेकिन एक अनुदानपत्र से नात होता है कि राजा और राजमहिलाएँ के सरस्या ने "गाय" उस नगर के विट्ठु महिला सम्बद्ध ग्राहणा को ५ गाव दिये।^४ द्वितीय युवराजदब के एक अभिनेता में पता चलता है कि उसकी प्रिय री नोहाता ने किसी शब सात को २ और शिव महादेर को ७ गाव अनुदान में दिया।^५ उसने एक अर्घ अनुदान में "गायद २३ और २३ नहों ता वम से रम १६ गाव ता दिय ही।" कलचुरिया की गारवपुर की भरपूर शाक्ता न मी भूमि अनुदान दिय। सोडदेव (११३५) हारा १८ ग्राहणा को दिये एक अनुदान से नात होता है कि दान किया गया २० नातु धप छ गावो म विख्याहुआ था।^६ अपुरी तथा रत्नपुर के कलचुरिया और उनके सामर्त्या के अनुदान पत्र से नात होता है कि उहाने धार्मिक प्रयोजना से कुल मित्राकर ६५ गाव अनुदान में दिये। यह भूमि उड़ी बड़ी नहीं है जितनी बड़ा सन्ध्या में च देला ने शाम दान दिये। लेकिन यदि हम एक अभि-

१ वही।

२ का० ३० ३०, ४ न० ६३, पक्तियाँ १६ २५ इताक २६ ३०।

३ वही न० २४८ पक्तियाँ ३२ ४१।

४ वही न० ४२ "लोक ३० ८२।

५ वही न० ८५ इताक ४३ ४५।

६ वही न० ८६ इताक ३६ ४२।

७ वही न० ७४ "ताक ३० पक्तियाँ ३२ ५६। हाल में एक विद्वान ने यह मन प्रवट किया है कि इस अभिलक्ष में उत्तिवित छ स्थान नामा को एक ही गाव के पुष्ट माना जा सकता है (पी० नियागी स० प्र० पु० पू० १६) लेकिन लाता है अमल में तात्पर छ गावा स ही है।

लेख में अनियंत्रित एक अनुश्रुति का विश्वाम कर तो मानना होगा कि त्रिपुरी राज्य का एह बहुत बड़ा हिस्सा निमी मठ को अनुदान में दे दिया गया। इस अभिलेख के अनुसार गालबी मठ के प्रधान सदभाव रामु का कलचुरी राजा प्रथम युवराज से तीन लाख गाँवों का अनुग्रह प्राप्त हुआ। अनुश्रुति के अनुसार प्रथम युवराज के राज्य के द्वारा प्रत्येक डाट्स में नौ लाख गाँव आमिल थे।^१ इस प्रकार उसने अपने कुल राजस्व का एक-तिहाई उक्त मठ को अनुदान में दे दिया। म्यट्टर यह अनुश्रुति अभरण सत्य नहीं ही थी वयाकि उसके राज्य में नौ लाख गाँव कहा सआ सकत थे? परन्तु इसमें काइ सादे^२ नहीं कि कलचुरि राजाओं ने मठों को मुक्तहस्त हो कर दाता दिये।^३ इनके दान दातिष्ठ्य का लाभ विनेपकर शब्द मठों को प्राप्त होगा और जिस प्रकार हृषि तथा पाल राजाओं के आसन-काल में बौद्ध मठ एक महत्वपूर्ण भूमिधर मध्यवर्ती वग बन गय थे, उसी प्रकार कलचुरियों के राज्य में गव मठों का उत्थय हुआ।

मध्य भारत का पश्चिमी हिस्सा मालवा ११वीं और १२वीं सदिया में परमारों के अधीन था। यहां हम कुछ अलग ढंग की तसवीर दखन का मिलती है। पहां राज परिवार के लागा साम ता तथा राज्याविकारिया के हाथों में नायद ज्यादा जमीन थी और कुन मिलाकर एमा जान पत्ता है कि अनुदान भूमि के एक बहुत बड़े हिस्से की व्यवस्था पुराहिना तथा महिरा के वजाय इन लागों के हाथों में थी। परमार राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में एक साम्राज्य के हाथों में शायद १५०० गाँव थे जो उस राज्य की सदाचार के पुरस्कार स्वरूप प्राप्त हुए थे। मालवा तथा उक्त आसपास के क्षेत्रों के इस तरह अनेक जागीरों में वैट जाने का मुख्य कारण शायद यह था कि वहां का शामिल परिवार सारी सम्पत्ति अपने सदस्यों के बीच बराबर बराबर बाट लेन की परम्परा में विश्वापन रखता था। उहांने इस राजवाली की अन्तर्गत अलग लगभग आधा दक्षन शाखाओं की स्थापना की थी। परमार राज्य का अधिकारा हिस्सा नायद जागीरा में बैटा हुआ था। धार्मिक प्रयोजनों से दान किये गाँवों की सहाया बहुत बहुत जान पत्ती है, और इस तरह के जा अनुनान दिय गय उनमें मुख्यतः एक एक गाँव ही आमिल था।^४ इनके अलावा धार्मिक उद्देश्यों से जमीन के छाट छाट टुकड़े

^१ मिराजी वा० इ० ३०, ४ प्रारम्भिक पृष्ठ १५८।

^२ वही

^३ ए० इ०, १ न० ३६ अनुदान ए इ० ए०, ६, पृष्ठ ५२ ३ पक्षिनया ७ २४, ए० इ० ८ न० २१, पृष्ठ २०६ ६ न० १३ वी।

मी दाता दिय जाए थे ?^१

राज परिवार के सम्बन्धों के बोल गीरा के बाई दिय जाए वे अधिक उत्तरण गाहुमाता भवित्वा में थिए हैं। गाहुमाता राज्य का जात्याका राजस्थान में पड़ा था, उगम तो ऐसे गीरा की सम्बन्धों के बाई पड़ा है जिसके स्वामी महिला और शाल्पा थे। गाहुमाता निवास है विष्णु विलासी गीरा राज परिवार के कुटुम्बिया घर्या गाहुमाता गोपा राजशाही राजिया के हाथों में थे उनके महिला और शाल्पा के हाथों में थे। वर्तन का जन्मरत्न राज दिव राज परिवार के उत्तरण कुटुम्बा घर्या गाहुमाता गोपा राजशाही राजिया घर्या भी आमिर प्रदानों से या इस घर्या गाहुमाता दिया जाने दिया जाए था।

१०वीं सदी के उत्तराधि में और ११वीं सदी में सम्बन्धों के पटाई राज्य में भी धार्मिक उद्देश्यों में भूमि गाहुमाता दिय गये और कभी-कभी ये ग्रन्तुरान अप्रहारा के स्थान में भी दिय गये।^२ सर्वित यहाँ याम ग्रन्तुरान दिय जाने का वाई प्रमाण नहीं मिलता। "गाय" गीरा के सामय जमीन का कमा का बारा जमीन के छोर छोट टुकड़ ही ग्रन्तुरान में दिय जाने थे। गहराया को भी धार्मिक ग्रन्तुरान दिय जाने थे^३ यद्यपि इस बात का वाई योग गाहुमाता गोपा भाष्ठिया है विष्णुविलासी प्राचार के गोपालों में हाथों में उपहारा या जागीरा के रूप में कुल मिनारर मिलती जमीन थी।

द्विंदी से लेकर १०वीं सदी तक जब उत्तर भारत में पाला और प्रतीहारा का सामन था इस थोड़े में दिय गये ग्राम ग्रन्तुरानों के जिनके अभिनव मिलते हैं उनसे बहुत अधिक दिल्ली सल्तनत की स्थापना से पहले की तीन सदियों में मिलते हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य भारत में प्रतीहारा के समय में इनके अधिक गोंद ग्रन्तुरान में कभी नहीं दिय गये थे। बास्तव में ११वा और १२वा सदीयों में भूमि ग्रन्तुरान देने का चलन उत्तर भारत में सबसे फल गया। यालवा गुजरात और राजस्थान के अभिलेखों से ऐसा जान पड़ता है कि इन थोड़ा भी जमीन का अधिकार हिस्सा जागीरों के रूप में राज परिवार के कुटुम्बिया

१ ए० इ० ११, न० १८, पवित्री ७ १८।

२ ए कापर प्लॉ ग्राट आफ ग्रालहणस रेत वी० १२०५ ' दशरथ शर्मा अला चौहान डॉ. नेस्टोन पृष्ठ १८१ २, पवित्री १३ १४।

३ आ० स० इ० १६०२ ३, पृष्ठ २५२ ३, पवित्री ११ २५ पृष्ठ २६० १, पवित्री १५ ३२।

४ वहाँ।

सामन्ता तथा राज्याधिकारिया के हाथा म ही था, और ऐसा लगता है कि इन देशों म इन गृहस्थ प्रहीतामा को पुरोहिता तथा मन्दिरा का अपेक्षा अधिक प्राप्त अनुदान दिय गये। लेकिन उत्तर प्रदेश और मध्य भारत म पुरोहितों वे हाथा म गृहस्थ प्रहीतामा वी प्रपाता अधिक भूमि थी। विहार, बगाल और अमन मे इस विषय म तथ्या और पाँकड़ा का बड़ा अभाव है। इसलिए जो घोड़ी-सा जानवारी हम मिलती है, उसके आधार पर कोई सामाजिक निष्कर्ष निकालना निरापद नहीं होगा। हाँ, हम इसना अवश्य कह सकते हैं कि इन देशों मे नारदा जस मठ और विहार मुसलमान विजेतामा वे धारामन वे समय तक फूलत फूलत रह और अनकानक गाँवों का उपभोग करते रहे।

धार्मिक अनुदाना अथवा धर्मेतर जागीरा के रूप म भौगिया के हाथा मे जा गाँव थे उनकी सरपा और अनुपात के विषय म कुछ कह सकना असम्भव है। एमा कोई प्रायवन अमी तक यूरोप के सम्बाध मे भी नहीं हुआ है, यद्यपि यूरोपीय देशों म इस विषय मे वासी सादृश प्रमाण उपलब्ध हैं। उत्तर भारत म यदि हम अभिलेखा म उल्लिखित सभी अनुदत्त गाँवों का योग निकाल भी लें तो कुल गाँवों की तुलना म अनुपात बहु था, यह कहता असम्भव होगा क्योंकि हम कुन गाँवों की साधा मालूम नहीं है। मिर भी, इस काल के भूमि अनुदानपत्र इस बात के निविवाद प्रमाण हैं कि धार्मिक तथा धर्मेतर अनुदान के रूप मे गाव इन का चलन बहुत व्यापक हो चला था, और इस काय के निमिन उत्तर भारत के राज्य महासाधिविप्रहित, महाधपटलिक और धमलखी जस कई तरह के अधिकारी विदेश रूप से रखने थे। इस सब का मतलब यह था कि विभिन्न स्तरों के भूमिधर मध्यवर्ती लोगों की सत्या काफी बढ़ गयी थी—जो इस बाल की अथव्यवस्था की विदेशता थी।

पाला तथा प्रतीहारो के राज्यो म सामाजिकतया अनुदत्त गाँवों की सीमाएं स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं वी जाती थी।^१ इससे एक और जहाँ अनुदान-भागिया को अपने अपने निजी देशों की सीमा म बद्ध करने वी सुविधा प्राप्त हुइ वहाँ दूसरी और इसका एक लाभ यह हुआ कि इष्टि योग्य भूमि के क्षेत्र मे विस्तार हुआ क्योंकि सीमा निर्धारित न होने के कारण अनुदानभोगी अनुदत्त गाँवों के आसपास के जगता और परती जमीन को कोड-कमाकर खेती के लायक बनवा लेते थे। जहाँ तक पूर्वी विहार और बगाल का सम्बाध है, ऐसा

^१ लेकिन कतिपय पाल और राष्ट्रकूट अनुदानपत्रो म अनुदत्त गाँवों के परिवेश का उल्लेख बरब सीमा का स्पष्ट निधारण कर दिया गया है।

जात पहला है वि ११वीं और १२वीं सतीया मध्यम गढ़ीगाल (५८८-१०३८) ^१ तीव्र विप्रहाल ^२ और मन्दिर (११४०-५०) ^३ के शामन-रान म अनुदत्त गई। वी सीमा अनिपारित होड़ दन का घसन बायम रहा। इन राजाओं के अनुदानपत्रों में जो गोद दान दिय गये हैं वाकी सीमापा मृत्यु में सिंह खारा खार की गोवर भूमि और भाट जगना था हा उनका दिया गया है। ^४ सीमा न तिथारित करने के बला का अनुसारण पूर्वी बगाड़ म यमना ^५ और पाल राजाओं का कुछ सामता ^६ भी दिया। बाट भाग घसार भी गया के पास पीठी के सन राजाओं ^७ और सद्गमगुप्त न जा १२वीं सनी के अन्तिम वर्षों में अथवा १३वीं सनी के प्रारम्भ में दिया मुगेरमें आसन करता था ^८ इस घनन का बायम रखा। यद्यपि सद्गमगुप्त का अनुदानपत्र में चनु सीमाविछिन ^९ का प्रयोग हुआ है लेकिन वास्तव में सीमा तिथारित नहीं भी गयी है।

लेकिन सन राजा जिहीन १२वीं सदी में और १३वीं सनी के प्रारम्भ में पूर्वी बगाल में धीरे धीरे वमना के प्रभुत्व को समाप्त कर दिया और पाल राज्य के एक बहुत बड़े हिस्से पर वाजा कर लिया अनुदत्त गई। और जमीन के टुकड़ों की सीमाएँ बराबर तिथारित कर दिया करते दे। ^{१०} चद्रा न भी, जो पूर्वी बगाल में आयद सेना के समकानीन आसक ^{११} इस चलन का अनुगरण दिया। लाङ्हचद्र के मनामती ताङ्गपत्रों में अनुदत्त गावा की सीमाएँ साफ़

^१ ८० ई० २६ न० १, 'बी' पवित्र ४१। लेकिन वेलवा तामपत्र के नाम से जात यह अनुदानपत्र ६६२ ई० के आस पास जारी किया गया।

^२ वही, न० ७ पवित्र ३२।

^३ ज० ए० सौ० व० ६६, भाग १ ६६ से याग पवित्र ३६।

^४ वही-वही यति शाद के बदले 'पूति' का प्रयोग हुआ है।

^५ ई० व०, ३ पृष्ठ २३ ४ पवित्रया ३७ ४१।

^६ ज० वि�० ओ० रि० सौ०, ४ २८०, इलाक २ ३।

^७ वही पृष्ठ १५६ ७ पवित्रया २१ ३२।

^८ वही, ५ ५६३ ४, पवित्र १०।

^९ वही।

^{१०} ई० व० ३, पृष्ठ ७८, पवित्रया ३७ ५४, पृष्ठ ११४ १५, पवित्रया ३८-४१, पृष्ठ १२६ ३१ पवित्रया ४६ ५०।

साफ बता दी गयी है।^१ वाद में चलकर इस प्रकार अनुदत्त धेत्रा की सीमाएँ, धर्मफल तथा आप व निधारित इये जान से ऐसा प्रभीन होता है कि अनुदाना के परिणामस्वरूप उत्तरोत्तर अधिकाविद् जमीन के खती लायक बनाय जाने की मम्मादना अब समाप्त हा गयी थी। इस काल में अमम पर यह बात लागू नहीं हा सत्ती थी, यद्यपि यहू^२ के अभिलेखों में अनुदत्त जमीन व टुकड़ा की सीमाएँ और उनसे होनेवाली उपज स्पष्ट शादा में बता दी गयी है।^३ असम में सीमा निधारित करने का कारण शायद यह था कि वहाँ गांवों की बजाय जमीन के टुकड़े ही दान इय जाने थे। परंतु आमतौर पर ऐसा लगता है कि अनुदत्त धेत्रा की सीमाएँ निधारित हाने के कारण अनुदानभागी अब अपना धेत्र विस्तार नहीं कर पात होग।

पूर्वी बगाल व विपरीत, उत्तर प्रदेश में गाहड़वाला तथा उनके सामृता द्वारा अनुदान में दिये गये गांवों की सीमाएँ आमतौर पर नहीं बनायी गयी हैं। इस सम्बद्ध में सामा यत्था 'सीमापय त ग्राम' शादावली का प्रयोग किया गया है पर सीमा क्या है इसके लिए चतुराधाटविशुद्ध^४ शब्द का व्यवहार हुआ है जिसका अर्थ है प्रतिस्पर्शी सीमाएँ। स्पष्ट है कि प्रतिस्पर्शी सीमाएँ वहने से किसी निश्चित सीमा का दाघ नहीं होता है। बास्तव में केवल एक ही गाहड़वाल अनुदानपत्र में अनुदत्त गांव की भारा सीमाएँ स्पष्ट रूप से बतायी गयी हैं। वह है गोरि दवांद्र का बसाही अनुदानपत्र।^५ गाहड़वाला ने अधिकार भूमि अनुदान विभाग के द्वारा दिये गए अनुदानपत्र के लिए सीमा न निर्धारित करने का कारण रामभ में नहा आता। शायद ऐसा मान लिया जाता होगा कि अनुदत्त धेत्र की सीमाएँ तो सबका नात हैं ही इसलिए उनका उल्लेख क्या किया जाये? लदिन अगर ऐसा मानकर ही सीमाएँ निधारित नहीं की जाती थीं, तो भी ऐसी भूमावना दिखायी देती है कि भोगी इस स्थित का लाभ अपने निजी धेत्र व विद्वार के लिए उठाने से बाज नहीं आये होगे।

^१ साम्रपत्र १ पक्षितयों ६ ११, साम्रपत्र २, पक्षितया ८ ११। य साम्रपत्र अब पाकिस्तान पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग मे सुरक्षित हैं।

^२ ज० ए० सौ० व ६६ भाग १ पष्ठ २६५३, वही, ६७ भाग १, पष्ठ १२० वही ६६, भाग १ पष्ठ १३० १।

^३ इ० ए०, १८ ११ १६, १३१, १३८, १३७, १३६, १४०, १४१, १४३।

^४ यही।

^५ इ० ए०, १८, १०३।

वधेतराण्ड के वलचुरि राय म भी अनुदत्त गाँव की सीमा नहीं बतायी जाती थी। त्रिपुरी तथा रत्नपुर के वलचुरिया और उनके साम्राज्य द्वारा जिन ६५ गाँवों के अनुदान म इयं जान के अभिवृतीय प्रमाण मिलते हैं,^१ उनमें से एक की सीमा निर्धारित नहीं की गयी है। बहुत-ना अनुदत्त गाँवों का तो वेवन उत्तर मात्र वर इया गया है और उनके सम्बन्ध में पहा काई तक्षणीत नहीं दी गयी है। विगापनर वलचुरिया के साम्राज्य द्वारा अनुदत्त गाँवों पर यह बात लागू होती है। इस सबका एक कारण समझ में आता है। वह यह है कि बाहर से^२—विदेशकर उत्तर प्रदेश से—प्राहृष्ट लोग आ आकर मध्य भारत में बसते थे। इससे सनीवाड़ी के नये नये तरीका का इस देश में चलन हुआ होगा और फलत यहीं की हृषि के विकास में मद्दद मिली होगी। लेदिन साथ ही इसका एक नतीजा यह भी हुआ होगा कि अनुदत्त गाँवों में भूमि पर किसानों का स्वामित्व स्थापित नहीं हो पाता होगा।

जो स्थिति मात्र भारत के पूर्वी हिस्से की थी, वही भालवा के पश्चिमी हिस्से की भी थी। यहाँ भी परमार राजाओं ने अनुदान पत्रों में अनुदत्त गाँवों की सीमाएँ निर्धारित नहीं की गयी हैं। एक अनुदान में यह कहा गया है कि इस गाँव का विस्तार एक दोहरा^३ है। लेदिन अत्यं अनुदान-पत्रों में इतना भी नहीं कहा गया है।^४ किर भी इनमें उस शाश्वती का प्रयोग हुआ है जो पास

१ वा० इ० इ० ४ न० ४२ इतोक ३० ४२ न० ४५ इलाक ४३ ५, न० ४६ इलोक ३५ ४२ न० ८८ पकिया ३६ ४० न० ५० पवित्र्याँ ३८ ४८ न० ५६ पवित्र २८ न० ६० इलोक २६ ३० न० ६३ पवित्र २७ न० ६५ पवित्र्याँ ११ १२, न० ६८ पवित्र्या॒ ७ १० न० ७० पवित्र १३ न० ७१ पवित्र्याँ ८ ११, न० ७३, इलोक ३३ न० ८२ पवित्र्याँ १८ २०, न० ८३ इलोक २० न० ८६ इतोक १६ न० ८८ इलोक २३, न० ८६ इलोक १६, न० ८१ इलोक १५ १६, न० ८४ इलोक १५, न० ८६ इलोक ३६ न० ८७, इलोक १३ न० ८८ इलोक ४२, न० ८८, इलोक १८ न० १०१ इलोक २६ न० १०२ इलोक १६, न० ११७ पवित्र्याँ ८ १० न० १२३, इलोक १५, का० इ० इ०, ४ ६५२।

२ मिरांगि वा० इ० ८ इ० प्रारम्भक पृष्ठ १६६।

३ इ० ए० ६ पृष्ठ ५२ ३, पवित्र्याँ ७ ७८।

४ वही १८ पृष्ठ १६० पवित्र्याँ ६ १७ प्रामिटिस ऑफ (लेनर ऑल-इंडिया) ऑफिषल कार्यरोम १ ३२५ ६।

अनुदानपत्रा तथा ऐसे ही अय दस्तावेज़ा म अवसर मिलती है। तात्पर्य 'वसी-मातृणपूति गोचरण्यत' स है। ऐमा जान पड़ता है कि मालवा मे अब भी परती जमीन को आवाद करने की गु जाइश थी, व्योकि बाहर के बहुत से स्थानों के ग्राहणों को मालवा मे बसने वे तिए निमत्रित विया गया।^३ लेकिन यह भी सम्भव है कि इनम से बहुता को परती नमीन आवाद कराने के बजाय इस उद्देश्य से बुलाया गया हो कि वे परमार राजामो वो समयन दें।

बहुत से च देल अनुदानपत्रा म भी अनुदत्त गाँव की सीमाएं निर्धारित नहीं की गयी हैं। यह बात बासकर बाहरवो सदी स पहले दिये थे अनुदाना पर लागू होती है^४ यद्यपि बाद के कुछ अनुदानपत्रों म भी एसा देखने को मिलता है।^५ च देल अनुदानपत्रों म इस सदभ म चसी नादावली का प्रयोग हुआ है जिसका प्रयोग गाहडवाल अनुदानपत्रा मे हुआ है। सीमा का मर्केट देते हुए वेस इतना कहा गया है 'चारा प्रतिश्पर्द्धी सीमामा तक करा हुआ (गाव)',। पर य सीमाएं नहीं बतलायी गयी हैं। परमदिन के एव अनुदानपत्र (११६७) म गायद ६२ या इतना भी तो बम से-कम ११ गावो के अनुदान का उल्लेख तो मिलता ही है लेकिन इनम से किसी भी गाँव की सीमाएं नहीं बताया गयी हैं।^६ मगर ११३४ मे मदनवमन् द्वारा दान किये जमीन व एक टुकडे की सीमाओं और उपज का उल्लेख हुआ है।^७ परमदिन के महीवा प्लेन (११७३) मे भी अनुदत्त भूमि की सीमाएं और खेतफल बताया गया है। इससे ऐसा जान पड़ता है कि च देल राजा यदि जमीन वे टुकडे दान करते थे तर तो वे उनकी सीमाएं निर्धारित कर देने थे, लेकिन ग्राम अनुदाना के सम्ब घ म ऐसा नहीं करते थे। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि च देल अनुदानों से अनुदानभोगिया का इस बात की काफी सुविधा मिली कि वे प्राप्त गावो के इद गिद अपने क्षत्र का विस्तार करें।

गुजरात मे, जहा चौतुवयो का शासन था स्थिति इससे बिलकुल भिन जान पड़ती है। अनुदत्त गाँव की सीमाएं अनिर्धारित छोड़ देने की रीति का पालन शायद १०वी सदी के अन्तिम चरण मे मूलराज के शासन-बाल म किया

१ ढी० सी० गागुली, टिस्टी ओफ दि परमार डानेस्टी, पृष्ठ २४०।

२ इ ए, १६, २०४, पक्तियां ६ ११, वही २०६७ पक्तिया ६ १५।

३ ए० इ १६ न० २० पक्ति ७ १४ इ० ए १६ पृष्ठ २०६ १०, पक्तिया ५७, १५१, ए० इ ३२, ११६ २०, ३१ न० ११, पक्तियां १२ १५।

४ ए० इ० ४ न० २०, पक्तियां ६ ११।

५ इ० ए०, १६, पृष्ठ २०६ १०, पक्तियां ५७।

गया।^१ प्रजपाति परं एष धार्माद् गाम ए गाय ५० शास्त्राभ्युक्तं भरत वाचम्
वा लिपा ११७५ म दाता विषय एष गोद वा सीमां तिर्यग्गिरि तती वी
गयी।^२ सेति प्रथम गोम र द्वारा शास्त्राभ्युक्तं गोद गोद और द्वितीय
भीमदेव^३ तथा उत्तर विस्तीर्णपात्रम् राज्याद्य^४ द्वारा दाता विषय जमाव
बुद्ध द्वारा वी सीमां साम गाय वापी गया है। गतिन दाम ग परिवार
भनुतान्^५ वी सी वी कहे हैं। इस प्रातः तुल मिचार एवा जात वहाँ है वि
गुणरात्रि म १२वी तथा १३वी गतिया म घनुदा गाया की सीमां तिपारित
कर दी जाती थी जो उत्तर खेत वित्तिगायिता एवा व उत्तर द्वारा ही था।
लिपि ११वी और १२वी गतिया म घाम तोर वर गग गाया वी सीमां एवा
बनाया जाती थी और इस भागिक्तिता का नाम उठारर पर्हीता साम घन
अधीनस्थ धारा का विस्तार दिया वरत थ।

११वी और १२वी गतिया मे भूमि घनुदाना स ग्रटीगामा वा जमीन और
उसकी भाग्य सप्तश्च वरन म और भी सट्टायना मिले। वित्तिग
प्रारम्भिक पाल अनुनानपाता भ घनुतान दत्त हुए रामता राज्याधिकारिया तथा
ग्राम्य समाज वी श्रोपचारिक अनुमति मांगी गयी है।^६ वित्तु परवर्ती पाल घनु
दानपत्रा म तो इस श्रोपचारिकता का सो तिलाजलि द दी गयी है। अब उनसे
अनुमति मांगन के बजाय उहु वक्ता घनुदाना वी मूचना भर द दी जाती थी।
यद्यपि पूर्वी वगाल के चान्द्रा पर ताज्जरता^७ और दीण मुगर म ग्रावन १३वी

१ इ० ए० ८ पृष्ठ १६२ व३ लेट १ पवित्री ६ ११।

२ इ० ए० ८ पृष्ठ ८३ पवित्री १८ २१।

३ प्रथम भीमदेव का भद्रेश्वर अमिलेय पवित्री ३ ५। इसकी एवं प्रति
लिपि को पढ़न का श्रेय रक्तूल आफ आरिएटन एण्ड आफिलन स्टडीज,
ल दन के डॉ० जे० डी० कारपेरि दो हैं और उहाँने ही इस प्रतिलिपि
को पढ़वार यह अभिलेख मुझको देने की कृपा की।

४ इ० ए० १८ पृष्ठ ११० पवित्री ७ १२।

५ वही पृष्ठ ११३ पवित्री २६ ४२।

६ अब मतमस्तु श^८ के स्थान पर विदितमस्तु श^९ वा प्रयोग होने लगा
या। ए० इ० २६ न० ७ पवित्री ३१, ज० ए० स०० व० ६६, भाग
१, प्रारम्भिक पृ० ६६ स आगे पवित्री ३६।

७ सार्वहच्छद्रदेव क दो मनावती ताज्जरपत्र जो पहले डा० ए० एच० दानी के
पास थे वित्तु अब पाकिस्तान पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधिकारम है।

सदी के ताम्रपत्र। मेरे पुरानी औपचारिकता का निवाह किया गया है।^१ कि तु उत्तर प्रदेश मध्यभारत और गुजरात के नपति श्रामीण लोगों की इच्छाओं को कोई महत्त्व नहीं देते थे। वे याम प्रधाना प्रमुख श्रामवासियों तथा यदानवा किसानों को अनुदान की जानकारी तो दे देते थे लेकिन उनसे विधिवत् इसके लिए अनुमति नहीं मिलत थी। इससे इम बात का कुछ सकेत मिलता है कि यार के साधना और सपदाआ पर श्रामवासियों के अधिकार क्षीण होते चल जा रहे थे।

भूमि विपर्य के अधिकार अनुदानमोगिया के नाम हस्तातरित बरत की टृटि से इस काल के अनुदानपत्रों में भी उभी पढ़ति का अनुमरण किया गया है जो पाला और प्रतीहारा न अपायी थी कि तु इनमें ग्रहीताओं को दिय गय अधिकार और रियायतों की सीमाएँ वहाँ बढ़ गयी हैं और अब गाव के प्राय सार साधन सपना पर उनको अधिकार दिया गया। गाचर भूमि उससे परे घास दातवानी जमीन शाम और मनुष्यों का पड़ जलाया भाड़ी फुरमुर, उन-प्रदेश परता जमीन खाई-बहु म पड़नगाली जमीन उपजाऊ जमीन यदा यदा बाढ़ म झूँ प जानेगाली जमीन आदि ता भागी को पूवत सौंप ही दी जाती थी, तेकिन अब इसमें कुछ और भी चीजें जुड़ गई थीं। उन्हरण के लिए पूर्वी बगान के भूमि अनुदाना म सुपारी आर नारियल के पड़ लगभग निरपवाद हृषि से ग्रहीताओं को द दिय जाने थे।^२ पहले मेरे अनुदानपत्रों म इनका उल्लेख नापद ही हुआ हो। जाहिर है कि अब पेड़ जो उहैं रोपते उगात थे उनकी नकदी आय के प्रमुख साधन बन गय हांगे। इसके अतिरिक्त अब कभी-कभी अनुदान गाव की नमक की व्यारियाँ भी ग्रहीताओं को दी जाती थीं।^३ विहार^४ उत्तर प्रदेश^५ और बघेलखण्ड^६ के कुछ अनुदानपत्रों म 'सलाहलवणकर' का प्रयोग हुआ है।

बगाल के अनुदानपत्रों म मछली मारने का अधिकार ग्रहीताओं के नाम हस्तातरित नहीं किया गया है यद्यपि तालाबों और अम्ब जलाशयों पर उनके सामान्य अधिकार की तो बात है। हो सकता है कि उस प्रदेश

^१ ज० वि० ओ० रि० सो० १ ५६३४ पक्षि ६।

^२ ड० व० ३, पृष्ठ २३८ पक्षिया ३७ ४१ पृष्ठ ११४ १५, पक्षियाँ ३६ ५१, पृष्ठ १२८ ३१ पक्षिया ५० ३।

^३ इ० व० ३ पृ० २३४ पक्षियाँ ३७ ४१।

^४ ज० वि० ओ० रि० सो० १, ५६३४ पक्षिया १० ११।

^५ ए० इ०, ८, न० ४७, पक्षियाँ ७ १६।

वे निवासियों के मत्स्यप्रभो होने वे पारण यह अधिकार प्रहीता को नहीं | दिया जाता था । किन्तु गहुद्वाल भनुपत्र म मछली मारने का राजशीय अधिकार बड़े स्पष्ट पत्रों (मत्स्यान्तर) ^१ में प्रहीतामा को सीर किया गया है । नमक की अतिरिक्तों और सोहे की वाना के हस्तानरण से तो प्रास वासियों के अधिकारों पर उनका अधिक प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता होगा अपर्याप्त ये चीजें सभी गाँवों में नहीं मिलती होंगी, किन्तु स्पष्ट है कि मत्स्यान्तर के अधिकार का हरण ग्रामीणों की जीविका पर बड़ा आधात या अपर्याप्त मछलीगाह लगभग सभी गाँवों में होने होंगे और प्रहीता को बिना कुछ किया ग्रामीणों सभी मछली नहीं मार पाते होंगे ।

चंदेन भनुदानपत्रों में हम दान किये गए और उनको उपज आदि की सबसे विभृत सूची दखने को मिलती है । अनेक प्रदार के बेहाल और घानों के अतिरिक्त इनमें केशर बनानेवाले फूल, इस रई और सण के पोषे भी प्रहीता को हस्तातरित किये गये हैं ^२ कुछ में तो हिरण्या पर्णी पटिदो और जलचरों का भी उल्लेख हुआ है । ^३ स्वामावत इसमें ग्राम वासियों से उनका शिवार करने और मछली पकड़ने का अधिकार छिन जाता होगा । इसी प्रदार, कुछ सेन भनुदानपत्रों में और प्राय सभी चंदेन भनुदानपत्रों में ^४ प्रहीतामों को अनुदत्त गाँवों में पड़नेवाले मंदिर भी दिये गये हैं । बहुत सम्भव है कि ये मंदिर गाँववाले मिल जुलकर बनवाते हों और इनका उपयोग सामुदायिक प्रयोजनों के लिए किया जाता हो लेकिन भनुदानभोगियों के नाम इनके हस्तानरण के बाद गाँववालों द्वारा इनका निर्बाध उपयोग कठिन ही हो जाता होगा । विशेष रूप से ब्राह्मण प्रहीता तो मंदिर को अपनि वान प्रसाद और सम्पत्ति को स्वायत्त बरने का तोभ सबरण नहीं ही कर पाने होंगे ।

प्रहीतामा को हस्तातरित किया जाने वाले विभिन्न प्रकार के साधनों में खनिज और भूगम सपदा भी शामिल थीं । स्पष्ट है कि इन पर राजा अपने म्बामित्व का दावा तो रखता होगा । किन्तु अपने शमला के बल पर उसके लिए इस अधिकार का उपयोग करना मुश्किल पड़ता होगा और वास्तव में इन

^१ ज० वि० ग्रा० रि० सो०, २, ६४३ ६ पक्ति १४ ।

^२ वही ।

^३ ए० इ० २० न० १४, पक्ति १७ २० ।

^४ ए० इ० १६ न० २, पक्ति २६ ।

^५ वही, पक्ति २५ (यही 'समंदिर प्रकार' शब्द समुच्चय का प्रयोग हुआ है ।)

चीजों का लाभ मुख्यतः ग्राम्य समाज ही उठाता होगा। लेकिन ग्रहीता तो खुद ही जगह पर मौजूद रहते थे, और इसलिए वे अपने अधिकारों पर गौव बाला को हाथ नहीं डालने देते होंगे। परं अनुदानों के परिणामस्वरूप गौव बाला के सामुदायिक अधिकार क्षीणतर होते चले गये। पहाड़िया, नदिया और जगला के हस्तातरण का मतलब भूमि से सम्बद्ध थत सारे साधन मपदान्ना पर अनुदानभोगियों का अवित्तगत स्वामित्व स्थापित बरं देना था। चौला के राज्य में नक्की फसलों पर कर लगाया जाता था, और परमार राज्य में गौव के साथ 'वापी कूप-ताडाग' के हस्तातरण से ऐसा प्रतीत होता है कि जनता को दी गयी सिचाई सम्बद्धी सुविधाओं से भी राज्य को आमदनी हाती होगी। सिचाई-कर तो कौटिल्य के ममय से ही चला आ रहा था। अब शायद इसका लाभ उठाने का अधिकार भी ग्रहीताओं को दे दिया जाता था। सम्भव है कि बृत्त से अनुदानपत्रों में पहाड़िया तथा नमक और लोहे की खानों के हस्तातरण का उल्लेख केवल श्रीपचारिक रूप से कर दिया जाता रहा हो, क्योंकि सभी अनुदत्त गाँवों और जमीन के टुकड़ा में पहाड़ियों और लोहे तथा नमक की खानें तो हो नहीं सकती थीं। लेकिन जहाँ ये छोड़े पायी जाती हाँगी वहाँ ग्रहीताओं के तदविधयक अधिकारों के कारण होने की पूरी सम्भावना है। इसका मतलब यह हुआ कि अब जो लोग पहाड़ियों से पत्थर काटते होंगे वह घर बनाने के लिए सामुदायिक जमीन से मिटटी लेते हाँगे उ ह अनुदानभोगियों को कुछ देना भी पड़ता होगा। इन मपदान्नों के हस्तातरण के उल्लेख का और प्रयाजन भी क्या हो सकता था?

अनुदानभोगी अपने आर्थिक अधिकारों और सुविधाओं का अतिनमण न करें इसकी देख रेख के लिए कोई भी शासक किसी प्रकार की 'यवस्था' नहीं बरता था। किसान लोग पूर्ण रूप से ग्रहीताओं की —चाहे धार्मिक वत्तिमानी हो या गृहस्थ—दया पर निभर करते थे। शायद गृहस्थ वत्तिभोगियों का अधीन उनकी अवस्था अधिक बुरी रहती होगी, क्याकि ऐसे भोक्ताओं को तो अनुदत्त गाँवों में राज्य को भी कुछ देना पड़ता था। लेकिन कुल मिलाकर उनकी स्थिति मुख्य स्वतंत्र स्वामी कृपक की न होकर, ग्रहीताओं की खातिर मेहनत मेशवरत करनेवाले कृषि दामों के ही समान थी।

जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं दानपत्र में अनुदत्त गाँवों के साधनों का जो विशाल विवरण दिया गया है उसका यह मतलब नहीं है कि ग्रहीता को केवल उस सबवें उपभोग का ही अधिकार प्राप्त होता था, बास्तव में उन पर उसका स्वामित्व भी स्थापित हो जाता था। एक विद्वान् के मतानुमार कलचुरि

अनदानपत्रों में ग्रहीताप्रा का स्वामिका का अधिकार नहीं दिया जाता था, बल्कि केवल लगान तथा भव वर महमूल वसूल करा का राजसीय रिपोर्ट दिखार ही दिया जाता था।^१ जिन अनुशासनपत्रों में केवल गोपके नामों और लगान का ही उल्लेख है उनका सम्बाध भयह यात सार्ग हो सकती है, लेकिन जिनमें गावा के तमाम साधन संपत्तियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत दिया गया है उनका सम्बाध भयह विचार ठोक नहीं जात पड़ता। परमार अनुशासनपत्रों में ग्रामीण साधन संपत्ति की अपेक्षाइत छोटी सूची मिलती है।^२ इनमें आमतौर पर केवल गाँधर भूमि और उससे परे घास फूस में भी जमीन का ही उल्लंघन हुआ है।^३ सी प्रकार चौतुर्वय अनदानपत्रों में केवल वक्ता पवित्रियों का ही उल्लंघन हुआ है।^४ सदरा छाँगी सूची चाहमान अनुशासनपत्रों में दी गया है। इनमें केवल अनुदत्त गाँवा का नाम भर लिखकर छोड़ दिया गया है।^५ इस प्रकार, राजस्तान मालवा और गुजरात में अनुदानभोगियों को भूमि विपर्यव पूरे अधिकार नहीं दिय जात थे। लेकिन हम आमतौर पर गाहड़वाड़ा अनुदानहस्ता और खास तौर पर चांदेल अनुदानपत्रों के बारे में एसा नहीं बह सकत।

फिर यह भी बहा गया है कि गाव के माधन संपदामान के हस्तातरण से ग्रामवासियों के अधिकारों को धक्का नहीं लगता था। अनुदत्त गाँवा में भी वे जलाण्या, तालावा सामुदायिक गोचर भूमि आदि का उपभाग पूरबत करते रहते थे।^६ लेकिन एक बार जब ये अधिकार ग्रहीताप्रा को दे दिय जात थे तब वे गाँविवाला^७ परम्परागत अधिकारों का सम्मान कहा तक नहीं करते होंगे, यह बहना कठिन है। जैसा कि पहां बनाया जा चुका है सरकारी शमला के यदा यदा दोरे पर आरा स इन सामुदायिक अधिकारों पर उतना प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता जागा। लेकिन अनुदान पाने के बाद ग्रहीता तो बरार अनुदत्त गाँवा में ही मौजूद रहते थे और इसलिए ये सामुदायिक अधिकार भी दिन दिन छोड़ते चले गये होंगे।

^१ माराणि का० इ० इ० ४, प्रारम्भिक पाठ १ ११।

^२ द० ए० १८ पाठ १६० पवित्र १३।

^३ वही १८ पाठ ८३ पक्ति १६।

^४ ए० इ० २, न० ८ "तावा ८८ ६ दारप्त गमा वृन्द प्रना चोरान ढारन-स्टोर पाठ १८२ पर एकापर ऐट प्राट आफ ग्राहणस रन गीपक लेत।

^५ मिराणि का० इ० इ० ८ प्रारम्भिक पाठ १७१ २।

अनुदत्त भूमि म से पुनः 'अनुदान'^१ देन को प्रबत्ति इस बाल म खबर वही। हम आयन देख चुके हैं कि राजवश के सदस्य, सामन्त और राज्याधिकारी कभी कभी राजा की अनुमति लेकर और कभी उसकी अनुमति लिय बिना ही अपनी अपनी जागीरा म स पुराहिता और मंदिरों को अनुदान दिया करते थे^२ और पर्णा-जदा तो व अपने प्रभु का अपन बनवाये मंदिरों का ग्राम अनुदान देने को भी आय कर देते थे। कभी कभी व अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा के बल पर स्थानीय 'शापारिया' को भी अपने बनवाय मिश्रा को अनुदान नेते को मजबूर कर देते थे। यह सच है कि धार्मिक अनुदानभोगी का दाता के प्रति वाई आधिक दायित्व नहीं होता था और दाता को उसम केवल गुभच्छाआ और नतिक समयन की ही अपेक्षा थी जितु इन अनुदानों के बारण भूमि भोगिया की कई थेणिया बायम हो गयी। मूल यहीता अनुदान लिए राजहस्या का आभारी था धार्मिक ग्रहीता उस मूल ग्रहीता का बृतज्ञ था, और किसान इन नामों का भुग्याए था। यह सही है कि धार्मिक मात्काओं को प्रावरभूमि पर ऐस विस्तृत अधिकार नहीं दिय जाते थे जगा कि कनचुरिया के राय में हाना था। उक्ति इसन से ही उपसामानीकरण की गुजारण खत्म नहीं हो जाती थी। जिन मठों या श्रावण समुदायों के हाथों म २२३ गाव थे वे उनकी 'यवस्था खुद तो कर नहा मक्त थे। उहें इसके तिए और लोगों को नियुक्त करना पड़ता था जिहें बतन व स्व म भूमि दी जाती थी अयवा राजस्व एवं बरन का अधिकार प्रदान किया जाता था।

अब हम राजकीय सेवाओं के बदल में दिय गय अनुदानों की बात से। इस प्रथा के अनुसार छाटी मोरी सेवाओं के प्रतिदान स्वरूप जमीन दी जानी थी। इसका चलन हम कौटित्य के समय में ही देखने को मिलता है। 'अथर्वास्त्र' में कहा गया है कि नय जनपद म गाव की 'सासन-व्यवस्था' के लिए निम्नेनार विभिन्न कमचारियों का भूमि अनुदान देना चाहिए। सामन्तवादी यूराप म तो इस प्रथा का गूप्त चलन था ही ऐसा लगता है कि प्रारम्भिक मध्यवाल म उत्तरी भारत के भी कुछ हिस्सों म वृत्ति दने की यह विधि चल रही थी। उत्तराहरण के लिए, गगा के अपीन उडीसा म ताम्रमार, छोरे और तम्बाली

^१ ए० इ०, ^२ न० ८, इलाक ४६।

^२ यही। सामन्ता महासामन्ता तथा एम ही ग्राम राजपुर्स्या द्वारा अनुदान दन के कुछ उत्तराहरण पी० तियाणा ने एकत्र लिये हैं स० प्र० पु०, पृष्ठ ५४६।

प्रयुक्ता वा धग का स्थान में सर्विक भव अनुकूल पर चिह्न जाता है, त्रिवेदि भव कम भव अनुकूल को तो शिरोंरे के लिए जग्माना वा छोटे छोटे दुर्वास भी जग्माय चिह्न जाता है ।^१ यद्यानि विहार उत्तर प्रदेश और मध्य भारत में "गदा वार्दि" अभियानों ये प्रमाण नहीं मिलता लिपियां जाता गदा है । इस भाष्यामें यह द्रव्या भारी मर्मि प्रतिष्ठित हो गुरी थी । एम पद्मावती गदा ११०१ गदी का भव अनुकूलता भव गदा है इस गदा वार्दि भारी का जमीनी एवं कई दुर्वासे प्रयुक्ता-भवान्तर चिह्न गदा गदा वार्दि परन्तु गदा गदा गदा (प्रत्यक्षतात्त्व) गदा गदा गदा प्रम्य छोटे छोटे कम्पारियों को लालन उनकी गदापावा वा लालन भव इस गदा गदा इस जमीन का गदा गदा विवाह भव भव उम मर्मि का भवान्तरारित की युति व लिए भवत्व वर चिह्न गदा ।^२ जमीनी का एवं दुर्वासे मर्मि की गदा गदा वान सोगा वा परिवारा वा निर्वाच वा लिए चिह्न जाता भव । यह मर्मिरा वा सबसा का वति दन व लिए यह पद्मिनी प्राणियां थीं तो राजा तथा छोटे-बड़े रामतों (रणनीति) वी गदा वरत्याक छोटे भाटे कम्पारियों का भव वति देन थी कार्दि दूरारी पद्मनि "गाय" जाता ही रही हाथी ।

इस पद्मनि के चरन वा कुछ उच्चारण राजभ्यान में भी मिलता है । गदावन पद्मनि प्रमाण तो हम उदयगुरु भव दा मर्मिरा वा चिह्न गदे वा धनुषान वे वा में मिलता है ।^३ इसमें गदावन स्वरूप परिवारोत्पन वद्य गीयक द्वारा कुछ देव भवन रिये जाने का चर्चा है । भविलग से एगा जान पड़ता है इस परिवार के सद्वस्य इसी गुहिलोन सरदार वे यही लिपिवा और वदा वा रूप में भास करत थे और गायद इसी गदा के प्रतिदानस्वरूप उह कुछ जमीन मिली हुई थी ।^४ यह प्रथा नदाल वा चाहमाना वे राज्य में भी प्रचलित थी । इस निष्पत्ति का आधार ११४१ वा एक भ्रमितेग है ।^५ इसके अनुसार घानप नगर आठ हृत्याक म बौद्धा हुआ था जिनमें से प्रत्यक्ष थी "गाति मुरुखा का दावित्य दो श्रो शाह्नाशा पर था ।"^६ यदि वे चार वा पता न लगत और विर भी राज्य से घपती

^१ ज० ए० स०० व० ६५ भाग १, पठ २५४६ वत्तियों १२१ ।

^२ अ० ल० रि० १६०२ वे पृष्ठ २६२ ४, एक्सिस्ट ११ ३२ ।

^३ वही पवित्रियाँ २८ ३१ ।

^४ ए० इ० २०, पठ १२३ ।

^५ वही ।

^६ वही, ११, न० ४ ६ ।

^७ वही ।

आजीविका की मांग बरत तो दण्ड के भागी बनते ।^१ स्पष्ट है कि इन सोलह व्राह्मणा वा निवाह भूमि अनुदाना से होता था जिनके बदले म ये अपनी घर्मेतर सजाएं प्रदान किया बरत थे ।

गुजरात के एक चौलुक्य अभिलेख से भी सासार्गिक सेवाओं के प्रतिदान स्वरूप भूमि अनुदान देने वा सबैत मिलता है । द्वितीय भीमदेव के शासन-काल म विसी अबर राज्याधिकारी न, जो गायद जाति स बनिया था, एक सिचाई-कूप और नाला बनवाया और उनकी दब रख के लिए प्रागबत गोब्र वे विसी व्यक्तिको, जो कान्चित व्यापारी था, कुछ जमीन अनुदान स्वरूप दी ।^२ सम्भवत गुजरात म इस प्रकार के और भी अनुदान दिये गये जिनसे किसानों की स्थिति बिगड़ती गई ।

पूर्ववर्ती काल के अभिलेखों म अनुदत्त गाव अथवा भूस्वण्ड के साथ सिमाना और नितिया के हस्तान्तरण के कुछ उदाहरण मिलते हैं । लेकिन ऐसा जान पड़ता है कि अग्नि पुराण का सर्वन पूरा होत होत—अथात् ११वीं सदी का प्रारम्भ होते होते^३—यह प्रथा भली भाति प्रतिष्ठित हो गई । इस पुराण म किसाना (घेटका) के समत ग्राम अनुदान दन की सिफारिश की गई है ।^४ यह भी कहा गया है कि मर्दिरा और मठा को भूमि और दास देने चाहिए । और साथ ही उहे नत्य और सगीत की भी सुविधाएं मिननी चाहिए । नृत्य और सगीत की सुविधाओं का मतलब उत्तर-नतकी और गायक-नायिका भेट करना लगाया जा सकता है । इस काल के अभिलेखों में तो इस प्रकार के अनुशान वे अनेक उदाहरण मिलते हैं । असम के भूमि अनुदाना म घर हस्तातरित कर दिये^५ जाते थे जिसका मतलब है कि जमीन के भाय उस पर बने घर म रहनेवाला कृपक-परिवार ग्रहीता वे सेवाय उस सौंप दिया जाना था । इसका

१ वही प० ३८ ६ ।

२ इ० ए० १८, पष्ठ ११३ पक्षियाँ २५ ४५ ।

३ इस अध्यक्ष का काल निधारण बी० बी० मिश्र ने पालिटी इन दि अग्नि पुराण म किया है ।

४ २११, ३८, २१३ ६ ।

५ २११ ७२ २२२ १३ १८ ।

६ ज० ए० सा० व, ६६, भाग १, पष्ठ २६५-६ मिलाइए ज० ए० सा० य०, ९ (१८८०), ७६६ से आग, इलोक २४ ।

एक सप्तसे द्वितीय उन्नाहरण सिंहहठ जिसे म प्राप्त ११वा सनी का मध्य का एक अनुदानपत्र है। इसमें अनुसार भगवान् शिव के महार को राजा गोविंद वैश्वनेत्र से ३३५ हूल जमीन के साथ अनुग्रहलग गावा म विष्णुरे २६६ घर प्राप्त है।^१ भगवान् शिव ने सबाथ सौंपे गये इन गृहस्था म बस्ता विसान ही नहीं प्रनिव चरवाह और गिन्धा नोग भी आमिल थे। साथ ही इस द्वन्द्व का जा जमीन दी गई उस पर रहनवाल घटरार (घटा वातावारे लाग), घावी नाविक दुकानदार आदि बहुत से सबके भी उसमें अधीन कर दिय गया।^२

उगार के अमिलेया से १२वीं शताब्दी तक तो वहाँ विसाना के हस्तातरण का चारा का सबूत नहीं मिलता लेकिन बाद म ऐसे प्रथा का चलन इस प्रदेश में भी हा गया। सेन अनुदानपत्रा म धार्मिक उद्देश्यों से अनुदत्त भूमि के दृष्टिकोण का नाम बनाये गए हैं। टिप्पडा जिल म प्राचीत लगभग १०३८ ईस्टी के ताम पटा म २० ग्राह्यग्रा बोदान रिय एवं गाव म स्थित १२ घरों के हस्तातरण का उल्लेख हुआ है।^३ इस सम्बन्ध म प्रयुक्त गहर्ठि गाँ क अलग अलग नगाय गये हैं।^४ हमार विचार से टि से रिता का बीच होता है। बगाड़ और विहार म घर बनाने के लिए चुन दृष्टि स्थान को अवश्य इस प्रथाजन से मिट्टी भरकर ऊंची की गई सनह का अपनी टिका कहते हैं। यह अनुदार पूर्वी बाल म दिया गया। वहाँ कबूत तथा अथ दृष्टिकोण चानियाँ आज भी ऊंची की गई सनहों पर घर बनावार रहती हैं ताकि उनके घरों म पानी न धूम पाए। इसकिल १२ गहा वे हस्ता तरण से यही मतलब निश्चितता है कि अनुदत्त भूमि पर बाम करनवाले कालवारा या ऐनिहर मजदूरा का भी उस भूमि के साथ गहीता का सौप दिया गया। उडीसा म इससे पहले के बाल म ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं। नवी गताब्दी के मध्य से उक्त लगभग आगली एक सनी तक अनुदानमाणिया का जमीन के साथ-साथ बुनकर बल्लार तथा अथ शामवामी भी दिय जान रहे। इन सबके लिए प्रहृति गाँ का प्रयोग

^१ ए० इ० १४ न० ४६ पक्षिया २६ ५१।

^२ वही।

^३ वही, ३० न० १० (दामोदरदेव के मेहार ताम्रपत्र) पक्षिया १७ ३२, और पाठ ५३ द।

^४ वहा, २७, १८८ पा० चि० ६, ३०, ५६।

हुआ है।^१ विचाराधीन थाल म बुद्धव्यष्टि के चलेला वे राज्य म यह प्रथा व्यापक रूप से प्रचलित जान पड़ती है। यहां के अनुदानपत्रों में गाँवों के साथ किसानों, गिलियों और यापारियों के हस्तातरण के स्पष्ट उत्तीर्ण मिलते हैं।^२ खात्मानों वे राज्य म भी इस प्रथा का कामों चलते थे यद्यपि वहां इसका स्वतंत्र शुल्क अवगत था। नडोल वे कुमार साहगणालदेव वा ११३५ के अनुदानपत्र के अनुमार नदान ग्रामवादी साहिय और असार नामक दो व्यक्तिन अपने पुनरा पौना आदि के साथ साय मगवान त्रिपुरुपदेव की भवा म सदा वे लिए सौप दिये गये।^३ ११८८ म अल्हण्डव न इसी दबता का इमा गाव के उमपोतणाल और महपसीह नामक दो हृषक प्रदान किये।^४ यह स्पष्ट नहीं है कि इन दो अनुदानों म समर्पित गरम भी दात दिये गये या नहीं। लिन जिन लागतों को भगवान शिव की सवा म भैट किया व ता निश्चिन न्य से किसान (कुटुम्बिक) ही थे।^५ और जिस उद्देश्य से वे दबता का समर्पित दिये गये वह हृषि के ग्रतिरिक्त और युठ नहा हा सकता था। इसनिए उनकी तुलना रूसी हृषि दासों या कम्पिया म की गई है।^६ १२०७ के एर चौनुक्य अनुदानपत्र से जात होता है कि चौनुक्या के सामाजिक मेहर गर जगमल्ल ने तलाक्का नामक विगाल नगर म अपने स्थापित किए दो शिव लिमा दा पास के दो गाँवों म जमीन के दो दुकड़ दान किये और यह व्यवस्था भी कर दी कि अमुक तीन किसान उनमें खेती करेंगे।^७ इम प्रकार यह हृषि दासत्व की प्रथा का प्रमाण क्वाल चम्पा म मिलता है जहाँ जमीन के दुकड़ा के साथ ग्रहीनामा

१ दबिए परिगिष्ठ १।

२ 'सामाजिक-व्यवस्थायम् । ए० इ० २० न० १४, वी' प्लट पक्ति १६। इस अग्निलेल के सम्पादक हीरालाल ने कपक वो कपक' पढ़ा है और इसीनिए इनके अनुवान म भी बुटि रह गई है, वही १३१ पा० टि १ ए० इ० ३२ न० १४ अनुनान १ पक्ति ११ मी देखिए।

३ दगारय गर्मा-हृत अर्लों चौहान डाइनेस्टीज, परिगिष्ठ जी, ३ पक्तिया २० २१।

४ वही पक्तियाँ २२ २३।

५ वही पक्तियाँ २० २२।

६ वही पक्ति २४।

७ ए० इ० ११, ३३७ ४०।

का दिये गये किसानों के नाम भी बताये गये हैं ।^१

यद्यपि इस विवरण में दीर्घ भारत का गामित नहीं रिया गया है, बिन्दु एसा उगता है कि महाराष्ट्र में यह प्रथा प्रचलित थी । १२७६ के एक यादव अनुदानपत्र से जात होता है कि एक अप्रहार गिलिया आदि के साथ दान रिया गया ।^२ इस अनुदानपत्र में प्रयुक्त 'कारदारि'^३ शब्द में स्पष्टत विद्यान भी आ जात है । वाचण में भी अनुदान में शिर्पी लोग दिये जाते थे । १००८ में जारी रिये गये माण्डविक रट्टराज के खारपाला ताम्राचा में मत्तमयूर गोप वे गुरुग्रा का तीन गवाके साय-साय परिचारिकाया के कई परिवार एक तरीके परिवार एक माली परिवार एक कुम्हार परिवार और एक घोड़ी परिवार भी प्रदान रिया गया ।^४ स्पष्ट है कि इन साधकों और इस सम्बंधित लोगों की सेवा के लिए सेवक सेविकाएँ तथा गिरफ्ती आदि दाना आवश्यक रामबाला गया । यद्यपि यहीं ग्रहीताओं के सेवाये में गये लोगों में बेवन शिर्पी सेवक ही थे बिन्दु यह कृपि दासत्व की प्रथा का स्पष्ट प्रमाण है ।

उडीमा के परवर्ती अनुदानपत्रों से प्रमाण होता है कि मह प्रथा गवाके संकरती कलती शहरों में भी पहुँच गई थी । १२३० में जारी रिये गये तत्तीय अनुदानपत्रों के नगरी ताप्रपत्रों से मालूम होता है कि एक ग्राहण को एक शहर उसके निवासियों के साय साय (पुरुजन समत) दान रिया गया ।^५ इस शहर में राजप्रासाद के समान चार भवन थे लेकिन अधिक महत्व की बात यह है कि इसमें दुकानदारों अत्तारा दात विक्रेताया आराक्षों सोनारा ठठेरो आदि के भी धर नामिल थे और इन सबके नाम भी बताये गये हैं ।^६ इनके अतिरिक्त तम्बाकी भालाकार गुड विक्रेता ग्वाने बुनकर तली कुम्भकार और वैद्यत भी उत्तर ग्राहण के सेवाये समर्पित किये गये थे और इस अनुदानपत्र में इन सबके भी नाम बताये गये हैं ।^७ किर एक नाई बुठ दस्तकार और घावी भी ग्रहीता की सौंप

^१ जा० स० रि० १६०२ व० पृष्ठ २५२ ४ पक्किय० १६ २५ ।

^२ स० एम० जो० दीपित सिलेक्ट इस्ट्रियूल फाम महाराष्ट्र पृष्ठ ६६ ।

^३ वही ।

^४ ए० इ० ३ न० ४० पक्किय० ५८ ६ ।

^५ वही १८ न० ६० पक्किय० १२७ ८६ ।

^६ वही पक्किया १२७ ३१ ।

^७ वही पक्किय० १३२ ३४ ।

निय गय । इस प्रकार यह अनुग्रानपत्र शहर में गतिहीन ग्रामीण अथव्यवस्था के प्रबन्ध का सटीक उदाहरण प्रस्तुत करता है । इससे प्रबन्ध होता है कि इस प्रकार व्यापारिया और गिलिया के सामने गहर की बाद और गतिहीन अथव्यवस्था से बंधे रहने के अलावा और बोइ चारा नहीं रह गया था और गहर का स्वामी चाह बोइ हा उनका स्थिति में कार्द भातर नहीं पड़ता था । गहर में रहने भी वे अपने पा और स्थान नहीं बदल सकते थे और उनका उटी परिस्थितिया में जाना पड़ता था जिन परिस्थितिया में अनुदत्त गाँवा के दिसान जीत थे ।

मध्यकालीन अथव्यवस्था का स्वरूप ही ऐसा था कि उसमें गिलियों की गनिशीलता के लिए बहुत कम गुजारा रह जाती थी और दिसाना की स्थिति तो और भी बुरी थी । जिन गाँवों के दिसान और गिलियों सारफ गाँव में अनुग्रानभागिया के अधीन नहीं बर दिय जाते थे उन गाँवों में भी ग्रामवासियों पर उनका नियन्त्रण कम नहीं रहता था । ग्रामवासियों को स्पष्ट निर्देश रहता था कि वे ग्रहीताआ के आदाना का पालन करें और उह सभी प्रकार के बर दें, जिनका मतलब था कि अनुरूप गाँव के निवासी एक प्रकार से उनका हाथों में मौर दिय जाते थे । लक्षित यदि स्थिति यह थी तो फिर कुछ अनुदानपत्रों भी गिलिया और दिसाना के हस्तातरण का रियाप उत्तेजन क्या किया गया है ? अमम उडोसा और चम्पा में तो इसका बारण यह जान पड़ता है कि इन पिछड़े खात्रा के आर्थिक जीवन का चलात रहने के लिए कुछ अतिरिक्त सावधाना और सम्मी बरतना आवश्यक था, क्योंकि यहा बाहरी लाग आकर नहीं बसना चाहते हांगे और इसलिए अम नक्कि की कमी पड़ जाने का खतरा बरावर बना रहता हांगा । कुर्सल खण्ड के पिछड़े इलाका में भी इस नाति का अनुसरण करना आवश्यक था । इस नीति के द्वारा गिलिया, दिसाना और व्यापारिया की भी सबाएं मुक्ति की जानी थी क्योंकि यहा अमरकिन का अमाव था और आवाद करने के लिए जमीन बहुत अधिक था । लक्षित इस सबका परिणाम यह हुआ कि यहाँ हृषि दास-ब की प्रवाया आयम हा गइ ।

उपर हम जानुच्छ देख आय हैं उसमें स्पष्ट होता है कि उपसामाजीकरण और सबानुग्रान-जसी कुछ सामन्ती प्रथाएं अनुरूप गाँव में भी जून थी, और परिणाम स्वरूप ऐसे गाँवों में दिसाना की दगा विगड़नी चली जा रही थी । जाक्षेत्र माध राजा के नियन्त्रण में उनमें भी उनकी स्थिति दसमें बहुत अच्छी नहीं

थी। गाहृद्वाल अनुदानपत्र म करो वी जो भूची दी गई है^१ उससे प्रकट हाना है कि उनके दासनकाल म उत्तर प्रदेश म विसाना वो जितन कर देने वहाँ थे उतने पहले कभी नहीं देने पड़े थे। गाहृद्वाल अभिनवा म विसाना पर लगाय ११ करा का उल्लेख हुआ है। अगर उनसे य सारे कर लिय जाते थे तो समझ म नहीं आता कि उनके परिवारों के भरण-पापण के लिए उनके पास उपज वा कितना हिस्सा बच रहता होगा। निपुरी क बलचुरिया के ११६७ के एक अभिनेत्र म ११ करा का उल्लेख है। इनके अलावा परम्परा स उने आ रहे और भविष्य म लगाय जानेवाल गास बहुत से अथ कर भी थे जिनका स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है^२ ११८० वे^३ के अथ बलचुरि अनुदानपत्र म भी इतन ही प्रबार के करो का जिक्र हुआ है।^४ इनम भाग और भोग तो निश्चित रूप स शामिन थ क्याकि इस अभिलेख म 'प्रवणि शाद स पहले आनवाले छ शाद पद बिन्दुल मिट गये हैं।^५ इस प्रबार इन करो की सख्त्या १३ हो जाती है। यद्यपि बलचुरि अनुदानपत्रों में स्पष्ट शादा म सामाजिकता के बल तीन या चार (मागभोगहिरण्यान्त्रिराज प्रत्याद्य) करो का ही उल्लेख मिलता है लेकिन अत म राजप्रत्याद्य के प्रयोग स जान पड़ता है कि लोगों से अथ कर भी निय जाते थे जिनका जिक्र माफ नादा म नहीं किया गया है। अधिन से अधिन हम यही कह सकत हैं कि य सारे कर नापद एक ही आदमी स नहीं लिय जात हाँगे क्याकि व्यापारी नित्यी विसान अलग घरग ढग के कर लिया करत थ। यहर सम्मानता यही है कि उपयुक्त करो म से अधिकारा विसाना स ही लिये जात हाँग। यह साफ माफ पता नहीं चलता है कि अनुदानभोगी दरपने अधीनस्थ गाँव म लुद वर सगा सकता था या नहीं यद्यपि कभी कभी उस भविष्य म कर

^१ रमा नियामी कृत हिस्त्री आफ द गट्टद्वालाज (पृष्ठ १६७ ६०) म इन तमाम करो की भूची दी गई है लेकिन विभिन्न प्रबार के करो के लिए प्रमुख बुद्धएक नाना क अथ अब भी स्पष्ट नहीं हो पाय हैं।

^२ कॉ० ३० ३० ५ न० ६३ पनिया० २६ ०। बुद्ध नाना ता अस्पष्ट हैं कि नु करो की भूची बदूत थही है भागहरप्रवणिवाटचरोरमवनीक्षा मनविषेणिभान्यपट्टुक्तिरान्यदुम्सायान्य (व) पमिकान्यान्वितररिष्य मानान्य गह।

^३ वही परिणाप्त न० ८।

^४ वही ६८६ पा० फि० १८।

^५ वही ८ न० ५०, पनिया० ८३ ८५।

लगान का अधिकार (करित्यमाण) भी दे दिया जाता था। ऐसे गवाम में किसानों वो इस बात का खतरा बगवर बना रहता था कि उनके बरा म बढ़ि हो सकती है बपाहि अनुदानमानी पर यह पाठ्यादी नहीं थी कि वह प्रचलित रीति परम्परा का पालन करे।

इम कान म पूर्वी मारत मे किसानों की हिति एक और भी वारण से बहुत विगड़ गई। वह यह था कि अब यहाँ अलग अलग ऐना से राज्य का वर-स्वरूप किन्तु उपज दी जाय यह निधारित होने लगा। पूर्ववर्ती लगान पढ़ति बटायदारी के सिद्धान्त पर आधारित थी जिसके द्वारा किसान की उपज के अनु सार उसका एक हिस्सा सरकार को मिलता था। सामातवाद का विकास हाम पर खेनी वी उपज म वर्दि पना का हिस्सा कायम हुआ—जसे राय का वास्तव कार का और नायव वास्तवकार का और इस उपन के हिस्सादारी की ऊपर से नीचे तक वह श्रेणिया बन गई। जब जमीन की पैमाड़ा की पढ़ति का व्यापक प्रसार हुआ और उपज सावधानी के साथ निधारित की जाने लगी किसानों के हितों का आधार पहुँचा। बारण जमीन की पैमाड़ा करने और उसकी उपज निधारित करने म प्राकृतिक आपदाओं का खयात नहीं किया जाता था और उन दिनों भूष्य के पास इन आपदाओं का सामना करने का साधन तो तागभग नहीं ही था। इम प्रकार नई लगान पढ़ति से किसानों के बजाय राज्य को ही अधिक बचत होने की सम्भावना थी बपाहि पदान हुने पर भी राज्य और नामत किसानों से अपने हिस्से की मींग कर सकत थ। गायद असाधारण परिस्थितिया म राज्य लगान माफ कर किया करता था लेकिन यह कहना मुश्किल है कि जानीरदार लोग भी ऐसी उदारता बरतते हांग या नहीं।

बलचुरियों चौदेलों और चाहमाना के राज्य मे किसानों की अन्यस्या निश्चय ही बहुत खराब हा गई हांगी बपाहि वहाँ उहे सभी श्रेणियों के सर-बारो अमला वे खच का बोझ उठाना पड़ता था। बलचुरिया के अधीन किसी बाल म विषयिम् (इस अधिकारी के काम और दायित्व का ठीक पता नहा लग पाया है) पट्टकिल दुमाघ और खपदिक इन चार अधिकारियों का अपना निवाह-खय विसाना से बमूल बरने का अधिकार मिला हुआ था।^१ चैल भमिनता म एम अधिकारियों की सर्वा अधिक प्रतीत हानी है। इस बन अधिकारियों (भानविका) अनियमित सनिकर्म (चाटा)^२ तथा सामाजिक या सभी

^१ चौ० इ० इ० ४ न० ६३ पतिया २८ ३०।

^२ ए० इ०, ३२, न० १८ अनुदान १, पक्षि ३३।

राज्याधिकारिया का अपना अपना दाताप (स्व-स्वामामाद्यम)^१ बमूल करने की सत्ता दी गई है। तबिन चाहुमाना के अधीन यह अधिकार वेवल प्रतीहारा और वताविया का ही निया गया था। यह स्पष्ट नहीं है कि आदाय और आनन्द नाम से नात कर राज्याधिकारिया का वतन के ऊपर से भते के तौर पर मिलते थे या यही उनकी आय के एकमात्र साधन थे। पूर्ववर्ती वाल में ऐसे कर वेवल राज परिवार के भरण पापण के लिए ही बमूल दिए जाते थे। इसकी साथी हृष्ट तथा प्रारम्भिक पाल राजाश्वा के अनुदानपत्र में मिलती है। यह कर विचाराधीन कात में भी राजकुलामाद्य^२ नाम से प्रचलित रहा। पहले शायद ऐसे कर राज परिवारा द्वारा नियुक्त अधिकारी बमूल दिया करते थे। अब ऐसे करा की स्थित ही बड़ नहीं गई बल्कि उह बमूल करने का हृष्ट सम्भवत उही अधिकारिया का मिला जिनके निमित्त ये लगाय जाते थे। यह पहली भारतीय साम्राज्यवाद की एक विशेषता बन गई और इसके असर गत विसाना का शायद लान्तिमी था।

इस वाल में शिरप और व्यापार वा सामाजिक राजस्थान, मातवा और गुजरात में वर्ता गया क्योंकि इन साधनों से होनवाली राजकीय आय मन्दिरों का सोची जान लागी। चाहुमान अमिलखा में इसके बड़ प्रमाण मिलते हैं। अल्ट्याव के ११६१ के एक अमिलख में एक नन मन्दिर को नडटूल गहर के रिया क्षत्र में स्थित एक चुगी घर की आय में से प्रति मात्र ५ द्रम्म का अनुदान दिया गया है।^३ चुगी घर की आय के अनुदान का दूसरा उदाहरण भी हम नडटूल में ही मिलता है। १११४ के दस अनुदानपत्र में मगवान् विपुरय वा चुगी घर में होनवाली आय में से ६ द्रम्म (मासिक अववा वार्षिक यह स्पष्ट नहीं है) अनुदान-स्वरूप दिय गय है।^४ नमी अमिलख से पता चलता है कि अहंग न राना प्रकरण द्वारा स्थापित गोरी की प्रतिमा के दरिन पान प्रसाद वा गम्भ चनान के लिए उस एक चुगी घर की आय में ४ द्रम्म का

१ १००० २ न० १४ अनुदान ३ पस्ति १६।

२ ३० र १५६/३ पस्तियाँ १२।

३ ३००० ३४३ ६० और इस पृष्ठवा पा० टि० ६ भी।

४ दारय नमा स० प्र० पु० परिणाम जा ३ पस्तियाँ १६ १६। बुद्ध नमा के मिश्य जान के कारण अस्थ स्पष्ट नहीं है लिन इसमें काई सादह नहीं हि राना न घासिर प्रयात्रना में चुगी घरा वा आय का कुछ प्रा अनुदान में दिया।

मासिक अनुदान सदा के लिए अपिन दिया।^१ ११५६ के एक साम्प्रदय में नात होता है कि कुमारपाल वे रिसी सामाजिक न कुछ जन मन्त्रियों को एवं मण्डपिका (चुगी घर) से होनेवाली आय में स प्रतिदिन एवं हृष्ट के द्विसाप्त से एवं अनुदान दिया।^२ १७३ के एवं अभिलेख वे अनुदान शास्त्रमरी के रिसी उच्च पनाधिकारी ने प्रति बट्टा नमक पर एवं विंगोपक वे हिसाब से एवं अनुदान दिया और एवं दूसरे पदाधिकारी ने उभी देवता वो प्रत्यक्ष घोड़े की विश्री पर एक द्रम्म के हिसाब से अनुदान दिया।^३ इन उन्नाहरणों में स्पष्ट हा जाता है कि विभिन्न वस्तुओं की विभी पर सरकारी महमूल से होनेवाली नवनी आय वे अश जैन और ब्राह्मण मन्त्रियों का धार्मिक प्रयोजना से अनुदान का हृष्ट म निये गये। दूसरे अतिरिक्त चाहमाना के राज्य म गिल्प उदाग पर लगाये जानवाले सखारी महमूल भी धार्मिक उद्देश्य से अनुदान म निय जात थे। ११३२ के एवं अभिलेख से जात होता है कि दो राजकुमारा और उनकी माना ने प्रत्यक्ष घाणक (बोत्ह) से राजन्यस्थिवार वो होनेवाली आय म स तो दा पत्तिलका नादुलागिका (नाल्लाइ) मे तथा उसके बाहर रहनवाले साधुओं को द देने का चानेश जारी किया।^४ एस महमूला से राज्य को होनेवाली नवदी आय के हिस्म ब्राह्मणा वो भी अनुदान भ निय गय हो तो आशचय नहीं। इस तरह के अभिनव व्यतिपय छाटे राज्या म भी मिल हैं। भूतपूर्व भरतपुर राज्य म स्थित बधाना नामक स्थान भ प्राप्त ८५५ के एवं अभिलेख से मानम होता है कि एवं देवता के निमित्त एवं मण्डपिका भ तीन द्रम्म वसून किया गया और इतनी ही राणि एवं अश मण्डपिका भ भी उगाही गइ।^५ इभी प्रकार बजनाय की प्रशस्तियों के अनुमार, एवं म्यानीय सरदार ने मण्डपिका से होनेवाली अपनी आय म से प्रति दिन दो द्रम्म के हिसाब से एवं अनुदान के हृष्ट म दिया।^६

उद्योग यापार का सामाजिक वरण परमाणु के राज्य म भी तजी से चलता रहा। नासिक जिन म परमारों के एवं सामाजिक यशोवर्मन ने ११वीं सदी के दूसरे चरण म एवं जन मन्त्रियों को दिये गय जमीन के बई टुकड़ा और माय ही दो

^१ स० प्र० पु० ४ पट २ पकिनया १५ १७।

^२ इ० ए०, ८१, पृष्ठ २०३।

^३ ए० इ० २ न० ८ श्लोक ८८ ८६।

^४ वही न० ४ पकिनया १६।

^५ वही २२ पृष्ठ १२०।

^६ वही, १, पृष्ठ ६७।

सुविधाएँ थीं। गुन्ड मण्डपिका दृश्य का उल्लेख बहुत स चीनुक्षय अभिलेखों में हुआ है^१ और इसमें एमा लगता है कि अनुदान-स्वरूप राज्य की आय का एक भग उने का बहुत आम चलन था। ११०६ के एक अनुदानपत्र से पात होता है कि कुमारपाल ने एक मन्दिर का न ढोल की मण्डपिका में होनेवाली आय का एक भग—प्रति दिन एक द्रम्म क हिसाब स—अनुदान स्वरूप द दिया।^२ एक आय अभिनेत्र से प्रतीन होता है कि द्वितीय भीमदेव न १२०० म बुद्ध चीजा की दिक्की पर लग नकद गुन्डा स हानेवाली आय दा मन्दिरा के पान प्रसाद और ग्राहणा बो गिलान का सब चतान क तिए उन मन्दिरा क नाम हस्ता नगित कर भी।^३ जार पढ़ता है सारणपुरी के बुद्ध व्यापारिया न बुद्ध चीजा की दिक्की स होनेवाली नकद आय अनुदाना के रूप म मन्दिरा को सौंप दी, और स्पष्टत उद्घान वसा राजरीय आर्णा पर ही किया।^४

व्यापार स होनेवाली राजकीय आय को धार्मिक प्रयाजना से अनुदान म दन की प्रतिया का प्रमाद विश्वी व्यापार पर भी पड़ा। “सका एक उदाहरण हम बाकरण म मिनता है। वहाँ बाहर म आनदाल जहाजा स स्वेण मुद्राध्या क रूप म बमूल दिय जानेवाल गुन्ड अनुदानस्वरूप एक धार्मिक सम्प्रदाय क सम्म्या को सौंप दिय गय।^५ आश्वय नहीं कि गहस्था को भी एम अनुदान दिय गय हा।”

पश्चिमी भारत मे मिलनेवाले य भार प्रमाण शिल्प और व्यापार के भामतीकरण की सारी भरत हैं। विश्वी-गुल्क और चुगी से होनेवाली नकद आय का एम प्रकार अनुदान भ म मदिरा को दे दन की प्रया की तुलना मध्यकालीन यूरोप म दो गयी नवनी जागीरा से की जा सकती है। हमें यह पात नहीं है कि भारत म गहस्थ ग्रहीताओं का ऐसी जागीरे नी गयी अवधा नहीं हालाँकि सम्बव है कि कलचुरि च दल और चाहमान राज्या मे सरकारी अमला के निमित निर्धारित निय गय बुद्ध करो की बमूली नकद रकम म होती हो और इसनिए एम हम एक प्रकार की नकदी जागीर मान मवत है। लक्ष्मि यह अनुमान निश्चित तथ्यो पर आधारित नहीं है और इसलिए यूरोप क साथ की

^१ ६० ग०, ६, २०२ पक्ति ६।

^२ ६० बी० औ० आर० बाई० २३, ३१६ द।

^३ पुष्पा नियोगी स० प्र० पु० पृष्ठ २०१।

^४ ६० ए०, ६ २०२ पक्ति ८ २६ पृष्ठ २०३ की सार-सूची।

^५ ६० इ०, ३ न० ४० पक्तियाँ ५६ ५७।

गयी इस तुलना पर बहुत जोर नहीं दिया जा सकता।

११वीं और १२वीं सन्दिया में उत्तर भारत में प्रचलित सामनी रीति नीनिया पर विचार करने से एसा लगता है कि इस काल में सामनी अथ व्यवस्था इस क्षेत्र में कुछ दिल्लिया से अपनी चरमसीमा पर पहुँच गयी थी। धार्मिक तथा गहरथ भोक्ताओं को इतना अधिक भूमि अनुदान इसमें पहुँच कभी नहीं दिया गया था। इसी प्रकार भूमि अनुदानों के परिणामस्वरूप मामुदायिक तथा भूमि विषयक अधिकारा का इतना अधिक हास पहुँचे कभी नहीं हुआ था और न इसमें पूब किसी भी काल में इसाना पर इतने बड़ा का बाह्य पठा था और न वे उपसामानी उदाहरण से ही इनने अधिक प्रभावित हुए थे। फिर इस काल में हमें सरकार की सदाचारा का पुरग्वार और प्रतिनान स्वरूप अनुदान प्राप्त बरने के भी सबसे अधिक उदाहरण मिलता है। और अन में, उद्योग व्यापार पर लग गुल्का से होनेवाली सरकारी आय के अनुदानस्वरूप दे दिया जान के भी इनने सारे उदाहरण हम इसी बात में मिलते हैं। लेकिन साथ ही इसी काल में सामर्तवानी आर्थिक ढाँचे में दरार भी पहुँचे लग गई थी—पिनोपकर पर्विंचमी भारत में। आगे हम इसी विषय पर विचार बरेंग। जिसे अनिटाम भ हि दू शासन राल बहा जाता है उम बान के अतिम इदाना में उत्तर भारत में विषय नष्टी आर्थिक परिवर्तनों का उच्च हुआ और उसके परि ज्ञामस्वरूप आत्मनिमर अथवावस्था मुद्रा के चरन के अभाव और इसाना के आपग की नीति पर आधारित पुरानन सामर्तवान को जड़ें हिलन लगी।

इस बात का भ्रान्त हानि हानि रगाल दिग्गर उत्तर प्रदेश मानवा और गुजरान में परती नमीन की आवान बरान की दृष्टि में भूमि अनुदानों की महत्वा गमाप्नाय हो चुकी थी। रगाल के अनुदानपत्रों में अनुरूप भूमि की उपज वा अनुमान नक्कड़ राणि भ बनाया जान लगा था और साथ ही एस धारा की नीमार्ण भी स्पष्ट राना में निपासित कर नी जानी थी। जिसमें प्रकट हाना है कि भ्रान्त आत्माया के निए नद्यनप वरता यारान धारा का आरान परन की गुगाइन बन्न पर्म हागद थी। मानवा और गुजरान के अनुदानपत्रों में भी अनुरूप नीता पा। मामार्ण गाप-नार बनायी गया है जिसमें प्रकट हाना है कि ध्राना का नग बान की दिन हानि लगा थी कि ध्राना का अनुदान पत्र में जा भित्तार और मुक्तिपार्ण दी गया है उसे के उपमान तर वा सीमित रूप और उत्तरा अनुचित मानन लगा गया। कृत ध्रय दीनाया पा। नद्य

क्षेत्र आबाद करने की सुविधा नहीं मिल पाती थी।

यही स्थिति हम वेगार या विप्टि के सबध में भी भेषते हैं। यह भामन वार्षी अथव्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता थी, और वहमों के मत्रका राष्ट्र कूटा तथा गुजर प्रतीहारा के अधीन पश्चिमी भारत में उत्पातन का एवं साधन माना जाता था।^१ लेकिन परमारा चौलुक्यों और चाहमानों के अभिलेखा म इसका कोई उल्लंघन ही नहीं मिलता। स्पष्ट है कि इन राज्यों में यह प्रथा समाप्त हो गयी थी। इसी प्रकार गाहड़वाल और चांदेल अभिलेखा में विप्टि का उल्लंघन नहीं मिलता। लेकिन पाल और सेन अनुदानपत्रों में 'सवपीडा' तथा कलचुरि अभिलेखों में 'विप्टि' का जिक्र हुआ है। किन्तु कुल मिलाकर वेगार की प्रथा घट रही थी। इसे पुरातन सामन्ती व्यवस्था के आधिक वाचना के नियित पञ्चे का एक लम्बण माना जा सकता है। नायद वगार के बदने अब नन्द वर ही लिया जान लगा हो। लेकिन इस अनुमान के समर्थन में हम काइ विगेष प्रमाण नहीं मिलते। इसके कुछ प्रमाण मिलते भी हैं तो कश्मीर में जिस हमने इन विवरण में गामिल नहीं किया है। फिर भी यहाँ वदमीरी साध्य का उत्तेजन कर दिया जान लगा हो। लेकिन इस अनुमान के समर्थन में हम काइ विगेष प्रमाण नहीं मिलते। इसके कुछ प्रमाण मिलते भी हैं तो कश्मीर में जिस हमने इन विवरण में गामिल नहीं किया है। फिर भी यहाँ वदमीरी साध्य का उत्तेजन कर दिया जान लगा हो। राजतरणिणी में वहाँ गया है कि वगार के रूप में श्रमिक योभा तौत थे (लृष्ट मारोड़ि)। योम-दोलाई के तरह प्रकार थे लेकिन उनका व्यवन पुन्नव में नहीं किया गया है। एवं ऐसा उत्तरण मिलता है कि कुछ यामदासिया ने एक साल तक बाभा ढाने का काम नहीं किया और फलत उन सब पर जुमारा ठाक्कर उत्तरण किया गया। उत्तरण जितना बोझा नहीं ढाया था उतनी भी कीमत के बराबर उनमें जुर्माना वसूल किया गया और पाम पटोस के क्षेत्रों में उन वस्तुओं की जा प्रचलित कीमत भी उससे अधिक कीमत आवृत्ति गई।^२ सभावना यही दीखती है कि ये जुमाने नक्कद वसूल किय गये। यदि यह अनुमान ठोक हो तो निष्क्रिय यही होगा कि वेगार के बदल नवद गणि भी ली जा सकती थी। कमी-जमी वगार के बदने नक्कद और जिस दागा रूपों में अन्यथा नी जाती थी। जब हप व शासन-वाल (१०८६-११०१) में एक मंदिर को लटा गया तो उसके पुजारियों ने प्राथना का कि उनमें नक्की और नि सा अदायगी के बदले उत्तरण किया गया।

१ इनके अभिलेखों में उत्पादमानविप्टि 'न' का प्रयोग अक्सर हुआ है।

२ अनु० एम० ए० स्टीन, खण्ड १, 'लोक १७२', दक्षिण, पृष्ठ १७२। पर पा० टि० भी।

जाय।^१ लेकिन विसाना के बारे में एमा उदाहरण न तो कभी और न उत्तर भारत के किसी भी धाय हिस्से में मिलता है। फिर भी इस बाल में मुझे के बढ़ते हुए प्रायता को ऐसा अस्थिर जान पड़ता है कि विसान नवद रकम चुकाकर घेठ घेगार से छुटकारा पा सकत है। इसके अतिरिक्त पूर्वी बगाल के कवत्त विद्रोह जैसे किसान विद्रोह के परिणामस्वरूप भी राजामा का इस प्रथा की बढ़ोत्तरता को कम बरतने के लिए भजबूर होना पड़ा होगा। पश्चिमी भारत में नगरा की वहुलता वा सम्बंध सायन विष्टि की प्रथा के लोप से या क्योंकि इस प्रथा के समाप्त हो जाने से विमान और दारीगर गौवा का छाड़वर नहरा में बस सकत थे और वहीं गिर्हण कारीगरी का धारा कर सकत थे।

इस बाल में मध्य भारत और पश्चिमी भारत में कुछ और भी ऐसी बातें हुई जिनसे ग्रामीण धोत्रा वी आत्मनिभर अथव्यवस्था कमजार होने समी। अनुदाना के परिणामस्वरूप अक्षसर गासा होता था कि जा गाव दीप बाल से एवं खास आधिक धोत्र के अभिन अग बने हुए थे उह उनसे अलग करके नये धोत्र में मिला दिया जाता था। मन्त्रिरा को दान दिये गये बहुत सार गौव बराबर इनके पास पहले से मौजूद धोत्रा के निकट ही नहीं पड़ते थे। फलस्वरूप मन्दिरा के साथ इन गावा को नया आधिक सम्बंध स्थापित करना पड़ता था, और वहीं दृष्टिया से उह ग्रास-पास के उस ग्रामीण धोत्र से अपना सम्बंध तोड़ लना पड़ता था जिसकी आत्मनिभरता में उनका इतना अधिक यागदान होता था। उदाहरण के लिए, सोमनाथ के मन्दिर के अधीन २००० गौव थे और ये सभी किसी एवं ही धोत्र में नहीं पड़ते थे। इस मन्दिर को विभिन्न राजामा से दान भी जो गाव मिलते रहते थे वे स्पष्टत एक दूसरे से अलग अलग हुआ करते थे। उत्तर प्रदेश में जागु नामा के प्रभावगाली पुरोहित परिवार को दिये गये विभिन्न ग्राम अनुदान इसके उदाहरण हैं। इस परिवार की भूसम्पत्ति गाहड़वान राज्य के १८ पत्तलामोगी में फली हुई थी और इसलिए यह वह आधिक एवांगा की आत्मनिभरता के लिए बाधक थी। घटठारह पत्तलामा में फल इन गौवा की पदावार में अनुदानमोगी अपनी सुविधानुसार हर कर कर सकता था। आमनिभर आधिक जीवन की आवश्यकताओं की परवाह न कर वह इस बात पर आप्रह रख सकता था कि वह वहीं पत्तन उगायगा जो अमुक गौव की मिटटी के लिए अथवा उमड़ी अपनी अस्तरता के लिए ज्यादा ठीक है।

इस बाल में गनिशील ग्रामीण अथव्यवस्था के कमजार होते जाने का एक-

^१ राजतरणिणि अनु० एम० ए० स्टीन, खण्ड १ १०८१ ८८।

और भी सभण सामने आता है। राजा तथा अनुग्रानमोगी गिलिया और व्यापारिया की सेवाया वा प्रत्यक्ष उपयाग बरते नहीं दिखाई पड़ते हैं। इसक बजाय उहें इन सामान से जितना लने का अधिकार या उनना व जिस के स्वप्न म अयवा नमूल ही लिया बरत थे। लगता है कि इस दिना म पहला बदम पश्चिमी भारत म उठाया गया। अब वहाँ व्यापारिया और गिलिया वो—इन नाना मे कोई सास पड़ नहीं पा—राय वा दातव्य जिस के स्वप्न म चुचाना पड़ता था। यात्रम मे उनसे नरद अनायगी की ग्राहण की जान लगी। सास तोर से जउ वे अपना माल बेचते थे तब तो उनसे नरद महमूल ही मिया जाता था। अब बारीगरा और सौभागरा का मन्त्रिरा वा दान बिये गाँव म बधे रहन को नहीं बहा जाता था। इमके बदले उनसे नरद कर लिया जाना था और मन्दिर व व्यवस्थापन जहरत की चीजें या जहरी सेवाएं उमी राणि व बल पर प्राप्त किया बरत थे। उदाहरण के लिए मालवा, राजस्थान और गुजरात म मन्दिरा को गिलिया और व्यापारिया की सेवाएं गुरुम बरावर इह आत्मनिभर आधिक इवाइया वा रूप दे दना आवश्यक नहीं समझा जाना था।

यद्यपि यह बात मुम्यन “हरा तक ही भीमित थी किन्तु शहरा की भी सम्या कुछ कम नहीं थी। विभिन्न सामग्रिया व आधार पर दाररथ शमा ने चाहमान राज्य म १३१ स्थाना वे नामा की एक सूची तपार की है^१ जिनम स अधिकाश गायद घहर ही थ। डी० सी० गागुली ने परमार राज्य म—मुम्यत मालवा म—स्थित २० शहरा के नाम बताये हैं^२ इसम हम उनकी दूसरी राजधानी प्रमिद्ध नगरी अथूणा को जोड सकत हैं। पुणा नियोगी न गुजरात म चौलुक्या क राज्य म स्थित द शहरा के नामा की सूची दी है^३ इसम व दरगाहा म वसे वे तटीय नगर झाभिल नहीं हैं जिनसे गुजरात का सारा समुद्र नट भरा पड़ा था। अरवा के लिये विवरणा म सिंघ और पश्चिमी भारत के अनेक शहरा के नामा का उल्लेख हुआ है^४ अलबहनी के पात्रा विवरण और मुलतान महमूद के भारत विजय अभियान वे वृत्तात क आधार

^१ स० प्र० पु०, परिगिप्त ५०।

^२ हिस्ट्री आफ द परमार डाइनस्टी पृष्ठ २३६।

^३ पुणा नियोगी स० प्र० पु०, पृष्ठ १२० १।

^४ वही पृष्ठ ११६ २१।

पर पुष्पा नियोगी ने उत्तर भारत के २५ नगरा यी एक सूची तयार की है।^१ इस सूची को पद्धत नहीं माना जा सकता। इन २५ नगरा के अनावा भी बहुत से नगर इस क्षेत्र में हैं। लेकिन पूर्वी भारत में नगरा की मरम्या अधिक नहीं जान पड़ती, यद्यपि पाला के नीचे-नीचे विजय म्बाद्यावार आयद नगर ही थे। इनमें हम उत्तरी और पूर्वी द्वगाल में सना वी राजधानिया का जाड सबत हैं।^२ कुछ मिलाकर जो प्रमाण मिलते हैं उनसे यही लगता है कि पश्चिमी भारत में नगरा की स्थिति अच्छी थामी थी और इनमें में कई काफी पड़े-बड़े थे।

पश्चिमी भारत में इतने सारे नगरा का अस्तित्व देखत हुए ऐसा मानना अनुचित न होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो चीजें उपजाइ जानी थीं उनमें से बहुत कुछ ग्रामवासियों के उपयोग के बाद बच जाता था क्यासि यरि एमान हाता तो इन गहरा की गावादी की जस्तरतें कस पूरी हा पाती? कुछ शहरों की आवादी बहुत धनी थी। अनहिलपाटक में तो ४८ मण्डियाँ थीं।^३ इन गहरा की जस्तरतों के कारण शहरा तथा गाँवा के बीच निश्चय ही अच्छेद्यास पैमाने पर आतरिक व्यापार चलता होगा जिससे गाँवा की गतिहीन अथवास्थिति का रूप बदलता होगा।

धाडे तल और नमक का यापार राजस्थान में पहल भी होता था। अब इन वस्तुओं का यापार वहा और भी बढ़ गया। चाहमान अभिलेखा में यह बात पिलकुल स्पष्ट है कि अश्व विश्वेनाथा महाजना भठा और धाणक रत्नामियों का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था।^४ विशेष रूप से धोड़े और साम्राज्य भील से प्राप्त नमक के यापार से राज्य वो भूमि चुगी महसून मिलता था। लविन महत्व की बात यह है कि ११वीं सर्वी से बहुत सी ऐसी वस्तुओं का भी आतरिक व्यापार हाने लगा जिनका उपयोग आन लोग अपनी दिनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया करत था। चाहमान अभिलेखा में जात हाता है कि राजस्थान मुग्हूं मुग्हा धूना तन पान मसाना दाल आदि का व्यापार खूब हाता था।^५ और प्रसार हम जस्त और बपड़े के यापारिया तथा आमदवा-

^१ स० प्र० पु० पृष्ठ १२१।

^२ वही पृष्ठ ११८ ६ (उपनीसी निया विजयपुर विश्वमपुर)।

^३ पुष्पा नियोगी वी स० प्र० पु० क पृष्ठ १२० पर कुमारपालचरित में उल्लेख।

^४ स० डी० भार० भण्डार १० इ० ११ न० ६।

^५ दारय नमा स० प्र० पु० पृष्ठ २६६।

और बुम्बरा का भी उल्लेख दखन का मिलता है।^१ मन ता यह है कि चाहमान अभिलक्षा म हम मारवाड़ के उन सौनागरा की व्यापारिक प्रवृत्तियों के उदगम की भावी मिलती है जो बाद म मारवाड़ी व्यापारियों के हूप में प्रसिद्ध हुए।

परमार अभिलक्षा स भी ऐसा संकेत मिलता है कि उस राज्य म आतंरिक व्यापार अच्छे-खास प्रमाने पर होता था। राजस्थान म प्रसिद्ध अथूणा नगर म व्यापार की स्थिति बहुत अच्छी थी। यहाँ दैनिक उपयाग की वस्तुप्राप्ति का व्यापार होता था—जस ग्रान (विशेषवार जो) मूत, इ, कपड़ा, नमर शर्पर^२ और तल। ऐसा जान पड़ता है कि बगाल स मजीठ लाकर अथूणा म वेचा जाता था।^३ नासिक के एक परमार सामन्त के अभिलक्ष से पता चलता है कि वहाँ बहुत सी दुश्मान और घाणक थे।^४

ऐसा प्रतीत होता है कि गुजरात के यापारी जो वणिक कह जाते थे वापी समृद्धिगाली थे। वस्तुपाल, तजपाल और जगड़ य तीन लक्षपति यापारी तो प्रसिद्ध ही हैं।^५ इह आतंरिक और बाह्य दोना तरह के व्यापारा स धन मिलता था, और वहन की जहरत नहीं कि इह उन साधारण सौदा गरा से भी मदद मिलती थी जिनकी आर्थिक प्रवृत्तियों का सम्बन्ध आम जनता के आर्थिक जीवन से था। पट्टद्यो नाम से जात एक व्यापारिक समुदाय आन बचता था (बणादि विक्री वणिक)।^६ एक साधारण यापारी का उल्लेख भी मिलता है जो बेवन चना बचता था (चणकविक्रयकार)।^७ इससे ऐसा निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्र म भी कुछ लाग साधारण खरीद कर ही थात थे।

उत्तर प्रदेश म आतंरिक व्यापार का बहुत कम संकेत मिलता है यद्यपि गाहड़वाल अभिलक्षा म प्रयुक्त प्रविष्टकर गाद का मतलब कुट्टवर विक्रेताओं

१ दारथ ग्रमा स० प्र० पु० पृष्ठ २६६।

२ ए० इ० १४ न० २१ ६६ ३६।

३ वही इलोन ६१।

४ वही १६ न० १० पवित्रियो १७ ३१।

५ ए० व० मजुमदार दि चौतुक्याज आफ गुजरात, पृष्ठ २६७, २८८ ५।

६ हेमचंद्र का दसानाममाल ६ ५६।

७ मेरस्तुग-हृत प्रय धर्मिन्तामणि, स० जिनविजय मुनि पृष्ठ ७०।

पर समाया था तुरा है । इसी प्रकार एवं गम्भारा दिवांग ॥ १८ ॥ एवं मध्ये मध्ये या तरिका ध्यानार पद्म वेदोः या तुरा तुरा तुरा यथो व सोग चास चास घोर २८ यी तरा । घरासी दासो तुरा ३८ । या धर्मि गरिहार द्वारा तार तरुण ती ४८ यद्युदा ते एया तार तरा ५८ । दि ५ ६८ क रागा का ध्यानारी या नारी ध्याना ६८ ७८ महाना ८८ । एवं शुद्धिया ९८ घ्रापा १०८ तरा ११८ मध्यानार का धर्मिता धर्म गिरांग दृष्टा । उदेश गहर घोर गोर भगवान भगविहर था । १२८ रा घोर तीरा क ध्यानारा भजा चीरें दी जानी भी उत्तमगाना १३८ रामा घोरगी रथी नामिन था ।^१

तूरी भागा म एग ए १४८ शाम म ध्यानिक ध्यानार दिव्यन्त गम्भार हो गया हा एया वान १५८ । या । इमरी या ती याद घुमारार मरा है । उद्यतरिक (गोवट्टन तुरा धर्मिता) घोर गोर तरा १६८ धर्मिताधिया १७८ तरा मिनता है । ये ध्यानार तरी १८८ या तो दिव १९८ महि रात्रिया २०८ रामा का क्या उद्यय हो सरता था ? इस काल म हम २१८ तद धर्मिता धर्मिता का भी उद्यग देखत है ।^२ वर्ष २२८ हृष्णविधि धर्मिता वानारा २३८ । इस रम वरोधारा धर्मिता ।

युन गिरारर यह मानना हाजा दि जहो युल मानाज्य के पाने के बारे वी तार सत्त्वा म भारा म उद्यग ध्यानार का द्वाम हुआ था यारी दग वाल म विषपतया पर्विमी भारत म उमरा वासा विराम हुए । आन्तिरिक ध्यानार वी सतन वदि या एवं वारण विहै ॥ ध्यानार का नवोरुप था, जिस पर हम आग विचार बरा जा रह है ।

ऐसा मानना गलत होगा दि ७१० घोर १००० के बीच विश्वी ध्यानार विल्लुल ठप पड़ गया था, लेकिन ६०० से लेकर ६०० तक विश्वी ध्यानार के बहुत कम सरत मिलत है । इस काल म हम विदारी ध्यानार के जा प्रमाण मिलते हैं व सानवाहन घोर कुण्डल म रोम साम्राज्य के साथ घोर गुप्त चाल में प्रजनतानी साम्राज्य के साथ भारत के ध्यानार की तुलना म कुछ नहीं है । फिर भी भरव सागर के माध्यम से भारत तथा फारस की याडी घोर भरव के बीच समुद्री यापार अच्छे यास पमाने पर चलता रहा । सातवीं सदी के भरव विवरण म भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कुछ बदरगाहा का उल्लेख हुआ

^१ एत० के० मिन दि असीं रूलस आफ खजुराहो पठ १८१ २ ।

^२ भीरायि का० इ० ४०, ४, पारमित पठ १७० ।

^३ ए० व० ३, न० १६ पवित्र १६ ।

है।^१ लेखिन भारत के विदेशी व्यापार के विषय में अरता के अधिकार विवरण का सम्बन्ध हवी और विदेशी व्यय में १०वीं मर्नी में है। इस बात से सम्बन्धित विवरण में अनन्त भारतीय वान्नरगाहों का जिक्र है।^२ यह दसवीं सर्वी में पदिक्षमी तट पर व्यापारिक गतिविधियों के फिर न तीव्र हो उठने का सबूत देता है। इस व्यापारिक पुनर्स्थान का सम्बन्ध चाना द्वारा १०वीं मर्नी के अन्तिम वर्षों से जहाजराना और समुद्री व्यापार के क्षेत्र में प्रारम्भ किये गये उपक्रमों से भी रहा हांग। इस दिनों में इच्छा रानवाल एक बोंदाद एवं कई शक्तिशाली चाल रानाग्राम दण्डिण-पूर्व एगिया के साथ भारत के व्यापार के विकास में बड़ा योगदान दिया।

१००८ के एक अभिलेख से जात होता है कि कावण का क्षेत्र क्वल तटीय न्यायारा के साथ ही नहीं बल्कि सुदूर विभेना (द्वापार-तर) के साथ भी खूब व्यापार बरता था।^३ और इस व्यापार के परिणामस्वरूप वहाँ के गासक भाण्डनिक रट्टराज का काफा नवद आय भी होनी थी। विदेशों से आनवाल प्रत्यक्ष जहाज से वह एक गतियाण स्वयं और तटीय क्षेत्र में कण्डलमूलीय नामक स्थान में आनवाल प्रत्यक्ष जहाज से एक घरण साना बमून बरता था।^४ सम्भव है कि तटीय व्यापार स्थानीय नौकाओं में किया जाता रहा हो। य सारी बातें कावण तट पर बढ़नी हुई व्यापारिक गतिविधियों की सामूही भरती है। व्यापार का इनना विकास हुआ कि वहा मणिग्राम नामक व्यापारियों का एक गहर ही बस गया।^५

इसी प्रकार चीन के साथ भारत का व्यापारिक सम्बन्ध था। पहले इस व्यापार पर मुख्यत अरता का एकाधिकार था और बाद में चीनियों का हा गया। य दोनों देश अपने ही जहाजों में व्यापार करते थे। १०वीं सदी से पूर्व भारतीय सौनागरा के विदेशों में जाकर व्यापार करने का कोई सबूत नहीं मिलता।^६ लेखिन १२वीं सर्वी की एक कृति मानसोल्लास में यह सलाह दी गई है कि राजा के बदरगाहों में ठहर भारतीय जहाजों को जितन मूल्य का माल उनमें

^१ नवीं वरव भारत के सम्बन्ध पृष्ठ ४६।

^२ वही।

^३ ए० इ०, ३ २६६ ६७।

^४ वही, ३ न० ४० पत्तिया ५६ ५७।

^५ वही पत्ति ४४।

^६ ए० द० मजुमदर दि चौतुर्थ्याज पृष्ठ २६७।

था हा, उग्रा दग्धो चिन्हा थुरा कर्त्तव्य उग्र दाता चार्दा ।^१ १३वी मास म जगहु नामा पर भारतीय व्यापारी था। पारग के गाय वर्ष निरामिन रा ग व्यापार करता था और मास को घान ही जगत म ढाका था।^२ इस भ्रत्याकां यज्ञनेत्र परिषमी तर पर भारतीय गमुणा सुनेरा क। विशिष्टिः का भी उत्तर मिलता है। उग्ररेण क विष, १३वीं गण म मार्त्तोग्राम न मुख्या दी विद्या पाया था।^३ एवं भी विद्य हाता है जि भारत म उत्तर चिना जगत्राता का अन्तरा था।

इन्हा तो निरिषा है जि १३वी मासी म भारत म जहाँ बनाता था वाम काषी वड पनाम पर अन्तरा था। मार्त्तोग्राम न वर्ष भारतीय जहाँ बना उत्तर रिया है जो बहुत गार गोगार और तरान्तरह क मान लकर पूछा (धीन पा य अरमाह) जाया करत थ।^४ इस भ्रत्याकां यज्ञनेत्र परिषमा तट पर स्थित वड व्यस्त बादरगाहा की भा अर्था है जहाँ भग्य और धीना व्यापारी आदा करत थ। भ्रत्य लगता न १०वीं मासी म जिना बादरगाहा का त्रित्र रिया है उन्हीं ताना उद्या मासी क भ्रत्य लगता द्वारा बताइ गई सत्या स युद्धा अधिक है।^५ इस सप्तस प्रवट होता है जि भारत के परिषमा तट पर १०वीं स सरर १३वीं सानी तर विभेदी व्यापार फिर काषी जोर गोर स होने सका था। इस थान की पुष्टि रामकालीन भनुतानपदा स भी होनी है। इनम हम न चुप्ती और विक्रय पर का अधिकाधिन उल्लेख देताने को मिलता है।

विभेदी व्यापार का स्थान भी भ्रत वर्ष के बाया था। ईस्वी सन् की प्रारम्भिक सदिया म भारत मुख्यत विलासिता की सामग्री यसाके, रेणमी वस्त्र और गलमल दूसरे दागा को भजा करता था। लेदिन भव वह कमाया हुआ चमटा, चमड़े का सामान मोटा खुरदरा वपडा और अब प्रदार के कपड़े भी

१ ग्रा० ओ० सि०, २८ परिच्छेद ४ इतोक ३७४ ६।

२ ए० वे० नजुमदार स० प्र० पु०, पष्ठ २६७। जगहुचरित नामक इति जिसका नायक एक सीदागर है १४वीं सदी म विसी समय लिखी गई। वही पृष्ठ ४२० / १२११ म एक हि द्वू व्यापारी गजनी म व्यापार करता था (वही पृष्ठ २६७)।

३ ए० वे० नजुमदार स० प्र० पु० पष्ठ २६८।

४ मार्त्तोग्राम २ २३१।

५ नदीवी, अरब भारत के सम्बद्ध पृष्ठ ४६।

निर्यात करने लगा था।^१ सम्भव है, मोटा कपड़ा सण या पटुए से ही बनाया जाता रहा हा लेकिन चीनी विवरण में बहिर्या किस्म के पटुए के निर्यात का भी उल्लेख हुआ है।^२ चीनी और अरब विवरणों के अनुसार इस बाल में मालवा और गुजरात से इख तथा अदरब भी बाहर भेजा जाता था। माटे कपड़े, रई से तयार की गई चीज़ा, पटुए और शक्कर का निर्यात बड़े पमान पर होता होगा क्योंकि ये ऐसी वस्तुएँ थीं जिनका उपयाग अरब और चीन के उच्च वर्गीय लागा तक ही सीमित नहीं रहा होगा। इस्तो सन की प्रारम्भिक सत्त्वा में बहिर्या किस्म के कपड़ों का नियात तो होता था, किंतु पटुए और शक्कर का नहीं।^३ इस प्रकार लगता है कि बिदेशी व्यापार में ये माल नये नये ही दाखिल किये गये थे। इन दोनों वस्तुओं में "व्यापार का परिमाण क्या था इसका हम कोई आदाजा नहीं है लेकिन इसमें तो कोई संदेह नहीं कि ये विलासिता की सामग्री नहीं थी और इसलिए इनके निर्यात का असर इनके उत्पादकों पर भी पड़ा होगा, क्योंकि उह अपनी क्षपास, पटुए और इख के लिए नकद दाम दिये जाते होंगे। जहाँ तक चीन का सम्बंध है जिस प्रकार पहली सदी में भारतीय मसाला के आयात के परिणामस्वरूप रोम को अपना बहुत सारा साना गेवाना पड़ता था, उसी प्रकार १०वीं १२वीं सदिया में भारत की उपयुक्त वस्तुओं की विलासिता की सामग्री के आयात के कारण चीन का काफी सोना चादी भारत चला आता था। अतः रोम की ही तरह चीन को भी १२वीं सदी में मलावार तथा किलोन के साथ अपने व्यापार पर प्रतिवध लगाना पड़ा।^४

१ नन्दी, अरब भारत के सम्बंध पृष्ठ २६५ ६६।

२ पुष्पा नियोगी, द इकनामिक हिस्ट्री ऑफ नान इडिया पृष्ठ १३६।

३ परिप्लस में एक स्थल पर भारत से निर्यात की जानेवाली वस्तुओं में शक्कर का उल्लेख है लेकिन यह नियात इतना महत्वपूर्ण नहीं था कि उस पुस्तक में निर्यात की जानेवाली वस्तुओं की जा एकीवृत्त सूची में दी गई है, उसमें स्थान प्राप्त नहीं किया गया।

४ चाउ जू-नुआ, पृष्ठ १८ पुष्पा नियोगी की स० प्र० पु० के पृष्ठ १४७ पर उद्घृत। अब तक भारत के पश्चिमी तट पर कोई चीनी सिक्का नहीं मिला है लेकिन चीनी सिक्के यहाँ हा सकत हैं इस सम्भावना को अस्तीकार नहीं किया जा सकता। आयद चीनी लाग भारत को सोने और चीदी के डांड़ा भेजत थे, जिह गलाकर यहाँ सिक्के या आभूपण बनाये जाते थे। लेकिन तजीर में बहुत-से चीनी सिक्के मिले हैं जो दक्षिण भारत के चीन के व्यापारिक सम्बंधों की साथी भरत हैं।

तुक्कों की भारत विजय से पहले की दो सन्तिा के व्यापारिक पुनरस्थान का कथा कारण था, यह कहना मुश्किल है। पूर्वी भारत में व्यापारिक गति-विधियों को उत्तेजन मिलने का एक कारण यह प्रतीत होता है कि वहाँ दो महत्त्वपूर्ण व्यापारिक वस्तुओं सुपारी और नारियल का उत्तरोत्तर अधिका धिक उत्पादन विद्या जाने लगा था। बगान के सना के अनुदानपत्रा में जो अक्सर मिलता का उल्लेख मिलता है उसका श्रेष्ठ भी गायद इही दो तिजारती चीज़ों के उत्पादन की था। जहाँ ११वीं और १२वीं सदिया में उत्तरी तथा पूर्वी बगान में अनुदान में दी गई वस्तुओं के रूप में इन नाना का जिक बार बार हुआ है वहाँ न तो गुप्त कान के अनुदानपत्रा में और न उनरी थगाल के पान अनुदानपत्रा में ही इनका काहे उल्लेख हुआ है। पूर्वी बगाल में सबसे पहले ७वीं द्वीं सदी के एक अनुदानपत्र में सुपारी का जिक आता है।^१ लक्षित संपत्ता है कि अनुदाना में नारियल का दो सदी बाद स्थान मिला। चढ़ और बमन अनुदानपत्र में अनुदत्त भूमि के उत्पादना के रूप में सुपारी और नारियल का उल्लेख तो हुआ है लेकिन इन उत्पादना का मुद्रा के रूप में मूल्य नहीं बताया गया है। बिन्तु इसरी और अधिकारा सन अनुदानपत्रा में मुद्रा के रूप में गाय का अनुदान वहीं दिया गया है जहाँ इन दो पदाधार का स्पष्ट उल्लंघन हुआ है। इन दोना पना के पड़ स्टैटिक भारत में बगान में साध्य गये और वहाँ ११वीं सदी में वहाँ ग्रामजनी का जरिया माना जाना जाता। वहाँ के विभान गायद इन पनना के लिए राजा का बह रत थ, और राजा जै यामिक अनुदान देता था तर यह करापिकार ग्रहीता का भी र देता था। हम निर्णयूपन यह नहीं कह सकते कि नारियल का जातरन-नरह के उपयोग होते हैं य भज बगान के सामान वा मानवीय, नविन दृग्म वा दृग्म गान्धी ही कि सुपारी और नारियल विभाना की नरन ग्रामजनी के मुख्य गायन है।

मध्य और पश्चिमी भारत में व्यापार के पुनरस्थान का महत्त्वपूर्ण कारण यह प्रतीत होता है कि दोनों इन दो द्वीपों का इन तान व्यापारिक और नरन भाग देवघारी पनान की गता गृह थी थी। ११वा १२वा मर्स्या के चाहे अनुदानपत्रा में प्रदृश गाना है कि मध्य भारत में दो गता पनान का गती

^१ भर्मायग यात्र एगियानिक मोगान्नी आदि उपानि में प्रदृशित है यहाँ एक उपरक्षम यात्र उपग्रहण गानह निर्णय १ न० ६ गृह ६० दृग्म दो परित ८।

काफी बड़े पंचाने पर होती थी। स्पष्ट ही इन उपजा से जा चीजें तयार की जाती थीं उ ह सरीश्वर देहानी सौभाग्य निर्णय के लिए व आगाहा वा भेज देत थे। यही वारण है कि मध्यप्रदेश व विमान १३वीं सदी म नवद लगान दिया बरते थे।^१ जहा तइ इव का सम्बाध है इसका उल्लास चादेन राज्य म ही नहीं मालवा म भी होता था और गुजरात व मुद्रन्तट से गवर्नर वा नियात किया जाता था। दस साल म इव परन व घट्ट इशुनिपीडनयात्रम् वा काफी प्रयोग होता था, जिसका उल्लेख हम हेमचान्द्र की कृति देसोनाममाला म मिलता है।^२ यह तथ्य रुद्र महात्मा का है क्याकि इसमे पहल हम इव पेरन के यात्र के लिए कार्द सहृदय गाँड़ नहीं मिलता।^३ इस यात्र के प्रयाग के प्रसार स गवर्नर उद्याग को बढ़ा उत्तरान मिला। हम यह तो भालूम नहीं है कि बपाम से सूत-क्षयन आदि वान की प्रणाली म बाई प्रगति दुई या नहीं, सेतिन इसम बोई स ऐह नहीं कि उर्मी सनी म रहमी (विद्वाना न इस वगाल के लिए प्रयुक्त एक नाम माना है) स सूती क्षयन का नियात होता था, और मालवा तथा गुजरात म क्षयस की खती काफी बड़े पंचाने पर होती थी। भारतीय बपास की श्रेष्ठता की सार्वी मार्कोराला भी मरता है। उसक अनुमार गुजरात म क्षयस के बड़े पौधा स तो २० साल पुरान होने पर छ छ गज ऊने हो जात थे काफी रुद्र पदा होती थी।^४

इव की ऐती न बल्ल मध्य भारत म होती थी बल्कि राजस्थान के मुख्य इतार म भी इसके उपजाय नान क प्रमाण मिलत है। इसका मतलब यह हुआ कि सिचाई के कृतिम साधना का भी उपयोग किया जाता था। यहाँ अरथट्टा या अरथट्टा का उल्लेख किया जा सकता है। अरहट्ट या अरथट्ट पानी निरालन का एक चक्र या जिसम कद बालिया लगी हाती थी और बला की सहायता से उसक जरिये कुएं स पानी निकाला जाना था। यह आजबल के रहठ के जसा था। इस यात्र का उल्लंघन पञ्चलेन्यहल ८वीं शतानी क अभिनवता म मिलता है और इसका उपयोग मारत ने गायद फारस से सीधा था। यहा इसका प्रचार हान म काफी समय लगा, क्याकि यहाँ के लगभग गतिहीन कृपक समाज के लाग नद चीजों का जलदी स्वीकार नहीं करते थे। लेविन अमर्ती

^१ वा० ड० द० ४ न० ११६, पक्तियाँ १ ११।

^२ २ ६५ ६ ५१, ४४।

^३ जोगरथां राय हुत एशिएट इंडियन साइफ पृष्ठ ८५१, ए० व० मनुम दार की स० प्र० पु० के पृष्ठ ४७८ ह पर उद्धृत।

^४ ए० क० मनुमदार स० प्र० पु० पृष्ठ २५६।

तीन गणिया में यह प्रत्र काफी लोकप्रिय हो गया, परंतु दृष्टि और दर्शन पूर्व मारवाड़ में ग्राम्य १८वा और १९वीं शताब्दी के चाहमाना भूमितराम में सिद्ध होता है कि ऐसे कुप्राप्ति का उत्तरोग काफी बड़े पैमाने पर होता था जिनसे उत्तरपूर्व ढग के चत्र द्वारा पानी निरापद जाता था। इसमें इन, पर्याप्त और साधन जरूरी नहीं आये दूनवालों द्वारा पर्याप्त परगला की घेती वा सूख उत्तेजन मिलता होगा।

लगता है कि १२वा और १३वीं सदियों में क्षमायहुआ चमड़े और चमड़े के सामान वा नियात मध्य-गूव और चीन का काफी यहे पैमाने पर विद्या जाने लगा। दोनों में इस उत्तरोग पीं प्रगतिशील स्थिति से नियात का बल भिसा, और यहीं इस उद्योग के विवाह की सारी दर्ता और विद्यार्थी जोना गूप्त भरत है। राजतरणिणी में वश्वीर वा चमकारा का उत्तरव्य हुआ है^१ और लक्ष्मीपर न चमकारा वा सप्ता या जिन्हें निया है^२ हमवाड़ न कई तरह के जूता और जूत बनानवाला या उल्लेख दिया है^३ मार्दीगालों पहता है कि गुजरात में बहुत ज्यादा चमड़ा कामाया जाता था और यहीं लाल और नीन चमड़ की बहुत सुंदर चटाइयाँ बनायी जाती थीं।^४

उद्योग-व्यवसाय को नीना निर्माण के बौशल के विवाह से भी सहायता मिली। परमार भोज द्वारा ११वीं सर्वी में लियी पुष्टिक्षेपताद में वर्द्धित तरह के जलयाना का उल्लेख मिलता है और उसमें बताया गया है कि सम्भावा वा लोहे की कीला से नहीं बल्कि रस्सी से जोड़ना चाहिए व्याविकील होने से नीवा को चुम्बकीय चट्ठानें अपनी ओर सीधे ले सकती हैं।^५ यद्यपि यह लेखक का अनुविश्वास ही प्रतीत होता है कि भी इसमें एर खूबी तो थी ही विकीला से जाड़े गये तरत्ता की अपनी रस्सी से बांधे तरत्ता में आधी-तूफान के घटने की अधिक क्षमता होती।

११वीं १२वीं सदियों के व्यापार-व्यवसाय का किसी बाहरी परिस्थिति से सहायता मिली या नहीं, यह कहाँ बठिन है। सम्भव है अकूसडा (धमयुद्धा)

^१ पुष्पा नियामी स० प्र० पु०, पृष्ठ २४७।

^२ बी० पी० मनुमदार सामिया इकनामिक हिस्ट्री ऑफ नार्न इंडिया, पृष्ठ २०८।

^३ ए० बै० मनुमदार स० प्र० पु० पृष्ठ २६१।

^४ वहीं पृष्ठ २६० ६१।

^५ पुष्पा नियामी स० प्र० पु०, पृष्ठ १७०।

वे बारण यूरोप के साथ अरब के व्यापार में बाधा पड़ने के कारण अरब का ध्यान भारतीय व्यापार की ओर गया हो। इधर यूरोप की भौतिक समदि सूबे वन्ही थी, और उसके रहन सहन का स्तर काफी ऊँचा हो गया था। इसलिए बिलासिना की सामग्री की माँग भी बढ़ी ही होगी। महसूद और मसूर के शासन काल में सिक्के बहुत बड़े पमाने पर जारी किये गये और उनका स्तर भी बहुत अच्छा था। इससे ११वीं सदी में भारत तथा पूर्वी इस्लामी दुनिया के बीच व्यापार को बड़ा उत्तेजन मिला, यद्यपि विद्वाना का एसा विचार है कि इस व्यापार का सत्तुलन भारत के ही पक्ष में था।^१ वाणिज्य-व्यापार के पुनरुत्थान का ठीक ठीक कारण चाहे जो रहा हो, इसमें नहीं कि इस काल में इस क्षेत्र में काफी प्रगति हुई और इस तथ्य को भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि वाणिज्य व्यापार की प्रगति के फलस्वरूप पश्चिमी भारत में भूमि पर आधारित सामाजिक अध्यवस्था की जड़ें बमज़ोर होने लगी थीं।

आन पड़ता है आरातरिक व्यापार को यातापात के साधना में बुद्ध मुघार होने से उत्तेजन मिला। भूतपूर्व भरतपुर राज्य के व्यापार नामक स्थान से प्राप्त ६५५ के एक अभिलेख से प्रतीत है कि गूरसेन शासक वश की किसी महिला ने विष्णु को एक गौव अनुदान में दिया था, जिससे होकर गुजरनेवाले व्यापारिक माल से लदे प्रत्येक घाड़े पर चुगी वसूल की जाती थी।^२ इससे यह निष्पत्ति निवलता है कि १०वीं सदी से यहाँ घाड़े का उपयोग माल होने के लिए किया जाने लगा था। एक अर्थ अभिलेख में ऊंट पर लदे माल पर राज्य द्वारा चुगी वसूल करने का उल्लेख मिलता है। भूतपूर्व जोधपुर राज्य में एक मन्दिर को अनुग्रानस्वरूप यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह अपने क्षेत्र में आन जानेवाल ऐसे प्रत्यक्ष कारबा से जिसमें दस से अधिक ऊंट और २० से

१ सी० इ० बामवय दि गजनवाद्वास पष्ठ ७६।

२ यहाँ 'प्रति घोटक च दाने द्रम्मो देवस्य भागवतो विहित' शब्द का प्रयोग हुआ है ए० इ० २२, न० २० श्लोक ४१। दो गौवा तथा श्रीपथा और बुसाबट की मण्डपिकाशा से होनेवाली आय में से प्रति निन्तीन तीन द्रम्म के अनुदान (वही, श्लोक २३६ ४०) के सम्बन्ध में आर० ढी० बनर्जी का यह विचार कि महसूल प्रत्यक्ष अश्व भार माल पर लगाया जाता था सही जान पड़ता है हालाँकि वे यह भी कहते हैं कि जब घोड़ा बेचा जाता था तभी महसूल लगाया जाता था (वही, १२१)।

अधिक बल हा, एक एक परा वसूल करे।^१ पद्यपि य अभिलेख १३वीं सर्गी में अतिम् वर्षों के हैं जिनमें ऊँचा उपयोग आमद पहल ही गुरु हो गया होगा, यद्यपि उन अभिलेखोंमें और मानसोल्लास^२ के अनुमान सनिक अभियान में प्रातापात व लिए भए ऊँटों और बला वा उपयोग होता था। इस प्रकार अब बला वा अनादा मार ढोते रे लिए ऊँटों और पाठा वा भी व्यापद उपयोग प्रारम्भ हो गया था। यह सच है कि पूर्वी भारत में ऊँटों का उपयोग नहीं हो गया होगा, केविन घोड़े अब वहां मार बाढ़ पशु बन गये थे। अभिलेखोंमें घोड़ा की चित्री का बार बार जिक्र होने से लगता है कि अब व सनिक अभियानोंके लिए ही नहीं बहिक व्यापारिक प्रयोजना के लिए भी इसी महन्वपूण हो गए थे। इसलिए हम ऐसा मान सकते हैं कि इन नये साधनोंके प्रयोग में प्रातापात की मुखिधा बनी हार्नी जिससे व्यापार को सहायता मिली होगी।

इस बात में मुद्रा की स्थिति पर विचार करते पर हम आतंगिक और विदारा दाना तरह की 'यापारिक' प्रणति को ज्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं। समकालीन अभिलेखोंमें तथा साहित्य में अनेकानेक स्थानों पर मुद्रा का उल्लेख हुआ है, और इस काल के बहुत से सिफरोंमें हम मुलम भी हैं। १००० ईस्टी के बाद न्यू उत्तर भारत में सिवारा की त्लाई फिर से आरम्भ होते देखते हैं, पद्यपि यह चीज़ अभी मुश्यत उत्तर प्रदेश, माय भारत, मानवा, गुजरात और राजस्थान तक ही सीमित थी। बगाल और चिहार में इसके बहुत कीण प्रमाण ही मिलत है। अब तो यह है कि कुछ विदारी द्वारा पा किये गये इस मत को सहज ही अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि इस बाल में पूर्वी भारत में विनिमय का माध्यम छोड़ी थी। किन्तु बगाल में सेता और उनके समकालीन शासकोंवा वा अधीन स्थिति निरचय ही कुछ बहुत गई। मेन भूमि अनुदानपत्रोंमें अनुदृत गावा या भूमि गण्डा वा राजस्व वा अनुमान कपड़व पुराणा में लगाया गया है। पाना वा अधीन हम इस विनिमय माध्यम कपड़व पुराण की ओर जानवारी नहीं मिलती। टिपडा जिल में प्राप्त १२३४ वा एक अभिलेख में दामान्दरदव द्वारा २० ग्राहणा को दान किये गये प्रत्येक धन वी बार्पिं आय नहीं रागा में बूती गई है और इन ग्राहणोंका इन गमोंकोना सहायतानी-

^१ १०२० ११ न० ८ २२ पञ्जिया ८०।

^२ अध्याय २० "नोव १०६८।

कुल आय १०० पुराण वर्ताई गई है,^१ हातौरि कि हम निश्चयपूर्वक यह नहीं कह सकते कि ये ग्रहीता अपना अग्र नकद राणि म ही बसूल करत थे। अब तक जो सिफ़रें मिल हैं उनमें से इसी को भा सेन अथवा पाल राजाओं या इस काल के बगाल के किसी अव्यापक का नहीं माना जा सकता, लेकिन अभिलेखों के हवालों से लगता है कि पालों के राज्य में तो मुद्रा का खास चलन नहीं था, किंतु उनोंके राज्य में उसका बासी चलन था।

जसे जस हम पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, हम मुद्रा का अधिकाधिक चलन देखन का मिलता है। तिर्तु जारी बरनवाता पट्टना गाहन्द्वाल राजा मदनपाल (११०२—११) था। द्रम्म नाम के बहुत से भिन्ने उमर्ज पुन गाविद्वाद (१११२—४५) के माने जाते हैं। यमों भी उसके गिरके जिस तरीके से मिल रहे हैं, उनसे प्रकट होता है कि उनका व्यापक चलन था। अब शासकों के सिफ़रों के बारे में हम बहुत कम जानकारी है। उत्तर भारत के प्रमुख राजवासा में भवसे पट्टने साने दे सिफ़रों की ढलाई डाहूल के बलचुरि राजवासा ने फिर से आरम्भ की। इस राजवासा के कई शासकों के सिफ़रों प्राप्त हुए हैं। बलचुरि स्वयं मुद्राएं मवसं पहन गागयदेव (१०१२—८०) न जारी की। इसके बाद चंद्र शासकों ने मुगाङ्न आरम्भ किया। इस राजवासा ने अपने शासकों के पट्टन सौ माना में काइ सिफ़रा नहीं ढलवाया, लेकिन कीर्तिवर्मन (१०६०—११००) ने यह काम गुण किया और उसके उत्तराधिकारियों ने उसका अनुमरण किया। इन शासकों ने तीन प्रकार के द्रम्म जारी किये। चंद्र शासकों के राज्य में मुद्रा के बढ़त हुए चलन का सबैत १२१२ के एक अभिलेख से मिलता है।^२ इसमें एक विस्थाव, अर्थात् जमीन रेहन रखकर मुद्रा लेने का जिक्र है, यद्यपि यह राणि रितनी थी, यह वात यहाँ नहीं बताई गई है।

ऐसे सिफ़रों बहुत बड़ी संख्या में मिलते हैं जो प्रतीहार साम्राज्य के घसावगोप पर उदिन होनवाले तथाकथित सम्बद्ध राजपूत गानवशा के भाने गए हैं। उदाहरण के लिए, चाहमानों को बहुत से सिफ़रों जारी बरन का श्रेय दिया जाना है और ऐसे सिफ़रों एक खासी तादाद में प्राप्त भी हुये हैं। बहुत में ऐसे संकेत मिलते हैं जिनस पता चलता है कि उनके राज्य में वाणिज्य व्यापार खूब फूल फल रहा था। इसनिए वहाँ मुगाङ्न आवश्यक था। दुराना और वस्तुविक्रय में प्राप्त होनवाले राजस्व का अनुमान नवद राणि में लगाकर मन्त्रिरा-

^१ ए० इ० ३० ५७ ५८।

^२ ए० इ० २५ न० १ पक्तिव० १० १४।

को अनुदान में दिया जाता था। और जहाँ तर गुहिता का सम्बाध है, 'थी गुहिल मुद्रा चिह्न से घटित लगभग २००० रुजन मुद्राएँ १८६६ म आगरा में प्राप्त हुई' लेकिन आजबल वे कहाँ किसके पास हैं, यह पता नहीं है। हजार वीं तादाद म प्राप्त गधया सिक्का भ से वहुता को मुहिला और चाहमानों का माना जाता है। जो गधया सिक्के अभराकित हैं उह ११वीं सदी में पहले वा नहीं माना जा सकता है। इसी प्रकार १०वीं सदी के अंतिम चरण से लेकर १२वीं सदी के प्रथम चरण तक वे वहुत से सिक्कों को बनिधम ने अजमेर और दिल्ली के तोमर राजवंश का माना है। यहाँ १३वीं सदी म गवालियर के नारवार शासका द्वारा जारी किये गये ताबे के सिक्कों का भी उल्लेख किया जा सकता है। दो स्थानों में प्राप्त क्रमा ७६१^१ और ६२६^२ ताज्र मुद्राओं तो भी इही का माना गया है।

जहाँ तक मालवा के परमारा का सम्बाध है, उनके अभिलेखों (बासवारा में प्राप्त अथूणा अभिलेख) म हम सिक्का का उल्लेख देखने को मिलता है। परमार राजाओं में स्वर्ण मुद्राएँ जारी करने का थेथे बेबल उदयान्ति को प्राप्त है, जो १०६० और १०८७ में बीच मध्य और उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों पर राज्य करता था।^३

मध्य भारत, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मालवा और गुजरात म जो हम सिक्के का चलन किर से आरम्भ होते देखते हैं उसका सम्बाध—विशेषकर पश्चिमी भारत म—वाणिज्य-पापार की प्रगति से जोड़ा जा सकता है। अभि सेखा म मण्डपिकाग्रा तथा दुकाना स प्राप्त नकद राजस्व के अनुदान म चिये जान का उल्लंघन वार-वार मिलता है। उनसे यह भी नान होता है कि पश्चिमी भारत के टटीय शेषों म देवी और विदेशी-पापारिया स आयात नियात कर नकर लिया जाता था। काश्मीर म विदेशी व्यापारिया को गदाण नामक स्वर्ण मुद्राएँ दनी पड़ती थीं, और उनी व्यापारिया को धरण नामक स्वर्ण मुद्राओं म सीमा गुर्जर दुकाना पड़ता था। सेषपद्धति म ऐसे दस्तावेज़ के मसौद दिये

^१ ए० एस० आई० फी १८७१ ७२ की रिपोर्ट (१ ६५) म उसी मूलना ए० मा० ए८० वालादान न दी है।

^२ मी० आर० सिध्दल रिन्याग्रामी थाक इंडियन ब्रावस भाग १ पृष्ठ ६५।

^३ वही पृष्ठ १०२।

^४ वही, पृष्ठ ६५।

गये हैं जिनसे प्रकट होता है कि वाणिज्य व्यापार और वस्तुओं की सरीद मिश्री खूब चलती थी। इम पुस्तक में हमें व्यापार और टक्साल वीं देय रेख करन वाले विमागा को जो व्यवस्था मिलती है उसकी पुष्टि चौलुक्य राज्य के अभिलेखीय प्रमाणों से भी होती है।

मुद्रावान और व्यापार वीं हाप्टि से पूर्वी भारत तथा उत्तरी और पश्चिमी भारत इन दोनों के बीच बड़ा अतर था। पूर्वी भारत में विनिमय वा मुख्य मार्यम छौड़ी थी, यद्यपि उडीसा के कुछ मागा में सोने के बहुत छोटे छोटे सिक्के मिलते हैं। अभिलेखा से ऐसा कुछ नहीं लगता कि इस क्षेत्र में कोई खास व्यापार होता था या ज्यादा द्याहर थे। स्पष्ट है कि आत्मनिमर सामन्तवादी अधिव्यवस्था पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में अधिक साक्षत् मुपुष्ट थी। लेकिन विचित्र बात यह है कि अगर हम उडीसा वो छोड़ दें तो सेवावत्ति स्वरूप सामन्ता और राज्याधिकारियों को दिये गये भूमि अनुदानों की सल्ल्या हम पूर्व वीं अपेक्षा पश्चिम में ही अधिक देखने को मिलती है। हाँ सकता है कि वास्तव में स्थिति ऐसी नहीं रही हो कि तु पूर्वी भारत में जहा प्राय बाढ़ आती रहती थी और अर्थ क्षेत्रों के राजा आक्रमण करत रहते थे, ऐसे अनुदानों के अभिलेखीय प्रमाण नष्ट हो गये हो।

लेकिन हम मार्य भारत में एक महत्वपूर्ण अभिलेख उपस्थित हुआ है जिसमें एक बहुत बड़े परिवनन का सकेत मिलता है। पूर्ववर्ती कान में देश के विभिन्न हिस्सों में राजस्व जिसा के रूप में निर्धारित किया जाता था, विनु इस अभिलेख से जात होता है कि अब यहाँ राजस्व नकद राशि वा रूप में निर्धारित किया जाता था। १३वीं सदी के प्रारम्भ (१२१३) के इस अभिलेख से जात होता है कि कदाचित रत्नपुर के क्लन्तुरिया वे सामन्त महामाण्डनिक पम्पराज द्वारा जारी किये गये एक दस्तावेज में जयपरा गाव का राजस्व पहले से किये गए निषेध के अनुसार १३० सराहगड़ामाच्छु और १४० विजयराजटक निर्धारित किया गया।^१ इसमें यह भी बताया गया है कि एक दूसरे गाव का राजस्व १५० विजयराजटक निर्धारित किया गया।^२ मद्यपि यह गता लक्ष्मीधर का नाम जारी किया गया अनुदानपत्र है किर भी इससे नकद राशि के रूप में राजस्व निर्धारित करने के चलन का स्पष्ट सकेत मिलता है। इसे मुस्लिम प्रभाव का परिणाम मानन का प्रश्न नहीं उठता, क्याकि १२०६ में स्थापित दिल्ली सल्तनत में ता-

^१ का० इ० इ० ४ न० ११६ पत्तियाँ १ ११।

^२ वही, पत्तियाँ ७ द।

यह द्वन्द्वा गामित भी नहीं था। "गरे गिरी। गिरी माना म गान्धा क नार" राणि क द्वा म गिरागिं रिय जान क पास दो उग द्रविणा वी परम परिणति माना चाहिए जा उसक भारत म ॥ और "गांगनिया म प्राग्म दृद्धि थी।

१०वी शती क उत्तराधि म एजाय गया था उत्तोगर भवा म मुख क स्वार चलन क मान मिरा है। पां हूँ सर "गरा कारा धरवा" का मिथ्य लिख था। मिथ्य भ उत्तरी मौदूची क कारण दर्शिती मारा क गाय धराय गगार क व्यापारिक गम्भीर भजरा हूँ। इसक और कारण गाँ जा २०^२ है जाना तो निर्णित है कि ११वी शती क प्राग्म म मुख पा शूर चला था। जब १००५ ६ म महमूर न मुननार वो जीवा तो करा है कि यही क नामरिका का चना बनी थी गई कि यहि क नगर को तर्मन्दूम पर रिय जाए ग याना घटा हा तो उग दण्ड्वलन का परोड रिहम (द्रम) दें ।^१ महत है कि १००८ ८ म उपरी मिथ्य घाँटी ग मिया तमरों दुग म वा मिरि ग महमूद दन हुए सिरा दे रूप भ सात परार रिरम ३ ००० मन सोन और गोंग क दन वीमनी जाऊँ वगड चाँटी की गाँ घर की घाटनि तथा कीमनी पाथरा से जल नुआ एवं सिरामन ल गया ।^२ और गमा बाया जाना है कि सोमनाथ मन्दिर स वह दो परोड निकार मूर्त्य का लूट का भान ल गया। जब गाय को बाँटी बना लिया गया तब महमूर की सना अपने गाय १०० ००० रिनार मूर्त्य के आमपण दन सिक्का दे रूप म २०० ००० रिनार, ३० ००० दिनार स प्रधिक मूल्य क सोने चाँदी क बनन २० ००० रिनार मूर्त्य के क्षणे तथा जिन दान-गास्त्र की छृतिया को नष्ट कर रिया उनको छोड़कर ५० जानवरा पर जीर्ण पुस्तक ल गया ।^३ लूट की आय वस्तुग्रा स तो हमार अध्ययन का कोई गम्भीर नहीं है लेकिन इन हुए सिवरा की इतनी बड़ी राणि दस बात की माझी भरती है कि गुजरात म मुख का आपक चलन था। जहाँ मुहिनम विवरण म उत्तित सिक्का की मस्ताएँ इनके बास्तविक चलन का आमास देनी है वही इस तथ्य स कि सोने और चाँदी क छले इतनी प्रधिक मात्रा म मौदूद थ इन धातुग्रा के सिक्का के रूप म ढाले जाने की सम्भावना का सर्वत मिलता है। सच तो यह है कि मुहिन म इस मन्दिर से जो सोने चाँटी के डल और बहुमूर्त्य

१ सी० ई० बासवध द गजनवाडस पट्ठ ७६।

२ वही पट्ठ ७८।

३ बाँटी।

पत्थर लूटकर से गया उनमें से कुछ को गजनी वे कुनल जौहरिया न ढालकर और काट तराणा कर सुंदर आङ्गतिया प्रदान की ।^१ यह सच है कि महमूद के आक्षणों के परिणामस्वरूप पश्चिमी भारत को अपने बहुत सारे सिक्का संचित होना पड़ा, लेकिन पजाह म गजनविया ने अपने सिक्के जारी किये, और वहा चाने तथा ताब के मिथण से बने हिंदू ढग के सिक्का का चलन कायम रहा ।^२ तब और चादी के मिथण से तबार किये गये इन सिक्का के जारी किये जाने से लगता है कि वहाँ आम लोगों म भी इनमा चलन था ।

उस बाल की मुद्रा प्रणाती की विशेषता यह है कि अब धीरे धीरे साने वे स्थान पर मुलम्मा चानी चानी गुढ़ चादी चादी और कासे का मिथण और अंतत ताब के सिक्के ढाले जाने जाएं थे । चादला और बलचुरिया की मुद्रा प्रणान्तिया इसकी सारी भरती है । वैसे तो सोने के स्थान पर निम्नतर धातुओं के मुद्राकरण को कमी-बही आर्यिक अवनति की निशानी भी माना जाता है लेकिन बास्तव म यह परिवेन प्रतिया एक गहनतर अथ भी रखती है । स्वरूप मुद्राधारा का उपयोग तो बड़े बड़े सौना म ही सम्भव था । इसका मतलब यह हुआ कि उनका प्रयोग केवल धनी मानी लाग ही कर सकत थे । लेकिन चादी चानी फैसल तथा ताँब के सिक्का का प्रयोग सबसाधारण के लिए भी सम्भव था और इसलिए इन सिक्का का अस्तित्व मुद्रा के व्यापकतर चलन का संकेत देना है । इमलिए जा चीज आर्यिक अवनति की निशानी जमी निखाइ देती है वह बास्तव म एक ऐसी युक्ति थी जिससे आम लोगों की निन-प्रति निन की विनिमय मायम की आवश्यकता की पूर्ति होती थी । जन-साधारण के धीरे ताँब के सिक्का का चलन स्वभावत अधिक होगा । उल्लं बटिवध के जलवायु भ दीवराल तब रहने के कारण धीरे धीरे उनका क्षय होना स्वाम विक था फिर भी मध्य और पश्चिमी भारत म ११वीं और १२वीं सत्त्विया के नाम के जितन मिक्क मिने हैं व कुछ कम नहीं हैं और य छाट माट मामाय सौना म भी उनके प्रयोग का प्रयाप्त प्रमाण पा करत हैं । गाहड़वान राजाधा म स हम गाविद्वाद्र की ताम्र मुद्राधारी जानकारी है । ११वीं सनी म डाहल के बलचुरि राजा गामयद्व न जिसका स्वरूप मुद्राधारा की छलाई का पुनरारम्भ करने का थेय प्राप्त है ताब के सिक्के भी जारी किए । उन्हिन ज्यादातर ताबे के मिक्क १२वीं और १३वीं सत्त्विया के रत्नपुर

^१ सी० ई० बासवथ, = गजनवीडस प० ७६ ।

^२ वही प० ७६ ।

वे वलचुरि राजाया के भारे जा सकते हैं^१ यद्यपि विनाम्पुर म प्राप्त ताम्र मुद्राया पीण राणि का ११वीं सत्री के प्रारम्भ का मात्रा जा सकता है^२ रतनपुर के वलचुरि गांगव प्रतापमलन (१२०० २६) पर तो धर्म तरं वर्षन तथि के सिक्के ही मिल पाये हैं^३ वलचुरिया ने हनुमान की प्रारूपिका स्तरि के सिक्का का वलन आरम्भ किया, और उन्हें ने इस दण के गिरवा को शूद्र लोकप्रिय बना किया।^४ एसा जारा पड़ता है कि यह हनुमानी गिरवे जिसे वर्मी-वर्मी दम्प भी मानता जाता है १२वीं और १३वीं शताब्दी के वलचुरि गांगवा के अधीन विनिमय पर मध्यगामात्य माध्यम था।^५ परन्तु इसका भत्तलब यह नहीं कि इन शासकों ने तौत्र के भीर मिक्का जारी किये ही नहीं। तथि के सिक्के चौहान राजाया ने भी जारी किया।^६ इन राज्य म ग्रामीण स्तर के व्यापार के बापी सक्त मिलते हैं। जान पड़ता है कि चाहमान^७ और तोमर गांगवा ने विनिमय के सिक्के प्रचुर मात्रा म जारी किये। पजात म गजनवी गांगवा पुराने हिन्दू सिक्का का ही दण के तौत्र और चौदी के मिक्का बटी सिक्के ढलवात रहे।^८ मध्यप्रद प्रायद विलन और तौत्र के सिक्का की और भी राणियाँ प्राप्त हो लेती हैं कि जिनमें धर्म तरं मिलते हैं उनमें यह पता चलता है कि उत्तरी भारत और पश्चिमी भारत के एक बहुत बड़े हिस्से म जनसाधारण के बीच भी सिक्का का चलन प्रारम्भ हो चुका था।

विनिमय के दो भीर भी साधना का चलन था। एक तो या लाह का सिक्का और दूसरा चौडी। जहाँ लोहे के सिक्के पश्चिमी भारत म चलन थे, चौडिया बगाल और उडीमा म चलती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि सना के अधीन किसान लगान बगरह चौडिया म चुकाते थे।

चौडी, विलन चादी-नासि और विनोपकर तथि के सिक्को और गायद चौडिया के भी उपयाग के परिणामस्वरूप जिसा और धर्म के रूप म लगान

^१ मीराशि, का इ० इ० ४ पृष्ठ १८५ ८७।

^२ ज० चू० स० इ०, १८, ११२ २।

^३ मीराशि स०ग्र० पु० ४० १३७।

^४ वही पृष्ठ १८८।

^५ एस० क०० मित्र द अर्ली ल्लस थाफ खजुराहो, पृष्ठ १८३।

^६ दगरथ नमा अर्ली चौहान डाइनस्टीज पृष्ठ ३०३।

^७ वही पृष्ठ ३०५।

^८ सी० ई० वॉसवय, स० ग्र० पु०, पृष्ठ ७६।

महसूल अदा करने की प्रथा का ढीला पड़ना अवश्यक्तमावी था। ऐसा वोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर हम निश्चयपूर्वक यह वह सकें ति जो लगान महसूल पहले जिसा के रूप म दिये जाते थे व अब नकद दिये जाने लगे। लेकिन सना और वाद के बलचुरिया के वित्तिय भूमि अनुमानपत्रा से यह बात विल-कुल माफ हा जाती है कि लगान नकद राशिया म निर्धारित किया जाता था। दिल्ली सल्तनत म सबथ लगान की नवद अदायगी का नियम लागू किया जाना इसी प्रतिया की चरम परिणति माना जा सकता है। हमारे पास इस निष्पत्ति के लिए भी बाइ स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि राज्य जो सेवाएं थम के रूप म लेता था उसका स्थान पर अब वह नकद राणि लकर रेयता वा फुसत दे दता था। लेकिन यह सोचना पर्येगा कि बठ-बगार की जो रीति मध्य और पश्चिमी भारत म दूसरी सदी से आरम्भ हुई वह दसवीं सदी म आकर बढ़ क्या हा गई? उत्तर है ताव के सिक्का वा व्यापक चलन। हम ऐसा मान सकते हैं कि ताल-कूप, सड़क, किले आदि के निर्माण म किसाना से जो शारीरिक थम देने की अपेक्षा की जाती थी उसके बदले अब वे कुछ नकद रकम दे दने थे और राज्य उन रकमा से अपन य काम पूरा करता था। इस प्रकार जिसा और शारीरिक थम के रूप म राजस्व की अदायगी के आधार पर खड़ी परम्परागत सामंती अथव्यवस्था की जड़ें मुद्रा के चलन के बारण खाली पड़ गयीं।

हमारे दस अध्ययन से जो चित्र सामन आता है वह दा विषम वास्तविकताओं के रूप म रगा हुआ है। एक और हम देखते हैं कि खरम्बाह पण्डित पुरोहिता और गहस्या का अधिकाधिक भूमि अनुमान दिये जा रहे हैं उपसामन्तीकरण की प्रवत्ति जोर पकड़ती जा रही है व्यापार तथा शिल्पाद्योग से प्राप्त राजस्व को पण्डित पुरोहिता की जिरात बनाया जा रहा है तरह-तरह के बरा के बोझ से किसान तबाह हा रहे हैं और सामुदायिक अधिकारा को राज्य तथा व्यक्तिया द्वारा स्वायत्त किया जा रहा है। दूसरी और हम यह पाते हैं कि अनुदत्त भूमि की सीमाएं ठीक ठीक निर्धारित कर दी जाती हैं उनकी उपज का अनुमान नकद और जिसा के रूप म पेंग किया जाता है विष्टि का लाप हा चुका है आतंरिक तथा बिदेशी व्यापार फिर होन लगा है। एक बहुत बड़े धोन म विनियम साधन के रूप म भुग्ता का चलन पुन आरम्भ हो गया ह। यद्यपि दूसरी अवस्था भुग्तन पश्चिमी भारत म पाई जाती है ऐसा बहुता अनुचित न होगा कि भारत म पुरानन सामन्तवादी अथव्यवस्था न तुझे की भारत विजय स पहने की दा सदिया म अपना चरमाक्षय भी देता और त्रिमित हास भी।

निष्कर्ष

राजनीतिक सामर्थ्यान्वय के उद्दमव और विहार मा इतिहास ईस्त्री सन्
की पहली नामान्वी स ब्राह्मणा का दिय जानवाले भूमि अनुदाना स जुडा हुए
है। गुप्त राज म एसे अनुदाना की सम्पादा काफी हो जाती है और तप स बरा
बर बढ़ती ही चली जाती है। हप क सामन बाल म नान दा मठ क पास २००
गाँव थे। मन्दिरा तथा पण्डित पुरोहिता का पाला और प्रतिहारा स बहुत से
गाँव मिल सकिए। राष्ट्रवृटा स प्राप्त गाँवा की सत्या की तुलना म ये कम ही है।
राष्ट्रवृट राज्य मे एक अनुदानपत्र म १५०० और एक दूसरे म ४०० गाँव दने
का उल्लेख है। स्पष्ट है कि ब्राह्मणा और मन्दिरा को भू राजस्व इहलोकि क
सेवाग्रा के प्रतिशान स्वरूप नहीं बल्कि दाता वा परलाक मुगारन क लिए दिया
जाता था। जो लेन उत्तोदान किये जाते थे उनम उहे राजस्व विषयक व्यापक
अधिकार दिय जाते थे और साथ ही नाति सुव्यवस्था कायम रखने और
अपराधिया स जुर्माना वसूल करने-जैसे प्रशासनिक अधिकार भी। हेताग
वा कहना है कि राज्य क बड़ बड़ अधिकारिया का वृत्तिस्वरूप भूमि अनुदान
दिय जाते थे। कि तु समकालीन अभिनवो से उमर इस व्यवस्था की पुष्टि नहीं
होती। लक्षित यहि ब्राह्मणा का राजसेवक का नामान्वय अनुदान के रूप म वृत्ति मिलती थी तो
औरा के निए किसी अन्य पद्धति का प्रयोग क्यो किया जाता होगा? इसका
बोहे विनेप प्रमाण नहीं है कि अविकारिया तथा राजसेवक का सामान्यत
तरद वनन दिया जाता था। यदि इहलोकिक सेवाग्रा का प्रतिदान ननद राशियो
म निया जाना रहा हो तो फिर धार्मिक सदाग्रा का प्रतिपादन अन्य प्रशार
स व्या दिया जाना था? सच तो यह है कि घम तत्त्वालीन जीवन क सभी

क्षेत्रों को प्रभावित बरता था और इसनिए यदि पवित्र पुरोहितों द्वारा यथा व तिए वृत्ति दन की पढ़ति अथवा मदाग्रा का पुरस्तृत बरतन के लिए अपनायी गयी हा तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। वृत्ति व स्वप्न म भूमि-अनुचान दना "मामहारिक" ही नहीं था इस गुण और पुण्य काय भी माना जाता था। अभि भवता से वृत्ति स्वस्त्रप्त भूमि अनुचान दन के चान की पुष्टि मुम्यत १००० ईस्वी से हानी है। "मामव" सरदार अपने गुटुभिया तथा साम ता और राज्याधिकारिया का भी भूमि अनुचान दत थ। १००० ईस्वी से पहले वान म बगान विहार और उत्तर प्रदेश का अपना उद्दीपा तथा दक्षिण भारत म ऐसे अनुदानों का अधिक उत्तराहरण मिलते हैं। किन्तु ११वीं और १२वीं मत्तिया म उन्नर भारत म—विषय इस से गाहड़वालों चैलनुग्रिया चौतुक्षण्या तथा परमारा व राज्या म—हम गहम्य मासाग्रा की एक खासी बड़ी सम्मा दखन का मिलती है।

सामना के लिए कई सामाग्रा का प्रयाग होता था। ये इस प्रकार है—भूमात्, भोजना, भागी भौगिक मोगपतिर मायिस्प, महामागी वहनमागी, वहनमागिर राजा राज, राजराजनक राजयव राणक राजपुत्र, राजवन्तम छन्दुर सामत महासामत महासामताधिपति, महासामत राणक सामतक राजा माण्डलिक और महामण्डलेवर। अभिलत्वा म महासामता राणका, राजपुत्रा माण्डनिको तथा कुछ अथवा साम ता वा भूमि अनुचान दिय जान वा उन्नेक मिलता है। नक्किन जान पठता है कि दूसरा सामना का भा एम अनुचान दिय जात थ। इनमे वै-वड सामता वा पचमहावाद्या के प्रयाग वा अधिकार भी दिया जाता था।

प्रारम्भिक भारतीय सामतवाद की एक विषयना यह थी कि राजन्य की हृष्टि से राज्य को अनक इकाइया म विमकन कर दिया जाता था। ये इकाइया दाग्मिक द्वाद्वाग्मिक अथवा पष्ठ्याग्मिक प्रणाली पर गठित हानी थी। दाग्मिक प्रणाली पर गठित इकाई भ आनवारं गाँवा की सम्मा १० अथवा एसी काई भी सम्मा हानी थी जो १० से विभाग्य हो। यही बात द्वाद्वाग्मिक तथा पष्ठ्य दाग्मिक प्रणाली पर गठित इकाइया पर भी लागू हानी थी। मनु स्मृति म जा पहली या दूसरी सूना म किमी समय रिखी गई बहा गया है कि दस गाँवों की इकाइया अथवा दाग्मिक प्रणाली पर गठित बड़ी इकाइया म राजस्व एकत्र करनवान अधिकारिया को वृनि स्वस्त्रप्त भूमि अनुचान दन चाहिए। एसी इकाइयाँ राष्ट्रकू। और विसी हृद तक पाला के राज्या म भी कायम रही। लक्किन गुबर प्रतीहारा तथा उनक सामता और उत्तराधिकारिया—चाहमाना

परमारा और चौतुरधा—वे राज्या म द्वारा मिला पाए गए इकाइयों का चलन था। ऐसी कुछ इकाइयाँ शासन परिवार ने लागा को निजी जापीरा के तौर पर दी गयी, लेकिन नेप शायद राजस्व एवं बरन के लिए गठित थी गयी थी और यह एस राष्ट्राधिकारियों के हाथा म रहती थी जिहें वृत्तिस्वरूप भूमि अनुदान दिये जाते थे। स्पष्ट है कि राजपूता ने अपने विजित राज्यों का इस तरह की इकाइया म थोड़ा दिया था। यह तो भ्रुमान का ही विषय है कि ऐसी इकाइयों के गठन के पीछे मध्य एशिया म प्रचलित व्यवस्था की कोई प्रेरणा थी अथवा नहीं और जिस प्रकार जमनों के आक्रमण के परिणामस्वरूप यूराप म साम नवाद को उत्तेजन मिला था उसी प्रकार हूणा तथा गुजरा के भारत आगमन से यहाँ भी साम नी व्यवस्था के विकास को बढ़ावा मिला था नहीं।

एक चौंक से भारतीय साम नवाद के आर्थिक पहलू का बड़ा गहरा सम्बन्ध था। वह यह थी कि गुप्त काल से गूढ़ लोग जिहें ऊपर के तीन वर्णों का सबक और दास माना जाता था, किसान बनते जा रहे थे और पुराने किसान अधन्दासत्व को अवस्था में पहुँच गये थे। पहली प्रक्रिया का सबेत हम हैत्याग के विवरण म मिलता है। उसने शूद्रों को किसान कहा है। उसके इस क्षयन की पुष्टि चार सदी बाद अलबर्नी के विवरण से भी होती है। गुप्तोत्तर काल की कई इतियाँ भूद्रा को किसान बतलाया गया है।

जहाँ तक प्रारम्भिक मध्य काल म भारतीय किसानों की अवदाना का सम्बन्ध है उसके पीछे बहुत से कारण काम कर रहे थे। इनमें से सबसे महत्व पूर्ण यह था कि ग्रामवासियों के सिर पर करों का बोझ बहुत बढ़ गया था। गाहुडवाल अनुदानपत्रा म गावों पर आरोपित ग्यारह करों का उल्लेख हुआ है। यदि राज्य सचमुच ये भारे कर वसूल करता था तो किसानों के पास किसी प्रकार अपना जीवन यापन करने को भी कुछ बच रहता होगा इसमें संदेह ही है। ग्रहीताओं का ये कर वसूल करने का अधिकार तो देही दिया जाता था कभी बभी उहें इनके अतिरिक्त निश्चित अनिश्चित, उचित अनुचित कर लगाने और वसूल करने का भी अधिकार मिल जाता था। बहुत से अनुदानपत्रा म—उदाहरणाय पाल अनुदानपत्रा म—करों की पूरी सूची नहीं दी जानी थी और ग्रहीताओं वो एस अनेक अर्थ कर भी वसूल करने का अधिकार दे दिया जाता था जो आदि शब्द सबाय-समेत अथवा समस्त प्रत्याय “दद समुच्चय” अन्तर्गत आता था। इस सब का मतलब यह है कि वे नये कर भी लगा सकते थे। किसान लोग सखार का राजस्व के रूप म जा कुछ देते थे, अनुदान दिये जाते वे

बाद उह वह सब्र ग्रहीतामा को लगान के तौर पर दना पड़ता था, और इन अनुनानमोगिया म से अधिकार को दानांगों को बोई कर नहीं देना पड़ता था।

विसाना की अदाना का दूसरा बारण वह बगार की प्रथा थी। मौय काल म बगारदास। और बम्बरो से कराया जाता था। लेकिन ईस्टी सन् की दूसरी सदी से इस तरह का शम गायद सभी प्रजाजनों से लिया जान लगा। मध्य और पश्चिमी भारत मे प्रारम्भ से लेकर १०वी सनी तक दिये गये अनुदानों से विप्टि के चलन का पर्याप्त सक्त मिलता है। बगाल और बिहार म सबपीड़ा को खेलना विसाना की मामाय निर्यात थी। जब राज्य कोई क्षेत्र अनुनान म द दता था तो अपना यह अधिकार मी छोड़ देता था जो स्वमावत ग्रहीता के हाथों चला जाता था। शामक सखदार तो प्रामवासिया से यन्न-क्षा ही बगार लेत थे, किंतु ग्रहीतामा के साथ ऐसी बात नहीं थी। गौव की जमीन तथा आय प्राहृतिक साधना से अधिक से अधिक लाम उठाना उनका उद्देश्य हाता था, और इसलिए व लागा से बगार मी बसकर लेते थे।

विसाना की अधागति इसलिए भी हुइ कि अनुनानमोगी अनुदत्त भूमि को फिर स विसी को अनुदान म अथवा खेती करने के लिए देता था। ग्रहीता को यह अधिकार दिया जाता था कि वह अनुदत्त भूमि का स्वयं उपमोग कर सकता है अथवा तदथ विसी और का द सकता है उसम खुद खेती कर सकता है अथवा विसा आय स बरवा सकता है। मध्य-काल के प्रारम्भ के अतिपिय धर्मशास्त्रा से जात हाता है कि राजा क नीच और असली जोतदार क ऊपर जमीन के एक हा टुकड़ पर विसीन विसी प्रवार का हव रखने वाले लोगा की चार चार थेणियाँ हुमा करती थी। इस बात की पुष्टि अमिलेखा स मी होती है। खुद खेती करन अथवा दूसरो मे बरवाने के अधिकार म विसाना को बन्धन करन का हव मी शामिल हो जाता है। मालवा, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र म ५वीं सदी से लेकर १२वीं सदी तक यह प्रथा खूब प्रचलित थी। परिणामत बास्तवारा के स्थायी अधिकार कमज़ार हा गय। वे अब जमादार की इच्छा नुसार जमीन जानत ये या ज्ञसी भर्जी पर जमीन से हटा दिय जा सकत थ, जिसस व भूति-उर मजदूर क समान बनत जा रहे थ। यह स्पष्ट नहीं है कि उत्तर भारत म अय क्षत्रा म भी नूस्वामिया को एसे अधिकार प्राप्त दे अथवा नहीं लिया जाता है कि जाधोव भली भाँति आवाद हो गये थे और जिनमें आवारी काफी होने व बारण बास्तवारा की काई कमी नहीं थी उनम यह प्रथा विनेप रूप से प्रचलित थी। जनजातिया न आवाद पिछड़ दलाला म विसान साग खती वा बाम दोहड़ विसी दूसर गौव भ जावर नहीं घस सकत थ।

मध्यमारत वे कुछ हिमा। म और गामार परिदा तथा उमीमा म एवं अनेक प्राम अनुदान निष्ठ गय जिनम अनुगत थे। रहाना इन्होंना चरकर और विसान मध्य बांधीन गूरण के बृति आगा ३। ५। तरह छहीगांधा का भी निष्ठ गय। भजदूरा की बमी हाँ ए वारण बांधीन घटम्भरम्भा का वायम रान ए लिए यह प्रसा ताप्य जस्ती हो गयी थी।

अनुगत धाना म दिमांगा को पाण इगन भी हृषा ए दामरानिया ए सामुदायिका भवित्वार अनुशास्नेयिका को निष्ठ जाँ सए। याम अनुगत गांधा की गीमाण निर्वारित तो की जानी था त्रिमग सान उआर अनुशानभोगी अपनी तिजो जायदाँ यँ मन ए यड़ा गराँ थ। तिर एवा जमीन, जगत भाव, चारागाहा, पट पौधो जनाओया। भावि पर उह ए भवित्वार द निष्ठ जात थ इमर वारण दिना कर निष्ठ दिमांग इँ गापना ए उपयाम नहीं पर तहर थ। स्पष्ट है कि गोप ए सामुदायिका जापन इम सिद्धान पर अनुशान म निष्ठ जात थ ए सारा जमीन राना थी है लहित एक बार जब जमीन अनुदानभोगी के हाय म चली भानी थी तो उम पर उग्रा व्यतिगत भवित्वार हा जाता था और प्रामवासिया ए दरम्भरागत भवित्वार उनस छिन जात थ। और इसम तो साँह की गुणादा ही नहीं है कि गोप की जमीन पर गौव चाल, जो एसे परम्परागत भवित्वार शास्त्र थ। गुप्त वाल म हम इस बात के स्पष्ट प्रमाण मिलत हैं। उन निना वगान म ग्रामीण समाज की सहमति के विरा जमीन तही बेची जा गतही थी। यारे चलार पाल राना भी गौव का अनुशान बरने म ग्रामवासिया रा विधिवत् सहमति निया करत थे। इस प्रकार गौव के जिन साधना था उपभोग ग्रामीण समाज बरता था, उनके ग्रहीताग्रा ए नाम हस्तान्तरित दिय जान स विसाना की बहुनभी मुक्तियो और अधिकारा था भात हो गया।

ऊपर जो तरीके बतलाय गय हैं उनके द्वारा राना घटवा घामिर या शुहस्य अनुदानभोगी अपने लाभ के लिए विसाना स तरह तरह की सबाएँ प्राप्त करत थे। इस सबके परिणामस्वरूप विसान भावित्वा हृष्ट से परापोन हो गये और इस स्थिति स छुर्खारा पान का उनके सामने काँद रास्ता नहीं था।

स्वभावत यह सबाल उठता है कि रक्त दाहन के प्रति विसानो म कसी प्रतिक्रिया हुई। भूमि अनुदानपत्रा से इस प्रश्न पर काँद प्रवरा नहीं पड़ता और न साहित्यिक शृतियो से ही क्यावि उस वाल का साहित्य मुख्यत दर बारी है। लक्षित कुछ शृतियो से एसा जान पड़ता है कि विसाना की प्रतिक्रिया दो रूप म प्रवर्ट होती थी। एक रूप तो यह था कि य गौव छोड दिया करत

थे। यह बात बहुत पुराने जमाने में चली था रही थी क्याकि इसका उल्लेख हमें जातका म भी मिलता है। सुभाषितरत्न-कोष में छठी 'गता'-के ज्यातिपी वराहमिहिर का एक अनुच्छेद उद्धत किया गया है। उसम एक ऐस उगाड गाँव का दागा का वर्णन किया गया है जिसम वेवल दहोरी गिरी दोबारे ही रह गयी हैं क्योंकि वहाँ के भागपति के अत्याचारा से पीड़ित होकर किसानों न उस गाँव का त्याग कर दिया है। भोगपति के अत्याचारा का उल्लेख बाण रुत ह्यचरित म भी हुआ है। इसी प्रकार यूहनारदीय पुराण म बताया गया है कि अद्वाल तथा मारी करा से परेशान हासर लोग एक स्थान को छाड़कर किसी दूसरे अधिक समृद्ध स्थान म चले जाते हैं।^३ लेकिन किसान उन गाँवों का आड़कर वही जा सकते थे जो आजानी के साथ साथ दान किये जाते थे, क्याकि अनुशनमाणिया वो किसानों को जमीन से बांध रखने का कानूनी अधिकार हाता था। 'गाण' के खिलाफ किसानों की दूसरी प्रतिक्रिया यह हो सकती थी कि व विद्रोह पर दें। इसका एकमात्र उदाहरण पूर्वी बगान म वक्तों का विद्रोह है जिसका बगन स 'याकरन' दी न रामचरित म दिया है। आज तक इस घटना का या तो अत्याचारी 'गासक' के खिलाफ अपने अधिकारा का जतलाने वाला जनविद्रोह माना गया है या जनता की इच्छा से मिहासन पर वठाय गय विधिसम्मत 'गासक' के खिलाफ उपद्रव बताया गया है। लेकिन अगर हम इम बान की ओर ध्यान द कि वक्तों को सेवा वृत्तिया के रूप म जो जमीन मिली हुई थी वह उनस छीन नी गयी थी^४ और उन पर करा का बहुत भारी बोझ डाल दिया गया था^५ तो इस घटना का महत्व हम ज्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं। इस विद्रोह के बगन म जतलाया गया है कि निवसन और नगन मिपाही भसा पर चढ़कर सीर घनुप से टड़े^६ जिसमे प्रकट होता है कि य विद्रोही योद्धा साधारण किसान थे। रामपान के खिलाफ विप्र विद्रोह का नत्य दरनवाले भीम की सेना म रथ बिलकुल नहीं थे।^७ फिर भी यह विद्रोह इतना जबरदस्त था और विद्रोही इतने दुरप थे कि इसे

१ स० ढी० ढी० कोसम्बी व वी० वी० गायले, इलोक ११७२।

२ स० वी० एक० पास्मी, ३८।

३ ए० इ०, २९ ४।

४ रामचरित, २, ४०।

५ वही ३६ ४७।

६ वही ४०।

दवारा के लिए रामानुज की प्राप्ती गता और धर्म-साधा पदार्थ वही गिर हुए और उसा घणा रामानुज साधा का सहारा लिया। "गाप" यह पाना एवं धिलाफ़ एवं दिलाफ़ मिलोंगे था, और पान "गामन" भावा रामानुज की गदापर तो प्रयत्नों के धिलाफ़ सह। यहाँ, इस तरह का और उत्तरण हा नहीं मिलता है और द्रगलिंग द्वय का प्राप्तार पर हम वाई गामाय निष्ठय वही निवाल सकत। गम्भय यही लगता है कि यहाँ परिस्थितिया से तग भारत विसान लाग भामतोर पर भ्रष्ट घटन पर छाड़कर कही प्रयत्न जा येता हुआ। लरिया पूर्व मध्य रात भी भामनिमर अपम्बवस्था में पर उत्तर भी बहुत बारगर वही हा सरता रागा, पवारि दिगान तो जमान से चेपे होते हे। अवश्य भी तो यसी ही भायिर परिस्थितियाँ और राजनीतिश समझा हात थ। इसनिए दिगाना के वही और जा बहान था भातर उनका छुभारा नहा था।

साम तो "यवस्था दग" के विभिन्न हिस्सा में भी जूद भात्मनिमर भाविर इसाद्या पर आधारित थी। मुद्रा का अभाव भाग तो उनके स्थानीय मानस। का चलन और राजाध्या तथा सामाजिक सरदारा द्वारा उच्चोग व्यापार से हानवाली नक्की तथा जिसी आप का मन्दिरा के नाम हस्तानरण—ये समाम बाने एस एकाशा के अस्तित्व की साझी भरती हैं। पाना न लगभग चार सौ वर्षों तक राज्य विया कि तु उनका गायद ही कोई सिस्ता भाज प्राप्त हो। हम निश्चयपूर्वक गुजर प्रतीहारा के सिव्वा का भी हवाला नहीं द सकत हैं और राष्ट्रकूटा के सिस्ता दा नितात अभाव है। उठोसा और दीण भारत में भी सातवीं स दसवीं सदी तक तिक्का का अभाव रहा है। चाहमांगी और सना के अभिलेखा में सिक्का का उल्लेख तो हुआ है लेकिन इसके सिव्वन भर्मी तक मिल नहीं पाय है। प्रारम्भिक मध्यवास में मुद्रा का विताना चलन था और तत्त्वालीन समाज पर उसका यथा त्रसर पड़ा इसका अध्ययन भर्मी तक नहीं हुआ है। हम जितना बुछ मारूम है उम्मेक आधार पर कहा जा सकता है कि भारतीय सदी स पश्चिमा और मध्य भारत में मुद्रा का चलन किर स काफी थे परमाने पर प्रारम्भ हो गया। इसका सध्वाध इस बात में उद्याग व्यापार के पुनरुद्धार और बढ़ व्यापार प्रयोग की समाविति से था। लेकिन अगर हम इस धैन और बाल की बात अलग रखता सकता यही है कि प्रत्येक स्थान की आवश्यकताएँ की पूर्ति वही पदा किये भात से की जाती थी और इस प्रयोजन से विसाना और बारीगरा का गामा से बायकर रखा जाता था। कभी-कभी अनुदानपत्रा में यह व्यवस्था भी हाती थी कि कर्ण विसाना और बारीगरा

को विसी अर्थ रथान से हटाकर अनुदत्त गांव म दाखिल नहीं किया जा सकता। इसका प्रयोजन यही हो सकता था कि अनुदत्त गांव के आत्मनिमर आर्थिक जीवन म अनुदान के परिणामस्वरूप कोइ व्यवधान न उपस्थित हो पाय। मठ और मंदिर भी आर्थिक इकाइयों का काम करते थे, लेकिन ये इकाइया काफी विस्तर होती थी। कभी-कभी तो ऐसी इकाइया म सौ से भी अधिक गांव हुआ करते थे। स्पष्टत ऐसी इकाइयों म कुछ गांव अन्न जुटाते थे, कुछ कपड़े और कुछ इमारतों की भरमत के लिए अमिक आदि। या ऐसा भी रहा हा कि प्रत्येक गांव थाड़ी थोड़ी मात्रा म इनम से हर चीज मुहैया करता हा।

प्रारम्भिक मारतीय सामाजिक भूमिका कई हानिया से बड़ी महत्वपूर्ण रही। पहली बात तो यह है कि मध्य भारत उडीमा और पूर्वी बगान म भूमि प्रनुदान परती जमीन के आगाद किये जाने म बहुत सहायक सिद्ध हुए। उचमी और साहसी ब्राह्मणा ने पिछड़े और जन जातियां से आगाद क्षेत्रों म बहुत उपयोगी काम किये। वे ऐसे इलाकों मे कृपि के नय तरीके लाय। पुरोहिता द्वारा प्रतिपादित बतिपयमध्य कालीन विश्वास और विधि विधान जन-जातियों की आर्थिक समद्धि मे सहायक सिद्ध हुए। उदाहरण के लिए, गा हत्या को नर हत्या के ही समान जघाय कृत्य बताया गया जिससे गोधन के परिरक्षण म सहायता मिली। खेती के लिए गोधन कितना उपयोगी है, यह तो स्पष्ट ही है। ब्राह्मणा और पुरोहिता ने आदिवासियों को हल तथा खाद का उपयोग करना तो सिखाया ही भाय हीउह नक्षन। और रक्तुआ। विनेयकर वर्षा के आगमन की जानकारी दकर भी कृपि की उनति म याग दिया। इस विपय की बहुत-सी जान कारी कृपि पराशर मे^१ जो इसी काल की कृति जान पड़ती है, सख्लिल है। जो इलाके बस-बसाये थे, उनमे धार्मिक भोक्ताओं को ऐसी जमीन दान की जाती थी जिसम पहल से ही खेती-थाड़ी होती थी। ऐसे क्षेत्रों म उनकी उपयागिता इस बात म निहित थी कि वे लागा मे प्रतिपिठन सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान का भाव पदा करते थे। दूसरे भूमि अनुदाना के परिणामस्वरूप अनुन्त क्षेत्र म शांति मुायवस्था बायम रखने म सहायता मिलती थी, क्याकि इन क्षेत्रों म बानून की सत्ता और शांति बनाय रखने का दायित्व प्रहीतामा का दिया जाता था। दातामा की इस रूपा का प्रतिनान भी ब्राह्मणों ने किसी-न किमी हृषि म अवश्य दिया। उहोंने पूर्व मध्य जात के राजामा के लिए जाली वा वक्ष

^१ स० व अनु० जी० पी० मनुमदार और एम० सी० वनर्जी॒ प्रारम्भिक पृष्ठ ८।

संयार किय, और उहें सूखवारी अथवा चाढ़वशी साधित करने लोगों में भ्रम फैलाया हिं व अपने दबी अधिकार के बल पर शासन कर रहे हैं। दूसरी ओर गृहस्थ सामाजिक अपनी अपनी जागीरा का शासन चलारे और युद्ध काल में सना जुगार अपने अपने प्रभावों की सहायता किया करते थे। तीसरी ओर यह है कि भूमि अनुशासा के परिणामस्वरूप जन जातियाँ व बीच ग्राहण सहजता का प्रमार हुआ। आर अपने आदिम रहने सहन को छोड़कर वे सभ्य मुस्तकृत बने। ग्राहणमणि न उट्ट लिपि, बला तथा साहित्य का भान बराया और उच्च तर भौतिक जावन में परिचिन कराया। इस अवधि में सामन्तवाद देग के एकी करण में सहायता सिद्ध हुआ। ये ग्राहण मूलत मध्यांता और तीरभूकिं ने नियामा थे। नूमि अनुशासा का उपमाण करने के लिए उह बहीं से योगार, उच्चीसा और मध्य मारत बुलाया गया। इस प्रकार ये सारे खात्र एक सहजता की परिपि में आय और पात इनसी पारम्परित एकत्रा बड़नी गयी। ये साझे और अप्य जानिया की सत्या वर्गीयी और घट्टवया पुराण में तो इनसी सत्या १०० तर पैंच गयी है। इसमा पर्युष कारण यह या कि ग्राहणमणि का किय गय भूमि अनुशासा के परिणामस्वरूप बनते भा जनजानियों ग्राहणमें प्रायः सम्पर्क में आयी और ग्राहणमस्तृति यारा समाज में उट्ट रिमा के किया जाति के रूप में स्थान किया गया। इस प्रकार हम मारा गरते हैं कि नूमि अनुशासा राय खात्र और तथा सोगा का वर्ण व्याख्या के अनुभा गारा में ग्राहण किया हा और अपना मारा हा के रिमा के तरा गमान गामानिरा

वत्तिस्वरूप जमीन दी जानी थी, लेकिन यह जमीन, उनके जिम्मे प्रशासनाथ जितना क्षेत्र होता था उसका छोटा सा हिस्सा भर हुआ करती थी। यह न तो यूरोपीय हग की जागीर थी और न तान्त्रुरा (मनर) ही थी। इस बौद्ध म शायद ब्राह्मण का दिये गावा को ही रखा जा सकता है। इसके अलावा भारत म सामन्ता को मुश्यत प्रभु को सनिक सेवा ही करनी पड़ती थी। यहाँ वे यूरोप की तरह प्रणासनिक सेवा नहीं किया करते थे। लेकिन यूरोपीय सामतवाद की प्रमुख विशेषताएँ यहाँ भी मौजूद थीं। यह दश भी आदिक दृष्टि स छाटी छोटी आत्मनिभर इसाइया म बैटा हुआ था, और इन इकाईयों के बनने आर बायम रहन का कारण व्यापारिक आनान प्रदान का अमाव था। यहाँ भी एक जबरदस्त भूमिधर मध्यवर्णी वग का उदय हुआ जिससे विसान निरतर अधिकाधिक पराधीन हात चल गय।

यह सबाल उठाया गया है कि सामतवाद समाज म एक ही बार प्रकट हुआ था बदने हुए क्लेवरा म बइ वार सामने आया।^१ भारत के मन्द घ म इसका उत्तर ऐस बात पर निभर है कि सामतवाद से हमारा तात्पर्य रखा है। यदि हम राजनीतिक भृता के विषट्ठन आर प्रामन के विकासकरण का ही सामतवाद मान ल तो यह स्वीकार करना पड़ता नि भारत म अप्रेनी राज्य की स्थापना म पूर्व माम नवाद कई बार आया। लेकिन यहि हम सामतवाद का एक एमी सामाजिक व्यवस्था के एप म दबें जिसम किसानों की जमीन और दह पर अपने उच्चतर अधिकारों के द्वारा श्रीम त वग उपज का सारा अतिरिक्त हिस्सा हृष्प लेता था और किसानों के पास उतना ही छोट्या या जितना सा पहनकर व उम बग के लाभ के लिए आग भी मेहनत मशक्कत करत रह सर्वे ता रहा जा सकता है कि यह खोज भारत म गुप्त काल म पूर्व कमी नहा आइ। ऋग्वदिक बाल म क्वील क सरदार जिह पुराहिना का समधन प्राप्त था मुम्पत युद्ध म प्राप्त नूट क माल पर जीवन-प्राप्त करन थ। उत्तर वर्णिक बाल और बदात्तर बाल म सरदार और पुरोहित किसानों से प्राप्त उपज क एक हिम्म और गूदा द्वारा जो जानेवाली तरह तरह की सदाप्रा के बल पर फूलत रहते रह। भीम और भीमोनर बाल म इम्बी सन् के प्रारम्भ तक वे मुष्यत नकद राजम्ब पर निभर रह जा प्रजा स बमून किया जाना था। राज्य ने बहुत बड़ी तानाद म मिक्क जारी किय थे, इमलिए नवाद अदा-

^१ एम० सा० सरकार ब्राह्मणी रियू बार हिस्ट्रीरिक्स स्टडीज, ३ (१९६२ ६३) १२६।

यगी और बसूली अब आसान हो गयी थी। व दासा और किराये के मजदूरा की सेवाओं का भी उपयोग करते थे। इन किराये के मजदूरा (कमकरा) की स्थिति भी प्राय वैसी ही थी जसी बगार करने वाले मजदूरा की होती थी, और य उत्पादन के बाहर म लगाय जाते थे।^१ लेकिन गुप्त काल से शासक वग के सभ्य प्रधानत जमीन से प्राप्त होनेवाले राजस्व पर निम्र रहन लगे, जो उहों के लिए निधारित दिया जाता था और फिर व वी सर्वी से वे सीधे जमीन का ही उपयोग करने लगे। स्वभावत गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद की पाच सदियों म किसान और कारोगर जमीन से इस तरह वाध दिय गये जसा पहले वनी नहीं हुआ था, क्योंकि अब जमीन तो मीधे पुरोहिता, मन्दिरा सरदारा, सामरों और राज्याधिकारियों के नियन्त्रण म थी और सबसेता सम्बन्ध स्वामि वग ने वसी ही व्यवस्था कायम की जो उसकी व्याध मिद्दि के लिए सबाधिक उपयुक्त थी। भूमिधर मध्यवर्ती लोगों की राजनीतिर तथा धार्मिक शक्ति जितनी सुहृद इस काल म हुई उन्हीं पट्टन किसी भी काल म नहीं हुई थी। मुस्लिम सत्त्वत की स्थापना से पूर्व के मध्य काल की हम पुरातन सामनवाद का चरमात्मपन्न वह सबते हैं, क्योंकि मुसलमानों न यहाँ किर स नव्व अनायासी वा धलन घड़े पमान पर गूह बर दिया^२ जिससे किसानों पर भूमिधर मध्यवर्ती लोगों का प्रत्यक्ष नियन्त्रण बहुत हीला पड़ गया। पूर्व मध्यवाद की सामनी व्यवस्था म विसानों के पास गुजर वसर के बाद जो कुछ भी वच जाता था उस थीमन्तव्य उनकी भूमि पर अपने उच्चनर अधिकारा के बल पर उनसे ल लता था और यह वसूली मुख्यत जिसा के स्प म की जाती थी। इसक धलावा उनके गरीरा पर भी ऐस ही धारिपत्य रखते के कारण वह उनस बगार निया बरता था। यह सब हम न तो इस्ती सन् की प्रारम्भिक समिया स पूर्व और न तुझों की मारन विजय के बाद किसी बड़े पमान पर अपने वा मिलता है। इस काल का साग राजनीतिक दौरा भूमि अनुदान। व प्रापार पर सर्व दिया गया था और धार्मिक तथा धर्मेन्द्र दाना तरह के मामतापा का परम व्यव यह बन गया था कि चार जस हा व धर्म प्रतिष्ठिया तथा विसान विद्रोह का सामना करने हुए छोटे छार सामन राखा का धर्मिक व्याय

१ इनम से कुछ जार वाना का विन विवरन सगाह न गुरुव अन एंगाट दिया क श्वें और एर परिष्ट्या म तथा अवारा न००८ म प्रशान्ति एट्रेड उन एंगाट दियन अन्नोंदा नीयक निरापद म दिया है।

२ मुस्लिम प्रतिमन विक्षम और मुस्लिम दिया, पृष्ठ २०६।

रखें, ताकि उनके हितों की रक्षा हो।

लेकिन भारतीय सामन्तवाद मिल भिन्न अवस्थाओं से गुजरा। गुप्तकाल तथा याद की दो सदिया में भैंदिरा और ग्राहणों का भूमि अनुदान दिया जाना प्रारम्भ हुआ, और पाला, प्रतीहारा तथा राष्ट्रकूटों के राज्य में ऐसे अनुदानों की सत्त्वा धीरे धीरे बढ़ती गयी और साथ ही उनके स्वरूप में भी बुनियादी परिवर्तन हुए। प्रारम्भिक काल में अनुदानमोगियाँ को केवल उपमोगाधिकार ही दिये जाते थे, किन्तु द्विंदवी सदी से उह स्वामित्वाधिकार भी दिये जाने लगे। ११वीं और १२वीं सदिया में अनुदानों का यह सिलसिला अपनी चरम भीमा पर पहुंच गया, और उत्तरी भारत अनेक छोटी छोटी राजनीतिक इकाइयाँ में बँट गया। ये इकाइयाँ मुख्यतः धार्मिक तथा गृहस्थ अनुदानमोगियों के हाथों में थीं। जितनी सत्ता के साथ यूरापीय सामाजिक अपने अपने तालुका (मनर) का उपमोग करता थे उससे कुछ अधिक सत्ता के साथ ये अनुदानमोगी अनुदत्त गावा का उपमोग करते थे। किन्तु पश्चिमी और मध्य भारत में बाणिज्य व्यापार के पुनरुद्धार, मुद्रा के बढ़से हुए चलन और विट्ठि की प्रथा के विलय के परिणामस्वरूप वहाँ पुरातन सामन्तवाद अपने चरम वभव पर पहुंचने लगा।

परिशिष्ट १

मध्यकालीन उडीसा मे भूमि-व्यवस्था

(लगभग ७५० १२०० ईस्वी)

पूर्व मध्यकाल मे उडीसा मे पद्धति या इससे भी अधिक राजवगा का उत्थान पतन हुआ। इनमे से कई ता एक ही काल मे शासन करते थे। याता यात के अधिकारित साधन और पवत पहाड़िया से मरा पड़ा क्षत्र—उडीसा छोटे छोटे राज्यों के उदय के लिए सचमुच बढ़ा उपयुक्त प्रतेक था। और इन राज्यों के अस्तित्व को स्थापित प्रदान करत थे वे आदिवासी कबील जिह स्वतन्त्रता प्राणा से भी अधिक प्यारी थी और जो इस प्रदेश के मुख्य निवासी थे। जान पड़ता है स्थानीय सरनारा न यहां मञ्ज और तुग जसे अनेक राज वंशों की स्थापना की। होता यह था कि अपनी थी समृद्धि की वृद्धि के साथ साथ ग्राहण संस्कृति के संपर्क भ आने के कारण इहे क्षनियत्व का सम्मानित दर्जा प्राप्त हो जाता था और य नये राजवशों के संस्थापक बन जाते थे इस प्रथा का अब शेष उडीसा के पडोसी क्षेत्र छोटानागपुर मे आज भी देखा जा सकता है। पहाड़ी इलाकों के ये शासक वस तो समुद्र तट के क्षेत्रों के शासकों की अधीनता स्वी कार करते थे लेकिन वास्तव मे दोनों के पारस्परिक सम्बन्ध बहुत क्षीण थे और सारा प्रदेश छोटे छोटे अनेक गांवों के बीच बैटा हुआ था। ये गांवक सम्पत्ति राज्याधिकारिया, महिरों और सबसे बढ़ते बढ़ते वाहणा का भूमि अनुदान दान दिया करते थे। फलत उडीसा और भी छोटे छोटे दुर्गों मे बट गया। आप किसी भी काल को ले लीजिए, तो अपनों पर अविन जितन भूमि अनुदान आपको उडीसा मे मिलगे उतने बगाल और बिहार म नहीं मिलगे। इन अनुदानपत्रों से प्रबल होता है कि यहा धार्मिक तथा गृहस्थ अनुदानभागियों का

बहुत बड़ा बग सामाय किसानों के ऊपर थोप दिया गया।

गहस्थ अनुदानभोगिया में सामन्त भी और राज्याधिकारी भी ; सामन्तों के दिये गये भूमि अनुदानों के प्रत्यक्ष प्रमाण बहुत कम मिलते हैं, लेकिन अनुदानपत्रों में उल्लिखित कोई दजन मर शब्द भूमिधर साम तो के पर्याय हैं। उदाहरण के लिए भूपाल, जिसका शास्त्रिक अथ भूमि का रथक है बहुत बड़े बड़े भूमिधर साम त रहे हांगे। दसवीं सदी के अंतिम वर्षों में विजिङ के भज्जा द्वारा जारी किये गये अनुदानपत्रों में अनुदानों की सूचना केवल इन भूपालों को ही दी गयी है जो बात उनका महत्व दर्शाती है। प्रत्येक ग्रामिका सामाय भूमि विजिङ के भज्जा के ग्राम भूपाल विनां प्राप्त था) के अधीन हुआ करती थी और वही सरदार उस क्षेत्र के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता था। इस समय विजिङों के भज्जा के ग्राम भूपाल राज्याधिकारियों तथा ग्राम राज्यपुरुषों के लिए कोई स्थान नहीं था जिनका उल्लेख हम अब अनुदानपत्रों में पाते हैं। ऐसा जान पड़ता है कि भज्जा के अधीन कुछ समय तक राज्य की राजनीति में भोगियों और साम तों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त रहा क्योंकि विद्याधर भज्जा के एक अनुदानपत्र में केवल इहीं दो श्रेणियों के राजपुरुषों का उल्लेख मिलता है।^१ भोगी ग्राम तर तथा भज्जा अनुदान पत्रों में भोगी ग्राम बार बार आया है। भोगी शास्त्र का अथ कभी कभी ग्राम-प्रधान मालगाया जाता है, लेकिन ग्राम प्रधान महार वहलाता था, और वह महामहत्तर के अधीन हुआ करता था।^२ कि तु भोगी ग्राम के शास्त्रिक अथ से लगता है कि उसे राज्य की ओर स जा जमीन मिली होती थी उसके बदले उसे कोई राजस्व नहीं देना पड़ता था। ग्राम प्रामदीय सेवामा के एवज में उसे जागीर दी जाती थी। विद्याधर भज्जा के अधीन भज्जा राज्य में ऐसी जागीरों की सूच्या इतनी अधिक थी कि ग्रामीण प्रजा वो दो वर्गों में विभक्त कर देना पड़ा। एक बग में प्रत्यक्ष रूप से राज्य द्वारा ग्रामित थेना (विषय) का प्रजा आनी थी और दूसरे में भोगियों को जागीर का रूप में मिले इलाका (भोग) की प्रजा आती थी।^३ सोमवारी शास्त्र के अधीन भागिया का एक विनाप्ट बग

^१ ए० इ० ९, न० ३७ पत्ति १७।

^२ ए० इ० ९५, न० १ पत्तियाँ, १ १० मिलाइए ढी० स०० सरखार, वही २९ द५ द६ स

^३ भोग्यादिविषयजनपदम् ए० इ० ९ न० ३७ पत्तियाँ १६ १७।

ही था जिसे भोगिजन कहा जाता था।^१ इनके अलावा भोगिहप भी हुआ करते थे।^२ वसे तो भोगिहप का मतलब हुआ ऐसा व्यक्ति जो प्राय भोगी के ही स्तर का हो, कि तु इहें भोगिया की तुलना में कुछ कम अधिकार प्राप्त थे। जान पड़ता है कि भोगिया का सम्बाध राजस्व-ज्यवस्था से हुआ करता था, और भीम-करों के अधीन कुछ भोगी महाक्षपटलिक अथात् महालेखापाद का पद मार भी संभालते थे और उनसे अनुदानपत्र तैयार करने का काम लिया जाता था।^३ उच्चतर भोगी को महाभोगी कहा जाता था। इसका उल्लेख किसी ऐसे गासक परिवार के अमिलेख म हुआ है जिसका नाम धाम उसम नहीं बताया गया है।^४ तिन्होंने भीमवर अनुदानपत्र में उच्चतर भोगी के अथ म वृहदभोगी का उल्लेख यार बार हुआ है।^५ इस अधिकारी को प्राम प्रधान माना गया है।^६ लेकिन हमारे विचार से वह उच्चतर श्रेणी का भोगी ही था जिसका हाथा में साधारण भोगिया की अपेक्षा बहुत अधिक गति थी। भीम कर अनुदानपत्र में भोगिया और वृहदभोगिया दाता की चर्चा यार बार हुई है।^७ इससे जान पड़ता है कि उडीसा में भूमिधर श्रीमाता की श्रेणिया बनी हुई थी।

साम त और महासाम त के बीच श्रेणीबद्ध सम्बाध होता था। इस सम्बाध का आधार गायद भूमि अनुदान और यह बात थी कि प्रभु को कीन विनी रसनिक सहायता देता है। भीमकरों और उनके अधीनस्थ सरनारा के राज्य में इन साम्राज्यों और महासाम्राज्यों का अपना विदेष महत्व था। तुगवा के एक सरदार न अपन अनुदानपत्र में बेवल साम तो को ही सम्बोधित किया है^८ जिससे प्रबंध होता है कि राज काज में बेवल उही की प्रधानता थी। नान्दवश के तत्तीय देवानाद (नवी सदी के अंतिम वर्ष) के लिए प्रयुक्त महासाम्राज्यिषति

१ इ० हि० वडा०, ३५ न० २, बलिभारी (नरसिंहपुर) ताम्रपत्र, पक्ति ३६।

२ ए० इ०, २८ ३२३।

३ विनायर मिथ्र मेडिएवल डाइनेस्टीज आफ जोडिसर पुष्ट १०२ ३, ए० इ०, १५, न० १ ५० ३३ ३४, ज० वि० ओ० रि० सो० २, ४२६ ७) प० ४० २।

४ मिथ्र स० प्र० पु०, पृष्ठ २४ २५ अमिलख न० १।

५ इ० हि० वडा० २१, २२१ पवित्र्या० २७-४०।

६ वही २१७।

७ ए० इ०, २९, ८५ ६।

८ ज० ए० एस० दी०, चू० सिं०, १२ (१६१६), २६१।

विहर इससे भी ऊँचा था। वह तिगी भी अनुगति लिये बिना अपनी दृष्टा ग भूमि-अनुदान भी द सकता था।^१ यह जान नहीं है कि उसने भूमिसामाता और सामन्ता को जागीरें दी थी नहीं। सरिन इस घात पे ता निदिनन प्रमाण हमें उपलब्ध है कि विं लिंगिङ के दा मठज 'आसपा' न मामामात घटट का ग्राम-भूमिदान दिय।^२ घटट का पिता मुण्ड मात्र एक साम त था,^३ सेकिन हरष्ट ही पुत्र न उससे उच्चतर स्थान प्राप्त कर लिया था और अरन पिता भी जागीर गूर बन ली थी। यद्यपि हमार पास ऐना कोइ अभिनेमीय प्रमाण नहीं है जिमक आधार पर हम वह सर्के कि सामन्तों को भी भूमि अनुदान दिये जान भ किन्तु लगता था है कि उन्हें भूमि अनुदान दिय जाने थे, क्याकि आग चन्द्रर व उडीसा के प्रमुख भूमिधर वर्ग के हप म सामने थान हैं जो शायर पूर्य मध्य-वाल म उनका दी गयी जागीरों का ही परिणाम था।

भूस्वामिया का एक और वग राणक वहलाता था। य साग शायर राजा की सनिक सोवा-सहायता करनेवाल सामात थे। इनम और राणकों म जा मूलत राजपरिवार के ही मदस्य थे और अपने आप म एक वग थे, वार्दमातरनहीं था।^४ उनके लिए 'उपजीविजन' 'दा' का भी प्रयाग हुआ है^५ जिसस प्रवट हाता है कि व राजा के दान-नाकिष्य पर पलत थे। कालशम स एस लाग भी राणकों की श्रेणी म आ गय जो राजपरिवार स राम्बद नहीं थे और जिन्हें भूमि अनुदान भी प्राप्त हुए। सामवर्णी राजा द्वितीय महामवगुप्त (१००० १५) न एक ग्राह्यण राणक वा, जिसका पितामह आवस्ती स आरं यहीं बमा था, एक गौव अनुदान म दिया।^६ कुछ राणकों को गौव निय जाते थे, जिसका सरेत हम गग दासक वजहहस्त (१०३८ ७०) मे अधीन एक राणक द्वारा कि ये ग्राम अनुदान से मिलता है। उसने काई गाव तमीं दान किया होगा जर उसके पास एकाधिक गौव रहे हांग। इस वग के सामन्तों को वडे-वडे प्रागसनिर पद मिले हात थे—

१ ए० इ० २६, ७७।

२ ज० ए० एस० बी० ६०, न० ३, १६६८।

३ वही १६८।

४ स्ववासमुद्मवानोपराजय (व) वग, ए० इ०, १८, न० २६, पक्षितयाँ १७ द।

५ वही।

६ ए० इ० २, न० ७७ प्लेट ४८०, पक्षितयाँ २८ ८२।

७ वही, न० ३१, पृष्ठ २२२।

विषय स्पष्ट स तोमर्गिया प घणीन । य साग मनुष्यानप्रगता^१ महाग पटलिव^२ और गहासार्व पवित्रत्व^३ का पाप परत थ । गामर्गिया क राय क साम्राज्यी थणि विचास म इनका ऊचा स्थान हाता था—राजी स नीन और राजपुत्र स ऊपर ।^४ रागिया की घपनी निजी जागीर हानी था । यह बान विषय स्पष्ट स भौमराज पर सांगू हाती है, जिस या म ए महिला जागि पाए हूद । इसा प्रकार जाप^५ राजपुत्र की नो निजी जागीरे हाती थी । उन हरण क लिए चिसी एवं राजपुत्र का व्यहरत क लिंगी व^६ अमन न योगुड़ा म एवं कर मुस्त गौव दिया ।^७ राजपुत्र क वार^८ राजवंशमा का स्थान भाना है ।^९ इट की राजकृपा प्राप्त थी और एमा ग्रतीत हाता है कि इनका जी उम समय प्रबलित पद्धति क घनुगार पाप मनुष्यान स हा पुरम्भूत रिया जाग हाणा ।^{१०}

उपर्युक्त विवरण क पनुगार हम उडीसा म साम्राज्य नम्बानिया क जिन विभिन्न वर्गों की जानकारी मिलती है, व इस प्रकार ह भूगत सागा जागि स्पष्ट, महामामा बृद्धभागी साम्राज्य मनुष्यानामात, महामामापिपति राजी राज्यनक्ष का राणन राजपुत्र और राजवत्तम । तथा है, इनम स अधिकारा का कुछ न कुछ सनिधित्वा का नियाह बरना पड़ता था और इनका जीविता का साधन राज्य की आर स प्राप्त भूमि थी जिसने राजस्व आदि पर इटी का अधिकार होता था । इन विभिन्न भूमिघर वर्गों म परम्पर की ऊचा था और दौत नीचा, ज्ञानकारी क लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध नही है कि तु इसम कोई सदह नही कि पडोसी प्रदेश की तुनाम में उडीसा म भूमिघरा की सर्वा भी बहुत अधिक थी और मृत्यु भी बहुत ज्याना था ।

काफी कुछ गाव राज्याधिकारिया क हाथा म भी थ । ये राजसेवा क बदले इत गाँवों स राज्य का हानवाली भाय का उपमाग वरते थ । सामवरी

१ मिथ डाइनस्टी ऑफ मेडिएवल ओडिसा पृष्ठ १०२ त्र अभिलेख न० १२ ।

२ वही पृष्ठ १७ अभिलेख न० १० ।

३ वही पृष्ठ ६६ ।

४ ए० इ० ३, न० ४७ प्लेट एफ० पवित्रा ३१ ३४ ।

५ वही, न० ३१ पवित्रा ६ १५ ।

६ वही न० ४८, प्लेट एफ०, पवित्रा ३३ ३४ ।

७ मिथ डाइनस्टी जाफ भट्टेवल जाडिता पृष्ठ २७७ ।

राजा प्रथम महाभगुप्त (६३५-७०) ने तीन भूमि अनुदानपत्रों द्वारा अपने ग्राहण महामात्र्य साधारण को चार गाँव दिये।^१ नल्ल राज तृतीय दबानद (६६६) ने अपने वायस्य महासार्व धर्मिग्रहित काकटक जिले में एक गाँव दिया।^२ खिजलि के दो भज्ज शासकों (ये दोनों भाइ थे) में से प्रत्येक ने १२वीं सदी के उत्तराढ़ में एक ज्योतिषी वो एक-एक गाँव दिया।^३ सेन और गाहड़वाल राज-पुरुषों की सूची में ज्योतिषियों का स्थान ऊँचा है, और सम्भव है कि खिर्जिङ वंश भज्जों के अधीन भी राजा वे विभिन्न कार्यों के लिए शुम महूत निधारित करने के बज्जे भ उ ह भूमि अनुदान मिले हो। इससे वही अधिक स्पष्ट सासा रिक उद्देश्य से गग शासक अवृत्तवमन् चोडगम (१०७६-११३८) वा दिया एक अनुदान है। उसने अपने विवासा अधिकारी (आप्तनियाय) चोडगम का वलिंग क्षेत्र में एक पुरवे वे साय एक गाँव दिया।^४

गग अनुशाना वे असली स्वरूप की मारो हम सनिक अधिकारियों को दिय अनुदानों में भिनती है। ये अधिकारी नायक^५ कहे जाते थे, और इस भुक्त वश्य मी थे। गग सम्बद्ध के ५२६वें वर्ष में अनंतवमन् के पुत्र मातुकामाणव द्वारा जारी किये गये एवं अनुशानपत्र के अनुसार तीन गाँवों का एवं वैश्य अप्रहार दनाशर वश्य जातीय मत्ति नायक के पुत्र एरण नायक का अनुदान में दिया गया।^६ गिरण सस्या वा चरने के निमित्त दिय अनुदान का अप्रहार कहा जाता था। वित्तु सनिक अधिकारी स शिक्षण-भूम्या के मचालन की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। वास्तविक रियति यही जान पड़ती है कि यह सनिक सेवा के लिए निया गमा अनुदान था। अवृत्तवमन् चोडगम के एक अमिलेम म भी एक नायक को अनुदान दिय जान का कुछ मत्त भिनता है। उसने अपन आयिन माधव वा एक कर मुक्त गाँव अनुदान में दिया।^७ उपर जा उदा-

१ ए० इ०, ३ न० ४७, थी पक्षितया ४५, सी, पक्षितया ४५, पक्षाट, वही ३४५।

२ वही २६ न० २६, पक्षितया १६३८।

३ ए० इ०, १८, न० २६ पक्षितया १६२६, १६, ४३, पा० टि० १।

४ वही, ३ पृष्ठ १७४, पक्षितया ३०-३४।

५ मदास रिपाट भाँग एपिग्राफी, १६१८ १६ परिग्राप्त ए० न० ३।

६ वही, न० ५।

७ वही।

८ द० ए०, १८, १७१२ पक्षितया १०६-१३।

हरण दिय गय है उनकी मर्या अधिक नहीं है। फिर भी इम बाल म हमें विहार और बगाल में इस प्रकार के जितन अनुदाना व उदाहरण मिलते हैं उनसे इनकी दाताद पहा ज्यादा है। इससे यही निरापद निश्चिन्ता है कि मध्य बालीन उड़ीसा म संनिधि तथा गरमनिव अधिकारियों को वृत्तिस्वरूप आम अनुदान दिय जात थे, और साथ ही एम अनुदान भनिव सबा करने वाल सामर्ता वा भी मिलत थ ।

यारह तरह थण्डिया के सामर्ता और राज्याधिकारियों की तुलना म हम लगभग ताज सो ब्राह्मण को दिय अनुदाना के प्रमाण उपलब्ध हैं।^१ इनम से अधिकारा ब्राह्मण आधृत बाहर स बुलाय गय थे। बतिपय भञ्ज अनुदानपत्रा म तो ब्राह्मण का सम्बोधित विया गया है किन्तु भीमकरा तुगा, सोमवर्णिया तथा गगा के मारे अनुदानपत्रा म ब्राह्मण का अनुदाना की सूचना नहा दी गयी है। इसका कारण यह हो सकता है कि जिन दोनों म ऐस अनुदान दिये गये उनमें या तो ब्राह्मण खाग रहत रही थे या अगर रहत थे तो उनकी सत्या इनकी अधिक नहीं थी कि उनका विवाद स्वप्न से उत्तेज विया जाता। ग्रहीतादा की सूची स प्रकट होता है कि वे मुख्यत मध्यप्रदेश तीरभुविन राड, बग तथा घरे द्र से युलाये गय थे।^२ एक मत यह है कि उड़ीसा के भूमि अनुदानपत्रा मे उल्लिखित मध्यप्रदेश, बगाल और उड़ीसा के बीच में पड़ता था। जो भी हो एसा कोइ प्रमाण तो नहीं मिलता जिससे माना जा सके कि यह क्षेत्र उड़ीसा का था। कुछ अनुदानपत्रा स यह सकेत मिलता है कि यद्यपि ब्राह्मण लोग बाहर स ही आय थे किन्तु बीच म वे आड म ठहरे थ^३ जहाँ से उहे उड़ीसा के दूसरे हिस्सा म चालाया गया ।

आमतौर पर तो एक अनुदान एक ही ब्राह्मण को दिया जाता था लेकिन कभी-जभी एक ही अनुदान के ग्रहीता दो स लेकर दो सी ब्राह्मण भी होते थे। भीमकर राजा प्रथम गुमार्देव ने जो आठवीं सदी के मध्य भ शासन करता था उत्तरी तोससी म दो गावों को मिलाकर वह पूरा क्षेत्र विभिन गोशों और

१ यह सत्या मिथ की स० प्र० पु० म दी गई अभिलेखों की सूची पर आधा रित है। १६३४ म इस पुस्तक के प्रकाशन के बाद से उड़ीसा म और भी भूमि-अनुदानपत्र प्राप्त हुए हैं। लेकिन उनसे धार्मिक तथा गृहस्थ ग्रहीतादा के अनुपात म किसी आसर का सकेत शायद नहीं मिलता ।

२ मिथ स० प्र० पु०, सारेतिक, पृ० १ ।

३ वही ।

दिय गय। विजलि के यामन्त्रजदेव ने पेट खोये, भाड़ फ़ायाड़ और जगत के माय-साम पाटिहोम्याण (स्पष्ट यह कोई आयेतर वस्ती थी) नामन एवं गौव दान किया, और उतन ग्रहीता को भछली और षष्ठुमा परदन का भी अधिकार दिया।^१ जाहिर है कि यह गौव जगता सा घिरा हुआ था। फिर हम सोमवारी राजा चतुर्थ महाभवगुण वा एवं अनुदानपत्र उपलब्ध है, जो ग्यारही मरी के प्रारम्भ म पश्चिमी उडीसा और दक्षिणी कोमल पर गासन करता था। उक्त अनुदानपत्र के द्वारा उसन अहिदण्ड तथा हस्तिश्च भर्यात् सोप और हायी मारने के अधिकार, के साय-साय दो गौव दान किय।^२ सायद इस धर्म के हायी बहुत अधिक सत्या म पाय जाते थे क्योंकि जिस इलाके म ये दोना गौव य उस ऐरावट्मण्डन कहा जाता था।^३ इम धर्म म हायी तथा मौप-मूव-धी चान के लिए विश्वात शवर (अप समाप्त) लोग रहते थे।^४ जामीर (उपमाग) व सूप म दो भाइया को निये इस अनुदान म भविष्य म लगाय जानेवाल वर (भविष्यत् वर)-सम्बद्धी अधिकार भी शामिल थे।^५ यह स्पष्ट नहीं है कि भविष्यत् वर का मतलब भविष्य म राजा द्वारा लगाया जानेवाला कर था अपवा ग्रही तामा द्वारा लगाया जानेवाला वर। यदि इसका दूसरा मतलब रहा हो तब तो मानना पड़गा कि यही राजा ने उह एवं असाधारण अधिकार प्रदान किया था, जिसके बल पर वे ग्रामवासिया वो विनकुल वृष्टि दासत्व की शवस्था म पहुचा सकते थे। अतिम सोमवारी राजा सोमेश्वरदेव के एक अनुदानपत्र म वन प्रदेश के अनुम्प कुछ नय राजस्विक अधिकारों का भी परिचय मिलता है। उसन दो गाँवों से जमीन के कुछ टुकड़ (पण्ड क्षेत्र) अनुदान म दिय जिसम जमीन के साय साय हस्तिन त, व्याध चम और नामा बनचरा के उपभोग का अधिकार भी शामिल था। इसक अलावा इमली पखिया सजूर आदि पढ़ा तथा जगलों के उपभोग का अधिकार भी हस्तातरित कर दिया गया था।^६ उक्त तीनो अनुदान

१ ए० इ० १० १८, न० २८, पत्तिया १६ २२

२ ज० वि० आ० रि० स० १७ १, पत्तिया २६ ४६।

३ वही, पत्तिया ३७ ८६।

४ वही पत्तिया १६ २१।

५ वही पत्तिया ३७ ४६। बयल एक ही गौव के अनुदान से सम्बद्धित शतों बतायी गयी हैं। लेकिन सम्भव है कि दूसरे गौव के अनुदान के साय भी वही शतों लागू रही हो।

६ ए० इ० २०, न० ५० पत्तिया ३ ८।

पत्रों में अनुदत्त क्षेत्रों की सीमाएँ नहीं बतायी गयी हैं जिसस प्रहीतामा के लिए भासपास के जगता को प्रपत्ते प्रधिकार-क्षेत्र म लाने का पूरा अवकाश रह गया था। लेकिन गग रात घन-तबमन् के एक अनुदानपत्र में अनुदत्त गाँव की सीमाएँ जगल, पेह-पौधे और चट्टानें बतायी गयी हैं,^१ जिसस प्रटट है कि यह गाँव रिमी बन प्रत्येका म पड़ता था। इस अनुदान की "तो तो नहीं बतायी गयी हैं लेकिन अब अनुदाना की शतों म इस बात का स्पष्ट सबैत मिलता है कि पिछड़ इनका म पड़ रहे जगत चमड़ा, भट्टियां आदि भूमि राजस्व के मुख्य भाग्य भाग्यन थे।

विकसित ओर आवाद इलाका की भूमि राजस्व-व्यवस्था का एक दास विवापता यह भी कि दाता विभिन्न प्रकार के दरा के साथ न क्षेत्र गाँव दाने किया करते थे, वल्त्व उनके साथ ही गाँवा म रहने वाले बुनकर कलाल, चरवाह और अच्युतजन (प्रहृत) भी यहीतामा पा सौप देते थे। मौमवर राजामा न ही सभी के मध्य स लकर लगभग सौ वर्षों तक अनुदान की इस परिपाटी का अनुसरण किया।^२ उनक सामन्त भट्टजा^३ और तुगा^४ न भी इसी तरह के अनुदान दिये। ग्रहीता को सौप गय प्रजाजना म बुनवरा और आसपका वे उल्लास से ऐसा जान पटता है कि बपड़ा और गराव बनाना, ये दोनों ग्रामीण क्षेत्रों के अनिवाय धर्थे थे। इसके अनावा, चरवाहा के हम्तातरण स प्रटट होता कि देश के उम हिस्से के आधिक जीवन म पशु-नालन का कितना महत्व था। ग्रहीता पो सौप अच्युतजनी और विसाना शायद प्रहृति शान्त के अन्तर्गत आ जाने हैं, क्योंकि इस शायद का प्रथाग सामाय दृष्टि समां यामवासिया के लिए हुआ है। कारीगरा और विसाना के स्पष्ट गाना म ग्रहीता के हाथा सौप दिय जाने से प्रकट होता है कि व जमीन स बैधे हुए थे^५ और ग्रहीता के अत्याचार करने पर भी व न तो विसी दूसरे गाँव म शरण ल सकते थे और

^१ वही ३ न० ३ पत्तिया १८ २२।

^२ एच० पी० शास्त्री, 'सबन वापर-प्लेट रेख-ड म आफ लड ग्राटम फाम दबानल जी ग्राट थॉफ तिमुवा महादबी, ज० वि० ओ० रि० स०० २ ८२६ ३, पत्तिया २४ ३२।

^३ सत तुवायगोकुल शोडि (दि०) वादि प्रहृति 'चूटी ज० वि० ओ० रि० सा० १६ द१ ३ पत्तिया १८ २४, ए० इ०, २०, द५ द६, इ० हि० व्वा० २१ २२१, पत्तिया २८-३८।

^४ ए० इ०, २५, न० १६ पत्तिया १२ २०।

^५ ज० वि० ओ० रि० स०० ६, २३६ ११५६।

न परती जमीन पा ही प्रावाह कर सकते थे हातांकि यहाँ एगी जमीन की कोई कमी नहीं था। १२वीं सदी के एक धार्दल मनिलेख में भी, जिसमें प्रहीं तामा की सेवा के लिए पारीगर किंगत और व्यापारी सभी उन्हें निये गये हैं, मुछ इसी प्रशार वीं व्यवस्था देखन का मिलती है।^१ लेकिन उडीसा में यह प्रथा व्यापक बन गयी थी, और यह दीप बात तक चलती रही। मम्बव है कि अधिकारी की कमी के पारण ग्रामीण आयतन को चलाने के लिए यहाँ एसी व्यवस्था बरना आवश्यक पाया गया हो। लेकिन ऐसे मनुदाना का परिणाम यही हुआ हांगा कि किसान लगभग शृंखलासाथी स्थिति में पहुँच गये हांगे और उनकी सारी महत भावनत बाल ग्राहण ग्रहीतामा को मिलता होगा। इन ग्रहीतामा में से बहुता को सगुलम्ब का अधिकार मी दिया गया। इस विद्वाना ने शिरार बरन का अधिकार माना है^२ लेकिन 'मनुस्मृति'^३ में इस शब्द के प्रयोग से पता चलता है कि गुलम गोदा में राजा द्वारा स्वापित सनिव चौकियों थीं जो उसी ग्रहीतामा को सौंप दी थीं। अवज्ञाकारिया को दण्ड देने के स्थानीय साधना के हाय म आ जाने से ग्रहीता अपने राजस्विन अधिकारा को अधिक बारगर बना सकते थे और आत्म निभर ग्रामीण अथ व्यवस्था को बलपूर्वक कायम रख सकते थे।

इम भूमि पर पारस्परिक सामूहिक अधिकारा के धीरे धीरे शोण होत जाने के भी प्रमाण मिलते हैं। दाता ग्रहीतामा को पह-पौधे जगल भाड़, नदियाँ आदि भी दान कर दते थे।^४ बाद के बाल म ग्रामीणा द्वारा इन सम्पदामा के उपयोग के जो कुछ अवशेष मिलते हैं उनसे प्रकट होता है कि पहले उन्हें इन तमाम स्थानीय सम्पदामा के उपयोग का निवाध अधिकार प्राप्त था, यद्यपि उनको इन पर अपने सामूहिक स्वामित्व का कोई स्पष्ट वोध नहीं था। लेकिन एक बार इन सबका ग्रहीतामा के नाम हस्तातरित कर दिये जाने के बाद के स्वभावत ग्रामीणों को विना कुछ कीमत लिये उनका उपयोग नहीं करने देने

^१ सकार्यपक्षणियवास्तवम्। ए० ३०, २०, न० १४ वी प्लाट, पक्ति १६। यहाँ मैंने 'भारती' के एक हांग के अक्ष म ३० वी० एस० पाठक द्वारा अवशित मदनवमत के एक अमिलख के आधार वर उक्त शब्द समुच्चय को गुढ़ कर के दिया है।

^२ एच० पी० शास्त्री यही २ ४२६-७।

^३ ७, ११४।

^४ ए० ३०, १८ न० २६, पक्तिया १६ २२।

होंगे। उत्तर प्रदेश म यह प्रथा जस तसे विचरी हुई १८वीं सदी तक चरी आयी थी। वहाँ स्थानीय मुखिया प्रपाल पट काटन पर कर लिया थरत थे।^१ इसके अलावा ग्रामीण नोग अब जगली क्षेत्रों को आमानी से आगाद नहीं कर सकत थे। दूसरी भार ज्यान्या ग्रहीतामा के परिवारों की सम्प्रभुत्वा म वृद्धि होती, वे अधिकाधिक परती जमीन पर काजा करके उमड़ा निजो उपयोग करने सकत होंगे।^२ इस प्रकार बिसान नोग थीरान इलावा म खेतों करने के लिये प्रकृत अधिकार से बचित हो गय है। परिणामत गाँवों म भूमि का अममान वितरण अवश्यक्तमात्री था—पर्यात उमड़ा अधिकार मांग रेहातामा और उनके बाजा के हाथा म चला जाना होगा। इसके अनिरिक्त उनके पात्र म एक बात यह भी थी कि उड़ भूमि राजस्व विषयक बहुत स अधिकार मिले हुए थे जिनके बल पर बालक्रम से वे जमीन के स्वामी ही बन जान थे। उनका एसी स्थिति ऐसल उडीसा में ही रही हा मो बात नहीं है। यह तो उत्तर भारत के मध्यराजीन भूमि अनुदानों की एक सामान्य विशेषता थी कि जिन अधिकारों का उपयोग पहने ग्रामीण लोग करत थे वे ग्रहीतामा को दे दिय जात थे।

ऐसे भूमि राजस्व के माध्यना की सूची काफी लम्बी है जो पहले तो राजा को दिया जाता था और अनुदान के बाद ग्रहीतामा का दिया जान लगता था। लेकिन उपज का कितना हिस्सा राजस्व-व्यवस्था मांगा जाना था और जो मांगा जाना था वह किस हिस्से से तय किया जाता था यह हम जात नहीं है। तो भूमि अनुदान से प्रकट होता है कि लगान नकद राशि म निर्धारित किया जाना था। एक अनुदानपत्र म एक ग्राहण को दिय गय पूरे गाव का राजस्व ४४ रुपये तय किया गया है।^३ दूसरे अनुदानपत्र में यह राशि ४२ रुपये है।^४ बगाल में नकद राशि म लगान तय करने के उग्रहरण सबमें पहले ११वीं सदी म सेना के अधीन मिलत है। लेकिन यह बात सन्तुष्ट ही है कि प्रारम्भिक मध्य बाल म बगाल अयबा उडीसा म लगान की बसूनों मी नकद रकमा म ही की जाती थी क्योंकि सातवीं से दसवीं सदी तक यहाँ सिवते नहीं के बराबर मिले

^१ बड़न पादेल लड सिस्टम इन ग्रिटिंग इडिया, १, १२८ ६।

^२ वही १, १७३।

^३ ज० ए० ए० ए० थ० य० मिराज १२ (१६१६), पृष्ठ २६५ पक्षियाँ २२ ३६।

^४ ए० इ०, १२ न० २० पक्षिया २२-२८।

१। एक सेवी गांगा रि ता दिग्गज मुद्रा पर भाषणिक घटा २ रि र म इन्होंना
भ्रातिर्देश ता द्वया या रि ताता बहुत को घाटा गर्दा रहा रहा म ३। ता
सरी ।

भूमि प्राण ॥ ता कु । जीवा दरी रिता रि अन्य व ता या गर्दै
भी गाम राता तरिचितियो ताता है—गापाता रिता व तिर भूमि
साक भग्न दिग्गज जा मुद्रा उठ गा ग यार ग भुद्रा द द्वया ५। उत्तान
घटन गर ता को गगा बास्तव राता ग ता मात्री ता गाय ही बाल्ल
गरही ६ भ्रातार ग याम्या रिया तित्तग इन्दियो जन गम्भी र दिग्ग
रातापा ७। ८। ९ विष निर्वाच दोर देवागिर घापार ग्राता है।
मापातम भ कुछ भावितामी गरलार भी तार गग्ना यन द्वय । गाय गरलार
पुन्नका गम्पिया गम्पमाता १० और मार्गिर गाता का उत्तापी ता गगा ।
उत्त ए द्वय तत्तापा या भ्रिपाता तत्ता जाता या ११ तित्तम ग्राट हाता है रि
उत्तम भपीया तित्तना । १२ या उग सबता यह स्वामो माना ताता या । यद्दरि एम
गरलार ता भूमि भुद्रा दा ता भ्रिपाता ती हाता या पर भावितामा
सरलार पुरिराज इत्ता भ्रमाकाती या रि उत्तम भोमकर राता गमारहै
(इया सदी) ग एव । १३ मर्त्ति र ग गम और यद साता व भरल दोषण क
तित्त एव गीव दान वरयापा । १४ भूमिपर लाया या एव तीतरा यह भी या,
जित भावी गरयाकी गुड़ि व भूमि भ उठी तानी पर गमीत मिसी हुई थी
जित पर व्याहणा या मिली हुई या ।

विन्तु वात्ताण भनुद्वारमायिया की गम्या गट्ट्य भनुद्वातमायिया से बहुत
भ्रिपाता थी । द्वृत भूमि मे होनेयाली वह सारी याय ता तोंप ही दी जाती थी जित
पर भनुद्वाता से पूर्व राता वा हाह होता या साय ही इत्ता । यह भ्रिद्वार भी
दिया जाता या रि इनदी द्वाहा हो तो अमिता को भनुद्वात भूमि स वीषकर
रखें । एव आर उहै य भ्रिद्वार प्राप्त थ, और द्वृतरी भार उहै गीव की उन
सारी गम्पदामा पर भी हाय डालो की दुली छूट थी जिनका उपमाग भयतः
भ्रामीज समुद्राय वरता आया या । दोना वा मतीजा यह हुमा रि तिसान और
कारीगर वृष्टि दाता की स्थिति म पूर्वक गय । गम्यकातीन उडीसा म इत
तमाम याता ने सामातवामी भूमि-व्यवस्था व कुछ विशिष्ट लक्षणा को जम-

१ दी० सी० सरकार हि० क० इ० या०, २ २०६ ।

२ उठी ।

३ ज० वि० ओ० रि० सो०, १६ ८१ २, वस्तियो० १८ २४ ।

दिया। इन्हु उठीसा म ऐसे भूमि-व्यवस्था का उदय उत्तर भारत की वरह बिसी मण्डित साम्राज्य के घटसाकाष पर नहीं हुआ था। यहाँ यह व्यवस्था प्रादिवासी जनजातियों की रीति परम्परामा की पट्टभूमि म विस्तित हुई था। विमिन राजवाला ने आत्म भूस्वामियों को इन लोगों के बीच बसा दर देहे हि न जीवन पद्धति में समाहित पर तिया।

परिशिष्ट २

पाल लथा चन्देल राज्यों की दुर्ग-रक्षित वस्तियाँ

पूर्व मध्य बाल म देण म वहुत से छोटे छोटे सामत राय बापम हो गय। य बराबर एक दूसरे के शय को हड्ड प तने की ताक म रहत थ। फलत इस काल म गौवा की सुरक्षा की समस्या वहुत महत्वपूर्ण हो गयी। गौव बसाने के निर्देश हमें सबस पहले कौटिल्य वृत्त अधगाम्य म दखने को मिलत हैं और शायद यही एक वृत्ति है जिसम इस विषय की विस्तृत चर्चा की गयी है। कौटिल्य ने गाव की रूपरेखा की योजना काफी विस्तार से बतायी है और वहाँ है कि उसकी सुरक्षा वा दायित्व बागुरिका पुलिंग आदि ग्रामियों जन जातियों को सोप देना चाहिए। लेकिन इस वृत्ति म गाव की किलबादी का उल्लेख कही नहीं हुआ है। बाणमट्ट की रचनाओं म भी कुछ गौवा का बणन विद्या गया है किन्तु ये दुग रक्षित गाव नहीं हैं। ऐस गावों की जानकारी हम वहुत आगे चलकर भानसार म मिलती है। इसम आठ प्रकार के गावों का बणन किया गया है और आदश गाव उसे बतलाया गया है जो चारा और से इट या पत्थर से बनी दीवारों से घिरा होना हो और जिसकी दीवारा से परे एक दीवार को रोकने के लिए चारों और चौड़ी और गहरी खाई हो। आग बताया गया है कि गौव के चारों ओर सड़ी की गयी दीवार म चार प्रवेन-द्वार होने चाहिए।^१ मयमत म भी वहा गया है कि गौव खाइयो और मिटटी के बोटों से घिरे होने चाहिए।^२ भानसार म किलो की जसी विनाद चर्चा

^१ पी० के० आचाय, भानसार सरोज ६ १०२।

^२ वही १०२ ३।

^३ ह ६०।

वीं गयी है उससे प्रबट होता है कि उन दिनों सुरक्षा की दफ्ट से सबब उनका महत्व था। एक स्थल पर इसम् आठ प्रकार के किला का उल्लेख है, एक अर्थ स्थल पर सात प्रकार के किलों का, और फिर तीसरे स्थल पर तीन प्रकार के पवत दुगों का उल्लेख हुआ है। इस प्रकार इस इति से हमें कुल अटठारह प्रकार के किला की जानकारी प्राप्त होती है।^१ यदि इन तमाम प्रमाणों को ध्यान में रखकर सोचें तो मानना होगा कि मानसार का रचनाकार निलों और कोटा का बाल था। हम यह मानूम नहीं हैं कि इन इतियाँ में दिये गये निर्देशों का पालन कहा तक किया जाता था। भूमि अनुदानपत्रा में गाँवों की सीमाओं का वर्णन करते हुए दुग प्राचीरा का उल्लेख कही नहीं किया गया है। स्पष्ट है कि मानसार में एक विशिष्ट प्रकार का गावों का ही वर्णन किया गया है। य गाव या तो राजा द्वारा नियुक्त किय स्थानीय अधिकारिया के सत्ता कांद्र थे या फिर स्थानीय सरदारा और साम ता के शक्ति कांद्र थे। सम्भव है इनम् से कुछ गाव कालक्रम से सुन्दर दुग बन गये हाँ। मदिया यीत गयीं। इस बीच पूर्व मार्य काल में यडे किये उन दुगों कोन जाने प्रहृति और मनुष्य के कितने प्रहारा को भेलना पड़ा। किन्तु आज भी सारे उत्तर भारत में उनम् से बहुता के अवशेष देखे जा सकते हैं। यहाँ हम पाला तथा चौदेला के राज्या के दुग रक्षित स्थलों का एक मोटा विवरण प्रस्तुत करेंगे।^२ जहाँ तक पुरावशेषों के रूप में उपलब्ध प्रमाणों का सम्बन्ध है, पाल कोटा और किनाँ के बारे में हम कुछ ज्यादा जानकारी है। मुगेर तथा उससे लग भाग नपुर, पटना और गया के हिस्सा में पाल युग के बहुत से दुग रक्षित स्थल मिलते हैं। गगा स दक्षिण मुदमगिरि (मुगर) का प्रमिद्र किला था, जो काफी महत्वपूर्ण था। यह पाला के विजय स्वाधारारों में से एक था और शायद उनकी राजधानी भी। उसके पठोस के इलाका में अनेक अर्थ किले थे। मुगेर सदर सबडिखीजन में रामपुर और पोन्हरामा नाम के गोद पाल युग की दुग रक्षित वस्तियाँ थीं। उसी क्षेत्र में लखीसराय के निकट जयनगर का किला भी है जहाँ शायद पाल

^१ मानसार सिरीज ६ १०४।

^२ यद्यपि पूर्व अध्य काल के लगभग प्रत्येक राजवंश पर शोध प्रबन्ध लिखकर शोधकर्तामों ने डाक्टरेट की उपाधियाँ ली हैं लेकिन किसी भी प्रबन्ध में शोध के लिए चुने राजवंश से सम्बन्धित दुग रक्षित वस्तियाँ का विवरण नहीं दिया गया है।

राजा इद्रद्युम्न थी राजपाती थी।^१ उससे बूँद ही दूर हटवर मूरजण्डा का दुग था। या तो यह स्थल गगा म वह गया है, लेकिन इसके उपार्त क्षेत्र में अब भी बहुत से पात युगीन पुरावर्णीय दर्शन को मिलते हैं।^२ जमुर्द सर्वडिवीजन म इदपे का किला है। इसकी दीवारें और दीवारों के चारा और की साई आज भी उपा की त्या बायम है। अनुश्रुतिया के अनुसार इस किले का भी सम्बन्ध इद्रद्युम्न से ही था।^३ गगा से उत्तर खेगूसराय जित म नौलागर, जमभगलागढ़ और अलीलीगढ़ के किले थे।

पाल युग के बहुत से दुग मागलपुर जिले म भी मिलते हैं। इस जिले म सबसे पश्चिम म पडनवाला किला सुल्तानगज म है। यहाँ पाल-युग की बहुत सी घोड़ प्रतिमाएँ प्राप्त हुई हैं। सबसे पूव म पडनेवाला किला कहलगाँव के निकट अंतीचक मे स्थित था। वटेसरथान से टड़ भील दूर अंतीचक म हाल म हुई सुदाई मे वटपवतक की तीन मुहरें मिली हैं। पाल अनुदानपत्रा म वटपवतक को एक विजय स्तंभावार कहा गया है और विद्वानों का विचार है कि आज का वटसरथान ही तब वटपवतक कहा जाता था। अंतीचक का दुग प्राचीर लगभग ढाई भील की दूरी तक देखा जा सकता है जिससे लगता है कि वटपवतक का स्तंभावार दुग रथित स्थल था और अंतीचक का पूरा क्षेत्र इसम शामिल था। इसके अतिरिक्त यहा एक राणक की (राणक थी देवस्थ) मुहर भी मिली है।^४ इससे लगता है कि दुग इसी समर्त की देव रेख मे था। जाते पडता है पथरघटा का पहाड़ी दुग भी जिसका सम्बन्ध अनन्द पाल पुरावशेष से है इसी स्थान के ग्रास पास पडता था।^५ पहाड़ी के ऊपर बना शाहवृण्ड का किला भी इसी तरह का पहाड़ी दुग था, और लगता है कि इसका सम्बन्ध भी पाला से ही था। मागलपुर नगर के उपार्त क्षेत्र म चम्पानगर का किला था। बुकानन कहता है कि यहा उससे एक वर्गीकार कोट देखा जो चारा और से खाड़ से धिरा हुआ था। उसके अनुसार यह कोट शायद पाल युग

^१ ए० रि० वि० न० २१०।

^२ वही न० ४२७।

^३ वही, न० १६०।

^४ इस सारी जानकारी के लिए मैं पटना विद्विद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास और पुरातत्व विभाग के फोल्ड हायरकटर डॉ० शार० सौ० पौ० सिंह का आमारी हूँ।

^५ ए० रि० वि० न० ३०३।

का ही था ।^१

गया जिने भ कम से कम पाँच पाल विला के घ्यसावोप देवतन को मिलते हैं । उदाहरण के लिए, दाउदनगर के निकट अमौना म, जहा छठी शताब्दी के मध्य का एक अभिलेख भी मिला है^२ मिटटी का एक विला है, और यह "आयद पाल-युग का ही है । किर फुकीहार म भी इटा से बने एक विले का घ्यसावोप मिला है और साथ ही बहुत से पाल पुरावोप भी—^३ विरोप वर कौसि के बे दुकडे जो पटना संग्रहालय में रख हुए हैं । स्पष्ट ही, यह पाल युग का एक महत्वपूर्ण दुग था । इनक अलावा तीन आय दुर्गों का भी उल्लेख किया जा सकता है । एक तो है धरवत जहाँ बहुत सी बीढ़ प्रतिमाएँ मिली हैं ।^४ दूसरा है निउर और तीसरा अफसद जहा आदित्यसेन क शिलालेख भी मिले हैं ।^५

पालों के आय विलों के अवशेष पटना जिले म मिलते हैं । बद पाटलिपुत्र नगर पालों का एक विजय स्मृत्यावार था । ऐसा जान पाता है कि पालों के अधीन पटना दुग रक्षित स्थल था, और वसे तो यह मुर्म्मिम-काल तक दीवारा से घिरे नगर के रूप मे बायम रहा ।

जहा हम पालों के देवतन नी विजय-स्कृदावारो के नाम मिलत हैं वहा चदेलों के एकोस स्कृदावारा और राज गिविरा की जानकारी उपलब्ध है ।^६ ऐसा मानना असमन न होगा कि ये सब के सब विले रहे हांगे । कम से कम सात गिविरा के सम्बन्ध में तो यह ग्रन निश्चयपूवक वही जा सकती है । ये सात गिविर थे—खजूरवाहक वारिदुग जयपुर या नटिपुर (अजयगढ़) कीति गिरि दुग (देवगढ़) गोपगिरि (ग्वालियर) कालन्जर और सौधि, (सिड्ध दुग अब कहरगढ़) ।^७ इसके अलावा अनुश्रुतियों में आठ और दुग भी चदेला के बताय जात हैं नेविन इन आठ में उकन सात दुर्गों में से दो-तीन शामिल हैं ।^८

१ वही न० १०० ।

२ वही, न० १२ ।

३ वही, न० २६२ ।

४ वही न० १४० ।

५ का० इ० इ०, ३ २०० १ ।

६ ए० रि० वि०, न० ३०५ (३) ।

७ एस० के० मित्र द अर्ली रूलस आफ खजुरहो पष्ठ १६३ ४ ।

८ वही ।

९ वही पष्ठ ६८ ।

अतएव, युल मिलानर च देल दुर्गों की सस्या सगमग ने दजन मानी जा सकती है। उनके सबसे ज्यादा किसे स्थभावत युद्धेन्द्रगण्ड में थ, क्यारि घट्टा के राज्य का अधिकाश माम युद्धेन्द्रगण्ड म ही पड़ता था। चादला का राज्य आजकल व डिवीजन से बढ़ा नहीं था। सच तो यह है कि उनका मूल नाम ही जेजामुकिन था और भूकित क्षेत्रफल म डिवीजन वे बरावर ही होती थी। उनके राज्य म वेवल सोलह विषय या पत्तला थे^१ इन्हे छोटे राज्य म दुर्गों की मह सस्या कोई कम नहीं मानी जायगी।

जाहिर है कि ये चादेल दुग स्थानीय सरदारों के प्रधीन स्वास्तित सामर्ती किसे नहीं थे। य वास्तव म सनिक वैद्य थे, जहाँ से स्थानीय किसानों से राजस्व व मूल किया जाता था और उन पर सत्ता का रोब रखा जाता था। ऐसा लगता है कि प्रत्येक दुग एक एक दुर्गाधिप^२ के हाथा म रहता था और उसके पद को दुर्गाधिकार^३ वहा दृष्टा था। वालञ्जर तथा अजयगढ़ जसे दुर्गों के सेनानायकों को विगिप रहा जाता था, और उनम से प्रत्येक को कम सकम एक गाँव सेवावति के रूप म दिया जाता था।^४ शायद चादेल शासन के अन्तिम दिनों म उहनि स्वत व सामन्ता का पूरा दर्जा पा लिया था। १२वीं सदी म इंग्लैंड के राजकीय दुर्गों की गढ़नामा को दो चार जमीदारियाँ के समूह चत्ति-स्वरूप द दिय जाते थ।^५ चादेला व अधीन राजकीय दुग के प्रधान को वत्तिस्वरूप भूमि अनुदान तो दिया जाता था, लेकिन दुग रक्षक सनिक भरती और मुहैया करना उसका काम नहीं होता था। यहीं इन सनिकों का भरण पोषण आदि राज्य के खर्च पर होता था। जो भी हो, चादेल राज्य म किसी की इस बहुलता को राज्य के सामर्ती गठन का लक्षण माना जा सकता है।

पाल और चादेल राज्यों के दुर्गों के इस छिट पुट अध्ययन के आधार पर कोई सामाज्य निष्कप नहीं निकाला जा सकता। यदि हम मुस्लिम शासन की स्थापना से पूर्व के इन मध्य-कालीन शक्ति वालों की भूमिका के महत्व को ठीक-

१ एस० ब०० मिथ ने स० प्र० पु० (पृष्ठ १६१३) में विषय को पत्तला वर पर्याय मानकर चादेल ग्रमिलेखों के आधार पर सालह विषयों के नाम गिनाये हैं।

२ वही पृष्ठ १६०।

३ वही।

४ वही पृष्ठ १५८ ६।

५ एक स्टैटन इंग्लिश प्रयुडलिन, १०६६ ११६६, पृष्ठ २१२ ३।

ठीक समझना चाह तो यह आवश्यक है कि विभिन्न राजवशा से सम्बंधित दुर्गों का इलाकावार अव्ययन किया जाये। फिर भी राजनीतिक तथा आधिक मगठन की हृष्टि से दुर्गों की उपयोगिता में कोई संतेह नहीं किया जा सकता। भौतिकालीन किला वहूदेशीय सगढ़न था। ये किले आस-न्यास के ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे और इस हृष्टि से ये आज के दाहरा की ही तरह थे। जिसा के रूप में बनूल किये बर को यहाँ एकत्र किया जा सकता था दुग रक्षक सनिका को रखा जा सकता था, तथा युद्ध बाड़ (विशेषकर पूर्वी प्रदेशों में) और अकाल के समय आम पास के लोगों को आश्रय मिल सकता था। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि दुग बहुत अतिम अस्त्र वा जिसवा प्रयोग राजा या सरदार किसानों पर अपनी सत्ता कायम रखने के लिए बन सकते थे।



अनुक्रमणिका

अभ्यासटलाडाव १६३	अपरम्पारगोविलिवद्द ५२ पा० टि०।
अभ्यासटलिक १६३	३
अभिन्नकुष्ठ ११२	अपराजितपच्छा २११, २१२
'अभिन्नपुराण २०५, २३७ पा० टि०	अपराक १५१
अप्रबाल वा० शा०, १६ पा० टि०, २१	अपस्तम्ब १४६
अप्रहार १२ ४२ ४३ ४६, ४६- ४८, ४८, ५५, ६६, ७६ ८२ ११६ १२८ १३६ १६० २२१, २२४, २४०,	अपुत्रिका घने १०६
अप्रहारिक ३१ ४४ ४६ ६६	अप्रहृत ३०-३७, ३८
अनग ६८ १७७	अबोताबाद १११
अनगभीम (तत्तीय) २४०	अनमयपाल पा० टि०७, १७७
अनतवर्मन २५ ४५ १६६ २८७	अमररकोण ६८
अनहिलपाटन २५२	अमात्य १५, २१, २३, २०८
अनुगतना ३३ ३५	अमोघवय (प्रथम) ८७, ८८, ८९, १५ १०६ १०८ २२१
अनुरदत्त महासामन्त ३०	अमोघवय (तत्तीय) ८२, ८७, १०७
अनुराग ३०	अरहु ४२ पा० टि०
अनुशासन पव २	अयशास्त्र २१ २५ ४०, ५२, ७६, १००, १२६, २३५
अन्तवेदी २० पा० टि०	अधिपुरुषार्थिक १६१
अतिचक २६८	अलतेकर अ० स०, ८८, ८७, १०६, १०७, १०८ १११, १३६
अन्तौली घरीनी, ६४	अलन्न ८१, ६१
अत्त पुर १६	अलबस्त्री २५१, २७२
	अलदर ११८, १३१

- अल्ल १२१
 अल्लशक्ति ५०
 अल्लहुणदेव २३६, २४४
 अवध १२०
 अजमेर २६४
 अवनिवमन (द्वितीय) ८४ ६३
 अवलगन ३४ ३५
 असारफ्पुर (प्लेट) १४ ५५
 अदोपराज पुरुषाज ६२
 अगोक १७, २५
 अष्टप्रहारिक २३६
 अष्टप्रहित २०६ २१० २१२
 असहाय १४६
 अहिच्छत्र २८६
 अचाय १०
 अचाय २४२ पा० टि० २४४
 अचित्यसन २६६
 अदिवराह १३४
 अभिनिह ३४
 अधिष्ठ १५३
 अधिकारिक पा० टि० १ ६०
 अधिग्रन १३१
 अध्य प्रन्न ३६
 अनानमामात २८
 अनान्द्य २४४
 अनुकूल २३ ६३
 अन्नट १०६
 अधिः ६८
 अचार १०
 इनाम ८७
 इद्रायुस्त २६८
 इद्र (द्वितीय) ८३
 इद्र (ततीय) ८६, ८७ १०४
 इद्राज २६, १६५
 इस्लाम ६८
 ईद्वरथाय २०१, २०२ २१६
 उज्जयिनी ११०
 उज्जन ८४, ८५
 उडीसा १६ ५६
 उत्तर प्रदेश ११४
 उत्पादयमानविटि १२७
 उत्तर १४५
 उत्त्यपुर २३६
 उत्त्यमान ३८
 उद्यादित्य २६८
 उद्यतपुरी ११६
 उत्तरग १३ ३६ १२७
 उत्तम ६६ १२६
 उपरिकर १२ १३ २०, २०, २६
 २६ ७७ ६३ १०७
 उपसामीर्तीरण ६ ३५ ३८ ७३
 ६३ ६४ ६६ ११४, १०७ २३५
 २ ७ २६१ २६८ २६६, २७३
 उद्यवादित्य २८१
 उमात २१३
 उत्तर २७६
 कृतिग १०
 एकाग २००

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| एलोरा ५८ | ७१ ७२ ७५ ७६ १११, १३०, |
| आगज ११२ | १३२ |
| आलग ४ | यथक ४७, १५८ |
| झोड़ २-८ | बल्लपाल १२२ |
| झोटुम्बरिक २८ | बलदण १०७ |
| बछार ६३ | बर्मीर २५० |
| बटक २८७ | बागरा ५८ |
| बड़ोल ८६ | काचनपूर ११० |
| बास्यवास १८३ | बाकीणी १३३ |
| बनिधम २६६ | बाठियावाट ८८ ९४ १२५ |
| बाडलमूलीय २५५ | बात्यापत ६२, १४६ १२० १५१ |
| बनड ३४ | १५३ १५५ |
| बनीज ११० | बादम्बरी १० २६, २८ ४४ |
| बपददक पुराण २६२ | बायकुन्भूति ८६ |
| बपिलावासक ११० | बामन (गिलालख) १२४ |
| बर १२ १३१,— वा किमाना पर | बामन्क नीतिसार ८२ १०४ |
| कुम्रभाव १२, ५० — वे स्थ म | बामसूर ५२ ६६ |
| रायाधिकारिया की वतन ८८ | बाहकादि २४० |
| बरजम २०६ | बालजर ७८ |
| बरद २६ | बिनान ६४ |
| बराधान १४६-४७ १५३, १५ | किला अमीना म २१६ —कुर्किहार |
| १५७, २३२ २२३ ४७ ४९ | म २६६ —चम्पानगर म २६६ — |
| २४७, २५८ २६ २७२ | जयनगर म २६७ —पथरघटा म |
| बवक (द्वितीय) ६२ | २६८,—पाटलिपुत्र म २६८ — |
| बवकराज मुवणवप ८६ | गाहकुण्ड म २६४,—मूरजगढ़ा म |
| बवकराज ६८ | २६८ |
| बणमुवणक २८ | कीष १३६ |
| बण्टिक ३४ ५१ ५६ ७१ ८५ ९६ | कीनिपाल १८१ |
| १६ १२२ | बातिवमन १७१ २६३ |
| बपनक १३३ | कुटम्बिक २३६ |
| बूपरदेवी १६८ | कुटुम्बिन ५६ |

- कुण्डे ६५
 कुमारगुप्त १६, ६७
 कुमारनाग १३
 कुमारपाल १६५, २२० २२१, २४५
 कुमारस्वामिन् १८, ३८
 कुमारामात्य १६ २१, २६
 कुमारामात्य भद्राराज ७
 कुल ८४
 कुल गर्मि १७३
 कुल्य ६३
 कुल्यवाप ६२
 कर्क २४५
 कृष्णम १२८, —सम म २३६, —
 के द्वय ४८
 कृष्णदासत्व ५३ ६१ ११५ १२२
 २३३ २६१६, २६४ —उद्दीपा
 म २४० २४१ ~६० ६१ —काशरा
 ओर गुजरात म ५७ ८८ —का उद्दू
 मव ६४ ६५ —का विद्वास १२~
 १२३ —मध्यहानीत पूरोप म २७४
 कृष्णम १५६
 कृष्ण (प्रथम) ६३
 कृष्ण (स्त्रिय) १०५ १०६
 कृष्ण (तत्त्व) १०६
 कृष्ण (चतुर्थ) १२२
 कृष्ण ४२
 कृष्ण १८१
 कृष्ण १८६, १८६
 कृष्णनिंदा २३३
 कृष्णनिंदा साम्राज्य १६~
 कृष्ण विद्वान् १११, ~३२
 कृष्णहट १४
 काकण ७२, २४० २४७, २५५ २६४
 कोकामुखम्बामिन् ३७, ४५
 कौटिल्य २४६
 कौटिल्य १६
 कौरायुट ५६
 काहापुर ८५, १०५ १०६
 कौशम्बी ढी० ढी० ६६
 कौसल २, ४०, २८७
 कौटिल्य ८ १० २२, २५, ३२, ४०,
 ४०, ५२, ६१, १०० १२६ १४५,
 १४६, २३३ २६६ —वे विद्वार
 मध्यहानीत को वेतन दने के सम्बन्ध
 म ११
 विवलोत २५७
 कीड़ी ६३, १३४, २६२ २६३ २६६
 लेनदार ७८
 लोकस्वामिन् ४८ ५३
 लम भिखा १२७
 विजित २५६
 विजित १६८ २८३ २८५ २८९
 विष ३६ ३७ ३८
 लालभेद ८२
 लालिय १५६
 लगा ११०
 लगापरम्परा १५५
 लंगाम ५६
 लंगति नायर १६८
 लंग ८८
 लंगहराल्य १०४ ~०५
 लंग्याम २९८
 लंग्यावंगा ११५
 लंग्यागिराम २१४

गया ७, ४५, १३३
 गयाडतुग २८६
 गवुण्ड ६०
 गांगूर (गीशूर भौरगसुर भी) १११
 गाण्युली, ही० सी० २५१
 गायेयदेव २६७
 गुजरात १७, ३८, ४०, ५०, ५७, ५८,
 ६३ ८५ ८७ ६०, ६६, ६८, १०८
 ११२, ११४ १२२, १२५, १३८
 गुणसागर (प्रथम) ८८
 गुणास्वोधि ८८
 गुजर १११, देखिए गम्भूर भी
 गुज्जरतरामूर्मि ८६, ६४
 गुहिलोत २३६
 गृहटि २३८
 गहस्यावर चलक ४८
 गोगु राणक १०८
 गोत्र ४०
 गोदावरी ५५
 गोप ८ ६
 गोपचाद १६
 गोपाल १०५
 गोविन्द (द्वितीय) १०६ १०७
 गोविंद (तीतीय) ८५ ६०, ६३,
 १०४
 गोविंद (चतुर्थ) ८६ ६६
 गोविंद (पञ्चम) ८५
 गोविंद केशवदेव २३८
 गोविंदचाद १७७ २१८ २२७
 २६३ २६७
 गोविंदस्वामिन् ४५
 गोप्तक २३६

गौतम ३३ १४१, १४६ १५२, १५४
 गौतमी पुत्र शातकर्णि २
 गौरी २४४
 ग्राम इकाइयाँ,—एक सौ छब्बीस की
 १८८, २२१,—चौसठ की १८६,—
 चौबीस की ६०, २१६ २७१,—
 चौरासी की ६० १११ १८०,
 १८४ ११३,—तीन सौ की
 १०८,—दस की ८६ ६० १०८
 ११३ २७१,—पाँच की २१६,—
 बयालीस की १८८,—बारह की
 ६० १०८, १११ १८४, २१६,
 २७१,—सोलह की १८४ पा०
 टि०,—सौ की २१८
 ग्रामकूट ८६, ६१, ६७, १०२ पा०
 टि०
 ग्रामजम २०६
 ग्रामपति ६ ६१, ११३
 ग्राम प्रधान २३, ५२ ६६, ७७, ८६,
 ६१
 ग्राम भोजक ६
 ग्राम पटटर २०७
 ग्रामाधिपति शायुक्तव २३
 ग्रामाधीश २०६
 ग्रालियर ८३ १२० १३७ १४४
 २६४
 घटकूपक १३२
 घटी ४२
 घरत्यानम् ५४
 घोपाल १४०
 घटा १६५
 घक्कर्ता० २१० २१६

चण्डाल १०६ १२६, १३१	जहाजरानी २५५ ५६ २६०
चतुर्निवेशनसहिता ५६	जापीर १८२
चतुरसिक २११ २१२	जायीरवार १६,—जायी (रा) के
चाद्रगुप्त ६२	बतव्य गुजरात में २०५६
चाद्रदेव २१८	जायुक (जायु शर्मा) १७६ ७७ २५०
चाट २०, ३६, १२६ २४३	जाजूक १७१
चामुण्डराज २४६	जायसवाल काठ प्र० १३६ १४८
चीत १, ६६ ७०	जीरक ५६
चूंगी २४४ ४७ २५६, २६१, २६४	जेमव्हकर भर १६५
चाल वामादिराज १६६	जमिनी १८१ १४८
चोलगण १३३	जोधपुर ६४, २६१
चोत्तिलक १३२	नाति १४३
छोड़गोमिक १३	जयोतिषी १६५
छपरा ८३	भस ४३
छम्बा १२८ २२४ २३६ २३६, २४१	टिपेरा ४१ ४३ ४४ २४१ २६२
जग्नु २५३	ठक्कुर १७२ १७४ १७७ २०२
जगदेकमल्ल १०६	ठवक्कुर फेल १३४
जग्नूल ११६	ढहु (द्वितीय) २३
जगधर शर्मा १६८	टायत श्रिसोमटम ७४
जगमन्ल २३६	डरेट ज० डी० एम० १५८
जटा शर्मा १७७	तत्रपाल ६८
जनपद १८६	तरिव २५४
जमीन के अधिकार १२७	तरणानित्य ६३
जयघट २३	तरणादित्यदेव ८३
जयच्च ३ १७३ २१८	तलपाटक ८०
जयनगर २८	तापि ६२
जयनाथ १२	ताम्बृतिं १३२
जयमट (ततीय) ५८	तार १०५
जयवमन (द्वितीय) १८७	तारापी १६ ४४
जयम्भापावार ११०	तालि १३३
जम्बियम ६६	ताहिया ११२

अनुच्छेदिका

तुलारिस्थान ११२
 तुला १३३
 तजपाल (व्यापारी) २५३
 तन्त्र १३२ १३७
 ताण्ड़ि १०५
 तासली २८८
 त्रिपुरपदेव २४६, २४४
 अणा ८७
 असोवयवमन १७१ १७३, १७४,
 १६२
 अनसर ४२
 अण्ड ८२
 अण्डगापराध १२७
 अण्डधारी ३१
 अण्डनायक ७७ ६२ ६६
 अन २२
 अन्तिदुग्ध ८३, ८५
 अम्बल १०६
 अग्रामिक ६ ८८ ११३
 अग्रामी ८
 अग्रापचार ८२
 अग्रापराधदण्ड ८२
 अमोर्त्र गुप्त ४६
 अमारपुर ३६ ३७
 अयाद १४३
 अरपराज १६६
 अस ५१ २३७ २७३ ७४ २६०
 अमत्य —का हास ६० ६१
 अंत्य ४६
 अल्ली २६४
 अवाक्षरप्रम २२
 अविर १७

दुग, —प्रलोलीगढ मे २६८,—
 वासजर मे २६६,—विउर म
 २६६,—कीर्तिगिरि म २६६,—
 खजूर वाहृ मे २६६,—गोपगिरि
 म २६६,—जयपुर या नदिपुर मे
 २६६,—जयमगलागृह म २८७,—
 घरबन म २६६,—मौसागढ म
 २२६,—वारि दुग मे २६६,—
 साधि म २६६
 दुर्गा १२१
 दुर्गाधिकार ३००
 दुर्गाधिप ३००
 दुष्टसाध्य १६१ १६४
 दु साध्य २४३
 दूतिक २००
 देवकुल ८६ ११६
 देवण्णभट्ट १४३, १५२
 देवपाल ८१ ११५ १३१
 देवल १५०
 देवानन्द (तत्त्वीय) २८७
 देवप्रामकूटक क्षेत्र ८६
 देशीनाममाला २५६
 देसकार ६३
 दीस्ताधसाधनिक १
 द्रम १३३ ३५
 द्रव्यपरीक्षा १३४
 द्वारप्रकोष्ठ १६
 द्रोण ६३
 द्रोणवाप ६३
 धग १७१
 धनिका १४३
 धधुक १८३

धरण २५५ २६४	नारायण ५६
धरणिवराह ८४	नारायणभद्र २८
धरसेन (प्रथम) ४६	नारायणबमन ८० ६३ ६५
धरसेन(द्वितीय) ५७	नालादा ४४ ४६ ७५ ८०, ८१,
धरसेन (तृतीय) ५८	११५ १२२ २२५
धमपाल ८० ६३ ६५, १२६ १३३	नालुस २२२
धमलेखि २२५	नासिक ८५ २४५ २४७
धवलप ६३	निगम ७५
धाय १२७	निधि निधान १२३
धारवार ७४ १०८, १२१, १२२	निम्बदेवरस १०३ १०५
धालेप २३६	नियुक्त ६७
ध्रुव (प्रथम) ८७	नियुक्तक ६७ १०२ पा० टि०
ध्रुव (द्वितीय) ८७	नियोगी, पुण्या २५१ पा० टि०
ध्रुव (तृतीय) ८६	निवेश ५६
नगर —उत्तरी भारत मे २५२,—	निवशन ५६
पदिचमी भारत मे २५० ५२,—	'नीतिवाक्यामत १०४
पूर्वी भारत मे २५१ २५३	नरसिंह (द्वितीय) १७०
नगरकोट २६६	नेमिक वणिक १३७
नडोल २४७	नौहाला २२२
नड्डुल २४४	पचकुल २०७
नन नारायण ८०	पचग्रामी ८
ननराज २३	पचनगरी १६
नरसिंह चालुक्य १०४	पचमहाराद २३ १०३
'नरसिंह पुराण ६४	पचोयकद्रम्म १३५
नराधिप २११	पजाव ६७
नमदा ६२	पट्टकिल १६५, १६१, १६४, २४३
नटिभर्ता १२३	पट्टधर २१०
नागभट (द्वितीय) ८३	पट्टमाज २१०
नाटुलडायिका २४५	पट्टिका २२१
नायक १७० १६६ २८७	पण १३३
नारद ३२ ३३ ३५ ६१ ६४	पञ्च १५२
१४६ १४७ १५१ १५२ १५५	पत्तला १७६ १८०, १८०, २०६

- २१७, १२१, २५०
पथक १६६ ६०
पथरथटा ११०
पम्पराज २६५
परती जमोन १५६, २२५, २६४,
—का हस्तातरण २३१
परमभट्टारक २०, ६८
परमभट्टारक महाराज परमेश्वर १०३
परमदिन १६३ १६२, २१६, २२६
परमेश्वर ६८
परमेश्वरपादोपजीविन ६८, १०१
परमेश्वरीय १३३
परिचारिकीकरण २७
पतिका १३२ २४६
पल्लिका २४५
पाटक १७८ २१६
पाटलियुक्त ११०
पातिकोम्याण २६०
पाद १३३
पादपदमोपजीविन १०१
पादपिण्डोपजीविन १००
पादप्रमादोपजीविन १०१
पानोपजीविन १७०
पाण्डिक २१०
पिण्डपुरिकादेवी १४, ३७
पिण्डपुरी ४५
पुण्ड्रभुक्ति ८१
पुण्ड्रवधन ३० ८१
पुरुषोत्तम सेन १६६
पुरोहित १०, ३३ १६५
पुलकेण्ठ ३०
पुलिंदभट १४, ३८
पुलिंदराज २६४
पुष्पभूति २६
पृथ्वीराज (द्वितीय) १६६
पृथ्वीराज (तृतीय) १६६
पृथ्वीराज (चतुर्थ) १६६
पेदइया एक व्यापारी वग २५३
पहोचा १२६
पथन ८२
पला २६१
प्रहृति २६१
प्रचण्ड ६२, १०६
प्रताप ३०
प्रतापमत्त्व २६८
प्रतिवाग्नि ८१
प्रतिष्ठानभुक्ति ६०
प्रतिसामात् २६
प्रतीहार ७७ १६३, १६४, १६५,
— २४४
प्रदोषशमन ४१
प्रधानसामात् २६
प्रब घच्छितामणि १६८, २०६ २२०
— २२१
प्रभु,—का नियन्त्रण सावधिक १०६—
— ७
प्रमातार १२
प्रवणि ४२
प्रवणिकर २५३
प्रवरसेन (द्वितीय) ३ ७
प्रसादलिखित ११
प्रस्थ १६३
प्रस्थक १२३
प्रहारिक २१०, २१३

प्राचीन शब्द १०६	पुराण १३, १०३
प्राचीन विषयात्मक २३	पुरुषाद्य १२६
पितो ६१	पुरार ११८
पालिका ८ ११ १२ १३ ८० १८८	परमार्थिक ७१
प्रधन पूर्व १३, १०८	प्रधानान्तर २७१, २८५, २८६
प्रधान ४ ३६ ३० ११ ५५, ६३ ८० ८८, ८५ ८९ ११८ १२८	प्रधानारणीय पुराण २०५
प्रधान ६७	प्रद्युम्नि ८, ११ ३२, ४८ ६१ ६४ ७७ ७१, ७६ १४३ १८१ १५० १५१ १५२ १५५ १६४ पाठ ५७०
प्राचीनी पी० एन० ११६ ८०	प्रधान (विट्ट) २४ १६ ४८ ५३, ७१ ७६ ८५ ८६ १३ १२६
प्रद्युम्नी ८६ ८६ १०८	१२७ १३८ २४६-५० ७१६
प्रधानग ८३	२०३ २८०
प्रधाना २४५ २६१	प्रजापिता ६६
प्रधानवर पट्टाई २५	प्रोपाया १४६
प्रसभ ८-८४ १७३	प्रोड मठ ४५ २२३
प्रस्तुतमन् ८३	प्रस्तुदेष्य ५, ६ १०
प्रस्तुतमी १४	प्रस्तुतवत् पुराण २७८
प्रस्तुतिहृत ६८	प्रात्येष ३५ ३६, ३७ ३८ ४१ ४३ ४५ ४८ ५४ ५५ ५७ ६५ ७२, ७७ ८१ ८३ ८५ ८६ ८७ ९१ १४ ६६ १०८ ११६ १२४ १३१
प्रस्तुतिपि ११४ २४४	भगवान् भगवत् नारायण ४२
प्रति १८४	भट ३६ १२८
प्राण १६, २६ २७ २८, ३० ४२ ४४, ४६, २७५ २८६	भट्ट बहुवीर स्वामिन् २८
प्रादामि ५०, ५६ ७४	भट्ट भूवनदेव २११
प्रातिपुरुषदेव ८१	भट्ट यगोधर १३१
प्रियास ३१	भट्ट विल्लु ६४
प्रिहार ३४, ६७ ८१ ९६, १२८	भट्टस्वामिन् १२६ १४६ १४७
बील ६	भट्टायहार २२० , १
बुकानत २६८	
बुद्ध ४५	
बुद्धयोग ५	
बुधगुप्त २०	

भट्टारक १६	-	
भण्डारवर १३५	-	
भरतपुर १२५ २४५, २६१	-	
भवाना ४५	,	
भग १२ २४२	,	
भागनपुर ११० १३३	,	
भाण्डाराधिकृत २२	,	
भारक २८६	,	
भारत विकटपाई ६७	,	
भारतीय संग्रहालय १३४	,	
भारद्वाज ८० १५१ १५४	,	
भावदत्त १६६	,	
भास्करवर्मन २३	,	
भित्रा ४६	,	
मिलमाल १३५	,	
मीमदत्त (प्रथम) २३०	,	
भीमदेव (द्वितीय) २३०, २४७	,	
भूविन १८ २२ घ३ घ६ पा० ५० ९६	४०	
भू-यमान १४		
भू-यमानक १४		
भूतवाति प्रत्याय १२७		
भूपाल २७१, २८३ २८६		
भूमि —का व्याधक १५४ १७८ ७५, —का विभाजन १४१, १४२ —को विश्री १४३ १४६ २७६ — गुजरात में जागीरों के हृषि कृत २२४ २५ —पर राजकीय स्वामित्व १४१४२ १४५४६ — पर सामुदायिक अधिकार १४१४५ —मालवा में जागीरों के हृषि में अधिकृत २२३ २४, —राजस्थान में		

जागीरों के हृषि में अधिकृत २२४ ३५
भूमि अनुदान असम म-२१४, २३७,
—कायस्थों को १७२ १७६, १८८,
—उडीसा म १४४, १६४, १६७,
२०५, २७१, २७७, २८२ ६५, —
उत्तर प्रदेश म १७१, २१७ २ १,
२४८, २७१, —कुटुम्बिया को
१०७, २७१, —के साथ विसाना का
हस्ता तरण ५४ ५६, —गण द्वारा
१६६ ७०, १७१, २८७, २८८, —
गाहडवालों द्वारा १७६ २१८, २३८,
२४६, २५३, २७२, —गुजरात में
४८, १६३, २०६, २२०, २२१,
२२२ २३, २४८, —गुजर-
प्रतीहारों द्वारा २३१ —च देशों के
राज्य में १०४ २३२ ३, २३४,
२४६ —चाद्राद्वारा २५८ —चाह
मानो द्वारा २ ४, २४४, २४५,
२५२ २६०, —चौलुतपा द्वारा
३४ २४६, —तुगो के राज्य में
२८४, २८८ —पालों के राज्यों में
७७ ६, —प्रतीहारों और उनके
सामन्तों व शासित क्षेत्रों म ७८-८१,
प्राङ् मौय काल व मौय वाल म
४, —बगाल म १४४, १६५, २१६
२१७ २४८, २७१, २७३, २७८,
२८२ २८६ —वधेलवण्ड म २१४
२२२ २२८ २३१, —विहार म
१६५, २१७, २३१, २४८, २८
—वाहाणों और पुरोहितों १७६,
१८८, २०२ २१५, २१६, २१,
२२१, २२२, २७७ २७६, २८२,

२८८,—भजो द्वारा २८३, २८८,	भोगलभि १५३
२६०,—महाराष्ट्र मे ४८,—	भोगशब्दि ७०
मालवा मे २०६, २३४, २४६,	भोगिक्त १५, १७, १८, २२, ७७, ६६
—राजस्थान मे २२४, २३४,—	२७१
राज्याधिकारिया और अधीनस्थ सरदारो को १६४, १७० १७६,	भोगिक्षपालक १७
१८२ १८३, १८५ १८८, १८६,	भोगिहृष २७१, २९४, २८६
१८७, २०१ २, २०८ २२१,	भोगी २७१, २८४, २८६
२२३ २७२, २८३, २८७ ८८ —	भोज (प्रथम) ८२, ८८ पा० टि०, १३४
राजिया और राजपुत्रो को १८१ —	भोज (द्वितीय) १३४
राष्ट्रकूटा और उनके सामता के	भाजवमन (पालसामत) २१६
शासित क्षेत्रो म ८४ ८७,—वमनो	मत्रिनायक १६६, २८७
के राज्य म २५८,—सेनो वे राज्य	मत्रिन २१ १६८ २०८
म १६६ ६७, २३२, २३८ २४६	मण्ड २, ३४ ४०
२५४ २५८,—सवावति के रूप म	मठ ४५ ४७ ६४, १२१, २७१, २२३
७८ ७६, १६४ ५, १७५ १६७	२३४, ७३७
२३५ २४६ २६५, २७१ २८६,	मठ प्राय स्वतंत्र ४७
सनिक सेना के लिए ६१ ६२, १७२,	मणिग्राम २५५
१८६ १६७ १८८ २०८, २१५	मण्डल ८२
२१६, २७१, २८६ —सोमवशियो	मण्डलेश १०६ २१०, २११
के राज्य मे २८८ २८९	मण्डलेश्वर १८३ १६७
भूमिकर ४५, ८५	मण्डपिका २४४, २४७, २५४
भूमिच्छद्र ३८, ३६	मत्तर ६०, १२१
भूमिच्छद्र याय ३७ ३८, ३६, २०६	मथनदेव ६४ ११८ १३२
मत्यभरणीयम १०	मदद ए मआश १५६
मेरी २३	मदन पारिजात १४२
भोक्ता २७१	मधुकामाणव १६६
भोक्तमहाराजपुत्र १८३	मदनपाल २२६ २६३
भोग १२, १८ २४२	मध्यदेश ६, ४४ २७८, २८८
भोगकर ८८	मध्यप्रदेश २६ ३७ ४०
भोगपति १५ ६७ ६६ २८५	मनु द, ११ २५ पा० टि० ६१, ७८
भोगपतिक १५, १७	८८, ११३, १४५, १४५, १४६,

१५२	१५३, २७१, २६२	महामात्य १८८, १६६, २००, २०४
मनुस्मृति	६	२०५, २०६
मध्यमत	२१२	महामात्र ३२
मराठा	६०, ६३	महाराज २१, ५८, ६८, २१०
मलावार	२५७	महाराजाधिराज ६८
महतक	१०८	महासाधनिक १८५
महत्तर ३१	५७ १०२ पा० टि०,	महासाध्विविश्विहिक २२, ६८, ६८,
	१०६ २८३	१०६, २०० २२३
महतराधिकारिणि	१०६	महासामन्त २० २२, २६ २७, २८,
महाराष्ट्र	१७ ३८, ४०, ४८, ५१,	४१, ८८, ६२ ६६ १००, १०३,
	६३ ८१ ६६ ६८, ११५ १२३	१०५, १०६, १६८, १६६, २११,
	१२/ १, =	२१३, २७१, २८५, २८६
मीपति	४७ २११	महासामन्तराणक २७१
महीयात्र	८१ ८८ १०४	महासामन्ताधिपति ८८, ६३, ८८
महोशाल (उपाधि)	३०	२७१, २८४
महद्रपाल (डिनीय)	८३, ८८, ८८	मारट आवू ११२
महोदय	१०	मारणक ८४, १२३
महाकानाहृतिक	६८	मार्गलिक १८६ १६६ २११
महाथपरिनिः	२२५ २८४	२१३, २७१
महाजन	७४, ७५ १२१	माषव ८४ ६५, ६८, १७०
महादण्डनायक	२१, ६८	मानक २४६
महादीम्बाधानिः	२२, ६८	मानसार २१० २१३, २१७
महापात्र	१७०	'मानसोल्लास' २३ १० २०८
महापीलुरनि	१७	२१४, २५५, ९६२
महाप्रतीहार	८८	मान्यक १०७
महाभवगुण (प्रवय)	२८७	आन्यसेट १११
महाभवगुण (डिनीय)	१६७, २८५	मार्को चोला २५६ २८६
महाभवगुण (चतुष्प)	२८६	मालबेट १११
महाभारत	२	मातदा १०६, ११०, १२२
महाभोगी	१६ २३१ २८४ २८६	भानिका-महर १३२
मामण्डनश्वर	६६ १०५	'मितादारा ४७ १४२ १४३
महामहत	२८३	विरज १०६

- 'मितिन्द पहो' २२
 मित्र १, ७०
 मिहिरभोज १३४
 'मीमांसा सूक्ष' १४१
 मुग्गेर ८१
 मुट्ठ २४६
 मुदगगिरि ११०, २६७
 मुद्रा, कलचुरिया की २६६-६७,—
 का भभाव ६७ c, १३२ १३३,—
 का चलन १३३, २४६ ४६, २५८,
 २६२, २७५ २७६,—गाहड़वालों
 की २६३ २६७ —गुजर प्रतीहारा
 की २७६,—गुहिलो की २६४,—
 च देलो की २६३ २६७
 २६८, चादी की २६४, २६६,
 २६७,—चाहमानो की २६३,
 २६८, २७६,—डाहल के कल
 चुरियों की २६३,—तावे की ६७
 २६४ २६७,—तोपरों की २६४,
 —परमारों की २७६ —मारवाड़
 के शासकों की ८६४ राष्ट्रवृटों की
 २७६,—लोहे की २६६,—सनों की
 २७६ —सोने की २६२ ६७
 मुल्लां २६६
 मूर्य या मुदग ४२
 मूलराज २२१, २५६
 मेगास्थनीन १ ७६
 मेत्र १३१ १४४
 मेन १३६
 मेतिक ८१
 मेवड़नील १ ६
 ममुना २०
 यगमबदेव १६८, २६०
 यगोदत १८७
 यशोधर्मन २५
 यशोवती २८
 यशोवर्मन १८७ २४५
 यानवल्मय ४७ ६७ १४७
 युक्तक, १०२ या० टिं
 'युक्तिवस्तुत्तर' २६०
 युदराज १०० १०३
 युवराज (प्रथम), वसन्तुर राजा
 युवराजदेव (द्वितीय) २२२
 यू ची ११२
 यूरोप १६, ४३, ५३, ७० ७५ १६
 ७८, १०६ ११४
 रघुवश ३, ३२
 रट्टराज २४०
 रणभज १६८
 रतनपुर २६७
 रथिक ३०८
 रवकोट्याचाय २३
 राउत १७२ १७७ १६१ २०३
 २१७
 राजकुलीय १६५
 राजकुलोदय १६५
 राजतरणिणी २४६ २६०
 राजपादोपजीविन १०१
 १जपुय दद १८१ १६६, १६८
 १६८ २०५ २०७ २११ २७१,
 २८६
 राजराजेन्द्र दद, २७१
 राजवल्सभ २७१, २८६
 'राजवल्सभमण्डन' २१२

- वलमी २६, ५०, ५७, ६३, ६८, १२२,
१२५ २४६
वस्तिदण्ड १६५
वसिष्ठ १४६
वस्तु ३७
वस्तुपाल २५३
वाक्पत्रिराज सूरि २०१
वाटस १० पा०टि०, ३०
धार्मस्यायन ५२, ६६
वारिक ५०
वास्तु ३७
विगतिच्छवय १६४
विशोषक १२६, १३३, २४५
विकरप्रामा १७६
विक्रमगिला ११६
किञ्चमादिव ७४
विग्रह १०१
विग्रहपाल (ततीय) १२२ १६५, २१६
२२६
विजयदेव वमन ५५
विजयराज ४२
विजयसेन १६
वित्तवाच २६३
विद्याधर भजदेव २८३
विनायक पाल १३४
विनायकमुद्रा १३४
विलासपुर ११०
विष्णुनिष्ठूप्रस्थ १६३ ६४
विनिप ३००
विशेषिम १६१, २४३
विश्वकर्मन भोमन १४१
विश्वरूप सेन १६६, २१७
विष्णु १८, १०८
विष्णु महत्तर १०८
विष्णुपति १२, २०, २१, ६७, ६६,
१०२ पा० टि०
विष्टि (देखिए बेगार भी) ४६, ५७
५२, १२५, १२६ २४८, २७३ ७४,
२७६
विष्टिवाघक ५१
विष्णु १२१, १२६, १४४, १४६ १५५
२२२
विष्णुनिदिन १३
बीर बलज १०६
'बीर मित्रोदय ४७
बुसुन (देखिए गुसुर) १११
बृद्धि १५३
बैगी १०४ १०६
बेतन ३
बजल्लदेव १६०
बैद्य गीयव २३६
बद्धदेव १६५
बशाली २२ २२२
बश्य ६१ ६४, १०१
बश्य अशहार ६४
बश्य वा ६४
बप्पिव १६१ '२४३
ब्यवहार निषेध १५२
ब्यापार, —उत्तर प्रदेश म २५३,—
का पुनरुत्थान २७६,—का सामन्ती
करण १२६, १३०, २४४ —का
हास ६७, ६८ ७०, ११५ —
गुजरात म २५३ —चीत वे साथ
२५५, २६० —देग वे अदर २५२

१४, २५६, २६०, २६३ ६९, २६६, —
पर्वती भारत में २५० २८६ ६०,
२६४ २६६ —पूर्वी भारत में २५८,
२६५, —फ़रम व साथ २५६ —
बधलमण्ड म २५४ —तुदस्तड म
२५४ —वेंवतिया साम्राज्य क
साथ ६६, —मध्यभूव के साथ
२६० ६९, —मध्यभारत म २५६,
—राजस्थान म २५२ ५३, —
विश्वों के साथ २४७, २५८ २६५,
२६६

ध्यास १२३, १४७ १५३

ध्यकरण ६३

ध्यकरणवी २६४

ध्यकिननाम १३

ध्युमहासामात २८ २६ ३०

ध्यकर १११

ध्यवर स्वामिन् १४२, १४८

गमा दशरथ १०१ १५१

ध्यवनाम २०

ध्यवनाथ २३, ३८

ध्यवान्तर १५७

ध्यग्निवरम् ३८

गावन्तिवित १५०

गावम्भरी २४५

गाकुत्रम् ७२

गात्रगिव १७४

गान्तिवयन २।

गामन ४४

गाहनीहत १४

गाहावाद जिला २८६

गादित्य (प्रथम) ५०

गिर १२४ २२२ २३८ —

‘गुरुनीतिसार’ १६६, १६६

गुभस्यनी ५७

गुप्ताखदेव (प्रथम) २८८

गुन्डमण्डपिका २४७

गूढ ६१ ६४, २७२, २८३

गूरात्मि १८६

गृग २३

गैतर २७

ग्रावन्नी ८३, २८५ २८६

श्रीकृष्णजनपद ४२

श्री गणेश, एक गव देवता १८६

श्रीचांद्र २१६

श्री तिहुणक १८० ८१

श्रीनारायण भट्टारक १२१

श्रीमान्दल्ल ६६

श्रीमालीय १३५

श्रेणि ७२, ७३, ७५, १०६ १२६

‘वेतवराह स्वामिन् ३७ ४५

मगममिह १०

सग्रामगुप्त २०२ २२६

सध ४७

सधमित्र १४ ५५ १५८

सकुल्य १४३

सखा २१

सपुलमक २६२

सचिव २२ १६६, २०८

सत्र १४४ —

सदगदशापराया ४

सद्याकर नन्दी २७५

सप्रतिवासिजन समर ५८

समधिगताशेष महाशब्द १०३ पा०टि०

- समरेक्ष्य हा १०१
 समाचारदेव ४१
 समाहर्ता ८
 समुद्रगुप्त १८, २४ २६, ४६ ६६
 समुद्रसेन ५८
 समविधिन् १०१ १००
 सरकार, डी० सी० ७१
 सराहगडमाच्छु २६५
 सबदित्यविट्ठि ५२
 सबपीडा १२५, २४६ ७२
 सबविट्ठि ५१
 सबध्यक्ष ३
 सर्वाय समेत १२७
 सलखणपुरी २४७
 सवक्षमालाकुलम् ११६
 सहसगण्ड ११०
 सहल्ल १२४
 साधिविग्रहिक १०६ १६६
 सामात् २५ ३१ ७७ ६६ १०५,
 १०७, १६७ १६८, १० १६६
 १६८, २००, २०१ २०४ २१०
 २११ २१३ —के कत्त्य १०२,
 १०५
 सामन्तव राजा २७१
 साम तचक्र २०१
 सामत्खुडामणि २५
 सामन्तप्रत्याय १२७
 सामन्तशमुल २१२
 सामन्त महाराज २६
 सामन्तवाद ५,—का चरमोत्क्षण
 २८१ —का सद्गति आधार
 २१०,—की विगेयताएँ ७८
 ७६,—गुप्तो के राज्य मे २३,—
 चीन मे १,—चौलुव्यो के राज्य मे
 १८८,—जमनी म १६७,—पूर्व
 वगाल मे २४४,—वगाल म २०१,
 २३७,—बघेलखण्ड म २१४,—
 बिहार मे २०१२,—फास मे
 १६७,—मिस्र मे १
 सामन्तवादी यवस्था,—भूमि के
 असमान वितरण पर आधारित १५७
 साहणपाल देव २३६
 साहनी, डी० आर० १७६
 सिंचाई ७६ २३३, २६०
 सिंहद्वार २१३
 सिंहराज १८०
 सिद्धराज २२०
 सिंघ ७०
 सिलहट २३८
 सीमा विवाद ६४
 सीयडोणि ६६ १२१ १३७
 सुदर्शन भाल ७०
 सुव लु ३८
 सुव्वरिग ४१
 'सुभाषित रत्नकाय' ७५
 सुमाना ८२
 सुलेमान ६७ १०५
 सुवण १२६
 सूयसेन २८ १६६
 सेनापति २१
 सेनाभवन ५३
 सनिक वग १६८ ६६
 सोढदेव २२२
 सौत्याघमानविट्ठि ५० पा० टि०

अनुक्रमणिका

सोत्राच्यमानविष्टिक १२५
 सोमेश्वर (तृतीय) १०७
 सोरतुर ६६
 सौदिति ६०, ६३, १२२
 सौराष्ट्र ७६
 स्कादगुल्म ४६
 स्कादताग १३
 स्कंधक ८४, १२३
 स्नानावार २६८
 स्ट्रो ३१
 स्थानिक ८
 स्थावर १२२
 स्थितिचार्दिका १४३ १५५
 स्वभाग ११४
 स्वभोगावाप्त वशपोतक भोग ८८
 स्वामित्रास ६
 स्वामिने ६७ ६२ पा० टि०
 हजारीबाग ३४
 हुट्टपति २५४

हट्टिक ८०
 हरथाम ११०
 हरिमद्र सूरि १०१
 हरिवर्मनदेव १६६
 ह्य (हणवधन भी) १२, १६ २१
 २६ २७, ३०, ३१, ४२ ४४ ६७
 २२३, २४६, २७०
 'ह्यचरित १६, २१ २६ २८, ४२
 ४४, ४६
 हल ३६ ५६ पा० टि०
 हलायुध १६६ १६७
 हॉपकि स १३६
 हिरण्य १२ ६८, १२७ १३१ १३६
 हूण १११ ८७२
 हेमचान्द्र २५६
 हो चाग चुन ११ पा० टि०
 हारमज २१३
 ह्वेनत्साग १०, १२, ३० ४६ ६४
 ७८, १४८ २७०, २७२

BIBLIOGRAPHY

DHARMAŚĀSTRA AND ALLIED LITERATURE

Autareya Brahmana Ed & Tr Martin Haug 2 volumes, London 1863

Āpastamba Dharmasutra Ed G Buhler Bombay 1932

Arthashastra of Kautilya Ed R Shamasastri, 3rd edn Mysore 1924 (unless otherwise stated references in this work refer to this text) Tr R Shamasastri 3rd edn, Mysore 1929 Edn with comm by T Ganapati Śāstri 3 vols Trivandrum 1924 25 Ed J Jolly and R Schmidt vol 1 Lahore 1924

Commentaries on the *Arthashastra*

- (i) *Jayamangala* (runs up to the end of the Bk I of the AS with gaps) Ed G Harshara Śastri JOR xx xxiii
- (ii) *Pratipada pancika* by Bhattacharjī (on Bk II from sec 8) Ed K P Jayaswal and A Banerji Śastri JBORS XI XII
- (iii) *Naya Candrika* by Madhava Yajva (on Bks vii-xii) Ed Udayavīra Śāstri Lahore 1924
- (iv) A Fragment of the Kautilya's *Arthaśāstra* alias *Raja siddhanta* with the fragment of the commentary named *Nitinirṇiti* of Acharya Yogghama alias Mugdhavīlāsa Ed Munī Jina Vijaya Bombay 1959

Bṛhaspatya sutram (Arthaśāstra) Ed F W Thomas Punjab Sanskrit Series Lahore 1922

Baudhayana Dharmasutra Ed E Hultzsch Leipzig 1884

Bṛhaspati Smṛti Ed K V Rangaswami Aivangar (this text has been followed in Ch I In other chapters Jolly's edn has been followed) GOS lxxxv Baroda 1941

Bṛhat Parāśara Samhita Bombay 1911

Gautama Dharmasutra Ed A S Stenzler London 1876 with the comm of Maskarin Ed L Srinivasacharya Mysore 1917

- मार्तीय सामग्री
- Kāmandakīya Nūlsara* Ed R L Mitra Bl Calcutta 1884
 Tr M N Dutt Calcutta 1896
Kāmandaka Nūlsāra Trivandrum Sanskrit Series Trivandrum 1912
- Kaṭyāyana Smṛti* on *Vyavahāra* (Law and Procedure) Ed with reconstituted text Tr Notes and introduction by P V Kane Bombay 1933
- Kṛtyakalpataru* of Lakṣmīdhara Ed K V Rangaswami Aiyangar GOS Baroda 1943
- Lekhāpaddhati* Ed C D Dalal and G K Shrigondevkar GOS xix 1925
- Manu Smṛti* or *Manava Dharmasāstra* Ed V N Mandlik Bombay 1886 Tr G Buhler SBE xxv Oxford 1886
- Narada Smṛti* with extracts from the comm of Asahaya Ed J Jolly Calcutta 1885 Tr J Jolly SBE xxxiii Oxford 1889
- Paraśāra Smṛti* with the comm Manohara Banaras Sanskrit Series 1907
- Sukranitisara* Ed Jnananda Vidyasagara Calcutta 1890 Tr B K Sarkar Allahabad 1914
- Tirukkural* Tr V R R Dikshitar The Adyar Library 1949
- Vasiṣṭha Dharmasāstra* Ed A A Fuhrer Bombay 1916
- Viṣṇu Smṛti* or *Vaiṣṇava Dharmasāstra* (with extracts from the comm of Nanda Pandita) Ed J Jolly, Bl Calcutta 1881 Tr J Jolly SBE vii Oxford 1880
- Vyavaharamayukha* of Bhaṭṭa Nilakantha Ed P V Kane Poona 1926
- Yajñavalkya* with *Viramitrodaya* and *Mitaksara* Chowkhamba Sanskrit Series Banaras 1930
- Trs of the Dharmasutras of Āpastamba Gautama Vasiṣṭha and Baudhāyana by G Buhler in SBE ii and xiv Oxford, 1879 82
- EPCIS PURANAS AND ALLIED WORKS
- Agni Purana* Bl Calcutta 1882 Tr M N Dutt 2 volumes Calcutta 1903 4
- Bṛhannaradiya Purana* Ed P H Sastri, Calcutta, 1891

Kṛṣṇajanmakhanda of the *Brahmavaivarta Purana* Allahabad, 1920

Mahabharata Calcutta Edn, Ed N Siromani and others Bl
Calcutta, 1834 9 Tr K M Ganguly Published by P C Roy,
Calcutta, 1884 96 Kumbakonam Edn Ed T R Krishna
charya and T R Vyāsacharya Bombay, 1905 10
Santiparvan (Rajadharma 2 Parts) Critical Edn, Ed S K
Belvalkar Poona 1949 50 *Santi Parva* Chitrashala Press,
Poona 1932

Markandeya Purana Ed Rev K M Banerjee Bl, Calcutta
1862

BUDDHIST TEXTS

Digha Nikaya Ed T W Rhys Davids and J E Carpenter, 3
volumes PTS, London 1890 1911 Tr T W Rhys Davids
3 volumes *SBB* London 1899 21

Jataka with commentary Ed V Fausboll 7 volumes (vol
7 index by D Anderson), London 1877 07 Tr Various
hands 6 volumes London 1895 1997

Milindapanho Ed V Trenckner London 1928 Tr T W
Davids *SBE*, Oxford 1890 4

HISTORICAL AND SEMI HISTORICAL WORKS

SANSKRIT

Harsacharita of Bāṇabhātta with the commentary of Śāṅkara
Ed K B Parab Bombay 1937

Harasa carita of Bana Tr F B Cowell & F W Thomas
London 1897

Kumarapalacharita by Hemachandra with a commentary by
Purnakalas Aśāni Ed S P Pandit Bombay 1900

Prabandhacintamani of Merutunga Ed Jinavijaya Muni
Santiniketan 1933

Rajatarangini of Kalhana Tr M A Stein Westminster 1900

Ramacarita of Sandhyakaranandī Ed R C Majumdar R
G Basak and N G Banerji Rajshahi 1939

ARABIC & PERSIAN (Tr.)

The History of India as told by its own Historians Ed and
compiled by H M Elliot & John Dowson 8 Volumes
London 1867 77

मारतीय साम्राज्यवाद

TECHNICAL WORKS

- Aparajitaprecha* of Bhuvanadeva Ed P A Manlak GOS
Baroda 1950
- Bṛhat Saṃhitā* of Varahmihira Tr Durga Prasad Lucknow
1884 with the comm of Bhāṭṭotpala 2 Parts Ed Sudhakar
Dwivedi Banaras 1895 7
- Desinamamala* of Hemacandra Ed Muralīdhar Banerjee
Calcutta 1931
- Kamasutra* of Vatsyayana with the comm *Jajamangala* of
Yaśodhara Ed Gosvami Damodar Shastri Banaras 1929
- Karnatakabhaṭṭabhusana* of Naga Varma Ed L Rice
Bangalore 1884
- Kṛṣṇa Parasara* Ed & tr G P Majumdar & S C Banerji
BI Calcutta 1960
- Manasara* on Architecture and Sculpture (Sanskrit Text with
critical Notes) Ed P K Acharya Oxford 1933
- Tanasiollasa* (or *Abhulasuarthacintamani*) Ed G K Shri
gondekar GOS 1918 & Ixxxiv Baroda 1925 39
- Tanmatra* Ed T Ganapati Sastri Trivandrum Sanskrit Series
1919
- Taranganasutradhara* of King Bhojadeva Ed T G Sastri
Baroda 1925

MISCELLANEOUS LITERARY TEXTS

- Subhasuaratnakosa* Ed D D Kosambi and V V Gokhale
Harvard Oriental Series 1957
- (The) *Tilaka Maiyari* of Dhanapala Ed Bhavadatta Sastri &
K B Parab Nirnayasagara Pres. Bombay 1903
- Kadambari* of Bāna with the commentary by M R Kale
Bombay 1928

COINS AND INSCRIPTIONS

- A S Altekar (ed) and compiled by C R Singhal *Bibliography*
of Indian Coins Part I
- C J Brown *Coins of India* Calcutta 1922
- A Cunningham *Coins of Mediaeval India from the 7th century
down to the Muhammadan conquests* London 1894

- M G Dikshit, *Selected Inscriptions from Maharashtra 5th to 12th century A D* Poona 1947
- M G Dikshit *Sources of the Mediaeval History of the Deccan* (Texts with comments in Marāṭhi), iv Poona 1951
- J F Fleet, *Inscriptions of the Early Gupta Kings*, CII iii London 1888
- Sten Konow *Kharoṣṭhi Inscriptions* CII ii, Part 1 Calcutta 1929
- G H Khare *Sources of the Medieval History of the Dekkan* i, Poona, 1930
- Luders List of Inscriptions*, EI x
- N G Majumder (ed) *Inscriptions of Bengal* iii Rajshahi 1929
- V V Mitashi *Inscriptions of the Kalacuri Cedi Era* CII, iv two parts Ootacamund 1955
- *Vakatak Rajvams ka itihas tatha Abhilekh* Varanasi, 1964
- R B Pandey *Historical And Literary Inscriptions* Varanasi, 1962
- R B Patil *Antiquarian Remains in Bihar*, Patna 1963
- V A Smith *Catalogue of the Coins in the Indian Museum* Calcutta Oxford 1906
- D C Sircar *Select Inscriptions Bearing on Indian History and Civilisation* i Calcutta 1942

FOREIGN SOURCES

(i) Greek

- J W McCrindle, *Ancient India as described by Megasthenes and Arrian* Calcutta 1926
- *Ancient India as described in Classical Literature* Westminster 1901

(ii) Chinese

- Samuel Beal *Travels of Fah-hian and Sung Yun* (Tr), London, 1869
- *The Life of Hiuen Tsiang*, London, 1888

- Ho Chang Chun 'Fa hsien's Pilgrimage to Buddhist Countries' *Chinese Literature* 1956, No 3
- H A Giles, *The Travels of Fa Hsien or Record of Buddhistic Kingdoms* (Tr.) Cambridge 1933
- James Legge *A Record of Buddhistic Kingdoms* (being an account of the Chinese monk Fa hsien's Travels) Tr Oxford 1886
- T Takakusu *A Record of Buddhist Religion* Oxford 1896
- T Watters *On Yuan Chwang's Travels in India* Ed T W Rhys Davids and S W Bushell 2 volumes London 1904 5

(iii) Others

- Henry Yule tr & ed *The Book of Ser Marco Polo* 2 volumes London 1926

REFERENCE BOOKS

- Laxmanshastrī Joshi: *Dharmakosa* (in three parts) Wai Dist Satara 1937 41
- Monier Monier Williams *A Sanskrit English Dictionary* Oxford 1951
- T W Rhys Davids and W Stede *Pali English Dictionary* PTS London 1921

SECONDARY WORKS ON EARLY INDIAN FEUDALISM ECONOMIC HISTORY AND ALLIED SUBJECTS

- P K Acharya *Hindu Architecture in India and Abroad Manasara Series* Vol VI Oxford 1946
- V S Agarwala *Harshacharita Ek Sanskritik Adhyayan* Patna 1953
- V S Agarwala *Kadambī Ek Sanskritik Adhyayan* Varanasi 1958
- A S Altekar *The Rashtrakutas and Their Times* Poona 1934
- K A Antonova K Voprosu O Razvitiu Feodalizma V Indii *Kratkie Soobschenia Instituta Vostokovedeniya* III (A Nauk U S S R Moskva, 1952) 23 32.
- B H Baden Powell *The Indian Village Community* London 189

- _____, *The Land Systems of British India*, 3 Volumes, London 1892
- P C Bagchi *India and Central Asia*, Calcutta 1955
- P N Banerjee *Public Administration in Ancient India*, Calcutta 1916
- A L Basham *Studies in Indian History and Culture* Calcutta, 1964
- _____*The Wonder that was India* London, 1954
- R G Basak *The History of North Eastern India*, Calcutta 1934
- Marc Bloch *Feudal Society* London 1961
- C E Bosworth *The Ghurnans (994-1040)* Edinburgh 1963
- M A Buch *Economic Life in Ancient India* Volume II, Baroda 1924
- R K Choudhary Feudalism in Ancient India, *JIH* xxxvii 385 ff xxxviii, 193 ff
- _____*Viṣṭi (Forced Labour) in Ancient India* *IHQ* March 1962
- _____*Some Aspects of Feudalism in Cambodia* *JBRS* xlvi 246 68
- H T Colebrooke *Miscellaneous Essays* Ed E B Cowell, London 1873
- R Coulbourn (ed.), *Feudalism in History*, Princeton 1956
- V R R Dikshitar *The Gupta Polity* Madras 1952
- Charles Drekmeir *Kingship and Community in Early India* Stanford Stanford University 1962
- B N Dutta *Hindu Law of Inheritance* Calcutta 1957
- _____*Studies in Indian Social Polity* Calcutta 1944
- D C Ganguly, *History of the Paramara Dynasty* Dacca 1933
- F L Ganshof *Feudalism* London, 1959
- U N Ghoshal *The Beginnings of Indian Historiography and other Essays* Calcutta 1944
- _____*Contributions to the History of Hindu Revenue System*, Calcutta, 1929

- Marrison Gibbs, *Feudal Order* London 1949
- Krishna Kanti Gopal 'The Assembly of the Samantas in Early Mediaeval India' *JIH* xii 241 50
- 'Feudal Composition of Army in Early Mediaeval India' *Journal of the Andhra Historical Research Society*, xxviii, 30 49
- Lallanji Gopal *Economic Life of Northern India (c A D 700-1200)* Banaras 1965
- 'On Feudal Polity in Ancient India' *JIH* xli, 405 13
- 'Samanta—Its Varying Significance in Ancient India' *JRAS* 1963
- 'The *Sukraniti*—a nineteenth century text' *BSOAS* xxv 524 526
- S Gopal and R Thapar (ed.), *Problems of Historical Writing in India* New Delhi 1963
- S A Q Husaini *The Economic History of India* 1 Calcutta 1962
- K P Jaiswal, *Hindu Polity* 2 Pts Calcutta, 1924
- *Hindu Polity*, Bangalore 1943 (Unless specified otherwise references correspond to this edition)
- P V Kane *History of Dharmashastra* II Poona 1941
- D D Kosambi 'On the Development of Feudalism in India' *ABORI* xxxvi 258 69
- 'The Culture and Civilisation of ancient India in Historical Outline' London 1935
- 'Indian Feudal Trade Charters' *JESHO* ii 281 93
- 'An Introduction to the Study of Indian History' Bombay 1956
- 'Origins of Feudalism in Kashmir' *The Sardha Satyabdi Commemoration Volume* 1804 1954, Asiatic Society of Bombay
- S K Majity, *The Economic Life of Northern India in Gupta Period (c A D 300-500)* Calcutta 1957
- A K Majumdar *Chaulukyas of Gujarat* Bombay 1956
- R. C. Majumdar (ed.) *History of Bengal* 1 Dacca 1943

- R C Majumdar & A S Altekar (ed) *The Vakataka Gupta Age* Banaras 1954
- R C Majumdar & A D Pusalker (ed) *History and Culture of the Indian People II The Age of Imperial Unity* Bombay 1951
- *History and Culture of the Indian People III The Classical Age* Bombay 1953
- Karl Marx *Pre Capitalist Economic Formations* tr Jack Cohen & ed E J Hobsbawm London 1964
- B P Mazumdar *The Socio Economic History of Northern India (11th & 12th centuries)* Calcutta 1960
- Date and Concordance of the *sukrantiisara* *JBRS*, xlvi 214 33
- Y M Medvedev K Voprosu O Formakh Jemlevladeniya V Severnoi Indii T VI VII Vekakh *Problemy Vostokovideniya* 1959 i pp 49 61
- Origin and evolution of the form of the Indian grants (3rd 12th centuries) *Istoriy i Kultura drevnej Indii* ed W Ruben V Struve and G Bongard Levin Moscow 1963
- Binayak Misra *Mediaeval Dynasties of Orissa* Calcutta 1934
- S K Mitra *The Early rulers of Khajuraho* Calcutta 1958
- W H Moreland (*The*) *Agrarian System of Moslem India* Allahabad 1929
- Sultan Nadvi *Arab Bharat Ke Sambandha* Allahabad 1930
- Pran Nath *Economic Conditions of Ancient India* London 1929
- Puspa Niyogi *Contributions to the Economic History of Northern India* Calcutta 1962
- Roma Niyogi *The History of the Gahadavala Dynasty* Calcutta 1959
- Richard Pankhurst *An Introduction to the Economic History of Ethiopia* London 1961
- Henry Pirenne *Economic and Social History of Mediaeval Europe* London 1961
- B N Puri *The History of the Gurjara Pratiharas* Bombay 1957

- E J Rapson (ed) *The Cambridge History of India, Volume I, Ancient India* First Indian Reprint Delhi 1955
- Nihar Ranjan Ray *Banaralir Itihas (Ādi Parva)* Calcutta 1948
- J H Round *Feudal England* London 1964 (first published 1895)
- H D Sankalia *Archaeology of Gujarat* Bombay 1941
- B C Sen *Some Historical Aspects of the Inscriptions of Bengal* Calcutta 1942
- Dasharatha Sharma *Early Chauhan Dynasties* Delhi 1959
- R S Sharma *Aspects of political Ideas and Institutions in Ancient India* Delhi 1959
- *Sudras in Ancient India*, Delhi 1959
- *Some Economic Aspects of the Caste System in Ancient India* Patna 1952
- *Stages in Ancient Indian Economy Enquiry No 4*
- R B Singh *The History of the Chahamanas* Varanasi 1964
- V A Smith *Early History of India* Oxford 1904
- Frank Stenton *English Feudalism 1066-1166*, Oxford 1961
- Paul M Sweezy and others *The Transition from Feudalism to Capitalism (A Symposium)* Sanskriti Publication Patna 1957
- K J Virji *Ancient History of Saurashtra* Bombay 1952
- Lakshmisankar Vyas *Caulukya Kumarpala* (in Hindi) 2nd edn Varanasi 1962
- G Yazdani (ed) *The Early History of the Deccan I VI* Oxford 1960

